

भारत

वार्षिक सन्दर्भ-ग्रन्थ

१९५६

भारत सरकार के द्वारा और प्रकाशक संस्थान के विचार
एवं प्रयोग विनिर्दिष्ट द्वारा संशोधन के अन्तर्गत

ज्येष्ठ, १८८१ (जून, १९५९)

३ रुपये ५० नये पैसे

सचिवालय, दिल्ली-८ के निदेशक द्वारा प्रकाशित तथा
प्रेस (कदमीरी गेट, दिल्ली) द्वारा मुद्रित

अध्याय

१. भारतभूमि घोर उत्तरे निवासी	१
२. राष्ट्रीय चिन्ह, भण्डा, योत तथा पंचाय	१४
३. संविधान	१७
४. विधानमण्डल	२०
५. कार्यपालिका	४७
६. न्यायपालिका	
७. प्रतिक्रिया	
✓ ८. शिक्षा	
८. सामूहिक मन्त्रिपरिषद्	
१०. वैज्ञानिक शोध	
११. स्वास्थ्य	
१२. समाज कल्याण	
१३. सहायता तथा पुनर्वास	
१४. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातिसमूहों तथा अन्य विशेष वर्ग	
१५. जन सम्पर्क के साधन	
१६. आर्थिक दृष्टि	
१७. आयोजना	
✓ १८. सामूहिक विकास	
१९. विल	
२०. कृषि	
२१. भूमि-सुधार	
२२. सरकारी आवासन	
२३. मिर्चाई तथा विद्युत्	
२४. पर्यटन	
२५. व्यापार	
२६. परिवहन	
२७. स्वास्थ्य-साधन	
२८. अन्न	
२९. राज्य तथा राज्यीय शासक	
३०. भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	
३१. १९५१ के समूह के सम्बन्ध	
३२. १९५६ के अन्तर्गत अन्तर्गत	
३३. अन्तर्गत अन्तर्गत	

कुछ सबसे ऊँची चोटियाँ हैं। बहुत अधिक ऊँचाई वाले स्थानों में यातायात, मुख्य भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग पर दार्जिलिंग के उत्तर-पूर्व में स्थित चुम्बी घाटी से होकर केवल जंसेप दर्रा तथा नाटू दर्रा जैसे दर्रा से ही सम्भव है।

सिन्धु-गंगा का मैदान १,५०० मील लम्बा तथा १५० से २०० मील चौड़ा है। यह मैदान सिन्धु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के तीन नदीक्षेत्रों से मिलकर बना है। यह संसार का एक सबसे अधिक लम्बा-चौड़ा उपजाऊ मैदान है और संसार के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्रों में से भी एक है। दिल्ली में यमुना नदी से बंगाल की खाड़ी तक के लगभग १,००० मील लम्बे क्षेत्र में यदि कहीं सबसे अधिक ऊँचाई है तो वह भी ७०० फुट से अधिक नहीं।

प्रायद्वीप का पठार १,५०० से ४,००० फुट ऊँचे पहाड़ों और पर्वतश्रेणियों के द्वारा सिन्धु-गंगा के मैदान से अलग पड़ जाता है। अरावली, विन्ध्य, सतपुड़ा, मंजल तथा अजन्ता पहाड़ियाँ इनमें मुख्य हैं। प्रायद्वीप के एक ओर औसतन २,००० फुट ऊँचे पूर्वी घाट और दूसरी ओर ३,०००-४,००० फुट ऊँचे पश्चिमी घाट हैं जिनकी ऊँचाई कहीं-कहीं पर ८,८४० फुट तक भी हो जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिण में नीलगिरि पहाड़ियाँ हैं जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। पश्चिमी घाट कार्डेमम पहाड़ियों तक फैला हुआ है।

नदियाँ

भारत की नदियाँ चार प्रकार की हैं: (१) हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, (२) दक्षिण के पठार की नदियाँ, (३) तटीय नदियाँ तथा (४) आन्तरिक नदीक्षेत्र की नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों में वर्षा के स्थानों से निकलने के कारण पूरे वर्ष पानी रहता है। वर्षा ऋतु में इन नदियों के कारण बहुत बड़ा भी आ जाया करती है। दक्षिण के पठार की नदियों में सामान्यतः वर्षा का ही पानी होने के कारण पानी कभी कम तो कभी अधिक रहता है और इनमें से बहुत-सी नदियाँ तो वर्ष के अधिक समय में सूखी रहती हैं। तटीय नदियाँ, विद्येयकर पश्चिमी तट की, छोटी होती हैं और इनका जलक्षेत्र भी सीमित होता है। इनमें से भी अधिकांश नदियाँ काफी समय तक सूखी रहती हैं। पश्चिमी राजस्थान की आन्तरिक नदीक्षेत्र वाली नदियाँ बहुत कम हैं जो अपने-अपने नदीक्षेत्रों में ही अपना सभर भीत जैसी नमक की भीतों तक जाकर सूख जाती हैं और जिनो समुद्र तक नहीं पहुँचतीं।

गंगा का नदीक्षेत्र सबसे बड़ा है जिसकी भारत के कुछ क्षेत्रों के लगभग एक-चौथाई भाग से पानी मिलता है। इसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्य पर्वत है। इस क्षेत्र में नदियाँ भी बहती हैं। गंगा भागीरथी तथा अलकनन्दा के रूप में हिमालय से निकलती है। यमुना, घाघरा, गण्डक तथा कोसी नदियाँ हिमालय से निकलकर गंगा में जा मिलती हैं।

भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदीक्षेत्र गोदावरी का नदीक्षेत्र है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र तथा पश्चिम में सिन्धु के नदीक्षेत्र भी लगभग इसी के बराबर हैं। भारत के प्रायद्वीप वाले

भाग में कृष्णा नदीक्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नदीक्षेत्र है। महानदी, प्रायदीप वाले भाग के तीसरे सबसे बड़े नदीक्षेत्र में से होकर बहती है। इसके उत्तर में नर्मदा तथा सुंदर दक्षिण में कावेरी के नदीक्षेत्र भी लगभग इतने ही बड़े हैं।

उत्तर का तापी नदीक्षेत्र तथा दक्षिण का पेण्णार नदीक्षेत्र छोटे, किन्तु कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

जलवायु

भारत की जलवायु मुख्यतः वर्षाप्रधान ऊष्ण है जो स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न है। भारत की जलवायु पर ऋतुओं के हेर-फेर का स्पष्ट और सीधा प्रभाव पड़ता है। ऋतुओं का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जा सकता है :

- (१) अक्टूबर से फरवरी के अन्त तक जाड़े की ऋतु,
- (२) मार्च के आरम्भ से जून के आरम्भ अथवा मध्य तक ग्रीष्म ऋतु तथा
- (३) जून के आरम्भ अथवा मध्य से सितम्बर के अन्त तक वर्षा ऋतु।

जलवायु के अनुसार वर्षा पर आधारित भारत के प्रदेशों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है :

- (क) ८० इंच से अधिक वार्षिक वर्षा वाले प्रदेश जैसे पश्चिमी तट, बंगाल तथा असम;
- (ख) ४० से ८० इंच तक की वर्षा वाले प्रदेश जैसे उत्तर-पूर्वी पठार तथा गंगा घाटी का मध्य भाग; और
- (ग) २० से ४० इंच तक की वर्षा वाले प्रदेश जैसे मद्रास, दक्षिण के पठार का दक्षिण तथा उत्तर-पश्चिमी भाग तथा गंगा के मैदान का ऊपरी क्षेत्र।

भारत के चुने हुए ५० नगरों के अधिकतम तथा न्यूनतम वार्षिक तापमान (फार्नेहाइट में) और वार्षिक वर्षा (इंचों में) का विवरण अगले शृंखला की तालिका में दिया गया है।

भारत १९५६

तालिका १

भारत के चुने हुए नगरों के अधिकतम तथा न्यूनतम वार्षिक तापमान और वार्षिक वर्षा

नगर	ऊँचाई (फुट)	अधिकतम तथा न्यूनतम वार्षिक तापमान		वार्षिक वर्षा (इंच)
		अधिकतम तापमान (फा०)	न्यूनतम तापमान (फा०)	
अनघेर	१,५६३	८८.२	६५.२	२०.७७
अम्बाला	८६२	८८.२	६३.१	३२.६७
अलीगढ़	६१५	८८.८	६५.५	३०.८५
अहमदाबाद	१६३	९४.५	७०.७	२६.२१
भागलपुर	५५३	८८.२	६३.१	२६.७४
भाबू	३,६४५	९०.५	६३.८	६१.५६
बन्नीौर	१,८२३	७५.८	६६.४	३४.७२
इलाहाबाद	३२२	८८.२	६३.८	४१.८२
उदकमण्डलम	७,३६४	९०.१	६३.८	३४.८२
काटक	८७	६६.०	५६.०	५४.८६
कलकत्ता (धलीपुर)	२१	९०.६	५६.०	५१.८२
कानपुर	४१३	८८.५	७२.२	५४.८६
कोटा	२५४	८६.०	७०.२	५६.६७
गोरखपुर	१८२	९१.६	६६.०	६२.६८
गोहाटी	५,२०६	८४.०	६६.४	३५.५४
चेरापुञ्जी	१,२८६	८५.०	६६.७	५०.१६
जयपुर	१,२००	८८.३	५०.६	६३.४६
जम्मू	१,६३१	८४.६	६३.७	४२.५३
जयपुर	७३६	८६.६	६६.०	५७.५५
ओपनूर	८२४	९१.७	६६.६	४२.१०
धीमो	५८४	९१.२	६६.६	३६.०२
कात्रिगिय	२,६३६	५८.६	६६.६	१४.२१
देहरादून	७१४	८१.४	६८.४	३६.८७
बनो रिमो	१,०२३	८८.८	६०.३	३६.४२
नागपुर	३,४२८	८२.१	६४.५	८५.०४
लखनऊ	१०३	८०.१	६०.८	२६.२४
ना		८०.६	६८.६	५६.६६

तानिका १ (प्रमगः)

१	२	३	४	५
पुरी	२०	८६.१	७४.८	५३.६६
पूना	१,८३४	८६.४	६४.४	२६.४६
बंगलोर	३,०२१	८६.०	६४.०	३४.०८
बम्बई (कोठावा)	३७	८६.८	७३.८	७१.२१
बरेली	५६८	८७.६	६४.०	४२.६४
बोबानेर	७३४	६२.०	६८.३	११.४७
भोपाल	१,६४३	८८.४	६४.३	५२.३१
भंगलोर	७२	८७.३	७४.४	१२६.४६
भद्राग	५१	६२.२	७४.६	४६.६२
भमुरी	६,६४०	६३.५	५०.१	८७.६०
महाबलेश्वर	४,५३४	७४.५	६१.०	२६१.२३
भंगूर	२,५१८	८६.३	६६.२	३१.१८
राजकोट	४३२	६२.६	६६.४	२४.८०
सखनऊ	३७१	८६.७	६६.०	४०.०२
सुधियाना	८१२	८८.१	६३.६	२७.२१
वाराणसी	२५०	८६.६	६६.८	४०.६७
शिमला	७,२२४	६२.४	४६.४	६१.०४
शिलङ्	४,६२१	६६.६	५३.५	८४.६४
श्रीनगर	५,२०५	६७.८	४३.६	२५.६६
हिसार	७२५	६०.२	६३.४	१६.७६
हैदराबाद(बेगमपेट)	१,७७८	६०.४	६८.४	२६.४२
त्रिवेन्द्रम	२००	८५.७	७६.१	६६.७६

विद्युत् संसाधन

कोयला

भारत में कोयला मुख्यतः गोण्डवाना क्षेत्र में पाया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में सभी प्रकार के कोयलों का कुल भण्डार ६० अरब टन का है।

लिंगाइट कच्चा, कदमौर, मद्रास, राजस्थान तथा गौराष्ट्र में पाया जाता है। मद्रास राज्य के दक्षिण प्रारकाशु जिले में और उसके आसपास १०० वर्ग मील के क्षेत्र में २ अर्ब टन लिंगाइट के भण्डार का अनुमान लगाया गया है।

तेल देश में ४,००,००० वर्ग मील क्षेत्र में तेल प्राप्त किए जाने का अनुमान लगाया है। किन्तु यह अनुमान आजकल घट रही तेल क्षेत्रों की तेल के आधार पर तैला जा सकता है।

जलशक्ति

देश के आर्थिक विकास के लिए ४.१० करोड़ किलोवाट जलविद्युत् की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

लोहा

रामिज समाधान

अनुमान लगाया गया है कि भारत में लोहे का भण्डार २१ अर्ब टन का है जो संसार के कुल भण्डार का एक-चौथाई है। जड़ोसा, बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में हेमटाइट लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। जड़ोसा, बिहार, मद्रास, मैसूर तथा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में लाइमोनाइट लोहे का काफी बड़ा भण्डार है। देश में सभी प्रकार के लोहे का भण्डार लगभग ६.७६ अर्ब टन का है।

मैंगनीज

भारत, मैंगनीज पंदा करने वाले संसार के देशों में तीसरा महत्वपूर्ण देश है। ११.२ करोड़ टन के कुल अनुमानित भण्डार में से लगभग १० करोड़ टन बम्बई तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है।

क्रोमाइट

क्रोमाइट मुख्यतः जड़ोसा, बिहार तथा मैसूर में मिलता है। भारत में कुल १३.२० लाख टन के भण्डार का अनुमान लगाया गया है।

जम्बसह धातुएँ

आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा राजस्थान के कई-एक स्थानों में मैंगनीसाइट पाए जाने का अनुमान है। इसका कुल भण्डार १० करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया है। अनिजित मिट्टी लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है किन्तु बिहार तथा बंगाल इनके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। बयानाइट संसार में सबसे अधिक बिहार में पाया

जाता है। इसके प्रतिरिक्त यह आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बम्बई, मंगूर तथा राजस्थान में भी मिलता है। व्यापारिक महत्व की तिलीमेनाइट धातु असम, केरल, मध्य प्रदेश तथा मंगूर में पाई जाती है। कोरुण्डम असम, मध्य प्रदेश, मंगूर तथा राजस्थान में पाया जाता है।

सोना

मंगूर राज्य की कोलार सोना खानों में सम्भवतः १२.६० लाख टन सोने का भण्डार है।

तांबा

तांबा बिहार की एक ८० मील लम्बी पट्टी में पाया जाता है।

बॉक्साइट

बॉक्साइट भारत में व्यापक रूप से लगभग सभी स्थानों में मिलता है। जम्मू, बम्बई, बिहार, मद्रास तथा मध्य प्रदेश इसके मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ कुल मिलाकर इसके लगभग २५ करोड़ टन के भण्डार की सम्भावना है। नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत में २.८० करोड़ टन बढ़िया किस्म के बॉक्साइट का भण्डार है जिसमें से लगभग एक-तिहाई बिहार में है।

अभ्रक

भारत में अभ्रक आन्ध्र प्रदेश (६०० वर्गमील), बिहार (१,५०० वर्ग मील) तथा राजस्थान (१,२०० वर्ग मील) से प्राप्त होता है। बिहार में प्राप्त होने वाला अभ्रक संसार में सबसे बढ़िया किस्म का है।

इलेमेनाइट

यह मुख्यतः भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र-तटों के किनारे की रेत में पाया जाता है। भारत में इसके २५ करोड़ टन के भण्डार का अनुमान लगाया गया है।

नमक

भारत में नमक मुख्यतः समुद्रतट-स्थित नमक कारखानों, बम्बई तथा राजस्थान की भीलों और हिमाचल प्रदेश की सैदा नमक की खानों से प्राप्त किया जाता है।

विविध अलौह खनिज पदार्थ

खलीह खनिज पदार्थों में से जो क्षण-विच्छेदन के लिए प्रयुक्त होने हैं, बेरिल राजस्थान और मोनासाइट केरल में मिलता है। बिहार में ऐसे बहुत-से स्थान हैं जहाँ यूरेनियम निकाला जा सकता है। इनके प्रतिरिक्त फिट्जरी, एपाटाइट (एक प्रकार का लवण), सिलिका, बरबेटन, बेरियम ग्लूफेट, प्लेतापर, रेह, कारनेट (साल खनिज), बाला सीसा, स्पटिक, शोरा तथा टिट्रियाटाइट धातुएँ भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। विप्लग

भारत १९५६

(८.८१ करोड़ टन का सम्भावित भण्डार) धरुई, मन्नात तथा राजस्थान में पाया जाता है। एपाटाइट के भण्डार मन्नात तथा बिहार में हैं जिनके २० लाख टन एपाटाइट मुगमता से प्राप्त किया जा सकता है।

जनसंख्या

संसार की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। १९५५ की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या ३५,६८,७६,३६४ थी। इनमें तिब्बत क्षेत्रों और जम्मू तथा कश्मीर राज्य को नहीं। १९५८ के मध्य में भारत की कुल जनसंख्या अनुमानतः ३६.७५ करोड़ थी जिनमें जम्मू तथा कश्मीर, पाण्डिचेरी (प्रांतीयी सरकार द्वारा हस्तांतरित किए जाने पर भारत में विलयित है) और तिब्बत की जनसंख्या भी सम्मिलित थी। भारत के राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल और उनकी जनसंख्या निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका २

राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या

राज्य	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जनसंख्या
भारत	१२,५६,७६५	३६,११,५१,६६६
असम	८५,०६२	६०,४३,७०७
बिहार	१,०५,६७७	३,१२,६०,१३३
उड़ीसा	६०,२५०	१,४६,४५,६४६
उत्तर प्रदेश	१,१३,४२२	६,३२,१५,७४२
केरल	१५,००६	१,३५,४६,११८

* १९५१ की जनगणना में असम के भाग 'ख' के आदिमजातीय क्षेत्र सम्मिलित नहीं थे। स्थानीय अनुमान के अनुसार इन क्षेत्रों (३२,२८६ वर्ग मील) की जनसंख्या ५,६० लाख है।

तालिका २ (क्रमशः)

१	२	३
जम्मू तथा कश्मीर ^१	८५,८६१	४४,१०,०००
पंजाब	४७,०६२	१,६१,३४,८६०
पश्चिम बंगाल	३३,६२७	२,६३,०२,३८६
बम्बई	१,६०,६६८	४,८२,६५,२२१
बिहार	६७,०७१	३,८७,८३,७७८
मद्रास	५०,१२८	२,६६,७४,६३६
मध्य प्रदेश	१,७१,२५०	२,६०,७१,६३७
मैसूर	७४,८६१	१,६४,०१,१६३
राजस्थान	१,३२,१४८	१,५६,७०,७७४
संघीय क्षेत्र		
छन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	३,२१५	३०,६७१
दिल्ली	५७३	१७,४४,०७२
मणिपुर	८,६२६	५,७७,६३५
लक्षद्वीप, मिनिक्ॉय तथा छमीनदीवी द्वीपसमूह	११	२१,०३५
हिमाचल प्रदेश	१०,६२२	११,०६,४६६
त्रिपुरा	४,०२२	६,३६,०२६

जन्म-दर तथा मृत्यु-दर

पश्चिमीय जन्म तथा मृत्यु क्योंकि पंजीकृत नहीं कटाई जा पातीं, इसलिए पंजीकरण के आँकड़ों पर आधारित जन्म तथा मृत्यु के आँकड़ों तथा जनगणना के आँकड़ों में भिन्नता मिलती है। १९४१-५० के दशक में पंजीकृत जन्म-दर २८ तथा पंजीकृत मृत्यु-दर २० थी। १९५६ में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे जन्म-दर २७४ तथा मृत्यु-दर ११.४ थी।

^१ १९५१ की जनगणना में जम्मू तथा कश्मीर राज्य सम्मिलित नहीं था। रजिस्ट्रार जनरल के अनुमान के अनुसार १ मार्च, १९५१ को इस राज्य की जनसंख्या ४४.१० लाख थी।

शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या

देश को ३५.६६ करोड़ की कुल जनसंख्या में से ६.१६ करोड़ ग्रामवा १७.३ प्रतिशत व्यक्ति नगरों और कस्बों में रहते हैं, जबकि शेष २९.५० करोड़ ग्रामवा ८२.७ प्रतिशत व्यक्ति गाँवों में। १९४१-१९५१ के दशक में शहरी जनसंख्या में ३.४ प्रतिशत की वृद्धि तथा ग्रामीण जनसंख्या में ३.४ प्रतिशत की कमी हुई।

देश में कुल ३,०१८ नगर तथा ५,५८,०८८ गाँव हैं। २६.५ प्रतिशत ग्रामीण जनता छोटे गाँवों में (५०० से २,००० की जनसंख्या के) ४८.८ प्रतिशत ग्रामीण जनता बड़े गाँवों में (२,००० से ५,००० की जनसंख्या के) और ५.३ प्रतिशत ग्रामीण जनता बहुत बड़े गाँवों में (५,००० से अधिक की जनसंख्या के) रहती है। ३८ प्रतिशत शहरी लोग नगरों में (१ लाख तथा उससे अधिक की जनसंख्या के) ३०.१ प्रतिशत छोटे कस्बों में (२०,००० से १,००,००० की जनसंख्या के), २८.६ प्रतिशत छोटे कस्बों में रहते हैं।

जनसंख्या के) तथा ३.३ प्रतिशत ५,००० से कम जनसंख्या की बस्तियों में रहते हैं।

जनसंख्या की दृष्टि से वर्गीकृत नगरों और गाँवों के प्राकृतिक निम्न तालिका में दिए गए हैं :

तालिका ५
नगर तथा गाँव

जनसंख्या	गाँव तथा नगर
५०० से कम	३,८०,०१६
५०० से १,०००	१,०४,२६८
१,००० से २,०००	४१,७६६
२,००० से ५,०००	२०,५०८
५,००० से १०,०००	३,१०१
१०,००० से २०,०००	८५६
२०,००० से ५०,०००	४०१
५०,००० से १,००,०००	१११
१,००,००० तथा उससे अधिक	७१

योग

५,६१,१०४

इन प्रकार भारत में १,००,००० या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या ७१ है। इनमें से ११ नगर ऐसे हैं जो एक लाख से घायग में गिने हुए ग्राम हैं और ६० नगर हजार-हजार ग्राम होते हैं।

विदेशों में भारतीय उद्भव के व्यक्ति

भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के उत्प्रवास की व्यवस्था 'भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, १९२२' तथा इसके अधीन बनाए जाने वाले नियमों और इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी की गई विधेय सूचनाओं के अनुसार होती है ।

१९५७ में अफ्रीका, बर्मा, मलय, श्रीलंका तथा अन्य देशों से क्रमशः ३६; ४; १,५१८; १०४ तथा १,२३४ व्यक्ति भारत वापस आए और भारत से अफ्रीका, बर्मा, मलय, श्रीलंका तथा अन्य देशों को क्रमशः २८७; ४३; ८३; १४८ तथा २,६१४ व्यक्ति गए ।

विदेशों में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संख्या लगभग ५० लाख है । इनमें से केनिया, ट्रिनिडाड, दक्षिण अफ्रीका, किजी द्वीपसमूह, बर्मा, ब्रिटिश गयाना, मलय, मारीशस, श्रीलंका तथा सिंगापुर में से प्रत्येक देश में एक लाख से अधिक और इण्डोनेशिया, जर्मनी, टंगनिका, डच गयाना और यूगाण्डा में से प्रत्येक देश में २५,००० से अधिक हैं ।

दूसरा अध्याय राष्ट्रीय चिन्ह, भण्डा, गीत तथा पंचांग

राष्ट्रीय चिन्ह

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ-स्थित भद्रोक के सिंह-स्तम्भ के उत रूप प्रतिरूप है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। मूल रूप से यह स्तम्भ सघट भद्रोक द्वारा उस स्थान पर स्थापित किया गया था जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अष्टांग-मार्ग की दीक्षा सर्वप्रथम दी थी। इसमें चार सिंह हैं जो स्तम्भ के शीर्ष भाग में एक चौरस पट्टी के ऊपर एक-दूसरे की घोर पीठ किए हुए स्थित हैं। स्तम्भ के चारों ओर को इस चौरस पट्टी में एक हाथी, बौद्धों हुए एक घोड़े, एक साँड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियाँ हैं जिनके बीच-बीच में घण्टीनुमा कमल के ऊपर एक चक्र है। सबसे ऊपर एक ही पत्थर से काट कर बनाया हुआ एक 'धर्मचक्र' था।

२६ जनवरी, १९५० को भारत सरकार द्वारा अपनाए गए इस राष्ट्रीय चिन्ह में केवल तीन ही सिंह दिखाई पड़ते हैं। चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई नषकागरी में एक चक्र है जिसके बाईं ओर 'बाईं ओर भ्रमणः एक साँड और एक घोड़ा है। चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में मुण्डकोपनिषद् का वाक्य—'सत्यमेव जयते' शक्ति है। इसका अर्थ है—सत्य की ही विजय होती है।

राष्ट्रीय भण्डा

हमारा राष्ट्रीय भण्डा जो २२ जुलाई, १९५७ को भारत की संविधान सभा द्वारा स्वीकृत हुआ और १४ अगस्त, १९५७ को संविधान सभा के अर्द्धरात्रिकालीन अधिवेशन में भारत की महिलाओं की ओर से राष्ट्र को समर्पित किया गया, तीन बराबर की आयताकार पट्टियों से बना है। ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है, मध्य की श्वेत रंग की तथा नीचे की गहरे हरे रंग की। भण्डे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात ३ और २ है। श्वेत पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जो चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र सारनाथ के सिंह-स्तम्भ वाले धर्मचक्र की बनावट का है। इसका व्यास लगभग श्वेत पट्टी की चौड़ाई जितना है। इसमें २४ धरे हैं।

भण्डे के पहरे हुए जाने और उचित रूप से प्रयुक्त किए जाने के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इसको किसी के लिए भुकाया नहीं जा सकता तथा कोई

घोर भण्डा या चिन्ह इसके ऊपर अथवा बाईं घोर स्थान नहीं पा सकता। यदि एक ही पंक्ति में अनेक भण्डे फहराने हों तो ये सब, राष्ट्रीय भण्डे के बाईं घोर ही रहेंगे। जब अन्य भण्डों को ऊंचा फहराना हो तो राष्ट्रीय भण्डा सबसे ऊपर रहना चाहिए।

यदि एक ही ध्वज-दण्ड पर कई भण्डे फहराने हों तो तब भी राष्ट्रीय भण्डा सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। भण्डे को लिता कर अथवा भुकी हुई दशा में कभी न ले जाया जाए। झूलूस में यह भण्डा ध्वजघाटक के दाएँ कंधे पर घोर सबसे आगे रहना चाहिए। यदि किसी दण्डे पर इसे सीधा या किसी तिरिकी, छड़जे अथवा मकान के मुख-भाग से इसे भुकी हुई स्थिति में फहराना हो तो केसरिया भाग ऊपर की घोर रहना चाहिए।

सामान्यतः यह भण्डा उच्च न्यायालय, सचिवालय तथा जेल आदि जैसे सरकारी भवनों पर ही फहराया जाना चाहिए। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों के अपने-अपने निजी भण्डे हैं।

स्वतन्त्रता दिवस, महात्मा गान्धी के जन्म दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह तथा ऐसे अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय भण्डा, हर कोई व्यक्ति फहरा सकता है।

राष्ट्रीय गीत

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित 'जन-गण-मन.....' भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में २४ जनवरी, १९५० को स्वीकृत हुआ। यह गीत सर्वप्रथम २७ दिसम्बर, १९११ को बसबस्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर गाया गया था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है—

जन-गण-मन- अधिनायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता ।

पंजाब-सिन्धु-गुजरात मराठा-
द्राविड़-उत्कल-बंग
विन्ध्य-हिमाचल-धमुना-संगा
उच्छल-जलधि तरंग
तव दृभ नामे जागे
तव दृभ धानिय धामे
माहे तव जय-नाथा ।

जन-गण-संगलदायक, जय हे
भारत-भाग्य-विधाता

जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे ।

भारत १९५६

राष्ट्रीय गान

राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति देने के साथ-साथ यह भी निर्णय किया गया कि श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी लिखित 'वन्दे मातरम्' को भी जो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के १८९६ के अधिवेशन के अवसर पर गाया गया था, 'जन-गण-मन' के समान दर्जा दिया जाए। इसका प्रथम पद इस प्रकार है—

वन्दे मातरम्,

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्
सम्पत्सामलाम् मातरम्,

शुभ्रज्योत्स्नाम् पुलकितयामिनीम्
फुल्लसुसुमित हुमदल शोभिनीम्,

सुहासिनीम् सुमधुर-भाषिणीम्,
गुलदां, वरदां, मातरम्।

राष्ट्रीय पंचांग

देश में प्रचलित विभिन्न पंचांगों की जाँच करने और सम्पूर्ण भारत के लिए तही तया एकसार पंचांग मुझाने के लिए नवम्बर, १९५२ में एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने १९५५ में अपना प्रतिवेदन दिया। राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार ने ग्रेगोरियन पंचांग के साथ-साथ सरकारी कार्यों के लिए २२ मार्च, १९५७ से एक राष्ट्रिय पंचांग भी अपनाते का निर्णय किया। राज्य सरकारों से भी राष्ट्रीय पंचांग अपनाने का अनुरोध किया गया है। विभिन्न धार्मिक त्योहारों पर होने वाली छुट्टियाँ पहले की भाँति ही बी जाती रहेंगी। पंचांग सुधार समिति' द्वारा मुझाई गई तिथियों का प्रयासम्भव पालन किया जाता रहेगा।

तीसरा अध्याय

संविधान

संविधान सभा का सर्वप्रथम अधिवेशन ९ दिसम्बर, १९४६ को हुआ। २२ जनवरी, १९४७ को इस सभा ने अपना उद्देश्य सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया और प्रस्तावित संविधान के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए कई समितियाँ नियुक्त कीं। इन समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर संविधान सभा की प्राण्य समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया जो फरवरी, १९४८ में प्रकाशित हुआ। यह सामान्य विचारविमर्श के लिए ४ नवम्बर, १९४८ को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। इसी बीच 'भारतीय स्वाधीनता अधिनियम' स्वीकृत होने तथा १५ अगस्त, १९४७ को सत्ता के हस्तांतरण के फलस्वरूप संविधान सभा उस पर लगे पहले के बन्धनों से मुक्त हो गई और उस पर एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न निकाय के रूप में भारत का संविधान तैयार करने का उत्तरदायित्व धारण किया। संविधान सभा ने १९५१ अगस्त में तथा ८ अक्टूबर से युक्त भारत के संविधान को २६ नवम्बर, १९४९ को अन्तिम रूप देकर स्वीकार कर लिया। यह संविधान २६ जनवरी, १९५० से लागू हुआ।

संविधान की प्रस्तावना में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए निम्नलिखित बातें सुरक्षित करना है :

न्याय—सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक,

स्वतन्त्रता—विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथा उपासना की,

समानता—सामाजिक और अवसर की, और

भ्रातृत्व, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता की प्रतिष्ठा का प्रावधान।

संघ और उसके राज्य-क्षेत्र

भारत राज्यों का एक संघ है जिसके राज्य-क्षेत्र में असम, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, मंगूर तथा राजस्थान के राज्य और अद्यतन तथा निकोबार द्वीपसमूह; दिल्ली; दिल्ली; लखनऊ; लखनऊ, मिनिर्बाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह; हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्र तथा अन्य अज्ञित क्षेत्र हैं।

है। इनमें कहा गया है "सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का पालन हो।" इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार सरकार का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक नागरिक (नर अथवा नारी) को जीवनयापन के लिए यथेष्ट और समान अवसर दे, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करे, अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अनुसार सभी को काम करने का समान अधिकार दे और बेरोजगारी, बुढ़ापे तथा बीमारी की अवस्था में सबको समान रूप से वित्तीय सहायता दे।

राज्य-नीति के अन्य निदेशक सिद्धान्तों में धार्मिक तथा वैज्ञानिक ढंग से कृषि तथा पशु-पालन का संगठन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, मादक पदार्थों तथा श्रौचविषयों का निषेध करना, १४ वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, ग्राम-संचायतें घनाना तथा रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना आदि कार्य सम्मिलित हैं।

केन्द्र

संविधान के पाँचवें भाग के उपबन्धों के अनुसार भारत गणराज्य की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् सम्मिलित है।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का चुनाव संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना एक निर्वाचकमण्डल सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा करता है। राष्ट्रपति को कम से कम ३५ वर्ष की आयु का भारत का नागरिक तथा लोक सभा का सदस्य बनने की अर्हता वाला होना चाहिए। उसका कार्यकाल ५ वर्षों का होता है तथा वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दूसरी बार भी चुना हो सकता है। संविधान-भंग के दोष पर विशेष रूप से अभियोग लगाकर ही राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। राज्य के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को नियुक्ति करने, संसद् का अधिवेशन बुलाने, संसद् स्थगित करने, संसद् में अभि-भाषण देने, संसद् को सन्देश देने तथा लोक सभा भंग करने जैसे अनेक कार्यों का भी अधिकार प्राप्त है।

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद् के दोनों सदनों के सदस्य अपने एक संयुक्त अधिवेशन में सानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं। उपराष्ट्रपति भी ३५ वर्ष की आयु से कम का न होना चाहिए तथा उसे राज्य सभा के चुनाव में लड़ने की अर्हता वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका कार्यकाल भी ५ वर्ष

नागरिकता तथा सत्ताधिकार

संविधान में सम्पूर्ण भारत देश के लिए एकल तथा एकसम नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संघ के राज्य-क्षेत्र में जन्म लेने, भारतीय माता-पिताओं की सन्तान होने अथवा संविधान लागू होने से ठीक पहले पांच वर्षों तक भारत का निवासी होने की शर्त पूरी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। अनुच्छेद ६ और ७ के अनुसार पाकिस्तान से आने वाले वे विस्थापित व्यक्ति जो अमुक शर्तों को पूरा करते हैं भारत के नागरिक बन सकते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने पिता या माता के द्वारा अथवा अन्तर्-आपकी पंजीकृत करा लें। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेश की नागरिकता स्वीकार कर ले, भारत का नागरिक नहीं बन सकता।

संविधान के अनुच्छेद ३२६ में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक हो त निर्धारित तिथि पर २१ वर्ष से कम आयु का न हो और जो संविधान प्रथम पञ्चोक्ति विधानमण्डल के किसी कानून द्वारा अनिवात, पागलपन, अपराध अथवा भ्रष्टाचार अथवा गैरकानूनी कार्य के दायार पर आने न ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार दिया गया है।

मौलिक अधिकार

संविधान के तीसरे भाग में सात प्रकार के व्यापक मौलिक अधिकार गिनाए गए हैं: सभता का अधिकार (अनुच्छेद १४ से १८); अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद १९); एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्ड न पा सकने, शर्तों की विरुद्ध शांति न बनाए जा सकने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता अथवा जीवन से संबंध न लिए जा सकने का अधिकार (अनुच्छेद २० से २२); शोषण से रक्षा का अधिकार (अनुच्छेद २३ तथा २४); धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार (अनुच्छेद २६ तथा २७); मानसि का अधिकार (अनुच्छेद २१) तथा नाबैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद ३२)। अन्तिम अधिकार के अन्तर्गत वे शर्तों पर गतना है।

एक व्यवस्था के अन्तर्गत कानून की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होने तथा धर्म, जाति, निराश्रित अथवा उमर-व्यय के दायार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना उचित है।

राजनैतिक विवेकात्मक विद्यालय

राजनैतिक विवेकात्मक विद्यालय अष्टमि विद्यालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। संविधान के अन्तर्गत उनका स्थान रहना आवश्यक माना जाता है।

है। इनमें कहा गया है "सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का पालन हो।" इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार सरकार का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक नागरिक (नर अथवा नारी) को जीवनयापन के लिए पर्याप्त और समान अवसर दे, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करे, अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अनुसार सभी को काम करने का समान अवसर दे और बेरोजगारी, बुढ़ापे तथा बीमारी की व्यवस्था में सबको समान रूप से वित्तीय सहायता दे।

राज्य-नीति के अन्य निदेशक सिद्धान्तों में आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से कृषि तथा पशु-पालन का संगठन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, मादक पदार्थों तथा शोषणियों का निषेध करना, १४ वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, ग्राम-पंचायतें बनाना तथा रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना आदि कार्य सम्मिलित हैं।

केन्द्र

संविधान के पाँचवें भाग के उपबन्धों के अनुसार भारत गणराज्य की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् सम्मिलित हैं।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का चुनाव संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभानों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना एक निर्वाचकमण्डल सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संवैधानिक मत द्वारा करता है। राष्ट्रपति की कम से कम ३५ वर्ष की आयु का भारत का नागरिक तथा लोक सभा का सदस्य बनने की शर्तेंता वाला होना चाहिए। उसका कार्यकाल ५ वर्षों का होता है तथा वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दूसरी बार भी पड़ा हो सकता है। संविधान-भंग के दोष पर विशेष रूप से अभियोग लगाकर ही राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। राज्य के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को नियुक्ति करने, संसद् का अधिवेशन बुलाने, संसद् स्थगित करने, संसद् में अभि-भाषण देने, संसद् को सन्देश देने तथा लोक सभा भंग करने जैसे अनेक कार्यों का भी अधिकार प्राप्त है।

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद् के दोनों सदनों के सदस्य अपने एक संयुक्त अधिवेशन से सानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर एकल संवैधानिक मत द्वारा करते हैं। उपराष्ट्रपति भी ३५ वर्ष की आयु से कम का न होना चाहिए तथा उसे राज्य सभा के चुनाव से लड़े होने की शर्तेंता वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका कार्यकाल भी ५ वर्ष

भारत १६५६

का होता है। उपराष्ट्रपति राज्य तथा के अंदर तथागत के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के धीवारी, अनुपस्थिति अवका समय जिनके कारण वे कार्य न कर सकते, वे अवका में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जिन्से हम प्रतिधि में वह राज्य तथा वा

मन्त्रिपरिषद्

संविधान के अनुच्छेद ७४ में प्रधानमन्त्री के संयुक्त में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है जो राष्ट्रपति को उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देती है। प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। मन्त्रिपरिषद् का कार्य-संचालन सर्वोच्च राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होता है, तथापि वह लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संविधान की एक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् के सं-प्रदायन-कार्य सम्बन्धी निर्णयों से अवगत करता है।

महान्यायवादी (एटर्नी जनरल)

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देता तथा अन्य ऐसे कानूनी कार्य करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उमके लिये प्र-द्वेषित हैं। वह संविधान द्वारा लिये गए अवका संविधान के अन्तर्गत लिये अन्य कर्म भी करता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है तथा वह देश सभी न्यायालयों में पर्यटन कर सकता है।

संसद्

राष्ट्रपति तथा दो सदस्यों से मिलकर बनता है। ये सदन राज्य तथा लोक सभा कहलाते हैं।

राज्य तथा

राज्य तथा की अधिकतम सदस्य-संख्या २५० है जिसमें से १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में उनकी व्यक्ति के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं और शेष सदस्यों का चुनाव होता है। राज्य तथा भंग नहीं होते। और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दस वर्षों के लिये चुनाए जाते हैं। राज्य तथा के सदस्यों का चुनाव वरोक होता है तथा प्रत्येक राज्य के लिए संविधान की चौथी अनुच्छेद के अनुसार निर्धारित सदस्यों (संख्या) का निर्वाचन उसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सांयुक्तिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल-सं-सदस्य मत द्वारा होता है। राज्य तथा की सदस्यता के लिए प्रत्येक प्रत्याजी का भारत की नागरिक होना तथा ३० वर्ष से कम आयु का न होना आवश्यक है।

सोच सभा

सोच सभा को संविधानम सदस्य-संख्या ५०० है जो पच्चरस मनाधिकार के प्राप्ति पर राज्यों के निर्वाचनक्षेत्रों (जम्पू तथा कश्मीर राज्य के विधानसभान की गणतंत्र पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य के प्रतिनिधि सहित) से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। संसद् द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार सोच सभा में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिक से अधिक २० सदस्य होने हैं। यदि राष्ट्रपति को प्रांत-भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ प्रतीत हो, तो वह उनके प्रतिनिधित्व के लिए सोच सभा में दो प्रांत-भारतीय सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकता है।

सोच सभा का कार्यकाल, बसने कि वह समय से पूर्व ही भंग नहीं की जानी, उसके प्रथम अधिवेशन की तिथि से अधिक से अधिक ५ वर्ष का होता है। संसद्कालीन स्थिति में संसदीय कानून द्वारा इसका कार्यकाल अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

न्यायपालिका

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिक से अधिक १० * न्यायाधीश होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा किसी उच्च न्यायालय में अथवा दो अथवा ऐसे ही अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम ५ वर्ष तक न्यायाधीश रह चुकने वाला, अथवा उच्च न्यायालय अथवा दो अथवा ऐसे ही अधिक न्यायालयों में कम से कम १० वर्षों तक बसल रह चुकने वाला अथवा राष्ट्रपति की सन्मति में पानुत का अस्वीकार होना चाहिए। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के अस्वीकारप्राप्त न्यायाधीशों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किए जा सकने की भी व्यवस्था रखी गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अस्वीकारप्राप्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी प्राधिकारी के समक्ष बसलत नहीं कर सकता।

सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति द्वारा दिए गए ऐसे आदेश द्वारा ही जो संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित सदस्यों के बग से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत तथा मतदान से प्राप्त किया जा चुका हो, अपने पद से पदच्युत किया जा सकता है।

* यह संख्या अभी हाल ही में 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, १९५६' द्वारा बढाकर १० की जा चुकी है।

भारत १९५६

भारत का लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक
 अनुच्छेद १४८-१५१ में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के
 निगरानी रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भारत का एक लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-
 परीक्षक नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। उसके अधिकारों तथा कर्तव्यों का निश्चय
 संसद् द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रथम कानून के अन्तर्गत होता है। राष्ट्रपति तथा राज्य
 के राज्यपालों को दिए गए उसके प्रतिवेदन संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों के सि-
 मण्डलों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं।

संविधान के छठे भाग के अनुसार राज्य सरकारों की रचना भी केन्द्रीय सरकार
 की भाँति ही होगी।

राज्य
 कार्यपालिका

राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल तथा मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में स्थापित एक,
 मन्त्रिपरिषद् से मिलकर बनती है।

राज्यपाल

राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ५ वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता
 है, किन्तु वह उसकी इच्छापर्यन्त ही इस पद पर रहता है। ३५ वर्ष से अधिक आयु वाले
 भारतीय नागरिक ही इस पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। राज्यपाल संसद् के किसी भी
 सदन प्रथम राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन की सदस्यता प्रथम अन्य कोई सरकारों
 पद स्वीकार नहीं कर सकता।

मन्त्रिपरिषद्

संविधान में राज्यपाल को उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देने की
 दृष्टि से मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल
 मुख्यमन्त्री को नियुक्त करता है जो अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल
 को परामर्श देता है। मुख्यमन्त्री राज्यपाल की इच्छापर्यन्त ही अपने पद पर बना
 रहता है। मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी
 होती है।

महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)

महाधिवक्ता राज्यपाल प्रथम संविधान प्रथम अन्य किसी विधान द्वारा होते।
 कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए तथा कानूनी मामलों पर राज्य की सरकार को परा-
 मर्श देने के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राज्यपाल की इच्छापर्यन्त
 अपने पद पर बना रहता है।

विधानमण्डल

प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होना है जिसके अन्तर्गत राज्यपाल के प्रतिरिक्त एक सदन अथवा दो सदन होते हैं। आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, चम्पई, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा मंगूर में दो सदनों तथा अन्य राज्यों में एक सदन की व्यवस्था है। उच्च सदन 'विधान परिषद्' कहलाता है तथा निचला सदन 'विधान सभा'।

विधान परिषद्

प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में ४० से कम नहीं होगी। इसके लगभग एक-तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं, और एक-तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं, जिला मण्डलों तथा अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचकमण्डल द्वारा, द्वादशान सदस्य शिक्षा संस्थाओं (माध्यमिक स्तर से नीचे की नहीं) के पंजीकृत अध्यापकों द्वारा, द्वादशान सदस्य ३ वर्षों से अधिक पुराने पंजीकृत स्नातकों द्वारा तथा दोय सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो। केन्द्र की भाँति विधान परिषदें स्थायी हैं तथा इनके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूतरे वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त होते रहते हैं।

विधान सभा

अनुच्छेद १७० के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान सभा में उस राज्य के निर्वाचनक्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए अधिक से अधिक ५०० तथा कम से कम ६० सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल भी सामान्यतः ५ वर्षों का होता है।

न्यायपालिका

प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा उतने न्यायाधीश होते हैं जितने राष्ट्रपति समय-समय पर राज्यसरतानुसार नियुक्त कर दे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। ये सब ६० वर्ष की आयु तक अपने पदों पर बने रहते हैं तथा इनकी भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की परबन्धन किए जाने की भाँति ही परबन्धन किया जा सकता है। संविधान में अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना के लिए भी व्यवस्था की गई है।

भारत १९५६

केन्द्र तथा राज्य

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच के वैधानिक तथा प्रशासनिक सम्बन्धों का विवरण संविधान के ग्यारहवें भाग में दिया गया है। नये राज्यों की स्थापना करने प्रथवा क्षेत्रफल, सीमाएँ प्रथवा वर्तमान राज्य का नाम बदलने का अधिकार संसद् को ही है। ऐसा कोई भी कानून अनुच्छेद ३६८ के सम्बन्ध में संविधान के संशोधन के रूप में माना जाएगा।

वैधानिक सम्बन्ध

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच वैधानिक अधिकारों के विभाजन की व्यवस्था सातवीं अनुसूची के उपबन्धों द्वारा होती है जिसमें केन्द्रीय सूची, राज्य सूची तथा सप्तमों सूची सम्मिलित हैं।

केन्द्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद् को तथा राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार राज्यों के विधानमण्डलों को है। सप्तमों सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद् तथा राज्यों के विधानमण्डलों, दोनों को है।

क्षेत्रीय हद्द से संसद् के वैधानिक अधिकारक्षेत्र को अन्तर्गत समस्त देश प्रथवा उसका कोई भी भाग प्रा सकता है, जब कि राज्य के विधानमण्डल का वैधानिक अधिकार-क्षेत्र राज्य प्रथवा उसके किसी भाग तक ही सीमित होता है। संसद् भारत के किसी ऐसे क्षेत्र के लिए भी किसी राज्य में नहीं है, उन मामलों के सम्बन्ध में भी कानून बना सकती है जो राज्यों के विधानमण्डलों के ही अधिकारक्षेत्र में आते हैं।

प्रशासनिक सम्बन्ध

केन्द्र तथा राज्यों की कार्यपालिका-शक्ति यद्यपि उनके अपने-अपने वैधानिक अधिकारों के साथ सम्बद्ध है, तथापि संविधान की व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार अपने कुछ कार्य राज्य सरकारों प्रथवा उनके अधिकारियों को सौंप सकती है तथा उन्हें प्रादेश दे सकती है।

संविधान के बारहवें भाग में वित्त, सम्पत्ति तथा ठेकों प्रादि सम्बन्धी व्यवस्थाओं का वर्णन प्राता है।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों की भूमियों में कुछ उन वित्तप कार्यों के सम्मिलित किए जाने के प्रावित्त जिनके सम्बन्ध में वे अलग-अलग ही कानून बना सकती हैं, संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के विवरण की एक ध्यापक योजना के लिए भी व्यवस्था की गई है।

संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दे दिया गया है कि यह भारत की तत्परिचित निधि के प्राधार पर संसद् द्वारा निर्धारित की गई सीमा तक ऋण ले सकती

। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को प्रेरण तथा उनके द्वारा जागे किए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रत्याभूति दे सकती है। राज्यों को भी उनकी अपनी-अपनी सम्बन्धित विधियों के आधार पर अपने-अपने प्रयोग जागे करने का अधिकार है।

संविधान में राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर एक दिन आयोग की स्थापना किए जाने की व्यवस्था की गई है जो जगों में होने वाली युद्ध क्षय के केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच वितरण के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की परामर्श देता है।

स्थापना तथा वाणिज्य

संविधान के तेरहवें भाग में सम्पूर्ण भारत में व्यापार, वाणिज्य तथा आशान-प्रदान की स्वतंत्रता के गिद्दागतों के विषय में बताया गया है।

मानवजनिक सेवाएँ

चौदहवें भाग का सम्बन्ध केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती, उनकी सेवा की शर्तों, पदावधि तथा मेवाभुक्ति, पदच्युति अथवा पदावनति से है। इसी भाग में केन्द्रीय तथा राज्यीय सौर सेवा प्रायोगों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है।

निर्वाचन

निर्वाचन आयोग की संसद्, राज्यों के विधानमण्डलों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों के नियन्त्रण तथा निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। इस प्रायोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकतानुसार नियुक्त ऐसे ही कुछ अन्य आयुक्त होते हैं। आयुक्तों की सेवा तथा पदावधि की शर्तों का निर्णय राष्ट्रपति करता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उसी प्रकार से पदच्युत किया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के किंगी भी न्यायाधीश को किया जाता है।

राजभाषा

संविधान के अनुच्छेद ३४३ की व्यवस्था के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी तथा सरकारी उद्देश्यों के लिए भारतीय श्रंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा। किन्तु, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग संविधान लागू होने के बाद अधिक से अधिक १५ वर्षों तक जारी रहेगा। अनुच्छेद ३४४ की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के समय से पाँच वर्षों की समाप्ति पर और इसके बाद संविधान लागू होने के समय से दस वर्षों की शर्त की समाप्ति पर हिन्दी के विकास तथा प्रचार के सम्बन्ध में जाँच करने और निर्धारित शर्तों की समाप्ति पर अंग्रेजी के स्थान पर पूर्ण रूप से हिन्दी का उपयोग आरम्भ करने के विचार से केन्द्र के सभी अथवा किसी सरकारी कार्य के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की सिफारिश करने के उद्देश्य से एक विशेष

आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है।* संविधान की एक अन्य व्यवस्था के अनुसार २० संसद्-सदस्यों की एक संसदीय समिति द्वारा आयोग की सिफारिशों को जांच किए जाने की भी व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार किसी राज्य का विधानमण्डल कानून बनाकर उसी राज्य में प्रचलित एक अधवा कई प्रादेशिक भाषाओं को अधवा हिन्दी को सभी उद्देश्यों अधवा किसी एक सरकारी उद्देश्य के लिए राजभाषा स्वीकार कर सकता है। राज्यों के बीच और राज्य तथा केन्द्र के बीच पत्र-व्यवहार के लिए उसी भाषा का प्रयोग होगा जो उस समय संघ की भाषा होगी।

संकटकालीन तथा अन्य विशेष व्यवस्था अनुच्छेद ३५२ के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी भी समय इस बात का समझ हो जाए कि युद्ध अधवा आन्तरिक अव्यवस्था के फलस्वरूप भारत अधवा उसके किसी भी राज्य की सुरक्षा संकट में है अधवा इस कारण संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वह राज्यों को एक घोषणा द्वारा विशेष आदेश दे सकता है। किन्तु, आवश्यक यह है कि राष्ट्रपति की घोषणा संसद् के दोनों सदनों की स्वीकृति के लिए दो महीने के अन्दर ही प्रभर उनके समुल्ल उपस्थित कर दी जानी चाहिए। राज्य के पारंपरिक तन्त्र के विफल होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति एक घोषणा द्वारा राज्य सरकार के सभी अधवा किसी कर्तव्य का उत्तरदायित्व स्वयं ले सकता है। ऐसा यह राज्यपाल से समाचार प्राप्त होने के आधार पर अधवा निश्चित रूप से यह मान्य कर लेने पर कर सकता है कि उस स्थिति में राज्य सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य-संचालन नहीं कर पा रही है।

अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों को सामान्य व्यवस्था के लिए समान प्रासंगिक तथा राजनीतिक अधिकार निश्चित करने के लिए समान प्रासंगिक आदिमजातियों जैसे पिछड़े तथा प्रतिकूलित वर्गों के हितों को सुरक्षा और उनको सहायता के लिए भी विशेष व्यवस्थाएँ हैं जिससे वे लोग उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकें। केन्द्रीय सरकार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण का भी विशेष उत्तरदायित्व है। प्रमाण के आदिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी एक विशेष संविधान में प्रमाण के आदिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी एक विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद २८६ (२) में इन क्षेत्रों में कुछ हनायसजामी कित्तों तथा

* संसद् द्वारा संसद् की सिफारिशों का गठित विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

प्रदेशों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की ओर से प्रशासन-कार्य करने वाले प्रथम के राज्यपाल को इन क्षेत्रों तथा प्रदेशों के लिए परिषदें बनाने का भी अधिकार दे दिया गया है। इन परिषदों को अपने-अपने क्षेत्रों के प्रशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रथम के राज्यपाल को स्वायत्तशासी जिलों तथा प्रदेशों के प्रशासन की जाँच-पड़ताल करने तथा उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए भी एक प्रायोग नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया है।

विशेष अधिकारी

अनुच्छेद ३३८ में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई है जो संविधान के अन्तर्गत इन लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था की जाँच करेगा।

संविधान में संशोधन

अनुच्छेद ३६८ में यह व्यवस्था है कि संविधान, में संशोधन संसद् के किसी भी सदन में इस उद्देश्य से विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। प्रत्येक सदन में उसके उपस्थित सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत तथा मतदान द्वारा स्वीकृत किए जाने पर यह विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् ही विधेयक की शर्तों के अनुसार संविधान संशोधित माना जाएगा।

२६ जनवरी, १९५० को संविधान लागू होने के बाद से अब तक संविधान में ७ संशोधन किए जा चुके हैं। 'संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, १९५६' द्वारा जो राज्यों के पुनर्संगठन के कारण अनिवार्य हो गया था, न केवल नये राज्यों की स्थापना हुई अपितु राज्यों की सीमाओं में ही फेर-बदल हुआ वही राज्यों के दर्गीकरण की प्रथा का भी अन्त कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों को संघीय क्षेत्र घोषित किया गया।

चौथा अध्याय विधानमण्डल

भारत सार्वभौमिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक मताधिकार पर प्राधारित एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है जिसका प्रशासन-कार्य संसदीय पद्धति पर प्राधारित एक सरकार करती है। सम्पूर्ण प्रभुत्व भारतवासियों में ही निहित है। कार्यपालिका विधानमण्डल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने सभी निर्णयों तथा कार्यक्रमावली के लिए जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

संसद्

वर्तमान राज्य सभा के कुल सदस्य २३२ हैं जिनमें से २२० राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं और १२ राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए हुए हैं। लोक सभा के वर्तमान कुल सदस्यों की संख्या ५०६ है जिनमें से ५०० सदस्य १४ राज्यों (जम्मू तथा कश्मीर विधानमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य के ६ सदस्य सहित) और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के ४ संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित किए हुए हैं और ६ सदस्य अंग्ल-भारतीयों, छोटे अनुसूची के भाग 'घ' वाले क्षेत्रों और अल्पसंख्यक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा लक्ष्मणपुरी, मिनाकोय तथा श्रीनगरीवी द्वीपसमूह के संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए हुए हैं।

१ मई, १९५६ को स्थिति के अनुसार दोनों सदनों के सदस्यों का राज्यवार व्योरा निम्न लिखित तालिका में दिया गया है।

राज्य तथा संघीय क्षेत्र

तालिका ६*

राज्य तथा संघीय क्षेत्र	राज्य सभा		लोक सभा
		७	१२
	१८	१० (६)	२०

* दोनों से ही हुई भारत गिनत स्थानों की सूची है।

तालिका ६ क्रमशः

राज्य तथा संघीय क्षेत्र	राज्य सभा	लोक सभा
उत्तर प्रदेश	३४	८६
केरल	६	१८
जम्मू तथा कश्मीर	४	६ (१)
पंजाब	११	२२
पश्चिम बंगाल	१६	३६ (१)
बम्बई	२७	६६
बिहार	२२	५३
मद्रास	१७	४१
मध्य प्रदेश	१६	३६
संघूर	१२	२६
राजस्थान	१०	२२
दिल्ली	३	५
मणिपुर	१	२
हिमाचल प्रदेश	२	४ (१)
त्रिपुरा	१	२
कुल योग	२२०†	५००‡

† सर्व, १९५६ की स्थिति के अनुसार दोनों सदनों के सदस्य नियमित हैं :

राज्य सभा

धारा ५ (५)

१. एम० लक्ष्मणुल्ला

२. एम० सी० देव

३. जयभद्र हागजोर

४. पुदुमना राम, शीमली

५. पूर्णचन्द्र शर्मा

† सामान्यतः १२ सदस्यों को छोड़ कर ।

‡ सामान्यतः ५ सदस्यों को छोड़ कर ।

६. लीलाधर बरघा
७. वैदवती बरागोहेन, धीमती

भारत १९५६

ग्रान्थ प्रदेश (१८)

- ८. कनकरामती लॉ
- ९. चन्द्रदुर्ग बलरामो रेड्डी
- १०. चन्नुदि सायनारायण राजू
- ११. ए० धरधर
- १२. एन० पेंड्टेंडर राय
- १३. एम एच० गंधुमन
- १४. एम० चन्ना रेड्डी
- १५. के० एम० नरसिंहम
- १६. जे० बी० के० चन्तभराय
- १७. नरोत्तम रेड्डी
- १८. बी० गोपाल रेड्डी
- १९. प्रविशन्नी बाताकुलम
- २०. पगोरा रेड्डी, धीमती
- २१. राजबहादुर गोड्ड
- २२. विजुगो बंकरमल
- २३. बीरबकिरेनी प्रगार राः
- २४. बी० बी० बंकरमल
- २५. लीलाधर बरघा

उत्तर प्रदेश (३५)

- १. लीलाधर बरघा
- २. वैदवती बरागोहेन, धीमती
- ३. चन्द्रदुर्ग बलरामो रेड्डी
- ४. चन्नुदि सायनारायण राजू
- ५. ए० धरधर
- ६. एन० पेंड्टेंडर राय
- ७. एम एच० गंधुमन
- ८. एम० चन्ना रेड्डी
- ९. के० एम० नरसिंहम
- १०. जे० बी० के० चन्तभराय
- ११. नरोत्तम रेड्डी
- १२. बी० गोपाल रेड्डी
- १३. प्रविशन्नी बाताकुलम
- १४. पगोरा रेड्डी, धीमती
- १५. राजबहादुर गोड्ड
- १६. विजुगो बंकरमल
- १७. बीरबकिरेनी प्रगार राः
- १८. बी० बी० बंकरमल
- १९. लीलाधर बरघा

उत्तर प्रदेश (३५)

- ३६. प्रखर हुसैन
- ३७. अजीत प्रताप सिंह
- ३८. अनीस निदवई, धीमती
- ३९. अमरनाथ अग्रवाल
- ४०. अमोलक चन्द
- ४१. अहमद सईद लॉ
- ४२. आर० ली० गुप्त
- ४३. ए० धरमदास
- ४४. गोपीनाथ सिंह
- ४५. गोविन्द चन्तभ कत
- ४६. जगन्नाथ ततलपाल, धीमती
- ४७. जगन्नाथ प्रताप अग्रवाल
- ४८. जगदीश सिंह विष्ट
- ४९. जयपाल राम कपूर
- ५०. जेड० ए० अहमद
- ५१. तारकेश्वर पांडे
- ५२. धर्म प्रकाश
- ५३. नारायण सिंह चौहान
- ५४. पी० एन० लक्ष्म
- ५५. पुरनोत्तमराय टण्डन
- ५६. काशीराम अन्गारि
- ५७. काशीराम शर्मा
- ५८. कुलविहारी शर्मा
- ५९. लालाशर प्रताप भागंड
- ६०. लालाशर प्रताप भागंड
- ६१. लालाशर प्रताप भागंड
- ६२. लालाशर प्रताप भागंड
- ६३. लालाशर प्रताप भागंड
- ६४. लालाशर प्रताप भागंड
- ६५. लालाशर प्रताप भागंड
- ६६. लालाशर प्रताप भागंड
- ६७. लालाशर प्रताप भागंड
- ६८. लालाशर प्रताप भागंड
- ६९. लालाशर प्रताप भागंड
- ७०. लालाशर प्रताप भागंड

केरल (६)

७०. ए० सुन्ध राव
 ७१. एन० सी० शोखर
 ७२. एम० एन० गोविन्दन नायर
 ७३. के० पी० माधवन नायर
 ७४. के० भारती, श्रीमती
 ७५. के० माधव मेनन
 ७६. पी० ए० सोलोमन
 ७७. पी० जे० तोमस
 ७८. पी० नारायणन नायर

जम्मू तथा कश्मीर (४)

७९. पीर मोहम्मद खान
 ८०. बुर्दासिंह
 ८१. मोहम्मद अलाती
 ८२. त्रिलोचन दत्त

पंजाब (११)

८३. धनूपासिंह
 ८४. धमन कौर, श्रीमती
 ८५. एम० एच० एस० निहालसिंह
 ८६. रूपसिंह नागोके
 ८७. चमन लाल
 ८८. जगन्नाथ बौशल
 ८९. बंयसिंह
 ९०. जगल बिसौर
 ९१. दशरथसिंह पं.रामन
 ९२. साधोराम शर्मा
 ९३. रघुबीरसिंह पंचहजारी

प० बंगाल (१६)

९४. धर्मोदनाथ द्योत
 ९५. धनारथीन घट्टमद
 ९६. धरमूरंगराज खान
 ९७. भविनाथ दत्त

९८. निहार रंजन रे
 ९९. पी० डी० हिममतीसिंहका
 १००. भूपेश गुप्त
 १०१. मायादेवी क्षेत्री, श्रीमती
 १०२. मेहरचन्द पटना
 १०३. मुगांक मोहन घूर
 १०४. राजपतिसिंह डूगर
 १०५. सत्येन्द्रप्रताप रे
 १०६. सन्तोष कुमार बसु
 १०७. सी० सी० त्रिस्वात
 १०८. सुरेन्द्रमोहन घोष
 १०९. हुमायूँ कविर

वम्बई (२७)

११०. आबिद अली
 १११. एम० डी० डी० गिल्डर
 ११२. एम० डी० तुम्पल्लीवार
 ११३. एम० सी० शाह
 ११४. एस० डी० पाटील
 ११५. लखडू भाई देसाई
 ११६. जी० प्रार० कुलकर्णी
 ११७. जे० एच० जोशी
 ११८. जे० के० गोदी
 ११९. टी० प्रार० देवगिरिकर
 १२०. डा.ह्याभाई धल्लभभाई पटेल
 १२१. डी० एच० यरियावा
 १२२. देवकीनन्दन नारायण
 १२३. धर्मशीलराज यनावनराज पन्ना
 १२४. नरसिंहराज खलभीगराज देशमुख
 १२५. पी० एन० राजभोज
 १२६. प्रेमजी दोभनभाई लेडवा
 १२७. बाबूभाई एम० बितान
 १२८. डी० डी० लोहागडे
 १२९. रघुबीर
 १३०. राजभाऊ विश्वनाथराज हागरे

- १३१. रामराय माधवराव देशमुख
- १३२. रोहित मनुसांकर द्वे
- १३३. लवजी ललमजी
- १३४. लालजी पंडते
- १३५. वामन निवदास बारालिंगे
- १३६. बंकरट कृष्ण धागे

भारत १६५६

- १६२. एन० डी० राजा
- १६३. एन० एम० तिगम
- १६४. एन० रामकृष्ण अग्र्यर
- १६५. एत० चतनाय करपालर
- १६६. एत० बंकरटमण
- १६७. जी० राजगोपालन
- १६८. टी० एत० अविनाशलिंगम चेद्विय
- १६९. टी० एत० पट्टाभिरमण
- १७०. टी० नलमुत्तुराममूर्ति, श्रीमती
- १७१. टी० भास्कर राय
- १७२. टी० वी० कमलस्वामी
- १७३. टी० ए० मिर्जा
- १७४. पी० एत० राजगोपाल नायडू
- १७५. बी० परमेश्वर

विहार (२२)

- १३७. अरधेश्वर प्रसाद सिन्हा
- १३८. अहमद हुसैन
- १३९. प्रार० जी० अग्रवाल
- १४०. एम० जांन
- १४१. कामता सिंह
- १४२. किशोरी राम
- १४३. कंताम बिहारी लाल
- १४४. गंगाधरलाल सिन्हा
- १४५. जहांपारा जयपालसिंह, श्रीमती
- १४६. तजमुल हुसैन
- १४७. बियोरीशेर घोहरा
- १४८. देवेन्द्र प्रसाद सिंह
- १४९. पूर्णचन्द्र मिश्र
- १५०. बरकतुल्लोख प्रसाद सिन्हा
- १५१. मन्वहर इनाम
- १५२. मट्टेय महर
- १५३. मोहम्मद जमेर
- १५४. शम्भुप्रसाद सिन्हा
- १५५. रामधारी सिंह द्विनकर
- १५६. राम बहादुर सिन्हा
- १५७. मधो एन० मेहन, श्रीमती
- १५८. मोनमद बाजो

मध्य प्रदेश (१६)

- १७६. अरधेश्वरप्रताप सिंह
- १७७. प्रार० पी० दुबे
- १७८. कृष्ण कुमारी, श्रीमती
- १७९. गोपीकृष्ण बिजयवर्गीय
- १८०. दयालदास कुरे
- १८१. निरंजन सिंह
- १८२. बनारसीदास चतुर्वेदी
- १८३. भातुप्रताप सिंह
- १८४. मुहम्मद मली
- १८५. रघुबीर सिंह
- १८६. रतनलाल किशोरीलाल मालव
- १८७. राममहाय
- १८८. दशिमणी बाई, श्रीमती
- १८९. वी० वी० शर्मा
- १९०. सोजा परमानन्द, श्रीमती
- १९१. अरधेश्वर दामोदर दुस्तके

मद्रास (१७)

- १५९. पन्तुल लाल
- १६०. काफिलदासनाथन, श्रीमती
- १६१. ए० शास्त्राधी मुहम्मद

गंगूर (१२)

- १६२. पन्तुल लाल
- १६३. काफिलदासनाथन, श्रीमती

१६३. एन० एम० हडिक्टर
 १६४. एम० गोविन्द रेड्डी
 १६५. एस० बी० कृष्णमूर्ति राव
 १६६. जनार्दन राव देसाई
 १६७. बी० पी० वासन्ध शेट्टी
 १६८. बी० शिवराव
 १६९. बी० सी० नंजनन्दय्य
 २००. मुक्त गोविन्द रेड्डी
 २०१. मुहम्मद बलीउल्लाह
 २०२. राधकेन्द्र राव
 २०३. वायसट भूवा, धीमती

राजस्थान (१०)

२०४. अशुत शकूर
 २०५. आदित्येन्द्र
 २०६. के० एल० धीमाली
 २०७. बेजवानन्द
 २०८. जननारायण व्यास
 २०९. जसवन्तसिंह
 २१०. टोशाराम पालीवाल
 २११. विजयसिंह
 २१२. शारदा भागव, धीमती
 २१३. सारिक अली

दिल्ली (३)

२१४. एम० के० दे

२१५. शौकार नाथ
 २१६. मिर्जा अहमद खान

मणिपुर (१)

२१७. सतित माधव शर्मा

हिमाचल प्रदेश (२)

२१८. भानुव घन्व
 २१९. लीला देवी, धीमती

त्रिपुरा (१)

२२०. अशुल सतीक

राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट

- २२१ ए० आर० वाडिया
 २२२. ए० एन० खोसला
 २२३. एम० सत्यनारायण
 २२४. काका साहेब कालेलकर
 २२५. ताराचन्द्र
 २२६. नारायणदास रतनमल मलकानी
 २२७. पी० वी० काणे
 २२८. शृङ्घरीराज फूपूर
 २२९. बी० वी० (मामा) धरेरकर
 २३०. मधिलीशरण गुप्त
 २३१. हकिमणीदेवी अहण्डेल, धीमती
 २३२. सत्येन्द्रनाथ खोस

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल *
कचार	असम (१३)	कांग्रेस
ग्वालपाड़ा	द्वारिकानाय तिवारी	"
गोहाठी	निवारणचन्द्र लक्ष्कर (मु०)	"
जोरहट	मंजुला देवी, श्रीमती	प्र० स० द
डिब्रूगढ़	धर्माधर वसुमत्री (मु०)	कांग्रेस
दारंग	हेम बहूत्रा	"
धुबरी	मुफ्तीवा अहमद, श्रीमती	"
नौगाँव	जोगेंद्रनाथ हजारीका	प्र० स० द
शिवसागर	वी० भगवती	कांग्रेस
स्वायत्तशाही जिले	अमजद अली	"
—	लीलाधर कटकी	"
	प्रफुल्लचन्द्र बरुआ	प्र० स० दल
	हृषीकेश हिन्विय	कांग्रेस
	बोलासमून गोहेन †	"
	आन्ध्र प्रदेश (४३)	स्वतन्त्र
	टी० नागो रेड्डी	—
	पेरुदेकान्ति वेंकटमुस्वय्य	
	के० आसन्न	
	मोती वेङ्कुमारी, श्रीमती	सा० द
		कांग्रेस
		"
		"

* विभिन्न दलों के अधिष्ठ नाम इस प्रकार हैं : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), प्रजा समाजवादी दल (प्र० स० दल), साम्यवादी दल (सा० दल), भारतीय जन संघ (जन संघ), गणतन्त्र परिषद् (ग० प०), फावेंडें ब्याक (फा० ब्या०), हिन्दू महासभा (हि० म०), लोक मोर्चा (लो० मो०), तथा वेदन्त कान्ठ (वे० का०)।

† अशुभचिन्तित जातिवादी तथा धार्मिकजातिवादी के मुद्रित स्थानों के लिए कांस्टेबल में प्रवेश दिया हुआ है।

‡ अमम के 'म' भाग के धार्मिकजातीय श्रेणियों के प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट।

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
भोंगोल	रोण्डा नरप्प रेड्डी	कांग्रेस
कड़पा	बी० रामी रेड्डी	"
कुरनूल	उस्मान खली खाँ	"
करोमनगर	एम० श्रीरंग राव	"
	एम० धार० कृष्ण (मु०)	"
काकिनाडा	एम० तिरुमलराव	"
	बी० एस० मूर्ति (मु०)	"
राम्माम	टी० बी० विठ्ठलराव	सी० ली० मो०
गुडिवाडा	डुगोराला बलरामकृष्णय्य	कांग्रेस
गुण्टूर	के० रघुरामय्य	"
गोलुगोण्डा	एम० सूर्यनारायण मूर्ति	"
	के० धीरम्म पद्मसु (मु०)	"
चित्तूर	एम० अनन्तशयनम् भयंगार	"
	एम० बी० गंगापरशिव (मु०)	"
तेनालि	एन० जी० रंगा	"
नरसापुर	यू० रामन	रा० दल
नलगोण्डा	डी० वेंकटेश्वर राव	सी० ली० मो०
	डी० राजय्य (मु०)	कांग्रेस
निळामागाद	हरिदचन्द्र हेड्डा	"
नेल्लोर	धार० लक्ष्मीनरस रेड्डी	"
	बी० धंजनप्प (मु०)	"
पार्वतीपुरम्	डी० एस० डोरा	स्वतन्त्र
	बी० सत्यनारायण (मु०)	कांग्रेस
मदुनीपटनम्	एम० वेंकट कृष्ण राव	"
मरवापुर	सी० खाली रेड्डी	"
महबूबनगर	जे० रामेश्वर राव	"
	पी० रामस्वामी (मु०)	"
महबूबाबाद	ई० अय्यमुदन राव	"
मेशक	पी० हनुमन्त राव	"
राजमपेट	टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी	"
राजमुन्डी	डी० सत्यनारायण राजू	"
वारंगल	साधन धर्मो खाँ	"
विजाराबाद	संगम लक्ष्मी बाई, भीमभी	"

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	वर्ग
विजयपाडा	कोममराजू अचमम्बा, श्रीमती	कांग्रेस
विशाखापटनम	विजयधराम राजू	स्वतन्त्र
श्रीकाकुलम	बी० राजगोपाल राव	कांग्रेस
सरुन्दराबाद	अहमद मुहोउद्दीन	"
हिन्दूपुर	के० बी० रामकृष्ण रेड्डी	"
हीदराबाद	विनायक राव के० कोरटकर	"
अंगुल	उड़ीसा (२०)	ग० प०
कटक	बी० पी० जी० देव वर्मा	कांग्रेस
कालाहण्डो	नित्यानन्द कानूनगी	ग० प०
केन्द्रपारा	प्रताप केसरी देव	कांग्रेस
कोरापुट	विजयचन्द्र प्रधान (मु०)	ग० प०
बर्धोअर	सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	"
गंजम	वैष्णव चरण मल्लिक (मु०)	प्र० स० ६
ढंकानल	जगन्नाथ राव	"
पुरी	टी० संगम (मु०)	कांग्रेस
बासनापोर	लक्ष्मीनारायण भंज देव	"
भुवनेश्वर	उमाचरण पटनायक	स्वतन्त्र
भूपुरभंज	मोहन नायक (मु०)	"
ताम्रपपुर	सुरेन्द्र महन्ती	कांग्रेस
गुणहरगढ़	चिन्तामणि पाण्डेय	स्वतन्त्र
	भगवत साहू	"
	काहू चरण जेना (मु०)	कांग्रेस
	नरसिंह चरण सामन्तसिंहार	ग० प०
	रामचन्द्र माधी (मु०)	सा० इल
	धन्दाकर सुपाकर	कांग्रेस
	धनमाली कुम्हार (मु०)	"
	बाबो धन्धमणि (मु०)	स्वतन्त्र
	उत्तर प्रदेश (८६)	ग० प०
	टिचरुरहमान	"
	काय बहादुर मिट्ट विसट	"
		कांग्रेस
		"

नियमनक्षेत्र	सदस्य	वर्ग
धलीगढ़	जमाल खाना नरदेव स्नातक (मु०)	कांग्रेस "
घागरा	अचल सिंह	"
भारदमगढ़	कालिका सिंह विश्वनाथ प्रसाद (मु०)	" "
इटाया	अर्जुनसिंह भोरिया तुला राम (मु०)	स्वतन्त्र कांग्रेस
इलाहाबाद	सातबहादुर शास्त्री	"
उन्नाव	विश्वम्भर बपाल त्रिपाठी गंगादेवी, धीमती (मु०)	" "
एटा	रोहन लाल चतुर्धेदी	"
कानपुर	एस० एम० धनर्जी	स्वतन्त्र
कंसरगंज	भगवान दीन मिश्र	कांग्रेस
खीरी	खुशबख्त राय	प्र० स० वर्ग
गढ़वाल	भक्त दर्शन	कांग्रेस
गाजीपुर	हरप्रसाद सिंह	"
गोण्डा	बिनेश प्रताप सिंह	"
गोरखपुर	सिहासन सिंह महादेव प्रसाद (मु०)	" "
घोसी	उमराव सिंह	"
खन्दीली	प्रभु नारायण सिंह	सामान्यवादी वर्ग
जलेश्वर	कृष्ण चन्द्र	कांग्रेस
जौनपुर	धीरबल सिंह गणपत राम (मु०)	" "
भौसी	सुनीला मय्यर, धीमती	"
टेहरी गढ़वाल	मानवेन्द्र शाह	"
डुमरियागंज	रामशंकर लाल	"
देवरिया	रामजी वर्मा	प्र० स० वर्ग
देहरादून	महाधीर त्यागी	कांग्रेस
मंनोतान	सी० डी० पाण्डे	"
प्रतापगढ़	मुनीन्दरदत्त उपाध्याय	"
पीपीभीत	मोहन स्वल्प	प्र० स० वर्ग
फतेहपुर	अन्सार हरेबानी	कांग्रेस

निर्वाचनक्षेत्र	तदर्थ	दल
फर्रुखाबाद	मूलचन्द्र कुचे	कांग्रेस
फिरोजाबाद	युजराम सिंह	स्वतंत्र
फूलपुर	जवाहरलाल नेहरू	कांग्रेस
फतेहाबाद	मगुरिया दीन (मु०)	"
बदायूँ	राजाराम मिश्र	"
बरेली	पन्ना लाल (मु०)	"
बलरामपुर	रघुवीर सहाय	जन संघ
बलिया	सतीश चन्द्र	कांग्रेस
बस्ती	भटल बिहारो बाजपेयी	"
बहराइच	राधा मोहन सिंह	"
बान्दा	के० डी० मालवीय	जन संघ
भारतबंकी	राम गरीब (मु०)	कांग्रेस
बिजनौर	जोगेन्द्र सिंह	"
बिल्हौर	दिनेश सिंह	स्वतंत्र
बिसौली	रामसेवक यादव	कांग्रेस
बुलन्दशहर	रामानन्द शास्त्री (मु०)	"
भयूर	अब्दुल लतीफ	स्वतंत्र
महाराजगंज	जगदीश श्रवस्थी	कांग्रेस
मिर्जापुर	बदन सिंह	"
मेरठ	रघुवर दयाल मिश्र	स्वतंत्र
मैनपुरी	काहेपालाल वाल्मीकि (मु०)	कांग्रेस
मुबफरनगर	महेन्द्र प्रताप	"
पुरावाबाद	जिह्वन लाल सप्तैना	स्वतंत्र
मुसाफिरसाला	जे० एन० क्लिप्तन	"
रतारा	रूप नारायण (मु०)	कांग्रेस
रामपुर	साहनबाब खाँ	"
	बंसोबास दांगर	"
	मुमत प्रसाद	"
	राम शरण	प्र० सं० दल
	बी० धी० कैतकर	कांग्रेस
	सरजू पाण्डे	"
	संपद महमद मेहदी	सा० दल
		कांग्रेस

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
रायबरेली	फिरोज गान्धी	कांग्रेस
	बंजनाय कुरील (मु०)	"
सखनऊ	पुलिन बिहारी बनर्जी	"
धारासही	रघुनाथ सिंह	"
शाहजहाँपुर	विश्वनाथ सेठ	स्वतन्त्र
	नारायण दीन (मु०)	कांग्रेस
सरयना	विष्णु शरण दुबिल	"
सलेमपुर	विश्वनाथ राय	"
सहारनपुर	अजित प्रसाद जैन	"
	मुम्बरलाल (मु०)	"
सीतापुर	उमा नेह्रू, भीमती	"
	प्राणो लाल (मु०)	"
मुल्तानपुर	गोविन्द मालवीय	"
हमीरपुर	मन्नु लाल द्विवेदी	"
	सच्चिदाराम (मु०)	"
हरदोई	छेदा लाल गुप्त	"
	शिवदीन झोहर (मु०)	जन संघ
हाता	काशीनाथ पाण्डे	कांग्रेस
हापड़	कृष्ण चन्द्र शर्मा	"

केरल (१८)

अम्बलपुडा	पी० टी० पुन्नूत	सा० दल
एरणाकुलम	ए० एम० तोमस	कांग्रेस
कासरगोड	ए० के० गोपात्म	सा० दल
विथलोन	बी० पी० नायर	"
	पी० के० कोट्टियन (मु०)	"
कोडीकोड	के० पी० कुट्टिकृष्णन नायर	कांग्रेस
कोट्टयम	माथु मणियनगाइन	"
किरियन्जिल	एम० के० कुमारन	सा० दल
तिरुवल्ल	पी० के० वामुदेवन नायर	"
तेल्लिचेरी	एम० के० जिनचन्द्रन	कांग्रेस
पालघाट	बी० ईश्वरन	"
	पी० कुन्टन (मु०)	सा० दल

निर्वाचनक्षेत्र

भारत १९५६

सबस्य

बल

बडगारा
मंजेरी
मुकुन्दपुरम्
मुपट्टपुरा
त्रिवार
प्रिवेन्म

के० बी० मेनन
बी० पोकर
डी० सी० एन० मेनन
जी० टी० कोट्टुकापल्लि
के० कृष्णन वारियर
एस० ईश्वर शम्भर

प्र० स० बल
स्वतन्त्र
सा० बल
कांग्रेस
सा० बल
स्वतन्त्र

जम्मू तथा कश्मीर (६) *
अन्दुरहमान
अब्दुल रशीद
ए० एम० तरीक
कृष्णा मेहता, श्रीमती
मुहम्मद प्रकाशर
रिक्त

ने० का०

अम्बाला

अमृतसर
कांगड़ा

कैपल
गुडगांव
गुरदासपुर
जातापर

भरमर
तरनतारन
बटियाणा
दिलीकपुर

पंजाब (२२)
बुभुआ जोशी, श्रीमती
बुल्लोलाल (गु०)

गुरुमुखसिंह मुसाफिर
हेम राज
बलजीत सिंह (गु०)
मूलचन्द जैन

प्रकाश वीर शास्त्री
बीबान चन्द शर्मा
स्वरां सिंह
साधू राम (गु०)
प्रतापसिंह शीतला
गुरजोतसिंह मजीठिया
अचिन्त राम
इशराम सिंह

कांग्रेस

"
"
"
"
स्वतन्त्र
कांग्रेस

"
सा० बल
कांग्रेस
"
"

* राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
भटिण्डा	हुकम सिंह अजीत सिंह (मु०)	कांग्रेस
महेन्द्रगढ़	रामकृष्ण	"
रोहतक	रणबोरसिंह	"
मुथियाना	अजीतसिंह सरहबी बहादुरसिंह (मु०)	"
हिसार	ठाकुरदास भागव	"
होनिवारपुर	बलदेवसिंह	"
पश्चिम बंगाल (३६)		
भासनसोल	अतुल्य घोष मनमोहन दास (मु०)	"
उतुपेरिया	अरविन्द घोषाल	का० इला
कलकत्ता (उ० प०)	अशोक कुमार सेन	कांग्रेस
कलकत्ता (द० प०)	रिक्त *	—
कलकत्ता (म०)	हीरेन्द्रनाथ मुखर्जी	सा० दल
कलकत्ता (पू०)	साधनचन्द्र गुप्त	"
कूच बिहार	नलिनोदरंजन घोष उपेन्द्रनाथ बर्मन (मु०)	कांग्रेस
कोष्टई	प्रमथनाथ बनर्जी	"
घाटल	निकुंज बिहारी मंत्री	प्र० स० दल
बायमण्ड हाबंर	पुण्डु शेखर मस्कर कन्तारो हल्दर (मु०)	"
सामसुक	सतीश चन्द्र सामन्त	सा० दल
बार्जिलिंग	टी० मनायन	कांग्रेस
नवद्वीप	इला पाल चौधरी, धीमती	"
पश्चिम दीनाजपुर	अपलकान्त भट्टाचार्य मारदो सेलकू (मु०)	"
पुदुलिया	विभूति भूषण दास गुप्त	स्वतन्त्र
बवंमान	सुधीमन घोष	का० इला०
बरहामपुर	त्रिदिब कुमार चौधरी	स्वतन्त्र

* चुनाव आयोग के आदेश पर बीरेन राय का निर्वाचन अर्बंष ।

निर्वाचनक्षेत्र	राज्य	दल
बपीरहाट	रेणु चक्रवर्ती, धीमती	सा० दल
वाराणस	परेश नाथ कप्याल (मु०)	कांग्रेस
बाँकुरा	शरणाचन्द्र मुह	"
बीरभूम	रामगति घनगो	"
बैरकपुर	पद्मपति मण्डल (मु०)	"
मालवा	प्रनिलकुमार चन्द	"
मेदिनीपुर	कमल शम्भू दास (मु०)	"
मुनिदाबाद	विमल कुमार घोष	प्र० सं० दल
थोरामपुर	रेणुका रे, धीमती	कांग्रेस
हाबड़ा	नरसिंह मल्ल देव	"
हुगली	सुबोध हंसवा (मु०)	"
	मुहम्मद सुदा बख्श	"
	जितेन्द्रनाथ साहिई	"
	मुहम्मद इतियास	"
	प्रभात कार	"
प्रकोला	वाम्बर्ड (६६)	सा० दल
प्रमरावती	जी० बी० खंडकर	"
प्रहमदनगर	एल० एन० भाटकर (मु०)	कांग्रेस
प्रहमदाबाद	पी० एस० देशमुख	"
प्रानन्द	आर० के० लाडितकर	"
उम्मानाबाद	इन्दुलाल के० याज्ञिक	स्वतन्त्र
धौरंगाबाद	करसनदास परमार (मु०)	"
कच्छ	मणिसेन वल्लभभाई घटेल, धीमती	"
करड	बी० एस० नालदूरकर	कांग्रेस
कोपरगाँव	रामानन्द तीर्थ	"
कोल्हापुर	भवनजी ए० खीमजी	"
कोनाया	बाजीसाहब रामराव चव्हाण	कांग्रेस
	बी० सी० काम्बले	"
	भाजसाहेब प्रार० महावीरकर	कांग्रेस
	एन० के० डोंगे (मु०)	"
	प्रार० बी० राजत	का० म० दल
		स्वतन्त्र
		का० म० दल
		प्र० जा० सं०
		का० म० दल

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
सेड	बी० डी० सोलंके	प्र० जा० सं०
खेड़ा	फतेहसिंहजी घोडसर	स्वतन्त्र
गिरनार	जयाबेन याजूभाई शाह, श्रीमती	कांग्रेस
गोहिलवाड	बलबन्तराय जी० मेहता	"
घान्डी	बी० एन० स्वामी	"
जनना	ए० बी० घड़े	स्वतन्त्र
भालावाड़	जी० एस० श्रीभा	कांग्रेस
धाना	एस० बी० पारूलकर एल० एम० मधेरा (मु०)	सा० दल "
दोहद	जलजीभाई कोयाभाई बिन्दोड (मु०)	कांग्रेस
धूमिया	यू० एल० पाटील	जन संघ
नागपुर	एम० एस० धरणे	कांग्रेस
नान्देड़	हरिहर राव सोणुते डी० एन० पी० काम्बले (मु०)	" प्र० जा० सं०
नासिक	भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़	"
पंचमहल	माणिकलाल मगनलाल गायी	कांग्रेस
परभनी	एन० के० यंगारकर	"
पदिचम खानदेश	सहमण धोडू बालवी (मु०)	प्र० स० इल
पाटन	मोतीसिंह महादुरसिंह ठाकुर	स्वतन्त्र
पुना	एन० जी० गोरे	प्र० स० दग
पूर्व खानदेश	नवशेर भदवा	"
बहीदा	फतेहसिंह राव पी० गायकवाड़	कांग्रेस
बनारगण्टा	धकबरभाई धावडा	"
बगई नगर (उ०)	बी० के० कृष्ण मेनन	"
बगई नगर (द०)	एस० के० पाटील	"
बगई नगर (म०)	एस० ए० डांगे	सा० इम
बमसाड़	जी० के० माने (मु०)	प्र० जा० सं०
बागामती	मानूभाई नोदाभाई पटेल (मु०)	कांग्रेस
बुनडाना	के० एम० खेंडे	"
भडोब	एस० धार० राने	"
भण्डारा	धार० एम० हाडरनदोम	"
	बी० धार० बागमोब (मु०)	"

	सदस्य	दल
बनौरहाट	रेणु चक्रवर्ती, श्रीमती	सा० दल
बारासत	परेश नाथ कयाल (मु०)	कांग्रेस
बाँकुरा	प्रदयाचन्द्र गुह	"
बीरभूम	रामगति बनर्जी	"
बैरकपुर	पद्मवति मण्डल (मु०)	"
मालदा	प्रनिलकुमार घनद	"
मेदिनीपुर	कमल कृष्ण दास (मु०)	"
मुनिदाबाद	विमल कुमार घोष	"
श्रीरामपुर	रेणुका दे, श्रीमती	प्र० स० दल
हाबड़ा	नरसिंह मल्ल देव	कांग्रेस
दुगली	सुबोध हंसदा (मु०)	"
	मुहम्मद सुदा बख्त	"
	जितेन्द्रनाथ साहिश्त्री	"
	मुहम्मद इत्तियास	"
	प्रभात कार	सा० दल
झकोला	वन्वर्ड (६६)	"
झमरावती	जी० बी० खंडकर	कांग्रेस
झहमदनगर	एल० एस० भाटकर (मु०)	"
झहमदाबाद	पी० एस० देशमुख	स्वतन्त्र
झानन्द	झार० के० खाडिलकर	"
उरमानाबाद	इन्दुलाल के० यासिक	"
झीरंगाबाद	करसनदास परमार (मु०)	कांग्रेस
कच्छ	मणिवेन बल्लभभाई पटेल, श्रीमती	"
करड	बी० एस नाल्दकर	"
कोपरगाँव	रामानन्द तोष	"
कोल्हापुर	भवनजी ए० लोमजी	"
	बाजीसाहेब रामराय चव्हाण	"
	बी० सी० काम्बले	"
	भाऊसाहेब झार० महापात्रकर	"
	एल० के० शिंगे (मु०)	"
	झार बी० राजत	कृ० म० दल
		स्वतन्त्र
		कृ० म० दल
		प्र० जा० सं०
		कृ० म० दल

निर्वाचनक्षेत्र	राज्य	दल
सेह	बी० डी० सोलंके	प्र० जा० सं०
सेह	फतेहसिंहजी घोडसर	स्वतंत्र
गिरनार	जयाबेन याजूभाई शाह, श्रीमती	कांग्रेस
गोहिलवाड़	बलबन्तराय जी० मेहता	"
घान्वा	बी० एन० स्वामी	"
जनना	ए० बी० घड़े	स्वतंत्र
भालावाड़	जी० एस० श्रीभा	कांग्रेस
धाना	एस० बी० पारुलकर एल० एम० मधेरा (मु०)	सा० दल "
दोहद	जलजीभाई कोयाभाई बिन्दोड (मु०)	कांग्रेस
धुसिया	यू० एन० पाटील	जन संघ
नागपुर	एम० एस० झण्डे	कांग्रेस
नान्देड़	हरिहर राय सोणुले डी० एन० यी० काम्बले (मु०)	" प्र० जा० सं०
नासिक	भाऊराव कुण्णराव गायकवाड़	"
पंचमहल	माणिकलाल मगनलाल गान्धी	कांग्रेस
परमनी	एन० के० पंगारकर	"
पदिचम खानदेरा	सरमण चौडू घातकी (मु०)	प्र० सं० दल
पाटन	मोतीसिंह बहादुरसिंह ठाकुर	स्वतंत्र
पुना	एन० जी० गोरे	प्र० सं० दल
पूर्व खानदेरा	नवशेर भरुचा	"
बड़ीदा	फतेहसिंह राय पी० गायकवाड़	कांग्रेस
धनसकण्ठा	शरदरभाई चावडा	"
धम्बई नगर (उ०)	बी० के० वृष्ण मेनन	"
धम्बई नगर (द०)	एस० के० पाटील	"
धम्बई नगर (म०)	एस० ए० डांगे जी० के० माने (मु०)	सा० दल प्र० जा० सं०
धनसाड़	मानूभाई मीसाभाई पटेल (मु०)	कांग्रेस
बारापती	के० एम० जेडे	"
धुलडाना	एस० चार० राने	"
भडोच	बन्धु सांबर	"
भण्डारा	चार० एम० हाजरतबीम बी०	

निर्वाचनक्षेत्र	राज्य	बल
भीर	भार० डी० पाटील	कांग्रेस
मध्य सौराष्ट्र	गजुभाई शाह	"
माण्डवी	छगनलाल भवारीभाई	"
मालेगाँव	केदारिया (मु०)	"
मिराज	पावय नारायण जाधव	प्र० स० बल
मेहुसाना	बालासाहेब पाटील	हृ० म० बल
यवतमास	पुण्योत्तमदास प्रार० पटेल	स्वतंत्र
रत्नगिरी	डी० वाई० गोहोकर	कांग्रेस
राजपुर	पी० प्रार० प्रस्ता	जन संघ
रामटेक	नाय बापू पाई	प्र० स० बल
वर्धा	के० जी० देशमुख	कांग्रेस
शोलापुर	कमलनयन जे० बजाज	"
सतारा	जे० जी० मोरे	स्वतंत्र
सावरकण्ठा	टी० एच० सोनवणे (मु०)	कांग्रेस
भूरत	नाना पाटील	"
शोरठ	गुलजारीलाल नन्दा	कांग्रेस
हासार	मोरारजी देसाई	सा० बल
श्रीरंगवाड	नरेन्द्र भाई नयवानी	कांग्रेस
कटिहार	जयमुख लाल हाथी	"
किशनगंज	विहार (५३)	"
केशरिया	सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	"
खगरिया	भोलानाथ बिस्वास	"
मया	मुहम्मद ताहिर	"
गिरिडीह	द्वारकानाथ तिवारी	"
गोपालगंज	जियालाल मण्डल	"
सम्भारन	बुजेंदर प्रसाद	"
	एत० ए० भातिन	"
	संपद महमूद	"
	विपिन बिहारी वर्मा	जनता बल
	भोला राजव (मु०)	कांग्रेस
		"
		"

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
धनरा	विजया राजे, धीमती	जनता दल
धनरा	राजेन्द्र सिंह	प्र० स० दल
जमशेदपुर	मणोन्द्र कुमार घोष	कांग्रेस
जयनगर	श्यामनन्दन मिश्र	"
डुमका	सुरेदा चन्द्र चौधरी	भारतखण्ड
	बेबी सोरेन (मु०)	"
दरभंगा	श्री नारायण दास	कांग्रेस
	रामेश्वर साहू (मु०)	"
धनबाद	प्रभातचन्द्र शोस	"
नवादा	सत्यभामा देवी, धीमती	"
	रामधनी दास (मु०)	"
नालन्दा	कंलाशपति सिन्हा	"
पटना	सारंगधर सिन्हा	"
पालामऊ	गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा	"
पुपरी	दिविजय नारायण सिंह	"
पुणिया	फणिगोपाल सेन	"
बंका	शकुन्तला देवी, धीमती	"
दरभर	कमल सिंह	स्वतन्त्र
बगहा	विभूति मिश्र	कांग्रेस
बाढ़	तारकेश्वरी सिन्हा, धीमती	"
बेगुमराय	मथुरा प्रसाद मिश्र	"
बागलपुर	बनारसी प्रसाद भुनभुनवाला	"
मधुबनी	अनिदह सिन्हा	"
महाराजगंज	महेन्द्रनाथ सिंह	"
मुंगेर	बनारसी प्रसाद सिन्हा	"
	नयनतारा दास (मु०)	"
मुजफ्फरपुर	अशोक मेहता	प्र० स० दल
राँची (प०)	जयपाल सिंह (मु०)	भारतखण्ड
राँची (पू०)	एम० धार० मसानो	"
राजमहल	पैला मुदमु (मु०)	कांग्रेस
सोहाबगंज	इमनेत बेक (मु०)	भारतखण्ड
साहाबगंज	बी० धार० भगत	कांग्रेस

समस्तोपुर सहस्रा	सदस्य	दल
सहस्रराम	सत्यनारायण सिन्हा सतितनारायण मिश्र भोलो सरदार (मु०) राम मुभाग सिंह जगजीवन राम (मु०) भूलन सिन्हा शम्भू चरण गोडतोरा (मु०) जे० बी० कृपालानी सतिता रायलदमी, श्रीमती राजेंदर पटेल चन्द्रमणिलाल चौधरी (मु०)	काँग्रेस " " " " भारतगण्ड प्र० स० दल जनता दल काँग्रेस "

मद्रास (४१)

कडलूर करूर कुम्भकोणम् कृष्णगिरि कोयमुत्तूर गोविन्देन्द्रिपालयम् चिगलपट	टी० डी० मुत्तुकुमारस्वामी नायडू के० वेरियस्वामी गोण्डर सी० झार० पट्टाभिरमण सी० झार० नरसिंहन पार्वती एम० कृष्णन, श्रीमती के० एस० रामस्वामी ए० कृष्णस्वामी एन० शिवराज (मु०) झार० कनकसवाई पिल्ले एल० इलियापेरुल्लल (मु०) एम० गुलाम मुहिद्दीन एस० सी० बालकृष्णन (मु०) ए० धंरावन एन० पी० शम्भुल गोण्डर एम० के० एम० शम्भुल सलाम पी० सुव्वरायन टी० गणपति पी० टी० धानु पिल्ले ए० कुराडस्वामी गोण्डर	स्वतन्त्र काँग्रेस " " सा० दल काँग्रेस स्वतन्त्र " काँग्रेस " " " स्वतन्त्र काँग्रेस " " "
विदम्बरम्		
डिण्डीगल		
तंजावूर तिण्डिवनम् तिरुच्चिरापल्लि तिरुचेन्नोड तिरुचेन्नूर तिरुनेल्वेलि तिरुपत्तूर		

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
तिरुवण्णमल्ल	भार० धर्मलिंगम	स्वतन्त्र
तिरुवल्तूर	भार० गोविन्दराजुतु नायडू	कांग्रेस
तेङ्काडी	एम० शंकरपाण्ड्यन	"
नागपट्टिनम्	के० भार० सम्बन्धम	"
	एम० अम्पक्कणु (मु०)	"
नागरकोइल	पी० थानुलिंगम नाडर	"
नामवकल	ई० वी० के० सम्पत	स्वतन्त्र
	एस० भार० अरमुत्तम (मु०)	कांग्रेस
नीलगिरी	सी० नंजप्पन	"
पेराम्बलूर	एम० पालनियन्दी	"
पेरियकुलम	भार० नारायणस्वामी	"
पुदुकोटई	भार० रामनाथन चेट्टियार	"
पोल्लाची	पी० भार० रामकृष्णन	"
मद्रास (३०)	एस० सी० सी० एन्थनी पिल्ले	स्वतन्त्र
मद्रास (४०)	टी० टी० कृष्णमाचारी	कांग्रेस
मदुरई	के० टी० के० तंगमणि	सा० दल
रामनाथपुरम	पी० सुब्रह्म अम्बालम	कांग्रेस
वेलोर	एन० भार० एम० स्वामी	"
	एम० मुत्तुकृष्णन (मु०)	"
थीवल्लपुत्तूर	पू० मुत्तुरामलिंग थैयर	स्वतन्त्र
	भार० एस० अरमुत्तम (मु०)	कांग्रेस
सलेम	एस० वी० रामस्वामी	"

मध्य प्रदेश (३६)

इन्दौर	के० एस० सादीबाला	"
छत्रगंज	राधेलाल इयास	"
खजुराहो	राम सहाय तिवारी	"
	भोतीलाल मालवीय (मु०)	"
गुणा	बिजया राजे तिलिय्या, थीमजी	"
ग्वालियर	राधाबरगु शर्मा	"
	सूर्य प्रसाद (मु०)	"

दिग्दर्शा

सदस्य

वक्त

कांग्रेस

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

बी० एल० चाण्डक
एम० एम० वाडिया (मु०)
श्रमरसिंह सहगल
गोविन्द दास

श्रमरसिंह डामर (मु०)
मोहनलाल बाकलीवाल
रामसिंह भाई वर्मा

बाबूलाल तिवारी
सुरती किर्स्तिया (मु०)
विद्याचरण शुक्ल

मिनोमाता प्रागमदास गुरु, श्रीमती (मु०)
सी० डी० शीतम
रेशम लाल जांगडे
संभूना मुस्ताना, श्रीमती

एम० जो० उडके (मु०)
मारिकुभाई श्रप्रवाल
बोरेंद्रबहादुर सिंह

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (मु०)
शिव दत्त उपाध्याय
भानुचन्द्र जोशी

कमलनारायण सिंह (मु०)
सीताधर जोशी
के० बी० मालवीय (मु०)

वृजनारायण
चण्डीकेश्वर शरण सिंह
बाबूनाथ सिंह (मु०)

ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी
सहोबदास भाई राय, श्रीमती (मु०)
रघुनाथ सिंह कालीघर

मंसूर (२६)
यू० एस० मल्लय्य
जोगिय भत्ता

जंजगीर

जबलपुर

भद्रुआ

दुर्ग

नीमाड़

नीमाड़ (खण्डवा)

बस्तर

बालोड बाजार

बालाघाट

दिलासपुर

भोपाल

मण्डला

मन्दसौर

रायपुर

रीवा

सहडोल

साजापुर

सिक्पुरी

सरगुजा

सागर

होशंगाबाद

जशपुर

बनारस

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
कोपल	एम० ए० अगाडी	कांग्रेस
कोतार	के० सी० रेड्डी	"
	डोड्डा तिममय्य (मु०)	"
गुलबर्गा	महादेवप्प रामपुरे	"
	शंकर देव (मु०)	"
चिकोडी	डी० ए० कट्टिट	प्र० जा० सं
चित्तलपुर	जे० एम० मुहम्मद इमाम	प्र० स० दल
तिप्पुर	सी० धार० दासप्प	कांग्रेस
तुमपुर	एम० पी० कृष्णाप्प	"
धारवाड़ (उ०)	डी० पी० करमरकर	"
धारवाड़ (द०)	टी० धार० नेश्वी	"
बंगलोर (ग्रामीण)	एच० सी० दासप्प	"
बंगलोर (नगर)	एन० के.राव	"
बेल्लारी	टी० सुब्रह्मण्यम्	"
बीजापुर (उ०)	एम० एस० सुगन्धि	स्वतन्त्र
बीजापुर (द०)	धार० बी० बिदारी	कांग्रेस
बेलगाँव	डी० एन० दातार	"
मंगलोर	के० अट्ट० आचार	"
मण्ड्या	एम० के० शिवनंजप्प	"
मंजूर	एम० शंकरय्य	"
	एस० एम० सिद्ध्य (मु०)	"
रायचूर	जी० एत० मलकोटे	"
शिवमोग्ग	के० जी० वोडयार	"
हामन	एच० सिद्धनंजप्प	"

राजस्थान (२२)

अजमेर	मुकुट विहारी लाल भार्गव	"
धामर	शोभाराम	"
उदयपुर	मणिलक्ष्मणलाल वर्मा	"
	वीनबन्धु परमार (मु०)	"
कोटा	नेमीचन्द्र कासलीवाल	"
	भोंकारलाल (मु०)	"

निर्वाचनक्षेत्र

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
जयपुर	हरिदचन्द्र शर्मा	स्वतन्त्र
जालौर	पूरज रतन शम्भारी	कांग्रेस
जोधपुर	जसवंतराज मेहता	"
भुंभुंजु	राधेश्याम श्रार० सोरारका	"
दौसा	जी० डी० सोमराणी	"
नागौर	मधुरादास मायूर	"
पाली	हरिदचन्द्र मायूर	"
बाड़मेर	रघुनाथ सिंह	"
बांसवाड़ा	वी० बी० भोगजो भाई (मु०)	स्वतन्त्र
बीकानेर	करणी सिंह	कांग्रेस
	पन्नालाल चारुपाल (मु०)	स्वतन्त्र
भरतपुर	राज बहादुर	कांग्रेस
भीलवाड़ा	रमेशचन्द्र व्यास	स्वतन्त्र
सवाई माधोपुर	हीरालाल शास्त्री	कांग्रेस
सीकर	जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया (मु०)	"
	रामेश्वर टांडिया	"
		"
		"
		"
		"
		"
		"

अग्दमान तथा निकोवार द्वीपसमूह (?) *
लक्ष्मन सिंह

दिल्ली (५)

राधा रमण

ब्रह्म परकाश

मुचेता कृपालानी, भीमती

सी० कृष्णन नामर

नवल प्रभाकर (मु०)

कांग्रेस

"

"

"

मणपुरि (२)

सैतराम घाड्यर सिंह

रंगसुंग मुइसा

स्वतन्त्र
कांग्रेस

घान्वाडी चौक
दिल्ली सदर
नयी दिल्ली
बाह्य दिल्ली

प्रान्तरिक मणपुरि
बाह्य मणपुरि

* राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
लककादीव, मिनिकाँय तथा भ्रमीनदीवी द्वीपसमूह (१) *		
—	के० नल्लकोय	
हिमाचल प्रदेश (४)		
सम्बा	पद्मदेव	कांग्रेस
मण्डी	जोगेन्द्र सेन	"
महासू	रिक्त	—
	नेकराम नेगी (सु०)	कांग्रेस
त्रिपुरा (२)		
त्रिपुरा	दत्तारथ देव	सा० दल
	बंगशी ठाकुर (सु०)	कांग्रेस
अंग्ल-भारतीय (२) *		
—	ए० ई० टी० बेंरो	—
—	फ्रँक एन्थनी	—
नागा पहाड़ियाँ-स्वेनसांग क्षेत्र (१) *		
—	रिक्त	—

संसद के पदाधिकारी

संसद् के मुख्य पदाधिकारी राज्य सभा के सभापति तथा उपसभापति और लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हैं। राज्य सभा के सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष, दोनों के पदों की छपनी-छपनी प्रतिष्ठा है। छपने-छपने सहन की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त ये उनके प्रतिनिधि तथा उनकी स्वतन्त्रता के अभिभावर भी हैं।

* राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट

इन पदों के पदाधिकारी ये हैं :

भारत १९५६

सभापति
उपसभापति

राज्य सभा

एस० राधाकृष्णन
एस० बी कृष्णामूर्ति राय

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

लोक सभा

एम० अनन्तशयनम शर्मागार
टुकुम सिंह

संसद् के कार्य तथा अधिकार

देश की शासन-व्यवस्था के लिए कानून बनाना, सरकार की प्रावश्यकताओं-
राष्ट्र की सेवाओं के लिए प्रावश्यक वित्त को व्यवस्था करना संसद् के मुख्य कार-
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद् के दोनों सदन एक निर्वाचकमण्डल के अंग माने जाते हैं ;
उपराष्ट्रपति का चुनाव इन्हीं दोनों सदनों के सदस्यों का संयुक्त निर्वाचकमण्डल करता है
मन्त्रपरिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है जो मन्त्रियों के वेतन
तथा भत्तों पर भी स्वीकृति देती है । लोक सभा बजट पास करने से इन्कार करके मन्त्रि-
किसी अन्य बड़ी वैधानिक कार्यवाही द्वारा अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मन्त्रि-
परिषद् को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है ।
सभी कानूनों के लिए वाध्य कर सकती है ।
सभी कानूनों के लिए वाध्य कर सकती है । लोक सभा बजट पास करके मन्त्रि-
सम्बन्धी सभी प्रकार के विधानों की सिफारिश यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए
तथापि अनुदानों, फर सम्बन्धी प्रस्तावों तथा विनियोजनों की स्वीकृति केवल लोक सभा
ही दे सकती है । संकटकालीन परिस्थिति में संसद् को राज्य सूची में गिनाए गए विधियों
पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है । इसके अतिरिक्त संविधान में संतोषन
करने, राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक को पब्लिक
करने के अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त हैं ।

कार्यविधि

दोनों सदनों की कार्यवाही की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद ११८ के अधीन बने
उनके धपने-धपने कार्यविधि तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी विधियों के अनुसार, होती है ।
धन तथा अन्य वित्तीय विधेयक सम्बन्धी व्यवस्था के अनुसार, विधेयक संसद् के
जितों भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है । ये सदन प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित
सदस्यों के साधारण बहुमत तथा मतदान से करते हैं ।
दोनों सदनों में विधेयकों के पास होने की प्रक्रिया एक ही गो है । प्राथक विधेयक को

निम्न चरणों में से क्रमानुसार गुजरना पड़ता है : (१) प्रस्तुत किया जाना तथा प्रकाशन, (२) सामान्य वादविवाद, (३) एक-एक धारा पर विचार तथा (४) सदन द्वारा विधेयकका पारित होना। दोनों सदनों में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही इसे कानून का रूप प्राप्त होता है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने की अवस्था में राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने तथा इस पर मतदान लेने का अधिकार है।

घन-विधेयकों के सम्बन्ध में, जो केवल लोक सभा में ही उपस्थित किए जाते हैं, एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। लोक सभा द्वारा पास किए जाने पर प्रत्येक घन-विधेयक राज्य सभा के समक्ष रखा जाता है जिससे यह विधेयक प्राप्त करने के १४ दिनों के अन्दर-अन्दर अपनी सिफारिशें दे सके। राज्य सभा इसे पुनः लोक सभा के पास वापस भेज देती है। सिफारिशों को स्वीकार करना अथवा न करना लोक सभा पर निर्भर होता है।

संसदीय मामला विभाग

संसद् का कार्यकाल निर्धारित करने तथा इसके कार्य-संचालन का कार्य 'संसदीय मामला विभाग' करता है। यह विभाग इस कार्य को सरकार की ओर से मन्त्रिमण्डल की 'संसदीय तथा कानूनी मामला समिति' और संसद् की ओर से प्रत्येक सदन की 'कार्यवाही परामर्श समिति' के परामर्श से करता है।

यह विभाग सरकार की ओर से सदन में दिए गए आश्वासनों तथा आरम्भ किए गए कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर संसद् में विवरण भी प्रस्तुत करता रहता है। 'सरकारी आश्वासन लोक सभा समिति' इन विवरणों की जाँच करती है।

सदनों की समितियाँ

संसदीय समितियाँ, लोक सभा अथवा उसके अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर नियुक्त की जाती हैं। इनकी बैठक के लिए इनके एन-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। इनकी बैठक निजी तौर पर होती है। प्रत्येक सदन की मर्यादुरांग समितियों में से 'कार्यवाही परामर्श समिति' तथा 'दिलोपाधिकार समिति' उल्लेखनीय हैं।

कार्यपालिका पर नियन्त्रण

सामान्य वित्त-नियन्त्रण रखने के अलावा लोक सभा अपनी 'सांख्यिक सेवा तथा प्राकृतन समितियों' द्वारा सरकार के वित्त-प्रशासन पर नियन्त्रण रखती तथा देखभाल करती है। लोक सभा इन समितियों का अन्तर्गत एकल संक्रमणीय मन द्वारा अपने सदस्यों में से करती है। कोई भी मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं बन सकता। 'सांख्यिक सेवा समिति' यह भी देखती है कि सांख्यिक घन का उपयोग संसद् के निर्णयों के अनुषंग ही किया जाना है। 'प्राकृतन समिति' नियन्त्रिता तथा प्रशासन आदि से सुधार करने की निश्चिन्ता करती रहती है।

सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करने तथा उन पर बहस करने के भी अवसर प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारों द्वारा प्रश्न किया जाना, उन प्रश्नों के फलस्वरूप स्पष्ट होना चाहते मामलों पर छाया पड़ना बड़ा होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस, संसदकालीन स्थान प्रस्ताव तथा विभिन्न प्रकार के अन्य प्रस्ताव आते हैं।

दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में लिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाव जिसमें जनता के हित के आवश्यक मामलों के सम्बन्ध में सरकारों की नीति पर प्रकाश डाला जाता है, राष्ट्रपति की परामर्श देने के प्रस्ताव पर होने वाले बहसों के द्वारा सरकारों की नीतियों पर विचार करने का एक बड़ा अवसर मिलता है।

सार्वजनिक हित का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्थापक सभाया उत्पन्न होने पर कोई भी सदस्य, सदन में उस पर विचार लिए जाने के लिए स्थान का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। १५ दिन की पूर्व-सूचना के बाद कोई भी सदस्य, संसद् में सार्वजनिक हित सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। यह प्रस्ताव पास होने पर लोक सभा के अध्यक्ष आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्कालीन मन्त्रों की इसकी सूचना दे देते हैं।

राज्यीय विधानमण्डल

भारतीय संघ के १४ राज्यों में से १० राज्यों में दो सदन वाले विधानमण्डलों तथा ४ राज्यों में एक सदन वाले विधानमण्डलों की व्यवस्था है। राज्यों की विधान परिषदों तथा विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या अगले श्लोक की तालिका में दी गई है।

विधानमण्डल के पदाधिकारी

राज्यों में भी विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति और विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं। परिषद् के सभापति तथा सभा के अध्यक्ष की भी वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो संसद् में उनके समानाधिकारियों को प्राप्त हैं।

कार्य

सातवीं अनुसूची की सूची सं० २ में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में राज्यीय विधानमण्डलों को एकमात्र अधिकार तथा सूची सं० ३ में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में केन्द्र सौंप मिलेजुले अधिकार प्राप्त हैं। मन्त्रपरिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों के लिए विधानमण्डल की स्वीकृति आवश्यक है।

कार्यविधि

भारत के संविधान में अनुच्छेद १८८—२१३ में कार्य-संचालन, सदस्यों की प्रवृत्ता और राज्यीय विधानमण्डलों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में

तालिका ७

विधानमण्डलों के सदस्य

राज्य	विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या*	विधान सभा के सदस्यों की संख्या †
प्रसम	—	१०५ ‡
झारख प्रदेश	६०	३०१ (२)
उड़ीसा	—	१४० (२)
उत्तर प्रदेश	१०८	४३० (२)
केरल	—	६२६
जम्मू तथा कश्मीर	३६	७५ **
पंजाब	५१	१५४ (१)
पश्चिम बंगाल	७५	२५२ (१)
बम्बई	१०८	३६६
बिहार	६६	३१८ (३)
मद्रास	६३	२०५ (१)
मध्य प्रदेश	६०	२८८ (३)
संयुक्त	६३	२०८ (१)
राजस्थान	—	१७६
योग	७८०	३,१७४ (१६)

सदस्यपूर्व नियमों का उल्लेख किया गया है। इसके प्रतिरिक्त राज्यों के विधानमण्डलों को संविधान के द्वारा कार्यविधि के लिए अपने निज के नियम बनाने के भी अधिकार दिए गए हैं।

सामान्य विधेयक तथा वित्तीय विधेयक पास करने के लिए राज्यों में भी वंती हो प्य-
 राधा है वंती वेग्न में है। दोनों सदनों के बीच सहमति होने की स्थिति में संघ की शक्ति

* 'विधान परिषद् अधिनियम, १९५७' के अनुसार

† शेषों में ही गई संख्या रिक्त स्थानों की सूचक हैं

‡ भागा पहाड़ियाँ-वेनसांग क्षेत्र अधिनियम, १९५७ के अनुसार

** पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों के २५ स्थानों को छोड़कर जो इन क्षेत्रों के भारतीय मूल के पुन. मिल जाने तक के लिए रिक्त रखे गये हैं

भारत १९५६

सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी करने के भी ध्यान प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उन मन्त्रों के परामर्शपूर्ण सङ्घटन होने वाले मामलों पर के अधिभाग पर बट्टा, संघटनगत स्थिति प्रस्ताव आते हैं।

शेनों मन्त्रों के सांयुक्त अधिवेशन में दिए गए राजनता के हित के आवश्यक मामलों के प्रस्ताव पर राज-राष्ट्रपति को परामर्श देने के प्रस्ताव पर होने वाले विचार करने का एक बड़ा अवसर मिलता है।

सांयुक्त हित का कोई भी महत्वपूर्ण प्र-भी सदस्य, सदन में उस पर विचार किए जाने के है। १५ दिन की पूर्व-सूचना के बाद कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। यह प्रस्ताव प्रा-कार्यवाही के लिए तत्सम्बन्धी मन्त्रों को इसरी :

राज्यीय

भारतीय संघ के १४ राज्यों में से १४ राज्यों में एक सदन वाले विधानमण्डलों विधान सभागों के सदस्यों की संख्या अग-

विधानमण्डल के पदाधिकारी

राज्यों में भी विधान परिषद् अथवा तथा उपाध्यक्ष होते हैं। सभी अधिकार प्राप्त हैं जो संसद् में कार्य

संसदों अनुसूची की सूची मण्डलों को एकमात्र अधिकार त-साथ मिलेजुले अधिकार प्राप्त हैं होती है। राज्यपाल द्वारा प्रावश्यक है।

कार्यविधि

पाँचवाँ अध्याय

कार्यपालिका

केन्द्र

भारत गणराज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघ की सम्पूर्ण कार्यपालिका-वाचित क्रममें प्रतिरक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापतित्व भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति में निहित है। सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। प्रधानमंत्री को अध्यक्षता में एक मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति को उनके कार्यपालन में परामर्श तथा सहायता देती है।

मन्त्रिपरिषद् में तीन प्रकार के मन्त्री होते हैं : (१) मन्त्री जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं, (२) राज्य-मन्त्री जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य तो नहीं होते किन्तु मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों के पद के होते हैं, तथा (३) उपमन्त्री।

१ मई, १९५६ को केन्द्रीय सरकार की स्थिति इस प्रकार थी :

राष्ट्रपति :	राजेंद्र प्रसाद
उपराष्ट्रपति :	एम० राधाकृष्णन

मन्त्रिमण्डल के सदस्य

- जवाहरलाल नेहरू
- गोविन्द वल्लभ पन्त
- मोरारजी रणछोड़जी देसाई
- जगजीवन राम
- गुलशारीलात मन्दा
- मालविकाधर धारत्री
- इब्रार सिंह
- के० सी० हेडू
- जिज्जामाद जैन
- डी० के० कृष्ण मेनन
- एम० के० पाटील

विभाग

- प्रधान मन्त्री, वंशेनिक मामले तथा धार्मिक शक्ति विभाग
- धान्तरिक मामले
- वित्त
- रेल
- धर्म, नियोजन तथा योजना
- वाणिज्य तथा उद्योग
- इस्पात, लान तथा ईंधन
- निर्मालेकार्य, धावास तथा सम्भरण
- लाघ तथा कृषि
- प्रतिरक्षा
- परिवहन तथा संचार-साधन

राज्यों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कोई ध्येयस्था नहीं है। विधान सभा यदि किसी विधेयक को, उसके विधान परिषद् में भेजे जाने की तिथि से ३ महीने के बाद द्वितीय वाचन में पास कर देती है तो पास किए जाने के एक महीने बाद यह विधेयक स्वतः कानून का रूप ले लेता है चाहे विधान परिषद् का निर्णय उसके पक्ष में हो अथवा विपक्ष में।

धन-विधेयक प्रस्तुत करने तथा उस पर विचार करने का अधिकार केवल विधान सभा को ही है। विधान परिषद् परिवर्तन के लिए केवल सुझाव ही दे सकती है। विधान सभा उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतन्त्र होती है। विधानमण्डल को कार्यवाही सुगमतापूर्वक चलाने के लिए राज्यों विधानमण्डलों में भी उनकी अपनी समितियाँ होती हैं।

विधेयक को रोकें रखना

राज्यीय विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक उस समय तक क. का रूप नहीं ले सकता जब तक उसे राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। स्वीकृति देने अथवा स्वीकृति रोकें रखने के अलावा राज्यपाल कुछ विधेयकों को, उन पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विचार किए जाने के लिए भी, रोकें रख सकता है।

कार्यपालिका पर नियन्त्रण

कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण रखने के अधिकार का उपयोग करने के अलावा राज्यों विधानमण्डलों में कार्य-संचालन की सभी सामान्य संसदीय पद्धतियाँ ही उपयोग में आती हैं। इस प्रकार राज्य का विधानमण्डल कार्यपालिका के नित्यप्रति के कार्य-संचालन निगरानी रखता है। इसकी अपनी 'प्राक्कलन तथा लेखा समितियाँ' भी होती हैं।

पाँचवाँ अध्याय

कार्यपालिका

केन्द्र

भारत गणराज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघ की सम्पूर्ण कार्यपालिका-शक्ति जिसमें प्रतिरक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापतित्व भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति में निहित है। सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति को उनके कार्यपालन में परामर्श तथा सहायता देती है।

मन्त्रिपरिषद् में तीन प्रकार के मन्त्री होते हैं : (१) मन्त्री जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं, (२) राज्य-मन्त्री जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य तो नहीं होते किन्तु मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों के पद के होते हैं, तथा (३) उपमन्त्री।

१ मई, १९५६ को केन्द्रीय सरकार की स्थिति इस प्रकार थी :

राष्ट्रपति :	राजेन्द्र प्रसाद
उपराष्ट्रपति :	एम० राधाकृष्णन

मन्त्रिमण्डल के सदस्य

- जवाहरलाल नेहरू
- गोविन्द वल्लभ पन्त
- भोरारजी दण्डोइजी देसाई
- जगजीवन राम
- शुल्लहारोलाल मन्हा
- मालवहारुर दारजी
- रवरेन सिंह
- के० सी० देवूरी
- अश्विनीप्रसाद खन्ना
- बी० के० हरण मेनन
- एम० के० पाटील

विभाग

- प्रधान मन्त्री, वैदेशिक मामले तथा पारलौकिक शक्ति विभाग
- घान्तरिक मामले
- विस्त
- रेल
- धर्म, नियोजन तथा योजना
- घालिय्य तथा उद्योग
- इस्पात, खान तथा ईंधन
- निर्माणकार्य, आवास तथा सम्भरण
- खाद्य तथा वृषि
- प्रतिरक्षा
- परिवहन तथा संचार-साधन

१२. हाकिम मुहम्मद इब्नाहोम
१३. भगोक कुमार तेन

भारत १९५६

सिचार्ड तथा विद्युत्
विधि

- राज्य-मन्त्री
१४. तल्पनारायण सिन्हा
१५. बासकृष्ण विरभनाथ केदार
१६. शी० पी० करमरकर
१७. पंजायराय एत० बेजमुषा
१८. केदारदेव मालवीय
१९. मेहरघन्य तान्ना
२०. नित्यानन्द कानूनगी
२१. राज बहादुर
२२. बलवन्त नागेश दातार
२३. मनहरखाल मनमुलखाल शाह
२४. गुरेन्द्र कुमार दे
२५. कालूखाल श्रीमाली
२६. हुमायूँ कबीर
२७. श्री० गोपाल रेड्डी

संशोध घामती

ग्रूपना तथा प्रगारण
स्वारम्य

कृषि

सान तथा सेत

पुनर्पात तथा अल्पसंख्यक मामले

वाणिज्य

परिवहन तथा संचार-साय

प्रान्तरिक मामले

उद्योग

साधुदायिक विकास तथा सहका

शिक्षा

पंथानिक शोध तथा सांस्कृतिक माम
राजस्व तथा प्रसंनिक ध्यम

प्रतिरक्षा

अम

निर्माणकार्य, प्रायास तथा सम्भरण

कृषि

सिचार्ड तथा विद्युत्

वाणिज्य तथा उद्योग

योजना

वित्त

बंथानिक शोध तथा सांस्कृतिक

रेल

बैदेसिक मामले

प्रान्तरिक मामले

प्रतिरक्षा

साय तथा कृषि

विधि

रेल

उप-मन्त्री

२८. पुरजीतसिंह मजोठिया

२९. आबिद अली

३०. अनिल कुमार चन्व

३१. एम० श्री० कृष्णाप्प

३२. जय मुख लाल हाथी

३३. सतीश चन्द्र

३४. श्यामनन्दन मिश्र

३५. बलीराम भगत

३६. मनमोहन दास

३७. शाहनवाल खाँ

३८. लक्ष्मी एन० मेनन, श्रीमती

३९. वायलेट अल्वा, श्रीमती

४०. के० रघुरामय्य

४१. ए० एम० तोमस

४२. आर० एम० हानरनवीस

४३. एत० श्री० रामस्वामी

४४. अहमद मुहिउद्दीन	धार्मिक उद्देश्य
४५. तारकेश्वरी सिन्हा, धीमती	वित्त
४६. पी० एस० नस्कर	पुनर्वास
४७. बी० एस० मूर्ति	सामुदायिक विकास तथा सहकारिता

संसदीय सचिव

मन्त्रियों को संसदीय कार्य में सहायता देने के लिए कई मन्त्रालयों में संसदीय सचिव भी हैं। १ मई, १९५६ को इनकी स्थिति इस प्रकार थी —

१. सादत अली खाँ	वैदेशिक मामले
२. जोगेन्द्रनाथ ह्यारिका	वैदेशिक मामले
३. जी० राजगोपालन	सूचना तथा प्रसारण
४. ललितनारायण मिश्र	धर्म, नियोजन तथा योजना
५. फनेर्हासिंह राव प्रतापसिंह राव	प्रतिरक्षा
गायकवाड़	प्रतिरक्षा
६. धानन्द चन्द्र जोशी	सूचना तथा प्रसारण
७. गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा	इस्पात, खान तथा ईंधन
८. श्याम धर मिश्र	सामुदायिक विकास तथा सहकारिता

प्रशासनिक संगठन

सरकारी कार्यवाही के बँटवारे का नियमन करने के लिए तत्सम्बन्धी नियम, संविधान के अनुच्छेद ७७ (२) के अन्तर्गत बनाए गए हैं। यह बँटवारा प्रधानमन्त्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है और इसके अनुसार प्रत्येक मन्त्री का काम निर्धारित किया जाता है। मन्त्रियों की सहायता के लिए कभी-कभी उपमन्त्री भी नियुक्त किए जाते हैं।

मन्त्रालय का प्रशासनिक प्रधान, सरकार का सचिव होता है। यह अपने मन्त्रालय के प्रशासन तथा नीति सम्बन्धी सभी मामलों के सम्बन्ध में मन्त्री का मुख्य सलाहकार होता है। जब किसी मन्त्रालय का काम इतना अधिक हो जाता है कि उसे घरेलू सचिव नहीं निपटा सकता, तब सुगमता की दृष्टि से संयुक्त सचिव के नियन्त्रण में एक उपशासक विभाग स्थापित किए जा सकते हैं। प्रत्येक मन्त्रालय विभागों, शाखाओं तथा अनु-भागों में विभाजित होता है जिनका कार्य-संचालन अध्याय: उपसचिवों, सचिव सचिवों तथा अनुशासक अधिकारियों के अधीन होता है।

डा० पाल एच० एविलबी की सिफारिश पर मार्च, १९५४ में स्थापित 'संगठन तथा प्रशिक्षण विभाग' (ऑर्गेनाइजेशन एण्ड मेथड्स डिवीजन) का मुख्य कार्य, संगठन सम्बन्धी कार्यालयी तथा अनुभव प्राप्त करना और उनके सम्बन्ध में सूचना देना है। इस विभाग ने निम्ने दिनों सुधार करने के जो प्रयास किए, उनमें से कुछ ये हैं—सभी प्रकार के अधिकारियों के कार्यकुशलता की भावना पैदा करना, किसी भी मामले के निर्णय में बहुत अधिक

सरकारी कार्य-संचालन

केन्द्र की भाँति राज्यों के मन्त्रियों के बीच भी विभागों के आचार पर कार्य-विभाजन किया जाता है। प्रत्येक मन्त्री संविधान के अनुच्छेद १६६ (३) के अधीन राज्यपाल द्वारा उसके मन्त्रालय को सौंपे गए नित्य-प्रति के कार्य के लिए प्रतिम रूप से उत्तर-दायी होता है। केवल नीति विषयक मामले तथा वे मामले जिनका सम्बन्ध एक से अधिक मन्त्रालयों से है अथवा जिनके सम्बन्ध में उनके बीच मतभेद पाया जाता है, मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्रिपरिषद् के सम्मुख उपस्थित किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों की भाँति राज्यीय मन्त्रालयों में भी सचिव होते हैं। राज्यों में मुख्य सचिवों की भी व्यवस्था है। राज्यों के सचिवालयों का कामकाज भी बहुत कुछ केन्द्रीय सचिवालय जैसा ही होता है।

सचिवों के प्रतिरिक्त राज्यीय मन्त्रालयों के अधीन विभाग-अध्यक्ष भी होते हैं जिनकी संख्या राज्य द्वारा प्रशासित महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होती है।

प्रशासनिक एकक

प्रशासन के मुख्य एकक 'जिला' होते हैं जिनके अधिकारी कलेक्टर तथा जिलाधीश होते हैं। कलेक्टर, डिवीजन के प्रधान 'कमिश्नर' अथवा राजस्व मण्डल (बोर्ड ऑफ रेव्यू) के प्रति और इसके द्वारा राजस्व का संग्रह करने तथा प्रशासन के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। जिलाधीश के रूप में यह जिले में शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने और उसके दण्ड-प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इस कार्य के लिए जिले में कलेक्टर के अधीन एक पुलिस विभाग होता है जिसका प्रधान अधिकारी 'पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट' होता है। एग्रीकल्चर अथवा टिप्पी कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों के प्रतिरिक्त उसकी सहायता के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियर तथा जन-अधिकारी जैसे अन्य कई जिला अधिकारी और होते हैं।

कुछ राज्यों में जिला कई तब-डिवीजनों में बँटा हुआ होता है जो उप-जिलाधीशों के अधीन होते हैं। अन्य राज्यों में जिला तालुकों अथवा तहसीलों में बँटा हुआ होता है जो तहसीलदारों अथवा मामलातदारों के अधीन होती हैं।

विभिन्न विकास विभागों के कार्यालय-मन्त्रियों की एक अर्न्तविभागीय समिति के माध्यम से राज्य के मुख्यालयों के विभाग कार्यकर्ताओं से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। मुख्य सचिव अथवा आयोजन विभाग वा सचिव इस समिति का अध्यक्ष होता है। अधिकांश राज्यों में 'राज्यीय योजना मण्डल' स्थापित किए जा चुके हैं जिनमें प्रमुख मंत्र-नरदायी व्यक्तियों भी सम्बन्धित रहते हैं।

न्यायन शासन

राज्यीय निकाय छोटे तौर पर दो प्रकार के हैं : तहसील तथा तालुका। बड़े जिलों में निकायों को निगम और माध्यम तथा छोटे जिलों में इनकी मददगार निकायों की

प्रथवा नगरपालिका मण्डल कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक आवश्यकताओं की देखभाल जिला मण्डल प्रथवा ताल्लुक मण्डल तथा ग्राम पंचायतें करती हैं।

निगम

नगर निगमों के अध्यक्ष 'महापोर' कहलाते हैं जो निगम के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। निगम के प्रशासन का कार्य उत्तरी तीन समितियाँ करती हैं। निगम की कार्यपालिका-शक्ति कमिश्नर में निहित होती है जो विभिन्न संस्थाओं के कर्तव्य का निश्चय करता तथा उनके काम की देखभाल करता है।

नगरपालिका समितियाँ तथा मण्डल निर्वाचित अध्यक्षों से युक्त नगरपालिकाओं का कार्य-संचालन भी समितियों के द्वारा होता है। इनके नित्य-प्रति के कार्य का संचालन एक कार्यपालक अधिकारी करता है। सामान्यतः ये नगरपालिकाएँ सड़कों की सफाई तथा बस्तों की सार-मुयरी रखने का कार्य करती हैं। इसके प्रतिरिक्त ये इमजानघाट की व्यवस्था, सार्वजनिक सड़कों, टट्टियों तथा नालियों, प्राथमिक शिक्षा आदि की भी व्यवस्था करती हैं। हाल के कुछ वर्षों में कई बड़े नगरों की देखभाल तथा उनके विस्तार के नियमन के लिए 'मुधार न्यास तथा नगर योजना निकाय' (इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट एण्ड टाउन प्लानिंग बोर्ड) स्थापित किए जा चुके हैं। १९५६ में संसद् ने 'गान्धी बरती (मुधार तथा सफाई) अधिनियम' पास किया।

जिला मण्डल

जिला मण्डलों का मुख्य कार्य प्राथमिक शैक्षों में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सड़कों बनाना तथा उन्हें ठीक-ठाक रखना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय करना है। इनके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मण्डलों के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। इनका कार्य भी समितियों के माध्यम से होता है।

सभी गाँवों में ग्राम पंचायतें स्थापित करने की स्वीकृत नीति तथा सब-डिवीजन प्रथम लण्ड स्तर पर प्रस्तावित पंचायत समितियाँ स्थापित करने का विचार किया जा रहा है जिस रूप में वे प्राज मण्डल उस रूप में स्थापित न करने का विचार बनाए जाने तक के लिए इनके स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में नया कानून बनाए जाने तक के लिए इनके स्थान पर प्रगतरिम जिला परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। बिहार तथा मद्रास में सभी जिला मण्डल, राज्य सरकारों के प्राथम विशेष अधिकारियों के नियन्त्रण में कर दिए गए हैं।

ग्राम पंचायत

संविधान की राज्य-नीति के एक निदेशक तत्व के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे तथा उन्हें स्थापित नासन के एककों के रूप में कार्य करने के लिए समुचित अधिकार दे। इसके अनुसार अधिकांश राज्यों में आवश्यक

नून प्राप्त किए जा चुके हैं तथा अब देश के आधे से अधिक गाँवों में ग्राम पंचायतें गणित की जा चुकी हैं।

पंचायतें, गाँव सभाओं द्वारा चुनी जाती हैं। गाँव सभाओं में गाँव के सभी वयस्क गणित होते हैं। ये पंचायतें ग्रामीणों के लिए नागरिक तथा ग्रन्थ सुविधाओं की व्यवस्था करती हैं। कुछ स्थानों की पंचायतें प्राथमिक शिक्षा आदि की भी व्यवस्था करती हैं।

मई, १९५८ में भाउगट आडू में हुए 'राष्ट्रीय सामुदायिक विकास सम्मेलन' में ग्राम पंचायत प्रशासन को राज्य के मुख्यालयों से लेकर गाँवों के स्तर तक के विकास आयुक्तों के संगठन के साथ सम्बद्ध कर देने की सिफारिश की गई।

इनके अनिश्चित गाँवों में न्याय पंचायतें भी होती हैं जो छोटे-मोटे अपराधों का निराकरण करती हैं। इन पंचायतों में वकीलों की परबो करने की अनुमति नहीं दी गई है।

वित्त

ग्रामपंचायत स्थानीय वित्त के साधन ये हैं : (१) स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कर, (२) स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले तथा उनकी ओर से राज्य सरकारों द्वारा वसूल किए जाने वाले कर, (३) राज्य सरकारों द्वारा लगाए तथा वसूल किए जाने वाले करों में हिस्सा, (४) राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले सहायता-अनुदान तथा (५) कर-मिन्न स्रोतों से होने वाली आय।

१९४६ में नियुक्त 'स्थानीय वित्त जाँच समिति' ने इस बात पर बल दिया कि स्थानीय निकायों के वित्त की व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार के कर उनके लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिएँ।

१९५३ में नियुक्त 'कर जाँच आयोग' का विचार यह था कि स्थानीय वित्त के महत्त्व के लिए स्थानीय तथा सीधे कर ही सबसे अच्छे साधन हैं। आयोग ने ऋणों तथा सहायता के रूप में राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने की भी सिफारिश की।

सावजनिक सेवाएँ

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद ३१५ (१) के अन्तर्गत नियुक्त एक स्वतन्त्र अनुविहित संस्था है। इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिएँ जो नियुक्ति के समय तक भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के पदों पर कम से कम दस वर्ष रह चुके हों। आयोग के अध्यक्ष अपने पद पर ६५ वर्ष की आयु तक अथवा ६ वर्ष की अवधि तक रह सकते हैं। राष्ट्रपति, आयोग के किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच किए जाने के बाद पुनरावृत्ति के आधार पर ही परचुन कर सकता है।

भाग [६५]

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के बराबरी में केन्द्र के उच्च स्तरीय विद्वानों को
 कर्मों के लिए आग्रह, १९५१ में अधिकांशों का एक प्रशासनिक संघ बनाया।
 इसका उद्देश्य अधिक प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन के लिए प्रशिक्षण और अनुभवी
 अधिकारियों का एक श्रेण, अधिकांश के लिए सुवर्धित करना है।

शैक्षणिक प्रकाश संघ

शैक्षणिक संस्थानों के अधीन शैक्षणिक उद्यमों के प्रकाश तथा प्रकाशना का
 उच्च स्तरीय विद्वानों कर्मों में सुवर्धना की दृष्टि में भारत सरकार ने दिसम्बर, १९५१
 में एक 'शैक्षणिक प्रकाश संघ' की भी स्थापना की।

राजकीय सेवाएँ

राज्यों के व्यापार वर ही संगठित की जाने वाली 'भारतीय प्रशासनिक सेवा'
 'भारतीय पुलिस सेवा' के अतिरिक्त राज्यों की अपनी-अपनी प्रमुख शैक्षणिक सेवाएँ
 हैं जो उनके सामान-सौख्य तथा शैक्षणिक विषयों के प्रशासन का कार्य करती हैं। शैक्षणिक सेवा के
 प्रयोग की शक्ति राज्यों में भी राजकीय स्तर सेवा प्रयोग है जो अपनी-अपनी शैक्षणिक
 सेवाओं के लिए कर्मचारियों नियुक्त करते हैं।
 'राजकीय प्रशासनिक सेवा' की कार्यवाहियों द्वारा, राज्य की शैक्षणिक सेवाओं में
 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य की महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं—'राजकीय सु'
 'राजकीय स्वास्थ्य-विकास सेवा'।

छठा अध्याय

न्यायपालिका

१९५० में भारत द्वारा संघात्मक संविधान स्वीकार कर लिए जाने से देश के न्यायालयों के ढाँचे में, जो ब्रिटेन की शासन के एक शताब्दी से अधिक समय के अत्यन्त केन्द्रित प्रशासन के फलस्वरूप तैयार हुआ था, कोई परिवर्तन नहीं आया। अनुच्छेद ३७२ की व्यवस्था के अनुसार 'भारत सरकार अधिनियम, १९३५', तथा 'भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, १९४७' को छोड़कर अन्य वे सभी कानून जो संविधान लागू होने के तुरन्त पूर्व जारी थे, उस समय तक जारी रहेंगे जब तक वे किसी सक्षम विधानमण्डल अथवा प्राधिकारी द्वारा रद्द, परिवर्तित अथवा संशोधित नहीं किए जाते। अनुच्छेद ३७५ में इस बात की व्यवस्था की गई है कि देश भर के डीवानी, फौजदारी तथा राजस्व सम्बन्धी न्यायाधिकारक्षेत्र के सभी न्यायालय, सभी प्राधिकारी और न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा मन्त्रिमण्डल सम्बन्धी सभी प्राधिकारी अपना-अपना काम संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार करते रहेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय

भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय सम्पूर्ण देश की न्याय-प्रणाली का सबसे ऊँचा न्यायालय है। जहाँ तक अपील सुनने के अधिकार का प्रश्न है, संविधान के द्वारा इसको अन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकारणों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। उच्च न्यायालयों के संगठन को, जिसमें उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा परचयति सम्मिलित है, केन्द्र का विषय बनाकर इसकी स्थिति और भी सुदृढ़ कर दी गई है। यह संविधान के अभिभाषक के रूप में कार्य करता है और उसकी ध्याएया करता है। इसकी नागरिकों की स्वतन्त्रता के संरक्षण के रूप में भी कार्य करना होता है।

१. कई, १९५६ को इस न्यायालय में जो न्यायाधीश थे, उनकी स्थिति इस प्रकार की :

मुख्य न्यायाधीश :

न्यायाधीश :

मुथिरंजन दाम

एन० एच० भगवती

भूबनेश्वर प्रसाद मिश्रा

सैफर अकर इमाम

एन० के० दाम

जे० एन० कपूर

भारत १९५६

पी० बी० गवेंद्रगडकर
 प्रमल कुमार सरकार
 के० मुन्ध राव
 के० एन० धांचू
 एम० हिदायतुल्ला

एम० सी० सीतलयाद
 सी० के० दपतरी
 एच० एन० सान्याल

भारत सरकार के विधि अधिकारी ये हैं :
 महाध्यायवादी (एटर्नी-जनरल) :
 महावादेशक (सॉलिसिटर-जनरल) :
 अतिरिक्त महावादेशक :

व्याख्या के अधिकार

जहाँ तक संविधान की व्याख्या करने के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों का प्र-
 है, न्यायालय विगत ८ वर्षों में दिए अपने निर्णयों में ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका
 है। भारत की न्यायपालिका को कानून में परिवर्तन अथवा संशोधन करने का अधिकार
 नहीं है। इसे, न्यायाधिकारक्षेत्र के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार विधानमण्डल के अधि-
 नियमों को रद्द करने तथा बंधानिक नीति की समीक्षा करने का भी अधिकार नहीं है।
 इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्तव्य ही जाता है कि
 वह इस बात का ध्यान रखे कि देश में कानूनों का प्रशासन पूर्ण निष्पक्षता के साथ हो स-
 कोई भी नागरिक किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में न्याय से वंचित न रहे
 जाए। अनुच्छेद १४० की व्यवस्था के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया
 प्रत्येक कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए निबिवाद रूप से मान्य होगा।

न्यायाधिकारक्षेत्र

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में सीधे मुकदमे लेना तथा अपीलें सुनना, दोन
 कार्य आते हैं। केन्द्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच के झगड़े अथवा दो
 से अधिक राज्यों के पारस्परिक झगड़े सीधे सर्वोच्च न्यायालय के सामने आते हैं। इसे
 अन्वी प्रत्यक्षीकरण-लेख, परमादेश-लेख, प्रतिषेध-लेख, अधिकाररद्दच्छा-लेख तथा उत्प्रेषण-
 लेख, जो भी उचित हो, के पानन के लिए आदेश अथवा निर्देश देने का अधिकार है। ऐसा
 कोई भी धर्मिक त्रिसके मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, सर्वोच्च न्यायालय में
 सीधे निष्पापत दायर कर सकता है।

संविधान की धारणा का प्रश्न उठने की सम्भावना वाले मामलों में उच्च न्यायालय
 द्वारा दिए गए निर्णय, जारी की गई टिप्पणी अथवा जारी किए गए अन्तिम आदेश के
 तत्पर्य से अथवा दोगानी आते ऐसे मामलों में जिनमें झगड़े के विषय से सम्बन्धित
 राशि २०,००० रुपये से कम न हो अथवा जिनके निर्णय, टिप्पणी अथवा अन्तिम आदेश में
 इनमें ही शक्ति की सम्पत्ति के लिए दावा किया गया हो, उसी उच्च न्यायालय से अनुमति

प्राप्त करने पर अथवा उसी उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित ठहराए जाने पर कि प्रमुख मामले को अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय अपील सुन सकता है। फौजदारी वाले मामलों में सर्वोच्च न्यायालयों में अपील करने के अधिकार की व्यवस्था की गई है यद्यपि कि उच्च न्यायालय (क) अभियुक्त को मुक्त करने के आदेश को रद्द करके उसे मृत्यु-दण्ड दे दे, (ख) किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से अपने हाथों में ले ले और अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दे दे, अथवा (ग) यह प्रमाणित कर दे कि इस मामले के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त भारत के सभी न्यायालय तथा न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के अपील सुनने के अथवा न्यायाधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी मामले में दिए गए निर्णय, डिप्री, दण्ड अथवा आदेश पर अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। इसको संविधान के अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए मामलों में भी परामर्श देने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

न्यायालय का कार्य-संचालन

सर्वोच्च न्यायालय को कार्य-संचालन के लिए अपने निज के नियम बनाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद १४५ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले को निपटाने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकता है और एक न्यायाधीश वाली तथा डिबीजेन न्यायालयों के लिए अधिकारों की व्यवस्था कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो सदा खुली अदालत में ही दिए जाने चाहिए, उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति से किए जाते हैं। इस बहुमत से सहमत न होने वाला न्यायाधीश अपना विरोध-निर्णय दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में मामले, व्यक्तिगत रूप से किसी भी पक्ष द्वारा अथवा उनके वकीलों द्वारा उपस्थित किए जा सकते हैं।

१९५८ के अन्त में सर्वोच्च न्यायालय में लगभग २,४५५ वकील पंजीकृत थे।

विधि आयोग

समय-समय पर संसद् में तथा बाहर दिए गए सुझावों के अनुसार भारत सरकार ने ५ अगस्त, १९५५ को लोकसभा में भारत के महान्यायाधीश श्री एम० सी० तीलकदास की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की नियुक्ति की घोषणा की।

इस आयोग के समक्ष दो कर्तव्य थे : न्याय-प्रणाली की समीक्षा करना तथा इन सुधारों के उपाय सुझाना; और सामान्य केन्द्रीय अधिनियमों की जाँच करके उनके संशोधन आदि के लिए उपाय सुझाना।

भारत १९५६

१६ सितम्बर, १९५५ को अपनी प्रारम्भिक बैठक के पश्चात् प्रायोग ने अपना कार्य दो विभागों द्वारा करना प्रारम्भ किया। पहले विभाग ने न्याय-प्रशासन में सुधार करने को समस्या को हाथ में लिया। इस विभाग ने ३० सितम्बर, १९५८ को सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया।

विधि प्रायोग के दूसरे विभाग का सम्बन्ध मुख्यतः अनुविहित कानूनों के पुनरीक्षण से है। इसी भ्रवधि में प्रायोग ने निम्न तरह प्रतिवेदन सरकार को दिए (१) राज्य का उत्तरदायित्व, (२) विक्री कर सम्बन्धी संसदीय विधान, (३) परिसीमन अधिनियम, १९०८, (४) राज्य के विभिन्न स्थानों में उच्च न्यायालय को बेंचों के बँटने से सम्बन्धित प्रस्ताव, (५) भारत में लागू हो सकने वाले ब्रिटिश कानून, (६) पंजीयन अधिनियम, १९०८, (७) सार्वकारी अधिनियम, १९३२, (८) सामान विक्री अधिनियम, १९३०, (९) विशेष सहायता अधिनियम, १८७७, (१०) भूमि अर्जन अधिनियम, १९६४, (११) हस्तांतरणीय विलेख अधिनियम, १८८१, (१२) घायक अधिनियम, १९२२ तथा (१३) ठेका अधिनियम १८७२।

उच्च न्यायालय

प्रत्येक राज्य में न्याय-प्रशासन की सबसे बड़ी संस्था 'उच्च न्यायालय' है। इस समय देश में १४ उच्च न्यायालय हैं—प्रथम (गोवाडी-१९४८), आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद-१९५४), इलाहाबाद (१९१९), उड़ीसा (फरक-१९४८), कलकत्ता (१८६१), केरल (एरणाकुलम-१९५६), जम्मू तथा कश्मीर (श्रीनगर-१९२८), पंजाब (चण्डीगढ़-१९४७), पटना (१९१६), बम्बई (१८६१), मद्रास (१८६१), मध्य प्रदेश (जबलपुर-१९५६), मैसूर (बंगलोर-१८८४) तथा राजस्थान (जोधपुर-१९४९)।

१९३७ में भारत के संघात्मक न्यायालय (फेडरल कोर्ट) की स्थापना होने तक इनमें कुछ न्यायालय देश के सबसे ऊँचे न्यायालय माने जाते थे। अनुच्छेद २१७ के अनुसार उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधिवक्ता से परामर्श करना होता है।

सामान्यतः प्रत्येक उच्च न्यायालय उस राज्य के प्रशासन का एक अंग माना जाता है जिस राज्य में वह स्थित हो, किन्तु राज्याधीन विधानमण्डल को उच्च न्यायालय के संविधान प्रथम संगठन में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके न्यायाधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत अनुच्छेद २२५ के अनुसार उच्च न्यायालयों को उनके न्यायाधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत

माने वाले सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकारणों पर अधीक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय को संविधान के भाग ३ में दिए प्राधिकारों का प्रयोग करने प्रथम कृति अन्य उद्देश्य के लिए उसके न्यायाधिकारक्षेत्र में माने वाले किसी भी व्यक्ति, प्राधिकारी प्रथम सरकार के नाम निर्देश, आदेश प्रथम

लेख (बन्दी प्रत्यक्षीकरण-लेख, परमादेश-लेख, प्रतिषेध-लेख, अधिकारपृच्छा-लेख तथा उत्प्रेषण-लेख, सभी भयवा इनमें से कोई एक) जारी करने का अधिकार है।

अधीनस्थ न्यायालय

जिला न्यायाधीश, जो मुख्य दोषी न्यायालयों में न्याय-प्रशासन का कार्य करते हैं, राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं।

कुछ स्थानीय भिन्नता के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का ढाँचा तथा उनके कर्तव्य देश भर में बहुत-कुछ एक-से ही हैं। प्रत्येक राज्य कई जिलों में बँटा होता है जो जिला-न्यायाधीश की अध्यक्षता में प्रमुख दोषी न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

दण्ड-न्याय के प्रशासन तथा दण्ड-न्यायालयों की रचना आदि का नियमन समय-समय पर संशोधित तथा परिवर्तित की जाने वाली 'दण्ड प्रक्रिया संहिता' के अनुसार होता है।

कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग किया जाना

कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने से सम्बन्धित निदेशक तत्व (अनुच्छेद ५०) के अनुसार असम, अरुणाचल प्रदेश, असम तथा मध्य प्रदेश के राज्यों में पूर्ण रूप से सुधार किया जा चुका है। आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, बिहार तथा राजस्थान में आंशिक रूप से सुधार किए गए हैं।

प्रतिरक्षा सेवाएँ कर्मचारी कालेज
 वरिष्ठ भारत के विनिगटन-स्थित 'प्रतिरक्षा सेवाएँ कर्मचारी कालेज' में तैयारत
 अधिकारियों को प्रतिसैना के प्राधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कालेज में प्रति वर्ष
 सेना को तीनों शाखाओं के लगभग १०० अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज
 पूना-स्थित 'सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज' में नये राजादिष्ट चिकित्सा अधिकारियों
 को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त, सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा-अधिकारियों के लिए अत्या-
 स्मरणीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था है जिससे उनको उनके व्यवसाय के सम्बन्ध में नवीनतम
 जानकारी प्राप्त होती रहे।

स्थल-सेना को कालेज तथा स्कूल
 देहरादून-स्थित सैनिक कालेज, स्थल-सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण का मुख्य केन्द्रों
 है। प्रकाशनी से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले शिक्षार्थियों को सेना में नियुक्त किए जाने के
 पूर्व देहरादून में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। कालेज में प्रवेश पाने वाले
 अन्य शिक्षार्थी वे होते हैं जो 'केन्द्रीय लोक सेवा आयोग' तथा 'सेना चुनाव मण्डल' की
 प्रतियोगिता-प्रवेश-परीक्षा पास कर चुके होते हैं। सैनिक कालेज में शिक्षार्थियों को कठोर
 शरीर-अभ्युत्त प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें सेना अधिकारियों के लिए आवश्यक
 आधारभूत ज्ञान प्राप्त हो जाए।

किर्की-स्थित 'सैनिक इंजीनियरिंग कालेज' में अधिकारियों तथा अन्य सैनिकों को
 सम्पूर्ण सैनिक इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है।
 इनके अतिरिक्त स्थल-सेना के अन्य प्रशिक्षण केन्द्र हैं—मऊ का स्कूल ऑफ सिग्नल,
 देवसाली का स्कूल ऑफ ब्राइटलरी, मऊ का इन्फैन्ट्री स्कूल, जबलपुर का ब्राइटेन्स स्कूल
 तथा अहमदनगर का ब्रामंड कोर सेण्टर तथा स्कूल।

जल-सेना के प्रशिक्षण केन्द्र
 विशेष प्राविधिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण को छोड़कर जल-सेना के सभी अधिकारियों
 तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य कोचीन, बम्बई तथा विशाखापटनम-स्थित 'जल-सेना
 प्रशिक्षण केन्द्रों' में होता है।

कोचीन-स्थित 'आई० एन० एत० एत० वेन्चुरि' तथा जल-सेना का विमान केन्द्र 'गड'
 जल-सेना के मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र हैं।
 लोनावला (बम्बई) स्थित 'आई० एन० एत० एत० शिवाजी' पर मेकेनिकल इंजीनियरों
 तथा ब्राइटिफिशियरों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

जल-सेना के जामनगर-स्थित इलेक्ट्रिकल स्कूल 'आई० एन० एत० एत० यतपुरा पर
 बिजली सम्बन्धी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

जल-सेना में भर्ती होने वाले नये रंगस्टों को विशाखापटनम-स्थित 'आई० एन० एम० सिरकार' पर प्रशिक्षण दिया जाता है ।

वायु-सेना के कालेज तथा स्कूल

नीतिसिए विमानचालकों को जोधपुर के 'वायु सेना फ्लाइट कालेज' में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है । इससे प्रागे का प्रशिक्षण हैदराबाद में दिया जाता है ।

उड्डयन निदेशकों को ताम्बरम-स्थित एक स्कूल में प्रसंग से प्रशिक्षण दिया जाता है । कोयमुत्तूर-स्थित 'वायु-सेना प्रशासनिक कालेज' में वायु-सेना के प्रशासन-प्रधिकारियों को तथा बंगलोर में हाल ही में स्थापित 'उड्डयन चिकित्सा स्कूल' में चिकित्सा-प्रधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

जलाहाली-स्थित 'वायु-सेना प्राविधिक कालेज' में इंजीनियरिंग अधिकारियों को शैथिलिक इंजीनियरिंग प्रादि का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

प्रतिरक्षा उत्पादन

सैन्य सामग्री तथा उपकरणों के उत्पादन और निरीक्षण, शोध तथा सेना की तीनों शाखाओं की विकास सम्बन्धी गतिविधियों के सम्बन्ध में एक समन्वित नीति तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने तीन वर्ष पूर्व एक 'प्रतिरक्षा उत्पादन मण्डल' स्थापित किया । प्रतिरक्षा मन्त्री इसके अध्यक्ष हैं । यह मण्डल सभी सस्त्रनिर्माणशाखाओं (फाइनेंग्स फंड-रोड) के संचालन के लिए उत्तरदायी है ।

सेना की तीनों शाखाओं के 'प्राविधिक विकास संगठनों' और 'प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन' को मिला कर उत्पादन में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जनवरी, १९५८ में एक 'शोध तथा विकास संगठन' स्थापित किया गया । इसका 'उत्पादन तथा निरीक्षण संगठन' के साथ शीघ्रा सम्बन्ध है जिसका मुख्य उद्देश्य सेना की तीनों शाखाओं के लिए आवश्यक सैन्य सामग्री के सम्बन्ध में पूर्ण स्वावलम्बन प्राप्त करना है ।

शस्त्रनिर्माणशाला

शस्त्रनिर्माणशालाओं में जिनमें कुछ समय पूर्व तक मुख्य रूप से स्थल-सेना की आवश्यकताओं की ही पूर्ति की जाती थी, अब जल-सेना तथा वायु-सेना के लिए भी सामग्री तैयार की जाती है ।

मशीन-घोड़ा प्राप्य कारखाना

अम्बरनाथ (बम्बई) स्थित 'मशीन-घोड़ा प्राप्य कारखाने' में मशीनी घोड़ा सम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए । इस कारखाने में कई अन्य घोड़ा भी तैयार किए गए ।

हिन्दुस्तान विमान कारखाना

बंगलोर-स्थित 'हिन्दुस्तान विमान कारखाने (लिमिटेड)' में भारतीय वायु-सेना के

भारत १९५६

विमानों की भरमत्त, उनको नया रूप देने तथा विमानों के निर्माण का कार्य किया जाता है। इस कारखाने में संभाव्यर जेट सड़क विमानों का भी निर्माण किया जाता है।

भारत विद्युत् (इलेक्ट्रॉनिक्स) कारखाना
बंगलौर के निकट जलाहली-स्थित 'भारत विद्युत् (प्राइवेट) लिमिटेड' में प्रारम्भिक

उत्पादन-कार्य दिसम्बर, १९५५ में प्रारम्भ हुआ। जनवरी, १९५६ से मार्च, १९५८ तक ३२.६५ लाख रुपये के मूल्य के विद्युत् उपकरणों का निर्माण हुआ।

विप्लव कार्य

देश की रक्षा करने के अपने सामान्य कार्य के प्रतिरक्षित भारतीय सशस्त्र सेनाएँ समय-समय पर कई अन्य प्रापातकार्य भी करती हैं। इनमें मुख्य हैं : (१) बाढ़, भूकाल तथा भूचाल से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता, (२) जलविद्युत् तथा अन्य योजनाओं के विकास तथा आयोजन के काम में आने वाले कोटो सर्वेक्षण तथा (३) बंकर भूमि का पुनरुद्धार।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं ने 'कोरिया-विराम-सन्धि करार' तथा २० जुलाई, १९५४ को जेनेवा में हुई युद्धविराम-सन्धि के अन्तर्गत स्थापित 'वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया नियन्त्रण तथा अधीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों' के सिफारिशों को कार्यान्वित करने में भी सहायता दी। भारतीय सेना ने संसार में शांति-स्थापन के एक अन्य कार्य में भी सहायता दी, जब १६ नवम्बर, १९५६ को एक भारतीय सैन्य टुकड़ी 'संयुक्त राष्ट्र संघीय आपातकालीन सेना' में सम्मिलित होने के लिए निर्र भेजी गई। श्रीलंका के बाढ़परत क्षेत्रों की सहायता पहुँचाने के सम्बन्ध में भारतीय वायु-सेना के विमानों ने इन क्षेत्रों में ५ लाख वीण्ड से प्रसिक्त की लाख वस्तुएँ तथा औपचार्य गिराईं। लगभग ७० सैन्य अधिकारियों ने लेबनान के 'संयुक्त-राष्ट्र संघीय पर्यवेक्षक दल' को कार्यवाही में भाग लिया।

प्रतिरक्षा व्यय

१९५६-६० (बजट प्राक्कलन) में प्रतिरक्षा पर २ अर्ब ४२ करोड़ ६८ लाख रुपये तथा ३२.७४ करोड़ रुपये का क्रमः राजस्वगत तथा पूँजीगत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

देशीय सेना

देशीय सेना का उद्देश्य, जो प्रवृत्त, १९४६ में सर्वप्रथम संगठित की गई थी, देश के नवयुवकों को उनके अयकाग के समय में सैनिक-प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना है। संकटकाल में इस सेना को सशस्त्र सेनाओं की सहायता के लिए भी बुलाया जा सकता है। प्राथमिक धोपता रखने वाला १८ से ३५ वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ पुरुष देशीय सेना में भर्ती हो सकता है। देशीय सेना दो प्रकार की है—प्रदेशिक तथा शहरी। रंगस्टों

का प्रशिक्षण प्रादेशिक सेना में ३० दिन का तथा शहरी सेना में ३२ दिन का होता है। शहरी सेना में प्रशिक्षण का कार्य शाम को, सप्ताहान्त में अथवा छुट्टियों के दिन किया जाता है। क्षेत्रीय सेना के फर्मचारी पदक तथा पुरस्कार आदि भी प्राप्त कर सकते हैं।

लोक सहायक सेना

सहायक क्षेत्रीय सेना, जो १९५४ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के रूप में पुनर्संगठित हुई थी, अब 'लोक सहायक सेना' कहलाती है। इसका उद्देश्य ५ वर्षों में लगभग ५ लाख व्यक्तियों को प्रारम्भिक सैनिक शिक्षा देना है।

भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व सैन्यशिक्षार्थियों को छोड़कर १८ से ४० वर्ष तक के सभी स्वरूप पुरुष 'लोक सहायक सेना' में भर्ती हो सकते हैं।

नये रंगस्टों को ३० दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण-काल में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए भोजन तथा वस्त्र आदि की निःशुल्क व्यवस्था रहती है तथा निवृत्ति की समाप्ति पर जेब खर्च के लिए उनको १५ रुपये दिए जाने हैं।

राष्ट्रीय सैन्यशिक्षार्थी दल

इस दल में स्त्रियों तथा बालिकाओं के द्वारा और छात्राणु भर्ती हो सकती हैं। इनमें तीन टुकड़ियाँ होती हैं : उच्च, निम्न और बालिका। प्रथम दोनों टुकड़ियों को रथल, जल तथा पाद प्रालाणु होती हैं।

सामान्य प्रशिक्षण के अनतिरिक्त कुछ सैन्यशिक्षार्थियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। १९५९ के आरम्भ में इस दल में कुल १,९२,२५३ सैन्यशिक्षार्थी थे।

सहायक सैन्यशिक्षार्थी दल

स्त्रियों के उन छात्राणु तथा छात्राणुओं के सैनिक प्रशिक्षण के लिए जो राष्ट्रीय सैन्यशिक्षार्थी रूप से प्रवेश नहीं पायीं, सहायक सैन्यशिक्षार्थी दल को व्यवस्था की गई है। १९५८ के आरम्भ में सहायक सैन्यशिक्षार्थी दल के शिक्षार्थियों की संख्या ८,५३,९४३ थी।

भूतपूर्व सैनिकों का बन्दाना

भारत सरकार, भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए उनको कसबानों तथा निजी औद्योगिक, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक स्थापनाओं, कृषि भूमि तथा सर्वसाधारण केन्द्रों में लगाने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्हें कृषि कार्य की भी शिक्षा दी जा रही है जिससे वे सामुदायिक योजनाओं के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अनुत्सुक बिल्कुल नहीं रहेंगे। शीकर, शीकरदार तथा कागजकारी विभागों के निर्माण के अलावा अन्य अनेक सैनिक प्रशिक्षण भी एक व्यवस्था बानी जा रही है। सरकार भूतपूर्व सैनिकों को बन्दाना देगी

७८]

भारत १९५६

है। विगत ८ वर्षों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों कीर निम्नी संगठनों के विवेकपूर्ण प्रयाग के फलस्वरूप १,१२,६२८ भूगर्भ संनिचों को जिनमें ६.५७ अर्धशाली भी सम्मिलित हैं, काम रिलाया गया।

'संनिच, गाविक तथा वायु-संनिच मण्डल' भूगर्भ संनिचों तथा उनके वरि-कारों को रचनाीय प्रसासन के विषय सम्बन्धों से साधन सह्यता रिलाने वाला एक कीर प्राप्त महाकयुएँ मंत्र-सरकारी संगठन है।

आठवाँ अध्याय

शिक्षा

देश में शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। केन्द्रीय सरकार का काम 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के माध्यम से विभिन्न संकायों के बीच समन्वय स्थापित करना और उच्चतर शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा का स्तर निर्धारित करना है। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का काम अखिल भारतीय परिषदें करती हैं। केन्द्रीय सरकार अलीगढ़, दिल्ली, बनारस (वाराणसी) तथा विश्वभारती विश्व-विद्यालयों के साथ-साथ संसद् द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों के संचालन के लिए भी उत्तरदायी है। यह अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क तथा 'संयुक्त राष्ट्र' संघीय शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति संगठन' (यूनेस्को) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की नीति के सम्बन्ध में द्वात्रवृत्तियाँ आदि भी देती है।

१९५१ की जनगणना के अनुसार भारत में ५,६२,५१,००१ व्यक्ति साक्षर थे जिनमें से ४,५६,०१,१८४ पुरुष तथा १,३६,४६,८१७ महिलाएँ थीं।

१९५६-५७ में देश में कुल ३,७७,७१८ शिक्षा संस्थान थे जिनमें ३,५७,७५,००० विद्यापी विद्याध्ययन कर रहे थे तथा इन पर कुल २ अर्ब २ करोड़ २४ लाख रुपये व्यय हुए।

१९५६-५७ में देश में ७७३ पूर्व-प्राथमिक स्कूल; २,८७,३१८ प्राथमिक स्कूल; ३५,८२८ माध्यमिक स्कूल; ३,२८३ विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देने वाले स्कूल; ४६,१२७ विशेष शिक्षा वाले स्कूल; ७७१ कला तथा विज्ञान बालेज; ४०४ विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देने वाले बालेज; १२७ विशेष शिक्षा वाले बालेज; ४१ शोध संस्थान; १२ शिक्षा मण्डल तथा ३४ विश्वविद्यालय थे।

इन ३,७७,७१८ मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थानों में से ८६,३०४ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था सरकार के अधीन; १,५३,६५३ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था जिला मण्डलों के अधीन; ११,४४८ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था नगरपालिकाओं के अधीन; १,११,०६४ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले निजी संगठनों के अधीन तथा ११,६४६ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था सरकार से सहायता प्राप्त न करने वाले निजी संगठनों के अधीन थी। इन शिक्षा संस्थानों में बरतन: ७४,०३,६८४; १,३५,२४,१६४; २६,७६,६३२; १,०१,४२,५५१ तथा १३,२०,८६० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

भारत १९५६

१९५६-५७ में शिक्षा पर हुए २ अरब २ करोड़ २४ लाख रुपये के कुल प्रत्यक्ष व्यय में से सरकार ने ६२.२ प्रतिशत व्यय गहन किया और शेष को ध्ववस्था जिला मण्डलों तथा नगरपालिकाओं की धोर से हुई ।

प्रारम्भिक तथा बुनियादी शिक्षा स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली के रूप में बुनियादी शिक्षा स्वीकार किए जाने की दृष्टि प्रारम्भिक शिक्षा को धीरे-धीरे इसके अनुसूचित बालक-पालिकाओं के शारीरिक और सामाजिक वाता-क्रम में मौखिक शिक्षा के साथ-साथ बालक-पालिकाओं के कतारों तथा बुनाई, बागवानी, बर्तईपौरी, वरण पर भी ध्यान दिया जाता है । विद्यार्थियों को कतारों तथा बुनाई, बागवानी, बर्तईपौरी, वमड़े का काम, जिल्दसाजी तथा छाना बनाना, कपड़े सीना और घर की ध्ववस्था सम्बन्धी घरेलू कार्यों की भी शिक्षा दी जाती है । वर्तमान प्रारम्भिक स्कूलों में उद्योगों की शिक्षा देने, बुनियादी बदलने, नये बुनियादी स्कूल खोलने, गैर-बुनियादी स्कूलों में उद्योगों की शिक्षा देने, बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी साहित्य तैयार करने तथा बुनियादी शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के कार्य-कर्मों पर तेजी से अमल किया जा रहा है । १९५५ में नियुक्त 'अनुमान निर्धारण समि-को सिफारिशों सामान्यतः स्वीकार कर ली गई है और उनको कार्य-रूप दिया जा रहा है । प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से एक 'अखिल भारतीय प्रारम्भिक (पूर्व-प्राथमिक सहित) तथा बुनियादी स्कूलों की सहाय क्रमशः १९५६-५७ में प्राथमिक (पूर्व-प्राथमिक सहित) तथा बुनियादी स्कूलों की सहाय क्रमशः २,८८,०६१ तथा ४६,८२५ थी जिनमें क्रमशः २ करोड़ ३६ लाख ६७ हजार तथा ४१.०३ लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और जिन पर क्रमशः ५७.६१ करोड़ रुपये तथा ६.०६ करोड़ रुपये व्यय हुए ।

माध्यमिक शिक्षा

'माध्यमिक शिक्षा प्रयोग' द्वारा अगस्त, १९५३ में दिए गए प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आधार पर जो सुधार किए गए, उनमें से महत्वपूर्ण सुधार निम्न हैं :

- (१) वर्तमान स्कूलों को बहुईशियी स्कूलों में बदल कर नया रूप दिया जाना ।
- (२) विज्ञान आदि विषयों के अध्यापन में सुधार, मिश्रित स्कूलों में दस्तकारी की शिक्षा देने तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि की ध्ववस्था करने की सुविधाओं कायोजन ।
- (३) माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देने ।
- (४) माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से तीन भाषाओं का अध्यापन ।

१९५६-५७ में देश में ३५,८२८ माध्यमिक स्कूल थे जिनमें ६३.३० लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा जिन पर ५७.४७ करोड़ रुपये व्यय हुए ।

उच्चतर तथा विश्वविद्यालयिक शिक्षा

भारत में उत्तर-माध्यमिक शिक्षा (१) कला तथा विज्ञान कालेजों, (२) व्यावसायिक शिक्षा याने कालेजों, (३) विशेष शिक्षा याने कालेजों, (४) शोध संस्थानों तथा (५) विश्व-विद्यालयों द्वारा दी जाती है। जिन राज्यों में 'उच्चतर माध्यमिक तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा मण्डल' हैं वहाँ इण्टरमीडिएट से प्रागे के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं तथा उपाधि-वितरण प्रादि की व्यवस्था विश्वविद्यालयों के हाथ में रहती है।

विश्वविद्यालय तीन प्रकार के हैं। सम्बन्धन की व्यवस्था वाले विश्वविद्यालयों में अध्यापन-कार्य नहीं होता, बल्कि ये परीक्षाओं के संचालन प्रादि की व्यवस्था करते हैं। सम्बन्धन तथा अध्यापन की व्यवस्था वाले विश्वविद्यालय उपर्युक्त काम के साथ-साथ अध्यापन तथा शोध-कार्य की सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। प्राथम प्रणाली तथा अध्यापन वाले विश्वविद्यालय सभी प्रकार के अध्यापन-कार्य की व्यवस्था करते हैं तथा उनका उनके अधीन कालेजों पर नियन्त्रण रहता है।

१९२५ में स्थापित 'ग्रन्तविश्वविद्यालय मण्डल' विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली उपाधियों को परस्पर मान्यता प्रदान कराने की व्यवस्था करता है।

विश्वविद्यालयों के घलावा देश में ऐसे कुछ और भी संस्थान हैं जो उच्चतर शिक्षा प्रदान करते हैं जैसे दिल्ली का जामिया मिलिया, हरिद्वार का गुरुकुल तथा बंगलोर की भारतीय विज्ञान संस्था। इनकी स्थिति भी विश्वविद्यालयों जैसी ही है। 'वैज्ञानिक शोध' शीर्षक अध्याय में उल्लिखित कई शोध प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों को 'ग्रन्तविश्वविद्यालय मण्डल' द्वारा उच्चतर शोध-केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

विश्वविद्यालय

भारत में इस समय निम्न ३७ विश्वविद्यालय हैं :

- अन्नमल्ल विश्वविद्यालय (१९२९); अलीगढ़ विश्वविद्यालय (१९२०); आगरा विश्वविद्यालय (१९२७); आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेर (१९२६); इलाहाबाद विश्व-विद्यालय (१८८७); उत्कल-विश्वविद्यालय, कटक (१९४३); उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (१९१८); एत० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई (१९५१); बलरुता विश्वविद्यालय, (१८५७); कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ (१९४९); केरल विश्वविद्यालय, त्रिचेन्द्रम (१९३७); कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (१९५६); गुजरात विश्वविद्यालय, पट्टमदाबाद (१९४९); गोरखपुर विश्वविद्यालय (१९५७); गोहाटी विश्वविद्यालय (१९४८); जबलपुर विश्वविद्यालय (१९५७); जम्मू तथा कश्मीर विश्वविद्यालय, धोनगर (१९४८); जाधवपुर विश्वविद्यालय (१९५५); दिल्ली विश्वविद्यालय (१९२२); नागपुर विश्वविद्यालय (१९२३); पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ (१९४७); पटना विश्वविद्यालय (१९१७); पूना विश्वविद्यालय (१९४९); वड़ोदा विश्वविद्यालय (१९४९); बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (१९१६); बम्बई विश्वविद्यालय (१८५७); बिहार विश्व-

विद्यालय, पटना (१९५२); मडगा विश्वविद्यालय (१८५७); मंगूर विश्वविद्यालय (१९१६); राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (१९६०); ९७वीं विश्वविद्यालय (१९५८); सतलुज विश्वविद्यालय (१९२१); विश्व विश्वविद्यालय, जर्मन (१९५७); विश्वभारती विश्वविद्यालय, कालकत्तिनिर्बतन (१९५१); श्री बेंगलूर विश्वविद्यालय, निरन्नि (१९५५); तरवार बल्लभभाई विद्यापीठ, बल्लभनगर-धानग (१९५५) तथा तागर विश्वविद्यालय (१९५६)।

विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा

एक प्राथमिक संस्था में गिताने प्रणाली प्रतिवेदन जनघरों, १९५७ में सरकार को दिया, सामान्य शिक्षा को दो योजनाएँ तैयार की हैं। इनकी मूल्य योजना में प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि से सम्बन्धित मूल विषयों के प्राथमिक शिक्षा भी स्नातक-पूर्व गैर-ध्यायसायिक संकायों के लिए अनिवार्य रत्तो जानी है। परन्तु योजना में विशेष-पाठ्यक्रम के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में सामान्य शिक्षा के लिए सम्पाद में ६ घण्टों (पोस्चर) के प्राथमिक की व्यवस्था की जानी है। भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम लागू करना स्वोत्तर कर दिया है। और अधिकांश में इन सम्बन्ध-कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सरकार द्वारा १९५८ में नियुक्त 'विश्वविद्यालयिक शिक्षा आयोग' के मुख्य के अनु-सार १९५३ में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की स्थापना की गई। १९५६ में संतद के एक अधिनियम द्वारा इसे एक स्वतन्त्र संस्था मान लिया गया। इस आयोग को विश्वविद्यालयिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकांश मामलों की देखरेख का भार सौंपा गया है। आयोग को विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा उनकी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने का अधिकार प्राप्त है।

१ मई, १९५६ को इस आयोग की स्थिति निम्न थी :

अध्यक्ष :

सदस्य :

श्री० डी० वेणुगुल
एच० एन० कुंजरु
के० एत० हृष्यन
ए० एल० मुदलियार
दोशन भानुब कुमार
जी० सी० चटर्जी
एन० के० सिद्धान्त
के० जी संयदेन
एन० एन० बांबू
संयुक्त मयार्द

सचिव :

प्राविधिक शिक्षा

१९५७ में देश में इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक शिक्षा वाले ७४ डिप्लो-संस्थान तथा १२९ डिप्लोमा-संस्थान थे जिनमें क्रमशः ६,७७८ तथा १५,६६५ विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्वीकृति दी जा चुकी थी। १९५७ में इनमें से क्रमशः ४,२६० तथा ५,०३४ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके निकले।

यह अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय योजनाकाल के अन्त में प्राविधिक संस्थानों में डिप्लो-पाठ्यक्रमों तथा डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष क्रमशः १३,००० तथा २४,००० विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

सरकार को प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देने वाली 'अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्' ने देश के प्रत्येक प्राविधिक संस्थान की स्थिति का अध्ययन किया और उसके सुधार तथा नये संस्थानों की स्थापना के लिए योजनाएँ तैयार कीं। मार्च, १९५८ तक स्वीकृत योजनाओं पर कुल २६.१८ करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है जिसमें से १८.५६ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

परिषद् द्वारा नियुक्त विशेष समिति की सिफारिशों पर परिषद् ने चुने हुए २० संस्थानों में ३३ विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू करना स्वीकार कर लिया है।

सङ्गपुर-स्थित 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था' का कार्य १९५१ में आरम्भ हो गया। बम्बई की 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था' में विद्यार्थियों को सबसे पहले १९५८ में प्रवेश दिया गया और कानपुर तथा मद्रास में दो संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इन दोनों संस्थाओं में कुल मिलाकर २,००० से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सकेगी।

सङ्गपुर की 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था', दिल्ली के 'अर्थशास्त्र स्कूल', मद्रास विश्व-विद्यालय के 'अर्थशास्त्र विभाग', बम्बई के 'अर्थशास्त्र तथा समाज विज्ञान स्कूल', बंगलौर की 'भारतीय विज्ञान संस्था', कलकत्ता की 'समाज कल्याण तथा कारोबार प्रबन्ध संस्था' तथा बम्बई की 'विक्टोरिया ऊबली प्राविधिक संस्था' में प्रबन्ध-व्यवस्था सम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू किए जा चुके हैं।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से इस्पात, कचरता, बम्बई तथा मद्रास में स्थापित ४ 'प्रादेशिक मुद्रण स्कूलों' से से सम्बन्ध में प्रति वर्ष २०० विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य रखा गया है।

शोधकर्ताओं को व्यक्तिगत सहायता-अनुदान दिए जाने के अनिश्चित विभिन्न विश्व-विद्यालयों तथा संस्थानों के लिए भी ६८० छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है।

'राष्ट्रीय शोध निष्पत्ति योजना' के अधीन ४००-६०० रुपये मासिक की ८० निष्पत्तियों तथा प्रति वर्ष १,००० रुपये के अनुदान के लिए भी व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा

'ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति' के सुझाव पर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के विषय सम्बन्धी सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर

भारत १९५६

शिक्षा परिपक्व' स्थापित की जा चुकी है। परिपक्व ने प्रामाण्य संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए १० संस्थाएँ चुनीं जिन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। ग्राम सेवाओं के डिप्लोमा को विद्ययाविद्यालय की सर्वप्रथम द्वितीय के तमाम ही मान्यता प्राप्त हो चुकी है।

समाज-शिक्षा

समाज-शिक्षा के अन्तर्गत एक पंचसूत्री कार्यक्रम बनाया गया है जिसके उद्देश्य (१) स्फुर्धरता प्रसार, (२) स्वास्थ्य तथा सफाई के नियमों के ज्ञान का प्रसार (३) वय कर्तव्यों के प्रति जनता में जागरूकता को उत्पन्न, (४) नागरिकता को भावना, अधिकारों तथा प्रावश्यकताओं के अनुस्यू स्वस्थ मनोरंजन को प्रोत्साहन देना और (५) समाज तथा ध्यक्ष की करने का उत्तरदायित्व राज्यों पर है, जबकि केन्द्र भागदराने, वित्तीय सहायता तथा समन्वय को व्यवस्था करता है।

उच्च कर्मचारियों को समाज-शिक्षा के कार्य का प्रशिक्षण देने तथा चुनी हुई संस्थाओं पर उपयुक्त शोधकार्य करने के लिए नयी दिल्ली में एक 'राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा के' स्थापित किया गया है।

'केन्द्रीय चलचित्र संग्रहालय' में शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर ४,६७४ चलचित्र स्र्दि हैं जो संग्रहालय की सदस्य शिक्षा संस्थाओं को निःशुल्क दिए जाते हैं। १,०४५ शिक्षा संस्थान तथा सामाजिक संगठन इस संग्रहालय के सदस्य हैं। 'अव्य-दृश्य शिक्षा' शीर्षक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। 'अव्य-दृश्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अव्य-दृश्य फायरुक्तियों की प्रशिक्षण-मोडियों का भी आयोजन करती रहती हैं। एक 'केन्द्रीय अव्य-दृश्य शिक्षा संस्था' स्थापित की जा चुकी है।

विकलांगों की शिक्षा

एक 'राष्ट्रीय परामर्श परिपक्व' सरकार को विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नियोजन सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देती है। उच्चतर शिक्षा अथवा प्राविधिक अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अग्रन्थे, बहरे तथा विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।

देहरादून के 'अग्रन्थे (प्रौढ) प्रशिक्षण केन्द्र' में लगभग १५० अग्रन्थे व्यक्तियों को दल-कारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। अग्रन्थे चालक बालिकाओं के लिए जनवरी १९५४ से मद्रास में चालू है।

अगस्त, १९५० में देहरादून में स्थापित 'केन्द्रीय ब्रेल पुस्तकालय' द्वारा भारतीय भाषाओं में ब्रेल साहित्य प्रकाशित किया जाता है। अग्रन्थे चालक बालिकाओं के लिए जनवरी १९५६ में स्थापित एक स्कूल में किण्डरगार्टन तथा प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। अन्ततोगत्वा इसे माध्यमिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

हिन्दी का विकास

हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिए अब तक निम्न उपाय किए जा चुके हैं :

(१) 'पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्द-रचना मण्डल' द्वारा नियुक्त २३ विशेषज्ञ समितियों ने १,३७,५६० पारिभाषिक शब्दों की रचना की तथा अब तक १४ विषयों की पारिभाषिक शब्दावतियों प्रकाशित की जा चुकी हैं ।

(२) प्राच्यनिक हिन्दी की मूलभूत व्याकरण के अंग्रेजी संस्करण पर राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों से सम्मति माँगी गई है ।

(३) 'हिन्दी परीक्षा पुनर्संगठन समिति' की सिफारिशों पर पुनरीक्षण समिति ने प्रतिवेदन दे दिया है जिस पर 'हिन्दी शिक्षा समिति' विचार करेगी ।

(४) जब तक सरकार देवनागरी लिपि के सुधार के सम्बन्ध में कोई निर्णय करे, तब तक के लिए 'हिन्दी टंकणपत्र (टाइपराइटर) तथा दूरमुद्रक समिति' के प्रतिवेदन को प्रकाशित किए जाने से रोक रखा गया है ।

(५) हिन्दी शीघ्रलिपि की एक प्रामाणिक प्रणाली तैयार की जा रही है जिससे १९६० तक पूरे होने की आशा है ।

(६) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में मण्डलों के माध्यम पर 'हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज' संगठित किए जाने हैं और आगरा का 'अखिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय' हिन्दी में शोध तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य करेगा ।

(७) अहिन्दी-भाषी राज्यों के स्कूलों के पुस्तकालयों को हिन्दी की पुस्तकें दे दी जा चुकी हैं ।

(८) १९५८ में इन्दौर, पटना, बम्बई तथा सरानऊ में हिन्दी में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक साहित्य की प्रदर्शनियाँ की गईं ।

(९) नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा १० खण्डों में हिन्दी विषयकोष के संग्रह का कार्य किए जाने में प्रगति हुई और इसका प्रथम खण्ड शीघ्र ही मुद्रणालय को भेज दिया जाएगा ।

(१०) वनस्पतिशास्त्र तथा रसायनशास्त्र सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थ टप रहे हैं तथा अन्य विषयों के प्रामाणिक ग्रन्थ तैयार किए जा रहे हैं ।

(११) हिन्दी की १४ प्रामाणिक रचनाओं की पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी अनुक्रमणिकाएँ तैयार करने और १६ प्रतिष्ठ लेखकों की रचनाओं के प्रकाशन का कार्य आरम्भ किया जा चुका है ।

(१२) सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से सूचीबद्ध उद्योग, मद्यनीपालन, धातु-कर्म आदि पर विशेष शब्दावतियाँ तैयार किए जाने के लिए सामग्री संगृहीत की जाएगी ।

(१३) हिन्दी-भाषी तथा अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विद्वानों की भाषण यात्राओं के पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है । १९५८ में पटना में अहिन्दी-भाषी राज्यों के हिन्दी अध्यापकों की एक विचार-मोप्टी का आयोजन किया गया ।

(१४) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार तथा हिन्दी अध्यापकों के लिए पुस्तकों आदि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों की अनुदान शिगू गए हैं ।

भारत १९५६

(१५) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में समान रूप से प्रचलित शब्दों की सूचियों के सम्बन्ध में विद्वत्विचारियों से गुप्तार्थ तथा सम्मति पाने की है।

युवक बाल्यापन के क्षेत्र में गुप्त रूप से निम्न परिस्थितियों का उत्तेजित किया जा सकता है : १९५४ से अन्तर्विद्वत्विचारण युवक समारोहों का आयोजन तथा अन्तर्निज समारोहों के लिए विद्वत्विचारणों को गृह्यता का दिया जाना; युवक नैतुष्य प्रशिक्षण शिबिरों का संगठन किया जाना; ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों के लिए युवक यात्राओं के सम्बन्ध में किराए में रियायत तथा वित्तीय गृह्यता का दिया जाना और विचारियों में शरीरधम की प्रतिष्ठा के प्रति भावना पैदा करने के लिए धम तथा सामान्य सेवा योजना का लागू किया जाना, आदि।

शारीरिक शिक्षा

शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद शिक्षा वाले संस्थानों तथा कालेजों के विद्यार्थी के लिए तैयार की गई 'राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन योजना' कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य व्यायामनाताओं तथा अस्वास्थ्यों आदि को सभी प्रकार की गृह्यता देना है। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन परामर्श मण्डल' स्थापित किया जा चुका है।

खेलकूद

- खेलकूद के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं :
- (१) 'प्रखिल भारतीय खेलकूद परिषद्' की स्थापना।
- (२) विभिन्न राज्यों में राज्य खेलकूद परिषदों की स्थापना।
- (३) 'राजकुमारी खेलकूद शिक्षण योजना' के अन्तर्गत देश में १९५३ से भारतीय तथा विदेशी खेलकूद-विशेषज्ञों को देखरेख में शिक्षण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

देश के नवयुवकों में अनुशासन की भावना पैदा करने तथा उन्हें नागरिकता के प्रायः का भलीभांति बोध कराने के उद्देश्य से विस्थापित बालक-बालिकाओं के लिए जुलाई, १९५३ में 'शारीरिक तथा सामान्य सामाजिक शिक्षण योजना', भारतभर की गई। इसका ध्येयार्थ सर्वप्रथम दिल्ली के 'कस्तूरबा निकेतन' में हुआ। यह योजना अन्य कई राज्यों में भी लागू की जा चुकी है। विभिन्न राज्यों में एक लाख से अधिक बालक-बालिकाएँ प्रशिक्षण ले रहे हैं।

नौवाँ अध्याय

सांस्कृतिक गतिविधियाँ

'राष्ट्रीय संस्कृति म्हात्ता' की स्थापना कला तथा संस्कृति का विकास करने और जनता में कला के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। इन उद्देश्यों की पूर्ति सलित कला अकादेमी, संगीत नाटक अकादेमी तथा साहित्य अकादेमी के द्वारा की जाती है। लोगों को उनकी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए राष्ट्र की सेवा में जन-सम्पर्क की कई सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस कार्य में कई महत्वपूर्ण संस्थाएँ भी सक्रिय सहयोग देती आ रही हैं।

कला

सलित कला अकादेमी

१९५४ में स्थापित 'सलित कला अकादेमी' सलित कलाओं के विकास का कार्य करने के प्रतिरिक्त चित्रकला तथा मूर्तिकला आदि के विकास और इनको जीवित बनाए रखने के कार्यक्रम तैयार करती है। इसके प्रतिरिक्त यह प्रादेशिक अथवा राज्तीय अकादेमियों की गतिविधियों में समन्वय भी स्थापित करती है। तत्सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन करने के साथ-साथ यह अन्तर्राष्ट्रिक तथा अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करने में भी सहयोग देती है।

अकादेमी, नयी दिल्ली में प्रति वर्ष 'राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी' का आयोजन करती है जिसको बारी-बारी से विभिन्न राज्यों की राजधानियों में भी व्यवस्था की जाती है। अब तक ऐसी पाँच राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ हो चुकी हैं। अकादेमी ने १९५६ में भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण की २,५००वीं जयन्ती के एक कार्यक्रम के रूप में नयी दिल्ली में एक बौद्धकालीन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जो बाद में वाराणसी, पटना, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में भी संगठित की गईं।

अब तक कनाडा की चित्रकला, हंगरी की लोक कलाओं, चीनी दस्तकारियों, पोलिश कलाओं, समतामयिक जर्मन कला सम्बन्धी प्रदर्शनियाँ संगठित की जा चुकी हैं। रैम्ब्रेण्ट के जीवन तथा उनकी रचनाओं का विभिन्न नगरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। समतामयिक कला के नमूनों तथा अज्ञापयधर की पुरातन वस्तुओं की एक भारतीय प्रदर्शनी का चेको-स्लोवाकिया, हंगरी, यल्गारिया, रूस तथा पोलैण्ड में आयोजन किया गया।

भारत १९५६

अकादेमी द्वारा देश के विभिन्न प्रदेशों की कलाओं तथा दस्तकारियों के लिए जाने वाले सर्वेक्षण के एक कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा चुका है और अब गुजरात के सम्बन्ध में किया जाएगा ।

प्रकाशन

अकादेमी द्वारा अब तक कला सम्बन्धी जितने प्रकाशन हुए हैं, उनमें से 'गुगलकाल चित्र', 'सामयिक चित्र संग्रह', १२ चित्र-पोस्टकार्ड, 'पहाड़ी चित्रकला में कृष्ण कथा' शीर्षक तथा मेवाड़ चित्रकला संग्रह' के प्रकाशन उल्लेखनीय हैं । आगामी प्रकाशन 'कृष्णार्द्र चित्रकला', 'बूंदी चित्रकला' तथा भारतीय काव्य सम्बन्धी चित्रों के संग्रह के सम्बन्ध में होंगे ।

अकादेमी 'ललित कला' नाम की एक अर्धवार्षिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है । सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रकाशन विभाग की ओर से भी कला सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण प्रकाशन हुए हैं ।

राष्ट्रीय कला संग्रहालय

१९५४ में स्थापित 'राष्ट्रीय प्राथमिक कला संग्रहालय' में लगभग १४० कलाकारों की १,७४८ कृतियों का संग्रह है जिनमें सर्वश्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नन्दलाल बोस, अबनोन्द्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय, डी० पी० राय चौधरी, अमृता शेरगिल, मुधोदर खात्सगीर तथा अन्य कई कलाकारों की कृतियाँ सम्मिलित हैं ।

संगीत अकादेमी

नृत्य तथा नाटक

१९५३ में स्थापित 'संगीत नाटक अकादेमी' का मुख्य कार्य देश की विभिन्न कलाओं का सर्वेक्षण तथा उन पर शोध करना, उनका फिल्म तैयार करना और उनके सम्बन्ध में संग्रह आदि का प्रकाशन करना है ।

अकादेमी ने १९५५ में दिल्ली में शास्त्रीय, परम्परागत तथा प्राथमिक गीत-नृत्यों के एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया । १९५८ में भारत की नृत्य कला के सम्बन्ध में एक विचारगोष्ठी का संगठन किया गया । लोक-नृत्य उत्सव यात्रिक गणराज्य दिवस समारोह का एक अभिन्न अंग हो गया है । मणिपुरी शैली के नृत्य का प्रमुख प्रतिष्ठा केन्द्र बनाने के लिए अकादेमी ने इम्फाल-स्थित 'मणिपुर नृत्य कालेज' को अपने अधिकार से लिया है ।

१९५४ में अकादेमी ने एक राष्ट्रीय नाटक समारोह का आयोजन किया जिसमें भारत की लगभग सभी बड़ी भाषाओं के साय-भाष संस्कृत, संस्कृत तथा मणिपुरी में भी नाटक खेले गए । १९५६ में एक नृत्य विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया । अकादेमी संगीत, नृत्य, नाटक तथा चलचित्रों के सम्बन्ध में प्रति वर्ष पुरस्कार देती है ।

आकाशवाणी नाटक

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रीय नाटक कार्यक्रम एक साथ प्रसारित किए जाते हैं।

संगीत

संगीत समारोह

अकादेमी के सत्वावधान में सर्वप्रथम राष्ट्रीय संगीत समारोह १९५४ में दिल्ली में तथा द्वितीय १९५६ में पटना में हुआ।

अकादेमी एक भारतीय संगीत संग्रहालय के निर्माण के लिए प्रमुख शास्त्रीय-संगीतियों के रिकार्ड तैयार करने और पुराने ग्रामोफोन रिकार्डों का संग्रह करने का विचार कर रही है। शोधकार्य की सुविधा के लिए एक 'भारतीय संगीत पुस्तकालय' भी स्थापित किया जा रहा है।

१९५७ में हुई भारतीय संगीतगोष्ठी के अवसर पर कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के प्रमुख संगीतज्ञों ने संगीत शिक्षा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया।

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन

आकाशवाणी के इस नियमित पार्षदिक आयोजन का उद्देश्य जनता में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करना और हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के कलाकारों द्वारा विभिन्न रागों तथा रागिनियों में गायन प्रस्तुत करवाना है। सम्मेलन के साथ-साथ संगीत-गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है जिनमें संगीत के विकास सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार-विनिमय होता है।

विभिन्न कार्यक्रम

१९५२ से आरम्भ आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम का उद्देश्य हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत-कलाकारों के बीच पारस्परिक रूप से कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के प्रति अधिक से अधिक रुचि उत्पन्न करना है। इन कार्यक्रमों में विरगत कलाकार भाग लेते रहते हैं। समय-समय पर लोक संगीत भी प्रसारित किया जाता है।

आकाशवाणी के कई केन्द्र शास्त्रीय तथा लोक संगीत पर आयोजित सरल संगीत तैयार करते तथा उसे प्रस्तुत करते हैं।

कई केन्द्रों में ऐसी व्यवस्था करने का भी विचार किया गया है कि लोक संगीत के रिकार्ड वहाँ पर तैयार किए जाएं जहाँ उनका कार्यक्रम हो रहा हो। लोक संगीत के कृत्रुण रूप कार्यक्रम राष्ट्रीय तथा स्थानीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रसारित किए जाते हैं।

१९५२ में स्थापित आकाशवाणी के राष्ट्रीय वाद्यवृन्द द्वारा वाद्य-संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 'मेघदूतम्', 'कलितकिक्रमम्', 'श्रीनिर्भूल' तथा 'शकुन्तलम्' जैसी रचनाएँ प्रसारित की जा चुकी हैं।

भारत १९५६

साहित्य

साहित्य अकादेमी

१९५४ में स्थापित 'साहित्य अकादेमी' एक राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य भारतीय साहित्य का विकास करना तथा उच्च साहित्यिक मानवण्ड निर्धारित करना, सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन देना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना और उसके द्वारा देना की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ बनाना है।

भारतीय साहित्य की एक राष्ट्रीय ग्रन्थसूची तैयार करना इसका एक प्रमुख कार्य है जिसमें बीसवीं शताब्दी में भारत में प्रकाशित और भारतीय लेखकों द्वारा रचित १५ भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी की साहित्य सम्बन्धी पुस्तकों का जल्लेख रहेगा।

श्री एल० के० दे द्वारा सम्पादित और लिखा गया 'मलयालम साहित्य का इतिहास' रचित 'विक्रमोर्वशी' का आलोचनात्मक संस्करण प्रेष में है।

श्री पी० के० परमेश्वरन नायर द्वारा लिखा गया 'मलयालम साहित्य का इतिहास' प्रकाशित हो चुका है और इसका कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। श्री मुकुन्दर सेन लिखित 'बंगला साहित्य का इतिहास' छप रहा है। सर्वश्री बी० के० बरमा तथा एम० मानसिंह द्वारा लिखित प्रसन्निया तथा उड़िया साहित्य के इतिहास की पाण्डुलिपियाँ भी मुद्रण के लिए भेजी जाने वाली हैं।

सर्वश्री एल०के० दे तथा आर० सी० हावरा द्वारा सम्पादित 'एश्यांतर्जो ग्रॉफ संग्रह' लिटरेचर का प्रथम खण्ड प्रेष में है, जबकि श्री नत्तिनाथ दत्त द्वारा सम्पादित 'संस्कृत में बौद्ध साहित्य' प्रकाशित होने वाला है। पंजाबी काव्य संग्रह, बंगला का संव्यय गीतिकाव्य, गुजराती के एकांकी नाटक, तमिल में भारती की कविताओं का संग्रह तथा मराठी में राजबादे का कव्य-संग्रह प्रकाशित किए जा चुके हैं।

'भारतीय कविता १९५३' शीर्षक एक काव्यसंग्रह प्रकाशित हो चुका है जिसमें १५ मुख्य भाषाओं में लिखित कविताओं तथा तीसरा काव्य-संग्रह (१९५६-५७) छप रहे हैं।

पश्चिम भारतीय तथा कई विदेशी साहित्यिक ग्रन्थों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और ये प्रकाशित भी हो चुके हैं। श्री रवीन्द्रनाथ टागोर की रचनाएं (मूल बंगला) देवनागरी लिपि में छाप सत्रों में प्रकाशित करने के कार्यक्रम अंतर्गत इनका प्रथम खण्ड 'एश्यांतर्जो' शीर्षक से प्रकाशित किया जा चुका है।

एक तक जो अन्य रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें 'कगी-हिन्दी शब्दकोश' तथा 'कपेश्वरी' इतिहास लिटरेचर' मुख्य हैं। भारतीय लेखकों का इतिहास भी तैयार किया जा रहा है।

क्यादेवी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित थोट गुणकों पर प्रति वर्ष पुस्तकार भी

गान्धी साहित्य

१९५६ के प्रारम्भ में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने महात्मा गान्धी के भाषणों, पत्रों तथा लेखों आदि का एक महत्वपूर्ण संग्रह प्रकाशित करने की एक योजना पर कार्य प्रारम्भ किया। १९८४ से १९०८ तक के समय की रचनाओं से युक्त प्रथम दो खण्ड प्रकाशित किए जा चुके हैं। १९१४ के वर्ष तक की सामग्री के संग्रह का कार्य पूरा कर लिया गया है। आने की सामग्री का संग्रह किया जा रहा है।

अन्य साहित्यिक गतिविधियाँ

१९५६ में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। ऐसा कवि सम्मेलन अब प्रति वर्ष होता है जिसमें देश के प्रमुख कवि भाग लेते हैं।

१९५६ में देश के सभी साहित्यिकों का भी एक सम्मेलन बुलाया गया। इस साहित्य-समारोह में समसामयिक भारतीय काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार किया गया। एक दूसरा साहित्य-समारोह १९५७ में हुआ जिसमें समसामयिक भारतीय उपन्यास तथा लघुकथा-लेखन पर विचार-विमर्श किया गया। अप्रैल, १९५८ में हुए तीसरे साहित्य समारोह में समसामयिक नाट्य साहित्य की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

उच्च कौटि के साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा उसे उचित मूल्य पर मुलभ बनाने के उद्देश्य से श्री चिन्तामन द्वारिकानाथ देशमुख की अध्यक्षता में १९५७ में एक 'राष्ट्रीय पुस्तक न्यास' स्थापित किया गया।

यह न्यास शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा विज्ञानेतर विषयों की मान्यताप्राप्त रचनाओं के प्रकाशन का भी कार्य करेगा। इस न्यास के प्रकाशन-कार्य का अधिकार कार्य सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का प्रकाशन विभाग करेगा।

आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास

१९५८-६१ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने एक योजना तैयार की है जिस पर २० लाख रुपये व्यय किए जाने का विचार किया है।

अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क

विदेश सम्पर्क विभाग

केन्द्रीय वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक मामला मन्त्रालय में एक विदेश सम्बन्ध विभाग स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य कलाकारों, विचारियों तथा अध्यापकों आदि के पारस्परिक आदान प्रदान की व्यवस्था करना और प्रकाशनों, प्रदर्शनियों, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा संगार के विभिन्न देशों के साथ सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना है।

१९५८-५९ में जो भारतीय प्रतिनिधिमण्डल अन्य देशों को गए, उनमें थे: सोवियत रूस को गया महिला शिष्टमण्डल तथा एक भारतीयविद्यार्थिता प्रतिनिधिमण्डल; टोकियो में विभिन्न धर्मों के इतिहास के सम्बन्ध में हुए एक सम्मेलन के लिए गया एक ध्यक्तीय प्रतिनिधिमण्डल; नेपाल को गया संगीतज्ञों तथा नर्तकों का एक दल तथा अफगानिस्तान को गया २६ व्यक्तियों का हॉकी-फुटबाल खिलाड़ी तथा संगीतज्ञ और पत्रकारों तथा सरकारी कर्मियों का एक प्रतिनिधिमण्डल और आलोचक; हिन्दी तथा संस्कृत के २ नेपाल से १५ विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमण्डल और जापानी विद्यार्थियों तथा लन्दन की राष्ट्रमण्डलीय संस्था के निदेशक भारत आए।

सांस्कृतिक समझौता

१९५८ में काहिरा में भारत तथा-संयुक्त अरब गणराज्य के बीच एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

अनुदान

विदेशों के साथ निकटतम सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने में लगी विदेश-रिश्त २० से अधिक समितियों तथा संस्थानों को तदर्थ अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता दी गई।

भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद्

भारत तथा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नवम्बर, १९४९ में इस परिषद् की स्थापना हुई। यह परिषद् अपने कार्य में एक स्वतन्त्र संस्था है। परिषद् अंग्रेजी तथा अरबी भाषा में एक-एक प्रस्तावित पत्रिका प्रकाशित करती है। परिषद् कुल्लेभ पाण्डुलिपियों तथा भारत सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों के प्रकाशन और भारतीय प्रकाशकों का विदेशी भाषा में अनुवाद कराने का भी कार्य करती है।

इसका अध्याय

वैज्ञानिक शोध

विज्ञान तथा वैज्ञानिक शोध के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या नीति है, यह १३ मार्च, १९५८ को संसद् के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए एक प्रस्ताव में स्पष्ट कर दिया गया। इस नीति का उद्देश्य विज्ञान तथा सभी प्रकार के वैज्ञानिक शोध को उचित ढंग से प्रोत्साहन देना, उनका विकास करना तथा तत्सम्बन्धी कार्य जारी रखना है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद्

भारत में वैज्ञानिक शोध का काम सरकार के तत्वावधान में मुख्यतः 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद्' और उसके नियन्त्रण में स्थापित विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ अथवा संस्थाएँ करती हैं। परिषद्, शोध संस्थानों में लगे वैज्ञानिकों को सहायता-अनुदान और योग्य व्यक्तियों को प्रावृत्तियाँ देने तथा विज्ञान सम्बन्धी जानकारी के प्रसार का कार्य भी करती है। विदेशों से लौटने वाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा शिल्पियों को प्रत्यायी रूप से काम से लगाने का उत्तरदायित्व भी इसी परिषद् पर है। यह परिषद् देश के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों की सूची रखने की भी व्यवस्था करती है।

परिषद् के सभी कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था मुख्यतः केन्द्रीय सरकार करती है। रीयल्टी तथा प्रकाशनों के विक्रय आदि से होने वाली आय के अलावा परिषद्, राज्य सरकारों तथा अन्य व्यक्तियों से भूमि, भवन तथा धन और उद्योगपतियों से खर्चा भी प्राप्त करती है। १९५८-५९ में परिषद् का आवर्तक व्यय ३.३१ करोड़ रुपये तथा अनुमानित पूंजीगत व्यय १.७८ करोड़ रुपये हुआ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ

स्थापना-प्राप्ति के बाद से परिषद्, देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित कर चुकी हैं जिनका विवरण तालिका सं० ८ में दिया हुआ है।

शोधकार्य का प्रोत्साहन

राष्ट्रपति-अनुदानों की सहायता से अन्य शोध प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिकों को आधारभूत तथा व्यावहारिक शोधकार्य करने और अपने-अपने विशेष ज्ञान

नाम	स्थान
१. केन्द्रीय ईंधन शोध संस्था	जायसपुर
२. केन्द्रीय काँच तथा कुम्हारो-काम शोध संस्था	धनबाद
३. केन्द्रीय लानन शोध केन्द्र	मंगूर
४. केन्द्रीय टाछ प्रौद्योगिकी शोध संस्था	मद्रास
५. केन्द्रीय घर्मे शोध संस्था	भावनगर
६. केन्द्रीय नमक शोध संस्था	हड्डशी
७. केन्द्रीय भेषज शोध संस्था	लखनऊ
८. केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरिंग शोध संस्था	दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)
९. केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरिंग शोध संस्था	पिलानी (राजस्थान)
१०. केन्द्रीय विद्युत् रसायन शोध संस्था	कराइकुडी (मद्रास)
११. केन्द्रीय ताइक शोध संस्था	नयी दिल्ली
१२. केन्द्रीय ताइक स्वास्थ्य शोध संस्था	नागपुर
१३. प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला	हैदराबाद
१४. प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला	जम्मू-तायी (जम्मू तथा कश्मीर)
१५. विज्ञान प्रौद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संघहालय	कलकत्ता
१६. भारतीय जीवरसायन तथा परीक्षणालयक प्रौद्योगिकी संस्था	कलकत्ता
१७. राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला	जमशेदपुर
१८. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	नयी दिल्ली
१९. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला	पुना
२०. राष्ट्रीय धनस्पति-विज्ञान उद्यान	लखनऊ
२१. का' विकास करने के लिए भोरेसाहन प्राप्त होता है। इस समय देश के ३८ से अधिक शोध केन्द्रों में ३१० से अधिक कार्यकर्मी का काम जारी है।	

हाल के कुछ वर्षों से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में मार्गदर्शक संघर्षों के सम्बन्ध में जीव-यन्त्राल के कार्य पर अधिक धन दिया जा रहा है। १९५८ के प्रथम ६ महीनों में ऐसे १६ मार्गदर्शक संघर्ष स्थापित किए गए।

वाणिज्य मण्डलों तथा औद्योगिक संस्थाओं की सहायता से उद्योगों तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच अधिक से अधिक निश्चिन्त सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ।

विज्ञान मन्दिर

सामुदायिक विकास योजनाकार्य-क्षेत्रों में 'विज्ञान मन्दिर' नामक २१ ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं । प्रत्येक केन्द्र में एक प्रयोगशाला और योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं । ये केन्द्र ग्रामीण लोगों में वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करते तथा उन्हें इसके उपयोग की सार्थकता के विषय में समझाते हैं ।

परमाणु शोध तथा आणविक शक्ति

'आणविक शक्ति आयोग' आणविक शक्ति विषयक सभी मामलों के सम्बन्ध में नीति तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है । आयोग का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक कार्य 'आणविक खनिज विभाग' तथा 'आणविक शक्ति प्रतिष्ठान' करते हैं । तत्सम्बन्धी औद्योगिक कार्य 'भारतीय दुर्लभ मूलिका (प्राइवेट) लिमिटेड' तथा 'तिरुवांकुर खनिज (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक संस्थाएँ करती हैं ।

'आणविक खनिज विभाग' भूगर्भ-सर्वेक्षण, खनन तथा खनिज औद्योगिकी का कार्य करता है ।

ट्रॉम्बे-स्थित 'आणविक शक्ति प्रतिष्ठान' में आणविक शक्ति सम्बन्धी शोधकार्य तथा विकासकार्य किया जाता है । प्रशिक्षण की सुविधाओं से युक्त एक प्रशिक्षण स्कूल भी स्थापित किया जा चुका है ।

यह प्रतिष्ठान जीवरसायन, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभागों के अतिरिक्त भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा इंजीनियरिंग सम्बन्धी तीन मुख्य शाखाओं में बंटा हुआ है । प्रत्येक शाखा के विभिन्न विभागों की प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त इस प्रतिष्ठान द्वारा दो जाने वाली अन्य सुविधाओं में भारत की सर्वप्रथम आणविक भट्टी 'अप्सरा'; एक रेडियोरसायन प्रयोगशाला (रेडियोसक्रिय तत्वों के सम्बन्ध में रसायनों (केमिस्ट्री) के प्रशिक्षण की व्यवस्था से युक्त); एक विकास तथा उत्पादन एकाद; एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सेवा (जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि रेडियोसक्रिय सामग्री के सम्बन्ध में प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को आवश्यकता से अधिक क्षति नहीं हो जाती) और पूरेनियम तैयार करने वाला एक संयन्त्र सम्मिलित है । 'अरलीना' नामक एक दूसरी आणविक भट्टी का भी निर्माण किया जा रहा है जो नयी आणविक भट्टियों के अध्ययन तथा आकल्पन की दृष्टि से उपयोगी रहेगी । इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड-भारत आणविक भट्टी का भी निर्माण किया जा रहा है । 'अरलीना' में १९५६ में कार्य प्रारम्भ हो जाएगा और ब्रह्मांड-भारत आणविक भट्टी में १९६० में प्रारम्भ में ।

सड़क-विकास सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का कार्य परिवहन मन्त्रालय के प्रधान 'सड़क संगठन' करता है।

अन्य संस्थान

देश में कई शोध संस्थान निजी तौर पर वैज्ञानिक शोधकार्य में लगे हुए हैं। इनमें से मुख्य हैं : 'बोरचल साहनी प्राचीन धनरपति-विज्ञान संस्था', सएनऊ; 'बोस संस्था', कलकत्ता; 'भारतीय विज्ञान प्रोत्साहन संघ', कलकत्ता; 'भारतीय विज्ञान संस्था', बंगलोर; 'भौतिकविज्ञान शोध प्रयोगशाला', अहमदाबाद तथा 'श्रीराम औद्योगिक शोध संस्था', दिल्ली।

चिकित्सा शोधकार्य

१९१२ में स्थापित 'भारतीय चिकित्सा शोध परिषद्' ने देश में होने वाले चिकित्सा सम्बन्धी शोधकार्यों में समन्वय स्थापित करने में महान योग दिया।

चिकित्सा कालेजों तथा सम्बद्ध अस्पतालों के अलावा देश में कई विशेष अध्ययन वाले संस्थान भी हैं। कलकत्ता की 'अखिल भारतीय स्वास्थ्यविज्ञान तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था' में उन बीमारियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी तथा निरोधात्मक औषधियों के प्रयोग का परीक्षण किया जाता है जो भारत के लिए नयी है। कलकत्ता की 'ऊर्ण कटि-बन्धीय औषधि संस्था' में ऊर्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली बीमारियों के सम्बन्ध में शोधकार्य किया जाता है।

गिण्टी (मद्रास) स्थित 'किंग निरोधात्मक औषधि संस्था' में बंबटोरिया सम्बन्धी रोगों के टीके तैयार किए जाते हैं।

दिल्ली की 'वल्लभभाई पटेल यक्ष संस्था' में क्षय-रोग तथा अन्य यक्ष-रोगों के सम्बन्ध में शोधकार्य होता है। चिंगलपट का 'लेडी विलिंग्डन कोड उपचारालय' तथा संरापेट का 'सिलवर जुबली वाल उपचारालय' मद्रास सरकार द्वारा हस्तगत कर लिए गए हैं और उनके स्थान पर 'केन्द्रीय कोड संस्था' स्थापित कर दी गई है।

बम्बई की हॉफकिन संस्था में बड़े पैमाने पर टीके तैयार किए जाते हैं।

बम्बई के 'भारतीय कंठर शोध केन्द्र' में कंठर के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की जाती है।

बसोली की 'केन्द्रीय शोध संस्था' में जीवरत्तापन घाति की समस्याओं की जांच-पड़ताल की जाती है।

बुन्दूर-स्थित पारतुर संस्था में इन्फ्लुएंजा तथा रेबोज घाति पर शोधकार्य किया जाता है।

कृषि शोधकार्य

१९२६ में स्थापित 'भारतीय कृषि शोध परिषद्' कृषि तथा पशुपालन, दोनों में सम्बन्धित शोधकार्य को प्रोत्साहन देती है।

दिल्ली की 'भारतीय कृषि शोध संस्था' है ।

पुरानो संस्था है ।
 ब्राइजटनगर की 'भारतीय पशु-चिकित्सा शोध संस्था' में पशुओं की बीमारियों तथा उनके उपचार का काम होता है । करनाल की 'राष्ट्रीय दुग्धशाला शोध संस्था' का विकास किया जा रहा है । 'केन्द्रीय चावल शोध संस्था' तथा 'केन्द्रीय आलू शोध संस्था' में क्रमशः चावल तथा आलू सम्बन्धी समस्याओं पर शोधकार्य होता है ।

सात जिम्स समितियाँ—कपास, पटसन, नारियल, तम्बाकू तिलहन, सुपारी तथा साल के सम्बन्ध में शोधकार्य करती हैं । इनकी अपनी-अपनी प्रयोगशालाएँ तथा संस्थान हैं ।

मण्डपम-स्थित 'केन्द्रीय तटवर्ती मछली शोध केन्द्र' में समुद्र-तट पर पाई जाने वाली खाद्य मछलियों की जाँच-पड़ताल की जाती है । कलकत्ता का 'केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली शोध केन्द्र' तालाबों तथा नदियों में पाई जाने वाली (अन्तर्देशीय) मछलियों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करता है ।

ग्यारहवाँ अध्याय

स्वास्थ्य

१९४१-५० में भारत के पुरुषों तथा महिलाओं का जीवनकाल अनुमानतः क्रमशः ३२.४५ वर्ष तथा ३१.६६ वर्ष का रहा। १९४७ से लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में काफी सुधार देखने में आया जो निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :

तालिका ६

	१९४७	१९५६	१९५७
प्रति १,००० व्यक्ति सामान्य मृत्यु-दर	१९७	११.४	१२.१
बाल मृत्यु-दर	१४६	१०८	—
प्रति १,००० व्यक्ति मृत्यु (निम्न कारण से)			
(१) फ्वर	१०.८	४.८	४.८
(२) क्षेचक	०.१	०.०६	०.१६
(३) प्लेग	०.३	—	—
(४) हैजा	०.४	०.०६	०.१६
(५) पेचिस तथा प्रतिसार	०.८	०.६	०.५
(६) दबात सम्बन्धी बीमारियाँ	१.५	०.६	१.१

स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है, किन्तु मलेरिया-नियन्त्रण, फाइलेरिया-नियन्त्रण, परिवार-नियोजन, जन-व्यवस्था तथा सफाई, छूत के रोगों की रोकथाम तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व केन्द्र पर आता है।

रोगों की रोकथाम और नियन्त्रण

मलेरिया

१९५३ में प्रारम्भ किया गया 'राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम' १ अप्रैल, १९५८ से 'राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम' में बदल दिया गया है। यह कार्यक्रम अमेरिका

भारत १९५६

के 'प्राविधिक सहयोग मण्डल' तथा 'विद्यय स्वास्थ्य संगठन' के साथ-साथ राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत को 'मलेरिया संस्था' शोधकार्य तथा कर्मचारियों को मलेरिया-निग्रहण का प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरवायी है। छः प्रादेशिक समन्वयन संगठन स्थापित किए जा रहे हैं जो एक कार्यक्रम निदेशक के अधीन होंगे।
३१-मार्च, १९५८ तक १६.३५ करोड़ व्यक्तियों को मलेरिया से सुरक्षा प्र-
गई और १९० मलेरिया एकक स्थापित किए गए।

फाइलेरिया

१९५४-५५ में आरम्भ किए गए 'राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम' के अन्तर्गत इस रोग के रोगियों को शोधविद्यालयों में भेजे जाते हैं और सहरों तथा गाँवों में मच्छर-विरोधी कार्यवाही की जाती है। राज्यों के लिए प्रावणित ४६ नियन्त्रण एककों में से ३६ का कार्य आरम्भ हो चुका है। २.०८ करोड़ व्यक्तियों के सर्वेक्षण का कार्य अक्टूबर, १९५८ के अन्त तक पूरा हो गया। इस रोग के २०.०४ लाख रोगी व्यक्तियों की चिकित्सा की गई और ७० लाख व्यक्तियों के निवास स्थानों में डोलड्रिन छिड़का गया। एरणाकुलम में इसका एक 'व्यावहारिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र' स्थापित किया जा चुका है और अब तक १०६ निरीक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

क्षय रोग

देश में क्षय-रोग से प्रति वर्ष लगभग २५ लाख व्यक्ति पीड़ित होते हैं जिनमें से लग-
भग ५ लाख व्यक्ति मर जाते हैं।
१९५८ में आरम्भ हुए बी० सी० जी० टी० टी० की रक्षा करना है। इस काम में १६२ करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाए गए।
१९५८ में आरम्भ हुए बी० सी० जी० टी० टी० की रक्षा करना है। इस काम में १६२ करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाए गए।

क्षय-रोग निवारक टुकड़ियाँ लगी हुई हैं जिनमें से प्रत्येक में एक डाक्टर तथा छः विशेषज्ञ हैं। अक्टूबर, १९५८ के अन्त तक ११.६२ करोड़ व्यक्तियों की जाँच की गई तथा जिनमें से लगभग ५.०७ करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाए गए।

नयी दिल्ली, नागपुर, पटना, मद्रास, हैदराबाद तथा त्रिचेन्द्रम में छः केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। दिल्ली की 'बल्लभभाई पटेल घस संस्था' जैसी अन्य कई संस्थाओं तत्समन्वय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 'संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रशिक्षण केन्द्र' स्थापित किया जाएगा।
१९५७ में देश में क्षय-रोग की चिकित्सा सम्बन्धी ७१ स्वास्थ्यलाभ-गृहों; ७६ स्वास्थ्य संगठनों; २३५ उपचारालयों; २०६ बाहरी तथा १८,१५७ रोगीनायकों की ध्वरषा थी।
१९५६ में क्षय-रोग के चिकित्सा संस्थानों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों में १,३०१ चिकित्सक; ८६२ उपचारिकाएँ; १५५ स्वास्थ्य निरीक्षक; १५ सामाजिक कार्यकर्ता; १४२ एन-२ प्राविधिक; ६८ प्रयोगशाला प्राविधिन तथा २,६६६ सामान्य कर्मचारी थे।

क्षय-रोग से मुक्ति पाने वाले व्यक्तियों की देखभाल तथा उनके निवास के लिए देश में १५ देखभाल वस्तियाँ हैं। द्वितीय योजनाकाल में ऐसी ६ वस्तियाँ और बसाने का विचार किया गया है।

सितम्बर, १९५५ में 'भारतीय चिकित्सा शोध परिषद्' के तत्वावधान में प्रारम्भ किया गया देशव्यापी सर्वेक्षण का कार्य मई, १९५८ में पूरा हो गया।

भारत का 'क्षय रोग संघ' सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है जो १९३९ में अपनी स्थापना के समय से वैज्ञानिक तथा समन्वित ढंग से क्षय-रोग-विरोधी कार्यवाही करने में लगा हुआ है।

कुष्ठ रोग

१९५३ में देश में लगभग १५ लाख व्यक्तियों के कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का अनुमान लगाया गया था। असम तथा आन्ध्र प्रदेश, केरल, बिहार, मद्रास तथा मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश तथा बम्बई के कुछ भागों में इसका सबसे अधिक प्रकोप रहता है।

प्रथम योजनाकाल में प्रारम्भ हुई 'कुष्ठ रोग नियन्त्रण योजना' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मद्रास तथा मध्य प्रदेश में ४ उपचार तथा अध्ययन केन्द्र और १० राज्यीय तथा २ संघीय क्षेत्रों में ६३ सहायक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना को कार्यान्वित किए जाने के कार्य की समीक्षा करने तथा तत्सम्बन्धी सुधार सुझाने के लिए फरवरी, १९५८ में एक परामर्श समिति नियुक्त की गई।

विगतपट-स्थित 'केन्द्रीय कुष्ठ अध्ययन तथा शोध संस्था' के दो अस्पतालों में कुष्ठ रोग के रोगियों के उपचार की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में 'हिन्द कुष्ठ नियारण संघ' तथा 'गांधी स्मारक न्यास' भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

यौन रोग

यह अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा मद्रास राज्यों के ५ से ७ प्रतिशत निवासी 'सिफलिस' रोग से तथा आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास तथा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के लोग 'गण्ड' रोग से पीड़ित रहते हैं। इन क्षेत्रों में इनके नियन्त्रण का काम बालू है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में चिकित्सा-वर्माचारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों के मुख्यालयों में ८ यौन रोग उपचारालयों तथा जिलों में ७५ यौन रोग चिकित्सालयों की स्थापना की भी एक योजना सम्मिलित है। १९५७ के अन्त तक ६,०७,१५३ रोगियों की जाँच की गई तथा ८,१४४ रोगियों का उपचार किया गया।

इन्फ्लुएंजा

मुम्बई की पारसुर संस्था में १९५० में एक इन्फ्लुएंजा केन्द्र खोला गया था। इन्फ्लुएंजा के टीके तैयार करने के लिए यहाँ एक कारखाना भी खोला गया है।

भारत १९५६

पर्यटन-रहित 'भारतीय कंगर शोप केंद्र' तथा कलकत्ता-रहित 'पितरंजन राष्ट्रीय कंगर शोप केंद्र' में जांच-पड़ताल का कार्य जारी है। पर्यटकों के डाटा तयारक प्रस्तावों में विक्रिता भी सुविधाएँ प्राप्त हैं।

पोषण तथा गाछ में मिलावट का निवारण भारत में इस सम्बन्ध में १९३५ से होते आ रहे सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारतीय लोगों का भोजन, मात्रा तथा पदार्थों की दृष्टि से प्रभावपूर्ण रहता है। प्रति वयस्क व्यक्ति को प्रति दिन २,५०० से ३,००० कैलोरियों की आवश्यकता होती है, किन्तु एक औसत भारतीय के भोजन में केवल १,७५० कैलोरियाँ ही होती हैं। भारतीय लोगों के भोजन में प्रोटीन, लिपि पदार्थ, एनिज तथा विटामिन जैसे आवश्यक साधन-तत्वों का भी प्रभाव रहता है।

भोजन के स्तर में वृद्धि करना एक प्राथमिक समस्या है जिसका सम्बन्ध भारत की पर्य-व्यवस्था के विकास के साथ है। गर्भवती स्त्रियों, पञ्चाशों, स्कूलों बालकों तथा औद्योगिक मजदूरों जैसे कुछ वर्गों के लोगों के भोजन में पीटिक पदार्थों के प्रभाव की प्रति के लिए कई उपाय किए गए हैं।

भारतीय भोजन के पूरक के रूप में तैयार की गई एक साधन-वस्तु के सम्बन्ध दिल्ली की मजदूर वस्तियों और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा मद्रास के कुछ शहरी तथा प्रमोए क्षेत्रों में जांच-पड़ताल की गई। इस जांच-पड़ताल के फलस्वरूप जो परिणाम प्राप्त हुए, उनसे पता चलता है कि यह साधन-वस्तु प्रत्येक व्यक्ति को प्रति दिन लगभग प्राथी छुट्टी के हिसाब से दी जा सकती है तथा इससे उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है।

पोषण सम्बन्धी नीति 'पोषण परामर्श समिति' पोषण सम्बन्धी नीतियों के विषय में सुझाव दे रहती है।

पोषण सम्बन्धी शोध

राज्यों में प्रादेशिक भोजन तथा पोषण सम्बन्धी सर्वेक्षण किए जाते हैं। 'भारतीय विक्रिता शोप परिषद्' इस सम्बन्ध में शोधकार्य करती है।

इस सम्बन्ध में स्थापित प्रयोगशालाओं ने बलियाँ भारत के उपयुक्त सस्ते तथा सन्तुलित भोजन के लिए पदार्थों की सूची तथा स्कूलों के मध्याह्नकालीन भोजन के सम्बन्ध में एक पुस्तिका तैयार की है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सामान्य पुष्पालय-स्थित विक्रिता निदेशालय तथा खाद्य मन्त्रालय के अपने-अपने पोषण विभाग हैं। नवम्बर, १९५७ में स्वास्थ्य मन्त्रालय ने एक पोषण सलाहकार नियुक्त किया। द्वाभ्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा मसूर में भी पोषण केंद्र हैं।

राज्य में मिलावट का निवारण

'राज्य में मिलावट निवारण अधिनियम, १९५४' तथा इसके अधीन बनाए गए नियम जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण देश में लागू हैं। इसमें अग्राधिकारियों को कड़ा दण्ड दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 'केन्द्रीय राज्य मानक समिति' तथा 'केन्द्रीय राज्य प्रयोगशाला' स्थापित की जा चुकी हैं।

जल-व्यवस्था तथा सफाई

प्रथम योजनाकाल के आरम्भ में ५०,००० तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले १२८ नगरों; ३०,००० से ५०,००० तक की जनसंख्या वाले ६० कस्बों तथा इससे कम जनसंख्या वाले २१० कस्बों में सुरक्षित जल की व्यवस्था थी। कस्बों के लगभग ४.५० करोड़ व्यक्तियों के लिए सुरक्षित जल की ओर ५ करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए मलमूत्र आदि बहाने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

राष्ट्रीय जल-व्यवस्था तथा सफाई योजना

मार्च, १९५८ के अन्त तक शहरी क्षेत्रों के लिए २७५ तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए २०६ जल-व्यवस्था तथा नाली योजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकी थीं। राज्यों की द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण योजनाओं के लिए २८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों की योजना में केन्द्रीय योजना के लिए ३० करोड़ रुपये तथा राज्यों की योजनाओं के लिए २३ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है।

योजना में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी इंजीनियरिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों की सहायता के लिए 'केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन' स्थापित किया जा चुका है।

चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा सेवा

चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा सेवा की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्यों पर ही है। इस सम्बन्ध में कुछ धर्माय संस्थाओं से भी सहायता मिलती है। १९५६ में देश में अस्पतालों तथा दवाखानों की संख्या ६,६३५ थी जिनके द्वारा १३,४४,०३,६०३ व्यक्तियों का उपचार हुआ। इस कार्य पर २३,२६,७२,८२७ रुपये व्यय हुए। १९५७ के अन्त में देश में लगभग ७६,७१६ पंजीकृत चिकित्सक; ८७,७६८ वैद्य, एकीय तथा अन्य प्रकार के चिकित्सक; ३६,७६१ नर्त्याउण्डर; २६,७४० उपचारिकाएँ ३१,४१२ दाइयाँ; ४,०७१ टीका लगाने वाले तथा ३,६७६ दन्त-चिकित्सक थे।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

१ जुलाई, १९५४ से आरम्भ इस योजना से केन्द्रीय सरकार के ४ लाख से अधिक कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की चिकित्सा की सुविधाएँ मिलती हैं। यह योजना केवल

बिली तथा नयी बिली तक ही सीमित है। सरकारों का ध्यान देना पड़ता है। १९५८ में अनुसार ५० नये बिलों से लेकर १२ रुपये तक का धार्मिक धन देना पड़ता है। १९५८ में प्रस्ताव के अंतर्गत ११, १५, ४४४ कार्यकारियों में इतना धन ही लाभ उठाया।

स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य बीमा योजना को सुविधापूर्वक जितने द्वारा 'कार्यकारी राज्य बीमा समिति १९५८' के अंतर्गत औद्योगिक मजदूरों को चिकित्सा-लाभ मिलता है, मानक रंग १३ लाख मजदूरों को प्राप्त है।

'कोयला-दान तथा बांधकाम-दान मजदूरों को 'कोयला दान भ्रम कल्याण निधि' तथा 'बांधकाम दान भ्रम कल्याण निधि' द्वारा संवाहित संस्थाओं से विकसित सम्बन्धी सहायता प्राप्त होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

१९५४ से आरम्भ एक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम योजनाकाल में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों में ६८ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए थे। प्रथम केंद्र से कार्य करने वाले लगभग ६६,००० व्यक्ति लाभ उठाते हैं। सामुदायिक योजनाकार्य-क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले लगभग १,००० केंद्रों के अलावा द्वितीय योजनाकाल में ऐसे लगभग २,००० केंद्र और स्थापित किए जा रहे हैं।

देशी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को प्रथमतः प्रोत्साहन दिया जाए और प्राथमिक चिकित्सा प्रणाली इनसे जो कुछ प्रहल कर सके, करे।

द्वैत समिति

श्री डी० टी० इवे की अध्यक्षता में एक समिति ने १९५६ में सामुदायिक तथा ग्रामीण चिकित्सा प्रणालियों के लिए एक-ते पंचवर्षीय कार्यक्रम तथा होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के लिए समन्वय में समिति ने सामुदायिक तथा ग्रामीण चिकित्सा प्रणालियों के नियमन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय परिषद् स्थापित करने की सिफारिश की। 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद्' ने इस विचार के आधार पर कि वर्तमान में एकसार चिकित्सा प्रणालियों के निर्धारित करना सम्भव नहीं है, राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम द्वैत चिकित्सा प्रणालियों के विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

केन्द्रीय देशी चिकित्सा प्रणाली शोध संस्था

जामनगर-स्थित यह संस्था २४ अगस्त, १९५३ से कार्य कर रही है। इस संस्था में ५० रोगीशय्याओं के एक अस्पताल के अलावा एक फार्मसी, एक संग्रहालय तथा एक रोगविज्ञान शोध प्रयोगशाला भी है। इस संस्था में पाण्डु, ग्रहणी, जलोदर आदि रोगों पर शोधकार्य हो रहा है। १९५६-५७ में इसमें एक 'सिद्ध' विभाग भी स्थापित किया गया।

एकमात्र शिक्षा मानक

देश में प्रायुर्वेदिक तथा पूनानी चिकित्सा प्रणालियों के अध्यापन के लिए ५० से अधिक कालेज तथा स्कूल हैं, किन्तु उनके पाठ्यक्रम आदि भिन्न-भिन्न हैं। 'केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्' ने १९५४ में एक पंचवर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने तथा प्रवेश आदि का निम्नतम मानक निर्धारित करने की सिफारिश की। जुलाई, १९५६ में जामनगर में प्रायुर्वेद का एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया।

देशी चिकित्सा प्रणालियों के नियमन के लिए लगभग सभी राज्यों में राज्यीय मण्डल स्थापित किए जा चुके हैं।

होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली

१९५५ में भारत सरकार ने होमियोपैथी के लिए पांच वर्ष का एक पाठ्यक्रम शोध कर लिया। द्वितीय योजना में वर्तमान ५ दिवसीय संस्थाओं के स्तर में वृद्धि करने का विचार किया गया है। कुछ राज्यों में इस चिकित्सा प्रणाली के नियमन के लिए मण्डल बना दिए गए हैं।

श्रीषधि नियन्त्रण तथा निर्माण

श्रीषधि नियन्त्रण

'श्रीषधि अधिनियम' तथा 'श्रीषधि नियम' जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में लागू हैं। केन्द्रीय सरकार को, अध्यापन को जानने वाली श्रीषधियों की शिष्टियों के सम्बन्ध में जाँच पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है। देश में तैयार की जाने वाली श्रीषधियों के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है।

प्राथमिक शिष्टियों पर परामर्श देने के लिए एक 'श्रीषधि आर्थिक बरामदा मण्डल' की स्थापना कर दी गई है।

सर्वप्रथम 'भारतीय भेषजसंहिता-सारणी' १९५५ में प्रकाशित की गई। 'केन्द्रीय द्रव निर्धारणी समिति' का प्रतिवेदन दृष्ट रखा है।

कलकत्ता-स्थित 'केन्द्रीय श्रीषधि प्रयोगशाला' में श्रीषधियों के अङ्गों की अङ्क-व्युत्पत्ति का कार्य किया जाता है।

श्रीपथि तथा जादू द्वारा उपचार (आपतिजनक सिंहापन) अधिनियम
भारत १९४६

१ अगस्त, १९५५ से लागू हुए इस अधिनियम के अनुसार उन सभी आपतिजनक विद्यापनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिनमें गुप्त रोगों, पायनोलेनक श्लेष्मिषियों तथा नारी रोगों के सम्बन्ध में उपचार का प्रचार किया जाता है। ऐसे विद्यापनों पर धुंगो तथा मास प्रधिकारियों की सहायता से नियन्त्रण रखा जाता है। परिवार-नियोजन की प्रावश्यकता को देखते हुए गर्भनिरोधक श्लेष्मिषियों के सम्बन्ध में विद्यापनों के लिए अनुमति दे दी गई है। अधिनियम लागू होने के समय से अब तक इसका उल्लंघन करने वाले ६७ व्यक्तियों को पकड़ा जा चुका है।

श्रीपथि निर्माण

१९४८ में स्थापित मद्रास के गिण्टी नामक स्थान की बी० सी० जो० टीका प्र. शाला की ओर से १९५८ में नवम्बर के अन्त तक भारत में श्रीपथि-विकेताओं ३६,०२,२४० घ० से० (घन सेण्टीमीटर) पश्चिम (ट्यूबरकुलोस अर्थात् क्षयरोग के कैंटाणुओं से बनाई हुई क्षयरोग की श्रीपथि) तथा बी० सी० जो० के १७,४२,०५१ घ० से० टीके लिए गए और अफगानिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, मलय, तिबापुर तथा श्रीलंका को १६,०४,३०० घ० से० पश्चिम तथा बी० सी० जो० के ७,०१,८७० घ० से० टीके भेजे गए। १९०६ में स्थापित कसौली की 'केन्द्रीय शोध संस्था' में टी० ए० वी०, हैजा, कु के काटने से उत्पन्न होने वाले रोगों की श्रीपथि का कई विप-विरोधी श्रीपथियाँ, वेना की सम्पूर्ण प्रावश्यकता के स्वरूप तैयार की जाती हैं। विपरी-स्थित 'हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (रोगाणुनाशक) लिमिटेड' तथा दिल्ली स्थित डी० डी० टी० कारखाने में उत्पादन-कार्य आरम्भ हो चुका है।

भारत में सिन्कोना की खेती के सम्बन्ध में कई उपाय किए जा चुके हैं। 'बंजानि तथा औद्योगिक शोध परिषद्' तथा 'भारतीय चिकित्सा शोध परिषद्' कुर्गीन के मतेरिया-विरोधी कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल का कार्य कर रही हैं।

बम्बई की हाँफकिन संस्था में गन्धक से बनने वाली श्रीपथियाँ तैयार की जा तया औद्योगिक संसार की सर्वोत्तम श्रीपथियों में होती है। 'इम्पीरियल रसायन उ विरोधी कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल का कार्य कर रही हैं। बम्बई की सर्वोत्तम श्रीपथियों में होती है। 'इम्पीरियल रसायन उ विरोधी कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल का कार्य कर रही हैं। बम्बई की सर्वोत्तम श्रीपथियों में होती है। 'इम्पीरियल रसायन उ विरोधी कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल का कार्य कर रही हैं।

बम्बई की सर्वोत्तम श्रीपथियों में होती है। 'इम्पीरियल रसायन उ विरोधी कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल का कार्य कर रही हैं। बम्बई की सर्वोत्तम श्रीपथियों में होती है। 'इम्पीरियल रसायन उ विरोधी कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल का कार्य कर रही हैं।

बम्बई की सर्वोत्तम श्रीपथियों में होती है। 'इम्पीरियल रसायन उ विरोधी कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल का कार्य कर रही हैं। बम्बई की सर्वोत्तम श्रीपथियों में होती है। 'इम्पीरियल रसायन उ विरोधी कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल का कार्य कर रही हैं।

बम्बई की सर्वोत्तम श्रीपथियों में होती है। 'इम्पीरियल रसायन उ विरोधी कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल का कार्य कर रही हैं। बम्बई की सर्वोत्तम श्रीपथियों में होती है। 'इम्पीरियल रसायन उ विरोधी कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल का कार्य कर रही हैं।

बम्बई की सर्वोत्तम श्रीपथियों में होती है। 'इम्पीरियल रसायन उ विरोधी कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल का कार्य कर रही हैं। बम्बई की सर्वोत्तम श्रीपथियों में होती है। 'इम्पीरियल रसायन उ विरोधी कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल का कार्य कर रही हैं।

देश में इस समय ५० चिकित्सा कालेज और ६ दन्त चिकित्सा कालेज तथा प्राथमिक की चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण देने वाली अन्य संस्थाएँ हैं। द्वितीय योजनाकाल में लुधियाना, कुरुक्षेत्र, कोशीकोड, जबलपुर, जामनगर, नयी दिल्ली, पाण्डिचेरी, पोकानेर, भोपाल, गी तथा हबली में नये चिकित्सा कालेजों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त १३ चिकित्सा कालेजों के विस्तार के लिए भी स्वीकृति दी गई। चुने हुए चिकित्सकों को विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों तथा शाल्य-चिकित्सा का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने लिए १२ चिकित्सा संस्थानों का स्तर ऊँचा किया जा चुका है। प्रथम योजनाकाल में चिकित्सा कालेजों में 'सामाजिक तथा निरोधात्मक चिकित्सा विभाग' खोले गए और ६५५ कालेजों में भी यह विभाग खोले जाने के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

प्रखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्था

संसद् के एक अधिनियम के अनुसार १९५६ में एक 'प्रखिल भारतीय चिकित्सा ज्ञान संस्था' स्थापित की गई जिसका उद्देश्य चिकित्सा सम्बन्धी स्नातकोत्तर शिक्षा देने में त्मनिर्भरता प्राप्त करना है। चिकित्सा कालेज के प्रताया, इस संस्था में एक दन्त-चिकित्सा कालेज, एक उपचारण कालेज, एक स्नातकोत्तर शिक्षण केन्द्र तथा ६५० रोगीशय्याओं वाला ६ अस्पताल है।

विशेष प्रशिक्षण

उपचारिकाओं के प्रशिक्षण की सुविधाएँ नयी दिल्ली तथा येल्लोर के उपचारण कालेजों तथा देश के लगभग सभी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं। भद्राता की प्राग्ध महिला भाँसे बई गैरसरकारी संगठनों ने भी केन्द्र से अनुदान प्राप्त करके उपचारिकाओं के अस्पतालौन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत १,७०० स्वास्थ्य निरोधकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था किए जाने का विचार है।

हायक चिकित्सकों का प्रशिक्षण

१९५४ में स्वीकृत सहायक चिकित्सकों के प्रशिक्षण की एक योजना के अनुसार एक वर्षीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था किए जाने का कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से यह आशा की जाती है कि वे कम-से-कम पाँच वर्षों तक चिकित्सकों के सहायकों के रूप में तथा सरकारी पदों पर कार्य करेंगे।

परिपार-नियोजन

परिपार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा कि योजना आयोग द्वारा बताया जा चुका है : (१) देश की शीघ्र बढ़ती हुई जनसंख्या के कारणों का सही-सही पना लगाना, (२) परिपार-नियोजन के लिए उपाय योजना तथा उपाय व्यापक रूप में प्रचार करना

तथा (३) परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में सरकारी प्रायताओं तथा सार्वजनिक स्थापनाओं द्वारा सलाह दिए जाने की व्यवस्था करना है।

द्वितीय योजना में परिवार-नियोजन के लिए रुपये ४.६७ करोड़ रुपये में से ४ करोड़ रुपये केन्द्र के लिए तथा ६७ लाख रुपये राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसी योजना-काल में २,००० उपचारालय प्रांतीय क्षेत्रों में तथा ५०० उपचारालय शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।

१९५६-५६ में १५० शहरी तथा ६०० प्रांतीय उपचारालय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर २०१ शहरी तथा ४६७ प्रांतीय उपचारालय स्थापित किए जा चुके हैं।

परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्र में एक 'उपस्थापिका परिवार-नियोजन मण्डल' स्थापित किया गया है। ऐसे परिवार-नियोजन मण्डल जम्मू तथा कश्मीर को छोड़ कर दोष सभी राज्यों में भी स्थापित किए जा चुके हैं। जनता के पुस्तिकाओं, प्रदर्शनियों तथा चलचित्रों की सहायता से परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों से अवगत कराया जा रहा है।

शोध

बम्बई में एक 'जनांकिक प्रशिक्षण तथा शोध केन्द्र' स्थापित किया जा चुका है। बम्बई के 'भारतीय कंसर शोध केन्द्र', कलकत्ता की 'प्रखिल भारतीय प्रारोग्य तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था', लखनऊ विद्वद्विद्यालय और लखनऊ की 'केन्द्रीय प्रौद्योगिकी शोध संस्था', कलकत्ता की 'जीवाणुविज्ञान संस्था' और कलकत्ता की 'स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संस्था' शोध संस्था में गर्भनिरोधक प्रौद्योगिकी की जांच-पड़ताल की जा रही है।

बारहवाँ अध्याय

समाज-कल्याण

मद्यनिषेध

संविधान के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह देश भर में मादक पदार्थों तथा द्रव्य-पदार्थों के उपभोग के निषेध के लिए सतत रूप से प्रयत्न करे। दिसम्बर, १९५४ में नियुक्त 'मद्यनिषेध जांच समिति' से मद्यनिषेध के लिए एक कार्यक्रम के सस्वन्ध में सुझाव देने को कहा गया। लोक सभा में एक प्रस्ताव द्वारा ३१ मार्च, १९५६ को समिति को इस मुख्य सिफारिश की पुष्टि की गई कि मद्यनिषेध के कार्यक्रम को देश की विकास योजनाओं का ही एक अनिवार्य अंग बनाया जाए।

१९५७-५८ के अन्त में देश के ३२-३ प्रतिशत भाग में मद्यनिषेध जारी था जिसका प्रभाव देश की ४२.३ प्रतिशत जनसंख्या पर पड़ रहा था। निम्न तालिका में मद्यनिषेध के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रफल और जनसंख्या राज्यों के क्रम से दिखाई गई है :

तालिका १०

मद्यनिषेध वाला क्षेत्र तथा इससे प्रभावित जनसंख्या

राज्य तथा संघीय क्षेत्र	मद्यनिषेध वाला क्षेत्र (वर्ग मील)	मद्यनिषेध से प्रभावित जनसंख्या
असम	३,८४४	१४,६०,०००
आन्ध्र प्रदेश	५६,६६३	२,०४,१०,०००
उड़ीसा	२५,३५०	८१,००,०००
उत्तर प्रदेश	१६,३५०	१,३५,३०,०००
केरल	८,६०७	६६,८०,०००
पंजाब	२,४७१	११,२०,०००
बम्बई	१,६६,६६४	४,५२,५०,०००
मद्रास	५०,१२८	२,६६,७०,०००
मध्य प्रदेश	३०,१२७	५३,४०,०००
संघीय क्षेत्र	४६,२१०	१,५६,६०,०००
राजस्थान	३४	१०,०००
हिमाचल प्रदेश	१,६४८	२,००,०००
योग	४,१७,४७२	१५,१०,६०,०००

योजना आयोग एक अन्तरिम कार्यक्रम बना चुका है। आयोग ने तत्प-तिथि निर्धारित करने तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नीति बनाने का उत्तरदायित्व अत्येक राज्य पर डाला है। आयोग ने निम्न कार्यक्रम अपनाएँ की तिकारिता की है : मादक पदों के उपभोग को मिलने वाले प्रोत्साहन तथा उनके विनापनों पर रोक, सार्वजनिक स्थानों में मद्यपान विषय, क्रमवद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्राविधिक समितियों की स्थापना, सस्ते ः स्वास्थवर्धक पेय बनाने को प्रोत्साहन तथा सामुदायिक विकास खण्डों में मद्यनिषेध प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में स्थान दिया जाना।

प्रगति

जम्मू तथा कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा बिहार को छोड़कर भारत के शेष राज्यों में मद्यनिषेध का क्रमवद्ध कार्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में कार्य आरम्भ किया चुका है और प्राधिकारित राज्यों में मद्यनिषेध का कार्य प्रगति पर है।

आन्ध्र प्रदेश में मद्यनिषेध के प्रशासन का कार्य पुनित विभाग को सौंप दिया गया है। तेलंगाना क्षेत्र में ताड़ी तथा शराब की दुकानें बस्ती वाले क्षेत्रों से हटा दी जाएंगी। असम के कामरूप जिले में मद्यनिषेध की घोषणा कर दी गई है। बम्बई राज्य में शीतल बाद (पूर्व लानदेवा जिले को छोड़कर) तथा नागपुर के क्षेत्र में मद्यनिषेध १ अप्रैल, १९५६ से लागू हो गया। केरल में पुराने तिर्थाङ्कुर-कोचीन राज्य के ६ ताल्लुकों तथा सम्पूर्ण मलाबार जिले में मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है।

मद्रास राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है। उड़ीसा में कटक, कोरापुर, गंगम, पुरी तथा बालासोर जिलों में मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है। पंजाब में रोहतक जिले में पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है और अन्य जिलों में इस सम्बन्ध में उा-किए जा रहे हैं। राजस्थान के विधानमण्डल में 'राजस्थान मद्यनिषेध विधेयक' को शून्य रूप देने के प्रश्न पर शीघ्र ही विचार किया जाना है। उत्तर प्रदेश के ११ जिलों तथा ३ तीर्थ केन्द्रों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया जा रहा है। अद्यमान तथा

संघीय क्षेत्रों में मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। अद्यमान तथा निरन्तर ही प्रगति पर है। दिल्ली में मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू किया जा रहा है।

मादक पदों के निषेध के लिए पोस्टरों, चलचित्रों, पत्र-पत्रिकाओं तथा मद्यनिषेध सप्ताहों के माध्यम से मद्यनिषेध उपयोग का प्रचार किया जा चुका है। मद्रास में अगस्त १९५६ में मद्यनिषेध का प्रारम्भ हुआ था ? अगस्त १९५६ से पूर्ण निषेध कर दिया गया है। भाग में १९६६ से धरत का सम्पूर्ण निषेध कर दिया गया है। ? अगस्त, १९५६ से उत्तर प्रदेश में शीतल की बिबो का निषेध किया जा चुका है। मद्रास में अगस्त १९५६-५७ में मद्यनिषेध का प्रारम्भ हुआ था ? अगस्त १९५६ से पूर्ण निषेध कर दिया गया है। भाग में १९६६ से धरत का सम्पूर्ण निषेध कर दिया गया है। ? अगस्त, १९५६ से उत्तर प्रदेश में शीतल की बिबो का निषेध किया जा चुका है। मद्रास में अगस्त १९५६-

५० में ही गाँजे के गोशाम बन्द कर दिए गए थे। कई राज्यों में गाँजा तथा भाँग के मूल्य बहुत अधिक बढ़ा दिए गए हैं जिससे उनके उपभोग को प्रोत्साहन न मिल सके।

दुर्व्यवहृत लोगों के कल्याण के उपाय

स्त्रियों का अर्नेतिक व्यापार

वेश्यावृत्ति कराने के लिए १८ वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का प्रय-विक्रय करने वालों के लिए 'भारतीय दण्ड विधान' में १० वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने (धारा ३६६ क, ३७२ तथा ३७३) की व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्य से २१ वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को विदेशों से लाने के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके प्रतिरिक्त राज्यों में इस प्रकार के दुराचार को रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

'महिला तथा बालिका अर्नेतिक व्यापार दमन अधिनियम, १९५६' की सभी ध्य-र्याएँ १, मई, १९५८ को सम्पूर्ण देस के लिए लागू कर दी गईं।

ऐसी स्त्रियों के पालन-पोषण के कार्यक्रम के अधीन स्थापित रक्षा-गृहों तथा पूछताछ केन्द्रों का संरक्षण-गृहों के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। इनके प्रतिरिक्त पतिता स्त्रियों के उत्थान तथा उन्हें अर्द्ध नागरिक बनाने के उद्देश्य से राज्यों में कई अन्य संस्थाएँ इस कार्य में लगी हुई हैं। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण संस्थाएँ ये हैं : मद्रास राज्य के 'श्री सदन,' बम्बई का 'ध्यानन्द अनाथ महिलाधर्म,' मद्रास का 'गुड चौकडें होम,' पूना का 'किस्त्रिय होम,' पश्चिम बंगाल का 'कैण्टल होम' तथा 'प्रखिल यंग महिला अनाथालय' और गोरखपुर का 'सुशालबाग मिशन अनाथालय'।

बाल-अपराध

घान्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, तथा मंगूर के राज्यों और दिल्ली के संघीय क्षेत्र में बाल-अधिनियम लागू है। घान्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा मंगूर में 'किशोर बन्दी (बोयटल) स्कूल अधिनियम' भी लागू हैं। १८६७ का 'मुघार विद्यालय अधिनियम' सभी बड़े राज्यों तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में लागू है।

बाल-अपराध की समस्या मुख्यतः राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व में आती है। केन्द्रीय सरकार ने एक पालन-पोषण (रेसभाल) कार्यक्रम लागू किया है जिसके अनुगार राज्यों को सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश मंगूर तथा त्रिपुरा में मुघार विद्यालयों आदि के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

सामान्य शिक्षा के अलावा उपर्युक्त तीनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण, भी दिया जाता है। इनमें से कुछ संस्थाएँ शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले बाल-अपराधियों को उपकरण तथा घन सम्बन्धी सहायता भी देती हैं जिससे वे सीधे हुए व्यवसाय में लग सकें। इन संस्थाओं में अर्द्ध नागरिक बनने की शिक्षा देने के साथ-साथ श्लोकूड और नाटक तथा संगीत आदि की भी शिक्षा दी जाती है।

५० में ही गाँजों के गोशाम बन्द कर दिए गए थे । कई राज्यों में गाँजा तथा भाँग के मूल्य बहुत अधिक बढ़ा दिए गए हैं जिससे उनके उपभोग को प्रोत्साहन न मिल सके ।

दुर्व्यवहृत लोगों के कल्याण के उपाय

स्त्रियों का अनेतिक व्यापार

वेश्यावृत्ति बराने के लिए १८ वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का श्रय-विक्रय करने वालों के लिए 'भारतीय दण्ड विधान' में १० वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने (धारा ३६६ क, ३७२ तथा ३७३) की व्यवस्था की गई है । इस उद्देश्य से २१ वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को विदेशों से लाने के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है । इसके प्रतिरिक्त राज्यों में इस प्रकार के दुराचार को रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं ।

'महिला तथा बालिका अनेतिक व्यापार दमन अधिनियम, १९५६' की सभी व्यवस्थाएँ १, मई, १९५८ को सम्पूर्ण देा के लिए लागू कर दी गईं ।

ऐसी स्त्रियों के पालन-पोषण के कार्यक्रम के अधीन स्थापित रक्षा-गृहों तथा प्रौद्योगिक केन्द्रों का संरक्षण-गृहों के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है । इनके प्रतिरिक्त पतिता स्त्रियों के उत्थान तथा उन्हें अच्युत नागरिक बनाने के उद्देश्य से राज्यों में कई अन्य संस्थाएँ इस कार्य में लगी हुई हैं । इनमें से अधिक महत्वपूर्ण संस्थाएँ ये हैं : मद्रास राज्य के 'स्त्री सदन,' बम्बई का 'भद्रानन्द धनाथ महिलाश्रम,' मद्रास का 'गुरु शंकरदेव होम,' पूना का 'क्रिस्चियन होम,' पश्चिम बंगाल का 'कैण्टल होम' तथा 'अखिल बंग महिला धनायालय' और गोरखपुर का 'क्षुद्रालयाग मिशन धनायालय' ।

बाल-अपराध

ग्राम्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, तथा मंगूर के राज्यों और दिल्ली के संघीय क्षेत्र में बाल-अधिनियम लागू है । ग्राम्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा मंगूर में 'किशोर बन्दी (बोस्टल) स्कूल अधिनियम' भी लागू है । १८६७ का 'मुधार विद्यालय अधिनियम' सभी बड़े राज्यों तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में लागू है ।

बाल-अपराध की समस्या मुख्यतः राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व में आती है । केन्द्रीय सरकार ने एक पालन-पोषण (देवभाल) कार्यक्रम लागू किया है जिसके अनुसार राज्यों को सहायता दी जाती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश मंगूर तथा त्रिपुरा में मुधार विद्यालयों आदि के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है ।

सामान्य शिक्षा के अलावा उपर्युक्त तीनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण, भी दिया जाता है । इनमें से कुछ संस्थाएँ शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले बाल-अपराधियों को उपकरण तथा धन सम्बन्धी सहायता भी देती हैं जिससे वे सीखे हुए व्यवसाय में लग सकें । इन संस्थाओं में अच्युत नागरिक बनने की शिक्षा देने के साथ-साथ खेलकूद और नाटक तथा संगीत आदि की भी शिक्षा दी जाती है ।

'बृहत् प्रविद्या संज्ञिता' की वृद्धि में प्राचाया विरतनं धारो तथा भीम धारिनें धारो, शोनी हो एक तगाल है। शोनी को धारा ५५ (१) (ग) तथा धारा १०६ (ग) के अन्तर्गत बंधनें की व्यवस्था की गई है। १५ फरवरी, १९५१ से एक बालून द्वारा रेल स्टेशन के प्राचाया भीम धारिनें का निर्बंध किया जा चुका है। कुछ राज्यों में गार्जन्टिक रधानों में भी धारिनें पर शेरु तगालिनें के कई विधेय धारिनिधम धारि किणु जा चुके हैं। अन्य राज्यों में शरुधम में नगरधारिना तथा पुलित निधम लागू किणु जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मंगूर राज्यों में ऐसी कई संस्थाएँ हैं जो भिगारिधों की धरुधु धर उनही देसभात धरती तथा उनके पुनर्धारा तथा पुलित निधम देती हैं। नयी दिल्ली में एक मार्गदर्शक 'धारात गृह से प्रत्येक राज्य में एक भिगारी-गृह है। केन्द्रीय देसभात धार्यधम' के अन्तर्गत भिगारी-गृहों की स्थापना के लिए प्रविधारण केन्द्र' है।

केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल अगस्त १९५३ से धीमती दुर्गाधार्ड देसधुण की धारधारा में स्थापित 'केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल' एक स्थापनासो संस्था है जिधारे द्वारा समाज-कल्याण सधन्धो धार्यो की प्रोत्साहन देनें की वृद्धि से स्वीधरुधरु समाज-सेवा संगठनों को सहायता-धनुधारा धिए जाते हैं। इस धार्य के लिए प्रथम योजना में ५ करोड़ रु० की धव्यस्था की गई है। यह मण्डल नये कल्याण-धार्यो के लिए योजना में १५ करोड़ रु० की धव्यस्था की गई है। यह मण्डल नये कल्याण-धार्यो के लिए उत्तरधारी धारिनें की सम्भाधना तथा धारधरुधरुधरु के सधन्धम में भी धानधारी करनें के लिए उत्तरधारी है। मण्डल धरुधनी स्थापना के समय से धरुधरु तथा ६५६ संस्थाओं को धारिक सहायता-धनुधारा देनें के लिए १,३६,३५,००० रुपये तथा ६५६ संस्थाओं के लिए दीर्घकालीन धनुधाराओं के रूप में १,११,६३,००० रुपये के लिए स्वीधृति दे चुका है।

कल्याण-विस्तार योजनाकार्य

१५ अगस्त, १९५४ को कल्याण-विस्तार योजनाकार्य के अन्तर्गत लगभग २०,००० की लिए एक बड़ी योजना धाररुधम हुई। प्रत्येक योजनाकार्य के अन्तर्गत लगभग २०,००० की जनसंख्या के २५ गाँव धारते हैं। अगस्त, १९५४ से दिसम्बर १९५८ तक ऐसे ५४० कल्याण-विस्तार योजनाकार्य तथा २,०२३ केन्द्र स्थापित किए गए। इनके अन्तर्गत ८६ लाख की जनसंख्या के ६,६६५ गाँव धारए तथा इन पर ६३,८०० लाख रुपये का कुल धव्य धुधारा। अगस्त, १९५७ से दिसम्बर, १९५८ तक समन्वित कल्याण-विस्तार योजनाकार्यो के अन्तर्गत ७८ योजनाकार्य तथा २,०६३ केन्द्रों का कार्य धाररुधम किया गया। इनके अन्तर्गत ३७ लाख की जनसंख्या के ७,८०० गाँव धारते हैं। धनुधारा है कि द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक ऐसे ६६० योजनाकार्य तथा ६,६०० केन्द्र स्थापित किए जा चुकेंगे जिनके अधीन ५.७६ करोड़ की जनसंख्या के ६६,००० गाँव धार जाएंगे। इन योजनाकार्यो के धार्यधम में धारकी

तथा महिलाओं का कल्याण-कार्य और विकलांगों तथा बाल-अपराधियों की सेवा सम्मिलित है। इनके अन्तर्गत बालवाइयों, मातृ-कल्याण गृहों, दिव्यु-स्वास्थ्य सेवाओं, समाज शिक्षा, दस्तकारी के केन्द्रों तथा मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

इन कल्याण-कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रत्येक योजनाकार्य-क्षेत्र में 'कार्य-संचालन समिति' उत्तरदायी होती है। प्रत्येक योजनाकार्य में पाँच-पाँच गाँव के ४ अथवा ५ केन्द्र होते हैं। प्रत्येक केन्द्र, एक ग्राम-सेविका के अधीन होता है जो एक दाई तथा एक कारीगर की सहायता से कार्य करती है।

१ अप्रैल, १९५७ से मण्डल ने सामुदायिक विकास षण्डों में महिलाओं तथा बालक-पालिकाओं के कल्याण का सम्पूर्ण कार्य स्वयं सम्हाल लिया है।

इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक २,२७४ ग्राम-सेविकाएँ तथा २१६ दाइयाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी थीं और ६६६ ग्राम-सेविकाएँ तथा ६० दाइयाँ प्रशिक्षण ग्रहण कर रही थीं।

शहरी परिवार कल्याण योजनाएँ

शहरी-कल्याणकार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक 'शहरी परिवार कल्याण योजना' धारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत औद्योगिक सहकारी संस्थाओं का संगठन किया जा रहा है जिससे चुने हुए शहरी क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित किए जा सकें। ऐसे ५ एककों का कार्य जिनसे २,५०० परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, दिल्ली, पूना, विजयवाड़ा तथा हैदराबाद में धारम्भ हो चुका है। द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक ऐसे २० एकक स्थापित किए जाने का उद्देश्य रखा गया है।

अन्य कार्य

प्रत्येक राज्य के लिए ५ कल्याण-गृहों के आधार पर देश में ८० कल्याण-गृह तथा प्रत्येक जिले में १ रक्षा-गृह के हिसाब से देश में ३३० बाल-रक्षा गृह स्थापित करने का विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है।

शेष द्वितीय योजनाकाल में कार्यान्वित किए जाने के लिए समाज-विकास के कई नये कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। इनमें शहरी क्षेत्रों में १०० बड़े कल्याण-विस्तार योजना-कार्यों की स्थापना, २५ से ३० वर्ष तक की महिलाओं की शिक्षा की न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की सुविधाएँ देने, प्रमुख औद्योगिक नगरों में व्याधयहीन मजदूरों के लिए १०० रात्रिबालीन व्याधयगृह स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने तथा 'ग्रामदान' वाले गाँवों में व्याधयक कल्याण सेवाओं की व्यवस्था करने के कार्य सम्मिलित हैं।

तेरहवाँ अध्याय

सहायता तथा पुनर्वासि

१९५८ के अन्त तक पाकिस्तान से भारत आए ८८.५७ लाख विस्थापित व्यक्तियों से ४७.४० लाख व्यक्ति पश्चिम पाकिस्तान से तथा शेष पूर्व पाकिस्तान से आए। पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासि का कार्य १९५६-६० के अन्त तक पूरा हो जाएगा और पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासि का कार्य द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक पूरा हो जाएगा। विस्थापित व्यक्तियों को सहायता तथा पुनर्वासि के रूप में मार्च, १९५६ के अन्त तक सरकार ने जो सहायता दी है, वह निम्न तालिका में दिखाई गई है :

तालिका ११
विस्थापित व्यक्तियों पर हुजरा व्यय*

	(करोड़ रुपये)	
	पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों पर	पूर्व पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों पर
अनुदान	८४.१८	६६.१२
ऋण	२५.६३	३८.१०
भावाप्त	६०.६८	३४.७०
संस्थापन	२.१६	०.५७
पुनर्वासि वित्त प्रमाणन द्वारा दिए गए ऋण (३१-१२-५८ तक)	७.६३	४.२७
विविध	०.०१	—
दशकारण्य योजना	—	१.३०
योग	१८१.६२	१४८.०६

* धानिपूति छोड़कर

पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति

३१ मार्च, १९५८ तक पूर्व पाकिस्तान से आए ४१,१७ लाख व्यक्तियों में से २.०७

लाख व्यक्तियों को १९५८ के अन्त तक भी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा त्रिपुरा के जिलों में आश्रय प्राप्त हो रहा था। ५८,००० निराश्रित विस्थापित महिलाओं, बालक-बालिकाओं, बूढ़ों तथा अनाथ व्यक्तियों को पूर्वी क्षेत्र के आश्रयगृहों में देखभाल की जा रही थी। पश्चिम बंगाल के जिले जुलाई, १९५६ के अन्त तक बन्द कर दिए जाएंगे।

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के जिलों से क्रमशः ४५,७३,६३१ तथा लगभग ४७,१०० विस्थापित परिवार पुनर्वास वाले स्थानों को ले जाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में अब तक २,९५६ परिवारों को बसाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश तथा मणिपुर में विस्थापितों के पुनर्वास के कार्यक्रम लगभग पूरे हो चुके हैं। असम तथा त्रिपुरा में क्रमशः लगभग ७५,००० तथा ५३,००० परिवारों को पुनर्वास सम्बन्धी सहायता दी जा चुकी है।

१९५८ के अन्त तक शहरी क्षेत्रों में गृहनिर्माण-श्रृंखला के रूप में विस्थापित व्यक्तियों के लिए १ करोड़ ४३ लाख १४ हजार रुपये स्वीकार किए गए। १९५८ में ४६.८८ लाख रुपये के कारोबार सम्बन्धी श्रृंखला तथा ४.३६ लाख रुपये (असम में) की आवास सम्बन्धी सहायता दी गई।

१४० अनधवासी बस्तियों को नियमित करार देने के लिए चुन लिया गया है जिनमें से ८,५४० परिवारों से बनी बस्तियाँ नियमित करार दी जा चुकी हैं। शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के विकास के लिए ३ करोड़ १५ लाख ४२ हजार रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

जून, १९५८ तक ३६,००० व्यक्तियों ने विभिन्न कला तथा दस्तकारियों का प्रशिक्षण प्राप्त किया और लगभग ६,००० व्यक्ति प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। २.२८ करोड़ रुपये के व्यय से १०० से अधिक प्रशिक्षण योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। सेवा नियोजन केन्द्रों (कामदिलाऊ दफतरो) की सहायता से अब तक लगभग २.१३ लाख विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार में लगाया जा चुका है। मध्यम पैमाने के उद्योगों के विस्तार अथवा स्थापना के लिए २३ योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है जिन पर २.६६ करोड़ रुपये व्यय होंगे और जिनसे लगभग १२,००० व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। जनवरी, १९५६ तक छोटे पैमाने अथवा कुटीर उद्योगों की १२६ योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिनसे १४,००० विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

भारत के पूर्वी भाग में विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए १,५६० प्राथमिक स्कूल, २२ माध्यमिक स्कूल तथा २१ कालेज स्थापित किए जा चुके हैं।

दण्डकारण्य योजना

दण्डकारण्य योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर ८०,००० वर्ग मील क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। 'दण्डकारण्य विकास प्राधिकारी

भारत १९५१

गांधी' स्थापित की जा चुकी है। १९५१-५० में सरकारों के निर्णयों के लिए ५५,००० एकर भूमि ताक करने की व्यवस्था की जा रही है। पश्चिम बंगाल के निर्धारों में निर्धारित होने वाले लगभग २५,००० एकर भूमि, १९५१ तक सही बना दिए जाएंगे।

पुनर्वास उद्योग विभाग

देश में ५ करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने पूर्व वास्तविकता से ब्यापक भूमि को रोजगार में लाने के लिए एक 'पुनर्वास उद्योग विभाग' स्थापित किया जाएगा।

पश्चिम पाकिस्तान से ब्यापक विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार पर विशेषता भूमि की गई और ३३,००० एकर भूमि पर 'स्थायी अधिकार' दे दिए गए। २२,५२५ मजदूरों के स्वामित्व में १९,११,७१८ एकर भूमि पर 'स्थायी अधिकार' भी दिए गए। ८२,५२५ मजदूरों के स्वामित्व में १९,५८ के घन तक लगभग २.०२ साल विस्थापितों को रोजगारों तथा व्यापार-कार्य में सहायता दी जा चुकी है जिन पर २.०७ करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

विस्थापित विधायकों को शिक्षा संस्थानों को भी ३६.५८ लाख रुपये के अनुदान दिए गए। इसी सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भी ३६.५८ लाख रुपये के अनुदान दिए गए। ५६ लाख रुपये दिए गए। ५१,१५६ व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के प्रयास में १।

अन्य सहायता-कार्य

संस्कृतकालीन सहायता संगठन
बाढ़, अकाल तथा भूकम्प आदि के समय में सहायता पहुंचाने के लिए लगभग ४ राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में देशव्यापी 'संस्कृतकालीन सहायता संगठन' स्थापित किए जा चुके हैं जिनके उद्देश्य हैं:

- (१) अनुभवों कर्मचारियों द्वारा ही सहायता-कार्य किए जाने की व्यवस्था;
- (२) 'अपनी सहायता स्वयं करो' के सिद्धान्त का प्रसार ताकि बाहरी सहायता कम से कम ली जाए;

- (३) समाज-बल्याण में रुचि रखने वाली संस्थाओं को सहायता-कार्य करने दिया जाए; तथा
- (४) जिला तथा स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार तथा भारत सरकार अपने-अपने क्षेत्र में इन सब कार्यों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण करें।

संगठन का कार्य केन्द्रीय, राज्यीय तथा जिला स्तर पर होगा। 'केन्द्रीय संकटकालीन सहायता संगठन' के एक प्रांग के रूप में नागपुर में एक 'केन्द्रीय संकटकालीन सहायता प्रशिक्षण संस्था' स्थापित की जा चुकी है।

प्रधानमन्त्री का राष्ट्रीय सहायता कोष

नवम्बर, १९५७ में स्थापित 'प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष' में से देवी विपत्तियों से पीड़ित लोगों को सहायता पहुँचाने में अब तक १.८२ करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। पाकिस्तान से भाए विस्थापित व्यक्तियों को भी इस कोष में से समय-समय पर सहायता दी जाती रही।

चौदहवाँ अध्याय

अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित आदिमजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग

संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों को, विशेष रूप से अथवा नागरिकों के सामान्य अधिकारों के रूप में, रक्षा के लिए व्यवस्था निहित है। सुरक्षा को ये व्यवस्थाएँ निम्न हैं :

- (१) 'प्रस्पृश्यता' निवारण तथा इसको किसी भी प्रकार से व्यवहार में लाए जाने का निषेध (अनुच्छेद १७),
- (२) इन वर्गों के आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी हितों की रक्षा करना तथा इन्हें सामाजिक अत्याय तथा शोषण से बचाना (अनुच्छेद ४६),
- (३) सार्वजनिक हिन्दू धार्मिक स्थानों का द्वार सभी वर्गों के हिन्दुओं के लिए खोल (अनुच्छेद २५),
- (४) दुकानों, उपाहारगृहों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, कुश्रों, तालाबों तथा तड़कों आदि के उपयोग के सम्बन्ध में शोषण गई अमानता दूर करना (अनुच्छेद १५),
- (५) कोई भी व्यवसाय अथवा अथवा अपनाते हुए प्रधिकार होना (अनुच्छेद १६)
- (६) सरकार द्वारा अथवा अथवा सहायता से चलाए जाने वाले शिक्षा संस्था में इन वर्गों के बच्चों के प्रवेश पर कोई रोक न लगाने देना (अनुच्छेद २६),
- (७) सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के सम्बन्ध में इनके हितों का ध्यान रखना (अनुच्छेद १६ तथा ३३५),
- (८) संसद् तथा राज्याय विधानमण्डलों में इस वर्गों के लिए इनको विशेष प्रतिनिधित्व देना (अनुच्छेद ३३०, ३३२ तथा ३३४),
- (९) इनके हितों की सुरक्षा तथा इनके कल्याण-कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों में परामर्श परिषदें तथा श्रम विभाग खोलना और केन्द्र में एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करना (अनुच्छेद १६४, ३३८ तथा ३३९) और (अनुसूचितों) और (अनुसूचितों) की प्रशासन तथा नियन्त्रण के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद २४४ और २४५) तथा अनुसूचित आदिमजातियाँ सूची (संगोपन) आदेश, १९५६ के अन्तर्गत संगोपित सूची के अनुसार देना में इन समय अनुसूचित जातियों

के ५,५३,२७,०२१ तथा अनुसूचित आदिमजातियों के २,२५,११,८५४ व्यक्तियों के होने का अनुमान लगाया गया है। अधिसूचित आदिमजातीय लोगों की संख्या लगभग ४० लाख और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची भारत के महा-अपराधीकार के कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार की जा रही है।

अस्पृश्यता निवारण के उपाय

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५

इस अधिनियम, द्वारा जो १ जून, १९५५ को लागू हुआ, अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना-स्थल में जाने से रोकना, तालाब, कुएँ अथवा सोने से पानी लेने से रोकना तथा मन्दिर में पूजा-पाठ करने से रोकना बर्जनीय है। सामाजिक अन्तर्ताएँ लगाने के सम्बन्ध में भी दण्ड देने का विधान रखा गया है। कोई भी व्यवसाय अथवा अथवा अथवा किसी भी नौकरी के मामले में अन्तर्ताएँ लगाने वाले व्यक्ति को भी इस अधिनियम के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है।

इस अधिनियम में किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर कि वह हरिजन है, सामान बेचने अथवा उसकी सेवा करने से इन्कार करने वाले को भी दण्ड देने की व्यवस्था की गई है।

अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन

१९५४ से भारत सरकार अस्पृश्यता-उन्मूलन आन्दोलन में प्राथिक सहायता देती आ रही है। इन कार्य के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं, दोनों का उपयोग किया जा रहा है। जनता का इस ओर ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से लगभग सभी राज्यों में 'हरिजन दिवस' तथा 'हरिजन सप्ताह' मनाए जाते हैं। अधिकांश राज्यों में 'अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५' की व्यवस्थाएँ लागू करने के लिए अधिकांश राज्यों में छोटी समितियाँ नियुक्त की जा चुकी हैं।

अस्पृश्यता-विरोधी कार्य में 'हरिजन सेवक संघ', 'भारतीय इतिहासिक संघ' तथा एनाहाबाद के 'हरिजन आश्रम' जैसे स्वैच्छिक संगठनों से भी सहयोग तथा सहायता प्राप्त हुई है। प्रथम योजनाकाल में इन संगठनों का सहायता-अनुदान के रूप में ६१,५०,७६६ रुपये प्राप्त हुए जिनमें से केन्द्र ने १४,७७,२०० रुपये दिए। द्वितीय संवत्सरीय योजनाकाल में इन कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता देने के लिए केन्द्र तथा राज्यों से कुछ अतिरिक्त लगभग २.०८ करोड़ रुपये व्यय करने का मस्य रखा गया है। द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों की स्वयंसेवी अथवा भारतीय संस्थाओं को १०,६८,३०० रुपये के अनुदान दिए।

विधानमण्डलों में प्रतिनिधित्व

विधान के अनुच्छेद ३३०, ३३२ तथा ३३४ के अनुसार राज्यों की अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों की जनसंख्या के अनुपात से इन लोगों के लिए सीटें तथा

राज्यीय विधान सभाओं में संविधान लागू होने के बाद से १० वर्षों की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं।

इस समय संसद् तथा राज्यीय विधानमण्डलों के सदस्यों में अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिमजातीय सदस्य क्रमशः ७६ तथा ३१ और ४७० तथा २२१ हैं।

सेवाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त होने की स्थिति में सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखने तथा प्रशासन की कार्यकुशलता को स्थिर रखते हुए इन वर्गों के अधिकारों पर विचार करने का कर्तव्य सरकार किंतु प्रकार निम्नोक्त है, यह सरकार पर ही छोड़ दिया गया है जिसके लिए उसे लोक सेवा आयोगों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है [अनुच्छेद ३२० (५)]।

२६ जनवरी, १९५० को केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि जिन वर्गों के नियुक्तियाँ सुली प्रतियोगिता द्वारा देवग्यापी आघार पर की जानी हैं, उनमें १२½ प्रतिशत स्थान तथा जो नियुक्तियाँ अन्य प्रकार से की जानी हैं, उनमें से १६½ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे जाएँ। अनुसूचित आदिमजातियों के लिए दोनों स्थितियों में ५-५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाएँ।

सेवाओं में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व रखने की दृष्टि से निम्न रियायतें दी गई हैं :

(१) आयु-सीमा में छूट; (२) अर्हताओं के मानदण्ड में रियायत, (३) कार्यकुशलता के न्यूनतम स्तर के आघार पर अर्हताओं के मानदण्ड में सम्बन्ध में जहाँ आवश्यक है, तर्जिमा प्रदान किया जाना। यदि सुरक्षित स्थानों के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिमजाति पुरोसार्थ पास करने से भिन्न तरीके से होती हो, कम से कम 'निचली थैली' में सम्मिलित करीबी पदों पर ही कोई पद अरक्षित माना जा सकेगा।

अथवा अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित माने जाएँगे। इन दोनों जातियों के व्यक्तियों में से उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर ही कोई पद अरक्षित माना जा सकेगा।

सरकार द्वारा जब कि कोई पद अरक्षित माना जा सकेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के २,०५,००० व्यक्ति भारत सरकार के पदों पर नियुक्त हैं। सेवा नियोजन अधिकारियों के अधिकार १९५७ में ऐसे ३२,७६० व्यक्तियों को रोकथाम दिलाया गया।

अनुसूचित तथा आदिमजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

देशी प्रजा के उपकरणों के अनुसार एक प्रादेशिक परिषद् तथा संयुक्त प्राची-जर्मिया प्रदेशों, गारो पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, उत्तर कर्णाट पहाड़ियाँ तथा मिजोर पहाड़ियाँ

जिलों में पांच जिला परिषदें स्थापित कर दी गई हैं। प्रत्येक जिला परिषद् में अधिक से अधिक २४ सदस्य होते हैं जिनमें से तीन-चौपाई सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं।

अन्य राज्यों में आदिमजाति परामर्श परिषदें

संविधान की पाँचवी अनुसूची में उन राज्यों में आदिमजाति परामर्श परिषदों की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उन राज्यों में भी ऐसी परिषदें स्थापित की जा सकती हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र तो नहीं हैं परन्तु अनुसूचित आदिमजातियाँ निवास करती हैं। अब तक कई राज्यों में ऐसी परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। ये परिषदें अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण विषयक मामलों पर राज्यपालों को सलाह देती हैं।

कल्याण तथा परामर्श संस्थाएँ

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति सम्बन्धी आयुक्त

संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अनुसार संविधान में की गई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था को जीवन्मुक्त करने तथा इनकी कार्यरूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस समय अन्य १० सहायक आयुक्त प्रधान आयुक्त की सहायता करते हैं।

केन्द्रीय परामर्श मण्डल

आदिमजातीय क्षेत्रों के विकास और अनुसूचित आदिमजातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी मामलों में संसद् के सदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने दो केन्द्रीय परामर्श मण्डल स्थापित किए हैं : (१) आदिमजातियों के कल्याण के लिए तथा (२) हरिजनों के कल्याण के लिए। ये मण्डल इन वर्गों के कल्याण सम्बन्धी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देते हैं।

राज्यों के कल्याण विभाग

संविधान के अनुच्छेद १६४ (१) में इस बात पर जोर दिया गया है कि उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश में एक-एक मन्त्री के अधीन कल्याण विभाग स्थापित किए जाएँ। इन राज्यों के अलावा असम, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मणिपुर, मद्रास, मसूर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में भी कल्याण विभाग स्थापित किए जा चुके हैं।

कल्याण योजनाएँ

अनुच्छेद ३३६ (२) के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों को उनकी अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए

विदेशों के गतनी हैं। अनुसूचक २०४ (१) के अनुसार केन्द्र द्वारा इन वर्गों के कल्याण की स्वीकृत योजनाओं के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए राशियों के गठानना-अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है।

शिष्टा सम्पत्ती सुविधाएँ

निम्न की अधिकांश से अधिकांश सुविधाएँ देने के लिए उपाय किए जा चुके हैं जो व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रतिशाला पर ही अधिकांश हो दिया जा रहा है। भारत सरकार ने १९६०-६१ में अनुसूचित जातियों के विद्यालयों को दायवृत्ति देने की एक योजना प्रारम्भ की। १९६०-६१ में अनुसूचित जातियों के विद्यालयों को तथा १९६१-६२ में विदेशों के विद्यालयों को भी यह लाभ दिया जाने लगा। १९५७-५८ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य विदेशी वर्गों के लोगों पर सरकार ने क्रमशः १ करोड़ २७ हजार रुपये, १८६७ लाख रुपये तथा ८२.१६ लाख रुपये व्यय किए।

भारत सरकार ने १९५२-५४ में इन वर्गों के शोध विद्यालयों की विदेशों में अध्ययन के लिए भी दायवृत्ति देने की एक योजना प्रारम्भ की। प्रथम तथा विहार राज्य सरकारों विदेशी जातियों के विद्यालयों को विदेशों में अध्ययन के लिए भी दायवृत्ति देती हैं। केन्द्रीय सरकार ने सभी प्राविधिक तथा निम्न संस्थाओं से इन वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित रखने, प्रावश्यक उत्तीर्ण-पत्रों को मात्रा में कमी करने तथा अधिकतम प्रायु-सीमा में वृद्धि करने के शुभक विचार निम्नको देना की विभिन्न निम्न संस्थाओं में कार्यरूप दिया।

आर्थिक अवसर

२.२५ करोड़ आदिमजातीय लोगों में से लगभग २६ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष २२,५५,८१६ एकड़ भूमि में स्थान बदल कर पतौ करते रहते हैं। यह समस्या प्रथम, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, विहार तथा मध्य प्रदेश के राज्यों और मसिपुर तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है। प्रथम योजनाकाल में इस प्रकार की पतौ पर नियंत्रण रखने की एक योजना प्रारम्भ की गई। इस सम्बन्ध में १६ केन्द्रों का प्रथम में तथा ४ बस्ती योजनाओं का आन्ध्र प्रदेश में काम प्रारम्भ किया गया और उड़ीसा, विहार, मध्य प्रदेश तथा त्रिपुरा में क्रमशः २,४६६; ४६०; ३६६ तथा ५,३३६ परिवार नियमित रूप से छुट्टि करने लगे हैं।

आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बम्बई, बिहार तथा मद्रास में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने तथा बेकार भूमि का पुनरुद्धार करके उसे कृषियोग्य बनाने और ऐसी भूमि को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों में बाँटने की कई योजनाएँ प्रारम्भ की जा चुकी हैं। इनके लिए समुपायन तथा सुगोपालन की भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

ऋग, आषिक महायज्ञ तथा प्रतिष्ठा केन्द्रों के माध्यम से अणम, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा बिहार में कुटीर उद्योगों का विकास किया जा रहा है। ऋग देने वाली बृहदेश्वरी महायज्ञी मन्मिनी आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मद्रास तथा मंगूर में स्थापित की जा चुकी हैं।

ऋग के भार से दबे हुए व्यक्तियों को जिनमें धनुमुचिन जातियों तथा धनुमुचिन आदिमजातियों के लोग भी सम्मिलित हैं, आषिक महायज्ञ देने के सम्बन्ध में सगभग सभी राज्यों में बानून बने हुए हैं।

अन्य कल्याणकार्य

अन्य कल्याणकार्यों में मकान बनाने के लिए निःशुल्क अथवा नाममात्र के मूल्य पर दी जाने वाली भूमि सम्बन्धी सहायता, ऋग, हरिजन कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले सहायता-धनदान तथा आषिक सहायता आदि सम्मिलित हैं। कई राज्यों में धनुमुचिन जातियों के लोगों को बानूनी सहायता भी दी जा रही है।

आदिमजातीय शोध संस्थाएँ

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में आदिमजातीय शोध संस्थाएँ स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें आदिमजातीय कला, संस्कृति तथा रीति-रिवाजों का गहन अध्ययनकार्य होता है। गोहाटी विश्वविद्यालय में असम की आदिमजातियों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का अध्ययनकार्य आरम्भ किया जा चुका है। बम्बई राज्य में बम्बई की नृत्यशास्त्र समिति, गुजरात शोध समिति तथा बम्बई विश्वविद्यालय में आदिमजातियों के सम्बन्ध में शोधकार्य किया जाता है। पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक शोध संस्थाने राज्य के आदिमजातीय जीवन के कई पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रकाशित किए हैं। भारत सरकार के नृत्यशास्त्र विभाग में असम तथा पश्चिम बंगाल की प्रमुख आदिमजातियों के सम्बन्ध में गहन शोधकार्य पूरा हो चुका है। उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश के शोध विभाग में इस प्रदेश के लोगों की भाषाओं तथा संस्कृति सम्बन्धी अध्ययनकार्य होता है। उड़ीसा की आदिमजातीय शोध संस्था में भी कई महत्वपूर्ण आदिमजातीय समस्याओं की जांच-पड़ताल का कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ३ जिलों की आदिमजातीय समस्याओं के अध्ययन का कार्य पूरा हो चुका है। बिहार संस्था द्वारा भी सन्थाल परगना की एक आदिमजाति के अध्ययन का कार्य पूरा किया जा चुका है। उदयपुर का भारतीय लोक कला मण्डल एक अग्रणी गैरसरकारी संगठन है जिसने भूतपूर्व मध्य भारत राज्य तथा राजस्थान की आदिमजातियों की संस्कृति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया है।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत लक्ष्य

द्वितीय योजना में ३ लाख आदिमजातीय विद्यार्थियों के लिए आदिमजाति-क्षेत्रों में ३,१८७ स्कूल तथा छात्रावास और २०० सामुदायिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने

का उद्देश्य रहा गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के ३० लाख विद्यार्थियों के लिए भी ६,००० स्कूल तथा छात्रावास स्थापित करने और छात्रवृत्तियों देने का विचार है।

यूनाइटेड फरमासो आदिमजातियों के लिए भी ११६ लाख छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की गई है।

बोझा में १२,००० आदिमजातीय परिवारों को १८६ बस्तियों में बसाने का १४,२४६ युनियन फरमासो आदिमजातीय परिवारों के पुनर्वास की योजना भी निर्धारित है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों, युनियन फरमासो आदिमजातियों तथा अन्य विदेशी लोगों के कल्याण हेतु प्रथम योजनाकार में कुल २४,६७,७७,६४२ रुपये खर्च किए गए तथा द्वितीय योजना में कुल ८१,६४,६१,७०४ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान रहा गया है।

पन्द्रहवाँ अध्याय

जन-सम्पर्क के साधन

प्रसारण

देश में इस समय निम्न २८ प्रसारण केन्द्र हैं जिनके अधीन देश के सभी महत्वपूर्ण भाषाई क्षेत्र घ्रा जाते हैं, जबकि १९४७ में केवल ६ केन्द्र ही थे :

उत्तर	...	दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जातगधर, जयपुर- भ्रजमेर, शिमला, भोपाल, इन्दौर तथा राँची ।
पश्चिम	...	बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद-बड़ौदा, पूना तथा राजकोट ।
दक्षिण	...	मद्रास, तिरुच्चिरापत्ति, विजयवाडा, त्रिवेन्द्रम, कोची- कोड, हैदराबाद, बंगलोर तथा धारवाड़ ।
पूर्व	...	कलकत्ता, कटक तथा गोहाटी ।

इनके प्रतिरिक्त धोनगर तथा जम्मू में रेडियो कश्मीर के भी दो केन्द्र हैं । १५ मई, १९५६ को देश में रेडियो केन्द्र, सम्प्रेशन यन्त्र तथा प्राणण केन्द्र क्रमशः ३२, ५६ तथा २८ थे ।

कार्यक्रम रचना

संगीत कार्यक्रम, धाकाशवाही से प्रसारित होने वाले अन्य सभी कार्यक्रमों के समभग भाग्य के बराबर हैं । आवाजवाही के कार्यक्रमों में वार्ताओं, रूपकों तथा वाद-विवाद जैसे कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । प्रत्येक बुधवार को 'राष्ट्रीय वार्ता कार्यक्रम' प्रसारित किया जाता है जिसके अन्तर्गत मुद्रसिद्ध विद्वान कला, विज्ञान तथा गार्ह्य सम्बन्धी वार्ताएँ प्रसारित करते हैं ।

अगले शृष्ट को तातिवा में १९५८ में प्रसारित आन्तरिक सेवाओं तथा विविध भारतीय कार्यक्रम को रूपरेखा तथा उनको अचधि प्रस्तुत की गई है ।

विविध भारतीय

अक्टूबर, १९५८ से इस अखिल भारतीय पंचरंगी कार्यक्रम को आरम्भ हुए हुए वर्ष पूरा हो गया । वर्तमान संगीत प्रति दिन दो घण्टे प्रसारित किए जाने के अन्तर्गत यह कार्यक्रम रविवार तथा शुरुओं को दोड़कर अब प्रति दिन ६ घण्टे और रविवार को तथा शुरुओं के दिनों से ६ घण्टे प्रसारित किया जाता है ।

भारत १९५६

तालिका १२

प्रान्तरिक सेवाओं के कार्यक्रम की रूपरेखा (१९५८)

कार्यक्रम का प्रकार

आन्तरिक सेवाएँ

भारतीय संगीत

पश्चिमी संगीत

वार्ताएँ, वाद-विवाद, भेंद आदि

नाटक

समाचार

प्रचार कार्यक्रम

विदेश कार्यक्रम (बच्चों, महिलाओं, बेहाती भाइयों तथा मजदूरों, स्कूलों तथा संगीत-शिक्षा, हिन्दी-शिक्षा तथा अन्य विविध कार्यक्रम सहित)

योग

विविध भारती

राष्ट्रीय संगीत, सरल संगीत, भक्तिगान तथा चलचित्र संगीत

नाटक, रूपक, पंचरंगी कार्यक्रम तथा श्रोताओं के पत्र आदि

योग

प्रवधि(घण्टे)

लगभग प्रतिवत्

४६,१६०

१,६३३

४,६१२

४,०३५

२१,६०८

१,२०३

२०,२६६

१,००,४१७

१,७६७

२४५१

१८२

२,१६४

२०.२

१००

८०.५

११.२

८.३

१००

४६.०

१.६

४.६

४.०

२१.८

१.२

यह कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में मुना जा सकता है। प्राकानवालों के कुछ केन्द्र यह कार्यक्रम प्रांशिक रूप से रिले करते हैं। संगीत तथा मनोरंजन के कार्यक्रमों के प्रतिरिक्त इस कार्यक्रम में विद्या तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण त्रिपयक कार्यक्रम भी सम्मिलित रहते हैं।

बाह्य सेवाओं का कार्यक्रम

निम्न तालिका में १९५८ में विभिन्न भाषाओं में प्रसारित बाह्य सेवाओं के कार्यक्रमों की प्रवधि दिखाई गई है :

तालिका १३
बाह्य सेवाओं के कार्यक्रम की रूपरेखा

	घण्टे	प्रतिमात
भारतीय संगीत	१,८६६	३०.५
पश्चिम एशियाई संगीत	३४३	५.६
भारतीकी (स्वाहिली) संगीत	४७	०.७
पश्चिमी संगीत	२३	०.४
पूर्व एशियाई संगीत	२७५	४.५
वार्ताएं, वाद-विवाद, भेंट आदि	८६७	१४.२
नाटक, रूपक आदि	३३३	५.४
समाचार	१,६३१	२६.७
प्रसार कार्यक्रम	३६०	५.६
अन्य कार्यक्रम	३७४	६.१
योग	६,१२२	१००

रिप्ले श्रोता कार्यक्रम

प्राचीन भाषाओं के कार्यक्रमों में प्राचीन जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है तथा इनके अध्ययन से वास्तविक, वाद-विवाद, नाटक, समाचार, वार्ता द्वारा प्राचीनों को उपयोगी जानकारी बसाई जाती है। केन्द्रीय सरकार की सहायता योजना के अन्तर्गत १४ मार्च, १९५६ तक प्राचीन क्षेत्रों में लगाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को ५६,६४२ मासुसर्विक रेडियो सेट दिए गए।

'प्राचीनवाणी प्राचीन गोष्ठियों' के आयोजन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। ये गोष्ठियाँ 'अक्षय-वारविवाद कार्यक्रम गोष्ठियों' होगी जिनमें प्रसारकों तथा धोमाओं के बीच सीधा होकर सम्बन्ध रहेगा। ये गोष्ठियाँ शीर्षों में सफल हो जानी हैं और प्रसारकों के सम्बन्ध में नियमित रूप से विचार विमर्श करने तथा प्राचीनवाणी केन्द्र को अपने सुभाव देनी हैं। कार्यक्रम में ऐसी गोष्ठियों का कार्य प्रारम्भ हो चुका है और अन्य भाषाओं तथा संघीय क्षेत्रों में प्रारम्भ करना विचारार्थित है।

स्कूलों के लिए शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम हम समय-समय पर केन्द्रीय प्रसारण द्वारा प्रसारित हैं। यह कार्यक्रम ८ घण्टे के भी प्रसारण करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। ३१ अगस्त, १९५८ को देश में १०,७४१ स्कूलों में रेडियो सेट लगे हुए थे।

भारत १९५४.

शासनावली के प्रथम बंड में गृहियों तथा बच्चों के भी विदेशों में प्रसारित किए जाते हैं।
 छद्मशाबाह, इगाहवार, बसकला, कोचीकोड, बरबई, मराण, तगनर तथा विदेशों के औद्योगिक मजदूरों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।
 जम्मू, दिल्ली तथा भीमनर से तानात्र सेनाओं के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित जाते हैं।

पंचरत्न योजना प्रसार

योजना के प्रसार का उद्देश्य शोषणों को शोषण के कार्य में सहयोग देने के लिए 'कला' शहायता एवं करने' को प्रेरणा दी जाती है। विदेशों में मुनियोजित कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। 'योजना में सहयोग शक्ति' वि सोशियल पुनों में विदेशों गीत प्रसारित किए जाते हैं। ये गीत प्रामाण्य भावों के कार्य में भी रते जाते हैं।
 १९५८ में विभिन्न भाषाओं में २,०१७ वार्ताओं, ४८५ संवादों, १९१ मंत्रों, ७८ कविताओं, ३३ विदेशी रचनाओं, ५७ नाटकों, ५०६ कथकों तथा ७६६ नादविचारों के कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

कार्यक्रम विनिमय विभाग

'प्रान्तरिक विनिमय विभाग' विभिन्न देशों को सीधे प्रथम दिग्दी में प्रदुवार के द्वारा अपने सर्वोत्तम कार्यक्रमों का विनिमय करने में सहायता देता है। १९५८ में इस प्रकार १,५०० कार्यक्रमों का परस्पर विनिमय हुआ। इसी प्रकार 'बाह्य कार्य-विनिमय विभाग' विदेशों के रेडियो संगठनों से उनके कार्यक्रम प्राप्त करता है तथा इन्हें बदले में उनको भारतीय कार्यक्रम भेजता है। इस वर्ष ऐसे कार्यक्रम ५३ विदेशी प्रसारण संगठनों को भेजे गए। दिल्ली में एक 'केन्द्रीय रिकार्ड संग्रहालय' भी स्थापित किया जा चुका है।

अनुलेखन सेवा

प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषणों के रिकार्ड तैयार करने के अतिरिक्त इस सेवा के अंतर्गत प्राकानवाणी के केंद्रों के उपयोग के लिए संगीत तथा वार्ताओं के २५० से अधिक स्टापर तथा ६,००० रिकार्ड तैयार किए गए।

परामर्श समितियाँ

'केन्द्रीय कार्यक्रम परामर्श समिति' प्राकानवाणी को उन सामान्य सिद्धान्तों के सम्बन्ध में परामर्श देती है जो कार्यक्रम तैयार तथा प्रस्तुत किए जाते समय ध्यान में रखे जाने चाहिएँ। यह समिति प्राकानवाणी को इस सम्बन्ध में भी परामर्श देती है कि इन कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी तथा अधिक मनोरंजक कंठ बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम पत्रिकाएँ

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम इन पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाते हैं : आकाशवाणी (अंग्रेजी), सारंग (हिन्दी), नभोवाणी (गुजराती), वाणी (तेलुगु), वानोली (तमिल); बेतार जगत (बंगला) तथा आवाज (उर्दू) ।

समाचार सेवाएँ

आकाशवाणी की अन्तरिक सेवाओं में समाचार प्रति दिन अंग्रेजी तथा हिन्दी में चार बार; असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी तथा मलयालम में तीन बार; कश्मीरी तथा डोगरी में दो बार तथा गोरखाली में एक बार प्रसारित किए जाते हैं । सेनाओं के लिए भी हिन्दी में समाचार प्रति दिन एक बार सैनिकों के कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है । उर्दू, कश्मीरी तथा बंगला में प्रति दिन समाचार-टिप्पणियाँ भी प्रसारित की जाती हैं ।

समाचार प्रति दिन ७६ बार—अन्तरिक सेवाओं में ४६ बार तथा बाह्य सेवाओं में ३० बार—प्रसारित किए जाते हैं । राज्यों से प्राप्त होने वाले स्थानीय समाचार प्रादेशिक समाचारों के अन्तर्गत प्रसारित किए जाते हैं । आकाशवाणी से समाचार-दर्शन के कार्यक्रम प्रति सप्ताह अंग्रेजी में दो बार तथा हिन्दी में एक बार प्रसारित किए जाते हैं ।

बाह्य सेवाएँ

'बाह्य सेवा विभाग' अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा यूरोप के भारतीय तथा विदेशी श्रोताओं के लिए प्रति दिन १६ भाषाओं में २० घण्टे का कार्यक्रम प्रसारित करता है । १९५८ में दिल्ली में १०० किलोवाट का एक तीसरा लघुतरंगीय सम्प्रेषण यन्त्र प्रस्थापित किया गया । विदेशों में बसे भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के लिए हिन्दी, तमिल, गुजराती तथा कोंकणी में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं । विदेश-स्थित भारतीय भिन्न श्रोताओं के लिए १२ भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं ।

विकास

अगस्त, १९५८ के अन्त में देश में १२,९१,८१२ घरेलू रेडियो सेट होने के प्रतिरिक्त अन्य प्रकार के उपयोग के लिए भी १,०९,६२५ रेडियो सेटों के साइसैल जारी किए गए ।

रेडियो-सेटों का आयात तथा उत्पादन

१९५६-५७ में १२.०१ लाख रुपये के मूल्य के, ४,१९३ रेडियो सेटों का आयात किया गया तथा सितम्बर, १९५८ के अन्त तक देश में १,४७,२८० रेडियो सेट तैयार किए गए ।

टेलीविज़न

भारत में प्रसारण के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में परीक्षणालयक टेलीविज़न विभाग स्थापित करने का कार्यक्रम सम्मिलित है जहाँ इस सम्बन्ध में जीब-सङ्ग्राह भी जाएगी तथा आकाशवाणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

भारत १९५६

समाचारपत्र

भारत के पत्र-संजीकार के द्वितीय प्रतिवेदन के अनुसार जो ३० अगस्त, १९५८ को प्रकाशित हुआ, ३१ दिसम्बर, १९५७ को देश में ५,६३२ पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो चुकी थीं जिनमें से दैनिक पत्र ४४६ और साप्ताहिक, पालिक, तथा मासिक पत्रिकाएँ १,५८६; ५१७ तथा २,३५१ थीं। इनमें से सबसे अधिक पत्र-पत्रिकाएँ बम्बई राज प्रकाशित हो रही थीं।

राज्यों के आधार पर दैनिक पत्रों और साप्ताहिक, पालिक तथा मासिक पत्रिकाओं का विभाजन निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका १४

राज्यों तथा नियतकालिकता के अनुसार पत्र पत्रिकाओं का विवरण
(३१ दिसम्बर १९५७ को)

राज्य/क्षेत्र	दैनिक पत्र	साप्ताहिक पत्रिकाएँ	पालिक पत्रिकाएँ	मासिक पत्रिकाएँ
असम	३	१५	५	७
आन्ध्र प्रदेश	१६	७६	२०	११५
उड़ीसा	५	१३	५	३२
उत्तर प्रदेश	५३	२७३	५४	२७७
केरल	२८	४३	८	११६
पंजाब	३३	१२६	२७	१५७
पश्चिम बंगाल	११७	१७३	७४	३०५
बम्बई	१०	३२७	७४	४६२
बिहार	२७	१६०	१४३	५३
मद्रास	३३	०५	१८	२६६
मध्य प्रदेश	४३	१६७	५६	५५
मंसूर	१६	१७	१७	१०७
राजस्थान	२८	१७३	१२	४७
दिल्ली	३	११	६१	३११
मणिपुर	—	—	२	५
हिमाचल प्रदेश	१	—	—	२
त्रिपुरा	—	—	—	—
योग	४४६	५१७	५१७	२,३५१

विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं का विवरण निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका १५
भाषा के अनुसार पत्र-पत्रिकाओं का विवरण
(३१ दिसम्बर, १९५७ को)

भाषा	संख्या
अंग्रेजी	१,१८८
असमिया	११
उड़िया	५६
उर्दू	५१३
कन्नड़	२२०
गुजराती	३७४
तमिल	२६६
तेलुगु	१६६
पंजाबी	११२
बंगला	४१५
मराठी	३२१
मलयालम	१३६
संस्कृत	८
हिन्दी	१,१२७
दो भाषा वाले	५५६
यहूभाषा वाले	३४५
अन्य भाषा वाले	७६
योग	५,६३२

समाचारपत्रों की पाठक-संख्या

१९५७ में प्रकाशित हो रहीं कुल ५,६३२ पत्र-पत्रिकाओं में से पाठक-संख्या सम्बन्धी पूरे घाँटड़े केवल २,८४३ पत्र-पत्रिकाओं के सम्बन्ध में ही प्राप्त है। इन घाँटड़ों से पता चलता है कि दैनिक पत्रों की पाठक-संख्या (३१.४६ लाख) कुल पाठक-संख्या की २७.६ प्रतिशत और साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओं की पाठक-संख्या केवल २.७ तथा ०.८ प्रतिशत है।

भाषा के अनुसार बैंकिंग पत्रों की सबसे अधिक प्राहक-संख्या पत्रों की (२४.६७ लाख प्रपत्रा २२-३ प्रतिशत) है। इसके बाद हिन्दी के बैंकिंग पत्रों का स्थान घाता है जिनकी प्राहक संख्या २०.२५ लाख प्रपत्रा १८ प्रतिशत है। अन्य भाषा वाले पत्रों की प्राहक-संख्या इस प्रकार है: तमिल (६.१ प्रतिशत), उर्दू (७ प्रतिशत) गुजराती (६.५ प्रतिशत), बंगला (६.१ प्रतिशत), मराठी (५.६ प्रतिशत) तथा तेलुगु (५ प्रतिशत)।

समाचारपत्र सम्बन्धी कागज

समाचारपत्रों के उपयोग में घाने वाला अधिकांश कागज भारत विदेशों से ही मंगाता है। समाचारपत्र सम्बन्धी कागज तैयार करने वाले भारत के एकमात्र कारखाने—मध्यप्रदेश में चाँदनी-स्थित 'राष्ट्रीय समाचारपत्र तथा ग्रन्थ कागज मिल लिमिटेड' में उत्पादन-कार्य जनवरी, १९५५ में आरम्भ हुआ तथा इसकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता लगभग ३०,००० टन है। १९५८ में नवम्बर तक ५,५५,८१,७४६ रुपये के मूल्य के फिनलैण्ड से घाता है। १९५८ में अक्टूबर तक ५,५५,८१,७४६ रुपये के मूल्य के पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय

सरकार की नीतियों, योजनाओं, सफलताओं तथा अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी देता है। १९५८-५९ में ३,६०५ भारतीय पत्र-पत्रिकाओं को इसके द्वारा प्रकाशित प्रेस-समाचार की सुविधाएँ प्राप्त हुईं। १९५८ में १६५ भारतीय तथा विदेशी संवाददाता भारत सरकार के साथ सम्बद्ध थे।

कार्यालय की हिन्दी तथा उर्दू में सूचना सेवाओं का संचालन इसके नयी दिल्ली-स्थित प्रधान कार्यालय से होता है, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं की सूचना सेवाओं का संचालन इसके प्रादेशिक कार्यालयों से।

राज्यों की राजधानियों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में सूचना केन्द्र स्थापित करने की एक योजना के अनुसार जयपुर, जालन्धर, नयी दिल्ली, नागपुर, पटना, मद्रास, राजकोट, लखनऊ, श्रीनगर, हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम में सूचना केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्राचीनों के लाभ के लिए एक सूचना केन्द्र होराकुड में तथा दूसरा सूचना केन्द्र भावलड़ा-नंगल में स्थापित किया गया है।

समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता

संविधान के अनुच्छेद १९ (१) में भारत के सभी नागरिकों को भाषण देने तथा अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। न्यायालयों के मतानुसार इस अधिकार समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का अधिकार भी सम्मिलित है। 'संविधान (प्रथम संशोधन)

अधिनियम, १९५१' के अन्तर्गत संसद्, राज्य की सुरक्षा के हित में इस अधिकार के उपयोग पर उचित प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बना सकती है।

समाचारपत्रों के सम्बन्ध में पाँच मुख्य केन्द्रीय कानून हैं: (१) समाचारपत्र तथा पुस्तक-पंजीयन अधिनियम, १८६७, (२) 'श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५', (३) 'समाचारपत्र (मृत्यु तथा पृष्ठ) अधिनियम, १९५६', (४) 'पुस्तक तथा समाचारपत्र प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १९५४' तथा (५) 'संसदीय कायंवाही (प्रकाशन की रक्षा) अधिनियम, १९५६'।*

चलचित्र

१९५८ में २९५ रूपक चलचित्रों का निर्माण हुआ: असमिया (२), कन्नड़ (११), तमिल (६१), तेलुगु (३६), पंजाबी (१), बंगला (४५), मराठी (१६), मलयालम (४), मिथी (३) तथा हिन्दी (११६)।

चलचित्र संस्था

सरकार ने चलचित्र संस्था की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है। घोषा है कि यह संस्था १९५६ में अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी। संस्था में चलचित्रों के निर्माण के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह संस्था देश की चलचित्र समितियों की गतिविधियों में भी समन्वय स्थापित करेगी।

निर्माण संहिता कार्यालय

चलचित्र उद्योग के लिए 'निर्माण संहिता कार्यालय' की स्थापना के उपाय किए जा चुके हैं। इस कार्यालय का कार्य १९५६ के मध्य में प्रारम्भ होने की घोषा है।

चलचित्र वित्त निगम

सरकार ने २०-२५ लाख रुपये की प्रारम्भिक पूंजी से 'चलचित्र वित्त निगम' स्थापित करने का भी निर्णय किया है। इसका कार्य भी इस वर्ष प्रारम्भ होने की घोषा है।

पाल चलचित्र समिति

'बाल चलचित्र समिति' 'बाल-चलचित्र समिति पंजीयन अधिनियम' के अनुसार मई, १९५५ में पंजीकृत की गई। इस समिति का मुख्य उद्देश्य बालक-बालिकाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी चलचित्रों का निर्माण करना है। भारतीय रूपक चलचित्रों पर आधारित 'राम द्वात्रिंशो का न्याय' तथा 'बाल रामायण' शीर्षक दो चित्रों के अनिश्चित समिति अब

* इन अधिनियमों के सविस्तृत विवरण के लिए देखिए 'भारत १९५८' पृष्ठ १३७-१३८

तक चार रूपक घराबित्र (जलवीप, स्काउट कॅम्प, हरिया तथा चार बोत) और तीन छोटे चलचित्र (गंगा की लहरें, बच्चों से बातें तथा गुलाब का फूल) तैयार कर चुकी है। बालक-यात्रिकाओं के लिए इतने कुछ ब्रिटिश तथा रातो चलचित्रों के आयात पर भी चलचित्र तैयार किए। 'पंचतंत्र' तथा 'यात्रा' शीर्षक दो बाल चलचित्र तैयार किए जा रहे हैं। समिति से बालक-यात्रिकाओं के लिए एक 'राष्ट्रीय मनोरंजन चलचित्र केंद्र' की व्यवस्था करने को कहा गया है जो यूरोप में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र के साथ सम्बन्ध कर दिया जाएगा।

चलचित्र समारोह

१९५८ में कई अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोहों में भारतीय चलचित्रों का प्रदर्शन किया गया और उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए :

'बेयर पांचाली' को बंकर (कनाडा) में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में रूपक चलचित्रों के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसे स्टूडेंट्स चलचित्र समारोह (कनाडा) में भी सर्व के सर्वोत्तम चलचित्र के रूप में चलचित्र-तमीशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

'दो फालों बारह हाथ' को घनि में हुए आठवें अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में 'सिल्वर बिपर' नामक विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसे स्टूडेंट्स चलचित्र समारोह बर्लिन कार्यक्रम की सात-राष्ट्रीय पंचसमिति की ओर से भी विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ। 'मदर इण्डिया' का भी प्रदर्शन किया गया। इस चित्र को मुख्य अभिनेत्री धीमती नगित को 'बेकोस्तोयाकिया' में हुए आठवें अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस चित्र की मुख्य अभिनेत्री धीमती नगित को 'दयराजित' का भी प्रदर्शन किया गया। इस चित्र के निर्देशक भी सत्यजित राय। सर्वोत्तम चलचित्र निर्देशन के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस चित्र के निर्देशक भी सत्यजित राय।

चलचित्र विभाग के वृत्तचित्र 'आपरेसन खंडा' को चौबहवें अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में प्रतियोगिता (काठिना, इटली) में कलात्मक गुणों के लिए कप प्राप्त हुआ। इसी विभाग के दूसरे वृत्तचित्र 'दत्तार्त मैन हैब मेड' को भी रोम में हुई पाँचवें अन्तर्राष्ट्रीय विपुष्ण तथा परमाणु-समस्या गोष्ठी के आयतन पर कलात्मक विद्योपल के लिए कप प्राप्त हुआ।

राज्यीय पुरस्कार

उच्चकोटि तथा उच्च स्तर के सांस्कृतिक तथा शिक्षाप्रद चलचित्रों को सरकार की ओर से १९५४ से प्रति वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं। रूपक, वृत्त तथा बाल चलचित्रों के लिए निम्न पुरस्कार दिए जाते हैं। १९५८ में चलचित्रों को मिले पुरस्कारों का संक्षेप परिशिष्ट में दिया गया है।

सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों से मिलकर बनी कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास-स्थित प्रादेशिक समितियाँ हफ्ते चलचित्रों का प्रारम्भिक चुनाव करती हैं। वृत्तचित्रों का प्रारम्भिक चुनाव वृत्तचित्र समितियाँ करती हैं।

वृत्तचित्र तथा समाचारदर्शन-चित्र

वृत्तचित्रों तथा समाचारदर्शन-चित्रों का निर्माण मुख्य रूप से केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्रालय का चलचित्र विभाग करता है। १९५८ के अन्त तक इस विभाग ने ५३३ समाचारदर्शन-चित्र तैयार किए तथा प्रदर्शन के लिए ३६७ वृत्तचित्र दिए। वृत्तचित्र १३ भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। इन वृत्तचित्रों में से कुछ रंगीन भी होते हैं।

वृत्तचित्र अधिरूपांतः जयकि उद्युक्त चलचित्र विभाग द्वारा तैयार किए जाते हैं, निजी निर्माताओं को भी घूने हुए वियर्थों पर वृत्तचित्र तैयार करने का काम सौंपा जाता है। १९५८ में निजी निर्माताओं ने ऐसे १४ चित्र तैयार किए।

समाचारदर्शन-चित्रों में देश तथा विदेश में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्र सम्मिलित रहते हैं।

सिनेमाघरों को लाइसेंस दिए जाने की शर्तों के अनुसार प्रत्येक सिनेमाघर के लिए यह पाश्र्विक कर दिया गया है कि एक बार के ग्ले में लाइसेंस-प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत २,००० फुट से अधिक फिल्म का प्रदर्शन न किया जाए। प्रत्येक सिनेमाघर में प्रदर्शन के लिए सप्ताह में एक समाचारदर्शन-चित्र तथा एक वृत्तचित्र बारी-बारी से दिया जाता है।

विदेश स्थित ६८ भारतीय दूतावासों को विदेशों में प्रचार के लिए स्वीकृत वृत्तचित्र दिए जाने हैं। यूरोप में चलचित्र विभाग के चलचित्रों के व्यापारिक वितरण की नियमित व्यवस्था है।

चलचित्र सम्पन्धी जाँच

भारत में 'केन्द्रीय चलचित्र जाँच मण्डल' जनवरी, १९५१ में स्थापित किया गया था। इस मण्डल के सदस्यों की संख्या सम्पन्न ७ है जो सब के सब भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका प्रधान कार्यालय बम्बई में है।

सिने चलचित्र के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र दिया जाता है, उस पर परीक्षण समिति विचार करती है। प्रमाणपत्र के सम्पन्धी को हम बात का प्रमाण दिया जाता है कि वह परीक्षण तथा विचार समितियों, दोनों के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करे।

१९५१ तथा १९५८ के बीच इस मण्डल ने ६,४६३ भारतीय चलचित्रों तथा १७,३८८ विदेशी चलचित्रों को प्रमाणपत्र दिए। मण्डल द्वारा स्थापित दोष विभाग इन सब काबू कर दिया गया।

१९५८ के मण्डल तक १ करोड़ ५६ लाख ८८ हजार रुपये के मूल्य की २० करोड़ ४ लाख ६४ हजार फुट बरफी फिल्म तथा २८.१३ लाख रुपये की १ करोड़ ८८ हजार फुट तैयार फिल्म आपात की गई।

भारतीय पत्रकारों का निर्वाह
 भारतीय पत्रकारों के निर्वाह से वृद्धि करने के सम्बन्ध में मुख्य रूप से 'भारतीय निर्वाह प्रोग्राम सन्निधि' गरीबों में स्थापित कर दो गई है। १९५७ में पत्रकारों के निर्वाह से १ करोड़ ६८ हजार रुपये का विदेशी विनिमय प्राप्त हुआ।

प्रकाशन
 प्रकाशन विभाग का प्रकाशन विभाग लोकप्रिय संपुर्णितकरणों, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा विद्य-संग्रहों का संकलन, प्रकाशन, वितरण तथा विच्छेद करने और लोगों को देना की सांस्कृतिक विरासत, सरकार की गतिविधियों, विभिन्न विकास कार्यक्रमों की प्रगति तथा पर्यटन-योग्य स्थानों के सम्बन्ध में अभिज्ञत जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है। एन विभाग सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों को उनके प्रचार साहित्य के प्रकाश के सम्बन्ध में परामर्श देता है। प्रकाशन का कार्य श्रेष्ठ, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में होता है।

प्रकाशन विभाग १८ पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है जिनमें 'मासिक प्राण इण्डिया' तथा 'प्राणिक' (हिन्दी तथा उर्दू) जैसी सांस्कृतिक पत्रिकाएँ; 'पाल भारत' (हिन्दी) जैसी बालोपयोगी पत्रिका; साप्ताहिक विकास सम्बन्धी पत्रिका 'योजना' (हिन्दी तथा श्रेष्ठ) की प्रकाशनाधी की कार्यक्रम पत्रिकाएँ सम्मिलित हैं।

१९५८ में 'इण्डियन इन्फर्मेशन', 'भारतीय समाचार', 'पौष्टिक भेषज' तथा 'पौष्टिक मास-तोल' शीर्षक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। प्रथम दो पत्रिकाएँ क्रमशः श्रेष्ठ तथा हिन्दी की पत्रिकाएँ हैं जिनमें सरकार की मुख्य गतिविधियाँ तथा नीति विषयक घोषणाएँ संक्षेप में दी हुई रहती हैं। हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में बच्चों के लिए कहानी संग्रह भी प्रकाशित किए जा रहे हैं।

१९५८ में इस विभाग ने विभिन्न भाषाओं में कुल २१२ पुस्तक तथा पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं। इनमें से महत्वपूर्ण प्रकाशन थे: 'विमल प्राण इण्डिया', 'सूक्तियर एक लोकोत्त एण्ड देवर इफेक्ट्स' (रिवाइज्ड), 'मोलाना आवाद-ए होमेल', 'भारत के पत्नी', 'जवाहरलाल नेहरू स्वीच'—वाल्गुम ८, 'स्वीच प्राण प्रेसीडेन्ट राजेंद्र प्रसाद, १९५२-५६', 'कम्प्यूटिड इन्फर्मेशन'—वाल्गुम ८, 'स्वीच प्राण प्रेसीडेन्ट राजेंद्र प्रसाद, १९५२-५६', 'कम्प्यूटिड इन्फर्मेशन' (रिवाइज्ड) तथा 'इण्डिया ए-सीवीए'।

इसका फोटो विभाग विभिन्न मन्त्रालयों की गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रदर्शनों की व्यवस्था करता है। इस विभाग ने 'भारत १९५८' प्रदर्शनी के विभिन्न मण्डलों में फोटो सजाने के काम में सहायता दी।

विज्ञापन तथा दूर्य प्रचार
 विज्ञापन तथा दूर्य प्रचार का कार्य उनके सूचना प्रचार विभाग

करते हैं और केन्द्र में इसका दायित्व केन्द्रीय सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के 'विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय' पर है।

१९५८ में निदेशालय ने ५५२ विज्ञापन तथा ४,५५२ वर्गीकृत विज्ञापन ३६,६०३ बार प्रकाशित कराए।

दृश्य प्रचार पर अधिकाधिक बत दिए जाने के साथ-साथ पोस्टरों, फोटोडरों, पत्रों तथा चित्रमय कलेंडरों आदि का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। १९५८ में निदेशालय ने गाँवों में वितरण के लिए इन सब की मिलाकर कुल २.४८ करोड़ प्रतियाँ प्रकाशित कीं।

निदेशालय के प्रदर्शनी विभाग तथा सात प्रादेशिक एकाइयों ने १९५८ में देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ६१ प्रदर्शनियों की व्यवस्था की। इमने 'भारत १९५८' प्रदर्शनी में 'भारत की भौतिकी' (इण्डियन पेनोरेमा) नामक मण्डप तैयार किया।

पुरस्कारों तथा अन्य प्रकाशनों के मुद्रण तथा छावन्पन (डिजाइनिंग) में श्रेष्ठता के लिए प्रति वर्ष राजकीय पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य मुद्रण तथा छावन्पन के क्षेत्र में होने वाली प्रगति को ध्यानपूर्वक देना तथा इन क्षेत्रों में उत्त्वनर स्तर को प्रोत्साहन देना है।

सौलहर्वा अध्याय श्रायिक ढाँचा

भारत की प्रथमव्यवस्था अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इसका विकास हो रहा है। भारत प्राकृतिक संसाधनों तथा मानव-शक्ति की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। इसने मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का पूरा-पूरा तया ठोस रूप से उपयोग किया जा सकता है। १९४८-४९ के बाद से ११ प्रतिशत वृद्धि होने पर भी भारत को प्रति व्यक्ति आय अभी भी कम ही है (१९५५-५६ में २६१ रुपये)। भारत की प्रथमव्यवस्था अभी भी अधिकांशतः कृषि पर ही आधारित है तथा देश की लगभग प्राचीन राष्ट्रीय आय कृषि तथा उससे सम्बन्धित व्यवसायों से ही प्राप्त होती है जिनमें देश के कामों में लगने वाले कृषि तथा उद्योग-व्यापारिक व्यक्तियों से ही प्राप्त होती है। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से राष्ट्रीय आयों में से लगभग तीन-चौथाई व्यक्तियों से ही प्राप्त होती है। जिनमें देश के कामों में लगने वाले कृषि तथा उद्योग-व्यापारिक व्यक्तियों से ही प्राप्त होती है। जिनमें देश के कामों में लगने वाले कृषि तथा उद्योग-व्यापारिक व्यक्तियों से ही प्राप्त होती है। जिनमें देश के कामों में लगने वाले कृषि तथा उद्योग-व्यापारिक व्यक्तियों से ही प्राप्त होती है।

राष्ट्रीय नयुवा सर्वोत्तरण (अप्रैल-सितम्बर, १९५२) के अनुसार तीन-चौथाई से अधिक (६१.३ प्रतिशत) उपभोक्ता व्यय केवल लाख वस्तुओं पर हुआ। शरीर शक्ति में यह व्यय और अधिक (६५.१ प्रतिशत) रहा। इसके प्रतिरिक्त वस्त्रों पर ७.७ प्रतिशत, ईंधन तथा प्रकाश पर ५.५ प्रतिशत, समारोहों तथा उत्सवों आदि पर ५.६ प्रतिशत तथा सेवाओं पर ५.६ प्रतिशत व्यय हुआ। शिक्षा तथा मनोरंजन आदि पर ध्यय बहुत ही कम मात्रा में हुआ।

राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय

१९५५-५६ में भारत की राष्ट्रीय आय ९९.९० अर्ब ४० करोड़ थी, जबकि १९४८-४९ में राष्ट्रीय आय ८६.५० अर्ब ४० करोड़ थी, जबकि १९४८-४९ में यह २४९.९ करोड़ थी। प्रति व्यक्ति आय भी २६०.८८ थी, जबकि १९४८-४९ की राष्ट्रीय आय से १५.५ प्रतिशत अधिक थी क्योंकि १९४८-४९ की राष्ट्रीय आय से १५.५ प्रतिशत अधिक थी क्योंकि १९४८-४९ की राष्ट्रीय आय से १५.५ प्रतिशत अधिक थी। इस प्रकार १९५५-५६ में प्रति व्यक्ति आय १९४८-४९ की प्रति व्यक्ति आय से ५.६ प्रतिशत अधिक थी, किन्तु एक-से ही मूल्य स्तरों पर यह वृद्धि वस्तुतः २१.२ प्रतिशत है। १९५६-५७ के प्रारम्भिक आँकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय से ५.६ प्रतिशत अधिक थी, किन्तु एक-से ही मूल्य स्तरों पर यह वृद्धि वस्तुतः २१.२ प्रतिशत है। १९५६-५७ के प्रारम्भिक आँकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय से ५.६ प्रतिशत अधिक थी, किन्तु एक-से ही मूल्य स्तरों पर यह वृद्धि वस्तुतः २१.२ प्रतिशत है।

६४.३ रुपये की और १६४८-४६ के मूल्यों पर क्रमशः १ अरब १० लाख १० करोड़ रुपये या २८४ रुपये की ।

१६५६-५७ में (प्रारम्भिक घाँकों के अनुसार) राष्ट्रीय आय के प्रमुख व्यवसायगत तंत इस प्रकार थे: कृषि (कृषि, पशुपालन, घन उद्योग तथा मछलीपालन) से ५६.६० अरब (४६.८ प्रतिशत); खनन तथा निर्माणकारी उद्योग और छोटे उद्योगों से १६.७० अरब (१७.३ प्रतिशत); वाणिज्य, बैंकिंग तथा बीमा, परिवहन तथा संचार-साधनों से ६.३० अरब ६० (१६.६ प्रतिशत) तथा अन्य व्यवसायों, सरकारी नौकरियों, घरेलू सेवाओं तथा गृह-सम्पत्ति आदि से १८.१० अरब ६० (१५.६ प्रतिशत) ।

इस प्रकार देग में हुई १ अरब १४ अरब रुपये की राष्ट्रीय आय तथा विदेशों से हुई १० करोड़ रुपये की शुद्ध अर्जित आय को मिलाकर १६५६-५७ में कुल राष्ट्रीय आय १ अरब १४ अरब १० करोड़ रुपये की रही ।

जीविकोपार्जन का रूप

१६५१ की जनगणना के अनुसार ३५.६६ करोड़* की कुल जनसंख्या में से २१.४३ करोड़ व्यक्ति (६०.१ प्रतिशत) 'गैर-कमाऊ आश्रित' व्यक्ति थे, जिनमें मुख्यतः महिलाएँ तथा बच्चे सम्मिलित थे । शेष जनसंख्या में से ३.७६ करोड़ व्यक्ति (१०.६ प्रतिशत) 'कमाऊ आश्रित' व्यक्ति तथा १०.४४ करोड़ व्यक्ति (२९.३ प्रतिशत) स्वायत्तस्वी व्यक्ति थे ।

प्रत्येक १०० भारतीयों (आश्रित व्यक्ति सहित) में से ४७ भूमिपर किसान, ६ बागदार, २३ भूमिहीन मजदूर तथा १ जमीन्दार था, जबकि उद्योगों अथवा अन्य कृषि-भिन्न व्यवसायों, वाणिज्य, परिवहन और विविध व्यवसायों में क्रमशः १०, ६, २ और १२ व्यक्ति लगे हुए थे ।

तालिका सं० १६ में 'गैर-कमाऊ आश्रित' तथा 'कमाऊ आश्रित' व्यक्तियों की और अन्य प्रकार से जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्तियों का विवरण दिया गया है ।

कामों में लगे लोगों की संख्या

१६५०-५१ में ३५.६३ करोड़ की जनसंख्या में से देग में १४.३२ करोड़ व्यक्तियों के रोजगार में संलग्न होने का अनुमान लगाया गया था : १०.३६ करोड़ व्यक्ति कृषि सम्बन्धी कार्यों में; १.५३ करोड़ व्यक्ति खनन तथा हस्तशिल्प उद्योगों में; १.११ करोड़ व्यक्ति वाणिज्य, बीमा तथा बैंकिंग और परिवहन तथा संचार-साधनों में; ६४ लाख व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में; ३६ लाख व्यक्ति सरकारी नौकरियों में तथा २६ लाख व्यक्ति घरेलू नौकरियों में ।

*पता के तीन लाख व्यक्तियों के सम्बन्ध में विवरण देग में नष्ट हो गए । जम्मू तथा कश्मीर राज्य की अन्तर्गत के 'ख' भाग के आदिवासीय क्षेत्र इस जनगणना में सम्मिलित नहीं थे ।

भारत १९५६
तालिका १६
जीविकोपार्जन के रूप के आधार पर जनसंख्या का विभाजन (१९५१)

वे कृषक जिनका भूमि पर पूर्ण अथवा मुख्य रूप से स्वामित्व है	स्वावलम्बी व्यक्ति		गैर-कमाऊ प्राप्तित व्यक्ति		कमाऊ प्राप्तित व्यक्ति		योग
वे कृषक जिनका भूमि पर पूर्ण अथवा मुख्य रूप से स्वामित्व नहीं है	४,५७,००,०००	१०,०१,००,०००	२,१५,००,०००			१६,७३,००,०००	
कृषक मजदूर	८८,००,०००	१,८६,००,०००					
कृषि न करने वाले भू-स्वामी तथा लगान प्राप्त करने वाले व्यक्ति	१,४६,००,०००	२,४७,००,०००	३६,००,०००			३,१६,००,०००	
कृषि में लगे व्यक्तियों का योग	१६,००,०००		५२,००,०००			४,४८,००,०००	
कृषि-भिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्ति	७,१०,००,०००	३३,००,०००					
घाण्ड्य में लगे व्यक्ति	१,२२,००,०००	१४,७०,००,०००	४,००,०००			५३,००,०	
परिवहन में लगे व्यक्ति	१,२२,००,०००	२,२३,००,०००	३,१०,००,०००			२५,६१,००,०००	
अन्य विविध कार्यों में लगे व्यक्ति	५६,००,०००	१,४५,००,०००	३२,००,०००			३,७७,००,००	
कृषि-भिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों का योग	१७,००,०००	३७,००,०००	६,००,०००			२,१३,००,०००	
सर्वयोग	१,३६,००,०००	२,६८,००,०००	२,००,०००			५६,००,०००	
	३,३४,००,०००	६,७३,००,०००	२६,००,०००			४,३०,००,००	
	१०,४६,००,०००	२१,४३,००,०००	६६,००,०००			१०,७६,००,०००	
		३,७६,००,०००	१०,७६,००,०००			३४,६६,००,०००	

मुख्य फसलें

१९५०-५१ में देश में कृषि-उत्पादन कुल ४८.६६ अरब ६० के मूल्य का हुआ किन्तु वास्तविक कृषि-उत्पादन ४१.१२ अरब ६० का ही था ।

मुख्य उद्योग

१९५० में राष्ट्रीय धाय में विभिन्न निर्माणकारी उद्योगों का योगदान ५ अरब १३ करोड़ ४० लाख ६० का आँका गया था। जिसमें से सूती वस्त्र उद्योग से १ अरब ७ करोड़ ६० लाख ६०; चाय उद्योग से ६६.३० करोड़ ६०; पटसन उद्योग से ४६.६० करोड़ ६०; चीनी उद्योग से ३५.८० करोड़ ६०; लोहा तथा इस्पात उद्योग से २६.६० करोड़ ६०; सामान्य तथा बिजली इंजीनियरिंग उद्योग से २६.४० करोड़ ६० तथा घनस्पतिजन्य तेलों से ११.७० करोड़ ६० की राष्ट्रीय धाय विशेष उल्लेखनीय है ।

बैकिंग तथा बीमा उद्योग से भी ६५.१२ करोड़ ६० की धाय हुई। विभिन्न व्यवसायों से ४.६८ अरब ६० तथा गृह-सम्पत्ति आदि से ४ अरब ८ करोड़ ३० लाख ६० की धाय हुई ।

प्रति व्यक्ति उत्पादन

सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत १९५०-५१ में रोजगार से लगे प्रत्येक व्यक्ति के शुद्ध उत्पादन का मूल्य ६७० ६० आँका गया था । कृषि में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ५०० ६० का और खनन तथा कारखानों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,७०० ६० का था । इसी प्रकार रेलों तथा संचार-साधनों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,६०० ६० का; बैकिंग, बीमा, याणज्य और परिवहन में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,५०० ६० का; छोटे उद्योगों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ८०० ६० का; अन्य व्यवसायों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ७०० ६० का; सरकारी नौकरियों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,१०० ६० का और घरेलू नौकरियों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ४०० ६० का था ।

पूँजी निर्माण

घरघायी प्रावधान के अनुसार १९५५-५६ में भारत में ८.८० अरब ६० की पूँजी लगी हुई थी । इसमें से ४.१६ अरब ६० की पूँजी निजी क्षेत्र में तथा ४.६४ अरब ६० की पूँजी सरकारी क्षेत्र में लगी हुई थी ।

बेरोजगारी

देश में कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का ठीक-ठीक अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है । काम-दस्ताऊ कार्यालयों से सीमित मात्रा में ही लाभ मिलता है क्योंकि इनके आँकड़ों में केवल शहरी क्षेत्रों तथा उन बेरोजगार व्यक्तियों के ही आँकड़े होते हैं जो इनसे अपना नाम दर्ज कराते हैं ।

भारत १९५६

१९५३ में किए गए 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' के अनुसार कलकत्ता नगर की कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास की छोड़कर ५०,००० प्रयत्न नमूना सर्वेक्षण के अनुसार उत्ती क अन्य नगरों में २.५६ प्रतिशत व्यक्ति प्रयत्न ७.४४ प्रतिशत मजदूर बंदोबगार थे। देश के शहरी क्षेत्रों में उन लोगों की कुल संख्या २७.४० लाख थी जो किसी भी प्रकार के रोडगा में लगे हुए नहीं थे। कृषि-श्रम सम्बन्धी जवि-पड़ताल के अनुसार १९५०-५१ में ग्रामीण क्षेत्रों में बंदोबगार लोगों की संख्या लगभग २८ लाख थी। प्राप्त प्रांकड़ों के आधार पर योजना प्रायोग के अनुसार १९५६ के प्रारम्भ में देश में ५३ लाख व्यक्ति बंदोबगार थे।

अम तथा नियोजन मन्त्रालय के 'राष्ट्रीय नियोजन सेवा विभाग' ने १९५३-५७ के अवधि में काम की खोज करने वाले व्यक्तियों की संख्या का, तथा जिस प्रकार के काम के व्यक्ति चाहते थे, उसका जो अध्ययन किया, उससे पता चलता है कि काम-दिलाऊ कार्यालयों के रजिस्टारों में सात प्रकार के काम चाहने वाले बंदोबगार व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं। १९५३-५७ में सबसे अधिक रोडगार, शिक्षा के क्षेत्र में काम चाहने वाले व्यक्ति दिलाया गया।

दिसम्बर, १९५८ तक काम-दिलाऊ कार्यालयों के रजिस्टारों में वित्त ११,८३,२६६ बंदोबगार व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए थे, उनमें से ८,९२३; ८८,६६५; ३,०८,२०१; ५६,१५७; ४३,८२३; ६,२०,२४६ तथा अन्य ५७,२७६ व्यक्ति क्रमशः उद्योग, कारोबार, कलकौ, शिक्षा सम्बन्धी, घरेलू, मजदूरी तथा अन्य प्रकार के काम चाहते थे।

अम तथा नियोजन मन्त्रालय के सेवा नियोजन निदेशालय के मानव शक्ति विभाग द्वारा स्नातकों में बंदोबगारों के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन से पता चलता कि १५, १९५७ की स्नातकों में बंदोबगारी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में थी। महिला स्नातकों में बंदोबगारी सबसे अधिक केरल में थी। क्या तथा विज्ञान की उपाधि पाए स्नातकों की प्रवेशा वारिण्य की उपाधि पाए हुए स्नातकों में बंदोबगारी अधिक थी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूप
 १९५० से मार्च, १९५१ तक के 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' के प्रथम दौर प्राप्न जानकारी के अनुसार भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार में औसतन ५.२१ व्यक्ति हैं। इन ग्रामीण व्यक्तियों में से २८.१ प्रतिशत क्रमाक व्यक्ति थे, १६.६ प्रतिशत क्रमाक-धरि व्यक्ति थे और ५५.३ प्रतिशत गैर-क्रमाक-धरि व्यक्ति थे।

ग्रन्थकार, १९५० से मार्च, १९५१ तक के 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' के प्रथम दौर प्राप्न जानकारी के अनुसार भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार में औसतन ५.२१ व्यक्ति हैं। इन ग्रामीण व्यक्तियों में से २८.१ प्रतिशत क्रमाक-धरि व्यक्ति थे, १६.६ प्रतिशत क्रमाक-धरि व्यक्ति थे और ५५.३ प्रतिशत गैर-क्रमाक-धरि व्यक्ति थे।

ग्रन्थ का रूप
 नमूना सर्वेक्षण के अनुसार १९५८-५० में ग्रामीण क्षेत्रों का वारिक उपभोक्ता व् बनता हुआ २८.० प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्र के एक औसत परिवार के भोजन पर इनका १६.३ प्रतिशत, वस्त्रों पर ६.७ प्रतिशत तथा अन्य मदों पर औसत २५.० प्रतिशत व्यय हुआ।

समस्त भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वस्त्रों आदि पर प्रति व्यक्ति औसत व्यय लगभग २१ रु० था। मित के बने वस्त्र पर इसका ७४ प्रतिशत, हथकरघे के बने वस्त्र पर इसका २०.४ प्रतिशत, खट्टर पर इसका २.८१ प्रतिशत और ऊनी तथा अन्य प्रकार के वस्त्रों पर इसका २.७४ प्रतिशत व्यय हुआ।

अप्रैल, १९५१ से जून, १९५१ तक के 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' के दूसरे दौर में प्राप्त प्रांकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के २०.४ प्रतिशत परिवारों का मासिक व्यय ५० रु० प्रथम उससे कम और ५१.६ प्रतिशत परिवारों का मासिक व्यय १०० रु० से कम था। केवल ७.४ प्रतिशत परिवारों ने ही प्रति मास ३०० रु० से अधिक तथा २.३ प्रतिशत परिवारों ने ५०० रु० से अधिक व्यय किए। ७ प्रति सहस्र परिवारों का मासिक व्यय ८०० रु० से अधिक तथा ४ प्रति सहस्र परिवारों का मासिक व्यय १,००० रु० से अधिक था।

इसी सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार ने जन, १९५० से मई, १९५१ तक वर्ष के लिए लगभग २७.७४ रु० का विनियोग किया। इसमें से लगभग आधा व्यय मकानों, कुओं तथा तालाबों आदि को-बनवाने प्रथम उनमें सुधार करने के लिए और एक-तिहाई व्यय भूमि-सुधार के लिए किया गया।

भू-संक्रामित का रूप

'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' (जुलाई, १९५४-गार्च, १९५५) के आठवें दौर के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ६.५० करोड़ परिवार थे। इन ग्रामीण परिवारों के अधिकार में लगभग ३१ करोड़ भूमि होने का अनुमान लगाया था। शेष भूमि सरकार, गृही परिवारों तथा विभिन्न संस्थाओं के अधिकार में थी।

लगभग १.३ करोड़ परिवारों के पास कुछ भी भूमि नहीं थी। १ ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक परिवार के पास एक एकड़ से कम भूमि थी। लगभग १ ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक के पास या तो कुछ भी भूमि नहीं थी अथवा ५ एकड़ से कम भूमि थी। दूसरी ओर ३ ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक परिवार के पास १० एकड़ से अधिक भूमि तथा लगभग १ प्रतिशत परिवारों में से प्रत्येक परिवार के पास ४० एकड़ से अधिक भूमि थी।

इन सभी परिवारों में से प्रत्येक परिवार के अधिकार में औसतन लगभग ८.७० एकड़ भूमि होने का अनुमान लगाया गया था। यदि इन परिवारों में उन परिवारों को सम्मिलित न रखा जाए जिनके पास कुछ भी भूमि नहीं थी तो यह औसत बढ़कर लगभग ६ एकड़ हो जाएगा। लगभग १ लाख परिवारों में से प्रत्येक के पास १०० एकड़ से अधिक भूमि थी किन्तु २५० एकड़ से अधिक भूमि पर स्वामित्व रखने वाले परिवारों की संख्या कुछ ही हजार थी।

यह बड़े पैमाने की असमानता में प्रत्येक भारतीय ग्रामीण परिवार के अधिकार में होने वाली औसत भूमि दिखाई गई है। इसके साथ-साथ औसत भूमि से कम भूमि पर स्वामित्व

रहने वाले परिवारों (उन परिवारों गति उनके पास कुछ भी भूमि नहीं है) का कु
 प्राचीन परिवारों की तुलना में प्रतिगत भी इसी ताकत में स्थापना गया है ।

भारत १९५६

तामिना १७

प्रत्येक परिवार के अधिकार में होने वाली शीतत भूमि

क्षेत्र	शीतत भूमि (एकड़)	शीतत से कम भूमि पर स्वामित्व रहने वाले परिवारों का प्रतिगत
उत्तर भारत	१.५	६८
उत्तर-पश्चिम भारत	७.२	७४
दक्षिण भारत	३.४	७५
मध्यवर्ती भारत	८.२	७०
पश्चिम भारत	७.२	७२
पूर्व भारत	३.०	६६
सम्पूर्ण भारत	४.७	७३

६.३.५ प्रतिगत भारतीय प्राचीन परिवारों ने पट्टे पर कुछ भी भूमि नहीं दी, १२.५ प्रतिगत परिवारों ने अपनी प्राचीन भूमि पट्टे पर दी तथा २ प्रतिगत परिवारों ने सम्पूर्ण भूमि पट्टे पर दी । शेष २२ प्रतिगत परिवारों के पास कुछ भी भूमि नहीं है । १० प्राचीन परिवारों के पास परस्पर संयुक्त परिवार व्यवस्थागत रूप से कृषि करते थे । १० प्राचीन रूप से ही कृषि कर रहे थे और ४ प्रतिगत परिवार संयुक्त तथा व्यवस्थागत रूप से कृषि कर रहे थे ।

खेतों का रूप

'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' के दूसरे दौर के अवसर पर प्राचीन क्षेत्रों में परिवारों के उनके अपने-अपने स्वामित्व में होने वाली भूमि की लम्बाई-चौड़ाई के अनुसार वर्गीकृत किया गया था । तामिका सं० १८ में 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' के आठवें दौर (जुलाई, १९५४) के अनुसार परिवारों के अधिकार में होने वाले खेतों का रूप बिलगया गया है । 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' के आठवें दौर के अनुसार सम्पूर्ण प्राचीन भारत में प्राचीन परिवार के पास औसतन ५.३४ एकड़ भूमि थी । उत्तर-पश्चिम भारत, पश्चिम भारत तथा मध्यवर्ती भारत में प्रत्येक परिवार के पास ८ एकड़ से लेकर १० एकड़ और उत्तर भारत, दक्षिण भारत तथा पूर्व भारत में प्रत्येक परिवार के पास ३.३ एकड़ से ३.३ एकड़ भूमि थी ।

तालिका १८

परिवारों के अधिकार में आने वाले खेतों का रूप
(जुलाई, १९५४-मार्च, १९५५)

खेतों का प्रकार (एकड़)	कुल परिवारों का प्रतिशत	कुल जोती-बोई गई भूमि का प्रतिशत
—	६.३	—
०.०१—२.४९	४८.५	५.९
२.५०—४.९९	१५.९	१०.९
५.००—७.४९	९.३	१०.५
७.५०—९.९९	५.६	९.१
१०.००—१४.९९	५.५	१२.६
१५.००—२४.९९	४.९	१७.७
२५.०० तथा अधिक	४.०	३३.३
योग	१००.०	१००.०

गाँवों, कस्बों तथा नगरों में उपभोक्ता-व्यय का रूप

'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' के तीसरे दौर के अनुसार अगस्त-नवम्बर, १९५१ में प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक उपभोक्ता-व्यय गाँवों में २४.२२ रु०, कस्बों में ३१.५५ रु० और बनारसा, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास के लिए औसत मासिक व्यय ५४.८२ रु० था। सारे देश के लिए यह प्रति व्यक्ति औसत व्यय २५.७० रु० प्रति मास था।

साप्ताहिक रूप से होने वाले कुल व्यय का गाँवों में ४० प्रतिशत, कस्बों में २२ प्रतिशत तथा नगरों में ११ प्रतिशत व्यय हुआ। इसी प्रकार भोजन सम्बन्धी कुल व्यय का गाँवों में ६६ प्रतिशत, कस्बों में ५५ प्रतिशत तथा नगरों में ४६ प्रतिशत व्यय हुआ।

बस्त्रों पर होने वाला व्यय गाँवों, कस्बों तथा नगरों में एक-दो ही अनुदान का (६ प्रतिशत से कुछ अधिक) था। शिक्षा, सेवाओं, भूमि तथा करों आदि पर होने वाला व्यय कस्बों में गाँवों से अधिक तथा नगरों में कस्बों से अधिक था।

मूल्य

घरों के मूल्यों का सूचकांक (आधार वर्ष: १९५२-५३ = १००) जो दिसम्बर, १९५६ में १०८.१ था, अगस्त, १९५७ में ११२.० हो गया उसके बाद यह बढ़ाव रुक गया। और घरों के मूल्यों के सूचकांक कम होते रहे। दिसम्बर, १९५७ में यह सूचकांक १०७.१ रह गया तथा दिसम्बर, १९५८ में यह बढ़ कर फिर १११.४ हो गया। जनवरी, १९५९ में सभी श्रेणियों का सामान्य सूचकांक ११२.३ रहा।

१९५७-५८ में लाख-वस्तुओं; धाराय तथा तम्बाकू; ईंधन, विजली, प्रकाश तथा शीत प्रादि; औद्योगिक कच्चे माल; तैयार वस्तुओं के शोक मूल्यों के सूचनांक (प्राधार वर्ष: १९५२-५३ = १००) क्रमदा: १०६.४; ९४.०; ११३.६; ११६.५ तथा १०८.१ और सभी वस्तुओं का मिलाजुला सामान्य सूचनांक १०८.४ था।

१९५७-५८ में सरकार, मूल्यों में स्थिरता लाने का प्रयास करती रही क्योंकि योग्यता की सफलता के लिए ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है। आयात नीति सामान्यतः प्रति-बन्धात्मक रही, किन्तु विदेशों से लाद्यान्त प्राप्त करने के लिए बियोग ध्वंसका की गई। आयात किया गया लाद्यान्त जनता को सरकारी दुकानों के द्वारा देश भर में सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराया गया। १९५७ में ३५८० लाख टन लाद्यन्त का आयात किया गया। लाद्यान्तों के मूल्यों में और वृद्धि न होने देने तथा इनके जमा किए जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ राज्यों में गेहूँ तथा चावल के लिए क्षेत्र स्थापित (बलोरेबाजी) करके, अधिकतम मूल्य निर्धारित करने तथा चुने हुए क्षेत्रों में लाद्यान्त का संग्रह करने के प्रतिरिक्त और अनेक उपाय भी किए गए। विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण लाद्यान्तों का यथासम्भव न्यूनतम आयात किया गया। लाख सम्बन्धी नीति के मुख्य उद्देश्यों में बाजारों में अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, जमा किए जाने पर रोक लगाना वितरण के लिए आवश्यक नियन्त्रण लागू करना सम्मिलित है।

उपभोगी मूल्य

इस अवधि में मूल्यों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप श्र्लित भारत महङ्कर घर्म उपभोगी मूल्य सूचनांक में दिसम्बर, १९५७ से दिसम्बर, १९५८ के बीच ५.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिसम्बर, १९५७ में यह सूचनांक ११३ था और दिसम्बर, १९५८ में बढ़कर ११६ हो गया।

सत्रहवाँ अध्याय

आयोजन

श्री एम० विद्देश्वरय ने 'भारत के लिए आयोजित अर्थव्यवस्था' (१९३४) शीर्षक अपनी पुस्तक में आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया तथा समस्त भारत के आयोजित आर्थिक विकास के लिए एक दसवर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के आयोजित आर्थिक विकास की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने तथा व्यावहारिक योजनाएँ सुझाने के लिए १९३८ में एक 'राष्ट्रीय योजना समिति' स्थापित की। समिति ने एक प्रस्तावली जारी की और द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर इस विषय पर एक पुस्तकमाला प्रकाशित की।

भारत सरकार ने युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विचार तथा कार्य करने के लिए जून, १९४१ में कई 'पुनर्निर्माण समितियाँ' नियुक्त कीं और जुलाई, १९४४ में एक 'योजना तथा विकास विभाग' स्थापित किया। उसी वर्ष प्रांतीय सरकारों को भी युद्धोत्तर विकास की योजनाएँ तैयार करने के लिए कहा गया।

द्वितीय महायुद्ध के समय में जो कई गैर-सरकारी योजनाएँ तैयार की गईं, उनमें से भी दो : (१) डम्बई के अर्थशास्त्रियों तथा उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई 'डम्बई योजना', (२) श्री एम० एन० राय द्वारा प्रस्तुत 'लोक-योजना' तथा (३) श्री भीमन्नारायण द्वारा तैयार की गई गान्धीवादी योजना।

स्थापना प्राप्त करने के बाद भारत सरकार ने देश के संसाधनों का अधिक से अधिक कारगर तथा सन्तुलित उपयोग करने की दृष्टि से एक योजना तैयार करने के लिए मार्च, १९५० में एक 'योजना आयोग' की स्थापना की। जुलाई, १९५१ में उत्तरे अग्रिम, १९५१ से मार्च, १९५६ तक के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राह्य तैयार किया। दिसम्बर, १९५२ में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना अन्तिम रूप से संसद् में प्रस्तुत कर दी गई।

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में विकासकार्य प्रारम्भ करना या जिम्मे लोगों के रह-रहान का स्तर ऊँचा उठाया जा सके और उन्हे उन्नत जीवन बिताने के लिए नये प्रकार प्रदान किए जा सकें। योजना का उद्देश्य केवल संसाधनों का ही विकास करना

नहीं, वस्तु-मानवीय गुणों का विनाश करना और लोगों को भावशुश्रूषा तथा भावनाओं से अलग करके एक समाज की रचना करना भी था।
 १९७७ तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना एक दीर्घकालीन उद्देश्य रखा गया है। प्रथम योजनाकाल (१९५१-५६) में राष्ट्रीय आय को ६० अर्ब रुपये से बढ़ाकर १ अर्ब ६० करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया। अर्धकालीन रूप से यह उद्देश्य १९५५-५६ तक १ अर्ब ६० करोड़ रुपये तक ११ प्रतिशत तथा १९६७-६८ तक २० प्रतिशत तक बढ़ाया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना क्षेत्र के विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास की तैयारी करना था। सर्वज्ञान-क्षेत्र को बढ़ाकर २३.५६ अर्ब ६० करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया। प्रथम योजनाकाल में सिंचाई तथा विद्युत्-उत्पादन के साथ-साथ कृषि के विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई। परिवहन तथा संचार-साधनों के विकास को भी प्राथमिकता मिली। औद्योगिक विकास निजी उद्योगपतियों को पहले तथा निजी संस्थापन को छोड़ दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में मुख्य मर्दों पर धुआँ वास्तविक व्यय निम्न ताविक में बिलालाया गया है :

तालिका १६
 मुख्य मर्दों पर वास्तविक व्यय (प्रथम योजना)

योग	वास्तविक व्यय (अर्ब ६०)	कुल व्यय का प्रतिशत
कृषि तथा सामुदायिक विकास	२.६६	१४.८
सिंचाई तथा विद्युत्	५.८५	२६.१
उद्योग तथा खनन	१.००	५.०
परिवहन तथा संचार-साधन	५.३३	२६.४
समाज सेवाएँ	५.२३	२१.०
विविध	०.७४	३.७
	२०.१३	१००.०

२०.१३ अर्ब रुपये के धर्कड़े जो उपर्युक्त तालिका में दिए गए हैं, पाँचवें वर्ष के लिए संगोपित प्रावक्तकों पर आधाति हैं। पुनर्विचार किए जाने के फलस्वरूप प्रथम वास्तविक व्यय १६.६० अर्ब ६० होने का अनुमान लगाया गया है।

वित्तीय स्रोत

१९६० वर्ष रुपये के व्यय के वित्तीय स्रोत निम्न थे :

	(वर्ष रुपयों में)
(१) राजस्व स्रोतों से (रेतों के योगदान सहित)	७.५२
(२) जनता से लिया गया ऋण	२.०५
(३) छोटी बचतें तथा धनिधिबद्ध ऋण	३.०४
(४) अन्य विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	०.६१
(५) बाल्य सहायता	१.८८
(६) हीनार्थ प्रवर्धन	४.२०
	<hr/>
	१९.६०

लक्ष्य तथा सफलताएँ

प्रथम योजना के अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उद्देश्य बहुत कुछ प्राप्त कर लिए गए। घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई तथा अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई। प्रथम योजना के अन्त में मूल्य-स्तर, योजना लागू होने से पूर्व के मूल्य-स्तर से १५ प्रतिशत कम था।

राष्ट्रीय आय (एकतार मूल्यों में) १९५५-५६ में बढ़कर लगभग १ लाख ४ अरब ८० करोड़ ६० हो गई, जो १९५०-५१ में ८८.५० अरब ६० थी। इसी काल में प्रति व्यक्ति आय भी २४६ ६० से बढ़ कर २७४ ६० हो गई, जबकि प्रति व्यक्ति उपभोग में लगभग ८ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में विनियोग की दर में भी वृद्धि हुई।

विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य तथा सफलताएँ निम्न तालिका में दिखाई गई हैं :

तालिका २०

प्रथम योजना के लक्ष्य तथा सफलताएँ

	१९५०-५१	१९५५-५६ तक होनेवाली वृद्धि (लक्ष्य)	१९५५-५६ (सफलताएँ)	१९५०-५१ पर १९५५-५६ में हुई वृद्धि
कृषि-उत्पादन				
साधान (करोड़ टन)	५.४०	०.७६	६.४६	+१.०६
कपास (लाख गाँठ)	२६.७०	६२.६०	४०.००	+१०.३०
पटसन (लाख गाँठ)	३३.००	२०.६०	४२.००	+९.००
गन्ना गूह के रूप में (लाख टन)	५६.२०	७.००	५८.६०	+२.४०
निम्न (लाख टन)	५०.८०	४.००	५६.६०	+५.६०

विवरण	१	२	३	४	५
विद्युत् (प्रस्थापित क्षमता) (लाभ किलोवाट)					
सिंचाई (करोड़ एकड़)		२३.००			
श्रीयोगिक उत्पादन		५.१०	१३.००	३४.००	+११.००
तेपार इस्पात (लाभ टन)		६.८०	६.७०	१२.८०	+३.००
कच्चा लोहा (लाभ टन)		१५.७०	१२.६०	१७.६०	+२.९०
सीमेण्ट (लाभ टन)		२६.६०	२१.१०	४५.६०	+१९
ग्रामोनियम सल्फेट (हजार टन)		४६.३०	४०४.००	३६४.००	+३४७.७०
रेल-इंजिन		३	१७०	१७६	+१७३
पट्टान से बनी वस्तुएं (लाभ टन)		८.२४	३.७६	१७६	+१७३
मिल का बना वस्तु (करोड़ घन)		३७१.८०	६८.२०	१७६	+१६८
साइकिल (लाभ)		०.६७	४.३३	१०.५४	+१३
परिवहन					
जहाजरानी (लाभ जी० घ्रा० टी०)		३.६०	२.२०	५.१०.२०	+१३८
राष्ट्रीय राजपथ (हजार मील)		१२.३०	०.६०	५.१३	+४.१
सरकारी सड़कें (हजार मील)					
पक्की कच्ची		६७.५०	४.८०	५.६०	+०.६०
स्वास्थ्य		१५१.००	१२.६०	१२१.६०	+१०.६०
अस्पताल (लाभ)					
दवाखाने तथा अस्पताल (शहरी तथा ग्रामीण)		१.१३	१६५.१०	१२४.१०	+२४.१०
शिक्षा					
प्राथमिक स्कूल (हजार)		८.६००	१.३६	१.३६	+४४.१०
प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थी (लाभ)					
स्कूल जाने वाले ६-११ वर्ष के बालक-बालिकाओं का प्रतिगत		२०६.७०	१,४००	६,८०६	—
बुनियादी स्कूल		१८६.८०	—	—	—
बुनियादी स्कूलों में विद्यार्थी (लाभ)		४१.२	२८०.००	४७०.३०	+७०.३०
		१,७५६	२४८.१०	४६१.३०	+६१.३०
		१.८५	५१.१	—	+६६
		—	१५,८००	—	+२४,०४६
		—	११.०	—	+६.१४

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

उद्देश्य

द्वितीय पंचवर्षीय योजना १५ मई, १९५६ को संगठित की गई। इसके मुख्य उद्देश्य हैं: (१) राष्ट्रीय घाय में २५ प्रतिशत वृद्धि, (२) विशेषकर मूलभूत तथा भारी उद्योगों के विकास के साथ द्रुत गति से औद्योगीकरण, (३) रोजगार के अधिक अवसरों की सुविधा तथा (४) घाय और धन में पाई जाने वाली असमानता में कमी तथा धन का समान वितरण।

व्यय तथा आवण्टन

द्वितीय योजनाकाल में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विकासकार्यों पर ४८ अर्ब ६० व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रथम योजना में लक्ष्य २३.५६ अर्ब ६० के व्यय का रखा गया था और वास्तविक व्यय १६.६० अर्ब ६० का हुआ। इसमें स्थानीय विकासकार्यों को कार्यान्वित करने में जनता द्वारा दिया गया योगदान सम्मिलित नहीं है। विकास के मुख्य मर्कों का व्यय-विभाजन निम्न तालिका में दिखाया गया है:

तालिका २१

योजना के अन्तर्गत मुख्य विकास शीर्षकों के अनुसार व्यय-विभाजन

	प्रथम पंचवर्षीय योजना		द्वितीय पंचवर्षीय योजना		प्रथम योजना पर द्वितीय योजना की प्रतिशत वृद्धि
	कुल व्ययस्था (अर्ब २०)	प्रतिशत	कुल व्ययस्था (अर्ब ६०)	प्रतिशत	
इसि तथा सामुदायिक विकास	३.५७	१५.१	५.६८	११.८	५६.१
निर्बाई तथा विद्युत् उद्योग तथा खनन	६.६१	२८.१	६.१३	१६.०	३८.१
परिवहन तथा संचार-साधन	१.७६	७.६	८.६०	१८.५	३६७.२
समात्र सेवाएँ	५.५७	२३.६	१३.८५	२८.६	१४८.७
बिबिध	५.३३	२२.६	६.४५	१६.७	७७.३
	०.६६	३.०	०.६६	२.१	४३.५
योग	२३.५६	१००.०	४८.००	१००.०	

४८ अर्ब ६० के कुल व्यय में से २५.५६ अर्ब ६० केन्द्रीय सरकार तथा २२.४३ अर्ब ६० राज्य सरकारों वहन करेंगी। कुल व्यय में से ३८ अर्ब ६० का उपयोग विनियोग के लिए तथा १० अर्ब ६० का उपयोग खालू विकास व्यय के लिए किया जाएगा।

द्वितीय योजनाकाल में निजी क्षेत्र में २४ अर्ब ६० का विनियोग इस प्रकार होते की सम्भावना है :

संगठित उद्योग तथा खनन	(अर्ब ६०)
बागान, विद्युत् तथा परिवहन (रेलों को छोड़कर)	५.७५
निर्माणकार्य	१.२५
हृषि और ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योग	१०.००
स्टॉक	३.००
	<u>४.००</u>
	२५.००

लक्ष्य
द्वितीय योजना के अन्तर्गत रखे गए उत्पादन तथा विकास के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं :

तालिका २२
उत्पादन तथा विकास के मुख्य लक्ष्य (द्वितीय योजना)

वर्ष	१९६०-६१	१९५५-५६ १९६०-६१ के प्रतिगत वृद्धि
साधान (टन)	७,५०,००,०००	१५
कपास (गॉठ)	५५,००,०००	३१
गन्ना—कच्चा गूड़ (टन)	७१,००,०००	२२
तिलहन (टन)	७०,००,०००	२७
पदसन (गॉठ)	५०,००,०००	२५
घाय (घोषड)	७०,००,००,०००	६
राष्ट्रीय विस्तार सखड	३,८००	६६०
सायुनायिक विकास सखड	१,१२०	८०
सिचाई तथा विद्युत्	८,८०,००,०००	३१
सौचो गई भूमि (एकर)	६६,००,०००	१०३
विद्युत् (प्रस्थापित क्षमता) (किलोवाट)	१,२५,००,०००	१६१
रानिज पदार्थ	६,००,००,०००	५८
कच्चा सोडा (टन)	१,२५,००,०००	
कोयला (टन)	६,००,००,०००	
बड़े पैमाने के उद्योग	१,२५,००,०००	१३१
मैयार इापान (टन)	२५,०००	६३३
कागजनिचय (टन)		

द्वितीय योजनाकाल में निम्नो श्रेणियों में २५ करोड़ ६० लाख का विनियोग इस प्रकार होने की सम्भावना है :

संगठित उद्योग तथा तानन	(घरों ६०)
मत्तान, विद्युत् तथा परिष्कृत (रेलों को छोड़कर)	५.७५
निर्माणकार्य	१.२५
कृषि और ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योग	१०.००
स्टॉक	३.००
लक्ष्य	५.००
	<u>२५.००</u>

द्वितीय योजना के अन्तर्गत रखे गए उत्पादन तथा विकास के प्रकार हैं :

ज उत्पादन तथा विकास के मुख्य लक्ष्य (द्वितीय योजना)

तालिका २२

कृषि	१९६०-६१
साधान (टन)	
कपास (गाँठ)	
गन्ना—कच्चा गुड़ (टन)	
तिलहन (टन)	
पटसन (गाँठ)	
चाय (थोण्ड)	
	७,५०

राष्ट्रीय विस्तार खण्ड
सामुदायिक विकास खण्ड
सिंचाई तथा विद्युत्
सौंजी गई भूमि (एकड़)
विद्युत् (अस्थापित क्षमता) (किलोवाट)

खनिज पदार्थ
कच्चा लोहा (टन)
कोयला (टन)

बड़े पैमाने के
तैयार

तालिका २४

राष्ट्रीय आय, विनियोग, बचत तथा उपभोग

(१९५२-५३ के मूल्यों के आधार पर अर्ब रुपयों में)

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	प्रतिशत वृद्धि	
				१९५१-५६	१९५६-६१
रूपि तथा सम्बन्धित कार्य	४४.५०	५२.३०	६१.७०	१८	१८
खनन	०.८०	०.६५	१.५०	१६	५८
कारखाने	५.६०	८.४०	१३.८०	४३	६४
छोटे उद्यम	७.४०	८.४०	१०.८५	१४	३०
निर्माणकार्य	१.८०	२.२०	२.६५	२२	३४
वारिधय, परिवहन तथा संचार-साधन	१६.५०	१८.७५	२३.००	१४	२३
स्वयंसेवा तथा सेवाएँ (सरकारी प्रशासन सहित)	१४.२०	१७.००	२१.००	२०	२३
रूप राष्ट्रीय उत्पादन (राष्ट्रीय आय)	६१.१०	१०८.००	१३४.८०	१८	२५
अनिश्चित आय (६०)	२५३	२८१	३३१	११	१८
विनियोग, बचत तथा उपभोग					
शुद्ध विनियोग	४.४८	७.६०	१४.४०	—	—
शुद्ध विदेशी संसाधन	-०.०७	०.३४	१.३०	—	—
शुद्ध घरेलू बचत	४.५५	७.५६	१३.१०	—	—
उपभोग-अथवा (शुद्ध घरेलू बचत को निश्चय कर राष्ट्रीय आय)	८६.५५	१००.४४	१२१.७०	—	—
राष्ट्रीय आय में विनियोग का प्रतिशत	४.६४	७.३१	१०.६८	—	—
घरेलू बचत (राष्ट्रीय आय का प्रतिशत)	४.६८	७.००	९.७०	—	—

निजी क्षेत्र में विनियोग

निजी क्षेत्र में २४ अर्ब ६० के विनियोग की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इसमें से ७.२० अर्ब ६० औद्योगिक विकास के लिए (खनन, विद्युत-उत्पादन तथा वितरण, वायानों और छोटे कमाने के उद्योगों को छोड़ कर); ५.७० अर्ब रुपये नये विनियोगों के लिए तथा १.५० अर्ब रुपये प्राधुनिकीकरण के लिए उपयोग में लाए जाने का विचार है। ६.६५ अर्ब रुपये की शेष राशि के विरुद्ध निजी क्षेत्र के संसाधन ६.२० अर्ब रुपये होने का अनुमान लगाया गया है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है :

तालिका २५
निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों के प्राक्कलन (द्वितीय योजना)

औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय वित्त निगमों और औद्योगिक श्रृंखला तथा विनियोग निगम से श्रृंखला केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष तथा कर्तव्यशक्त श्रृंखला	१९५१-५६	१९५५
	विदेशी पूंजी	१८
नये संसाधन	२६	२०
प्राथमिक संसाधन (नये विनियोग धारि)	४२-४५	१००
घाय स्रोत	४०	८०
	१५०	२००
	६१-६४	८०
योग	३४०	६२०

विदेशी विनियोग की स्थिति

सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के प्रायात में द्वितीय योजना के प्रारम्भ से ही हुई वृद्धि के फलस्वरूप विदेशी भूगतान में देय पर काफी बचाव रहा है। प्रायात में पर वृद्धि मुख्यतः द्वितीय योजना के विकास योजनाकार्यों की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप हुई। विदेशी भूगतान की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से प्रायात में कुछ कमो लिए जाने की नीति अपनाई गई है तथा निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस स्थिति पर नियंत्रण पाने की दृष्टि से विभिन्न उद्योगों के लिए विदेशी निर्यात की व्यवस्था का प्राथमिकता के क्रमानुसार नियमन किया जा रहा है। सब से प्राथमिक प्राथमिकता इत्यादि संयंत्रों, कोयला, रेल, वायुमार्ग तथा विविध विद्युत् योजनाकार्यों को

वी जा रही है। इसके प्रतिरिक्त विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में कोई नये वायदे भी नहीं किए जा रहे हैं। १९५७ के अन्त में यह अनुमान लगाया गया था कि आवश्यक योजनाकार्यों को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के लिए ७ अरब ६० को नयी बाह्य सहायता की आवश्यकता पड़ेगी।

पुनर्विचार

द्वितीय योजना पर कार्य आरम्भ होने के समय से जिम्सों के मूल्यों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप योजना पर होने वाले व्यय में वित्तीय दृष्टि से अधिक वृद्धि होनी निश्चित थी। किन्तु, योजना को कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप आन्तरिक तथा बाह्य संसाधन कम होने की दृष्टि से 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' ने मई, १९५८ में हुई अपनी बैठक में यह निश्चय किया कि योजना के लिए वित्तीय दृष्टि से कुल व्यय ४८ अरब ६० ही रखा जाना चाहिए। इसके पदचात संसाधनों पर फिर से विचार किए जाने के परिणामस्वरूप योजना पर होने वाले व्यय को दो भागों में बाँटने का निश्चय किया गया। योजना के प्रथम भाग में वृद्धि-उत्पादन में वृद्धि करने से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित योजनाकार्यों तथा कार्यक्रमों के प्रतिरिक्त अन्य 'आवश्यक योजनाकार्य' भी सम्मिलित रहेंगे। शेष योजनाएँ योजना के द्वितीय भाग में सम्मिलित रहेंगी जो उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही कार्यान्वित की जाएगी।

योजना के प्रथम भाग के लिए निर्धारित ४५ अरब ६० के व्यय में से केन्द्र (सघीय क्षेत्र सहित) २५.१२ अरब ६० वहन करेगा तथा राज्य १९.८८ अरब ६०।

अन्तिम रूप से निर्धारित किए गए व्यय के अनुसार योजना के लिए संशोधित व्यय निम्न तालिका में दिखाए गए हैं :

तालिका २६

व्यय के संशोधित आवण्टन (द्वितीय योजना)

(अरब ₹)

योजना का प्रथम भाग	संशोधित व्यय अरब ₹ की सीमा में अन्तर-अन्तर।
वृद्धि तथा सामुदायिक विकास	५.१०
निर्बाई तथा विद्युत्	८.२०
कान तथा छोटे पैमाने के उद्योग	१.६०
उद्योग तथा सैनिक पदार्थ	७.९०
सर्विस तथा संचार-साधन	११.४०
कमात्र संवर्धन	८.१०
अन्य	०.३०
योग	४५.६०

अगले दो वर्षों में संसाधन निम्न तालिका में १९५६-५६ तथा १९५६-६१ के लिए केंद्र तथा राज्यों के संसाधनों तथा कुल उपलब्ध संसाधनों के प्राक्कलन दिखाए गए हैं :

तालिका २७
संसाधन (योजना)

	प्रथम तीन वर्षों के लिए प्राक्कलन (१९५६-५६)		अन्तिम दो वर्षों के लिए प्राक्कलन (१९५६-६१)		(सर्व ६०) पाँच वर्षों के लिए कुल संसाधन
	५.२८	३.२२	३.२२	३.२४	
घरेलू बजट सम्बन्धी संसाधन	४.२८	३.२२	३.२२	३.२४	७.५०
बालू राजस्व का शेष	१.२६	१.२४	१.२४	२.७७	२.५०
रेलों का योगदान	४.४१	२.७७	२.७७	१.७३	७.
जनता से ऋण (शुद्ध)	२.११	१.७३	१.७३	०.०६	३.८
छोटी बचतें	— ०.८०	०.०६	०.०६	६.०२	— ०.७४
अनिधिबद्ध ऋण तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	११.२६	६.४२	६.४२	१५.४४	२०.६८
कुल घरेलू संसाधन	४.५८	३.२२	३.२२	३.२४	११.२८
बाह्य सहायता	—	—	—	—	—
कुल बजट सम्बन्धी संसाधन तथा बाह्य सहायता	१५.८४	१५.४४	१५.४४	१५.४४	३१.६
केंद्रीय सहायता	—	—	—	—	—
केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त संसाधन	१५.८४	१५.४४	१५.४४	१५.४४	३१.६
होनार्थ प्रवन्धन	८.८२	२.१०	२.१०	२.१०	१०.६२
कुल संसाधन—योजना व्यय	२४.६६	१७.५४	१७.५४	१७.५४	४६.२०

इस समय जो धारा है, उसके अनुसार केंद्र और राज्य मिलकर अगले दो वर्षों १७.५४ एवं रुपये के संसाधनों की ही व्यवस्था कर सकेंगे, जबकि ४५ एवं ६० के कुल संसाधनों की पूर्ति के लिए २ वर्षों में २०.३४ एवं ६० की आवश्यकता होगी। इस प्रकार २०.८० एवं ६० की कमी रहती है। संसाधनों की इस कमी पर विचार करते हुए 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' ने नवम्बर, १९५८ में निम्न निर्णय लिए: (१) राज्य सरकारों का योग्य ध्यापार करने हेतु में ले लें,

(२) सभी राज्यों में ग्राम सहकारिताओं के संगठन पर जोर दिया जाए, (३) केन्द्र तथा राज्यों के निर्माण-व्यय में मितव्ययिता की जाए तथा प्रतिरिक्त संस्थाओं का विकास किया जाए और अन्त में (४) द्वितीय योजनाकाल में व्यय ४५ अर्ब ६० तक ही सीमित रखने के सम्बन्ध में मई, १९५८ में किए गए निर्णय का पालन किया जाए ।

हीनार्य-प्रबन्धन

संस्थाओं के उपर्युक्त प्राक्कलन में अगले दो वर्षों के लिए हीनार्य-प्रबन्धन प्रति वर्ष १० अर्ब रुपये का ही रखने का निर्णय किया गया है । वर्तमान मूल्यों और मजदूरी तथा वेतनों में हो रही वृद्धि को देखते हुए हीनार्य-प्रबन्धन के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधानी के साथ व्यवस्था की जानी चाहिए । हीनार्य-प्रबन्धन जितना कम हो उतना ही अच्छा है । अल्प-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने तथा लक्ष्यदायों के मूल्यों में कमी आने पर ही हीनार्य-प्रबन्धन आवश्यकतानुसार सीमित रखा जा सकता है ।

योजनाकाल में भुगतानों के निपटारे में २० अर्ब ६० की कमी पड़ने का अनुमान है । १० अर्ब ६० की कमी इस समय ही पड़ रही है । रिजर्व बैंक के पान वीण्ड-पावने की राशि २ अर्ब ६० ही होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसमें और कमी न पड़ने दी जाए । अक्टूबर, १९५८ से मार्च, १९५९ तक के समय में विदेशी विनिमय के अनुमानित अन्तर को पूरित के लिए ३५ करोड़ डॉलर की बाह्य सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है । इस योजनाकाल के लिए ६५ करोड़ डॉलर की बाह्य सहायता की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिए अभी व्यवस्था करनी शेष है । द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक देश पर विदेशी ऋण बहुत अधिक हो जाएगा । इस स्थिति को देखते हुए सामान्य ऋण तथा रिफ़ाइनान्स के प्रतिरिक्त लक्ष्य यस्तुओं का और आश्रय नहीं लिया जाएगा ।

प्रठारहवाँ अध्याय सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसका उद्देश्य भारत को विनाश ग्रामीण जनसंख्या-
व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण करना है, २ अक्टूबर, १९५२ को चुने हुए ५५ योजनाकार्य-
क्षेत्रों में प्रारम्भ किया गया था। प्रदेश योजनाकार्य में ५०० वर्ग मील के क्षेत्रों में फैले हुए
लगभग २ लाख की जनसंख्या के लगभग ३०० गाँव प्राते हैं। यह कार्यक्रम 'ग्रामीण सहायता
स्वयं करने' का कार्यक्रम है जिसका प्रायोजन तथा जिम्मे कार्यान्वित स्वयं प्राप्ति को ही
करना है। सरकार को श्रौर से केवल प्राविधिक भागदर्शन तथा वित्तीय सहायता मिलेगी।
पंचायतों, सहकारी समितियों और विकास मण्डलों जैसे लोक संगठनों द्वारा सामूहिक
चिन्तन तथा सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन दिया जाता है।
इस कार्यक्रम में कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। इसकी गतिविधियों में
उत्तम संचार-साधनों की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य तथा सफाई की सुविधाओं में सुधार करना,
उत्तम प्रावास की व्यवस्था करना, शिक्षा का प्रसार करना, नारी तथा बाल कल्याण-कार्य
करना और कुटीर तथा छोटे पंमाने के उद्योगों का विकास करना सम्मिलित है।

यह कार्यक्रम 'खण्डों' के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक खण्ड में सामा-
न्यतः १५० वर्ग मील में फैले तथा ६०-७० हजार की जनसंख्या से कुछ १०० गाँव प्राते हैं।
कुछ ही समय पूर्व तक यह कार्यक्रम तीन अलग-अलग चरणों में किया जाता रहा।
अप्रैल, १९५८ में इस पद्धति के स्थान पर दो चरणों में कार्य करना प्रारम्भ किया
गया। पाँच वर्ष भरपूर विकास का कार्य किए जाने के बाद प्रत्येक खण्ड के दूसरे चरण
कार्यकाल प्रारम्भ होता है। दूसरे चरण का विकासकार्य प्रगते पाँच वर्षों तक कुछ कम व्य-
के साथ किया जाता है।

३१ दिसम्बर, १९५८ तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग १६.५० करोड़ की जन-
संख्या के ३,०२,९४७ गाँवों से युक्त २,४०५ खण्ड आ चुके थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम
को कार्यान्वित करने की इस परिवर्धित पद्धति का प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप अब
१९६३ तक सम्पूर्ण देश इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएगा।

वित्त

कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वित्त की व्यवस्था जनता तथा सरकार मिलकर
करती हैं। प्रत्येक खण्ड-क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिए जनता से नकद तथा धन के रूप
में साधन

में प्राप्त होने वाले सर्वोत्कृष्ट योगदान की मात्रा निर्धारित होती है। वित्तीय सहायता सरकार की ओर से मिलने की गिनती में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकारों पर होने वाले व्यय की गणना रूप में तथा अनाथान केंद्रों पर होने वाले व्यय को ३ : १ के अनुपात में वहन करती है। गिचाई तथा भूमि-पुनर्गठन जैसे कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार श्रद्धों के रूप में राज्य सरकारों को आवश्यक वित्तीय सहायता देती है। गण्डों में नियुक्त कर्मचारियों पर राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले व्यय में से भी प्रायः भाग केन्द्रीय सरकार वहन करता है।

जनता द्वारा योगदान

गिनतबर, १९५८ के अन्त तक जनता ने ६५.६८ करोड़ रुपये के मूल्य का योगदान दिया जो १ अर्ब ३ करोड़ ४० लाख रुपये के कुल सरकारी व्यय का लगभग ६४ प्रतिशत है।

योजनाओं के अन्तर्गत व्यय

प्रथम योजनाकाल के लिए निर्धारित ६६.५० करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में इस अवधि में केवल ५२.४० करोड़ रुपये ही व्यय किए गए। इस प्रकार ४४.१० करोड़ रुपये की शेष निर्धारित राशि का उपयोग द्वितीय योजनाकाल में किया जाएगा। द्वितीय योजना के लिए २ अर्ब रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है।

सड़कों का व्यय

राज्यीय योजनाओं में व्यय-विभाजन लण्डों के अनुसार किया जाता है। प्रथम चरण के प्रत्येक लण्ड पर ५ वर्षों के लिए १२ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार द्वितीय चरण के प्रत्येक लण्ड पर भी ५ वर्षों के लिए ५ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था रखी गई है। विस्तार-पूर्व अवधि में कृषि-विकास के लिए १८,००० रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है।

बांध सहायता

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपकरणों के आयात के लिए 'प्राविधिक सहयोग मण्डल संघर्ष करार' के अनुसार अमेरिकी सरकार से १ करोड़ ४२ लाख ४० हजार डालर प्राप्त हुए। योजनाकार्य-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ड प्रतिष्ठान से भी सहायता प्राप्त हुई।

संगठन

केंद्र में

इस कार्यक्रम का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय पर है। आधारभूत नीति सम्बन्धी प्रश्न केन्द्रीय समिति के सम्मुख रखे जाते हैं। इस समिति में योजना आयोग के सदस्य, खाद्य तथा कृषि मन्त्री और सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्री होते हैं। प्रधान मन्त्री इस समिति का अध्यक्ष होता है। विविध समितियों द्वारा तत्सम्बन्धी मन्त्रालयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

एक कार्य को कार्यान्वित करने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को राज्यीय विकास समितियों द्वारा कार्यान्वित करती हैं। इन समितियों में राज्य के मुख्यमंत्री, विकास मंत्री तथा विकास प्रायुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री इनके प्रथम तथा विकास प्रायुक्त इनके कार्यान्वयन-सचिव होते हैं। कार्यक्रम का कार्यपालक प्रधान-विकास प्रायुक्त होता है। जितनों में इसको कार्यान्वित किए जाने का दायित्व कनवर्टों पर होता है।

राज्यों में

राज्यों में एण्ड-विकास-प्रधिकारों की सहायता के लिए कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग तथा सहकारिता जैसे विषयों के विशेष एंड विस्तार-प्रधिकारों होते हैं। गाँवों में ग्रामसेवक, बहुधनी विस्तार अभिकर्ता (एजेन्ट) के रूप में १० कार्य सहायता है।

विस्तार संगठन

राज्यों तथा गाँवों में 'विस्तार संगठन' दो कार्य करता है। यह ग्रामीणों व्यावहारिक शोध आदि की जानकारी कराता और उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाले वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। ग्रामीणों की समस्याओं को यह संगठन विशेष अध्ययन आदि के लिए शोध संस्थाओं तक पहुँचाता है।

सामुदायिक संगठन

प्रायोजन तथा कार्यान्वयन का दायित्व लोक संगठनों पर है। चुनी हुई पंच-प्रायोजक आँकड़ों का संग्रह करती तथा महत्व के प्रमुख क्रम से योजनाएँ निर्धारित करती हैं। प्राथमिक सहकारी समितियाँ तथा गाँवों के स्कूल भी इस कार्यक्रम से सम्बन्धित रहते हैं।

खण्ड विकास समिति

'खण्ड विकास समितियों' में पंचायतों तथा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, कुछ प्रगतिशील हूपक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा कार्यकर्त्रियाँ, तत्सम्यन्धी क्षेत्र के संसद-सदस्य तथा विधानसभाई सदस्य रहते हैं। ये समितियाँ अपने-अपने क्षेत्रों की विकास योजनाएँ बनाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। कुछ राज्यों में 'खण्ड पंचायत समितियाँ' स्थापित करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

प्रशिक्षण

देश में ७५ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र हैं जहाँ ग्रामसेवकों को दो वर्षों का प्रशिक्षण दिया जाता है। दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक ३३,००० से अधिक ग्रामसेवकों को प्रशिक्षण

या गया। घरेलू अर्थशास्त्र विभाग से युक्त २७ प्रशिक्षण केन्द्रों में ग्रामसेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। समाज-शिक्षा संगठनकर्ताओं तथा सख्त विकास अधिकारियों के लिए देश में क्रमशः १४ तथा ६ प्रशिक्षण केन्द्र हैं। १० केन्द्रों में मुख्य सेविकाओं (समाज-शिक्षा संगठनकर्त्रियों) को प्रशिक्षण दिया जाता है।

सहकारिता तथा उद्योग सम्बन्धी सख्त विस्तार अधिकारियों को क्रमशः ८ तथा ११ प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए देश में ३ प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त सहायक उपचारिकाओं—बाइयों, महिला स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं तथा धारियों—के प्रशिक्षण के लिए क्रमशः ६६ से अधिक, ६ तथा ६ केन्द्र हैं।

सामुदायिक विकास सम्बन्धी प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए १९५८ में मसूरी में एक 'केन्द्रीय सामुदायिक विकास सत्या' स्थापित की गई।

गैर-सरकारी व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए ग्रामोण क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक निवृत्त कराए जाते हैं। ग्रामसेवकों की सहायता के लिए १० साल से अधिक ग्रामसेवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसी प्रकार का प्रशिक्षण सख्त विकास समितियों, पंचायतों, तथा सहकारी समितियों के सदस्यों को भी देने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

सफलताएँ

३० सितम्बर, १९५८ तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त सफलता का निम्नलिखित नीचे दिया गया है :

इस

उन्नत बीज बाँटे गए (मन)	१ ५३,६८,०००
शासनात्मक उर्वरक बाँटा गया (मन)	३,६०,३६,०००
उन्नत बीजार दिए गए	११ ७५ ०००
कृषि सम्बन्धी प्रदर्शन किए गए	४८,५१,०००
क्षेत्रफल जिसमें हरी खाद की गई (एकड़)	६१,५०,०००
साह के गड्ढे खोदे गए	५०,१५,०००

पशुपालन

उन्नत पशु दिए गए	४२,६००
उन्नत पशु दिए गए	६,०३,०००

शान्ति तथा सफाई

पानी की टट्टियाँ बनाई गई	५,०३,०००
पानी की बनाई गई (गल)	१,८६ १५,०००
दिना घुँगे के बूट्टे बनाए गए	१,६०,५००

पानी की गलियाँ पक्की की गईं (भाग गठ)
 पीने के पानी के कुएँ लोड़े गए
 पीने के पानी के कुएँ साफ किए गए

८४,५०.००
 १,९६,
 १,९५,०

समाज शिक्षा

घातू प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
 प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया
 याचनालय लोड़े गए
 लण्ड मुरयालयों में सूचना केन्द्र
 सामुदायिक केन्द्र स्थापित किए गए

८७,०००
 २६,६८,०००
 ४५,१००
 १,६६६
 १,०२,०००

सामुदायिक संगठन

युवक तथा कृषक क्लब स्थापित किए गए
 महिला समितियाँ स्थापित की गईं
 ग्रामसहायकों को प्रशिक्षण दिया गया

८४,७००
 १६,१००
 १०,९४,०००

संचार-साधन

कच्ची सड़कें बनाई गईं (मील)
 वर्तमान कच्ची सड़कों को सुधारा गया (मील)
 पुलियाँ बनाई गईं

७८,६००
 ६१,४००
 ५१,१००

सहकारिता

सहकारी समितियाँ स्थापित की गईं
 सबस्य भर्ती किए गए

१,२७,१२५
 ८७,८०,०००

आदिमजातीय खण्ड

चुने हुए आदिमजातीय क्षेत्रों के भरपूर विकास के विद्योय कार्यक्रमों के लिए ४३ बहुदेशीय आदिमजातीय खण्ड स्थापित किए जा चुके हैं। प्रत्येक खण्ड पर ५ वर्षों के लिए लगभग २७ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है।

उन्नीसवाँ अध्याय

वित्त

सार्वजनिक वित्त

भारत में सार्वजनिक निधियों के लिए धन एकत्रित करने तथा उसका ध्यय करने वाली कोई एक ही प्राधिकारी संस्था नहीं है। संविधान के अनुसार निधियों के लिए धन एकत्रित करने का अधिकार केन्द्र तथा राज्यों के बीच बाँट दिया गया है और केन्द्र तथा राज्यों के राजस्व के स्रोत भी अलग-अलग हैं। इसलिए, देश में एक से अधिक बजट तथा एक से अधिक सरकारी खजाने हैं।

संविधान की व्यवस्था के अनुसार (१) कर केवल कानून के द्वारा ही लगाया प्रयत्न किया जा सकता है, (२) सरकारी निधियों में से व्यय संविधान में बताए गए ढंग के अनुसार ही किया जा सकता है तथा (३) कार्यपालक प्राधिकारी संसद द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार ही सरकारी धन व्यय कर सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार की सभी प्राप्तियाँ तथा सभी व्यय अलग-अलग खातों में दिखाए जाते हैं—समेकित निधि तथा सार्वजनिक खाता। समेकित निधि में से संसद द्वारा स्वीकृत अधिनियम के अनुसार ही धन निकाला जा सकता है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिसके सम्बन्ध में 'आर्थिक विनियोजन अधिनियम' में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, संविधान के अनुच्छेद २६७ के अधीन भारत की एक आकस्मिक निधि की भी व्यवस्था की गई है।

संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए भी समेकित निधि तथा सरकारी खाते की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्योग 'रेल्वे' की अपनी निज की निधियाँ हैं तथा इनके अपने अलग हिमाय-किताब होते हैं। रेल्वे का बजट भी पृथक् रूप से उपस्थित किया जाता है।

राजस्व के स्रोत

केन्द्रीय राजस्व के मुख्य स्रोत हैं : धुंगी, केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी), निगम कर तथा प्रायः कर (कृषि धान पर लगने वाले करों को छोड़ कर), सम्पदा शुल्क तथा कृषि-भिन्न सम्पत्तियों के उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क और टक्ससालों की आय। धन-कर तथा व्यय-कर से प्राप्त होने वाला राजस्व केन्द्र की प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त रेल्वे और डाक-तार विभागों का राजस्व भी केन्द्र की ही मिलता है।

राज्यों के राजस्व के मुख्य स्रोत हैं : राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कर तथा शुल्क, केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों में से भाग, अर्थनिक प्रशासन, अर्थनिक निर्माणकार्य तथा राज्यों उद्यम और केन्द्र से प्राप्त होने वाला अनुदान । सम्पत्ति कर, चुंगी तथा सीमा-कर स्थानीय आय के मुख्य स्रोत हैं ।

द्वितीय वित्त आयोग

संविधान के अनुच्छेद २८० के अधीन जून, १९५६ में नियुक्त द्वितीय वित्त आयोग ने सितम्बर, १९५७ में अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया । आयोग की सिफारिशों में के द्वारा वसूल किए जाने वाले करों में से राज्यों को प्रति वर्ष लगभग १.४० अर्ब रुपये दिए जाने की व्यवस्था की गई है, जबकि प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को औसतन ६३ करोड़ रुपये ही प्राप्त होते थे । इन सिफारिशों के अनुसार राज्य को १ अप्रैल, १९५७ से प्रारम्भ होने वाले ५ वर्षों में से प्रति वर्ष क्या-कुछ मिलने की आशा है, यह निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका २८
करों तथा केन्द्रीय अनुदानों में राज्यों का भाग

राज्य	कर	अनुच्छेद २७३ के अधीन अनुदान		अनुच्छेद २७५ (१) के अधीन अनुदान		योग	रेल भागों पर कर
		अनुच्छेद २७३ के अधीन अनुदान	अनुच्छेद २७५ (१) के अधीन अनुदान	अनुच्छेद २७५ (१) के अधीन अनुदान	अनुच्छेद २७५ (१) के अधीन अनुदान		
असम	२.७५	—	—	५.०५	७.२५	—	०.४०
आन्ध्र प्रदेश	८.५०	०.४५	—	५.००	१२.५०	—	१.३०
उड़ीसा	४.००	—	—	३.२५	७.४४	—	०.१६
उत्तर प्रदेश	१६.२५	०.०६	—	—	१६.२५	—	२.०८
केरल	३.७५	—	—	१.७५	५.५०	—	—
जम्मू तथा कश्मीर	४.२५	—	—	३.००	४.२५	—	१.१०
पंजाब	६.५०	०.६१	—	२.२५	१४.२६	—	०.३६
पश्चिम बंगाल	१४.७५	—	—	३.८५	१४.७५	—	०.६६
बम्बई	१०.००	—	—	१०.००	१०.००	—	०.६६
बिहार	८.२५	—	—	८.२५	८.२५	—	०.६६
मद्रास	७.००	—	—	१४.२६	२१.२६	—	०.६६
मध्य प्रदेश	५.५०	—	—	१०.००	१०.००	—	०.६६
मैसूर	४.२५	—	—	६.७५	६.७५	—	०.६६
राजस्थान	—	—	—	११.५०	११.५०	—	०.६६
योग	१००.००	३७.५५	—	६७.५५	१३६.५५	—	१४.८१

वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार के अपेक्षित राजस्व तथा व्यय का अनुमानित विवरण प्रति वर्ष फरवरी के अन्त में संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अथवा 'बजट' कहलाता है। राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलनों के अलावा इस विवरण में विद्यमान वर्ष को वित्तीय स्थिति पर समीक्षा, नये करों के लिए प्रस्ताव तथा पूर्वोक्त व्यय की व्यवस्था करने के प्रस्ताव भी दिए रहते हैं।

वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् संसद् के दोनों सदनों में इस पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श होता है और तब लिए जा चुके व्यय से भिन्न व्यय के प्राक्कलन लोक सभा में 'अनुदानों की मांगों' के रूप में रखे जाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक मन्त्रालय के लिए अनुदानों की मांग अलग से प्रस्तुत की जाती है। राज्यों में भी राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलन राज्य सरकारों द्वारा विधानमण्डलों में अगला वित्तीय वर्ष आरम्भ होने के पूर्व अगस्त में प्रस्तुत किए जाते हैं।

सेवा-परीक्षण

संविधान की व्यवस्था के अनुसार सेवा-परीक्षण प्राधिकारियों से, जो कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं, यह अपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के व्यय की जाँच करें तथा इस बात का निश्चय करें कि ये व्यय उनके अधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत ही होने हैं।

बजट प्राक्कलन (१९५६-६०)

२८ फरवरी, १९५६ को लोक सभा में प्रस्तुत १९५६-६० के बजट प्राक्कलनों में ८ अरब ३६ करोड़ १८ लाख रुपये का व्यय तथा ७ अरब ५७ करोड़ ५१ लाख रुपये का राजस्व दिखाया गया है, जबकि १९५८-५९ के लिए संशोधित व्यय तथा संशोधित राजस्व क्रमशः ७ अरब ८८ करोड़ १५ लाख रुपये तथा ७ अरब २८ करोड़ २० लाख रुपये का दिखाया गया है। अनुसार १९५६-६० के बजट में ८१ ६७ करोड़ रुपये का घाटा रहना है। नये करों से २३.३५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना के अन्तर्गत राजस्वगत घाटा घटकर ५८ ३२ करोड़ रुपये रह जाएगा।

कुछ वर्तमान उत्पाद शुल्कों की दरों में फेर-बदल करने तथा रियायतें दिए जाने के अलावा नये कर सम्बन्धी प्रस्तावों में बम्पनियों पर कर लगाने की प्रवृत्ति की शरत बनाने की योजना के एक अंग के रूप में बम्पनियों पर वन कर और अतिरिक्त सामान्य कर न लगाए जाने की व्यवस्था शामिल है। ये कर न लगाए जाने से बम्पनियों पर पड़ने वाले भार में कितनी कमी होगी, वह बम्पनियों पर लगने वाले धारा ५८ और अधिभार की दरों में कटौत करने पुरी की जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों की वर्धमान दरों तथा दी जाने वाली रियायतों से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का भी सुझाव रखा गया।

केन्द्रीय सरकार का राजस्वगत आय-व्यय (बजट) बनाने के लिए पर विचार किया है।

भारत १९५६

तालिका २६

भारत सरकार का राजस्वगत प्राय-व्ययक (बजट)

(करोड़ रुपये में)

राजस्व वर्गी	१९५७-५८		१९५८-५९		१९५८-५९	
	लेखा	बजट	संगीत	बजट	१९५८-६०	बजट
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	१७६.६६	३०५.७६	३०९.१५	३३६.००	३३०.००	+२.००
निगम कर	५६.१३	५५.५०	५६.००	५६.००	५६.००	+१
प्राय कर	१६३.००	१६३.५०	१६३.५०	१६३.५०	१६३.५०	+०.००
साम्पदा शुल्क	२.३०	२.५०	२.५०	२.५०	२.५०	+०.००
धन (सम्पदा) कर	७.०४	१२.५०	१२.५०	१०.००	१०.००	+२.५०
रेल किराया तथा भाड़ा कर	—	६.६२	६.६२	६.६२	६.६२	+०.००
व्यय कर	—	३.००	३.००	३.००	३.००	+०.००
उत्पाद कर	६.००	६.००	६.००	६.००	६.००	+०.००
प्रयोग कर	५१.०८	५१.०८	५१.०८	५१.०८	५१.०८	+०.००
व्याज	१३.२७	१३.२७	१३.२७	१३.२७	१३.२७	+०.००
वर्गनिक प्रदानन	२.५२	२.५२	२.५२	२.५२	२.५२	+०.००
पुरा तथा दखानन	२३.६६	२३.६६	२३.६६	२३.६६	२३.६६	+०.००
वर्गनिक कार्य	२.०१	२.०१	२.०१	२.०१	२.०१	+०.००
प्राय के प्राय लोन	६.२६	६.२६	६.२६	६.२६	६.२६	+०.००
आरू तथा तार	—	७.०६	७.०६	७.०६	७.०६	+०.००
(रूढ़ संस्धान)	—	—	—	—	—	+०.००
रेल (पुरा संस्धान)	—	—	—	—	—	+०.००
उत्पाद	—	—	—	—	—	+०.००
राज्यो को देन प्रायकर का भाग	—	—	—	—	—	+०.००
उत्पाद	—	—	—	—	—	+०.००
राज्यो को देन सम्पदा शुल्क का भाग	—	—	—	—	—	+०.००
राज्यो को देन रेल किराया तथा भाड़ा कर का भाग	—	—	—	—	—	+०.००
कुल राजस्व	३३६.००	३३६.००	३३६.००	३३६.००	३३६.००	+०.००

© १९५६ भारत सरकार द्वारा प्रकाशित

तालिका २६ (क्रमशः)

१	२	३	४	५
राजस्वगत घाटा	—	२८.०२	५६.६५	५८.३२
व्यय				
राजस्व पर प्रत्यक्ष भाग	६१.७७	६४.४५	६६.६३	१०१.६५
सिचाई	०.११	०.१३	०.१६	०.१६
ऋण सेवाएँ	४२.०८	४०.००	४२.०६	५७.८८
घसैनिक प्रशासन	१६८.००	२००.४४	१६७.७२	२२२.७३
मुद्रा तथा टकसाल	७.२३	८.५०	६.१४	६.८३
घसैनिक कार्य	१७.१६	१८.७१	१८.३२	१६.३५
विविध	७३.२७	८०.२१	६२.०६	१००.६२
प्रतिरक्षा सेवाएँ (शुद्ध)	२५६.७२	२७८.१४	२६६.८७	२४२.६८
राज्यों को सहायता-अनुदान तथा अदान	४५.६०	४७.०३	४६.६५	४६.०२
प्रसाधारण मदें	११.५१	२८.४०	१५.२१	३५.२६
कुल व्यय	६८३.७५	७६६.०१	७८८.१५	८३६.१८
राजस्वगत बचत	४२.०५	—	—	—

बजट सम्बन्धी स्थिति

केन्द्रीय सरकार की १६५८-५९ की बजट सम्बन्धी स्थिति (बजट प्राथक्यतन)

निम्न प्रकार की :

केन्द्र की १६५८-५९ की राजस्वगत प्राप्तियों (७ घर्ष ११ करोड़ २५ लाख रुपये) में से करों (आय कर, निगम कर, साम्यदा शुल्क, धन कर, ध्वज कर, उपहार कर, रेल भाड़े तथा किराये पर कर, मातगुजारी, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क, टिकट शुल्क, पंजीयन, मोटरगाड़ी कर और अन्य कर तथा शुल्क) से ५ घर्ष ७२ करोड़ ३३ लाख रुपये तथा कर-भिन्न स्रोतों (रेल, डाक-तार, मुद्रा तथा टकसाल, घसैनिक प्रशासन, प्रतिरक्षा, घसैनिक कार्य, वन, ऋण सेवाएँ, सिचाई, विद्युत् योजनाएँ, सड़क तथा जल-परिवहन योजनाएँ (शुद्ध), असीम (शुद्ध) और अन्य) से १ घर्ष ३८ करोड़ ६२ लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ ।

१६५८-५९ में केन्द्र का राजस्वगत व्यय (७ घर्ष ३८ करोड़ २७ लाख रुपये) इस प्रकार हुआ : विशाल-भिन्न कार्यों (कर वसूली व्यय, ऋण सेवाएँ, प्रतिरक्षा, सामान्य प्रशासन, पुलिस, प्रशासन, मुद्रण तथा आने-जाने सामग्री, मुद्रा तथा टकसाल और अन्य)

भारत १९५६

पर ४ अर्ब ६३ करोड़ ८४ लाख रुपये; विकास कार्यों (कृषि तथा ग्राम विकास, सिंचाई, पशु चिकित्सा, सामुदायिक योजनाकार्य तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा, प्राथमजातीय क्षेत्र, प्रसंगिक कार्य, उद्योग, वन, उद्भव्यन, वैज्ञानिक विभाग, चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रसारण और अन्य) पर १ अर्ब ६७ करोड़ ४६ लाख रुपये। सहायता-अनुदान दिए जाने पर ४६ करोड़ ६७ करोड़ ४६ लाख रुपये और राज्यों

१९५८-५९ में केन्द्र का पूंजीगत व्यय ४ अर्ब ६१ करोड़ ३५ लाख रुपये हुआ: विकास भिन्न कार्यों (प्रतिरक्षा, तिवपोरिटो प्रोस, मुद्रा तथा ढकसाल, सरकारी व्यापार और अन्य) पर ८४ करोड़ ४२ लाख रुपये तथा विकास कार्यों (आन्तरिक तथा बाह्य); अन्तर्राज्यीय श्रेण प्रसंगिक कार्य, विद्युत् योजनाएँ, श्रौद्योगिक योजनाएँ, रेल, डाक-तार, जहाजरानी, वित्ता केन्द्र को १९५८-५९ में स्थायी श्रेणों (आन्तरिक तथा बाह्य); अन्तर्राज्यीय श्रेण निपटारे; श्रेण तथा वेदागो के भुगतान (राज्यों तथा अन्य द्वारा); छोटी बचत तथा प्रनिधिवद्ध श्रेण (मुद्र); जमा, निधि तथा वेदागो श्रादि के रूप में ६ अर्ब ८६ करोड़ ७४ लाख रुपये प्राप्त हुए तथा इसने स्थायी श्रेण, अन्तर्राज्यीय श्रेण निपटारे, राज्यों तथा अन्य को श्रेण तथा वेदागो श्रादि के रूप में ३ अर्ब ६४ करोड़ ३३ लाख रुपये दिए। इसी प्रकार १९५८-५९ में केन्द्र तथा राज्यों की बजट सम्बन्धी मितो-जुली स्थिति (बजट प्राश्कलन) भी निम्न प्रकार रही:

१९५८-५९ में केन्द्र तथा राज्यों की मितो-जुली राजस्वगत प्राप्तिवों (१३ अर्ब ६३ करोड़ ४० लाख रुपये) में से करों से १० अर्ब ५३ करोड़ ६२ लाख रुपये का और कर-भिन्न स्रोतों से ३ अर्ब ६ करोड़ ७८ लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसी प्रकार केन्द्र तथा राज्यों का मिला-जुला राजस्वगत व्यय १९५८-५९ में कुल १३ अर्ब ६४ करोड़ १२ लाख रुपये हुआ जिसमें से विकास-भिन्न कार्यों पर ७ अर्ब ६६ करोड़ ८३ लाख रुपये, विकासकार्यों पर ५ अर्ब ६३ करोड़ २५ लाख रुपये और जम्मु तथा कश्मीर राज्यों को सहायता-अनुदान देने पर ४ करोड़ २५ लाख रुपये व्यय हुए।

१९५८-५९ में केन्द्र तथा राज्यों का मिला-जुला पूंजीगत व्यय कुल ८ अर्ब ४८ करोड़ ८८ लाख रुपये था जिसमें से विकास-भिन्न कार्यों पर ८८ करोड़ ७० लाख रुपये, विकासकार्यों पर ६ अर्ब ५६ करोड़ ६७ लाख रुपये और श्रेण तथा वेदागो (मुद्र) १ अर्ब १ करोड़ ५२ लाख रुपये व्यय हुए। इसी प्रकार स्थायी श्रेणों (आन्तरिक तथा बाह्य); अन्तर्राज्यीय श्रेण निपटारे (मुद्र); छोटी बचत तथा प्रनिधिवद्ध श्रेण (मुद्र) और निधि पूंजीगत प्राप्तिवों से कुल ६ अर्ब ४२ करोड़ ७५ लाख रुपये प्राप्त हुए।

सार्वजनिक श्रेण

भारत सरकार की व्याजमुक्त देनदारियाँ जो १९५६-५७ के साल में ३६.७६ अर्ब १० को की, बढ़ने पर १९५७-५८ के साल में ४२.१६ अर्ब बढ़ने की हो गईं और

१९५८-५९ के अन्त में इनके ४९.६४ अर्ब ४० की हो जाने की आशा थी। इसी प्रकार आन्तरिक देनदारियाँ भी जो १९५६-५७ के अन्त में ३५.१४ अर्ब ४० की थीं, १९५७-५८ के अन्त में बढ़कर ४०.०५ अर्ब ४० की हो गईं और मार्च, १९५९ के अन्त में ४५.९३ अर्ब ४० की।

इन देनदारियों के विरुद्ध मार्च, १९५८ के अन्त में भारत सरकार की व्याजदायी सम्पत्तियाँ ३३.९६ अर्ब ४० की थीं जो विछले वर्ष की सम्पत्तियों से ४.८९ अर्ब ४० अधिक और कुल व्याजयुक्त देनदारियों की ५ थीं। १९५८-५९ में व्याजदायी सम्पत्तियाँ बढ़कर ३९.९९ अर्ब ४० की हो गईं।

१९५९-६० के बजट के आँकड़ों के अनुसार भारत सरकार की कुल व्याजयुक्त देनदारियों (५७ अर्ब ३४ करोड़ ८९ लाख रुपये) में से ३८ अर्ब ५१ करोड़ १८ लाख रुपये के सार्वजनिक ऋण (भारत) तथा ११.१२ अर्ब रुपये के अनिधिबद्ध ऋण (भारत) हैं। भारत में सरकार के कुल निक्षेप १ अर्ब १० करोड़ ६१ लाख रुपये के हैं। भारत सरकार के ब्रिटेन से प्राप्त कुल सार्वजनिक ऋण ७१.४४ करोड़ रुपये के, अमेरिका से प्राप्त डालर ऋण ४ अर्ब १५ करोड़ १६ लाख रुपये के, कनाडा से प्राप्त डालर ऋण १५.७१ करोड़ रुपये के, सोवियत रूस से प्राप्त ऋण ६१.३४ करोड़ रुपये के, पश्चिम जर्मनी से प्राप्त ऋण ६४.६६ करोड़ रुपये के तथा जापान से प्राप्त ऋण १२.७९ करोड़ रुपये के हैं। २० करोड़ रुपये के नये ऋणों के लिए अभी व्यवस्था की जानी है। इसी प्रकार भारत सरकार की कुल व्याजदायी सम्पत्तियाँ ४५ अर्ब ७४ करोड़ ८ लाख रुपये की हैं। इसके अतिरिक्त लगान में ५५.७६ करोड़ रुपये नकद तथा सिक्योरिटियों के रूप में हैं। इस प्रकार ११ अर्ब ५ करोड़ ५ लाख रुपये की ऐसी व्याजयुक्त देनदारियाँ रहें जिनके भुगतान के लिए उपयुक्त सम्पत्तियों के अभाव में अन्य व्यवस्था करनी होगी।

मार्च, १९५८ के अन्त में भारत का विदेशी ऋण २ अर्ब ११ करोड़ २ लाख रुपये का था जिसमें से डालर ऋण १ अर्ब ५९ करोड़ ८५ लाख रुपये का था। इसी प्रकार १९५०-५८ के संगोपित प्रायकालनों के अनुसार राज्यों के ऋण भी १७ अर्ब ४८ करोड़ ७३ लाख रुपये के थे।

द्रव्य पूति तथा मुद्रा

जनता के पास जो द्रव्य था, १९५८ में उसमें ७७.२० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जब कि १९५७ में उसमें ९६.२० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। १९५८ में हुई वृद्धि का कारण था मुद्रा परिचलन में ८१.९० करोड़ रुपये की वृद्धि होना तथा निर्यात राशि में ४.७० करोड़ रुपये की कमी होना।

विद्युत् वर्ष की अंतिम १९५८ में भी द्रव्य-पूति में हुई वृद्धि का मुख्य कारण सरकार को अधिक मात्रा में अग्रिम धन का दिया जाना था। इस वृद्धि से बढ़ने वाले प्रभाव को रिजर्व बैंक ने कमा सरकारी धन में कुछ वृद्धि करके कम किया गया। १९५८ में सरकारी धन बैंकों से ४.१५ अर्ब रुपये का ऋण प्राप्त हुआ और रिजर्व बैंक ने कमा सरकारी

धन में ६.५० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। जनता को बैंकों से मिले ऋण में हुए बित्तार के फलस्वरूप मुद्रास्फीति बहुत अधिक नहीं हुई। रिजर्व बैंक की विदेशी सम्पत्तियों के मूल्य में आई कमी की दृष्टि से १९५८ में भुगतान-संगतुलन में १ अर्ब ८ करोड़ ८० लाख रुपये का ही प्रभाव रहा, जबकि पिछले वर्ष ३ अर्ब २७ करोड़ ४० लाख रुपये का प्रभाव रहा था।

१९५८-५९ के वित्तीय वर्ष (२६ दिसम्बर, १९५८ तक) में जनता के बीच इत्य-वृत्ति में ३६ ७० करोड़ रुपये की कमी आई, जबकि पिछले वर्ष ३८ करोड़ रुपये की कमी हुई थी।

१९५८ में जनता के पास १६ अर्ब ८ करोड़ १० लाख रुपये की मुद्रा तथा २२ अर्ब ५२ करोड़ २० लाख रुपये का द्रव्य था।

१९५८ में मुद्रा परिचलन (छोटे सिक्कों को छोड़कर) में ८६.२० करोड़ रुपये की घोर वृद्धि हुई, जो १९५७ की वृद्धि से इन्ने से अधिक थी। १९५३ से मुद्रा परिचलन में निरन्तर वृद्धि होती रही। इस वर्ष मुख्य रूप से नोटों के परिचलन में ८२.६० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। १९५८ के प्रारम्भ में १५ अर्ब ४६ करोड़ ३० लाख रुपये के नोट परिचलन में थे। इस वर्ष रुपये के गिरावट के परिचलन (१ रुपया वाले नोट सहित) में ३.५० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वर्ष के प्रारम्भ में १ अर्ब १५ करोड़ ६० लाख रुपये के नि-परिचलन में थे।

दरमिक निरन्तर

प्रारम्भ, १९५७ में सर्वप्रथम जारी किए गए एक नया पैसा घोर दो, पाँच तथा दस रुपये के नये दामिक सिक्कों के परिचलन में पर्याप्त प्रगति हुई। उरा समय से प्रचलन, १९५८ तक ३.६१ करोड़ रुपये के दामिक निरन्तर परिचलन में प्रा-युक्त थे:

नामिका ३०
परिचलन में दामिक निरन्तर

निरन्तर

प्राय
(लाख रुपये)

६१.५५
४६.७१
३८.१६
१६१.३६
३६१.०१

दोष

१ नया पैसा
२ रुपये के
५ रुपये के
१० रुपये के

संक्षेप

विद्युत वर्ष की निम्न देनदारियों में हुई बहुत अधिक वृद्धि पर १९५८ में अनुपूर्वित बंधों के संसाधनों में वृद्धि होने तथा वर्ष के अन्तिम भाग में ऋण की मात्रा में बड़ी घाटे के कारण वृद्धि बंधों के लिए यह सम्भव नहीं हुई कि इन अनिश्चित राशि से वित्त प्रदान लाभ उठाया जाए। १९५८ में अनुपूर्वित बंधों की निम्न देनदारियों (गुट) में २ घंटे ६ करोड़ ८० लाख रुपये की वृद्धि हुई। निम्न देनदारियों में वृद्धि होने के बड़े कारण थे - (इकात १२४ के लिए हीलाथ प्रकल्प अधिकांश मार्गजित बालून १८० के अन्तर्गत प्राधान्य वित्त गण, साधारणों का अधिभूक्त रूप तथा अनुपूर्वित बंधों की साधारणों की संख्या में बहुत अधिभूक्त। अनुपूर्वित बंधों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में, जिसमें १९५३ में निम्न वृद्धि होती या रही थी, १९५८ में ८० करोड़ रुपये की सामान्य वृद्धि हुई। बंधों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में हलती वृद्धि होने का कारण यह था कि प्राधान्य सम्बन्धी प्रतिबन्ध समाप्त जाये तथा ऋण-निवन्धन सम्बन्धी बंधुने हुए उपायों पर और दिए जाने के कारण अधिभूक्त गतिविधियों में कुछ निमित्तता या गई थी। तदनुसार, बंधों की सरकारी गिरावटियों में विनियोग करना पडा। बंधों की संसाधन सम्बन्धी स्थिति में सुधार होने का सम्भव इस बात से मिलता है कि रिजर्व बैंक से ऋण लिया गया और उनकी नकद-राशि में वृद्धि हुई।

१९५८ में अनुपूर्वित बंधों की संख्या ६१ से बढ़कर ६३ हो गई। अक्टूबर, १९५८ तथा इन बंधों की २०८ नयी साधारण तथा स्टेट बैंक की ६६ नयी साधारण सुली। अनुपूर्वित बंधों के कार्यालयों की संख्या भी अक्टूबर के अन्त तक ३,५०० हो गई।

महाजनों (बैंकिंग) के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण अनुपूर्वित बंधों के बीच निम्न राशियों पर व्याज की दरों के सम्बन्ध में एक सम्मेलन का होना इस वर्ष की एक उल्लेखनीय घटना है। यह सम्मेलन १ अक्टूबर, १९५८ से लागू हुआ।

भारत १९५६

इस वर्ष ५ जून, १९५८ को एक 'उद्योग पुनर्वित्त निगम (प्राइवेट) लिमिटेड' स्थापित किया गया। यह निगम उन उद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था करेगा जिनका विकास अभी तक यह सुविधा न होने के कारण रुका हुआ था। इस निगम की सुविधाएँ उन औद्योगिक संस्थाओं को उपलब्ध हों जिनकी चुकती पूंजी तथा सुरक्षित राशियाँ किसी निम्न-मानके में २.५० करोड़ रुपये से अधिक नहीं हैं।

रिजर्व बैंक की मुद्रा तथा ऋण सम्बन्धी नीति

करवरी मास से लाख वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होते रहने से बेदा की अप्रत्यक्ष तथा में मुद्रास्फीति होने के कारण रिजर्व बैंक की ऋण सम्बन्धी नीति मोटे रूप से कुल प्रतिवन्धात्मक रही। लाख वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने का एक बड़ा कारण लाख उत्पादन में कमी का होना था। इसके परिणामस्वरूप यह अनुभव किया गया कि इस वर्ष अग्रिम ऋण कुल चुने हुए खाद्यानों पर ही दिया जाना चाहिए। गहूँ पर अग्रिम षट् वर्ष अग्रिम के सम्बन्ध में सामान्यतः सम्पूर्ण देश में तथा विशेषकर पंजाब में लगे प्रतिवन्ध और दिए जाने के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति रही। किन्तु ये प्रतिवन्ध इस प्रकार लगाए जाते रहे कि बैंकों की शालाओं के काम तथा गोदामों के अधिकाधिक उपयोग कड़े कर दिए गए। चीनो के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति रही। किन्तु ये प्रतिवन्ध इस प्रकार लगाए जाते रहे कि बैंकों की शालाओं के काम तथा गोदामों के अधिकाधिक उपयोग में कोई कमी न घाने पाए। इसी वर्ष हुए डी वाचार योजना का भी विस्तार किया गया ताकि निर्यात-दुग्धियों भी इस योजना के अन्तर्गत प्रा जाएँ और छोटे निर्यातकों को निर्यात-दुग्धियों के प्राधार पर बैंकों से वित्त प्राप्त हो सके।

निगमित वित्त (कारपोरेट फिनान्स)

३१ मार्च, १९५८ को देश में कुल २८,८७७ ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियाँ थीं जिनकी कुल चुकता पूंजी ११ अरब ६० करोड़ ६० लाख रुपये की थी। इन कम्पनियों में से ६,०६६ सार्वजनिक कम्पनियाँ तथा १६,७८१ प्राइवेट कम्पनियाँ थीं जिनकी चुकता पूंजी क्रमः ७ अरब ६८ करोड़ २० लाख रुपये तथा ३ अरब ६२ करोड़ ७० लाख रुपये की थी।

अप्रैल, १९५८ से अक्टूबर, १९५८ तक ५६१ नयी कम्पनियाँ पंजीकृत की गईं जिनकी कुल अधिकृत पूंजी ३ अरब १४ करोड़ ४२ लाख रुपये की थी।

सरकारी कम्पनियाँ

अक्टूबर, १९५८ के अन्त तक देश में ६२ सरकारी कम्पनियाँ स्थापित हो जा चुकी थी, जिनकी ५१ प्रतिशत धनराशि अथवा इनसे अधिक पूंजी केन्द्रीय अथवा राज्य अथवा दोनो सरकारों द्वारा लगाई हुई थी।

निर्देशी कम्पनियाँ

१९५८ के प्रथम १० महीनों में उन १४ ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियों ने, जिनकी रचना भारत में अन्वय हुई थी, भारत में अपने मुख्य कारोबारी केन्द्र स्थापित किए।

बीमा

भारत के जीवन बीमा निगम की स्थापना होने के पश्चात् १ सितम्बर, १९५६ ने भारत में जीवन बीमा व्यवसाय मुख्य रूप से निगम और कुछ हद तक भारत सरकार का आक-तार विभाग तथा कुछ राज्य सरकारों करती हैं ।

अग्नि, समुद्री तथा अन्य विविध प्रकार का बीमा व्यवसाय, भारत में भारतीय तथा विदेशी, दोनों प्रकार की बीमा कम्पनियों करती हैं ।

सरकार द्वारा संचालित बीमा योजनाएँ

मान्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मंसूर तथा राजस्थान की सरकार जीवन बीमा व्यवसाय का काम करती हैं और इसका लाभ उनके अपने-पूरे कर्मचारियों को मिलता है । १ सितम्बर, १९५६ से भारत के 'जीवन बीमा निगम' ने भारत में जीवन बीमा के व्यवसाय का अधिकार एकमात्र अपने लिए सुरक्षित कर लिया । हिन्दु 'जीवन बीमा निगम अधिनियम' के लख ४४ की धारा (च) के अनुसार राज्य सरकार अपने-पूरे कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से जीवन बीमा करने का कार्य कर सकती है ।

भारत का बीमा संघ

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद भारत के बीमा संघ की जीवन बीमा परिषद् तथा कार्यपालिका समिति भंग हो चुकी है ।

सामान्य बीमा

बीमा कम्पनियों

११ दिसम्बर, १९५८ को १९३८ के बीमा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत देश में ६१ भारतीय तथा ६३ गैर-भारतीय बीमा कम्पनियाँ थीं ।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अन्तर्गत जीवन तथा विविध बीमा व्यवसाय के लिए भारत का 'जीवन बीमा निगम' भी पंजीकृत हो चुका है ।

१९५७ में तीनों प्रकार की बीमा कम्पनियों की बीमा बरतने वाले देश तथा विदेश-विषय भारतीय और देश-विषय भारतीय-भिन्न व्यक्तियों के अगस्त १९५३ बरोड़ रुपये तथा ११६० बरोड़ रुपये और ७.६६ बरोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ ।

कम्पनियों तथा विनियोग

११ दिसम्बर, १९५७ को भारतीय बीमा व्यवसायियों के सामान्य बीमा व्यवसाय की कुल सम्पत्ति ४६.०२ बरोड़ रुपये की थी और उनका धन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की निवेश-संस्थानों, भारतीय मन्त्रालयों तथा अन्तर एवं सुधार योजना की निवेश-संस्थानों, भारतीय कम्पनियों के हिस्सों तथा अन्तर पत्रों, विदेशी सरकारों की निवेश-संस्थानों, विदेशी देशों तथा नकद आदि में लगा हुआ था ।

जीवन बीमा निगम

जीवन बीमा

'जीवन बीमा निगम अधिनियम' के अनुसार, भारत के 'जीवन बीमा निगम' में दो से अधिक १५ सदस्य होते हैं जिन्हें नीति विषयक मामलों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सभ समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही निगम के कार्य-संचालन की व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्त हैं। निगम पर यह कार्य इस ढंग से करने का उत्तरदायित्व डाला गया है कि जीवन बीमा व्यवसाय का विकास समाज के हित में ही हो।

१ सितम्बर, १९५६ को स्थापित होने पर निगम ने उन विभिन्न २४५ बीमा कम्पनियों के नियन्त्रित व्यवसाय का कार्य अपने हाथ में ले लिया जो भारत में जीवन बीमा व्यवसाय में लगी हुई थीं। ३१ अक्टूबर, १९५६ को इन कम्पनियों की कुल सम्पत्तियाँ लगभग ४.११ अरब रुपये की थीं तथा देश में १२.५० अरब रुपये के मूल्य के ५० लाख से अधिक बीमा हो चुके थे।

१९५८ में देश में तथा देश के बाहर क्रमशः ३ अरब ६ करोड़ ४ लाख रुपये ४.८० करोड़ रुपये के मूल्य के क्रमशः ८,६२,२२७ तथा ४,८८७ बीमा हो चुके थे।

३१ दिसम्बर, १९५७ तथा ३१ अक्टूबर, १९५८ को जीवन बीमा निगम के वित्तीय योग की स्थिति निम्न तालिका में दिखाई गई है :

तालिका ३१

जीवन बीमा निगम के वित्तियोग

वित्तियोग	३१ दिसम्बर, १९५७		३१ अक्टूबर १९५८	
	राशि (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत
१. भारत सरकार की सिक्योरिटियाँ	१८४.१३	४८.३	१६६.०३	४८.५
२. विदेशी सरकारों की सिक्योरिटियाँ	१२.६१	३.३	७.२६	१.८
३. भारत की राज्य सरकारों की सिक्योरिटियाँ	४५.६३	११.६	५५.२६	१३.७
४. विदेशी सिक्योरिटियाँ	०.७३	०.२	०.६३	०.१
५. सरकार द्वारा प्रत्याभूत तथा अन्य स्वीकृत सिक्योरिटियाँ	३३.०७	८.७	३६.६१	९.०
६. कम्पनियों के ऋण-पत्र	२०.६६	५.४	२१.२५	५.१
७. कम्पनियों के प्रिफ़ेस शेयर	१५.६०	४.०	१६.१६	४
८. कम्पनियों के प्राईवरी शेयर	३३.६३	८.८	६०.३३	१६.६
९. (क) बन्धक सम्पत्ति पर ऋण (ख) अन्य ऋण	१३.७१	३.६	१३.०३	३.६
१०. भूमि तथा गृह सम्पत्तियाँ	०.७१	०.२	१.०१	०.३
योग	२०.६८	५.४	२१.२२	५.६
	३८१.४६	१००.०	४०४.८२	१००.०

दोसवां अध्याय

कृषि

भारत के लगभग ७० प्रतिशत निवासी अपनी जीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहते हैं। देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि तथा उसके सम्बन्धित व्यवसायों से ही प्राप्त होती है। देश से निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही प्राप्त होता है। लाख-उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है तथा मूंगफली और चाय के पारन के लिए भारत संसार का सबसे प्रमुख देश माना जाता है। चायल, पशुमल दूधनी, मूंग, धान, राई तथा तिल के उत्पादन के लिए संसार में भारत का स्थान प्रथम है।

भूमि उपयोग

देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ८०.६३ करोड़ एकड़ है। भूमि-उपयोग के दृष्टिकोण से १.६७ करोड़ एकड़ भूमि के सम्बन्ध में ही उपलब्ध है जिसमें से १६५६-५५ के दृष्टिकोण से प्रमुख रूप से १२.५५ करोड़ एकड़ भूमि में जंगल हैं; ११.२८ करोड़ एकड़ भूमि में खेती के लिए उपलब्ध नहीं थी; ६.७० करोड़ एकड़ भूमि में पशुपालन, दूध तथा अन्य दृष्टिकोण से ५.८७ करोड़ एकड़ भूमि में जंगल थे तथा कुल ३२.०७ करोड़ एकड़ भूमि में खेती की थी।

निम्न क्षेत्र

समान कृषि-क्षेत्रफल के लगभग १८ प्रतिशत भाग में मिट्टाई की व्यवस्था है। १९५५ में समान होने वाले ७ वर्षों में महरों, ताताओं, बुधों तथा अन्य लोगों से ५.६० करोड़ एकड़ भूमि में मिट्टाई हुई जो १६.५७-५८ की निम्न भूमि से ६६ लाख एकड़ बढ़ गई थी।

पशुमल

भारत के कृषि उत्पादन की दो मुख्य विशेषताएँ हैं (१) विविध प्रकार की पशुमल तथा (२) खाद्यान्न की पशुमल की पशुमल की विशेषताएँ हैं। १९५७-५८ में खाद्यान्न २६ करोड़ ७६ लाख ७५ हजार एकड़ भूमि में ५०.६५ लाख एकड़ भूमि में; पशुमल ६.२६ लाख एकड़ भूमि में, दूध - ३ करोड़ ५५ लाख ५१ हजार एकड़ भूमि में; पशुमल १०५६ लाख एकड़ भूमि में तथा पशुमल १०५६ लाख

घरखी का बीज, मरगो, राई, धमगी तथा (17) ३ करोड़ ४ लाख 10 हजार एकड़ में बोया गया।

भारत में दो प्रकारों मुख्य हैं - खरीक को जगत तथा खरी को जगत। जगत, बाजरा, गवार, मसूर, दलिया, मूंग, चने, जिन तथा मूंगफली खरीक को मुख्य पधने हैं; और गेहूँ, जौ, ज्वार, रागी, राई तथा मरगो खरी को मुख्य पधने।

उत्पादन

१९५६-५७ में साधानों का कुल उत्पादन निम्ने वर्ष के उत्पादन से ५.५ प्रतिशत अधिक रहा। जिनु, १९५७-५८ में विभिन्न राज्यों में प्रविष्ट जलवायु के कारण साधानों का उत्पादन १९५५-५६ तथा १९५६-५७ की तुलना में लगभग ५.७ प्रतिशत तथा ६८ प्रतिशत कम रहा।

१९५७-५८ में ६ करोड़ २० लाख २६ हजार टन साधान; ६ करोड़ ५१ लाख ५२ हजार टन मूंग; २.५२ लाख टन मसूर; ५०.५३ लाख गीठ कपास; ५०.८८ लाख गीठ पटसन तथा ५६.०७ लाख टन तिलहन पैदा हुआ।

कृषि-उत्पादन (सभी जिनों) का सूचनांक जो १९५५-५६ में ११६.६ था, १९५६-५७ में बढ़कर १२३.८ हो गया पर्यान्तु विभिन्न वर्ष की तुलना में इस वर्ष के उत्पादन में ६ प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। १९५७-५८ में यह सूचनांक घट कर ११२.५ हो रहा था।

१९५७-५८ के कृषि-उत्पादन के सूचनांकों में साधानों के उत्पादन का सूचकांक ११२-३ और कपास तथा पटसन के उत्पादन का पितागुता सूचनांक १६७.२ रहा।

साधानों का आयात

१९५८ में गेहूँ तथा अन्य अनाजों के आयात के लिए अमेरिका की सरकार के साथ तथा केवल गेहूँ के आयात के लिए कनाडा की सरकार के साथ करार हुए। बर्मा सरकार ने एक दीर्घकालीन करार के अधीन चावल दिया। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत एक जहाज गेहूँ आस्ट्रेलिया से आया। १९५८ में ३.६० लाख टन चावल, २६.७५ लाख टन गेहूँ (घाटा सहित) तथा १.०६ लाख टन अन्य साधानों का आयात किया गया।

साधानों का वितरण

साधान क्षेत्रों की स्थापना करने, साधानों के यातायात पर प्रतिबन्ध लगाने आयात किया गया गेहूँ सरकारी भण्डारों से सीधे घाटा मिलों को पहुँचाने आदि जैसे नियमों के अतिरिक्त, १९५८ में साध-संकट दूर करने के उद्देश्य से सरकारी दुकानों से निकाले जाने के लिए केन्द्रीय भण्डारों से बहुत अधिक मात्रा में साधान निकाला गया। साधान जबकि केवल ३२ लाख टन ही आयात किया गया था, सरकार ने बेचे जाने के लिए ५० लाख टन साधान निकाला।

विकास कार्यक्रम

विकास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत दो प्रकार की योजनाएँ आती हैं : कायं सम्बन्धी योजनाएँ तथा वितरण सम्बन्धी योजनाएँ। पहली योजना में कुओं, ताताबों आदि के निर्माण तथा मरम्मत, भूमि के अन्दर से पानी निकालने के साधनों की व्यवस्था करने तथा भूमि-पुनरुद्धार के कार्य, और दूसरी योजना में उर्वरकों तथा उन्नत बीजों के वितरण के कार्य आते हैं।

१९५८-५९ में केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को २६,१० करोड़ रुपये देने की सूचना दी गई है। उर्वरकों तथा उन्नत बीजों के क्रय तथा वितरण के लिए राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण देने के लिए भी ११.८७ करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। छोटी सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के लिए ३.४० करोड़ रुपये की वित्तिय व्यवस्था की गई थी।

छोटे सिंचाईकार्य

'भारत-अमेरिकी प्राविधिक सहायता कार्यक्रम' के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नलकूपों के निर्माण-योजनाकार्यों के अन्तर्गत १९५८ में नवम्बर के अन्त तक २,९९८ नलकूप छोड़े जा चुके थे; २,९७६ नलकूपों में पानी पम्प करने के सेट लगाए जा चुके थे तथा २,९५२ नलकूप खालू किए जा चुके थे। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन की सहायता से उत्तर गुजरात में नलकूपों के निर्माण के योजनाकार्य के अधीन अभी ४०० नलकूप खोद लिए गए और उनमें से ३५८ खालू भी कर दिए गए।

उत्तर प्रदेश में ३० नवम्बर, १९५८ तक ५८७ नलकूप खोदे गए, ४१९ नलकूपों में पम्पिंग सेट लगाए गए तथा ३२० नलकूप खालू कर दिए गए। बम्बई में ३१ नलकूप खोदे गए। असम में ९ नलकूप खोदे गए, २ नलकूपों में पम्पिंग सेट लगाए गए तथा २ नलकूप खालू कर दिए गए।

आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बच्छ, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महारा में भूमि के नीचे पानी खोजने के सम्बन्ध में एरार्ड-कार्य पूरा किया गया।

भूमि-पुनरुद्धार

१९५८ में केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन ने ४,००० एकर भूमि समतल करने तथा सीढ़ीनुमा बनाने के अतिरिक्त १९,००० एकर जल वाली भूमि तथा १,००० एकर जंगल साफ करके कृषि-योग्य बनाया। यह संगठन अब तक १६.६७ लाख एकर भूमि का पुनरुद्धार कर चुका है।

इसके पाँच एकर ११ अक्टूबर, १९५८ को इण्डियन प्रशासन को हस्तान्तरित कर दिए गए।

'प्राविधिक सहयोग सभल' की सहायता से बृधनी (मध्य प्रदेश) में स्थापित 'ट्रेक्टर प्रशिक्षण केंद्र' में अब तक २६१ विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

सीढ़ीनुमा पुरान तथा उन्नत बीजों का वितरण

एथी आन्दोलन के एक कार्यक्रम के रूप में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान को ७.८५ लाख अन्न सेटों के बीज देने की व्यवस्था की गई।

अन्वगान तथा निजीवार द्वीपसामूह की उतापी प्रायद्वयकताओं की पूर्ति के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास से धान के बीज उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई।

खाद तथा उर्वरक

१९५७-५८ में मलमूत्र से २२.२० लाख टन खाद तैयार की गई। १९५८ में २६.४० लाख टन खाद तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। १९५७-५८ में १६.६५ टन खाद बाँटी गई। बड़े-बड़े नगरों तथा कस्बों में १५.३० करोड़ मीटन खादोपयोगी (प्रति दिन) का उपयोग करने के लिए 'मलमूत्र-युक्त पानी उपयोग योजनाओं' का काम चल रहा। खाद तैयार करने के स्थानीय संसाधनों के विनाश के लिए चार योजनाओं का कार्य आरम्भ किया गया। कई राज्य सरकारों ने हरी खाद के बीज बाँटने तथा विशेषे प्रान्दोलनों का संगठन करने की व्यवस्था करके हरी खाद के प्रचार के उपाय किए। बिहार के ५० गाँवों में मल तथा कचरे की खाद तैयार करने की एक योजना का कार्य आरम्भ किया गया।

१९५८-५९ में अमोनियम सल्फेट के रूप में नम्रजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग बढ़कर ६ लाख टन हो जाने की सम्भावना थी। अमोनियम सल्फेट की उपलब्धि ६.०२ लाख टन ही होने की सम्भावना है।

राज्यों को 'केन्द्रीय उर्वरक भण्डार' से नम्रजनयुक्त उर्वरक तथा बाजार से अन्य उर्वरक खरीदने और किसानों को उधार देने की सुविधा देने के लिए अल्पकालीन ऋण देना यथासम्भव जारी रखा गया।

११ राज्यों तथा ३ संघीय क्षेत्रों में 'उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, १९५७' लागू किया गया जिसके द्वारा उर्वरकों को किस्म तथा मूल्य पर नियन्त्रण रखा जाता है।

पौधा-संरक्षण तथा टिड्डी-नियन्त्रण

'पौधा-संरक्षण, रोगप्रतिबन्ध तथा भण्डार निदेशालय' अपने १४ पौधा-संरक्षण केन्द्रों द्वारा राज्यों को फसलों में लगने वाले कीड़ों तथा बीमारियों के नियन्त्रण के कार्य में प्राविधिक परामर्श, उपकरण तथा कर्मचारियों के रूप में सहायता देता रहा। इन नौ से घुने हुए ग्राम पंचायतों क्षेत्रों में पौधा-संरक्षण का भरपूर कार्य भी किया। १६,००० भूमि में विमानों द्वारा कीड़ा-नियन्त्रण कार्यवाही की गई।

समुद्र तथा हवाईप्रणालियों में स्थित 'रोगप्रतिबन्ध केन्द्र' रोगप्रतिबन्ध सम्बन्धी निरीक्षण और विदेशों से आयात किए गए पौधों की रक्षा का कार्य करते रहे।

फसल आन्दोलन

आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास तथा राजस्थान में गेहूँ, जौ, चना तथा ज्वार की चार बड़ी खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सभी उपलब्ध संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए ८५ 'भरपूर रबी उत्पादन आन्दोलन' आरम्भ किया गया। इस आन्दोलन की विशेषता यह

थी कि इसमें गैरसरकारी व्यक्तियों के सहयोग पर अधिक बला दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों ने उन्नत बीजों तथा उर्वरकों की उचित समय पर उपलब्धि, बीजों की उनको लगने वाली बीमारियों से रक्षा, सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी की उपलब्धि, फीटनाशकों तथा कृषि-श्रृंखला की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान दिया। इस आन्दोलन का अन्त्य महत्वपूर्ण उद्देश्य कृषि-जानकारी सम्बन्धी सामग्री तैयार करना तथा उसका प्रचार करना भी है।

कृषि हाट-व्यवस्था

कृषि हाट-व्यवस्था के विकास का उद्देश्य किसानों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले मूल्य में से उचित भाग सुरक्षित करना तथा आयोजित विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति बाजार में प्रचलित प्रणालियों के नियमन, कृषिजन्य वस्तुओं के मानकीकरण तथा वर्गीकरण और इनसे सम्बन्धित अन्य विकासकार्यों द्वारा करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्गीकरण तथा मानकीकरण

कृषिजन्य वस्तुओं का वर्गीकरण 'कृषि उत्पादन (वर्गीकरण तथा अंकन) अधिनियम, १९३७' के अनुसार किया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ३८ जिनसे आती हैं। ११७ प्रकार की जिनसे के लिए वर्गीकरण के मानक निर्धारित किए जा चुके हैं। अधिनियम में वर्गीकरण आवश्यक नहीं रखा गया है। धी, वनस्पतिजन्य तेलों, मक्खन, चावल, गेहूँ, गुड़, भाटा, अण्डे तथा फल आदि के लिए ३८० से अधिक 'वर्गीकरण केन्द्रों' की व्यवस्था की जा चुकी है। सिगरेट, ऊन तथा चन्दन का तेल जैसी कुछ अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात के पूर्व वर्गीकरण आवश्यक रखा गया है। विदेशी बाजारों में इन वस्तुओं की माँग धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। १९५८-५९ (५ महीने) में १२.६५ करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ।

नियन्त्रित बाजार

बाजारों के नियमन का उद्देश्य बाजारों में चल रही हानिकार प्रणालियों को समाप्त करना तथा बाजार-व्यय में बर्बाद करना है जिससे उत्पादकों को अधिक लाभ हो। इन नियन्त्रित बाजारों का प्रबन्ध, बाजार समितियाँ करती हैं जिनमें उत्पादकों, व्यापारियों, स्थानीय निवासियों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने हैं। अब तक ७ राज्यों में ५५० नियन्त्रित बाजारों की व्यवस्था की जा चुकी है।

फल-संरक्षण उपयोग का विकास

'फलजन्य पदार्थ आदेश, १९५५' के अधीन फल तथा वनस्पति-संरक्षण उपयोग पर नियन्त्रण रखा जाता है जिससे बाजारों में स्वास्थ्यप्रद बानावरण तथा सफाई, पदार्थों की उद्दण्डता, उचित रूप से सेवित लगाए जाने तथा फलजन्य पदार्थों की शिथिलता के सम्बन्ध में न्यूनतम मानकों का पुरालाप से पालन दिया जाए। १९५७ में विभिन्न फलजन्य

पत्तियों का उत्पादन २५,००० टन रहा और इसी अवधि में निर्मित १३,००० टन में बस का १८,००० टन हो गया ।

पत्तारों में घड़े जाने योग्य प्रतिदिन राज्यान्त में, पाषाण, पत्तार तथा पत्तार जैसे स्थायत्वपूर्ण साधनों के बाजारों में बंधे जाने योग्य प्रतिदिन उत्पादन का अनुपात लगाने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा

सहकारी हाट-व्यवस्था

रिजर्व बैंक की 'ग्रामीण प्रत्येक सर्वेक्षण समिति' द्वारा सुभाषण गए कार्यक्रम आधार पर सहकारी विकास का एक गुणवत्ता कार्यक्रम तैयार किया गया जिसके अन्तर्गत, हाट-व्यवस्था, गोशाला तथा भण्डारों की व्यवस्था की जाएगी । हाट-व्यवस्था के क्षेत्र में यह तत्त्व निर्धारित किया गया कि रिजर्वों द्वारा बाजारों में बंधे जाने का प्रतिरिक्त उत्पादन का १० प्रतिशत १९६०-६१ से 'सहकारी हाट-व्यवस्था संस्थानों' द्वारा ही बंधा जाना चाहिए । इस कार्यक्रम की सुगमतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए १९५६ में 'कृषिजन्य उत्पादन (विकास तथा गोशाला) निगम अधिनियम' लागू किया गया । सहकारी समितियों द्वारा कृषिजन्य उत्पादन के विक्रय तथा उत्तरी जमा करके रतने के सम्बन्ध में कार्यक्रम तैयार करने और उन कार्यक्रमों का विकास करने के लिए एक 'राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोशाला मण्डल' स्थापित किया गया । १९५८-५९ में १.५६ करोड़ रुपये के कुल व्यय से १.०६० गोशालों के निर्माण का तत्त्व रखा गया है ।

द्वितीय योजना में जिन ३५ नये सहकारी धीनी कारखानों की स्थापना का तत्त्व रखा गया था, उनमें से २३ कारखानों को साइडसे प्राप्त हो चुके हैं । राज्य सरकारों की इन कारखानों की हिरादा-पूर्जी में भाग लेने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से ३.०८ करोड़ का ऋण दिया गया । इन कारखानों की पूर्जागत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 'ग्रामीण वित्त निगम' ने भी १३.५४ रुपये के ऋणों के लिए स्वीकृति दे दी है । १९५७-५८ में 'सहकारी विधायन एकक' स्थापित किए गए । 'केन्द्रीय गोशाला निगम' श्रम तक विरहाए के भवनों में ६ गोशालों की व्यवस्था क चुका है । १२ राज्यों में 'राष्ट्रीय गोशाला निगम' स्थापित किए जा चुके हैं ।

यन उद्योग

भारतीय वनों का कुल क्षेत्रफल २.८१ लाख वर्ग मील है जो देश की कुल भूमि का लगभग २२.३ प्रतिशत है । यह प्रतिशत अन्य देशों के प्रतिशत से अपेक्षाकृत कम है । भारत के वन-क्षेत्र न केवल अनुपात की दृष्टि से ही कम है बल्कि ये जहाँ-तहाँ बड़े-बड़े ढंग से फँसे हुए हैं तथा इनकी उत्पादन-क्षमता भी अन्य देशों के वनों की प्रोत्त उपज से काफी कम है ।

उत्पादन

१९५४-५५ में २१ करोड़ ६७ लाख ८४ हजार रुपये के मूल्य की ५० करोड़ ८० लाख १ हजार घन फुट लकड़ी का उत्पादन हुआ जिसमें से १० करोड़ ७० लाख ५४ हजार घन फुट इमारती लकड़ी; २ करोड़ ४१ लाख ५० हजार घन फुट लट्टे; १२.३८ लाख घन फुट सुगही तथा दियासलाई-उपयोगी लकड़ी; ३० करोड़ ८२ लाख ४६ हजार घन फुट ईंधनोपयोगी लकड़ी तथा ६ करोड़ ७२ लाख १३ हजार घन फुट कोयला-उपयोगी लकड़ी थी ।

कागज, दियासलाई तथा स्टाईवुड उद्योगों के लिए अच्छे मात उपलब्ध होने के साथ-साथ बनों से गोंद, शल, शीशम, सन्धुआ, जड़ी-बूटियाँ आदि वस्तुएँ भी प्राप्त होती हैं । १९५४-५५ में बनों से १ करोड़ २८ लाख ७७ हजार रुपये के मूल्य का बाँस तथा बेंत; ५५ हजार रुपये के मूल्य की रेशे वाली वस्तुएँ, ६०.६६ लाख रुपये के मूल्य का गोंद तथा रात और ५ करोड़ ५३ लाख ५६ हजार रुपये के मूल्य की अन्य फुटकर वस्तुएँ प्राप्त हुई ।

विकास योजनाएँ

वन सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत जिनके लिए द्वितीय योजना में २४.७३ रुपये की व्यवस्था की गई है, ३.८० लाख एकड़ क्षेत्र में फँसे हुए उपेक्षित बनों के फिर से लगाए जाने; ५०,००० एकड़ क्षेत्र में अनुकूल तथा सरपत उगाए जाने और २,००० एकड़ क्षेत्र में शीशम सम्बन्धी जड़ी-बूटियों के बोधे लगाए जाने का उद्देश्य रखा गया है । अन्य ५०,००० एकड़ क्षेत्र में दियासलाई के काम आने वाले लकड़ी के बाग़ान लगाए जाएंगे । इस कार्यक्रम में बनों की लकड़ों के विकास, इमारती लकड़ी तैयार करने की वैज्ञानिक विधि प्रयत्न करने और वन-संसाधन सम्बन्धी सर्वेक्षण के आयोजन की व्यवस्था की गई है । दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक 'वन अनुसन्धान केन्द्र' स्थापित करने की कार्यवाही आरम्भ की गई । इस कार्य के लिए केन्द्र ने भूमर सरकार की बंगलोर-स्थित 'अनुसन्धान प्रयोगशाला' अपने अधिन में ले ली ।

वर्तमान हीपमसूह में बनों से इमारती लकड़ी काटने का काम अब अधिजीवन-आन्तरिक व्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है । विदेशों को बेचना उतनी ही लकड़ी भेजी गई जिसके लिए पहले करार किए जा चुके थे । १९५८ के प्रथम ६ महीनों में मध्यबनी तथा दक्षिणी हीपमसूह से सरकार ने और उत्तर हीपमसूह से प्राइवेट बहानियों ने बनों से क्रमशः लगभग ३८,४१४ टन और १०,०७३ टन इमारती लकड़ी प्राप्त की । इसी अवधि में सरकार तथा प्राइवेट बहानियों ने क्रमशः २८,३७५ टन तथा १०,५६३ टन इमारती लकड़ी भारत को निर्यात की ।

भूमि-संभारण

भूमिशास्त्र के मुख्य कारणों से बनों का बाटा जंगल, अधिक बरसातों का बहना आना तथा अनुपपुष्क प्रजातों से कृषि करना आदि बाने आगे हैं । भूमि-संभारण का मुख्य-कारण कार्यक्रम प्रथम योजनाकाल से आरम्भ हुआ था । इस कार्य की दैनिकी 'केन्द्रीय भूमि

तालिका ३२ (क्रमशः)

१	२	३
५. घोड़े तथा टट्टू	१५,००,०००	१५,००,०००
६. अन्य पशु (खच्चर, गधे, ऊँट तथा सूअर)	६८,००,०००	६४,००,०००
कुल पशु	३०,६५,००,०००	२९,२६,००,०००
रा. मुर्गियों आदि	९,४७,००,०००	७,३५,००,०००
ग. कृषि-औजार		
१. हस्त		
(क) लकड़ी के	३,६६,१५,०००	३,१८,०९,०००
(ख) लोहे के	१३,६७,०००	९,३०,०००
२. बंलगाड़ियाँ	१,०९,९१,०००	९८५५,०००
३. गन्ना घेरने वाले बोलू		
(क) विद्युत्चालित	२३,०००	२१,०००
(ख) बंलचालित	५,४५,०००	५,०५,०००
४. तेल से चलने वाले इंजिन		
(सिचाई के लिए पम्प सहित)	१,२२,०००	८२,०००
५. विद्युत्चालित पम्प (सिचाई के लिए)	५५,०००	२५,०००
६. ट्रैक्टर (बेचल कृषि के लिए)	२१,०००	९,०००
७. पानियाँ		
(क) ५ सेर तथा उससे अधिक की	९६,०००	२,४२,०००
(ख) ५ सेर से कम की	२,१२,०००	२,०४,०००

केन्द्र पाम योजना

इस योजना के द्वारा देश के सुधार तथा सुख (दूध न देने वाले) पशुओं की सुध-उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। जूने हुए उपयुक्त केन्द्रपाम केन्द्रों में नियन्त्रित माल-सुधार, उचित चारा तथा प्रकृत्यवस्था, रोग-निवारण और विशेष आदि की व्यवस्था से सुधार जैसे विभिन्न उपायों द्वारा भरपूर दिवाम किया जा रहा है। प्रथम योजनाकाल में देश में ५५५ केन्द्रपाम केन्द्र तथा १४६ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए गए। १९५७-५८ में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों से सुबन ७२ लघु केन्द्रपाम लघु, लघु श्रेणी में २३ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा २३ केन्द्रपाम बिस्तार केन्द्र स्थापित किए गए।

गोसादन योजना

इस योजना का उद्देश्य दुग्ध, पशु तथा दूध न देने वाले पशुओं की विकासकार्य को क्षेत्रों से हटा कर आन्तरिक वन क्षेत्रों में तथा प्रायः बेकार भूमि पर स्थापित किए गए को-

गवनों में जनता भरण-पोषण करता है। इस योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में गरीब पशुओं के चमड़े तथा हड्डियों घादि का वैज्ञानिक तथा आर्थिक दृष्टि से पुरा-पुरा उपयोग किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रथम योजनाकाल में विभिन्न राज्यों में २५ गोमहन स्थापित किए गए तथा द्वितीय योजनाकाल में ६० गोमहन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। १९५७-५८ के अगस्त तक २१ नये गोमहन तथा ५ चर्मालय स्थापित किए गए।

गौशाला-विकास योजना

इस योजना में गौशालाओं के उत्पादन संसाधनों का पुरा-पुरा उपयोग किए जाने तथा पशु-विकास के सरकारी कार्य में सहायता देने के लिए गौशालाओं की वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत गौशालाओं की द्वितीय तथा प्राथमिक सहायता दी जाती है। १९५७-५८ के अगस्त तक १३२ गौशालाओं की सहायता दी गई।

मुर्गीपालन-विकास

देश के ताप-परायों के पोषक तत्वों की मात्रा में तथा घासों की प्राय में वृद्धि करने की दृष्टि से मुर्गीपालन का विकास किया जाना महात्त्वपूर्ण समझा जाता है। द्वितीय योजनाकाल में जिसमें मुर्गीपालन के विकास के लिए २.६० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, देश में ५ प्रादेशिक मुर्गीपालन केन्द्र और ३०० प्रदर्शन तथा विस्तार केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

दुग्धशाला योजनाएं

द्वितीय योजना की दुग्धशाला-विकास योजनाओं में ३६ सहकारी दुग्ध-उत्पत्ति केन्द्र, १२ सहकारी क्रीमघर (क्रीमरीज) तथा ७ दुग्ध-चूरा तैयार करने वाले कारखाने सम्मिलित हैं। १९५८-५९ में दुग्धशाला-विकास-कार्यक्रमों के लिए २.६० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

'दिल्ली दुग्ध योजना' के अन्तर्गत केन्द्रीय दुग्धशाला तथा ३ दुग्ध-संग्रह केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण का कार्य लगभग पूरा होने को है। कलकत्ता में नये दुग्धशाला का निर्माणकार्य जारी है। इस वर्ष 'आरे दुग्ध दरती' के विस्तार का कार्य जारी रहा और 'मद्रास दुग्ध योजनाकार्य' के अन्तर्गत पशुओं के लिए भवनों का निर्माणकार्य आरम्भ कर दिया गया। अमरताला, चण्डीगढ़, गया, बंगलोर, सोलापुर, हिसार तथा त्रिवेन्द्रम की दुग्ध-उत्पत्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने में भी प्रगति हुई। कटक, कोयमुत्तूर, जयपुर, नागपुर, पटना, भोपाल तथा हैदराबाद में भी दुग्ध-वितरण की योजनाओं का कार्य आरम्भ कर दिया गया।

आनन्द-स्थित 'खेड़ा सहकारी दुग्ध संघ' के मखन तथा दुग्ध-चूरा के उत्पादन में वृद्धि हुई और डिब्रुवागन्ध दूध तैयार करने का कार्य भी आरम्भ किया गया। मद्रास में

दुग्ध-चूर्ण कारखाने और अलीगढ़, जूनागढ़ तथा धरौनी में क्रीमधरों की स्थापना का कार्य भी आरम्भ हुआ ।

मछलीपालन-विकास

द्वितीय योजना में मछलीपालन उद्योग के विकास के लिए निर्धारित किए गए लग-भग १२ करोड़ रुपये में से ३.६८ करोड़ रुपये समुद्री तथा अन्तर्देशीय मछलीपालन शोध और प्रौद्योगिकी शोध आदि की केन्द्रीय मछलीपालन योजनाओं के लिए रसे गए थे । मछलीपालन उद्योग के विकास-कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता दी जा रही है । १९५७ में लगभग १२.३३ लाख टन मछलियाँ (१९५६ की अपेक्षा २२ प्रतिशत अधिक) पकड़ी गईं । मछलीपालन-विकास-कार्यक्रमों से सम्बन्धित विदेशी विशेषज्ञ इस उद्योग के विकास में सहायता देते रहे ।

मछलीपालन विकास के क्षेत्र में चल रहे कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा देश में शोधकार्य करने के उद्देश्य से एक 'केन्द्रीय मछलीपालन मण्डल' स्थापित किया जा चुका है । इस वर्ष बलकटा-स्थित 'केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछलीपालन शोध केन्द्र' तथा मण्डलम-स्थित 'केन्द्रीय समुद्रतट मछलीपालन शोध केन्द्र' की शोध सम्बन्धी गतिविधियों का विस्तार किया गया । बम्बई के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले केन्द्र में भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता रहा ।

कृषि-मजदूर

१९५१ की जनगणना के अनुसार भारत के कृषि-मजदूरों की संख्या ४.६० करोड़ थी जो लेती करने वाले कुल व्यक्तियों के लगभग २० प्रतिशत के बराबर थे ।

१९५०-५१ में हुई कृषि-मजदूर सम्बन्धी प्रथम जाँच-पड़ताल से पता चला कि ८५ प्रतिशत कृषि-मजदूरों के पास अधिकतर फसल की कटाई तथा जुताई आदि के सम्बन्ध में कुछ ही समय का काम रहता था । कृषि-मजदूरों की प्रति परिवार औसत वार्षिक आय ४४७ रुपये और प्रति व्यक्ति औसत आय १०४ रुपये थी । वर्ष में औसतन केवल २१८ दिन काम के होते थे—१८६ दिन कृषि सम्बन्धी कार्य में और शेष २६ दिन अन्य कार्यों में । इस प्रकार वर्ष में ७ महीने मजदूरी देकर कृषि होती थी । लगभग १५ प्रतिशत कृषि मजदूर भूमिस्वामियों के साथ सम्बद्ध थे और वे उनके लिए औसतन ३२६ दिन काम करते थे, जबकि औसतमक रूप से कार्य करने वाले कृषि-मजदूरों की वर्ष के २०० दिनों में ही काम रहता था । कृषि-मजदूरोंकी स्थिति में सुधार करने की समस्या दरिद्रता-उन्मूलन की एक मूलभूत समस्या है ।

न्यूनतम मजदूरी

प्रथम योजनाकाल में अजमेर, उड़ीसा, कच्छ, पुर्ण, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई थी । अन्य ७ राज्यों के

मुख्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा चुकी है। दूसरी योजना में यह सुभाव रखा गया है कि न्यूनतम मजदूरी सभी राज्यों में तथा सभी क्षेत्रों के लिए निर्धारित कर दी जाए।

कृषि-मजदूर सम्बन्धी द्वितीय जांच-पड़ताल

कृषि-मजदूर सम्बन्धी द्वितीय अखिल भारतीय जांच-पड़ताल का कार्य लगभग ३,६०० गांवों में पूरा हो चुका है। कृषि-मजदूरों के सम्बन्ध में एक व्यापक अखिल भारतीय प्रतिवेदन प्रकाशित होने के पूर्व अथवा तथा नियोजन मन्त्रालय इस सम्बन्ध में एक लघु पुस्तिका प्रकाशित करेगा।

ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचनांक योजना

'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय' द्वारा चुनी हुई जिलों के लिए उपलब्ध का गए चालू ग्रामीण खुदरा मूल्यों और प्रथम अखिल भारतीय कृषि-मजदूर जांच (१९५६) के फलस्वरूप प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कृषि मजदूर सम्बन्धी उपभोक्ता सूचनांकों के संग्रह का कार्य जारी है।

इक्कीसवाँ अध्याय

भूमि सुधार

प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई राष्ट्रीय भूमि-नीति में यह स्वीकार कर लिया गया कि राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में भूमि-स्वामित्व तथा कृषि के रूप का बहुत अधिक महत्व है। उस भूमि-व्यवस्था के स्थान पर, जिसमें किसानों का शोषण होता आ रहा था, इस भूमि-नीति में एक ऐसी भूमि-व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई जिसमें किसान को अपने श्रम का अधिकतम लाभ प्राप्त हो और उसे उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने का पूरा-पूरा प्रोत्साहन मिले। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इसी बात पर बल दिया गया। योजना में निहित भूमि-नीति के दो उद्देश्य हैं— (१) गाँवों में वर्तमान भूमि-व्यवस्था के कारण कृषि-उत्पादन के मार्ग में घाने वाली अड़चनों को दूर करना तथा देश में यथाशीघ्र ऐसी प्रामोक्ष्य अर्थ-व्यवस्था लागू करना जिससे कार्यक्षमता और उत्पादन-क्षमता, दोनों में वृद्धि हो और (२) समानता के सिद्धान्त पर आधारित समाज की रचना करना तथा सामाजिक अयोग्यताओं को दूर करना।

मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन

फार्मल धनाने तथा मध्यवर्ती लोगों की भूमि हस्तगत कर लेने से सम्बन्धित अधि-वास कार्य तथा मध्यवर्ती लोगों के पूर्ण रूप से उन्मूलन का कार्य सगभग किया जा चुका है। भू-न्यायियों तथा राज्य के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। कृषि-भिन्न भूमि (बहु भूमि जिस पर कृषि नहीं की जाती) तथा वन आदि हस्तगत कर लिए गए हैं और उसकी व्यवस्था का काम राज्य अथवा ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय संगठन प्रयत्न रूप से करते हैं।

मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन का कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न स्थिति में है।

देश में मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के सम्बन्ध में बना स्थिति है, यह अगले पृष्ठ की तालिका सं० ३२ में दिखाया गया है।

तालिका ३३

मध्यवर्ती लोगों से सम्बन्धित संश्रयण

	कृत संश्रयण का प्रतिशत
यह क्षेत्र जो मध्यवर्ती लोगों के अधिकार में था	४३
यह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के सम्बन्ध में कानून लागू किए जा चुके हैं	४०
यह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन किया जा चुका है	३८
यह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोग अभी भी हैं	५

निम्न तालिका में प्रत्येक राज्य के लिए १९५७ के अन्त में देय क्षतिपूर्ति तथा दी जा चुकी राशियाँ दिखाई गई हैं :

तालिका ३४

मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के लिए देय तथा दी जा चुकी क्षतिपूर्ति
(राज्यों के पुनर्संगठन के पूर्व की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपयों में)

	कुल देय क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास-अनुदान (भ्याज सहित)	दी जा चुकी राशि
असम	५.१८	०.०२
आन्ध्र प्रदेश	६.६०	४.५६*
उड़ीसा	१०.५०	०.४७
उत्तर प्रदेश	१७६.००	५६.७३
तिरुवांकुर-कोचीन	०.२०	—
पश्चिम बंगाल	७०.००	१.५६
बम्बई	२०.८६	०.१४
बिहार	२४०.००	३.७०†
मद्रास	४.८१	३.१६
मध्य प्रदेश †	२२.१०	६.७८
मैसूर	१.८०	—
राजस्थान (अजमेर सहित)	३५.८८	६.४०
सौराष्ट्र	१०.२०	२.६९
हैदराबाद	१५.१८	६.६४
योग	६२५.२५	६८.८७

* फरवरी, १९५८ तक

† जुलाई, १९५८ तक

‡ भूतपूर्व भोपाल, मध्य भारत तथा विन्ध्य प्रदेश सहित

काष्ठ सम्बन्धी सुधार

योजना आयोग ने राज्यों से जो काष्ठ सम्बन्धी सुधार अपनाने की सिफारिश की, उसके मुख्य उद्देश्य हैं : (१) सगान में कमी करना, (२) पट्टे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना तथा (३) काष्ठकारों की स्वामित्व का अधिकार देना । इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में काफी प्रगति हो चुकी है ।

जोतों का सीमा-निर्धारण

प्रथम योजना में जोतों की सीमा निर्धारित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था । इस कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक आंकड़ों का संग्रह करने के लिए जोतों तथा कृषि सम्बन्धी गणना करने का सुझाव रखा गया । यह गणना अधिकांश राज्यों में की गई । द्वितीय योजना में इस सिफारिश पर फिर से बल दिया गया है कि जोतों की सीमा 'तीन पारिवारिक जोत' निर्धारित की जाए । इसके अतिरिक्त इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि द्वितीय योजनाकाल में प्रत्येक राज्य में वर्तमान जोतों की सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए ।

सीमा-निर्धारण दो प्रकार का होता है : (क) भविष्य के लिए तथा (ख) वर्तमान जोतों का । निम्न राज्यों में भविष्य के लिए निर्धारित की गई जोतों की सीमा का स्थीरा नीचे दिया गया है :

असम	मैदानी जिले	५० एकड़
आन्ध्र प्रदेश	तेलंगाना क्षेत्र	१२ से १८० एकड़
उत्तर प्रदेश		१२½ एकड़
जम्मू तथा कश्मीर		२२½ एकड़
पंजाब		३० रटेण्डर्ड एकड़
पश्चिम बंगाल		२५ एकड़
दम्बई	दम्बई क्षेत्र (भूतपूर्व)	१२ से ४८ एकड़
	मराठवाडा क्षेत्र	१२ से १८० एकड़
	त्रिदभं तथा कच्छ क्षेत्र	३ पारिवारिक जोत (क्षेत्र का निश्चय न्यायाधिकरण करेगा)
	सौराष्ट्र क्षेत्र	६० से १२० एकड़
मध्य प्रदेश	मध्य भारत क्षेत्र	५० एकड़
	राजस्थान क्षेत्र	१० से ६० एकड़ (भूमि की उपज के अनुसार भिन्न-भिन्न)
बिहार	दम्बई क्षेत्र	१२ से ४८ एकड़
	हैदराबाद क्षेत्र	१२ से १८० एकड़

तालिका ३३

मध्यवर्ती लोगों में सम्बन्धित क्षेत्रगत

	कुल क्षेत्रगत का प्रतिशत
यह क्षेत्र जो मध्यवर्ती लोगों के अधिकार में था	४३
यह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के सम्बन्ध में कानून लागू किए जा चुके हैं	४०
यह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन किया जा चुका है	३८
यह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोग अभी भी हैं	५

निम्न तालिका में प्रत्येक राज्य के लिए १९५७ के घन्टे में देय क्षतिपूर्ति तथा दी जा चुकी राशियाँ दिखाई गई हैं :

तालिका ३४

मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के लिए देय तथा दी जा चुकी क्षतिपूर्ति
(राज्यों के पुनर्गठन के पूर्व की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

	कुल देय क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास-अनुदान (ध्यान सहित)	दी जा चुकी राशि
असम	५.१८	०.०२
आन्ध्र प्रदेश	६.६०	४.५६*
उड़ीसा	१०.५०	०.४७
उत्तर प्रदेश	१७६.००	५६.७३
तिरुवांकुर-कोचीन	०.२०	—
पश्चिम बंगाल	७०.००	१.५६
बम्बई	२०.८६	०.१४
बिहार	२४०.००	३.७०†
मद्रास	४.८१	३.१६
मध्य प्रदेश ‡	२२.१०	६.७८
मैसूर	१.८०	—
राजस्थान (अजमेर सहित)	३५.८८	६.४०
सौराष्ट्र	१०.२०	२.६२
हैदराबाद	१०.००	६.६४
योग		६८.८७

* फरवरी, १९५८ तक

† भूतपूर्व भोपाल, मध्य

शक

काश्त सम्बन्धी सुधार

योजना आयोग ने राज्यों से जो काश्त सम्बन्धी सुधार अपनाने की सिफारिश की, उनके मुख्य उद्देश्य हैं : (१) सगान में कमी करना, (२) पट्टे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना तथा (३) काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना । इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में काफी प्रगति हो चुकी है ।

जोतों का सीमा-निर्धारण

प्रथम योजना में जोतों की सीमा निर्धारित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था । इस कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक प्राकड़ों का संग्रह करने के लिए जोतों तथा कृषि सम्बन्धी गणना करने का सुझाव रखा गया । यह गणना अधिकांश राज्यों में की गई । द्वितीय योजना में इस सिफारिश पर फिर से बल दिया गया है कि जोतों की सीमा 'तीन पारिवारिक जोत' निर्धारित की जाए । इसके अतिरिक्त इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि द्वितीय योजनाकाल में प्रत्येक राज्य में वर्तमान जोतों की सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए ।

सीमा-निर्धारण दो प्रकार का होता है : (क) भविष्य के लिए तथा (ख) वर्तमान जोतों का । निम्न राज्यों में भविष्य के लिए निर्धारित की गई जोतों की सीमा का थोड़ा नीचे दिया गया है :

असम	मंदानी जिले	५० एकड़
आन्ध्र प्रदेश	तेलंगाना क्षेत्र	१२ से १८० एकड़
उत्तर प्रदेश		१२३ एकड़
जम्मू तथा कश्मीर		२२३ एकड़
पंजाब		३० एंटेण्डमेंट एकड़
पश्चिम बंगाल		२५ एकड़
बम्बई	बम्बई क्षेत्र (भूतपूर्व)	१२ से ४८ एकड़
	मराठवाडा क्षेत्र	१२ से १८० एकड़
	त्रिहर्ष तथा कच्छ क्षेत्र	३ पारिवारिक जोत (क्षेत्र का निश्चय व्यापारिकरण करेगा)
मध्य प्रदेश	सीरायट्टु क्षेत्र	६० से १२० एकड़
	मध्य भारत क्षेत्र	५० एकड़
	राजस्थान क्षेत्र	३० से ६० एकड़ (भूमि की उपज के अनुसार भिन्न-भिन्न)
मैसूर	दरभई क्षेत्र	१२ से ४८ एकड़
	हैदराबाद क्षेत्र	१२ से १८० एकड़

जोत के आँकड़े

२२ राज्यों में कृषि-भूमि तथा जोत सम्बन्धी गणना की जा चुकी है। गणना सम्बन्धी परिणाम बिहार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं।

सहकारी कृषि

भूमि समस्या को केवल सहकारी ग्राम-ध्यवस्था द्वारा ही हल किया जा सकता है जैसा कि प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में बताया गया था। प्रथम योजना में यह कहा गया था कि छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसान सहकारी कृषि के माध्यम से ही बड़े-बड़े खेतों की व्यवस्था कर सकते हैं और तभी भूमि की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना, कृषि में अधिक पूँजी लगाना तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानों का पूरा-पूरा उपयोग करना सम्भव हो सकेगा। इस अवधि में लगभग सभी राज्यों ने सहकारी कृषि समितियों की स्थापना के लिए सहायक कानून तथा उनकी सहायता के लिए नियम बनाए।

द्वितीय योजनाकाल में सहकारी कृषि के विकास के लिए सुदृढ़ आधार-भूमि तैयार करने के काम को प्रधानता दी गई है।

'राष्ट्रीय विकास परिषद्' की स्थायी समिति ने सितम्बर, १९५७ में सहकारी कृषि के कार्यक्रम पर विचार किया और दोष द्वितीय योजनाकाल में ३,००० खेतों में सहकारी कृषि का परीक्षण करने का निर्णय किया।

दिसम्बर, १९५८ के अन्त में देश में २,०२० सहकारी कृषि समितियाँ थीं।

भूदान

भूदान अथवा स्वैच्छिक भूमिदान आन्दोलन को प्रेरणा देने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को है। आन्दोलन के उद्देश्य के विषय में बतलाते हुए आचार्य विनोबा भावे कहते हैं, "न्याय और समानता के सिद्धान्त पर आधारित समाज में भूमि सबकी होनी चाहिए। इसलिए, हम भूमि की भिक्षा नहीं माँग रहे बल्कि उन गरीबों का हिस्सा माँग रहे हैं जो भूमि प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हैं।" इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य बिना किसी खून-खराबी के देश में सामाजिक और आर्थिक दुर्घ्यवस्था को दूर करना है।

व्यावहारिक रूप में भूदान आन्दोलन का अर्थ, लोगों से भूमिहीन व्यक्तियों में बाँटने के लिए उनकी अपनी भूमि के $\frac{1}{2}$ भाग का स्वेच्छा से दान करने का अनुरोध करना है। कृषि-भिन्न क्षेत्रों में यह आन्दोलन सम्पत्तिदान, बुद्धिदान, जीवनदान, साधनदान तथा गृहदान का रूप ले लेता है।

'यह आन्दोलन जो छोटे रूप में १८ अप्रैल, १९५१ को आरम्भ हुआ था, अब सम्पूर्ण देश में फैला हुआ है। इस आन्दोलन का लक्ष्य ५ करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का है जिससे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि प्राप्त हो सके। इसने अब ग्राम-पंचायतों का व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है।

द्वितीय योजना में यह स्वीकार किया गया है कि ग्रामदान वाले गाँवों के विकास के सम्बन्ध में प्राप्त व्यावहारिक सफलता सहकारी ग्राम-विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। 'अखिल भारत सर्व सेवा संघ' द्वारा सितम्बर, १९५७ में घलवाल (मंसूर राज्य) में आयोजित एक सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा ग्रामदान आन्दोलन के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जाए। सामुदायिक विकास अन्वयण के तत्सम्बन्धी कर्मचारियों ने इस विषय पर विचार किया और मई, १९५८ में नाउष्ट घाबू में हुए विकास आयुक्त सम्मेलन में इस पर और अधिक विचार किए जाने के बाद भूदान और ग्रामदान के बीच निकटतर सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय किया गया। सामुदायिक विकास छण्ड स्थापित करने और सामुदायिक विकास के अन्य नये कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में सबसे पहले ग्रामदान वाले गाँवों में कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

भूदान के लिए भूमि दान में दिए जाने तथा उसके वितरण की सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई (सौराष्ट्र), बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विल्ली तथा हिमाचल प्रदेश में आवश्यक कानून बनाए जा चुके हैं। बम्बई में प्रशासन सम्बन्धी आदेश जारी किए जा चुके हैं।

१९५७-५८ में आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, बम्बई (विदर्भ और सौराष्ट्र), बिहार, मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा भोपाल), राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने भूदान में क्रमशः ३,००० रुपये; ५,००० रुपये; ३६,६०० रुपये; १,८६,००० रुपये; ५०,००० रुपये; ३०,००० रुपये; ५,००० रुपये की विलीय सहायता दी।

भारत सरकार ने १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में क्रमशः ११.६२ लाख रुपये तथा १० लाख रुपये के लिए स्वीकृति दी। भारत सरकार 'अखिल भारत सर्व सेवा संघ' द्वारा तैयार की गई एक योजना के लिए भी ६८ लाख रुपये देगी। १९५७-५८ में २.५० लाख रुपये के व्यय से भूदान वाली भूमि पर सहकारी ढंग से भूमिहीन मजदूरों को फिर से बसाने की एक योजना की भी स्वीकृति दी गई।

जून, १९५८ तक भूदान आन्दोलन के अन्तर्गत प्राप्त भूमि तथा उसके वितरण का प्रदेशवार स्पीरा अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ३६ में दिया हुआ है।

जनवरी, १९५७ से ग्रामदान पर ही अधिक बल दिया जाने लगा है। ३१ दिसम्बर, १९५८ तक ग्रामदान आन्दोलन के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर ४,५७० गाँव दान में प्राप्त हुए। दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक सम्पत्तिदान में १४,४२,१६० रुपये प्राप्त हुए। १९५८ में ५५,४६८ रुपये का सम्पत्तिदान मिला। इसके अतिरिक्त दान पत्रों के रूप में ५६,४६२ रुपये तथा साधनदान के रूप में अन्य १६,००० रुपये प्राप्त हुए।

राजस्थान

(सजमेर सहित)

३० तिनिन एकड़ घणन
६० मूतुं एकड़
३० स्टंण्डर्ड एकड़

बिस्ती

निम्न राज्यों में पतंमान जोतों पर कानून बनाए जा चुके हैं :

असम	मंडरानो जिले	५० एकड़
आन्ध्र प्रदेश	तेलंगाना क्षेत्र	१८ से २७० एकड़
जम्मू तथा कश्मीर		२२ $\frac{१}{२}$ एकड़
पंजाब	पेप्सू क्षेत्र	३० स्टंण्डर्ड एकड़ (विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में ४० स्टंण्डर्ड एकड़)
पश्चिम बंगाल		२५ एकड़
बम्बई	मराठवाडा क्षेत्र बिदरं तथा फच्छ क्षेत्र	१८ से २७० एकड़ ६ पारिवारिक जोन
मैसूर	हैदराबाद क्षेत्र	१८ से २७० एकड़
राजस्थान	अजमेर क्षेत्र	५० एकड़ (मध्यवर्ती लोगों के सम्बन्ध में)
हिमाचल प्रदेश		चम्बा जिले में ३० एकड़ तथा अन्य क्षेत्रों में १२५ रुपये के मूल्य का क्षेत्र

इसके अतिरिक्त असम, आन्ध्र प्रदेश, केरल, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब के पेप्सू क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में कई अन्य प्रकार की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं।

जोतों की चकबन्दी

प्रथम तथा द्वितीय, दोनों योजनाओं में जोतों की चकबन्दी की आवश्यकता पर काफी बल दिया गया है। योजना आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि जोतों की चकबन्दी का कार्य सामुदायिक योजनाकार्य-क्षेत्रों में अग्रशय किया जाना चाहिए।

प्रथम योजनाकाल में उत्तर प्रदेश में ४४ लाख एकड़ भूमि, पंजाब में ४८ लाख एकड़ भूमि, पेप्सू में १३ लाख एकड़ भूमि, मध्य प्रदेश में २६ लाख एकड़ भूमि तथा बम्बई में २१ लाख एकड़ भूमि में चकबन्दी का कार्य किया गया। द्वितीय योजनाकाल की तत्सम्बन्धी राज्तीय योजनाओं के लिए ४.५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विभिन्न राज्यों में जोतों की चकबन्दी के सम्बन्ध में ३१ दिसम्बर, १९५७ तक हुई प्रगति अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाई गई है।

तालिका ३५
जोतों की चकबन्दी

राज्य/संघीय क्षेत्र	१९५६-६१ के लिए अवस्था (लाख रुपये)	३१.१२.५७ तक हुआ कार्य (एकड़)	३१.१२.५७ को जारी कार्य (एकड़)
असम	१४.२५	—	—
आन्ध्र प्रदेश	२०.५३	—	१,६२,३४१
उड़ीसा	५.००	७३	—
उत्तर प्रदेश	*	१३,६८,५६२	३७,३५,१२६
पंजाब	१७२.००	८५,८०,८७४	५६,१७,४३८
पश्चिम बंगाल	१४.२५	—	—
बम्बई	७६.३६	१२,६५,२७५	११,७६,५४२
बिहार	१८.६७	—	२,५५,८८५
मद्रास	११.५०	—	—
मध्य प्रदेश	५४.२५	२६,६५,४३५	२,१६,६४२
मंसूर	१४.५१	३,८८,३३४	४,५१,११०
राजस्थान	३२.५०	२१,०००	३,६२,११६
दिल्ली	२.८५	२,०१,८३४	—
पाण्डिचेरी	०.२०	—	—
मणिपुर	०.२६	—	—
हिमाचल प्रदेश	६.५०	२१,७६२	२६,१०४

खेतों का बँटवारा तथा टुकड़े होना

भू-सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी कानूनों के फलस्वरूप खेतों के बँटवारे से उनके टुकड़े इतने अधिक होते गए कि आज कृषि-उत्पादन बहुत ही गिरी अवस्था में है। भारत सरकार की नीति इस प्रवृत्ति को रोकने की है।

१५ राज्यों में खेतों के बँटवारे को तथा उनके टुकड़े होने से रोकने के लिए कानूनी कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में अन्य उपायों पर भी ध्यान दिया गया।

* चकबन्दी का कार्यक्रम योजना में सम्मिलित नहीं था। अब इसे वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित किया जा रहा है।

द्वितीय योजना में यह स्वीकार किया गया है कि ग्रामदान वाले गाँवों के विकास के सम्बन्ध में प्राप्त व्यावहारिक सफलता सहकारी ग्राम-विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। 'मखिल भारत सर्व सेवा संघ' द्वारा सितम्बर, १९५७ में बलघात (मंसूर राज्य) में आयोजित एक सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा ग्रामदान ग्राम्योत्थान के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जाए। सामुदायिक विकास मन्त्रालय के तत्सम्बन्धी कर्मचारियों ने इस विषय पर विचार किया और मई, १९५८ में माउण्ट छावू में हुए विकास आयुक्त सम्मेलन में इस पर और अधिक विचार किए जाने के बाद भूदान और ग्रामदान के बीच निकटतर सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय किया गया। सामुदायिक विकास खण्ड स्थापित करने और सामुदायिक विकास के अन्य मये कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में सबसे पहले ग्रामदान वाले गाँवों में कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

भूदान के लिए भूमि दान में दिए जाने तथा उसके वितरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई (सौराष्ट्र), बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक कानून बनाए जा चुके हैं। बम्बई में प्रशासन सम्बन्धी आदेश जारी किए जा चुके हैं।

१९५७-५८ में आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, बम्बई (विदर्भ और सौराष्ट्र), बिहार, मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा भोपाल), राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने भूदान में क्रमशः ३,००० रुपये; ५,००० रुपये; ३६,६०० रुपये; १,८६,००० रुपये; ५०,००० रुपये; २०,००० रुपये; ५,००० रुपये की वित्तीय सहायता दी।

भारत सरकार ने १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में क्रमशः ११.६२ लाख रुपये तथा १० लाख रुपये के लिए रबीवृत्ति दी। भारत सरकार 'मखिल भारत सर्व सेवा संघ' द्वारा तैयार की गई एक योजना के लिए भी ६८ लाख रुपये देगी। १९५७-५८ में २.५० लाख रुपये के व्यय से भूदान वाली भूमि पर सत्कारी ढंग से भूमिहीन मजदूरों को किर से बसाने की एक योजना को भी रबीवृत्ति दी गई।

जून, १९५८ तक भूदान ग्राम्योत्थान के अन्तर्गत प्राप्त भूमि तथा उसके वितरण का प्रदेशवार स्थोरा अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ३६ में दिया हुआ है।

जनवरी, १९५७ से ग्रामदान पर ही अधिक बल दिया जाने लगा है। ३१ दिसम्बर, १९५८ तक ग्रामदान ग्राम्योत्थान के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर ४,५७० गाँव दान में प्राप्त हुए। दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक सम्पत्तिदान में १४,४२,१६० रुपये प्राप्त हुए। १९५८ में ५४,४६८ रुपये का सम्पत्तिदान मिला। इसके अनिश्चित दान पत्रों के रूप में ५६,४६२ रुपये तथा साधनदान के रूप में अन्य १६,००० रुपये प्राप्त हुए।

तालिका ३६ *

भूदान में प्राप्त भूमि तथा उसका वितरण

राज्य अथवा प्रदेश	दान में प्राप्त भूमि (एकड़)	वितरित की गई भूमि (एकड़)
असम	२३,१९६	२२५
आन्ध्र प्रदेश	२,४१,९५०	८३,०९०
उड़ीसा	४,२४,६३५	१,११,७८५
उत्तर प्रदेश	५,८७,६३०	७७,७५८
केरल	२९,०२१	२,१२६
दिल्ली	३९६	१५७
पंजाब	१९,९२९	५,६५३
पश्चिम बंगाल	१२,६८१	३,४६३
बम्बई		
(१) गुजरात	४७,४८६	११,५२७
(२) महाराष्ट्र	६४,३६०	१०,५६१
(३) विदर्भ	८६,७७८	४५,०००
(४) सौराष्ट्र	३१,२३७	८,१८५
बिहार	२१,१३,९३८	२,८६,२८६
मद्रास	७०,८२३	२,३४९
मध्य प्रदेश	१,७८,८१६	६२,४५०
मंगूर	१९,९७३	२,५२७
राजस्थान	४,२६,४८८	६९,३६२
हिमाचल प्रदेश	१,५६८	२१
योग	४४,००,९०५	७,८२,५६५

बाण्गवा अध्याय

सहकारी आन्दोलन

सहकारिता के विचार ने भारत में टोंग रूप लाने पहले उम समय पहला किया जब प्राचीनों को ऋण-भार ने मुक्ति दिलाने तथा ऋण समितियों की स्थापना करने के लिए १९०४ में 'सहकारी ऋण समितियों अधिनियम' पारित हुआ। गैर ऋण समितियों की रचना के लिए १९१२ में एक दूसरा अधिनियम पास किया गया। दूसरी प्रकार की समितियों का काम गाँव के उत्पादन, बच-वितरण, बीमा तथा आशा आदि की व्यवस्था करना था। भारत सरकार द्वारा १९१४ में नियुक्त मैकडोनेल समिति ने सहकारी आन्दोलन में अधिक से अधिक गैर-सरकारी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

१९१९ के अधिनियम के अनुसार पछवि सहकारिता को प्रांतीय सरकार का विषय बना दिया गया, तथावि भारत सरकार इन आन्दोलन के विकास में रुचि लेनी रही और १९३५ में रिजर्व बैंक में एक 'कृषि ऋण विभाग' खोला गया। १९४५ में नियुक्त 'सहकारी योजना समिति' ने यह सिफारिश की कि प्राथमिक समितियों को राष्ट्रीय समितियों में बदल दिया जाए। इनने एक सुझाव यह भी रखा कि रिजर्व बैंक सहकारी समितियों ने को अधिक सहायता दे।

१९५१ में रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक निरीक्षण समिति ने देश की प्राचीण ऋण-व्यवस्था का सविस्तर सर्वेक्षण किया और दिसम्बर, १९५४ में अपना प्रतिवेदन प्रकाशित किया। सर्वेक्षण से पता चला कि सहकारी समितियों से किसानों को केवल तीन प्रतिशत ही ऋण मिला। सरकार को और से भी लगभग इतना ही ऋण दिया गया। समिति ने प्राचीण-ऋण सम्बन्धी एक मंगलिन योजना सुझाई। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ ये हैं कि सरकार सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं में भाग ले, ऋण सम्बन्धी तथा अन्य प्राथमिक कार्यों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाए, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का विकास किया जाए, गोदामों आदि की व्यवस्था की जाए तथा सभी प्रकार के सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था हो। समिति ने इम्पोरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए भी सिफारिश की जिससे यह अपनी शाखाओं के माध्यम से सहकारी तथा अन्य बैंकों को भुगतान आदि की अधिक सुविधाएँ दे सके। 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम' में उपयुक्त संशोधन करने तथा केन्द्र में एक 'राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम मण्डल' स्थापित करने की भी सिफारिश की गई।

मई, १९५५ में 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम' में किए गए एक संशोधन के अनुसार फरवरी, १९५६ में १० करोड़ रुपये के प्रारम्भिक योगदान से स्थापित 'राष्ट्रीय

कृषि-श्रृण (दीर्घकालीन कार्य) निधि' में १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में प्रति वर्ष ५ करोड़ रुपये का और विनियोग किया गया। इसी समय १ करोड़ रुपये के प्रारम्भिक विनियोग के साथ १९५५-५६ में स्थापित 'राष्ट्रीय कृषि-श्रृण (स्वियरीकरण) निधि' में १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में १ करोड़ रुपये और सम्मिलित कर दिए गए। रिजर्व बैंक की 'दीर्घकालीन कार्य निधि' से १४ राज्य सरकारों के लिए स्वीकृत ६.०४ करोड़ रुपये के श्रृणों में से जून, १९५८ के अन्त तक १३ राज्य सरकारों को ५.८३ करोड़ रुपये के श्रृण प्राप्त हुए। 'स्वियरीकरण निधि' से अभी तक कुछ भी श्रृण नहीं दिया गया है।

१ अगस्त, १९५६ से लागू हुए 'कृषि-उत्पादन (विकास तथा गोदाम) निगम अधिनियम के अन्तर्गत' १ सितम्बर, १९५६ को एक 'राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम मण्डल' स्थापित कर दिया गया।

'कृषि उत्पादन (विकास तथा गोदाम) निगम अधिनियम' में एक केन्द्रीय गोदाम निगम तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यीय गोदाम निगम स्थापित करने का तदय रखा गया है। इनमें से केन्द्रीय गोदाम निगम १० करोड़ रुपये की जारी हिस्सा पूंजी से स्थापित किया जा चुका है और इसकी ओर से ६ गोदामों की व्यवस्था की जा चुकी है। ११ राज्यीय गोदाम निगम भी स्थापित किए जा चुके हैं जिनके गोदामों की व्यवस्था की जा रही है।

संसद के एक अधिनियम के अनुसार इम्पोरियल बैंक पर सरकार द्वारा अधिकार कर लिए जाने के फलस्वरूप १ जुलाई, १९५५ को भारत के सरकारी बैंक (स्टेट बैंक) की स्थापना हुई। सरकारी बैंक ने नवम्बर, १९५८ के अन्त तक देश में अपनी २४४ शाखाएँ स्थापित कर लीं।

रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित 'केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण समिति' ने सभी प्रकार के सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की एक सविस्तर योजना तैयार कर ली है। सहकारी विभागों के उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पूना में एक 'अखिल भारतीय सहकारी प्रशिक्षण कालेज' स्थापित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रशिक्षण केन्द्र और भी हैं : मध्यवर्ती कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ५ प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा सामुदायिक विकास लक्ष्यों में काम करने वाले सहकारिता अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ८ संस्थान। एक प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र में भूमि के व्यवस्थापन से सम्बन्धित बैंकिंग के विधेय पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है।

'प्राथमिक श्रृण सर्वोदय समिति' की सिफारिशों के अनुसार द्वितीय योजनाकाल के लिए सहकारी विभाग का एक संगठित कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है। १९६०-६१ के अन्त तक किसानों को १.५० अर्ब रुपये का अल्पकालीन सहकारी श्रृण, ५० करोड़ रुपये का मध्यमकालीन श्रृण तथा २५ करोड़ रुपये का दीर्घकालीन श्रृण देने का तदय रखा गया है। १०,५०० बड़ी समितियों ; १,८०० प्राथमिक हाट-व्यवस्था समितियों; ३५ सहकारी बीजो कारखानों; ४८ सहकारी बगान-घोडाई मिलों तथा ११८ अन्य सहकारी समितियों के संरक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय तथा राज्यीय गोदाम निगमों द्वारा ३५० गोदामों,

हाट व्यवस्था समितियों के लिए १,५०० गोदामों तथा बड़ी प्राथमिक कृषि-ऋण समितियों के लिए ४,००० गोदामों के निर्माण की व्यवस्था की गई है।

१९५७-५८ में राष्ट्रीय सहकारी बैंकों के लिए ४८-२४ करोड़ रुपये के ऋणों को स्वीकृति दी गई। १९५७-५८ के अन्त में ४०,४७ करोड़ रुपये उधार लिए जा चुके थे। बुनकर सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए ८ राष्ट्रीय सहकारी बैंकों को इस वर्ष २ करोड़ ५ लाख ७८ हजार रुपये का ऋण देना स्वीकार किया गया। सहकारी चीनी कारखानों की चालू पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ३ करोड़ रुपये के ऋणों को स्वीकृति दी गई। १२ राष्ट्रीय सहकारी बैंकों को ७.७२ रुपये का मध्यमकालीन ऋण देना भी स्वीकार किया गया।

सहकारिता का रूप

सहकारी आन्दोलन सामान्यतः ३ हिस्सों में बँटा हुआ है जिसके अनुसार राज्यों में शीर्ष समितियाँ, जिलों में केन्द्रीय समितियाँ तथा ग्रामों में प्राथमिक समितियाँ स्थापित की जाती हैं।

५ व्यक्तियों के एक छोटेसत भारतीय परिवार को आधार मान कर साधारणतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि १९५६-५७ के अन्त तक ६.६६ करोड़ व्यक्तियों अथवा २५ प्रतिशत भारतीय जनता को सहकारिता का लाभ मिलने लगा था।

१९५६-५७ में देश में कुल २,४४,७६६ सहकारी समितियाँ थीं जिनमें से प्राथमिक समितियों के सदस्यों की संख्या १,६३,७३,३४६ थी और उनकी चालू पूंजी कुल मिलाकर ५ अर्ब ६७ करोड़ ६७ लाख रुपये की थी।

१९५६-५७ में सहकारी समितियों को ८ करोड़ ५८ लाख ३८ हजार रुपये का कुल लाभ हुआ जिसका ब्यौरा निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका ३७

सहकारी समितियों को हुआ लाभ

	(रुपये)
राज्यीय तथा केन्द्रीय बैंक	१,५५,२६,०००
राज्यीय तथा केन्द्रीय गैर-ऋण समितियाँ	१,५०,३३,०००
प्राथमिक कृषि-ऋण समितियाँ	१८६,८०,०००
घनाज बैंक	१५,६१,०००
प्राथमिक कृषि गैर-ऋण समितियाँ	७४,६८,०००
प्राथमिक कृषि-भिन्न ऋण समितियाँ	१,८८,२७,०००
प्राथमिक कृषि-भिन्न गैर-ऋण समितियाँ	६५,८५,०००
भूमि बन्धक बैंक	१८,२८,०००
योग	८,५८,३८,०००

प्राथमिक समितियाँ

जून, १९५७ के अन्त में सभी प्रकार की २,८६,७५६ सहकारी समितियों में से २,६०,६०६ प्राथमिक समितियाँ थीं। १९५६-५७ में विभिन्न प्रकार की प्राथमिक समितियाँ तथा उनके सदस्यों की संख्या इन प्रकार की :

तालिका ३८

प्राथमिक समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या

	समितियाँ	सदस्य
कृषि		
श्रृण समितियाँ	१,६१,५१०	६१,१६,८४६
घनाग संक	८,१६१	७,६२,२५६
श्रृण समितियाँ	२१,६०५	२०,५०,६११
प्राथमिक भूमि षण्यक संक	३२६	३,२३,५८६
कृषि-भिन्न		
श्रृण समितियाँ	१०,१५०	३२,३८,७२०
पैर-श्रृण समितियाँ	२८,५१६	२१,५६,१५३
घोसा समितियाँ	६	७,८६७
योग	२,४०,६०४	१,६३,७३,३४६

१९५६-५७ में प्राथमिक सहकारी समितियों ने ४ अर्ब ६७ करोड़ ७० लाख रुपये के ऋणों का लेन-देन किया।

कृषि श्रृण समितियाँ

जून, १९५७ के अन्त में कृषि श्रृण समितियों की चालू पूंजी ६८.३० करोड़ रुपये की थी, ७६.८२ करोड़ रुपये के अर्द्ध श्रृण तथा १६.८२ करोड़ रुपये के विद्युत् श्रृण थे। जून, १९५७ के अन्त तक ६७.३३ करोड़ रुपये के श्रृण दिए गए। इसी समय तक इन समितियों की केन्द्रीय वित्तीय अभिकरणों तथा सरकार से ५६.६४ करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त हुए और जून, १९५७ के अन्त में इनकी निधियों में ३३.३१ करोड़ रुपये तथा इनके निक्षेप ८.०५ करोड़ रुपये के थे।

ब्याज की दरें ऊँची ही रहें, यहाँ तक कि कुछ मामलों में १२½ प्रतिशत अर्थात् २१ प्रतिशत। जिन राज्यों में सहकारी आन्दोलन भत्तीभाँति विकसित हो चुका था, उनमें ब्याज की दरें सामान्यतः ४ से १२ प्रतिशत तक रहें।

कृषि गैर-श्रृणु समितियाँ

ये समितियाँ बीज, खाद तथा मशीनी खोजार जैसी वस्तुओं की खरीदने के कृषि सम्बन्धी कार्य करती हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि गैर-श्रृणु समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या निम्न तालिका में दिखाई गई है :

तालिका ३६
कृषि गैर-श्रृणु समितियाँ (१९५६-५७)

	समिति-संख्या	सदस्य-संख्या
घर तथा विक्रय	३,१४३	६,६६,५७५
उत्पादन तथा विक्रय		
(क) हाट व्यवस्था	६,७३१	७,५१,३२६
(ख) अन्य	५,२६१	६,६०,०१४
उत्पादन	७,६८७	४,६४,२०२
समाज सेवाएँ	५,२४३	१,६८,७४६
अन्य	५४०	१७,०४५

कृषि-मिन्न श्रृणु समितियाँ

इन समितियों में कर्मचारी श्रृणु समितियाँ तथा शहरी बैंक भी सम्मिलित हैं। १९५६-५७ के अन्त में इनके निक्षेप ६४.५६ करोड़ रुपये (चालू पूंजी के ६४.३१ प्रतिशत) के थे। इस वर्ष ३.०२ करोड़ रुपये का सामान प्राप्त हुआ तथा ३.५६ करोड़ रुपये की विक्री हुई। इनमें से कुछ समितियों ने गैर-श्रृणु कारोबार भी किया। १९५६-५७ में इन समितियों ने २ अरब ३७ करोड़ ३१ लाख रुपये के ऋणों का लेन-देन किया, २१.७० करोड़ रुपये का विनियोग किया, इनकी घुबता पूंजी २०.८८ करोड़ रुपये की थी, इनकी सुरक्षित निधि में ५.५६ करोड़ रुपये थे और इनके पास नकद तथा धंकी में ८.२४ करोड़ रुपये थे।

कृषि-मिन्न गैर-श्रृणु समितियाँ

ऐसी विभिन्न प्रकार की समितियाँ तथा उनके सदस्यों की संख्या अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ४० में दिखाई गई है।

प्राथमिक भूमि-व्ययक बैंक

१९५६-५७ के अन्त में देश में ३२६ प्राथमिक भूमि-व्ययक बैंक थे जिनके सदस्यों की संख्या ३,३३,५८६ थी। इन बैंकों ने २.०५ करोड़ रुपये के ऋण दिए तथा इनकी चालू

पूँजी १२.७० करोड़ रुपये की थी। ज्ञान देने लोगों ने ५१ में १० प्रतिशत तक ब्याज तिया गया।

तानिका ४०

विविध गैर-श्रृण समितियाँ (१९५६-५७)

	गतिनिर्गत्य	सदस्य-गंख्या
त्रय तथा विषय	५,७१६	११,१०,६६०
उत्पादन तथा विषय	१२,१५३	१२,५१,६२२
उत्पादन	४,४०२	४,४४,२२२
सामान सेवाएँ	२,८६१	१,५२,४२७
ध्यायात	३,०८१	२,०६,६२२
धीमा	६	७,८६७

केन्द्रीय समितियाँ

केन्द्रीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं : (१) केन्द्रीय बैंक तथा बैंक संघ, और (२) केन्द्रीय गैर-श्रृण समितियाँ।

केन्द्रीय बैंक तथा बैंक संघ

केन्द्रीय सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य उनसे सम्बद्ध बैंकों के बीच सन्तुलन स्थापित करना तथा प्राथमिक समितियों के लिए धन उपलब्ध कराना है। १९५६-५७ में देश में ४५१ केन्द्रीय बैंक तथा बैंक संघ थे जिनके सदस्यों की संख्या ३,१०,५५५ थी। इन्होंने १ अरब ८० लाख रुपये के श्रृण दिए तथा इनकी घालू पूँजी १ अरब १० करोड़ २६ लाख रुपये की थी। इनकी शुक्ता पूँजी तथा सुरक्षित राशियाँ क्रमशः ११.११ करोड़ रुपये तथा ७.१४ करोड़ रुपये की थीं।

१९५६-५७ के अन्त में केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने २६.०५ करोड़ रुपये का बिनियोग कर रखा था जिसमें से १५.६५ करोड़ रुपये सरकारी तथा अन्य ग्याती सिक्योरिटियों में लगे हुए थे।

केन्द्रीय गैर-श्रृण समितियाँ

विविध प्रकार की केन्द्रीय गैर-श्रृण समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या आगे पृष्ठ की तालिका सं० ४१ में दी हुई है :

तानिका ४१

केन्द्रीय गैर-श्रम समितियाँ (१९५६-५७)

	समिति-संख्या	सदस्य संख्या	
		व्यक्ति	समितियाँ
हाट व्यवस्था संघ	२,३३६	१६,६६,६७२	४०,८३४
धोक माल तथा उपलब्धि संघ	१६६	२८,५८३	१८,८१२
श्रीधोगिनः संघ	११२	११,६१४	४,६५७
आवासा समितियाँ	२	—	१४०
दुग्ध संघ	६६	६,७२०	१,३०८
अन्य	२३२	३१,६८६	८,२७३

दीर्घ-समितियाँ

दीर्घ समितियाँ उनसे सम्बद्ध जिलों की समितियों के सन्तुलन-केन्द्रों के रूप में कार्य करती हैं। ये समितियाँ तीन प्रकार की होती हैं: (१) राज्यीय बैंक, (२) राज्यीय गैर-श्रम समितियाँ तथा (३) केन्द्रीय भूमि-व्ययक बैंक।

राज्यीय सहकारी बैंक

१९५६-५७ में देश में २३ राज्यीय सहकारी बैंक थे जिनके सदस्य ३३,४४० तथा जिनकी धालू पूंजी ७६.५४ करोड़ रुपये की थी। इन बैंकों ने १६.६६ करोड़ रुपये का विनियोग किया हुआ था तथा इनके पास नकद अन्वय बैंकों में ८.६१ करोड़ रुपये थे।

राज्यीय गैर-श्रम समितियाँ

राज्यीय गैर-श्रम समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ४२ में दी हुई है।

केन्द्रीय भूमि-व्ययक बैंक

केन्द्रीय भूमि-व्ययक बैंक जो किसानों की दीर्घकालीन श्रम उपलब्ध कराने के मुख्य स्तोन हैं, अपने लिए मुख्यतः श्रम-व्ययक जारी करके ही धन की व्यवस्था करते हैं। १२ बैंकों (सदस्य संख्या १,१६,५६१) में से केवल ३ बैंकों—(१) सोराष्ट्र केन्द्रीय सहकारी भूमि-व्ययक बैंक, (२) उड़ीसा प्रांतीय सहकारी भूमि-व्ययक बैंक तथा (३) मद्रास सहकारी भूमि-व्ययक बैंक ने १६५६-५७ में क्रमशः १.५० करोड़ रुपये, १० लाख रुपये तथा ५०

राज्यीय गंर-श्रण समितियों (१९५६-५७)

प्रकार	समिति-संख्या	सदस्य-संख्या	
		व्यक्ति	समितियाँ
हाट-व्यवस्था संघ	१३	२,०५१	१,८६६
बोक माल तथा उपलब्धि संघ	७	१,५०३	३४०
औद्योगिक संघ	२२	१,४३६	३,७३१
प्रावास समितियाँ	४	६०	३१३
अन्य	१०	२,८१६	१,४८८

ताल रूपये के श्रण-पत्र जारी किए। रिजर्व बैंक ने उड़ीसा प्रांतीय सहकारी भूमि-बचक बैंक के श्रण-पत्रों में १.५० लाख रूपये का योगदान दिया। १९५६-५७ के श्रण में १६.६५ करोड़ रूपये के श्रण-पत्र जारी थे।

अन्य संस्थाएँ

निरीक्षण संघ
१९५६-५७ में देश में ६५० निरीक्षण संघ थे जिनसे ३१,१३६ समितियाँ सम्बद्ध थीं। इन समितियों की सदस्य-संख्या ३३,०१,५१० तथा इनकी चालू पूंजी १ अरब २ करोड़ ८१ लाख रूपये की थी।

राज्यीय संघ तथा राज्यीय संस्थाएँ
जून, १९५७ के श्रण में देश में ऐसे २६ संघ थे जिनसे ३८,६७७ प्राथमिक तथा ४६५ केन्द्रीय समितियाँ सम्बद्ध थीं और इनके १,२६६ व्यक्ति सदस्य थे। इनकी ४७.०० लाख रूपये की कुल प्राय हुई तथा इन्होंने कुल ४५.२५ लाख रूपये धन्य दिए।

बीमा समितियाँ

४ श्रानि तथा सामान्य बीमा सहकारी समितियों ने ३६.२० करोड़ रूपये के श्रानि बीमा, ७.०३ करोड़ रूपये का गोदाघों तथा भवनों के बीमा, ३.४५ करोड़ रूपये का इमारत मितियों के बीमा तथा ६.५३ करोड़ रूपये का कारखानों के बीमा का कारोबार किया। २ सहकारी मोटर बीमा समितियों ने १९५६-५७ में १,८६२ बीमापत्र जारी किए।

भंग की जाने वाली समितियाँ

१९५६-५७ के आरम्भ में १३,३७२ सहकारी समितियाँ भंग की जानी थीं, जबकि इन वर्ष २,२५८ समितियाँ भंग की गईं। १९५६-५७ में समितियों से ६४.४६ लाख रूपये वसूल किए गए तथा ४६.३७ लाख रूपये की देनदारियों का भुगतान किया गया।

तेइसवाँ अध्याय

सिंचाई तथा विद्युत्

सिंचाई

भारत के जल-संसाधन अस्थायी रूप से १ अब्ज ३५ करोड़ ६० लाख एकड़-फुट होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से लगभग ४५ करोड़ एकड़-फुट का ही उपयोग किया जा सकता है। १९५१ तक सिंचाई के लिए नदियों के ८.८० करोड़ एकड़-फुट पानी (कुल जल-संसाधन का ६.५ प्रतिशत अथवा उपयोग में लाए जा सकने वाले पानी का १६.५ प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया।

नदियों के बहाव को सिंचाई की नहरों में मोड़ देने की सम्भावनाएँ अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए, सिंचाई के भावी विकास की योजनाओं का उद्देश्य वर्षाभाज वाले दिनों में उपयोग के लिए वर्षा के दिनों में बहने वाले अतिरिक्त जल का संग्रह करना है। जिन क्षेत्रों में नदियों अथवा नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती, उन क्षेत्रों में तालाबों तथा कुओं के निर्माण की धीरे धीरे पानी ऊपर उठाकर सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की गई है।

१९२७ में स्थापित 'केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मण्डल' देश में सिंचाई तथा विद्युत् के क्षेत्र में आधारभूत शोधकार्य प्रारम्भ करने तथा विभिन्न भागों में स्थापित १६ शोध केन्द्रों के कामों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है।

'केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग' पर राज्य सरकारों के परामर्श से बाढ़-नियन्त्रण, सिंचाई, नौबानयन तथा जलविद्युत्-उत्पादन के लिए सम्पूर्ण देश के जल-संसाधनों के नियन्त्रण, उपयोग तथा संरक्षण की योजनाओं के सम्बन्ध में पहल करने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उन्हें लागू करने का उत्तरदायित्व डाला गया है। इस आयोग के ३ विभाग हैं : जल विभाग, विद्युत् विभाग तथा बाढ़ विभाग।

बाढ़-नियन्त्रण

१९५४ की वर्षा ऋतु में निरन्तर अभूतपूर्व बाढ़ आने रहने से उत्पन्न विपत्ति स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नितम्बर, १९५४ में बाढ़-नियन्त्रण का एक नव-स्तर कार्यक्रम तैयार किया। तीन भागों में बाँटे गए इस कार्यक्रम के प्रथम दो वर्षों में मुख्यतः जीव-संरक्षण तथा क्षतिपूर्ति के संग्रह का कार्य किया गया। बाद के चार वर्षों तक बाढ़-नियन्त्रण तथा नौबानयन के मुख्यतः उपाय किए जा रहे हैं।

'केन्द्रीय वायु-नियन्त्रण मण्डल' के अधीन १३ राज्यों में भी वायु-नियन्त्रण मण्डल की स्थापना के लिए 'केन्द्र में एक नयी प्रायोगिक (वायु)' भी स्थापित कर दिया है। 'केन्द्रीय जन सेवा विद्युत् प्रायोग' में एक वायु विभाग और स्थापित कर दिया गया है। 'केन्द्रीय मन्त्रालय ६० योजनाओं के लिए स्वीकृति दे चुका है जिसमें से प्रत्येक योजना १० लाख रुपये व्ययवा उतने अधिक लागू करने का अनुमान लगाया गया है। विभिन्न राज्यों तथा संघीय राज्यों में भी अन्य ५०६ योजनाएँ स्वीकृति की जा चुकी हैं जिनमें से प्रत्येक पर १० लाख रुपये से कम व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया है। १३.०५ करोड़ ६० की अनुमानित लागत की २६६ अन्य योजनाएँ विचारधीन हैं।

उत्तर प्रदेश के वायुवाही राज्यों में ६,२०० से अधिक गाँवों की तरह ग्रंथों पर भी गई है और वायु-नियन्त्रण कार्यक्रम धारण होने के समय से यह तक कई राज्यों में पुनर्निर्माण कर २,४०३ गाँव तक तटस्थों का निर्माण किया जा चुका है।

वायु मण्डल को हानि करने में परामर्श देने के लिए अगस्त, १९५० में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 'उपस्थानीय वायु समिति' ने नवम्बर, १९५८ में अपना डूगरा तथा प्रतिनित प्रतिवेदन दे दिया। दिगम्बर, १९५७ में सम्पन्न प्रथम प्रतिवेदन की तिथिगत मई, १९५८ में 'केन्द्रीय वायु नियन्त्रण मण्डल' द्वारा स्वीकार कर ली गई थी।

अन्तर्देशीय नौकानयन

अब तक जिन अन्तर्देशीय योजनाओं का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है अथवा जिनका निर्माण जारी है, उनके कुछ उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अन्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएँ प्रदान करने का भी है। 'बामोडर घाटी निगम' ने नौकानयन के योग्य ८५ मील लम्बी नहर खनाने का लक्ष्य रखा है। हीराकुड बाँध योजनाकार्य का कार्य पूरा होने पर घोलपुर से बड़क तक अन्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएँ प्राप्त होने की सम्भावना है। तुंगभद्रा योजनाकार्य में आन्ध्र प्रदेश की ओर एक नौकानयन-सिंचाई नहर के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान नहर में भी नौकानयन की व्यवस्था करने का सुभाव विचाराधीन है।

विद्युत्

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के मध्य तक विद्युत्-उत्पादन में बहुत ही कम प्रगति हुई। मार्च, १९५८ में सार्वजनिक उपयोग के विद्युत् संयंत्रों की प्रस्थापित क्षमता ३२,२३,१११ किलोवाट थी। इसी अवधि में विद्युत्-उत्पादन भी बढ़कर ११ अर्ब ३२ करोड़ १६ लाख किलोवाट हो गया।

संसाधन

भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति विद्युत्-उत्पादन केवल ३५ किलोवाट घण्टे है, जबकि नार्वे; कनाडा; ब्रिटेन; रूस तथा जापान का प्रति व्यक्ति विद्युत्-उत्पादन क्रमशः ७,२५० ५,४५०; २,०००; ६६० तथा ८५० किलोवाट घण्टे है।

पश्चिम की ओर बहने वाली पश्चिमी घाट की नदियों, पूर्व की ओर बहने वाली दक्षिण भारत की नदियों तथा मध्यवर्ती भारतीय पठार की नदियों के सम्बन्ध में 'केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग' द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इस आयोग के प्रतिवेदनों में सुझाई गई ११५ बड़ी योजनाओं से लगभग १.४७ करोड़ किलोवाट विद्युत् का उत्पादन किया जा सकता है। इस समय देश में अनुमानतः ४.१० करोड़ किलोवाट से अधिक विद्युत् का उत्पादन किया जाता है।

विद्युत् विकास सम्बन्धी संगठन

भारत में विद्युत्-उत्पादन तथा उसके वितरण की व्यवस्था लम्बे समय तक १९१० के 'भारतीय विद्युत् अधिनियम' के अनुसार होती रही। १९४८ में पारित 'विद्युत् (उपलब्धि) अधिनियम' के अनुसार १९५० में 'केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकारी संगठन' की स्थापना हुई और असम, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, मंगूर तथा राजस्थान में विद्युत् मण्डल स्थापित किए जा चुके हैं।

स्वामित्व तथा उपभोग

१९२५ तक विद्युत्-विकास का कार्य मुख्यतः प्राइवेट कम्पनियों के ही हाथ में था। गत दसरे दशक में ही कुछ राज्यों ने विद्युत्-विकास योजनाओं पर कार्य करना आरम्भ किया। मार्च, १९५८ में सार्वजनिक उपयोग में आने वाली ३४.४ प्रतिशत विद्युत् पर प्राइवेट कम्पनियों का ही स्वामित्व था।

१९५७-५८ में घरेलू, व्यापारी, औद्योगिक, सार्वजनिक प्रकाश तथा सिंचाई खाति की सुविधाओं के लिए कुल मिलाकर ३२.०८ लाख उपभोगताओं ने विद्युत् का उपभोग किया।

गाँवों में बिजली

कुछ बड़े विद्युत्-केन्द्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बिजली पंदा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में अभी तक केवल आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास तथा मंगूर में ही कुछ प्रगति हुई है। मार्च, १९५८ के अन्त में १०,७१२ कस्बों तथा गाँवों में बिजली की व्यवस्था थी।

दोनों योजनाओं की विद्युत् योजनाएँ

प्रथम योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में १४२ विद्युत्-विकास योजनाएँ सम्मिलित थीं। इनमें से बड़े बहुदृश्यीय नदी-घाटी योजनाकार्य थे: भालड़ा-जंगल, हीराकुड, दामोदर घाटी निगम, चम्बल, रिहन्द, बोयता तथा बोती।

प्रथम योजनाकाल से जिन मुख्य विद्युत् योजनाओं का कार्य पूरा हो गया तथा जिनमें विद्युत्-उत्पादन आरम्भ हुआ, वे अगले पृष्ठ पर दी गई हैं।

प्रस्थापित क्षमता (कितोवाट)

१. नंगल (पंजाब)	४८,०००
२. बोकारो (बिहार)	१,५०,०००
३. चोल (कल्याण, बम्बई)	५४,०००
४. खापरखेडा (मध्य प्रदेश)	३०,०००
५. मोयार (मद्रास)	३६,०००
६. मद्रास नगर संयंत्र विस्तार (मद्रास)	३०,०००
७. मचकुण्ड (प्राग्ध्र प्रदेश-उड़ीसा)	३४,०००
८. पथरी (उत्तर प्रदेश)	२०,०००
९. शारदा (उत्तर प्रदेश)	४१,४००
१०. सेनगुलम (केरल)	४८,०००
११. जोग (मंगूर)	७२,०००

द्वितीय योजना में निहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की विद्युत्-उत्पादन योजनाएँ निम्न हैं :

सरकारी क्षेत्र की ये योजनाएँ जिनका काम जारी है : तुंगभद्रा—प्रथम चरण (प्राग्ध्र प्रदेश तथा मंगूर), भालडा-नंगल (पंजाब तथा राजस्थान), हीराकुण्ड—प्रथम चरण (उड़ीसा), दामोदर घाटी निगम (बंगाल तथा बिहार), चम्बल—प्रथम चरण (मध्य प्रदेश तथा राजस्थान), मचकुण्ड (प्राग्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा), उम्रू (झारखण्ड), कोयना (बम्बई) पेरियर (मद्रास), मद्रास घर्मन केन्द्र विस्तार (मद्रास), रिहन्द (उत्तर प्रदेश), रामगुलम (प्राग्ध्र प्रदेश), घर्मन विद्युत् केन्द्र (राजस्थान), नेरियमंगलम (केरल), प्रौद्योगिकी (केरल) तथा कण्डला दारु केन्द्र (गुजरात) ।

सरकारी क्षेत्र की नयी योजनाएँ : पूर्णा (बम्बई), गिरीस (झा० प्रदेश), मचकुण्ड विस्तार (झा० प्रदेश तथा उड़ीसा), तुंगभद्रा-नेरियर योजना (झा० प्रदेश तथा मंगूर), उम्रू-चरण चरण केन्द्र (झारखण्ड), बरीली चरण केन्द्र (बिहार), दक्षिण गुजरात विद्युत् विद्युत् द्वितीय चरण (बम्बई), कोयना घर्मन केन्द्र (म० प्रदेश), दक्षिणी विद्युत् विकास (बम्बई), कण्डला—प्रथम तथा द्वितीय चरण (मद्रास), हीराकुण्ड—द्वितीय चरण (उड़ीसा), यमुना जल

(बम्बई), पण्णियार (केरल), शोलायार (केरल), पम्बा (केरल) तथा बीरसिंहपुर धर्मल विद्युत् केन्द्र (मध्य प्रदेश) ।

निजी क्षेत्र की मुख्य विद्युत्-उत्पादन योजनाएँ हैं : अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कं० लि० (बम्बई), टाटा पावर सिस्टम (बम्बई), ट्रॉम्बे धर्मल विद्युत् केन्द्र, शोलापुर (बम्बई), भागरा विद्युत् उपलब्धि कं० (उ० प्रदेश), बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एण्ड पावर कं० लि० (उ० प्रदेश), यूनाइटेड प्राविक्सेल विद्युत् उपलब्धि कं० (उ० प्रदेश) तथा भावनगर विद्युत् कं० लि० (बम्बई) ।

नदी-घाटी योजनाकार्य

भारत के प्राकृतिक जलमार्ग बहुत-कुछ बड़े घेड़गे ढंग से स्थित हैं । सिंचाई के विकास के लिए अन्तिम सन् १५-२० वर्षों में सिंचित क्षेत्र को घब से दुगुना करने का रखा गया है । प्रथम योजनाकाल में लगभग २२० करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए १०० छोटी तथा बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की व्यवस्था की गई थी ।

देश के निम्न बड़े नदी-घाटी योजनाकार्य उल्लेखनीय हैं : भाखड़ा-नंगल योजनाकार्य, होराकुड बांध योजनाकार्य, राजस्थान नहर योजनाकार्य, दामोदर घाटी योजनाकार्य, तुंग-भद्रा योजनाकार्य, बीसी योजनाकार्य, चम्बल योजनाकार्य, नागार्जुनसागर योजनाकार्य, कोयना योजनाकार्य, रिहन्द बांध योजनाकार्य, भद्रा जलानय योजनाकार्य, काकरापार योजनाकार्य, मधुकुण्ड योजनाकार्य तथा मयूराक्षी योजनाकार्य ।

विक्रम कार्यक्रम

प्रथम योजनाकाल में बड़े तथा मध्यम योजनाकार्यों से लगभग ३० लाख एकड़ अनिश्चित भूमि में सिंचाई होने लगी तथा द्वितीय योजनाकाल में १ करोड़ एकड़ अनिश्चित भूमि की सिंचाई के लिए सुविधाएँ उपलब्ध होगी । इन नये योजनाकार्यों से अन्ततोगत्वा १.६८ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । प्रथम योजनाकाल में छोटी योजनाओं से १ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई आरम्भ हो जाने तथा द्वितीय योजनाकाल में ऐसी योजनाओं से ६० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई आरम्भ करने का सन्ध निर्धारित किए जाने के अन्तर्व्यवस्था १९६१ तक देश में कुल ८२५ करोड़ एकड़ भूमि सींची जाने लगेगी ।

प्रथम योजना के आरम्भ में विद्युत्-उत्पादन सयंत्रों की कुल प्रत्यापित क्षमता केवल २६ लाख बिलोवाट थी । प्रथम योजनाकाल में इसमें ११ लाख बिलोवाट की वृद्धि हुई ।

यह अनुमान लगाया गया है कि अगले १० वर्षों में प्रत्यापित क्षमता में प्रति वर्ष २० प्रतिशत की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी । इसका अर्थ यह हुआ कि १९६६ तक के लिए १५० करोड़ बिलोवाट का सन्ध रखा जाना चाहिए । अन्तुमार, द्वितीय योजना-काल में प्रत्यापित क्षमता को ६६ बिलोवाट तक बढ़ाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया

उद्योगों का नियमन

१९४८ में घोषित औद्योगिक नीति के अनुसार सविधान में संशोधन किया गया और 'उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, १९५१' लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार सभी वर्तमान तथा नयी औद्योगिक संस्थाओं के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया गया। सरकार को किसी भी औद्योगिक संस्था के कार्य-संचालन को जीक-पड़ताल करने तथा आवश्यकतानुसार निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो गया। किसी भी अल्पवस्थित संस्था का प्रबंध अपने अधीन कर लेने का अधिकार भी सरकार को दे दिया गया। उद्योगों के विकास तथा नियमन सम्बन्धी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'केन्द्रीय परामर्श परिषद्' और भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए प्रलग-प्रलग विकास परिषदें स्थापित की जानी थी।

इन अधिकारों के द्वारा सरकार का उद्देश्य देश के संसाधनों का उचित उपयोग करना, बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का समुचित विकास करना तथा विभिन्न उद्योगों का प्रादेशिक रूप से उचित विभाजन करना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत १६२ उद्योग आते हैं। 'केन्द्रीय उद्योग परामर्श परिषद्' के अतिरिक्त अन्य कुछ उद्योगों के लिए विकास परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। जनवरी-सितम्बर, १९५८ में इस अधिनियम के अन्तर्गत ५५४ नये उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने के लिए स्वीकृति दी गई।

उन महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में, जिनके लिए निजी क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी प्राप्त नहीं हो रही है, सरकार ने विशेष शर्तों पर ऋण देकर श्रयवा पूंजी लगा कर उनको वित्तीय सहायता दी।

उत्पादन-क्षमता

एक उत्पादन-क्षमता प्रतिनिधिमण्डल की सिफारिश के अनुसार, जो अक्टूबर-नवम्बर, १९५६ में जापान गया था, स्वतन्त्र संस्था के रूप में फरवरी, १९५८ में एक 'राष्ट्रीय उत्पादन-क्षमता परिषद्' स्थापित की गई जिसमें सरकार, मिलमालिकों, मजदूरों आदि के प्रतिनिधि हैं। इस परिषद् का उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है।

औद्योगिक वित्त

जुलाई, १९४८ में स्थापित 'औद्योगिक वित्त निगम' दीर्घकालीन ऋण तथा प्रथम धन के रूप में औद्योगिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देता आ रहा है। मार्च, १९५८ तक निगम ने ५७.४२ करोड़ रुपये के ऋणों के लिए स्वीकृति दी। द्वितीय योजना में निगम को केन्द्रीय सरकार से १३.५० करोड़ रुपये प्राप्त होने की व्यवस्था की गई थी। अब यह राशि बढ़ाकर २२.२५ करोड़ रुपये कर दी गई है।

'औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, १९५७' का उद्देश्य निगम की नगण्य सम्बन्धी स्थिति को सुदृढ़ करना तथा उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करना है।

प्रत्येक उद्योगों को (नये उद्योग सहित) जिन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, निगम से ऋण प्राप्त हो सकता है बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अथवा कोई राज्य सरकार अथवा एक अनुसूचित बैंक अथवा कोई राज्याय सहकारी बैंक कुछ प्रत्याभूति (गारण्टी) दे। 'राज्याय वित्त निगम' मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं जो अखिल भारतीय निगम के क्षेत्र में नहीं आते।

निजी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों को सहायता के लिए जनवरी, १९५५ में स्थापित 'भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम' ने १९५७ के अन्त तक कई उद्योगों के लिए ११.६५ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को स्वीकृति दी।

योजना में सम्मिलित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक संस्थानों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के आधार पर फिर से ऋण लेने की सुविधाएँ देने के उद्देश्य से जून, १९५८ में 'उद्योग पुनर्वित्त निगम प्राइवेट लिमिटेड' स्थापित किया गया। सुविधाएँ केवल उन्हीं औद्योगिक संस्थाओं को प्राप्त होंगी जिनकी चुकता पूंजी तथा जिनके सुरक्षित धन २.५० करोड़ से अधिक नहीं है।

१९५४ में स्थापित 'राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम' सूनीकरण तथा पटसन उद्योगों के प्राथमिकीकरण तथा पुनर्संस्थापन के लिए सरकार की ओर से विशेष ऋण देने का भी काम करता है। इस निगम को इस कार्य के लिए अग्रे तक २.२६ करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

सरकार आवश्यक बच्चे माल तथा वस्तुओं के आयात के लिए सुविधाएँ देकर अथवा सम्बन्धी रियाजतें देकर तथा नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके निजी क्षेत्र को सहायता करती है। जनवरी, १९५२ में स्थापित 'अनुविहित तटकर आयोग' संरक्षण-प्रदान उद्योगों की प्रगति को समीक्षा करता रहता है और नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने में मामलों की जाँच करता है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों से प्राविधिक सहायता प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

विदेशी पूंजी

इस औद्योगिक विकास के लिए पूंजीगत साधनों की कमी को पूरित करने के उद्देश्य से सरकार ने उन उद्योगों के लिए विदेशी सहायता का स्वागत करने का निश्चय किया जिनमें किसी समुच्च वस्तु के उत्पादन की पर्याप्त क्षमता नहीं है। विदेशी पूंजी सम्बन्धी नीति, अप्रैल, १९४८ के औद्योगिक नीति विधायक आताक तथा १९४९ में स्थापित साम्प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बचनधर से स्पष्ट कर दी गई थी। इसके अनुसार :

- (१) विदेशी पूंजी का उपयोग तथा विदेशी उद्यमों का निरन्तर राष्ट्र के हित के ध्यान में रखते हुए सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। साथ ही सावधान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बैंकन कुछ अर्थव्यवस्थाओं को दीर्घकालीन तथा अभावकारी नियन्त्रण भारतीयों के ही हाथों में रहे।
- (२) सामान्य औद्योगिक नीति लागू किए जाने के सम्बन्ध में विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय उद्यमों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना जाना...

औद्योगिक विकास के लिए एक आधारभूमि तैयार करने की दृष्टि से द्वितीय योजना में मुख्य रूप से पूर्वांगत तथा निर्माणकारी सामग्री उद्योगों के विकास पर ही बल दिया गया है।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत सामंजसिक तथा निजी क्षेत्रों में धन्य दिए जाने वाले १०.६४ अर्ब रुपये का अधिकतर उद्योगवार ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका ४४
उद्योगवार धन्य (द्वितीय योजना)

	धन्य (करोड़ रुपयों में)	बुग विनियोग का प्रतिशत
धातुकर्म सम्बन्धी उद्योग	५०२.५०	४५.६
इंजीनियरी उद्योग	१५०.००	१३.७
रसायन उद्योग	१३२.००	१२.०
सीमेण्ट तथा बिजली का तानान		८.५
आदि	६३.००	०.६
पेट्रोल-शोधन		
कागज तथा समाचारपत्र सम्बन्धी	५४.००	६.०
कागज आदि	५१.००	५.७
चीनी		
कपास, पटसन, ऊनी तथा रेशमी	३६.३०	३.३
सूत तथा वस्त्र	२४.००	२.२
रेयन		
अन्य	४१.५०	३.८

द्वितीय योजना में प्रस्तावित उत्पादन-क्षमता तथा उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ४५ में दिखाई गई है।

औद्योगिक उत्पादन
१९५६ तथा १९५७ का औद्योगिक उत्पादन और १९५७; अक्टूबर, १९५७ तथा अक्टूबर, १९५८ के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आधार वर्ष १९५१ = १००) पृष्ठ २१८ पर तालिका सं० ४६ में दिखाए गए हैं। नवम्बर, १९५८ का सामान्य सूचकांक १३७.६ था। सूचकांक में सम्मिलित नहीं किए गए कुछ नये इंजीनियरी तथा रसायन उद्योगों में भी उल्लेखनीय प्रगति होती रही। विदेशी विनिमय की कमी के कारण पर्याप्त औद्योगिक प्रगति नहीं हो पा रही है।

मानिका ४५

उद्योगों की १९५५-५६ पर १९६०-६१ में प्रतिगत वृद्धि

	उत्पादन-क्षमता	उत्पादन
पूँजीगत तथा निर्माणकारी सामग्री उद्योग		
संघार इस्पात	२६०	२३१
अभूमिनिपट	३००	२३३
सोह-संगनीक	५१४	—
मंत्रजनयुक्त उर्वरक	३५६	२७७
फॉस्फेटयुक्त उर्वरक	२४३	५००
सोडा ऐश	१८१	१८८
कार्टिक मोडा	२४१	२७५
प्लास्टिक के काम का पाउडर	६८६	१,३६२
रंग घादि	३०६	४५०
शक्ति सुरासार	३३	१००
सीमेण्ट	२२४	१८३
अपमसह भट्टियाँ	१२५	१८६
बनावट के ऊपरी ढाँचे	१२१	१७८
रेल-इंजिन	१३५	१२५
विद्युत् परिवर्तक	१२८	११६
घोषोगिक मशीन	—	४७१
बैटोल	५६७	६००
उपभोग्य सामग्री उद्योग		
धोनी	४४	२४
रेयन घादि	१६२	२४६
मूती बरत्र		
मूत	१३.०	१६.६
बरत्र	गोण	२६.२
ऊनी बरत्र		
ऊनी धागा	१६.७	२५.०
बरत्र	४.२	३४.२
काँच तथा काँच के वर्तन	१६.२	६०.०
बाइसिकिल	१७.८	८१.८
साबुन	५.०	५०.०
घनस्पति	—	४८.१
कागज तथा गत्ता	११४	७५

मुख्य उद्योग

मूती वस्त्र उद्योग

स्वाधीनता-प्राप्ति के पूर्वकाल में मूतीवस्त्र उद्योग का किस प्रकार विकास हुआ, यह निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका ४७
मूती वस्त्र उद्योग का विकास (१८७६-१९५७)

वर्ष	मिलों	तकिए (लाख)	करघे (हजार)	उत्पादन	
				मूल (करोड़ पौण्ड)	कटपीस (करोड़ गज)
१८७६-८०	५८	१४.०८	१३.३०	—	—
१८८६-९०	११४	२६.३५	२२.१०	—	—
१९०१	१७८	४८.४१	४०.५०	५७.३०	१२.००
१९११	२३३	६०.६५	८५.८०	६२.५०	२६.७०
१९२१	२४६	७२.७८	१३३.५०	६६.४०	४०.३०
१९३१	३१४	९०.७८	१७५.२०	९६.६०	६७.२०
१९४१	३६६	१००.२६	२००.२०	१५७.७०	१०६.३०
१९५७	४२३	१०३.५४	२०३.००	१२६.६०	३७६.२०

१९५८ में उद्योगियों द्वारा कम माल का प्रयुक्त जाने तथा मिलों में कपड़ा पड़े रहने के कारण उत्पादन कम हुआ। दिसम्बर, १९५७ से उत्पाद शुल्कों में बर्द्ध कित्तों में पर्याप्त बर्द्धि किए जाने के फलस्वरूप मूतीवस्त्र उद्योग को काफी राहत मिली।

१९५८ के प्रारम्भ में देश में ४७० मूतीवस्त्र मिलें थी जिनमें १,३०,५०,००० तकियों तथा २,०१,००० करघों पर काम हो रहा था। १९५८ में १.६८ अर्ब पौण्ड मूल तथा ४ अर्ब ६२ करोड़ ७७ लाख गज वस्त्र का उत्पादन हुआ। १९५६ के प्रारम्भ में इन मिलों की संख्या बढ़कर ४८२ हो गई, इनमें १.२० अर्ब रुपये का विनियोग हुआ तथा ६ लाख मजदूर काम कर रहे थे।

सरकार इस उद्योग की प्राथमिक उपकरणों तथा मशीनों सम्बन्धी प्रायश्चित्तियों का पता लगाने के लिए १९५५ से सर्वेक्षण कर रही है। १९५८ तक 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम' ने ३.७१ करोड़ रुपये के ऋणों को स्वीकृति दी।

पटसन उद्योग

पटसन उद्योग का प्रारम्भिक विकास अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ४८ में दिखाया गया है।

पटनम उद्योगों का विकास (१९५०-५१ तक)

वर्ष	मिने	उत्पिद्युत शक्ति (करोड़ रुपये)	कर्मों (हज़ार)	मूल्य (लाख)
१९५६-६० से १९६०-६१ (औद्योगिक)	२१	२.७१	५.५०	१.६६
१९६०-६१ से १९६१-६२ (औद्योगिक)	२६	६.६०	१६.३०	६.६७
१९६१-६२ से १९६२-६३ (औद्योगिक)	६०	१७.०६	३३.५०	१०.६५
१९६२-६३	१००	२१.३५	५०.५०	१२.३५
१९६३-६४	१०५	२३.६३	६१.६०	११.०६
१९६४-६५	१०६	२४.६६	५२.५०	१२.६५

१९५६ को 'भारतीय उद्योग-मालता' के धनुषार उम समय देश में १००५ मिने की जिनमें ६५.३० करोड़ रुपये की शक्ति लगी हुई थी तथा २,७१,४१५ वर्ग क्वेडर रहे थे। १९५७ में पटनम में यानी १०३० लाख टन धातुओं का उत्पादन हुआ। पटनम उद्योग के धातुनिर्धारण के लिए पटनम मिनों को मशीनों के प्रा लिए साइसों दिए गए और देश में ही पटनम मित सम्बन्धी मशीनों का निर्माण किया गया। 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम' प्राय तक ३.४७ करोड़ रुपये के ऋणों से स्वीकृति दे चुका है। ५० प्रतिशत से अधिक तहुए धातुनिक ढंग के कर दिए गए हैं।

चीनी

इस शताब्दी के चौथे दशक के प्रारम्भ में निरति संरक्षण के धपेन तथा उसके पन्ना चीनी उद्योग का जो विकास हुआ, यह धगले पृष्ठ की तालिका सं० ४६ में दिखाया गया है।

सीमेण्ट

पोर्टलैंड सीमेण्ट का उत्पादन १९०४ में मद्रास में प्रारम्भ हुआ। इस उद्योग का वास्तविक विकास १९१२-१३ में तीन कम्पनियों के निर्माण के साथ हुआ। १९ (११ महीने) में ५५.३२ लाख टन सीमेण्ट का उत्पादन हुआ।

कागज

भारत में मशीन से कागज बनाए जाने का काम १८७० में कलकत्ता के निरद 'बेली मिलों' की स्थापना के साथ प्रारम्भ हुआ। द्वितीय महायुद्ध में कागज मिलों की संख्या बढ़कर १५ हो गई। १९५० से इस उद्योग में काफी प्रगति हुई। १९५७ में २,१०,१३२ टन कागज का उत्पादन हुआ।

तालिका ४६
चीनी उद्योग का विकास

वर्ष	मिते	चीनी का उत्पादन
१९३१-३२	३२	१,६०,०००
१९३८-३९	१३२	६,४२,०००
१९४५-४६	१३८	६,२३,०००
१९५०-५१	१३९	११,१६,०००
१९५५-५६	१४३	१८,५६,०००
१९५६-५७	—	२०,३९,०००
१९५७-५८	—	२०,०६,०००

समाचारपत्र सम्बन्धी कागज की सर्वप्रथम मील में उत्पादन-कार्य जनवरी, १९५५ में प्रारम्भ हुआ। इसकी प्रत्यापित-क्षमता ३०,००० टन है, जबकि देश में इस समय प्रति वर्ष ७०,००० टन कागज की आवश्यकता पड़ती है। अप्रैल-जून, १९५८ में प्रति दिन ७७.१६ टन कागज का उत्पादन हुआ।

लोहा तथा इस्पात

१८३० में दक्षिणी आरकाट्टु में आधुनिक रीति से लोहा तथा इस्पात तैयार करने का सबसे पहला प्रयास सफल रहा। १८७४ में भरिया कोयला-खानों के निरुद्ध 'भारतकर आयरन वर्क्स' स्थापित किया गया जिसे १८८९ में 'बंगाल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' ने अपने अधिकार में ले लिया। १९०० में ३५,००० टन लोहा तथा इस्पात का उत्पादन हुआ। साकची (बिहार) में १९०७ में स्वर्गीय श्री जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित 'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' से कच्चे लोहे तथा इस्पात का सर्वप्रथम उत्पादन क्रमशः १९११ तथा १९१३ में हुआ। इनके अतिरिक्त १९०८ में आसनसोल (बंगाल) के निरुद्ध हीरापुर में 'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' और १९२३ में भद्राचली में 'मंगूर स्टेट आयरन वर्क्स' (जब 'मंगूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स') स्थापित हुए। १९३६ तक ८ लाख टन से अधिक इस्पात का उत्पादन हुआ। द्वितीय महायुद्ध के समय में इस उद्योग का और अधिक विकास हुआ और १९५७ तक इस्पात का उत्पादन बढ़कर १३.४६ लाख टन हो गया। टाटा वर्क्स से मजदूरों की हड़ताल आदि के कारण १९५८ में इस्पात का उत्पादन घटकर १२.३५ लाख टन रहा। १९५८ में ११.६० लाख टन लोहे तथा इस्पात का आयात किया गया।

१९५४ की भारतीय उद्योग गणना' के अनुसार देश में उस समय लोहा तथा इस्पात के १२६ बड़े तथा छोटे कारखाने थे जिनमें ३४.३० करोड़ रुपये की धानू पूंजी लगी हुई थी और ८५.६३४ व्यक्ति काम कर रहे थे ।

इस्पात की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए सरकार वर्तमान इस्पात संयंत्रों को, उनकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने के लिए सहायता देती आ रही है और साथ ही कुछ नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना भी कर रही है । द्वितीय योजनाकाल में 'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' का उत्पादन ८ लाख टन से बढ़ाकर १५ लाख टन करने तथा 'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' का उत्पादन ३ लाख टन से बढ़ा कर ८ लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है ।

द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में १०-१० लाख टन की उत्पादन-क्षमता के ३ इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है । रुरकेला में १.७० अरब रुपये के व्यय से स्थापित किए जा रहे संयंत्र में प्रति वर्ष ७.२० लाख टन इस्पात की वस्तुएँ तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है । भिलाई (मध्य प्रदेश) के दूसरे संयंत्र में जित पर १.३१ अरब रुपये व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया है, ७.७० लाख टन विषय योग्य इस्पात की वस्तुओं का उत्पादन होने की आशा है । दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तीसरे संयंत्र पर १.३८ अरब रुपये व्यय होने तथा इससे प्रति वर्ष ७.६० लाख टन इस्पात की हल्की वस्तुएँ प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है । 'मंसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क' में १९६०-६१ तक १ लाख टन इस्पात तैयार करने के लिए भी व्यवस्था की गई है । इन तीनों योजनाकार्यों का निर्माणकार्य पूरा होने पर इस्पात की सिल्लियों का वार्षिक उत्पादन बढ़कर ६० लाख टन हो जाएगा जिनसे ४६.८० लाख टन इस्पात तैयार हो सकेगा । रुरकेला की प्रथम घमन-भट्टी का कार्य ३ फरवरी, १९५६ को तथा भिलाई की घमन-भट्टी का कार्य ४ फरवरी, १९५६ को आरम्भ हो गया । इन तीनों इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध का दायित्व 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' पर है जो अब पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में है । दुर्गापुर संयंत्र को धातुकर्म सम्बन्धी बढ़िया किस्म का कोयला उपलब्ध कराने के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित कोयला-भट्टी संयंत्र का मार्च, १९५६ में उद्घाटन हुआ ।

इंजीनियरिंग

१९५७ से सरकार इंजीनियरिंग उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने का प्रयास करती आ रही है तथा कई प्रकार की वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत स्वावलम्बी भी हो चुका है । हाल के कुछ वर्षों में देश में कई नयी वस्तुओं का निर्माण होना आरम्भ हुआ ।

१९५७ में भारी तथा हल्की औद्योगिक मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । देश की औद्योगिक मशीन सम्बन्धी अधिकांश माँग की पूर्ति घरेलू में ही घनी मशीनों से हो सकती है । १९५७ में मशीनी औजारों का उत्पादन लगभग दुगुना हो गया । १९५८ में शीतल इंजिनों, विजली की मोटरों, साइकिलों तथा तिसाई की मशीनों के उत्पादन में वृद्धि हुई ।

'नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड' अक्टूबर, १९५२ में स्थापित हुई। सरकार ने मूल रूप से १८७२ में संस्थापित इस निजी संगठन (नाहन फाउण्ड्री) को, जनवरी १९५३ में एक कम्पनी के नियन्त्रण में हस्तांतरित कर दिया।

इस फाउण्ड्री में कृषि-स्रोतार तैयार किए जाते हैं। १९५७-५८ में इस फाउण्ड्री में २,५५३ टन सामग्री का उत्पादन हुआ। एक विशेषज्ञ समिति को सिफारिश पर इस फाउण्ड्री का प्राधुनिकीकरण किया जा रहा है।

भारतीय लेथ मशीनें सबसे पहले बंगलोर के निकट जलाहाली-स्थित एक मशीनी स्रोतार कारखाने में मई, १९५६ में तैयार की गईं। यह कारखाना अब 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' के अधीन है। १९५७-५८ में इस कारखाने में ४०२ मशीनों का निर्माण किया गया। इसमें अन्य प्रकार के मशीनी स्रोतारों के भी तैयार किए जाने का विचार किया जा रहा है। १९६०-६१ तक प्रति वर्ष ८६५ मशीनें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

हिन्दुस्तान केबल्स

टेलीफोन के तारों के सम्बन्ध में डाक-तार विभाग को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल) में स्थापित 'हिन्दुस्तान केबल्स फॅक्टरी' का उत्पादन-कार्य १९५४ में प्रारम्भ हुआ। १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में इस कारखाने में क्रमशः ५६१ मील तथा ५३८ मील लम्बे केबल तारों का निर्माण हुआ।

'नेशनल इन्स्ट्रुमेण्ट्स फॅक्टरी' १८३० में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। जून, १९५७ में इस कारखाने को 'नेशनल इन्स्ट्रुमेण्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक सरकारी कम्पनी में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें २५० प्रकार के यंत्रात्मक तथा सूक्ष्म स्रोतार तैयार किए जाते हैं। १९५७-५८ में इस कारखाने में ३० लाख रुपये के मूल्य के स्रोतारों का निर्माण हुआ।

'वितरंजन रेल-इंजिन कारखाने' के विकास-कार्यक्रम में दुर्घात के एक भारी दुर्घाई-कारखाने की स्थापना का कार्यक्रम भी सम्मिलित है जिससे भारतीय रेलों की तत्सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति देश में ही हो सके। तदनुसार, ७,००० टन की उत्पादन-क्षमता का एक दुर्घाई-कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार बड़े दुर्घाई-कारखानों के लिए 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम' के कार्यक्रम में १५ करोड़ की व्यवस्था रखी गई है। द्वितीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े मशीन उद्योगों की स्थापना तथा 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फॅक्टरी' के विस्तार के लिए भी व्यवस्था की गई है।

बिजली के काम में घाने वाले भारी उपकरणों के निर्माण के लिए डिटेन की एक फर्म के साथ करार किया गया। अगस्त, १९५६ में 'हीवी इलेक्ट्रिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। तत्सम्बन्धी संयंत्र भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। इस पर ७-८ वर्षों में २१ करोड़ रुपये का बিনিवियोग किए जाने का अनुमान लगाया गया है।

जटोगों के उपयोग में आने वाली भारी मशीनों के निर्माण की व्यवस्था विशेष रूप से 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम' (धनपुर, १९५४ में स्थापित एक सरकारी कंपनी) कर रहा है। देश में एक भारी मशीन-निर्माण संयंत्र (बिहार में राँची के निबट हडिया में), एक कोयला खनन-मशीन संयंत्र तथा एक सड़क मशीन कारखाना (दोनों पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान में) की स्थापना करने में सहायता प्राप्त करने के लिए १९५७ में इस की सरकार के साथ एक करार किया गया। तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन १९५६ में प्राप्त होने की आशा है।

रेल-इंजिन तथा सवारी-डिब्बे

सरकार ने रेल-इंजिनों के सम्बन्ध में स्थायत्व प्राप्त करने की दृष्टि से रेल मन्त्रालय के अधीन पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन में एक रेल-इंजिन कारखाना स्थापित किया। इस कारखाने का विस्तार किया जा चुका है और अब इसमें प्रति वर्ष ६०० जी० किस्म के १६८ इंजिन तैयार किए जाते हैं जो स्टैंडर्ड किस्म के २०० से अधिक इंजिनों के बराबर होते हैं। अन्ततोगत्वा इस कारखाने में प्रति वर्ष स्टैंडर्ड किस्म के ३०० इंजिन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके प्रतिरिक्त सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले 'टाट इंजीनियरिंग तथा रेल-इंजिन कारखाने' से १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में क्रमशः ८५ तथा १०० इंजिन प्राप्त हुए।

पेराम्बूर-स्थित सरकारी जोड़हीन सवारी-डिब्बा कारखाने में उत्पादन-कार्य प्रवृत्त १९५५ में आरम्भ हुआ। १९५७-५८ में २२२ अनुपाकृत (फर्निशड) सवारी-डिब्बों निर्माण हुआ। १९५६ से इस कारखाने में प्रति वर्ष ३५० सवारी-डिब्बे तैयार किए जाएंगे।

जहाज़रानी

मार्च १९५२ में सरकार ने 'सिन्धिया स्टीमशिप नेवीगेशन कम्पनी' से विशाल-पटनम का जहाज़निर्माण-घाट खरीद लिया। इस जहाज़निर्माण-घाट का प्रबन्ध 'हिन्दुस्तान जहाज़निर्माण-घाट लिमिटेड' के अधीन कर दिया गया, जिसकी ७८ प्रतिशत पूंजी सरकार द्वारा सगई हुई है। यह जहाज़निर्माण-घाट प्रति वर्ष चार प्राधुनिक डीजल-चालित जहाज़ का निर्माण कर सकता है।

अब तक इस कारखाने में विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न लम्बाई-चौड़ाई के २० जलयान तथा ३ छोटी नौकाएँ (समग १,०१,३७२ टन भार) तैयार की जा चुकी हैं। द्वितीय योजनाकाल में इस कारखाने में ७५,००० से ६०,००० टन जी० भार० टी० तक के जलयान तैयार किए जाने का विचार किया गया था। अब एक दूसरा जहाज़निर्माण घाट स्थापित करने का विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में ब्रिटेन का एक प्राबिक मण्डल १९५७ में भारत आया तथा अप्रैल, १९५८ में उसने अपना प्रतिवेदन दिया।

विमान उद्योग

दिसम्बर, १९४० में ४ करोड़ रुपये की अधिवृत्त पूंजी से बंगलोर में 'हिन्दुस्तान एयरलाइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक एक विमान कारखाना स्थापित किया गया।

भारतीय वायुसेना के विमानों की मरम्मत तथा उनके सार-सम्हाल के अलावा इस कारखाने में भारतीय वायुसेना के लिए बम्यावर जेट-विमान तैयार करने अथवा उनके पुर्बों को जोड़ने का काम भी किया जाता है। इस कारखाने में 'एच-टी २' नामक विमान, भारतीय रैलों के लिए केवल इस्पात के बने हुए सवारी-डिब्बे तथा विभिन्न राज्यीय तथा निजी परिवहन संगठनों के लिए बस के ढाँचे तैयार किए जाते हैं।

रासायनिक पदार्थ तथा औषधियाँ

प्रथम महायुद्ध के समय में भारत के रसायन उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने के अवसर पर भारत रासायनिक पदार्थों के आयात पर ही निर्भर था। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से रसायन उद्योग के विकास में काफी प्रगति हुई। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र में सिन्दरी कारखाने की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। निजी क्षेत्र में १९४६-५० में देश में रसायन उद्योग सम्बन्धी ६० कम्पनियाँ स्थापित हुईं। १९५४ में देश में विभिन्न प्रकार के १३४ रासायनिक पदार्थों का उत्पादन हुआ। १९५६ में कास्टिक सोडा, सुपर फास्फेट तथा साजुन आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई, जबकि अमोनियम सल्फेट तथा दियासलाई आदि के उत्पादन में कुछ कमी आई। १९५७ तथा १९५८ में भी रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई। अगस्त, १९५८ में सोवियत विद्योयतों की एक मण्डली भारत आई।

सरकार ने 'संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष' तथा 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' की सहायता से दिल्ली में एक डी० डी० टी० कारखाना स्थापित किया। इस कारखाने का उत्पादन-कार्य अप्रैल, १९५५ में प्रारम्भ हुआ। १९५७ में १,२७० टन डी० डी० टी० तैयार किया गया। १९५८ में कारखाने की उत्पादन क्षमता दुगुनी हो गई। अप्रैल, १९५८ से केरल राज्य के अलवाए नामक स्थान में स्थापित डी० डी० टी० के दूसरे कारखाने में भी कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

भारत सरकार, पूना के निचट विम्परी में एक पेनिसिलीन कारखाना स्थापित कर चुकी है। इसका उत्पादन-कार्य अगस्त, १९५५ में प्रारम्भ हुआ। इस कारखाने का प्रथम 'हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड' के निष्पन्न में है। १९५७-५८ में प्रति वर्ष २ करोड़ १४ लाख ३० हजार मेगा पेनिसिलीन का उत्पादन करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। वर्तमान संयंत्र की उत्पादन-क्षमता का विस्तार किया जा रहा है जिससे प्रति वर्ष ४ करोड़ मेगा पेनिसिलीन तैयार की जा सके। इस कारखाने में १९६०-६१ तक प्रति वर्ष ४०,०००-४५,००० किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन तथा डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसीन तैयार करने की भी व्यवस्था की जा रही है।

उर्वरक

सरकार द्वारा स्थापित 'सिन्धरी उर्वरक कारखाने' की देगभान 'सिन्धरी उर्वरक तथा उत्पादन (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक संस्था बनती है। इसका उत्पादन-कार्य प्रारम्भ, १९५१ में प्रारम्भ हुआ। १९५७-५८ में इन कारखाने में ३,३२,०११ टन प्रथमोत्पादन तालफेन तैयार हुआ। कोयलाभट्टी संपन्न से प्राप्त होने वाली गैस का उपयोग करके उत्पादन में ६० प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना विचाराधीन है। १९५७-५८ में २.२६ लाख टन कोयला तथा ६६,१४४ टन प्रथमोत्पादन तैयार किया गया।

नए जनमुक्त उर्वरकों की उत्पादित मात्रा की पूर्ति के उद्देश्य से नंगल, नडवेती, हरकेला में ३ अतिरिक्त उर्वरक-उत्पादन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्रमशः ७०,००० टन, ७०,००० टन तथा ८०,००० टन की होगी। 'नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' के प्रबन्ध में नंगल-स्थित कारखाने में उत्पादन-कार्य १९६० में प्रारम्भ होने की आशा है। नडवेती तथा हरकेला के कारखानों में क्रमशः पूरिया तथा नाइट्रोफोस्फोरस तैयार किया जाएगा।

तेल

द्वितीय योजना के प्रारम्भ में तेल-संसाधनों की दृष्टि से हमारी स्थिति सन्तोषजनक थी। देश की प्रतिवर्ष लगभग ७० लाख टन तेल की आवश्यकता होती है जिसमें से ६६ लाख टन तेल की पूर्ति आयात से ही होती है। भारत का एकमात्र तेल-क्षेत्र असम में डिगबोई के आसपास स्थित है। नाहरकटिया तथा मोरान के आसपास के प्रदेशों में भी तेल का पता लगाया जा चुका है और कई कुएँ खोदे जा चुके हैं। इन क्षेत्रों से प्रति वर्ष २५ लाख टन कच्चा तेल प्राप्त होने की आशा है जिसके फलस्वरूप कुल उत्पादन बढ़कर ४५ से ५० लाख टन हो जाएगा।

पेट्रोलियम तथा कच्चे तेल का पता लगाने तथा इनके उत्पादन और सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले दो तेल-शोधन कारखानों तक पाइप लगाने के लिए 'आयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक एक सप्टा कम्पनी की स्थापना के लिए जनवरी, १९५८ में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

पंजाब में जबालामुखी नामक स्थान में तेल की खोज का काम जारी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में भी तेल-क्षेत्रों की खोज की जा रही है। इस खोज में विदेशों से भी सहायता प्राप्त हो रही है।

प्रथम योजना के प्रारम्भ में देश की पेट्रोल सम्बन्धी कुल आवश्यकता की पूर्ति आयातों से ही होती थी क्योंकि डिगबोई-स्थित 'असम तेल कम्पनी' के शोधन-कारखाने में पेट्रोल-उत्पादन कुल आवश्यकता के ५ प्रतिशत से कुछ ही अधिक था। प्रथम योजना में ३ पेट्रोल-शोधन कारखाने स्थापित करना स्वीकार किया गया था। इनमें से दो द्वाबे में तथा तीसरा विद्यासायन में स्थापित किया गया।

दो नये तेल-शोधन कारखानों के संचालन के लिए अगस्त, १९५८ में ३० करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ 'इण्डियन रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड' नामक एक सरकारी कंपनी स्थापित की गई। अक्टूबर, १९५८ में हुए एक करार के अनुसार हनानिया सरकार ने भी अगस्त में एक तेल-शोधन कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है।

कोयला तथा लिग्नाइट

खानों से कोयला निकालने का काम भारत में सबसे पहले १८१४ में रानीगंज (बंगाल) में आरम्भ हुआ। देश में रेलों का चलन आरम्भ होने से इस उद्योग को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ तथा कई ज्वालामुखी स्टाक कंपनियाँ स्थापित हुईं। इन कंपनियों में से अधिकांश कंपनियाँ यूरोपीय लोगों के ही नियंत्रण में थीं। १८६८ के बाद कोयला-उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। १९५८ में ४.५२ करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ।

द्वितीय योजना के अन्त तक ६ करोड़ टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। २.२० करोड़ टन कोयले के प्रतिरिक्त उत्पादन में से १ करोड़ टन कोयला निजी क्षेत्र में पैदा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले के उत्पादन की देखभाल के लिए अक्टूबर, १९५६ में स्थापित 'राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड' की योजना-गतियों में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने में राक्षस हुआ। कई नये कोयला खानों से भी कोयला निकाला जाने लगा है। नवम्बर, १९५८ में एक जापानी फर्म की सहायता से बारगणी में कोयला खाने का एक कारखाना स्थापित किया गया। मार्च, १९५६ में पश्चिम बंगाल की एक फर्म की सहायता से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित दुर्गापुर के कोयला-भट्टी संयंत्र से दुर्गापुर इलाहाबाद संयंत्र के लिए कोयला प्राप्त होगा। १९५८ में निजी कोयला-खानों से ३.६५ करोड़ टन कोयला निकाला गया।

दक्षिण भारत में कोयले की खानों को देखने हुए मदरासी के 'इण्डियन इलियम कार्बाइड लिग्नाइट योजनाकार्य' के विकास को सक्षम अधिक सहाय दिया गया है। दिसम्बर, १९५६ में 'मदरैली लिग्नाइट निगम' ने इस योजनाकार्य को अपने अधिकार में ले लिया। कोयला निकालने का काम प्रगति पर है। नवम्बर, १९५७ के भारत-रूसी करार के अधीन एक विद्युत्-गृह की स्थापना के लिए ५० करोड़ रुबल का ऋण प्राप्त किया जा चुका है।

अन्य खनिज पदार्थ

१९५८ में खनिज-खानों में लगभग ६,४७,००० इंचिन खन्य हुए थे और ३,३०० खानों में काम हो रहा था। अधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में हैं। १९५७ में खानों से १ करोड़ २६ करोड़ ३० लाख रुपये के खन्य के खनिज पदार्थ निकाले गए। १९५६ में इनका प्रतिशत अन्तर्देशीय बजट-पर १९५५ (आधार वर्ष : १९५३ = १००) था। खनिज खनिक पदार्थों का उत्पादन तथा उसका खन्य (१९५७) अगले पृष्ठ की तालिका सं० ५० के अन्तर्गत है।

खनिज पदार्थों का उत्पादन (परिमाण तथा मूल्य)

१९५७

घातु खनिजपदार्थ	१९५७	
	परिमाण	मूल्य (रुपये)
<u>लोह</u>		
क्रोमाइट (टन)	७८,५४२	२६,२०,०००
लोहा (टन)	५०,७४,०००	४३४,३४,०००
मैगनीस (टन)	१६,०२,०००	१४,०५,४६,०००
<u>अलुमीनम</u>		
बॉक्साइट (टन)	६६,०७१	६,०६,०००
तांबा (टन)	४,०४,०००	२,६५,३४,०००
सोना (ग्राम)	१,७६,०००	५,१०,६६,०००
इलेमेनाइट (टन)	२,६६,०००	१,६८,१२,०००
सीसा (टन)	४८,५०,०००	१२,१०,०००
चांदी (ग्राम)	१,२६,०००	६,०५,०००
चण्डातु (बोलफ्राम) (हण्डरवेट)	२६	८,०००
जस्ता (टन)	७,४६६	२५,३२,०००
<u>घातु-मिन्न खनिज पदार्थ</u>		
हीरा (कैरेट)	७६०	१,६८,००
मरकत (एमेरल्ड) (कैरेट)	३३८,०००	२५,००
जिप्सम (टन)	६,२२,०००	५७,६३,०००
कच्चा घग्घक (हण्डरवेट)	६,०६,०००	२,३१,५४,०००
नामक (सोधा नामक की टोङ्कर) (टन)	३६,१२,०००	७,४३,७५,०००

यागान उद्योग

१९५६-१९५७ में खान का उत्पादन गणकारी बाणानों में ही होता था। १९५५ में बाद में खान के बाणानों की व्यवस्था मुख्यतः यूरोपीय बाणानों के संस्थाओं के हाथ में ही

रुपये ११,१५,३६ से १०,१३,००० तक बढ़ी है। ३१,५० करोड़ बीघर जंगल का उत्पादन हुआ।

कच्चा की कुल १०,३० में उत्पादन हुई तथा १०,६३ में इस उद्योग का विकास करवा दिया गया। ११,१५,३६ से १०,६३,००० तक बढ़ी कुल में कच्चा के उत्पादन में।

रबर के उत्पादन मात्र के लिए कुल में उत्पादन हुआ। ११,६० से १०,००० टन रबर का उत्पादन हुआ। ११,६०,०० से ५,३०,००० तक बढ़ी कुल में रबर के उत्पादन में।

चाय, कच्चा तथा रबर के उत्पादन देश की कुल-उत्पत्ति के अंश ०.४ प्रतिशत मात्र में घटे हुए हैं। वे उत्पादन मुख्यतः उत्तरांचल तथा हरियाणा में समुद्र-स्तर पर स्थित हैं। इनमें १० लाख से अधिक श्रमिकों की संलग्नता मिली है। तथा इनके निर्माण में भारत की बहुत अधिक विदेशी निवेश प्रदान किया है। १) उन्हें बढ़ाने का विशेष निवेश केवल चाय में ही प्रदान किया है। कच्चा तथा रबर का उत्पादन उत्तरांचल, हरियाणा देश में ही हो जाता है।

चाय तथा कच्चा के उत्पादन में ११,५५ में उत्पादन अंश ६७ करोड़ ५६ लाख ३६ हजार तथा ८ करोड़ ८० लाख १० हजार बीघर बीघर रबर के उत्पादन में ११,५६ में उत्पादन ४६० करोड़ बीघर हुआ।

११,५४ में चाय उद्योग में १,१३ लाख रुपये का निवेश किया गया। इस उद्योग में ६,६३,५४४ व्यक्ति संलग्नता में लगे हुए थे। इसके अतिरिक्त ११,५५-५६ में कच्चा तथा रबर के उत्पादन अंश १६,४४३ तथा १४,४१७ थे जिनमें अंश २,२२,७६३ तथा औद्योगिक ५७,८१२ व्यक्ति संलग्नता में लगे हुए थे।

चाय, कच्चा तथा रबर उद्योगों की आर्थिक स्थिति तथा समस्याओं की जांच-पड़ताल के लिए अंश १६,५४ में नियुक्त 'उत्पादन जांच आयोग' में १६,५६ में अपने प्रतिवेदन दिए। तब १६,५८ में चाय पर लगने वाले निर्यात-सूकर में कमी करने और विभिन्न देशों के लिए विभिन्न दरों पर उत्पाद-सूकर निर्धारित करने का निर्णय किया गया।

छोटे पैमाने के तथा गुटीर उद्योग

यद्यपि देश में बड़े पैमाने के उद्योगों का काफी विकास हुआ है, तथापि भारत मुख्यतः छोटे पैमाने के उद्योगों का ही देश है। यह अनुमान लगाया गया है कि देश के गुटीर उद्योगों में लगभग २ करोड़ व्यक्ति लगे हुए हैं जिनमें से ५० लाख व्यक्ति हथकरघा उद्योग में ही काम करते हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों का संगठन करने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है। उनकी सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्न संगठन स्थापित किए हैं : अखिल भारतीय खादी तथा धातु-उद्योग आयोग; अखिल भारतीय श्रमिकों के मण्डल; अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल; लघु उद्योग मण्डल; नारियल-जटा मण्डल तथा केन्द्रीय देशीय मण्डल।

सरकार तथा वैजिंग संस्थान छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देने हैं। १९५३-५८ में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों के लिए ३.३० करोड़ रुपये के ऋणों तथा १.१० करोड़ रुपये के अनुदानों की स्वीकृति दी गई। इस तक ७२ औद्योगिक वसतियों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें से गिनकर, १९५८ तक १.७ औद्योगिक वसतियों का निर्माण पूरा हो चुका था और इन पर ३.६८ करोड़ रुपये व्यय हुए। इन औद्योगिक वसतियों के लिए योजना में निर्धारित राशि १.० करोड़ रुपये से बढ़कर १.५ करोड़ रुपये कर दी गई है।

केन्द्रीय सरकार ने 'औद्योगिक विस्तार सेवा' के नाम से छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित सहायता देने का एक कार्यक्रम धारण कर दिया है। इसका, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास स्थित ४ प्रादेशिक संस्थाओं, १२ स्टेट संस्थाओं, ५ शाखा संस्थाओं तथा ६२ विस्तार सेन्ट्रल का भी कार्य धारण हो चुका है। प्रत्येक राज्य भी में ऐसी एक संस्था की व्यवस्था का के लिए विसम्बर, १९५८ में इस सेवा का पुनर्संगठन किया गया। तब उद्योगों को प्राथमिक मामलों में सहायता देने के लिए विदेशों से विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं तथा कोई प्रतिष्ठान को सहायता से भारतीय प्राविधियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है।

फरवरी, १९५५ में एक 'राष्ट्रीय तब उद्योग निगम' स्थापित किया गया। १९५५-५६ में केन्द्रीय सरकार ने कुटीर तथा तब उद्योगों द्वारा निर्मित ३.५० करोड़ रुपये की वस्तुएँ पुरी कीं। निगम ने मशीनों तथा उपकरणों के क्रयविक्रय (हायर परचेज) के लिए एक योजना लागू की जिससे अन्तर्गत तब उद्योगों को १.५३ लाख रुपये की मशीनें दी जा चुकी हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए 'सामुदायिक योजनाकार्य प्रसारण' ने कई सामुदायिक योजनाकार्य तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में लण्ड-स्तर के औद्योगिक प्रविकारी नियुक्त किए हैं।

दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन में सुधार करने तथा उनके विक्रय की व्यवस्था के लिए १९५२ में स्थापित 'अखिल भारत दस्तकारी मण्डल' ने देश तथा विदेश, दोनों स्थानों में विशेष रूप से ध्यान दिया। इस मण्डल के निर्यात-प्रोत्साहन सम्बन्धी कुछ कार्यों के लिए 'भारतीय दस्तकारी विकास निगम' स्थापित किया जा चुका है। विभिन्न राज्यों में 'दस्तकारी सप्ताह' मनाए जाते हैं। दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रति वर्ष १ अरब रुपये के मूल्य का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है और प्रति वर्ष लगभग ७ करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है।

नारियलजटा उद्योग मुख्यतः एक कुटीर उद्योग है। इसके कुछ कारखानों में तकड़ी के करघे हैं जिन पर हाथ से काम किया जाता है। १.२० लाख टन के अनुमानित वार्षिक उत्पादन में से ६० प्रतिशत उत्पादन केरल में ही होता है। औसतन ५०,००० टन नारियलजटा तथा इससे बनी २१,००० टन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। 'नारियलजटा मण्डल' भारत में नारियलजटा से बनने वाली वस्तुओं की लोकप्रिय बनाने तथा उनको प्रोत्साहन देने के कार्य में लगा हुआ है। नारियल-

जटा से बनी चानुर्ग विदेशी विनिमय के अर्जन के महत्वपूर्ण स्रोत होने की दृष्टि से द्वितीय योजना में नारियलजटा उद्योग के लिए बी गई व्यय तथा धन बढ़ाकर २.३० करोड़ रुपये की कर दी गई है ।

१९५७ में ३१.७० लाख बीघर कच्चे रेसम का उत्पादन हुआ जिसमें से लगभग धांधे का उत्पादन मैसूर राज्य में ही हुआ । मैसूर के बाहर इसके महत्वपूर्ण उत्पादन-क्षेत्रों में अमरावती, जम्शु तथा बड़ोद, पश्चिम बंगाल तथा मद्रास के राज्य आते हैं । अर्जन्त, १९५८ में पुनर्रसंगठित 'केन्द्रीय रेसम मण्डल' रेसम उद्योग तथा रेसम-शीड़ा पालन के विभाग की देखभाल करता है । १९५३ में बरहामपुर (पश्चिम बंगाल) में एक 'केन्द्रीय रेसम-शीड़ा-पालन शोध केन्द्र' स्थापित किया गया । इसकी एक शाखा कलकत्ता में भी स्थापित की गई । द्वितीय योजना में इस केन्द्र का विस्तार किया जाएगा । 'केन्द्रीय रेसम मण्डल' की ओर से मैसूर में एक 'अखिल भारतीय रेसम-शीड़ा-पालन प्रशिक्षण संस्था' तथा धोनगर में एक 'केन्द्रीय रेसम-शीड़ा (विदेशी) पालन केन्द्र' स्थापित किया गया ।

प्रथम योजनाकाल में लघु तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न मण्डलों के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने जो धन्य किया, वह निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका ५१

लघु तथा ग्राम उद्योगों पर हुआ धन्य (प्रथम योजना)

(करोड़ रुपयों में)

	१९५१-५६
खादी	१२.३०
ग्राम उद्योग	२.६०
लघु उद्योग	४.४०
दस्तकारी	०.८०
नारियलजटा	०.३०
रेसम-शीड़ा पालन	०.७०
हथकरघा	१२.२०
योग	३३.६०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लघु तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए २ अर्ज रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से खादी उद्योग पर १६.७० करोड़ रुपये, ग्राम उद्योगों पर

लघु उद्योगों की सहायता

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सहायता भारत सरकार ने छोटे उद्योगों की सहायता देने के लिए की है। इस निगम ने लघु उद्योगों के विकास के लिए छोटे-छोटे कार्यों का कार्य प्रारम्भ किया है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम छोटे उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उनके केन्द्रीय सरकार से उनके प्राप्त करने में सहायता देता है। इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि छोटे उद्योग अपने क्षेत्र की 'लघु उद्योग सेवा समिती' में अपना नाम लिखा दें। समिती में पंजीकृत उद्योगों की डी० जी० एन० एन्ड डी० द्वारा टेण्डर सेट निष्पन्न किए जाते हैं। निगम की एक योजना के अन्तर्गत उद्योगों की किसी एक को चुन करके के लिए किए करने मान की आवश्यकता होगी, उसकी गिरफ्तारी पर उन उद्योगों की सरकारी बैंक वृत्त भी देता है। इन उद्योगों को 'लघु उद्योग सेवा समिती' में प्राविधिक सहायता भी मिलती है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम वर्तमान छोटे उद्योगों तथा स्थापित किए जाने वाले उद्योगों की सुविधाजनक विन्धो में भुगतान के आधार पर औद्योगिक मशीनें और मशीनी औजार आदि देता है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 'जनसेवक' मार्का बमडे के चूने और चूने, सूती तथा ऊनी होजरी का सामान, कपड़े की सुटियां, रंग और कारनिज आदि की विप्री की भी व्यवस्था करता है। 'जनसेवक' मार्का द्वारा सामान कुशल औद्योगिक कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है, उचित मूल्य का होता है और उन पर प्राविधिक विशेषज्ञों द्वारा 'क्वालिटी मार्का' का चिन्ह लगाया जाता है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लिमिटेड,

रानी भांसी रोड

नयी दिल्ली-१ द्वारा प्रचारित

३८.८० करोड़ रुपये, सपु उद्योगों पर ५५ करोड़ रुपये, बस्तकारी उद्योग पर ६ करोड़ रुपये हथकरघा उद्योग पर ५६.५० करोड़ रुपये तथा अन्य उद्योगों पर २१ करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे ।

द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षों में ग्राम तथा सपु उद्योगों पर ५६ करोड़ रुपये व्यय किए गए ।

खादी उद्योग

'मखिल भारतीय खादी तथा ग्रामीण्योग आयोग' खादी उद्योग को सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थानों, राज्य सरकारों और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित मण्डलों के द्वारा वित्तीय सहायता देता है । खादी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उपभोक्ताओं को एक रुपये पर १६ नये पैसे की छूट दी जाती है, जबकि उन व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ग गज खादी पर ३१ नये पैसे की छूट दी जाती है जो अपने उपयोग के लिए खादी स्वयं तैयार करते हैं । खादी के विषय तथा उत्पादन केन्द्रों को भी एक रुपये पर ३७ नये पैसे की छूट दी जाती है ।

१९५७-५८ में १०.१५ करोड़ रुपये की खादी का उत्पादन हुआ तथा ७.७२ करोड़ रुपये की खादी बिकी ।

अम्बर चर्खा

१९५६-५७ में उन्नत प्रकार का चर्खा (अम्बरचर्खा) चालू किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया । इस चर्खे में ४ तखुए होते हैं और कातने वाला ८ घण्टे में प्रति दिन ६ गुण्डियां कात सकता है । अम्बर चर्खे पर काते गए सूत से करघों द्वारा लगभग ३० करोड़ वर्ग गज वस्त्र तैयार होने वाला है ।

सरकार द्वारा मार्च, १९५६ में नियुक्त 'अम्बर चर्खा जांच समिति' इस निर्णय पर पहुँची कि कतार्ड के लिए अम्बर चर्खा सबसे अधिक उपयुक्त होगा । तदनुसार सरकार ने १९५६-५७ में ७५,००० अम्बर चर्खे चालू करने की स्वीकृति दी । १९५७-५८ में अम्बर चर्खे के सूत से १ करोड़ ११ लाख ५० हजार वर्ग गज कपड़ा तैयार हुआ ।

१९५७-५८ में अम्बर चर्खा कार्यक्रम के अन्तर्गत १,१०,१५३ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ । १९५६-५७ में खादी तथा ग्रामीण्योग के विकास द्वारा २१.१८ लाख व्यक्तियों को पूर्ण तथा आंशिक समय के काम दिलाए गए ।

१९५७ के पूर्वाह्न के लिए घायान सम्बन्धी नीति में अथिक्त बड़ाई करना आवश्यक हो गया । घायान पर लगे प्रतिबन्ध बढोर बर दिए गए और जुलाई-गिनम्बर, १९५७ तथा अक्टूबर, १९५७-मार्च, १९५८ में कम आवश्यक उपभोक्ता सामग्री के घायान में भारी कमी हो गई ।

निर्यात प्रोत्साहन

निर्यात स्थापार की प्रोग्गाहन देने के लिए सरकार ने हाल के कुछ वर्षों में सूनी वस्त्र, रेसमी तथा रेयन वस्त्र, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग सम्बन्धी सामग्री, बानू, काली मिर्च, तम्बाकू, घमड़ा तथा घमड़े की वस्तुओं, अन्नक, खेत-कूद के सामान तथा रसायनों आदि के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषदें स्थापित कीं । इन सम्बन्ध में ये अन्य उपाय भी किए गए : २०० जिन्नों के निर्यात पर लगे नियन्त्रण हटा दिए गए, कोटा निर्धारित करने के सम्बन्ध में लगे प्रतिबन्धों में कमी कर दी गई, निर्यात शुल्क कम अथवा समाप्त कर दिए गए, नियन्त्रण के अधीन आने वाली जिन्नों के लिए मुक्त रूप से लाइसेंस दिए जाने की व्यवस्था की गई तथा निर्यात की जाने वाली जिन्नों पर लगा उत्पाद शुल्क घायत किया जाने लगा ।

एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर ५ करोड़ रुपये की अधिवृत्त पूंजी से जुलाई, १९५७ में एक सरकारी 'निर्यात हानिभय बीमा निगम' स्थापित किया गया । यह निगम उन हानिभय-बीमों की सुविधाएं प्रदान करता है जिनका कारोबार सामान्यतः ध्यापारिक बीमा कम्पनियां नहीं करतीं । जून, १९५७ में एक 'विदेशी व्यापार मण्डल' तथा एक 'निर्यात प्रोत्साहन निदेशालय' स्थापित किए गए । 'प्रदेशी निदेशालय' भारतीय वस्तुओं के लिए ध्यापारिक दृश्य प्रचार का काम करता है । भारत, विदेशों की प्रदर्शनी तथा ध्यापारिक मेलों में भाग लेता आ रहा है । अक्टूबर, १९५८ में नयी दिल्ली में 'भारत १९५८' नामक एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई जो जनवरी, १९५९ तक जारी रही ।

निर्यात-प्रोत्साहन के सभी पहलुओं के सविस्तर अध्ययन के लिए नियुक्त 'निर्यात प्रोत्साहन समिति' ने अगस्त, १९५७ में सरकार को दिए अपने प्रतिवेदन में ये आवश्यक बातें सुनाई : (१) सभी क्षेत्रों में, विशेषकर कृषि-उत्पादन में ठोस वृद्धि, (२) अन्य देशों की वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में भारतीय वस्तुओं का मूल्य कम रखना, (३) घरेलू उपभोग को कम करके भी निर्यात को प्रोत्साहन देना, (४) विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करना तथा निर्यात के क्षेत्रों का विस्तार करना और (५) निर्यात की वस्तुओं के नये प्रयोगों की ढोज करना । समिति का विचार है कि उचित उपाय किए जाने के फलस्वरूप भारत का निर्यात ७ अरब रुपये से बढ़कर ७५० अरब रुपये प्रति वर्ष का हो सकता है । समिति ने यह भी सुझाया है कि निर्यात-शुल्क न केवल नीची दर पर ही लगाए जाएं बल्कि उन्हें शीघ्र परिवर्तित भी नहीं किया जाना चाहिए ।

'निर्यात प्रोत्साहन परिषदों' द्वारा विदेशों की भेजे गए प्रतिनिधिमण्डलों के प्रतिरिक्त भारत सरकार ने मई, १९५६ में एक औद्योगिक-व्यावसायिक सद्भावना मण्डल'

सरकारी आयात	१९५८-५९ (अप्रैल-सितम्बर)	विकास तथा विकास- भिन्न जिनसे का आयात (१९५७ से प्रतिबन्धित आयात नीति का परिणाम)	१९५८-५९ (अप्रैल-सितम्बर)
खाद्यान्न	५३.८०	विकास-भिन्न जिनसे	१७१.४०
सरकारी योजनाकार्यों के लिए पूंजीगत उपकरण	८५.६०	खाद्य	५३.८०
लोहा तथा इस्पात	२२.१०	अन्य उपभोक्ता वस्तुएँ	३८.८०
रेल सम्बन्धी सामग्री	३२.२०	अन्य विकास-भिन्न वस्तुएँ	७८.८०
संचार सामग्री (जहाज सहित)	५.६०	कच्ची सामग्री तथा अन्य वस्तुएँ	१५६.७०*
अन्य (उर्वरक सहित)	५१.२०	पूँजीगत सामग्री	१६७.८०
		निजी	७४.१०
		सरकारी	१२३.७०
			५२५.६०
	२५०.८०		

निर्णय १९५७-५८ में निर्धारित ५.६५ पर्यं रुपये प्राप्त हुए जो १९५६-५७ की प्राप्ति के ४० करोड़ रुपये कम थे। विदेशों की माँग में कमी जाने और बलकत्ता में बैंक तथा गौर कामचारियों की हड़ताल होने के परिणामस्वरूप वष के प्रथम छ महीनों में निर्धारित व प्रतिशत प्रभाव पड़ा। चाय, पटमन की वस्तुओं, कपास तथा वनस्पतिजन्य तेलों के निर्यात में कमी: ३० करोड़ रुपये, ८ करोड़ रुपये, ८ करोड़ रुपये तथा ११ करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण कमी आई। बाहर जाने से भी जो लिए जाने वाले निर्धारित में तो कुछ ही कमी हुई, किन्तु पौन्य-वायने जाने से भी जो लिए जाने वाले निर्धारित में कमी कमी हुई।

व्यापार नीति
विदेशी विनिर्माण की सुरक्षित प्राप्ति में कमी जाने के कारणवश, विनिर्माण कारखानों और लोग तथा दलान के धामन में हुई भारी कृषि भी,

११५७ में विदेशों को ६ करोड़ १० लाख रुपये के मुद्रा का निर्वहन तथा विदेशों से १० करोड़ २५ लाख रुपये के मुद्रा का प्रत्यापन हुआ।

११५७ में भारत, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सहयोग से ११६ करोड़ रुपये के मुद्रा के निर्वहन तथा १५० करोड़ रुपये के मुद्रा के प्रत्यापन का प्रयास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सहयोग से ११६ करोड़ रुपये के मुद्रा के निर्वहन तथा १५० करोड़ रुपये के प्रत्यापन का प्रयास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सहयोग से ११६ करोड़ रुपये के मुद्रा के निर्वहन तथा १५० करोड़ रुपये के प्रत्यापन का प्रयास किया गया। (संख्या वर्ष : ११५७-५३ = १००) १६ वर्ष।

डेनमार्क, फिनलैण्ड तथा स्वीडन भेजा । एक 'भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल' १९५७ में पहिले जर्मनी गया । १९५८ में अफगानिस्तान, जापान तथा रूस को भी ३ व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल गए । चीना, जंबोबार, यूगाण्डा, श्रीलंका, ताजिकी घरघ तथा संयुक्त अरब एमिरेट्स के व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल इस वर्ष भारत आए ।

व्यापार करार

अप्रैल, १९५७ के बाद से अब तक १२ देशों के साथ हुए व्यापार करारों को नवीकृत किया गया और अफगानिस्तान, चेकोस्लोवाकिया, जापान, यूगान तथा श्रीलंका के साथ नये करारों पर हस्ताक्षर किए गए । इथियोपिया, जापान तथा यूगान के साथ व्यापार करार पहली बार हुए । भारत तथा २६ देशों के बीच व्यापार करार पहले से ही हुए हुए हैं ।

अगस्त, १९५६ में हुए भारत-अमेरिका करार में सार्वजनिक कानून ४८० के अन्तर्गत ३६ करोड़ डालर (१.७२ अरब रुपये) के मूल्य को उन श्रृंखलायुक्त वस्तुओं के, जो अमेरिका के लिए फालतू हैं, भारत में आयात किए जाने की व्यवस्था की गई थी । इसके अनुसार बिक्री से होने वाली आय में से १.३७ अरब रुपये भारत सरकार को हस्तान्तरित कर दिए जाएंगे तथा शेष का भारत में उपयोग करने के लिए अमेरिकी सरकार स्वतन्त्र होगी ।

जुलाई, १९५६ में भारत, अमेरिका तथा जर्मा के बीच हुए एक त्रिदलीय करार के अनुसार भारत जर्मा को लगभग १.८५ करोड़ रुपये के मूल्य के सूती पत्र का निर्यात करेगा जिसका भुगतान जर्मा, सार्वजनिक कानून ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत अमेरिका से उरीदे गए कच्चे कपास के रूप में करेगा ।

तटकर

१९५७-५८ में तटकर आयोग ने तटकर सम्बन्धी २२ मामलों को तथा इसका के मूल्य सम्बन्धी १ मामले को जांच की । तटकर वाले मामलों की जांच का सम्बन्ध उद्योगों को मिली सुरक्षा जारी रखने के प्रश्न से था । डिब्बादन्ध फल, तेल से जलने वाले लैम्प, अतीव धातु तथा सूती बस्त्र-मशीन उद्योगों के सम्बन्ध में तटकर सम्बन्धी सुरक्षा या तो समाप्त कर दी गई अथवा इनके उत्पादन के कुछ ही भाग के लिए सीमित रखी गई । आयोग ने उद्योगों को सुरक्षा देने तथा उनके सुरक्षात्मक शुल्क की वर्तमान दरों में परिवर्तन करने की सिफारिश की ।

व्यापार की दिशा

विदेशों के साथ होने वाले भारत के व्यापार में अमेरिका तथा ब्रिटेन मुख्य तरीदार हैं । १९५७ में भारत के आयात-व्यापार में १६.६ प्रतिशत आयात अमेरिका से तथा २३.२ प्रतिशत आयात ब्रिटेन से हुआ । निर्यात-व्यापार में २०.६ प्रतिशत निर्यात अमेरिका को तथा २५.१ प्रतिशत निर्यात ब्रिटेन को हुआ ।

छद्मवीसवाँ अध्याय

परिवहन

रेल

भारतीय रेलों का यातायात ३४,८८६ मील की सम्बाई में होता है। भारतीय रेल संगठन एशिया में सबसे बड़ा तथा संसार का चौथा सबसे बड़ा संगठन है। १९५८ में रेलों द्वारा प्रति दिन औसतन लगभग ४० लाख व्यक्तियों ने यात्रा की तथा ३.७० लाख टन सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया-ले जाया गया। १९५७-५८ के अन्त में रेलों में, जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्योग है, १२ अरब २८ करोड़ ६४ लाख रुपये की पूंजी लगी हुई थी और सकल धाय के रूप में ३ अरब ८२ करोड़ ६६ लाख रुपये प्राप्त हुए। इसी वर्ष रेलों को ३ अरब ११ करोड़ १६ लाख रुपये व्यय करने पड़े। रेलों में ११,११,०२६ व्यक्ति काम से लगे रहे तथा मजदूरी और वेतन के रूप में उन्हें १.७३ अरब रुपये दिए गए।

भारत में सर्वप्रथम रेल साइन का उद्घाटन १६ अप्रैल, १८५३ को हुआ। १९५७-५८ में १ अरब ४३ करोड़ १० लाख ५६ हजार व्यक्तियों ने रेलों से यात्रा की तथा इनमें रेलों को १ अरब २० करोड़ ८ लाख रुपये की धाय हुई। इसी प्रकार इस वर्ष १३ करोड़ ३३ लाख ६५ हजार टन सामान रेलों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया-ले जाया गया तथा इससे रेलों को २ अरब २५ करोड़ ७२ लाख रुपये की धाय हुई।

३७ रेल प्रणालियों को जो अद्यत्, १९४६ के पूर्व भारत में विद्यमान थीं ८ रेल-खंडों में बाँट दिया गया है। ये क्षेत्र निम्न तालिका से दिखाए गए हैं :

तालिका ५६

रेल क्षेत्र

क्षेत्र	स्थापित होने की तिथि	रेल क्षेत्र के अन्तर्गत साइने	मुख्यालय	३१ मार्च, १९५८ को रेलमार्गों की सम्बाई (मीलों में)
दक्षिणी	१४ अप्रैल, १९५१	मद्रास तथा दक्षिणी मद्रास, दक्षिण भारत और मंगलूर रेल	मद्रास	६,१४६ ३६
			ब० ला०	१,८१८ ३६
			म० ला०	४,२०५ ३२
			ए० ला०	६५ ७०

ब० ला० = बड़ी साइन ५३"; म० ला० = मध्यम साइन ३१"-३६"; ए० ला० = छोटी साइन २१"-२६" तथा २१"

घनतरेणीय व्यापार

देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न-विभिन्न प्रकार के घनतरेणीय व्यापार के प्राकृतिक संपादन को देखते हुए यह व्यापारिक हो है कि भारत में घनतरेणीय व्यापार, इसके बाह्य व्यापार में कई गुना बढ़ा हो। 'राष्ट्रीय योजना समिति' के व्यापार उपसमिति के प्रतिवेदन के अनुसार १९६० में देश का घनतरेणीय व्यापार ५ अरब रुपये के मूल्य का तथा बाह्य व्यापार ५ अरब रुपये के मूल्य का हुआ। घनतरेणीय व्यापार की दृष्टि से भारत १६ व्यापार सत्यों में विभाजित किया गया है। विभिन्न राज्यों तथा अंतरराष्ट्रीय घनतरेणीय व्यापार (घायात) के बीच देश तथा नदियों के द्वारा देश में जो व्यापार हुआ, वह निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका ५५

घनतरेणीय व्यापार—घनी हुई वस्तुएँ

	(१९५६-५७)
सकड़ी तथा पत्थर का कोपसा	५७,५२,२२,०००
मूती पटपीत	७०,२६,०००
घायल	४,५४,११,०००
गेहूँ	२,६७,७५,०००
फञ्चा पटसन	६,६०,६५,०००
लोहा तथा इस्पात की वस्तुएँ	२,५०,५७,०००
तिलहन	२,६४,२०,०००
नमक	२,४४,५६,०००
घनी (लाण्डसारी घनी को छोड़कर)	

मीट्रिक माप-तोल

'माप-तोल मानक अधिनियम, १९५६' के अधीन जारी की गई सूचनाओं द्वारा बड़े हुए क्षेत्रों में अक्टूबर, १९५८ से मीट्रिक माप-तोल की प्रणाली का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई। राज्य सरकारों और व्यापार तथा उद्योग की प्रतिनिधि संस्थाओं के परामर्श से सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के सभी नियमित बाजारों तथा निश्चित क्षेत्रों में मीट्रिक माप-तोल की प्रणाली लागू की गई। अक्टूबर, १९६० तक माप-तोल की वर्तमान प्रणाली का प्रयोग करने की छूट दे दी गई है। राज्य सरकारें नयी प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य १९६० के मध्य तक सम्पूर्ण भारत में मीट्रिक माप-तोल का चलन प्रारम्भ कर देना रखा गया है। मीट्रिक माप की प्रणाली भी धीरे-धीरे लागू होगी।

तालिका ५६ (क्रमशः)

१	२	३	४	५
दक्षिण-पूर्वो	१ अगस्त, १९५५	बंगाल-नागपुर रेल	कलकत्ता	३,४१९.४८ ५० ता० २,४९४.६५ म० ता० — छो० ता० ६२४.८३

रेल-वित्त

१९२५ में रेल-वित्त, सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया और यह निर्णय किया गया कि रेलें सामान्य राजस्व में निर्धारित दर के अनुसार योगदान दिया करें।

योजनाओं के अन्तर्गत विकास

हाल के कुछ वर्षों में रेलों के सामने पुनर्संस्थापन (पुराने डिब्बों तथा रेल-इंजनों के स्थान पर नये डिब्बे तथा रेल-इंजिन चालू करने) की समस्या रही है। यह समस्या पहले प्राथिक मण्डी के कारण पैदा हुई और बाद की युद्ध तथा विभाजन के फलस्वरूप और भी जटिल हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलों के पुनर्संस्थापन तथा विभाजन पर ४ अर्ब २३ करोड़ ७३ लाख रुपये व्यय किए गए।

द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित ४८ अर्ब रुपये के कुल व्यय में से रेलों पर ६ अर्ब रुपये व्यय किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से १५० अर्ब रुपये की व्ययता रेलें स्वयं अपने-घाव करेंगी। इसके अतिरिक्त 'रेल मूव-हाग रिधि' में उनके योगदान के रूप में २.२५ अर्ब रुपये और व्यय किए जाएंगे।

नये निर्माणकार्य

प्रथम योजनाकाल में, पहले उल्लाड़ ही गई ४३० मील लम्बी लाइनें फिर में बिदा ही गई, १८० मील लम्बी नयी लाइनें बिदाई गई तथा ४६ मील लम्बी छोटी लाइनों को मध्यम लाइनों में बदल दिया गया। योजनाकाल के अन्त में ४५६ मील लम्बी नयी लाइनें बिदाई जा रही थी; ५२ मील लम्बी लाइनें बड़ी लाइनों में बदली जा रही थी तथा २,००० मील से अधिक नयी लाइनों का सर्वेक्षण किया जा रहा था। द्वितीय योजनाकाल में ८४२ मील लम्बी नयी लाइनें बिदाई जाएंगी; १,६०३ मील लम्बी रेल लाइनें दोहरी की जाएंगी, २,६५ मील लम्बी मध्यम लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाएगा तथा ८,००० मील लम्बी वर्तमान लाइनों के स्थान पर नयी लाइनें बिदाई जाएंगी।

१	२	३	४	५
मध्य	५ नवम्बर, १९५१	स्टेट इन्डियन पेनिनसुलर, निताम स्टेट, गिनिघवा घोर भीमपुर रेल	बम्बई	५,३३०.५६ ३,०६६.५८ ८०८.६६ ७२६.६८
पश्चिमो	५ नवम्बर, १९५१	बम्बई बड़ोदा तथा मेन्दुग इन्डिया, गोरखपुर, कन्नड, राजस्थान घोर जयपुर रेल	बम्बई	६,०५०.६१ १,५८५.५६ ३,७१३.७४ ७५८.२८
उत्तरी	१४ अप्रैल, १९५२	पूर्वो पंजाब, जोधपुर- घोरानेर रेल घोर ईस्ट इन्डियन रेल के तीन अपर डिवीजन	दिल्ली	६,३६८.४० ४,२०१.५३ २,००५.०५ १६१.८३
उत्तर-पूर्वो	१४ अप्रैल, १९५२	अवध तथा तिरहुत, प्रताप रेल घोर पुरानी बम्बई बड़ोदा तथा सेण्ट्रल इन्डिया रेल का फतेह- गढ़ जिला	गोरखपुर	३,०६३.५३
उत्तर-पूर्व सीमान्त	१५ जनवरी, १९५८		पाण्डू	१,७३८.०० २.१५ १,६८६.०० ४६.७५
पूर्वो	१ अगस्त, १९५५	ईस्ट इन्डियन रेल (तीन अपर डिवीजनों को छोड़कर)	कलकत्ता	२,३२४.६८ २,३०७.५४ — १७.१४

दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक 'टाटा इंजीनियरिंग तथा रेल-इंजिन कारखाने' में मध्यम साइन के ३७१ रेल-इंजिन तैयार किए गए। द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक अति वर्ष औसतन १०० रेल-इंजिन तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की योजना है।

बिजली की दोहरी व्यवस्था से युक्त सवारी-डिब्बों की छोड़कर अन्य सवारी-डिब्बों का आयात बन्द कर दिया गया है। मद्रास के निकट पेराम्बूर-स्थित 'सरकारी जोड़हीन सवारी-डिब्बा कारखाने' में प्रारम्भ में १९६०-६१ तक प्रति वर्ष ३५० सवारी-डिब्बों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया था। यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक ५६७ सवारी-डिब्बों का निर्माण हुआ। बंगलोर-स्थित एक दूसरे सरकारी कारखाने 'हिन्दुस्तान विमान (एयरक्राफ्ट) कारखाने' में दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक बड़ी साइन के इस्पात के १,२८५ उपरकृत (फनिटइ) सवारी-डिब्बे तैयार किए गए।

भारत के माल-डिब्बा उद्योग में, जो पूर्ण रूप से एक निजी उद्यम है, प्रथम योजना-काल के प्रथम वर्ष में ३,७०७ तथा अन्तिम वर्ष में १५,४४५ माल-डिब्बे तैयार किए गए। १९५७-५८ में इस कारखाने में १७,३०० माल-डिब्बे तैयार हुए।

मरम्मत-कारखाने तथा मशीनें

द्वितीय योजना में ६ नये मरम्मत-कारखाने और मध्यम साइन के सवारी-डिब्बों के निर्माण का एक नया कारखाना स्थापित करने, 'जोड़हीन सवारी-डिब्बा कारखाने' में एक नया उपकरण विभाग खोलने तथा 'वित्तरंजन रेल-इंजिन कारखाने' के अन्तर्गत की व्यवस्था की गई है। इसके परिणामस्वरूप रेल-इंजिनों, माल-डिब्बों तथा सवारी-डिब्बों की वार्षिक पुनर्नवनी-क्षमता में वृद्धि होने की योजना है।

विद्युतीकरण

भारत में विद्युत्-चालित रेल का चलन सर्वप्रथम १९२५ में आरम्भ हुआ। बिजली से चलने वाली रेल बलकला, कर्णट तथा मद्रास के आस-पास कुछ ही लाइनों पर चलती है। पूर्वी रेल की मुख्य हाथड़ा-बर्दमान लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया तथा इस लाइन पर विद्युत्-चालित रेल का चलन सर्वप्रथम अगस्त १९५८ में आरम्भ हुआ। १ मार्च, १९५८ को देश में २०६.२४ मील लम्बी लाइन पर बिजली से चलने वाली रेलों की व्यवस्था थी। द्वितीय योजनाकाल में १,४४२ मील लम्बी रेल-लाइन पर बिजली से चलने वाली रेलों की व्यवस्था हो जाएगी।

कुछ अन्त हुए रेल-मार्गों पर डीजल से चलने वाली रेलों की व्यवस्था की जा चुकी है। १९६०-६१ तक १,२६२ मील लम्बी रेल-लाइन पर डीजल से चलने वाली रेलों की व्यवस्था हो जाएगी।

१९५७-५८ में १६८.१४ मील लम्बी निम्न नयी लाइनों चालू की गईं: (१) उत्तर रेल की घरहन-प्रायागढ़ लाइन (घरहन-एटा लाइन पर) (२३.३३ मील); (२) उत्तर पूर्वी रेल की लीडो-लेकापाणो लाइन (५.४१ मील); (३) दक्षिणी रेल की कोटयम विवलोत लाइन (५६.३२ मील); (४) पश्चिमी रेल की भिलाडी-रानीवाड़ लाइन (४३.६१ मील) और (५) मध्य रेल की लण्डवा-तबकत लाइन (१८.३१ मील), लण्डवा-धजमेर लाइन (०.३६ मील) तथा हिगोली-कन्हैरॉव-नाहा लाइन (१७.६६ मील)।

रेल-इंजिन तथा डिब्बे

प्रथम योजनाकाल में ४६६ रेल-इंजिनों; ४,३५१ सवारी-डिब्बों और ५१,१६२ माल-डिब्बों का निर्माण किया गया।

द्वितीय योजना में रेलों के विकास तथा पुनर्स्थापन के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, वह निम्न तालिका में दिखाया गया है:

तालिका ५७
रेल-इंजिन तथा डिब्बे (द्वितीय योजना)

	रेल-इंजिन			माल-डिब्बे			सवारी डिब्बे	
	बड़ी लाइन	मध्यम लाइन	छोटी लाइन	बड़ी लाइन	मध्यम लाइन	छोटी लाइन	बड़ी लाइन	मध्यम छोटी लाइन माल
विकास	४६८	४५१	—	६६,५७५	१६,८२०	—	१,७६४	३,३६४
पुनर्स्थापन	६६२	४०२	८१	१४,८७६	४,६५२	४,०२१	४,३६२	१,४२२
योग	१,१३०	८५३	८१	८१,४५१	२१,७७२	४,०२१	६,१२६	४,७८६

१९५७-५८ में बड़ी लाइन के २२५ तथा मध्यम लाइन के ३७८ नये रेल-इंजिनों बड़ी लाइन के ६१५, मध्यम लाइन के ४२४ तथा छोटी लाइन के ६६ नये सवारी-डिब्बों और बड़ी लाइन के १६,८६४; मध्यम लाइन के ६,६७४ तथा छोटी लाइन के ६६ नये माल-डिब्बों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ।

रेल-इंजिनों, सवारी-डिब्बों तथा माल-डिब्बों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जग सामान्यतः स्वावलम्बी हो चुका है। सरकारी 'चिसरंजन रेल-इंजिन कारखानों' में प्रति वर्ष बड़ी लाइन के औसतन १६८ रेल-इंजिन तैयार किए जाते हैं। दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक ७६० रेल-इंजिनों का निर्माण हुआ।

हैं। रेल-कर्मचारियों के लाभ के लिए चतते-फिरते पुस्तकालयों की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर-पूर्वी रेल-लाइन पर दिसम्बर, १९५८ में प्रथम चतते-फिरते पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया।

रेल-यात्रा सम्बन्धी आंकड़े

यात्री-यातायात तथा आय

१९५७-५८ में सभी धोरणों के कुल १,४३,५६,५०० यात्रियों ने ४३,३३,२८,०२,००० मीलों की यात्रा की। इनसे रेलों की १,२०,०८,४३,००० रुपये की आय हुई। प्रत्येक यात्री से प्रति मील औसतन ५.३२ पाई किराया लिया गया।

बिना टिकट यात्रा

बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कड़ा दण्ड देने के उद्देश्य से दिसम्बर, १९५८ में 'भारतीय रेल अधिनियम' में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। बिना टिकट की जाने वाली यात्रा की रोकथाम के लिए टोल उपाय किए गए। १९५७-५८ में ६२,७६,५०७ व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए जिनसे किराए तथा जुर्माने के रूप में १,४२,६०,५६५ रुपये वसूल किए गए।

दुर्घटनाएँ

१९५७-५८ में जो रेल दुर्घटनाएँ हुईं, उनके परिणामस्वरूप प्रति १० करोड़ व्यक्तियों के पीछे ५ के हिसाब से ७७ व्यक्ति बुरी तरह घायम हुए तथा प्रति १० करोड़ व्यक्तियों के पीछे ३५ के हिसाब से ५०४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

माल-परिवहन तथा आय

१९५७-५८ में रेलों द्वारा १३,३३,६५,००० टन माल एक स्थान से दुसरे स्थान को लाया-ले जाया गया जिनसे रेलों की २,२५,७१,५२,००० रुपये की आय हुई। प्रत्येक टन माल के लिए औसतन ११.४ पाई प्रति मील भुड़ा लिया गया।

१९५७-५८ में २,६५,३७,६०० टन वृत्तिजन्य पदार्थ, ६,३२,६२,६०० टन सज्ज पदार्थ; ४८,६६,२०० टन सज्ज तेल; २,५६,०५,५०० टन चीनी, कार्बन, गीमेष्ट, बागव, चाय और लोहा तथा इस्पात आदि का सामान, ७०८ लाख टन पत्थ, लाल तथा चमड़ा; ५७८० लाख टन सज्ज्य वस्तुएँ; २६५ करोड़ टन लोहा और कार्बन आदि तथा १२८६ लाख टन गैरा सज्ज्य सामान एक स्थान से दुसरे स्थान को लाया-ले जाया गया जिनसे रेलों की कमाई: ४०,०७,७१,३०० रुपये; ४६,६५,६५,१०० रुपये; ११,८४,७३,४०० रुपये; ५५,४५,६५,००० रुपये; ३ करोड़ रुपये; ७६० करोड़ रुपये; ५३ करोड़ रुपये तथा ३.१० करोड़ रुपये की आय हुई।

पुन

मोगामापाट के निरट गंगा-पुन का कार्य पूरा हो चुका है। द्वितीय योजना में पुन के लिए निर्धारित किए गए ३३ करोड़ रुपये में से १८ करोड़ रुपये पुनसंस्थान पर ६ करोड़ रुपये गंगा-पुन पर तथा ६ करोड़ रुपये ६ नये गुप्तों पर व्यय किए जाएंगे।

रेल-यात्रियों की सुविधाएं

१९५१-५२ से १९५७-५८ तक रेलों के संगठन में जो सुधार किए गए, उनमें से निम्न महत्वपूर्ण सुधार उल्लेखनीय हैं :

- (१) सुरक्षापूर्ण तथा सुविधाजनक यात्रा,
- (२) लम्बे दूरी के यात्रियों के लिए सवारी-डिब्बों में स्थान सुरक्षित किए जाने की व्यवस्था,
- (३) दिसम्बर, १९५८ तक ६०३ नयी रेलगाड़ियों का चालू किया जाना तथा ६३० रेलगाड़ियों का विस्तार,
- (४) सोने की व्यवस्था,
- (५) सभी जनता गाड़ियों (तृतीय श्रेणी) में यातानुकूलन की व्यवस्था,
- (६) भोजन की व्यवस्था में सुधार करना, तथा
- (७) पीने के पानी की सुविधाओं और पंखों तथा प्रतीक्षालयों की व्यवस्था में सुधार और नये श्रयवा उन्नत पुलों तथा प्लेटफार्मों की व्यवस्था।

कर्मचारी कल्याण

प्रथम योजनाकाल में नये मकानों के निर्माण तथा कर्मचारी-कल्याणकार्यों पर प्रति वर्ष औसतन ४ करोड़ रुपये से कुछ अधिक व्यय किए गए। वित्तीय योजनाकाल प्रति वर्ष औसतन १० करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रथम योजनाकाल में कर्मचारियों के लिए ४०,००० क्वार्टर बनवाए गए थे। द्वितीय योजनाकाल में ६४,५०० क्वार्टर बनवाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। १९५७-५८ में इनमें से २५,००० क्वार्टर बनवा दिए गए।

१९५७-५८ के अन्त में रेल कर्मचारियों के लिए ८३ अस्पताल तथा ४४० दवाखाने। द्वितीय योजनाकाल में १३ नये रेल-अस्पताल और ७५ नये दवाखाने खोलने का वर्तमान रेल अस्पतालों में १,६०० अतिरिक्त रोगीशय्याओं की व्यवस्था करने का विचार किया गया है।

दिसम्बर, १९५७ में १० लाख श्रयवा उससे अधिक रेल-कर्मचारियों के समक्ष निवृत्ति-वेतन (पेंशन) योजना स्वीकार श्रयवा अस्वीकार करने का प्रस्ताव रखने निर्णय किया गया।

रेल-कर्मचारियों की उन सन्तानों के लाभ के लिए, जो अपने माता-पिता हुए रहकर विद्याभ्ययन कर रहे हैं, १२ सहायता-प्राप्त छात्रावास स्थापित किए जा

हैं। रेल-कर्मचारियों के लाभ के लिए चलते-फिरते पुस्तकालयों की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर-पूर्वी रेल-लाइन पर दिसम्बर, १९५८ में प्रथम चलते-फिरते पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया।

रेल-यात्रा सम्बन्धी आंकड़े

यात्री-यातायात तथा आय

१९५७-५८ में सभी श्रेणियों के कुल १,४३,५६,५०० यात्रियों ने ४३,३३,२८,०२,००० मीलों की यात्रा की। इनसे रेलों को १,२०,०८,४३,००० रुपये की आय हुई। प्रत्येक यात्री से प्रति मील औसतन ५.३२ पाई किराया लिया गया।

बिना टिकट यात्रा

बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कड़ा दण्ड देने के उद्देश्य से दिसम्बर, १९५८ में 'भारतीय रेल प्रचिनियम' में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। बिना टिकट की जाने वाली यात्रा की रोकथाम के लिए टोत उपाय किए गए। १९५७-५८ में ६२,७६,५०७ व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए जिनमें किराए तथा जुर्माने के रूप में १,४२,६०,५६५ रुपये वसूल किए गए।

दुर्घटनाएँ

१९५७-५८ में जो रेल दुर्घटनाएँ हुईं, उनके परिणामस्वरूप प्रति १० करोड़ व्यक्तियों के पीछे ५ के हिसाब से ७७ व्यक्ति सुरी तरह घायल हुए तथा प्रति १० करोड़ व्यक्तियों के पीछे ३५ के हिसाब से ५०४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

माल-परिवहन तथा आय

१९५७-५८ में रेलों द्वारा १३,३३,६५,००० टन माल एक इंचान से दूसरे इंचान की सहाय्ये जाया गया जिनसे रेलों को २,२५,७१,५२,००० रुपये की आय हुई। प्रत्येक टन माल के लिए औसतन ११.४ पाई प्रति मील भुआ लिया गया।

१९५७-५८ में २,६५,३७,६०० टन कृषिजन्य पदार्थ; ६,२२,६२,६०० टन लौह पदार्थ; ४८,६६,२०० टन लौह तेल; २,५६,०५,५०० टन खनिज, कागज, सीमेंट, बागवत, धातु और लोहा तथा इस्पात आदि का सामान; ७०८ लाख टन पत्थर, लकड़ें तथा चमड़ा; ५७८० लाख टन वनजन्य वस्तुएँ; २,६५ करोड़ टन लाह और कागज आदि तथा १२८६ लाख टन तेला सम्बन्धी सामान एक इंचान से दूसरे इंचान की सहाय्ये जाया गया जिनसे रेलों की आय: ४०,०७,७२,३०० रुपये; ६८,६५,६५,१०० रुपये; ११,८४,७३,४०० रुपये; ५५,४४,६५,७०० रुपये; ३ करोड़ रुपये; ७६० करोड़ रुपये; ५३ करोड़ रुपये तथा १.१० करोड़ रुपये की आय हुई।

निर्यात यातायात

निर्यात के लिए रेलों द्वारा बन्दरगाहों तक सामान ले जाए जाने को अधिक प्राथमिकता दी गई है। १९५७-५८ के अन्त में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा विशाखापट्टनम के बन्दरगाहों में निर्यात के लिए (जहाजों पर लदाई की प्रतीक्षा में) लोहा तथा मंगनीय क्रमशः ७३,५६६ टन तथा ८६,६०३ टन; ५,००० टन तथा ८३,१४४ टन; १,१७,८७७ टन तथा ५४,५४३ टन और १६,११६ टन तथा २,५३,६७२ टन पड़ा हुआ था।

किराया तथा भाड़ा

१९५८ में रेलों के किरायों तथा भाड़ों की दरों में सुधार किया गया। दिल्ली-हावड़ा, दिल्ली-बम्बई तथा दिल्ली-मद्रास के बीच चलने वाली तृतीय श्रेणी की वातातु-कूलित गाड़ियों के लिए ४ पाई प्रति मील प्रतिरिक्त किराया लिया जाता है।

'रेल-यात्री किराया अधिनियम' १५ सितम्बर, १९५७ को लागू हुआ। १५ मील तक की दूरी का किराया करमुक्त है।

'रेल-भाड़ा जांच समिति' की सिफारिश पर १ अक्टूबर, १९५८ से संशोधित दरपये और पार्सेल यातायात से होने वाली आय में प्रति वर्ष ६.६० करोड़ है। समिति ने भाड़े से होने वाली आय में २ करोड़ रुपये की वृद्धि होने की सिफारिश की है। प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव

प्रशासन

रेलों के नियन्त्रण तथा प्रशासन का उत्तरदायित्व 'रेल मण्डल' पर है जो सर्व-प्रथम १९०५ में स्थापित हुआ था। जनता तथा रेल प्रशासन के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखने के लिए निम्न ३ प्रकार की समितियाँ बनाई गई हैं: (१) 'प्रादेशिक रेल उपभोक्ता सलाहकार समितियाँ', (२) प्रत्येक रेल क्षेत्र के मुख्यालय में 'क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समितियाँ' तथा (३) केन्द्र में 'राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समितियाँ' स्थापित की जा चुकी हैं।

सड़क

१९५७ में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण तथा उनकी देख-भाल का दायित्व स्वयं ले लिया। नये संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ केन्द्र के दायित्व और राज्यीय राजपथ, जिला तथा गाँवों की सड़कों राज्य सरकारों के दायित्व में आनी

प्रगति

नागपुर योजना (१९४३) में निर्धारित किए गए लक्ष्य की तुलना में हमारे में महत्त्व विभाग के सम्बन्ध में हुई प्रगति अगली सारिका सं० ५८ में दिखाई गई है।

तालिका ५८
सड़क विकास

	परकी सड़कें (मील)	कच्ची सड़कें (मील)
रागपुर योजना में निर्धारित लक्ष्य	१,२३,०००	२,०८,०००
१ अप्रैल, १९५१	६८,०००	१,५१,०००
३१ मार्च, १९५६	१,२२,०००	१,६८,०००
३१ मार्च, १९५७	१,२७,०००	२,०१,०००
३१ मार्च, १९६१	१,४४,०००	२,३५,०००

राष्ट्रीय राजपथ

१ अप्रैल, १९४७ को जिस समय केन्द्र ने राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण का दायित्व स्वयं ग्रहण किया, लगभग १,६०० मील लम्बी सड़कें धीरे-धीरे पुल तथा पुलियां टूटी हुई थीं। इसके प्रतिरिक्त वर्तमान सड़कों में से ६,००० मील लम्बी सड़कें अच्छी नहीं थीं। तब से अब तक हुई प्रगति निम्न तालिका में दिखाई गई है :

तालिका ५९
राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में हुई प्रगति

	टूटी हुई सड़कें फिर बनाई गईं (मील)	बड़े पुल बनाए गए	वर्तमान सड़कों में सुधार किया गया (मील)	सड़कें चौड़ी की गईं (मील)
प्रथम योजनाकाल १ अप्रैल, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५८	७४६	३३	५,०००	४००
द्वितीय योजनाकाल (प्रस्तावित)	३८०	२३	२,०००	७००
	७००	४०	३,५००	३,०००

राज्यों के पुनरसंगठन के पश्चात् राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में कुल मिलाकर १,६,००० मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ थे।

इस समय १३,६०० मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ हैं जिनके बीच-बीच में निम्न सड़कें धा जाती हैं :

धम्मतर—बलरुता; धागरा—बम्बई; बम्बई—बंगलोर—मद्रास; मद्रास—
बलरुता; बलरुता—नागपुर—बम्बई; धाराएली—नागपुर—हरराबाद—कुरुनूप—

बंगलोर—कन्याकुमारी अन्तरीप; दिल्ली—अहमदाबाद—बम्बई; अहमदाबाद—बंगला
बन्दर (जितका निर्माण जारी है) तथा अहमदाबाद—पोरबन्दर; अम्बाला—गिमना—
तिब्बत की सीमा; दिल्ली—मुरादाबाद—सतलज; सतलज—मुबपकरपुर—बरोनी (एक
शाखा नेपाल की सीमा तक); असम एक्सेस सड़क और असम ट्रंक सड़क (एक शाखा
मणिपुर होते हुए बर्मा तक) ।

राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण कार्य जारी हैं, उनमें से जगह
(धनिहाल) सुरंग मुख्य है। इस सुरंग का निर्माण जम्मू—धीनगर—उरी के राष्ट्रीय
राजपथ पर पीर-पंजाल पर्वतमाला के आरपाय ७,२५० फुट की ऊँचाई पर हो रहा है।
यह सुरंग संसार की सबसे लम्बी सुरंगों में से एक है। इसका निर्माण पूरा होने पर
कश्मीर घाटी तथा श्रेय भारत के बीच एक ऐसे मार्ग की व्यवस्था हो जाएगी जो
बारहों महीने चालू रहेगा। सुरंग में दो मार्ग हैं जिनमें से एक पातायात के लिए खोल दिया
गया है।

अन्य सड़कें

भारत सरकार राज्यों की कुछ सड़कों के विकास के लिए भी वित्त की व्यवस्था
करती है। इन में असम की पासी—बदरपुर सड़क और केरल, बम्बई तथा मैसूर राज्यों
की पश्चिमी तट वाली सड़कें आती हैं।

मई, १९५४ में स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय श्रयवा आर्थिक महत्व की कुछ चुनी हुई राष्ट्रीय
सड़कों के विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम योजनाकाल में १२५ मील लम्बी
नयी सड़कें बनवाई गईं तथा ५०० मील लम्बी वर्तमान सड़कों को सुधारा गया। शेष कार्य-
क्रम द्वितीय योजना में पूरा किया जाएगा।

राज्यों के दायित्व में आने वाली सड़कें

द्वितीय योजनाकाल के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों
के अन्तर्गत २१,००० मील लम्बी पक्की सड़कें तथा ३७,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें
बनाई जाएंगी।

सड़क-परिवहन

मोटरगाड़ियाँ

३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत में ४,२२,०४१ मोटरगाड़ियाँ
थीं। मार्च, १९५६ के अन्त में ४०,४२७ मोटरसाइकिल तथा ऑटोरिक्षा; १,८८,१६५
प्राइवेट कार तथा जीप; ६१,०१८ सार्वजनिक बसें; १,१८,१४४ भारवाहक (ट्रक आदि)
और १३,६८७ अन्य मोटरगाड़ियाँ थीं।

३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में ३३,१२,४६,००० रुपये के मूल्य
की २५,५४२ मोटरगाड़ियाँ तथा पुर्खों का आयात किया गया।

प्रशासन

कई राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में सवारी-सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। इन परिवहन सेवाओं की व्यवस्था अनुविहित सड़क परिवहन निगम, ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियाँ तथा राज्यीय विभाग करते हैं। माल-परिवहन मुख्यतः निजी संचालकों के हाथ में ही है। तृतीय योजना की समाप्ति से पहले इसका राष्ट्रीयकरण करने का विचार नहीं है।

अन्तर्राज्यीय मार्गों की सड़क-परिवहन सेवाओं के विकास, समन्वय तथा नियमन के लिए एक 'अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग' स्थापित किया जा चुका है।

एक और विभिन्न प्रकार की परिवहन सेवाओं तथा दूसरी ओर केन्द्रीय तथा राज्यीय परिवहन-नीतियों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'परिवहन विकास परिषद्', 'सड़क तथा अन्तर्देशीय जल-परिवहन सलाहकार समिति' तथा 'केन्द्रीय परिवहन समन्वय समिति' स्थापित कीं। राज्यों में परिवहन सम्बन्धी प्रशासन के पुनर्संगठन पर परामर्श देने के लिए एक तदर्थ समिति स्थापित की जा चुकी है।

अन्तर्देशीय जलमार्ग

देश के नौगम्य (नेवीगेबल) जलमार्ग ५,००० मील से अधिक लम्बे हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी तथा कृष्णा, केरल की नहरें, आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास की बकिचम नहर, पश्चिमी तट की नहरें तथा उड़ीसा की महानदी नहरें उल्लेखनीय हैं।

गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों पर होने वाले जल-परिवहन के विकास में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक सहयोग से १९५२ में 'गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन मण्डल' स्थापित किया गया।

इस समय १,५५७ मील की लम्बाई में नदियों में यन्त्रचालित छोटी नौकाएँ तथा १,५८७ मील लम्बे नदी मार्गों में बड़ी नौकाएँ चल सकती हैं। इस सम्बन्ध में 'गंगा-ब्रह्मपुत्र मण्डल' ने गंगा के ऊपरी भाग में एक परीक्षण-योजनाकायें प्रारम्भ कर दिया है। योजना में बकिचम नहर तथा पश्चिमी तट की नहरों के विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है।

'अन्तर्देशीय जल-परिवहन समिति' ने अन्तर्देशीय जलमार्गों तथा बहूद्देशीय नदीघाटी योजनाएँ के विकास आदि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए हैं।

जहाजरानी

योजनाकाल में प्रगति

१९४७ में 'जहाजरानी नीति समिति' ने अगले ५-७ वर्षों में २० लाख टन जी० धार० टी० के लक्ष्य की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार ने यह अनुभव किया कि यह लक्ष्य धीरे-धीरे, चरणों में ही प्राप्त किया जा सकता है। जहाजरानी कम्पनियों को जहाजी बंदे का विस्तार करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से १९५१ में ऋण देने की एक योजना बनाई गई।

प्रथम योजना के अन्त में देश में ६,००,७०७ जी० घार० टी० के जहाज के दो
द्वितीय योजना के अन्त में देश में ६,०१,७०७ जी० घार० टी० के जहाजों की व्यवस्था करने
का लक्ष्य रखा गया है ।

नवम्बर, १९५८ के अन्त में भारत में ६,१६,७०८ जी० घार० टी० के १४१ बहाज
ये जिनमें से २,५७,६८५ जी० घार० टी० के ८५ जहाज तटीय व्यापार में तथा ३,७१,७१३
जी० घार० टी० के ५६ जहाज विदेश व्यापार में लगे हुए थे ।

१,२८,००० जी० घार० टी० के जहाजों का निर्माण किया जा रहा है जो द्वितीय
योजनाकाल के पूर्व ही प्राप्त हो जाएंगे । द्वितीय योजना में प्रस्तावित ३ लाख जी० घार०
टी० के जहाजों के निर्माण के लक्ष्य में विदेशों विनिमय को कमो तथा आन्तरिक वित्तों
स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण कटौती कर दी गई ।

वाणिज्य जहाजरानी अधिनियम

१९५८ में लागू किए गए 'वाणिज्य जहाजरानी अधिनियम' में भारत सरकार को
परामर्श देने के लिए 'राष्ट्रीय जहाजरानी मण्डल' तथा 'जहाजरानी विकास निधि' की स्था-
पना के लिए व्यवस्था की गई है ।

जहाजरानी निगम

१९५० में १० करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से सरकार द्वारा संचालित 'पूर्वो
जहाजरानी निगम लिमिटेड' नामक एक जहाजरानी निगम स्थापित किया गया । सरकार
ने इस निगम का प्रबन्ध अगस्त, १९५६ में सिन्धिया कम्पनी से अपने अधिकार में ले लिया ।
इस निगम के पास माल-परिवहन तथा यात्री-परिवहन के लिए इस समय ८ जहाज हैं ।
निगम की ओर से माल-परिवहन सेवा तथा यात्री-परिवहन सेवा की नियमित व्यवस्था है ।
१० करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ १९५६ में पंजीकृत 'पश्चिमी जहाजरानी
निगम' के जहाज भारत-पोलैण्ड, भारत-फारस की साड़ी, भारत-साल सागर तथा भारत-रुत
मार्ग पर चलेंगे ।

हिन्दुस्तान जहाजनिर्माण-घाट

सरकार ने सिन्धिया कम्पनी से 'विशालापटनम जहाजनिर्माण-घाट' मार्च, १९५१
खरीद कर इसकी व्यवस्था का भार 'हिन्दुस्तान जहाजनिर्माण-घाट लिमिटेड' को सौंप दिया
इस कारखाने में बने सर्वप्रथम जहाज का जलावतरण मार्च, १९४८ में हुआ । अब तक २
समुद्री जहाजों तथा ३ छोटे जहाजों का निर्माण किया जा चुका है । १९६०-६१ तक
ओर जहाजों का निर्माण होने की आशा है ।

दूसरा जहाजनिर्माण-घाट

ब्रिटेन की सरकार ने कोलम्बो योजना की 'प्राविधिक सहयोग योजना' के अन्त
में दूसरे जहाजनिर्माण-घाट की स्थापना के लिए उपयुक्त सम्भावित स्थानों का १

क्षण करने तथा तत्सम्बन्धी श्रांिकड़ों का संग्रह करने के लिए एक प्राविधिक मण्डल भारत भेजा। मण्डल ने अप्रैल, १९५८ में दिए अपने प्रतिवेदन में कोचीन (एरणाकुलम), मजगांव गोदी, कण्डला, ट्रॉम्बे तथा जिप्रोंखाली को अधिक उपयुक्त स्थान बताते हुए, इन पर विचार करने का सुझाव दिया।

प्रशिक्षण संस्थान

१९५८ में 'टी० एस० डफरिन' में ६१ शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और तत्पश्चात् उन्हें विभिन्न जहाजों पर नियुक्त कर दिया गया।

३,१०२ शिक्षार्थियों ने मार्च, १९५८ के अन्त तक बम्बई के 'नाविक तथा इंजीनियरिंग कालेज' में उपलब्ध शिक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाया। कलकत्ता के 'समुद्री इंजीनियरिंग कालेज' की छठी टुकड़ी के शिक्षार्थियों में से १९५८ में ५० शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

तीन नाविक प्रशिक्षण संस्थानों में सितम्बर, १९५८ के अन्त तक २,४८१ शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

बन्दरगाह

बड़े बन्दरगाह

भारत में ६ बड़े बन्दरगाह हैं—कण्डला, कलकत्ता, कोचीन, बम्बई, मद्रास तथा विशाखापटनम। १९५७-५८ में इन बन्दरगाहों पर ३.१० करोड़ टन माल लादा-उतारा गया।

कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के बन्दरगाहों का प्रशासन अनुविहित बन्दरगाह प्राधिकारियों के अधीन है। इन प्राधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण रहता है। कण्डला, कोचीन तथा विशाखापटनम का प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के ही अधीन है।

बन्दरगाहों में प्राप्त सुविधाओं का विस्तार करने तथा उनको आधुनिक रूप देने के सम्बन्ध में उपाय किए जा चुके हैं और कई बन्दरगाहों में तत्सम्बन्धी कार्य जारी हैं।

छोटे बन्दरगाह

भारत के समुद्र तट पर अल्प बड़े छोटे बन्दरगाह भी हैं जहाँ प्रति वर्ष लगभग ५० लाख टन माल लादा-उतारा जाता है। इन बन्दरगाहों के प्रशासन का दायित्व राज्य सरकारों पर है। द्वितीय योजना में छोटे बन्दरगाहों के विभिन्न सुधार-कार्यों के लिए ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय बन्दरगाह मण्डल

बन्दरगाहों के समन्वित विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सहयोग देने के लिए १९५० में 'राष्ट्रीय बन्दरगाह मण्डल' स्थापित किया गया।

प्रथम योजना के लागू होने से १,००,००० बी० एच० टी० के जहाजों के द्वितीय योजना के लागू होने से १,००,००० बी० एच० टी० के जहाजों को लागू होने का समय क्या होगा ?

जवाब, १९५८ के लागू होने से १,००,००० बी० एच० टी० के १५ जहाजों में किसी भी २५००० बी० एच० टी० के एक जहाज को लागू किया जाएगा १९५८ बी० एच० टी० के २५ जहाजों को लागू करने के लिए है।

१,००,००० बी० एच० टी० के जहाजों का निर्माण किया जा रहा है जो द्वितीय योजना के पूर्व ही लागू हो जाएंगे। द्वितीय योजना के अंतर्गत ३ लाख बी० एच० टी० के जहाजों के निर्माण के साथ ही द्वितीय विधायक को छोड़कर अन्य द्वितीय विधायक निर्माण शुरू हो जाने के कारण करीबी कर ही गई।

पारितोषिक जहाजगामी अधिविधायक

१९५८ में लागू किए गए 'कारितोषिक जहाजगामी अधिविधायक' में भारत सरकार को परामर्श देने के लिए 'राष्ट्रीय जहाजगामी परामर्श' तथा 'जहाजगामी विकास विधि' को लागू करने के लिए व्यवस्था की गई है।

जहाजगामी नियम

१९५० से १० करोड़ रुपये की अधिविधायक योजना में सरकार द्वारा संकल्पित पूंजी जहाजगामी नियम निर्मित है। नामक एक जहाजगामी नियम स्थापित किया गया। सरकार ने इस नियम का प्रथम संस्करण, १९५६ में तैयार करके लागू किया। भारत-जापान, भारत-मार्कोपोलो, भारत-गिगापुर तथा भारत-यूरोप जहाजगामी परामर्श निगम को घोर से मान-परिवहन सेवा तथा यात्री-परिवहन सेवा की निर्मित कराना है। १० करोड़ रुपये की अधिविधायक योजना के तहत १९५६ में पंजीकृत परिवहन जहाजगामी नियम के जहाज भारत-पोर्चुगल, भारत-यूरोप की लाइनें, भारत-मध्य सागर तथा भारत-बंगाल गंगा पर चलेंगे।

हिन्दुस्तान जहाजनिर्माण-घाट

सरकार ने तैयार किया गया 'हिन्दुस्तान जहाजनिर्माण-घाट' मार्च, १९५२ में तैयार कर इसकी व्यवस्था का भार 'हिन्दुस्तान जहाजनिर्माण-घाट निर्मित' को सौंप दिया। इस कारखाने में बने सर्वप्रथम जहाज का जलायतरण मार्च, १९५८ में हुआ। अब तक २१ समुद्री जहाजों तथा ३ छोटे जहाजों का निर्माण किया जा चुका है। १९६०-६१ तक ६ छोटे जहाजों का निर्माण होने की योजना है।

दूसरा जहाजनिर्माण-घाट

ब्रिटेन की सरकार ने कोलम्बो योजना की 'प्राथमिक सहयोग योजना' के अंतर्गत भारत में दूसरे जहाजनिर्माण-घाट की स्थापना के लिए उपयुक्त सम्भावित स्थानों का सर्वेक्षण

ए करने तथा तत्सम्बन्धी श्रांक्डों का संग्रह करने के लिए एक प्राविधिक मण्डल भारत जा । मण्डल ने अर्प्रत, १९५८ में दिए अपने प्रतिवेदन में कोचीन (एरणाकुलम), मज-वि गोदी, कण्डला, ट्रॉम्बे तथा जिन्नोखाली को अधिक उपयुक्त स्थान बताते हुए, इन पर श्चार करने का सुभाव दिया ।

शिक्षण संस्थान

१९५८ में 'टी० एस० डफरिन' में ६१ शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और तपनचात उन्हें विभिन्न जहाजों पर नियुक्त कर दिया गया ।

२,१०२ शिक्षार्थियों ने मार्च, १९५८ के अन्त तक बम्बई के 'नाविक तथा इंजीनियरिंग कालेज' में उपलब्ध शिक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाया । कलकत्ता के समुद्री इंजीनियरिंग कालेज' की छठी टुकड़ी के शिक्षार्थियों में से १९५८ में ५० शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए ।

तीन नाविक प्रशिक्षण संस्थानों में सितम्बर, १९५८ के अन्त तक २,४८१ शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

बन्दरगाह

बड़े बन्दरगाह

भारत में ६ बड़े बन्दरगाह हैं—कण्डला, कलकत्ता, कोचीन, बम्बई, मद्रास तथा विशाखापटनम । १९५७-५८ में इन बन्दरगाहों पर ३.१० करोड़ टन माल लारा-उतारा गया ।

कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के बन्दरगाहों का प्रशासन समुचित बन्दरगाह प्रावि-कारियों के अधीन है । इन प्राविकारियों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण रहता है । कण्डला, कोचीन तथा विशाखापटनम का प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के ही अधीन है ।

बन्दरगाहों में प्राप्त सुविधाओं का विस्तार करने तथा उनको आधुनिक रूप देने के सम्बन्ध में उपाय किए जा चुके हैं और कई बन्दरगाहों में तत्सम्बन्धी कार्य जारी है ।

छोटे बन्दरगाह

भारत के समुद्र तट पर अन्य कई छोटे बन्दरगाह भी हैं जहाँ प्रति वर्ष लगभग ५० लाख टन माल लारा-उतारा जाता है । इन बन्दरगाहों के प्रशासन का दायित्व राज्य सरकारों पर है । द्वितीय योजना में छोटे बन्दरगाहों के विभिन्न सुधार-कार्यों के लिए ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

राष्ट्रीय बन्दरगाह मण्डल

बन्दरगाहों के समन्वित विकास के सम्बन्ध में कार्य देने के लिए १९५० में 'राष्ट्रीय

पर्यटन उद्योग

प्रशासन

१९४६ में परिवहन मन्त्रालय के अधीन एक 'पर्यटन उद्योग विभाग' स्थापित किया गया और तब से कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास जैसे प्रतिष्ठित नगरों में प्रादेशिक पर्यटन कार्यालय और भ्रागरा, श्रीरंगगाबाद, कोचीन, जयपुर, वार्जिलिंग, बंगलोर, भोपाल तथा वाराणसी में पर्यटन सूचना कार्यालय खोले जा चुके हैं। ये कार्यालय राज्य सरकारों के निकट सम्पर्क में रहते हुए कार्य करते हैं। कोलम्बो, पेरिस, फ्रांकोफर्ट, न्युयार्क, मैसोर्स तथा लन्दन में भी भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं।

परिवहन तथा संचार-साधन मन्त्रालय में अलग से एक 'पर्यटन विभाग' स्थापित किया जा चुका है। एक 'पर्यटन विकास परिषद्' सरकार को पर्यटन सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देती है।

पर्यटन उद्योग के विकास को अधिभाषिक प्रोत्साहन देने तथा विदेशी विनिमय के दम रोने से पूरा-पूरा लाभ उठाने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की जा चुकी है जिसमें तत्सम्बन्धी विभागों के सचिव तथा अध्यक्ष होंगे और जिसकी अध्यक्षता सचिव मन्त्रालय के सचिव करेंगे।

होटल मानक तथा दर-निर्धारण समिति

भारत के होटलों के वर्गीकरण तथा मानकीकरण के प्रश्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए १९५३ में स्थापित 'होटल मानक तथा दर-निर्धारण समिति' को नियुक्त किया गया है।

पर्यटन सम्बन्धी नियमों में सुधार

भारत में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से गुमिस्त, पंजीयत, मुद्रा, विनिमय विनियम और वृत्ती प्रादि से सम्बन्धित नियम कुछ निम्न बना दिए गए हैं। देशवासियों को बढ़ावा देने के लिए देशी द्वारा विदेशियों द्वारा पर किए जाने की दरवाजा को खोला है। विदेशियों, पाकिस्तानियों तथा चीनियों के लिए वे वहाँ स्थायी हो जाने वाले पर्यटकों को विशेष विनियम को लागू है। दम सदन देश में पर्यटकों द्वारा किये हुए २६ लाख भारतीयों को विदेश भेजने तथा ३ लाख भारतीयों पर्यटन समितियों (एजेंट्स) हैं।

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा पर्यटन उद्योग से १९५७ में १६ करोड़ रुपये की राशि को अनुमान लगाया गया है।

पर्यटन उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार तथा कुछ राज्य सरकारों ने कई योजनाएँ तैयार की हैं।

असैनिक उड़्डयन

१९५८ में भारतीय विमानों ने ८ लाख यात्रियों और लगभग १९.४२ करोड़ पीण्डाल तथा डाक एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने-ले जाने में २.६० करोड़ मील की उड़ान की।

१९५७ से अब तक यात्री-परिवहन में होने से अधिक की वृद्धि हुई और माल-परिवहन में १७ गुने से अधिक की। डाक पहले से लगभग ६ गुनी अधिक लाई-से जाई गई तथा वेमानों ने पहले की अपेक्षा दार्द गुना अधिक उड़ान की।

विमान निगम

'इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' के पास १९५८ के अन्त में १० याइकाउण्ट, ६ हवाई मास्टर, ५ हेरोन तथा ६१ डकोटा विमान थे। इसके विमान देश के मुख्य नगरों के बीच उड़ान करते हैं। १९५७-५८ में इसके विमानों ने ५.६६.५७३ यात्रियों के साथ १,८२,१८,५५२ मील की उड़ान की।

'एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन' के पास १० सुपर कॉन्स्टेबल तथा डकोटा विमान हैं। इसके विमान १७ देशों की उड़ान पर जाते हैं। १९५७-५८ में इसके विमानों ने ८८,३१२ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने-ले जाने में ६७,१६,००० मील की उड़ान की।

प्रशिक्षण

असैनिक उड़्डयन विभाग के इलाहाबाद-स्थित प्रशिक्षण केंद्र में विमानचालकों, सैनिक इंजीनियरों, हवाई मरुत-अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। १९५८ में इस केंद्र में ३१२ शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया और नवम्बर के अन्त में १७७ शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

उड़्डयन बलय

भारत में सहायताप्राप्त १८ उड़्डयन बलय, ३ स्नाइडिंग केंद्र तथा १ बलय हैं। नवम्बर, १९५८ के अन्त तक इन उड़्डयन बलयों में २०१ शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त किया गया और १ दिसम्बर, १९५८ को इन बलयों में ५

बलय
तथा
११

हवाईमार्ग

भारत सरकार के धार्मिक उद्योग विभाग के नियंत्रण तथा संचालन में ८१ हवाई-मार्ग हैं। कलकत्ता (कमलम), दिल्ली (वातम) तथा बम्बई (मार्गता क्रम) के हवाईमार्ग, अन्तर्राष्ट्रीय हवाईमार्ग हैं।

६ नये हवाई-मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। पर्याप्त धन उपलब्ध होने पर दोष द्वितीय योजनाकाल में २ नये हवाईमार्गों तथा १ भ्माइबर-ड्रॉम का भी निर्माण किए जाने की आशा है। तीनों अन्तर्राष्ट्रीय हवाईमार्गों की मुख्य हवाईपट्टियों का विस्तार किया जा रहा है।

विमान

१ दिसम्बर, १९५८ को ५२२ विमानों के साथ चालू पंजीयन-प्रमाणपत्र तथा २६६ विमानों के साथ हवा में उड़ने की योग्यता के चालू प्रमाणपत्र थे।

वायु परिवहन सम्झौते

१९५८ में भारत सरकार और सोवियत रूस, लेबनॉन गणराज्य तथा इटली गणराज्य की सरकारों के बीच वायु परिवहन सम्झौते हुए। अफगानिस्तान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ईराक, जापान, थाइलैण्ड, नोर्डलैण्ड, पाकिस्तान, फ्रांस, फिलीपीन, ब्रिटेन, मिस्र, चीन, सिव्हरलैण्ड तथा स्वीडन के साथ वायु-परिवहन सम्झौते पहले से ही हुए हुए हैं।

सत्ताइसवाँ अध्याय

संचार-साधन

देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी उद्योग के रूप में रेलों के बाद डाक-तार सेवाओं का ही स्थान है। ३१ मार्च, १९५८ को डाक-तार सेवाओं में ३,१६,६१७ व्यक्ति काम से रहे हुए थे और इस समय तक इन सेवाओं पर १.११ अरब रुपये का पूंजीगत व्यय हुआ।

डाक-तार विभाग अपना कार्य १३ क्षेत्रीय एककों द्वारा करता है—१२ डाक तथा तार एकक तथा १ डाक एकक। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास के नगरों के लिए ४ टेलीफोन क्षेत्रों तथा २१ अन्य प्रशासनिक एककों का काम भी जारी है। १ अप्रैल, १९५८ को इस विभाग के पार संगृहीत बचत के रूप में २३.६० करोड़ रुपये थे।

डाक-सेवा

१९५७-५८ में ३,३५,५०,००,००० डाक की वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान को भाई-से भाई गईं जिनसे डाक-तार विभाग को ३४.८८ करोड़ रुपये की आय हुई।

३१ मार्च, १९५८ को देश के कुल ६१,८८६ डाकघरों में से ५,७८६ स्थायी तथा १,१७८ अस्थायी डाकघर शहरों में और ३६,६५० स्थायी तथा १,७,६७२ अस्थायी ग्रामगावों में थे। शहरों तथा गाँवों में कुल मिलाकर १,२३,२५४ पत्र-पेटियाँ लगी हुई थीं।

१ अप्रैल, १९५८ तथा ३१ दिसम्बर, १९५८ के बीच १,८२२ नये डाकघर स्थापित किए गए। प्रथम योजनाकाल में १६,७१२ डाकघर स्थापित किए गए तथा द्वितीय योजनाकाल में २०,००० डाकघर और स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

चलते-फिरते शहरी डाकघर

शहरों में चलते-फिरते डाकघरों की योजना बलरत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास में चालू है। सामान्य डाकघरों के बन्द होने के बाद ये चलते-फिरते डाकघर, निर्धारित समय पर नगर के विभिन्न मुहल्लों में चक्कर लगाते हैं। इन डाकघरों से मनोपार्श्वर संचार नहीं किए जाने और न सेविंग बैंक का काम होता है।

हवाई डाक

देश में बलरत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास जंमे मुख्य नगरों के बीच 'अन्तर्राष्ट्रीय पत्र हवाई डाक सेवा' का काम चालू है। एक अन्य विशेष योजना के अनुसार

सभी अन्तर्देशीय पत्र तथा फार्ड आदि बिना किसी अतिरिक्त वायु-अधिभार के सामान्यतः विमान द्वारा लाए-ले जाए जाते हैं।

अबन, अफगानिस्तान, अमेरिका, आयरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनेशिया, इथियोपिया, ईराक, ईरान, कनाडा, घाना, चेकोस्लोवाकिया, जंबोबार, जर्मनी (लोकतन्त्र-त्मक गणराज्य), जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, डेन्मार्क, यार्डलैण्ड, दक्षिण रोडे-शिया, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, पूर्व अफ्रीका (केनिया, टंगेनिका तथा यूगाण्डा), फ्रांस, फिजी, बर्मा, ब्रिटेन, बेल्जियम, बेहरोन, मलय, मॉरीशस, मिस्र, श्रीलंका, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन, सूडान, हांगकांग तथा हालैण्ड और भारत के बीच सीधी विमान-यात्रा सेवाएं चालू हैं।

डाक बचत अधिकोप (पोस्टल सेविंग्स बैंक)

बचत का धन जमा कराने की सुविधाएँ देश के अधिकांश डाकघरों में उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक १५,००० रुपये तथा दो अथवा उससे अधिक व्यक्ति मिल-जुल कर अधिक से अधिक ३०,००० रुपये इस खाते में जमा करा सकते हैं। व्यक्तियों द्वारा अकेले तथा मिलजुल कर बचत खाते में जमा कराए गए धन के सम्बन्ध में क्रमशः १०,००० रुपये तथा २०,००० रुपये पर प्रति वर्ष २½ प्रतिशत व्याज मिलता है और इससे प्राप्ति की राशि पर प्रति वर्ष २ प्रतिशत।

सेविंग्स बैंक का काम करने वाले सभी डाकघरों से सप्ताह में दो बार में अधिक से अधिक १,००० रुपये निकाले जा सकते हैं।

डाक बीमा

१९५७-५८ में डाक-तार विभाग के अर्सेनिक डाक बीमा विभाग में १.५२ करोड़ रुपये के मूल्य के नये ७,८४३ बीमा कराए गए। इसी अवधि में अर्सेनिक डाक बीमा विभाग में ५८ लाख रुपये के मूल्य के नये ६०२ बीमा कराए गए। १९५७-५८ तक २८.५७ करोड़ रुपये के मूल्य के कुल १,३६,५३६ अर्सेनिक डाक बीमा तथा ५.४६ करोड़ रुपये के मूल्य के कुल ८,३३६ सैनिक डाक बीमा हुए हुए थे।

१९५७-५८ में अर्सेनिक डाक बीमा विभाग तथा सैनिक डाक बीमा विभाग की प्रीमियम से क्रमशः १,२३,८४,००० रुपये तथा २६,८१,००० रुपये की प्राप्ति हुई और इन विभागों ने क्रमशः १२,३५,००० रुपये तथा ३६,००० रुपये व्यय किए।

तार सेवा

१९५७-५८ में देश में कुल १०,७२३ तारघर थे जिनमें लाइसेंस-प्राप्त तारघर भी सम्मिलित थे। इन तारघरों के द्वारा ३.३२ करोड़ तारों का एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच आदान-प्रदान हुआ तथा इन वर्ष तारघरों की कुल ८.२० करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। इन वर्ष के कुल तारों में से २.२७ लाख तार समाचारपत्र सम्बन्धी तार थे।

१ अप्रैल, १९५८ तथा ३० दिसम्बर, १९५८ के बीच देश में १६३ नये तारघर लोते गए। इसी अवधि में तार-प्रणाली के सन्देश-वाहक तारों की सम्बाई भी ३,१०,११० मोल के बड़ाकर ३,५८,०१० मोल कर दी गई।

बम्बई में स्थापित 'टैप रिसे एक्सचेंज' और २३ केन्द्रों के बीच सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार सन्देश, गन्तव्य केन्द्रों को अपने-आप ही पहुँचा दिए जाने हैं। ये केन्द्र पुनः बटन प्रणाली द्वारा एक्सचेंज से सम्बद्ध रहते हैं।

हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तार

देश में हिन्दी में तार देने की व्यवस्था इस समय लगभग १,४०० तारघरों (५० रेत तार पर सहित) में उपलब्ध है। ११ स्थानों में हिन्दी की मोसल प्रणाली का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा चुकी है जिसके परिणामस्वरूप अब तक २,४०० व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

तार मिली भी भारतीय भाषा में दिए जा सकते हैं बशर्ते कि ये तार देवनागरी लिपि में लिखे हुए हों। इसके अतिरिक्त हिन्दी में तार देने के सम्बन्ध में निम्न सुविधाओं की भी व्यवस्था है : (१) बघाई सम्बन्धी तार, (२) संकटकालीन तार, (३) स्थानीय तार, (४) जहाँ फोनोग्राम की व्यवस्था हो, वहाँ फोनोग्राम द्वारा हिन्दी में तार, (५) तार द्वारा मनीऑर्डर तथा (६) टियामती दरों पर तार के संक्षिप्त पत्तों का पंजीयन।

हिन्दी में दिए जाने वाले तारों की संख्या दिन प्रति दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। १९५७-५८ में हिन्दी में ८६,२०२ तार दिए गए।

टेलीफोन सेवा

१९५७-५८ में देश में ३,३५,००० टेलीफोन लगे हुए थे। इनके अतिरिक्त देश में ६,५५७ टेलीफोन-एक्सचेंज भी थे। इस वर्ष २.३१ करोड़ टुंक-बॉल की गई तथा टेलीफोन से १८.४० करोड़ रुपये की आय हुई।

१ अप्रैल, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक के समय में अधिक दूरी के स्थानों को टेलीफोन करने के लिए १५१ सार्वजनिक टेलीफोनघरों तथा २६,००० अतिरिक्त टेलीफोनों की व्यवस्था की गई। १९५८ के अन्त में टेलीफोन के तारों की सम्बाई २,६१,८०० मोल थी।

'टेलीफोन के मालिक बनो' योजना

एए योजना इस समय अहमदाबाद, बलकसा (बैंगल बेलूरपुर और भीरामपुर एक्सचेंज क्षेत्रों में) नयी दिल्ली, बम्बई ('२४' तथा '२६' एक्सचेंज क्षेत्रों की छोड़कर) तथा बहाल (बिलपौर, माउण्ट रोड तथा मीलापुर एक्सचेंज क्षेत्रों की छोड़कर) में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक ३३,००० से अधिक बनेबान दिए जा चुके हैं।

सन्देश दर प्रणाली

इस प्रणाली के अन्तर्गत टेलीफोन रखने वाले व्यक्ति को निर्धारित मासिक टुंक के अलावा प्रत्येक कॉल के लिए भी शुल्क देना होता है। यह प्रणाली ८० एक्सचेंजों में लागू है।

टेलीफोन उद्योग

१९५७-५८ में बंगलोर के 'भारतीय टेलीफोन उद्योग (प्राइवेट) लिमिटेड' में ६०,२४१ टेलीफोनो; ४९,३०५ एक्सचेंज लाइनों; २४६ छोटे एक्सचेंजों (८,००५ लाइन); ३१ एक-तारवाहक प्रणालियों; ५२ तीन-तारवाहक प्रणालियों तथा २ बार-तारवाहक प्रणालियों के निर्माण के अतिरिक्त कई छोटे पुर्जों का भी निर्माण हुआ।

समुद्रपार संचार-साधन

१ जनवरी, १९५७ को राष्ट्रीयकृत 'समुद्रपार संचार सेवा' के अन्तर्गत इस समय ५७ प्रत्यक्ष रेडियो सेवाओं का संचालन होता है। इनके द्वारा भारत विदेशों के साथ जुड़ा हुआ है। गत ७ वर्षों में इस सेवा के अन्तर्गत १.६० करोड़ तार विदेशों को भेजे तथा विदेशों से प्राप्त किए गए। अर्सेनिक उड्डयन कम्पनियों को ४ अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो-यू-मुद्रक प्रणालियाँ पट्टे पर दी गईं।

रेडियो-टेलीफोन सेवा

भारत और अदन, आस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनीशिया, इथियोपिया, ईरान, चीन, जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, पूर्वी अफ्रीका, पोलैण्ड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, बेहरीन, मलय, मिन्न, वियतनाम (दक्षिण), सऊदी अरब, स्विट्जरलैण्ड, सोवियत रूस तथा हांगकांग के बीच प्रत्यक्ष रेडियो-टेलीफोन सेवाओं की व्यवस्था है।

अमेरिका, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, अइसलैण्ड, आयरिश गणराज्य, आस्ट्रिया, इवरादल, यूगो, कनाडा, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, चेकोस्लोवाकिया, जिब्राल्टर, ट्यूनिशिया, टंजियर, डेन्मार्क, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका, न्यूफाउण्डलैण्ड, नार्वे, निकारागुआ, नीदरलैण्ड, पनामा, फिनलैण्ड, बरमूडा, चारवडोस, ब्राजील, बेल्जियम, मेक्सिको, मूडान, हंगरी, हवाई तथा होण्डुरास और भारत के बीच सन्धन के द्वारा रेडियो-टेलीफोन सेवाएँ उपलब्ध हैं।

काहिरा के द्वारा मूडान, आस्ट्रेलिया के द्वारा न्यूजीलैण्ड, इथियोपिया के द्वारा अस्मारा, बर्मा के द्वारा मूपोस्लाविया और बेहरीन के द्वारा कुवैत, बोहा तथा मस्कत और भारत के बीच भी रेडियो टेलीफोन सेवाएँ उपलब्ध हैं। समुद्र में चल रहे ३५ अंतर्राष्ट्रीय रेडियो-टेलीफोन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।

रेडियो-टेलीफोन सेवा

भारत और अफगानिस्तान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनीशिया, ईरान, चीन, जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, फाइलैण्ड, पोलैण्ड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, मिन्न, यूरो-स्लाविया, वियतनाम (उत्तर), स्विट्जरलैण्ड तथा सोवियत रूस के बीच रेडियो-टेलीफोन सेवाओं की व्यवस्था है।

रेडियो-फोटो सेवा

भारत और अमेरिका, चीन, जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, पोलैण्ड, फ्रांस, ब्रिटेन तथा सोवियत रूस के बीच प्रत्यक्ष रेडियो-फोटो सेवाएँ चालू हैं। भारत से लन्दन के द्वारा आस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, घाना, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी डेन्मार्क, दक्षिण अफ्रीका, नार्वे, पुर्तगाल, फिनलैण्ड, बेल्जियम, मिस्र, यूगोस्लाविया, यूनान, स्विट्जरलैण्ड तथा स्वीडन को भी फोटो भेजने की सुविधाएँ हैं।

एक अन्य सेवा द्वारा विदेश-स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों को उनके लाभ के लिए भारत सरकार की ओर से और भारत के बाहर विभिन्न क्षेत्रों को कुछ समाचारपत्र समितियों की ओर से समाचार भेजे जाते हैं।

उत्पादन-शमता

शाम

भारत की सर्व-उत्पत्तियों के संश्लेषण संबंध में सबसे अधिक मजदूर शक्तियों में काम करने हैं। १९५७ में जापानियों में प्रतिदिन औसतन १०,८३,८८६ मजदूर काम करते थे। १९५४ के आरंभों के अनुसार जापानियों में प्रतिदिन औसतन १३,१३,६३६ मजदूर काम पर लगे हुए थे। १९५७-५८ में देली में प्रतिदिन १३,१३,०३६ मजदूर काम करते थे। १९५६ में लार्डों में प्रतिदिन ६,०८,५८० मजदूर और बयाराम तथा लोदीयों की मदद काम पर लगे हुए थे।

१९५७ में जापानियों में प्रतिदिन काम करने वाले मजदूरों की औसत संख्या सबसे अधिक वर्ग (६,६५,५५८) तथा परिवहन बंगाल (६,५६,५३२) में थी।

जापान, १९५८ में बीजिंग लार्डों में प्रतिदिन औसतन ३,५६,६६१ मजदूर तथा मध्यप्रदेश, १९५८ में सूती वस्त्र उद्योग में प्रतिदिन औसतन ३,६८,५०६ मजदूर काम करते रहे। सूती वस्त्र उद्योग में कुल ८,६०,६१३ मजदूर काम करते रहे।

उत्पादन-शमता

मजदूरों की उत्पादन-शमता के सम्बन्ध में अध्ययन का कार्य भारत में कुछ समय पूर्व ही आरम्भ हुआ। १९५५ में प्रकाशित ताम्बकान्धी अध्ययन के परिणाम के अनुसार निम्न बातों का पता चलता :

- (१) बीजिंग लार्ड उद्योग १९५१-१९५४ तक के वर्षों में दैनिकी तथा सप्ताह करने वालों की उत्पादन-शमता में सामान्यतः ०.०७६ प्रतिशत प्रति मास की वृद्धि हुई;
- (२) कापड़ उद्योग—१९४८-१९५३ में मजदूरों की औसत आय में तो वृद्धि हुई, किन्तु उत्पादन-शमता में कोई वृद्धि नहीं हुई;
- (३) पटसन वस्त्र उद्योग—१९४८-१९५३ तक के वर्षों में उत्पादन-शमता में २.६ प्रतिशत प्रति वर्ष तथा आय में ३.७ प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई; तथा
- (४) सूती वस्त्र उद्योग—१९४८-१९५३ तक के वर्षों में उत्पादन-शमता तथा आय में प्रति वर्ष क्रमशः २.२८ प्रतिशत तथा १.१४ प्रतिशत की वृद्धि हुई

१९५४ में काम करने वाले मजदूरों की उत्पादन-शमता तथा वास्तविक आय में सूचकांक (आधार वर्ष : १९३६ = १००) क्रमशः ११३.० तथा १०२.७ थे।

श्रम कार्यालय ने वार्षिक उद्योग गणना के आधार पर चुने हुए निम्न ६ उद्योगों की उत्पादन-क्षमता के सूचनाओं का संग्रह करने का कार्य प्रारम्भ किया : पटसन वस्त्र, लोहा तथा इस्पात, चीनी, सूती वस्त्र, चाँच, सीमेण्ट, कागज, दियासलाई तथा जूती वस्त्र ।

राष्ट्रीय नियोजन सेवा

१९४५ में प्रारम्भ हुई नियोजन सेवा के अन्तर्गत देश भर में नियोजन केन्द्र चुने हुए हैं जिनमें प्रशिक्षित कर्मचारी काम करते हैं । सेवा नियोजन केन्द्र रोजगार चाहने वाले सभी वर्गों के लोगों को काम प्राप्त करने में सहायता देते हैं । ये विस्थापित व्यक्तियों, प्रवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारियों और अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के लोगों को काम दिलाने के लिए भी विशेष रूप से उत्तरदायी है ।

नवम्बर, १९५८ के अन्त में देश में २११ सेवा नियोजन केन्द्र थे । नवम्बर, १९५८ तक सेवा नियोजन केन्द्रों द्वारा २१,३५,११३ व्यक्तियों का नाम पंजीकृत किया गया; २,३१,६८५ प्राथियों को काम दिलाया गया तथा ३,३४,२६४ रिक्त स्थानों की सूचना प्राप्त की गई । नवम्बर, १९५८ के अन्त में सेवा नियोजन केन्द्रों के पास ११,५६,०३१ प्राथियों के प्रार्थनापत्र थे तथा ६४,६८७ रिक्त स्थानों पर नियुक्तियाँ की गई ।

सेवा नियोजन केन्द्रों के दैनिक प्रशासनिक नियन्त्रण का कार्य १ नवम्बर, १९५६ से राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया गया । केन्द्रीय सरकार नीति तैयार करने, प्रशिक्षण तथा मानकों में समन्वय स्थापित करने तथा आवेदकता पत्रों पर सहायता देने का ही कार्य करती है ।

कई ऐसी योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है जिनके अनुसार सेवा नियोजन केन्द्र वार्षिक वार्षिक सेवा की व्यवस्था कर सकेंगे तथा उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार हो जाएगा ।

कारिगरी की प्रशिक्षण

कारिगरी की प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत देश में १०० में अधिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं ।

द्वितीय योजनाकाल में 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना' तथा 'कोषाधिक गजदूर प्रशिक्षण योजना' (सम्बन्धित वर्ग) कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

व्यावसायिक प्रशिक्षण में समन्वय स्थापित करने, एकसार मानक निर्धारित करने, प्रशिक्षण नीति विषयक प्रश्नों पर भारत सरकार को परामर्श देने तथा कारिगरी को उनकी कार्यक्षमता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रमाणपत्र देने के लिए एक 'राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्' स्थापित की गई है ।

गजदूरी तथा धाय

१९५७ के आँकड़ों के अनुसार ६०० रुपये प्रति धाय से कम गजदूरी देने वाले गजदूरी की योजना वार्षिक धाय सबसे अधिक लगभग (१,८०,३६० रुपये) तथा धायों में (१,४६,१४० रुपये) की और सबसे कम उड़ीया में (६५६८० रुपये) ।

वारतविक प्राय

१९५६ में मजदूरों की वारतविक प्राय के सूचनांक (१९५७=१००) इस प्रकार
धे : प्राय का सामान्य सूचनांक १६३, प्रतिल भारत मजदूर उपभोक्ता मूल्य सूचनांक
१२१ तथा वारतविक प्राय का सूचनांक १३५ ।

श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचनांक

१९५७ में कुछ औद्योगिक केन्द्रों के सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचनांक (प्राय व
१९५६=१००) इस प्रकार धे : प्रहमबाबाद १०५, एरणाकुलम १११, कानपुर १
कोत्तार ददणं एाने १२०, जलगाव १०५, नागपुर ११२, बंगलोर १२६, बर्मई १
मद्रास ११६, मंगूर १२०, मोलापुर ११३, हैबराबाद १२४ तथा गिबूर ११२ ।

धम बापातय के अनुसार १९५७ में निम्न औद्योगिक केन्द्रों के मजदूरों के त

उपभोक्ता मूल्य सूचनांक (प्राय वषं : १९५६=१००) धे : प्रजमेर ६६, प्ररोपा ६६,
बटक ११०, गङ्गपुर १०६, गोहाटी १०३, जयलपुर १०७, जमशेदपुर ११५, भरिया ६६,
निनगुगिया ११०, शिली ११६, देहरी-मोन-मोन १००, ग्वावर ६५, परहामपुर १००,
बापात केन्द्र १००, भोपात १०१, मरकारा ११४, मंगेर ६६, सुधियाला ६६, तता ६६
तथा गिबूर १०५ ।

मजदूरी का नियमन

मजदूरी के नियमन की व्यवस्था १९३६ के 'मजदूरी-भुगतान अधिनियम' तथा
१९४० के 'मूननम मजदूरी अधिनियम' के अनुसार होती है । पहला अधिनियम मजदूरों
वर्गों काय को लोड़ कर मीय सम्पूर्ण भारत के लिए तथा शिली भी बागलानों में एव
बाने को व्यवहियों के लिए लागू होता है ।

'मूननम मजदूरी' अधिनियम' में व्यवस्थित सरकार को मजदूरी में वलित उद्योगों
वर्गों को देव मजदूरी को मूननम दर निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है
१९५७ के एक संशोधन के अनुसार सभी प्रकार के मजदूरों को जिनमें कृषि-मजदूर भी लल
गिन होते, १९५१ के एक मर इम अधिनियम के अन्तर्गत में धाने का उद्देश्य रला मर ।

'मजदूरी मरगण' उचित मजदूरी के अन्तर्गत मर मजदूरों को दर निर्धारित करने
को अरल, केन्द्रीय सरकार को मरगणों पर मरगण' के निर्लन धरंन उरगण
की मरगण करने को निर्धारित करने के लिए 'धमश्रीरी परकार केन मरगण' के निर्लन धरंन उरगण
को लई । मूनने काय कोल्ल मर कोरी उद्योगों के लिए भी केन्द्रीय मजदूरी
व्यवस्था लिए जा लई है ।

मजदूरी मरगण की दर

इस कोल्ल का उद्देश्य धरं बागलानों, बानों तथा बगलानों व काय कांई धरं
मजदूरों को मजदूरों को ली मरगण उरगण के धरंनो का मरगण काय है ।

कोयला खान अधिस्वाभोग (खानम) योजना

'कोयला खान निर्वाह-निधि तथा अधिस्वाभोग योजना अधिनियम, १९४८' के अधीन खानों की गई 'कोयला खान अधिस्वाभोग योजनाएं' असम, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की कोयला खानों में लागू हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत असम के मजदूरों को छोड़ कर शेष सभी कोयला खान-मजदूरों को अधिस्वाभोग के रूप में उनकी मूल धार की एक-तिहाई राशि प्राप्त करने का अधिकार है। असम में अधिस्वाभोग, सप्ताह तथा तिमाही के हिसाब से दिया जाता है।

औद्योगिक सम्बन्ध

औद्योगिक विवाद

जुलै, १९४८ तक देश में ६७० औद्योगिक विवाद उठे जिनमें ५६२ लाख मजदूर सम्बन्धित थे और जिनके कारण ५३.६१ लाख मानव-दिनों की हानि हुई।

औद्योगिक रोजगार सम्बन्धी स्थायी आदेश

१९४६ के 'औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम' के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ नियम बनाए जिनमें १०० अथवा उनसे अधिक मजदूर काम करते थे। यह अधिनियम पश्चिम बंगाल तथा बम्बई के उन सभी औद्योगिक संस्थानों के लिए लागू कर दिया गया है जिनमें से प्रत्येक में ५० अथवा उनसे अधिक मजदूर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अधिनियम उत्तरी भारत के कारखाना-मालिक संघ, उत्तर प्रदेश तैल मिल-मालिक संघ, विजली-कम्पनियों तथा सभी बाँच उद्योगों के लिए लागू कर दिया है।

त्रिदलीय तन्त्र

केन्द्रीय तन्त्र में मुख्यतः भारतीय धम सम्मेलन, स्थायी धम समिति, औद्योगिक समितियाँ तथा कुछ अन्य समितियाँ आती हैं। १९४८ में इन संस्थाओं के वार्षिक अधिवेशन में उद्योग सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसी वर्ष, खान (कोयला खानों को छोड़कर) तथा पटखान औद्योगिक समितियों की बैठक पहली बार हुई।

समझौता तन्त्र

केन्द्र के क्षेत्र में खाने वाली औद्योगिक संस्थाओं में औद्योगिक सम्बन्ध के प्रसारण के कार्य का उत्तरदायित्व मुख्य धम आयुक्त पर है। इसकी सहायता के लिए एक संगठन स्थापित किया जा चुका है जिनमें प्रादेशिक धम आयुक्त, समझौता अधिकारी तथा धम निरीक्षक होते हैं। इसी प्रकार राज्य सरकारों के भी अपने-अपने समझौता तन्त्र हैं जिनके प्रधान अधिकारी 'धम आयुक्त' होते हैं।

प्रधिनिर्णयन (एड्युटिनेशन) तन्त्र

शैक्षणिक विचारों के अधिनिर्णयन के लिए भारत में जो तन्त्र है, उसके धर्म न्यायालय, न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण धारण हैं। इन सबके प्रवर्तन-प्रवर्तन प्रधिकारक्षेत्र हैं।

उद्योगों के प्रवर्णन में मजदूरों का योग

भारतीय धर्म सम्मेलन में जुलाई, १९५७ में उद्योग-प्रवर्णन की विचारिणी पर विचार किया गया जिसने कुछ पद्धिनी देनी में इस योजना को कार्यान्वित करने की व्यवस्थाओं का प्रारम्भिक अध्ययन किया था। जनवरी-फरवरी, १९५८ में प्रायोगिक इसी प्रकार की एक अन्य मोटो में ऐसी परिवर्तन स्थापित करना स्वीकार किया गया। १६ शैक्षणिक संस्थाओं में इस योजना पर काम जारी है, जबकि अन्य २० संस्थाओं ने भी इसे परीक्षण के लिए अपना स्वीकार कर लिया है।

मजदूरों की शिक्षा

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, कारखाना-मालिकों के संगठनों तथा शिक्षाशास्त्री संगठनों के प्रतिनिधियों से युक्त 'केन्द्रीय मजदूर शिक्षा मण्डल' एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया। नवम्बर, १९५८ में ४३ अध्यापक-प्रशासकों के प्रशिक्षण का काम पूरा किया गया। इसके बाद कार्यकर्ता-अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन द्वारा मजदूरों को। द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक लगभग ४ साल मजदूरों को प्रशिक्षण दिए जाने की आशा है।

मजदूर संघ

पंजीकृत मजदूर संघ तथा उनके सदस्य

१९५६-५७ में १७३ केन्द्रीय मजदूर संघ तथा ८,१८० राष्ट्रीय मजदूर संघ जिनमें से सरकार को विवरणपत्र देने वाले मजदूर संघ क्रमशः १०२ तथा ४,२६७ विवरणपत्र देने वाले इन मजदूर संघों की सदस्य-संख्या क्रमशः १,८७,२६५ तथा २,१,८६,५६७ थी।

१९५७ में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (आई० एन० टी० यू० सी०) तथा हिन्दू मजदूर सभा से क्रमशः ६७२ तथा १३८ मजदूर संघ सम्बद्ध थे जिनकी सदस्य-संख्या क्रमशः ६,३४,३८५ तथा २,३३,६६० थी।

सामाजिक सुरक्षा

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८', की व्यवस्थाएँ ऐसे सभी कारखानों पर लागू होती हैं जो वारहों महीने चालू रहते हैं, जिनमें धिजली का उपयोग किया जाता है तथा २० अथवा उनसे अधिक मजदूर काम करते हैं। जिन क्षेत्रों में यह योजना लागू की

गई है उन क्षेत्रों के १३,५६,५०० व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं। १९५७-५८ के अन्त तक कर्मचारियों के अंशदान के रूप में ३.५२ करोड़ रुपये प्राप्त किए जा चुके थे। प्रथम, पंजाब, बिहार, मंसूर तथा राजस्थान में १९५८ में इस योजना के अधीन बीमा कराने वाले व्यक्तियों के परिवारों के लिए भी चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था की गई।

कर्मचारी निर्वाह-निधि

'कर्मचारी निर्वाह निधि अधिनियम, १९५२' उन सभी संस्थाओं पर लागू होता है जिनमें ५० या उनसे अधिक मजदूर काम करते हैं। उन सभी मजदूरों को जिनकी आय ५०० रुपये मासिक अथवा उससे कम है, अपनी ६१ प्रतिशत आय न्यूनतम अंशदान के रूप में देनी होती है। सितम्बर, १९५८ के अन्त में यह योजना ७,१८६ कारखानों में लागू थी जिनमें २६.५० लाख मजदूर काम करते थे। इन मजदूरों में से २४.०४ लाख मजदूरों ने इस निधि में १ अर्ब २१ करोड़ ५० लाख रुपये का योगदान दिया।

माला-रसान निर्वाह-निधि योजनाएँ

इन योजनाओं के अन्तर्गत मजदूरों को अपनी कुल आय का ६१ प्रतिशत भाग देने में लगाना होता है। अक्टूबर, १९५८ के अन्त में इस निधि की कुल सम्पत्तियाँ (मैट्र) १४ करोड़ रुपये से अधिक की थीं।

मजदूरों की क्षतिपूर्ति

'मजदूर क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३' में काम के समय में लगने वाली चोट, बार-बार काम करने के कारण उत्पन्न बीमारियों और इस प्रकार लगी चोट तथा बीमारी के स्वरूप होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की अदायगी की व्यवस्था की गई है। अधिनियम के अन्तर्गत ४०० रुपये मासिक तक की आय वाले कर्मचारी आते हैं।

मृत्यु लाभ

मानव्य लाभ की अदायगी के शिष्य में लगभग सभी राज्यों में कानून लागू हैं। ये राष्ट्रीय अधिनियम बनने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी निरन्तर कारखानों पर लागू होते हैं। इस सम्बन्ध में मानव्य लाभ के भुगतान का नियमन तीन केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत होता है।

श्रम कल्याण

१९५८ के 'कारखाना अधिनियम', १९५२ के 'लान अधिनियम' तथा १९५१ के 'कारखाना मजदूर अधिनियम' के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों के लिए स्वास्थ्य-सुविधाएँ, विद्युत्-सुविधाएँ, विधाम-सुविधाएँ, नहाने-घोने की सुविधाएँ, चिकित्सा महालय तथा कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अधिनियम

पाण योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था के सम्बन्ध में कई कानून बनाए और लागू जा चुके हैं।

।यला-खान श्रम-कल्याण निधि

इसके अधीन २ केन्द्रीय अस्पतालों, ६ प्रादेशिक अस्पताल तथा मातृ-शिशु कल्याण नदों, २ बालानों तथा २ क्षय-उपचारालयों की व्यवस्था है। मलेरिया-विरोधी कार्यक्रमों या बी० जी० जी० टीका आन्दोलन भी जारी हैं। इसकी ओर से प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों तथा नारी-कल्याण केंद्रों की भी व्यवस्था की जाती है।

एक सहायता-ऋण योजना के अधीन १,७५६ मकान बनाए गए तथा ३६४ मकानों का निर्माण हो रहा है। फोयला-खान-मजदूरों को १०,००० मकान दिए गए तथा २,४६४ मकानों का निर्माण आरम्भ किया गया। इस वर्ष इस निधि में, १,६४,६७,३५१ रुपये प्राप्त हुए और इस निधि में से सामान्य कल्याण-कार्यों पर ६०,५६,३५० रुपये तथा धावत पर १,५६,४०,६५० रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है।

अश्रक-खान श्रम-कल्याण निधि

इस निधि द्वारा अश्रक-खान-मजदूरों के लिए चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। करमा (बिहार) में एक अस्पताल खोला जा चुका है और कालिचेट्टु (आन्ध्र प्रदेश) तथा तीसरी (बिहार) में २ अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। एक अन्य अस्पताल गंगानगर (राजस्थान) में भी खोला जाएगा। १९५८-५९ में आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान को क्रमशः ३.१२ लाख रुपये, १२.४७ लाख रुपये तथा २.४३ लाख रुपये दिए गए।

वागान-मजदूर-कल्याण

१९५१ के 'वागान मजदूर अधिनियम' के अनुसार सभी वागानों के लिए यह प्रावश्यक कर दिया गया है कि वे अपने निवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था करें तथा अस्पताल अथवा बालानों खोलें।

केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक संस्थाओं की श्रम-कल्याण नियतियाँ

मजदूरों के लाभ के कल्याणकारी कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करने की दृष्टि से १९४६ में श्रम-कल्याण नियतियाँ लागू की गईं। औद्योगिक संस्थाओं के लिए 'श्रम कल्याण अधिनियम' लागू होते तक कल्याणकारी दण योजना के अधीन १९५८-५९ तक किया जाता रहेगा।

श्रम कल्याण केन्द्र

अधिकांश राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की सरकारों की ओर से कई कल्याण केन्द्रों की व्यवस्था है। ये केन्द्र मजदूरों तथा उनके बच्चों की मनोरंजन, शिक्षा तथा व्यवसाय सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की व्यवस्था करते हैं।

श्रीछोगिक आवास

सितम्बर, १९५२ में आरम्भ हुई 'सहायताप्राप्त श्रीछोगिक आवास योजना' में 'कारखाना अधिनियम, १९४८' द्वारा शासित श्रीछोगिक मजदूरों और कोपला तथा अन्नकान्तों के मजदूरों को छोड़कर 'एतान अधिनियम १९५२' के अन्तर्गत आने वाले अन्य एतान-मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऋण तथा सहायता देती है।

अक्टूबर, १९५८ के अन्त तक राज्य सरकारों, कारखाना-मालिकों तथा मजदूरों की सहकारी समितियों को ऋण के रूप में १५.६४ करोड़ रुपये तथा सहायता के रूप में १५.१२ करोड़ रुपये दिए गए और १,०३,६६० मकानों के लिए स्वीकृति दी गई। अगस्त १९५८ के अन्त तक लगभग ७७,००० मकान बनवाए जा चुके थे।

बागान-मजदूर आवास योजना

१९५१ के 'बागान मजदूर अधिनियम' के अनुसार प्रत्येक बागान-मालिक के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपने सभी मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था करे। द्वितीय योजना में ११,००० मकानों के निर्माण के लिए २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। १९५६-५७ में बागान-मालिकों को देने के लिए केरल सरकार ने १.५० लाख रुपये लिए और इसी कार्य के लिए मद्रास सरकार भी ८३,५०० रुपये ले चुकी है।

मोहनलाल हनु चौधरी	कृषि, महत्त्व-संयोजन, पशु-विकास तथा पशु-उत्पत्ति, संगठनीय मामले, बाह्य निर-न्वण तथा मिर्चाई (सा० नि० विभाग के अन्तर्गत) और सहकारिता
बिनियममन ए० संगमा	प्रादिमजातीय मामले, भूवना तथा प्रवार और परिग्रह
मन्त्री	
विष्णु देव शर्मा	सहकारिता और श्रम
दिगीन्द्र माधु शोशी	सांख्यिक निर्माणाकार्य और इशान्त शासन
साधुगिरि त्रिरोम	कृषि और कुटीर तथा सामोद्योग
शशिनाथ राम दास	निर्यात
गदीश शशिधर	
ए० धंगकुमार	सामुदायिक योजनाकार्य और परिवहन
पु लाल शशिधर	प्रादिमजातीय क्षेत्र, सुशासन और सामोद्योग
मनिल कुमार शोषे	सामोद्योग और प्रचार
	वन, योजना और विज्ञान

संयुक्त राज्य भारत (संयुक्त) (बाल्य)

	मंजूरित व्यय (₹)	बचत व्यय (₹)
तिरुवारूर, मीरजापुर तटवर्ष तथा मनी- सागरा कार्य (गुट)	०.००	०.००
द्वारा सेवार्थ	१२.२६	१०.०१
सामाजिक प्रशासन	११६.०४	१६२.००
सामाजिक कार्य तथा विविध सर्वेक्षण- गुपार (गुट)	१६०.००	१०६.४६
विविध (गुट)	१००.३५	२०१.०१
भवनस्थान और केंद्रित तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	८६२.६३	६०६.१३
सांसाध्यिक विद्यालय योजनाएं, राष्ट्रीय विचार सेवा तथा सामाजिक विद्यालयों	००.३८	००.५५
घातप्राप्त	५.००	०६.५१
सर्वयोग-राजस्वगत प्राप्ति	३,१६२.५८	३,२६५.०५
राजस्वगत व्यय	२६१.०३	३८०.६३
राजस्व पर प्रत्यक्ष मांग		६०.७४
तिरुवारूर, मीरजापुर, तटवर्ष तथा जतीरमा- रुच कार्य	७२.५६	८५.८२
श्रद्धा सेवार्थ (गुट)	८६.१२	१५५.७६
सामान्य प्रशासन	१०५.६१	२५.३०
न्याय प्रशासन	२३.६५	२५.००
जेल	२१.५५	२६१.५५
पुलिस	२६५.५५	२.६५
घन्यरगाह आदि	२.००	०.५८
सैज्ञानिक विभाग	०.२५	५५५.३२
शिक्षा	५०३.०२	१४६.२५
चिकित्सा	१०३.५३	१२०.५८
सार्वजनिक स्वास्थ्य	८८.२५	१६०.००
कृषि तथा मछलीपालन	१५६.७५	५६.०८
पशु-चिकित्सा	४१.५५	७२.६५
सहकारिता	५७.५२	

असम सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संग्रहित प्रावकलन १९५८-५९	बजट प्रावकलन १९५९-६०
उद्योग तथा उपलब्धि	७६.०५	९०.९५
विविध विभाग	९.८५	११.०३
प्रसैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	६२८.८७	५४१.११
विविध	२८९.२५	२४४.१७
प्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	१३२.३२	४४.०६
मंत्रयोग—राजस्वगत व्यय	२,९७०.४७	३,०५४.०१
राजस्वगत बचत (+) घाटा (-)	(+) १९२.११	(+) ३४१.०६

ग्रान्ध प्रदेश

प्रधान भाषा : तेलुगु

राजधानी : हैदराबाद

राज्यपाल : भीमसेन मन्चर

मन्त्रपरिषद्

मन्त्री

विभाग

एन० संजीव रेड्डी

मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन (अग्नि भारतीय

सेवाएँ सहित) उद्योग तथा वाणिज्य,

परिवहन और स्वास्थ्य तथा विविध

राजस्व, पंजीयन और भूमि-सुधार

शिपार्ड तथा विद्युत्, सार्वजनिक निर्माणकार्य,

राजपथ और सहायना तथा पुनर्वास

धर्म, स्थानीय प्रशासन और उन्माद इन्च

ज्वि, वन और पशुपालन

शिक्षा, समाज-कल्याण और कृषक तथा इन्फ

सहायिता और आवास

विविध, प्राचीनत्व श्यामान्य और जैन

वित्त और योजना

गृह

के० चेंबरलैण रेड्डी

गृह

के० बी० नरसिंह राव

डी० संजीवधर

पी० निम्म रेड्डी

एम० डी० पी० पट्टाभिरामराव

मैट्टरी नवाज अंग

डी० चेंबर रेड्डी नायडू

के० चण्डी रेड्डी

एम० नरसिंह राव

उड़ीसा

प्रधान भाषा : उड़िया

राजधानी : भुवनेश्वर

राज्यपाल : वार्ड० एन० मुत्तयंकर

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री

हरेकृष्ण मेहताय

राजेन्द्र नारायण सिंह देव

राधानाय रथ

विभाग

मुत्तयमन्त्री, गृह, शिक्षा, सामान्य प्रशासन,
राजस्व, उत्पाद शुल्क, भूमि-सुधार और
नयी राजधानी-प्रशासनवित्त, उद्योग तथा खनन, योजना, प्रादिम-
जाति तथा ग्राम कल्याण, स्वास्थ्य,
विधि, सामुदायिक विकास, वन, धर्म,
नदीघाटी विकास, निगरानी और
परदीप बन्दरगाहनिर्माणकार्य, उपलब्धि, परिवहन, कृषि, सह-
कारिता और वाणिज्य

उड़ीसा सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कान १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५६-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	२५७.८५	२५४.९५
निगम कर-भिन्न आय कर	२८६.६८	२९७.११
सम्पदा शुल्क	६.८८	६.८८
रेल किराया कर	१९.३८	१९.३८
लगान (शुद्ध)	२३९.७१	३२४.५८
राज्यीय उत्पाद शुल्क	११७.१४	९९.५७
टिकट	५५.२५	५७.०२

उड़ीसा सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्रावकलन १९५८-५९	बजट प्रावकलन १९५९-६०
घन	२५९.१५	२७३.६७
पंजीयन	१५.९०	१६.५०
मोटरगाड़ी कर	७३.९०	७०.८२
विक्रय कर	१९४.४९	२१५.५१
घन्य कर तथा शुल्क	१०.४१	३४.९१
सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- रण कार्य (शुद्ध)	(-) ४.८४	७.२५
श्रम सेवाएँ	४५.०७	४४.८४
घसैनिक प्रशासन	४१६.२४	५३६.४२
घसैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	३१.२६	४३.७१
विद्युत् योजनाएँ	५३.१८	५३.६०
विविध (शुद्ध)	११२.७३	१४१.०४
संशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३६८.४९	३७९.२९
सांसाधनिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य प्रसाधारण	११४.९१	१४१.७४
	४४.०१	४६.००
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	२,७१७.८१	३,०६४.९९
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	२४६.९९	२५८.५७
सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- रण कार्य	३७.९०	४६.३४
श्रम सेवाएँ (शुद्ध)	१७९.१५	२०८.५२
साधारण प्रशासन	२७५.२३	२४९.६८
व्याय प्रशासन	२९.७०	३०.७२
अन्य	२८.३३	३०.९०

उद्योगा सरकार का बजट (राजस्वगत) (तमना):

	मंनोगिन प्रावणगत १९५८-५९	बजट प्रावणगत १९५९-६०
पुतिगत	१०३.५२	१००.००
धन्वणगत धारि	०.१३	०.१५
धंनानिक विभाग	२९.५०	८६.२९
निधत	२३२.६१	३९८.८६
विश्रिता	९२.५०	३२०.११
सावंगनिक स्वास्थ	६५.११	८२.८३
कृषि	१०८.५१	१२३.२१
पशुपालन	५७.३८	६२.६०
सहकारिता	५१.७५	५१.८३
उद्योग तथा उपतगि	५२.०३	७२.७८
विधिय विभाग	१७२.२१	२२६.८५
धर्तनिक कार्य तथा विधिय सावंगनिक गुपार	२९२.०५	३०९.१०
विधिय	२०७.८७	२१९.०२
धतापारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रिय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	२२३.५८	३०२.६५
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	२,६३७.८५	३,०५८.३९
राजस्वगत बचत (+) घाटा (-)	(+) ७९.९६	(+) ६.३०

उत्तर प्रदेश

राजधानी : लखनऊ

प्रधान भाषा : हिन्दी

राज्यपाल : बी० बी० गिरि

मन्त्री

सम्पूर्णानन्द
हकुमसिंह बिसेन
गिरमारी शाल

मन्त्रपरिषद्

विभाग

मुख्यमन्त्री, सामान्य प्रशासन, योजना, उद्योग और धन
राजस्व, स्वास्थ्य, सहायता तथा पुनर्वास और न्याय
सावंगनिक निर्माणकार्य और सिंचाई तथा विद्युत्

संपद झलो जहोर
बमलापति त्रिपाठी
विविध नारायण शर्मा
मोहनलाल गौतम

वित्त और वन
गृह, शिक्षा, हरिजन-कल्याण और सूचना
स्वायत्त शासन
सहकारिता और कृषि

राज्य-मन्त्री

सीताराम
जगमोहन सिंह नेगी
लक्ष्मी रमण झाचार्य

उत्पाद शुल्क और परिवहन
खाद्य और भ्रष्टानिक उपलब्धि
समाज-सुरक्षा और समाज-कल्याण

पुमन्त्री

मुचतान झालम झा
बल्देवसिंह झायं
राम स्वरूप यादव
एच० एन० बहुगुना
महाबीर सिंह

योजना
स्वास्थ्य और सहायता तथा पुनर्वासि
स्वायत्त शासन
श्रम और भारी तथा लघु उद्योग
सार्वजनिक निर्माणकार्य

संघीय सचिव

कृपा शंकर
राजबिहारी सिंह
इन्दरया हुमेन
धर्मसिंह

मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध
मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध
गृह, शिक्षा, हरिजन-कल्याण और सूचना
मन्त्री से सम्बद्ध
राजस्थ मन्त्री से सम्बद्ध

उत्तर प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत)

(साल लगे में)

	संशोधित प्रावधान १९५८-५९	बजट प्रावधान १९५९-६०
राजस्वगत आयियाँ		
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	१,२२१.६६	१,०१६.०६
निगम कर-भिन्न आय कर	१,२०७.०६	१,२६६.२२
संपदा शुल्क	३६.६२	३६.६२
रेम विराया कर	२०६.३०	२०६.३०
समान (एड)	१,८५१.६६	२,५३१.०३

उत्तर प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संगोषित प्रावृत्तन १९५८-५९	बजट प्रावृत्तन १९५६-६०
राज्यीय उत्पाव शुल्क	५३१.२३	५४१.७३
टिकट	३१५.००	३५५.००
वन	५१५.४५	५२१.२१
पंजीयन	७१.०५	६५.३९
मोटरगाड़ी कर	१७०.००	२०६.००
विविध कर	—	६६५.००
अन्य कर तथा शुल्क	१,५२६.८५	८०७.५३
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- रण कार्य (शुद्ध)	२३९.७२	२७४.७३
श्रृण सेवाएँ	८५.०२	३३३.८१
असैनिक प्रशासन	१,६६४.८४	१,८९९.४८
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	१६७.३९	२०३.३२
विद्युत् योजनाएँ	८२.५३	—
विविध शुद्ध	३१७.११	३०१.३५
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	०.२३	०.२३
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य प्रसाधारण	३४४.५९	३१८.५६
	३७९.३४	५२९.२३
	११,०३१.५४	११,९६०.७७
सर्वधोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ		
राजस्वगत व्यय	१,०९८.४०	१,२३६.७६
राजस्व पर प्रत्यक्ष मौग		५४५.१६
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- रण कार्य	५११.४६	१,३२९.९३
श्रृण सेवाएँ (शुद्ध)	८२३.३७	७२७.२६
सामान्य प्रशासन	६९९.२४	

उत्तर प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमगत)

	संशोधित प्रावकलन १९५८-५९	बजट प्रावकलन १९५९-६०
न्याय प्रशासन	१७५.६७	१८१.५०
जेल	१५१.३३	१४७.४४
पुलिस	९००.६४	९४१.९०
सैनिक विभाग	६.४३	१३.७८
शिक्षा	१,५७४.८३	१,६२३.८२
विविधता	३८०.०८	४३७.२८
सार्वजनिक स्वास्थ्य	२०८.८६	२३३.३०
कृषि तथा ग्राम विकास	३५४.८४	३५८.६८
पशुपालन	१७४.७०	१८७.३७
सहकारिता	१३२.६९	१५४.३८
उद्योग	५२५.९४	५३६.०१
विविध विभाग	६३२.९४	७०५.०५
धार्मिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	५११.६१	५४०.९७
विद्युत् योजनाएं	३२०.०९	३०१.७५
विविध	१,००७.८४	१,२६०.१८
प्रशासन (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	८७७.३७	८८४.८२
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	११,०६८.३३	१२,१४७.३६
राजस्वगत बचन (+) घाटा (-)	(-) २६.७९	(-) १८६.५७

प्रधान भाषा : मलयालम

राज्यपाल : वी० रामकृष्ण राव

मन्त्रिपरिषद्

विभाग

मन्त्री

ई० एम० एत० नम्बूदिरिपाद

मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, संगठन, योजना, सामुदायिक विकास और ग्रन्थ विभाग
वित्त, योग, वाणिज्यीय कर, कुवि-धाय कर, इडि
और पशुपालन

सी० अच्युत मेनन

खाद्य, प्रसंनिक उपलब्धि और वन
उद्योग, खनन तथा भूगर्भ, सीमेण्ट, लोहा तथा
इस्पात और वाणिज्य

के० सी० जॉर्ज

के० पी० गोपालन

परिवहन, भ्रम, नगरपालिका, हथकरघा तथा
नारियल जटा, औद्योगिक भावास और खेत
तथा खेलकूद संस्थाएँ

टी० वी० तोमस

स्वायत्त शासन, पिछड़ी जाति-विकास, पंचायत
तथा जिला मण्डल और पुनर्वास तथा बस्ती

पी० के० चातन

राजस्व, लगान, उत्पाद शुल्क तथा मछलियाँ,
पंजीयन और देवस्थान तथा धर्मार्थ दान

के० धार० गौरी, श्रीमती

सार्वजनिक निर्माणकार्य, भवन, संचार-साधन,
बन्दरगाह, रेल, सूचना, प्रचार और पर्यटन

टी० ए० मजीद

शिक्षा, सहकारिता, मछलीपालन, पालेखन तथा
मुद्रण सामग्री, संप्रहालय तथा विज्ञापन और

जोसेफ मुण्डसैरी

पुरातत्त्व

ए० धार० मेनन

रसायन सेवाएँ और आयुर्वेद

पी० धार० कृष्ण अम्बर

विधान, धुनाव, न्याय तथा व्यवस्था, प्रसंनिक तथा
दण्ड-न्याय प्रशासन, जेल, तिर्वाई और विद्व

केरल सरकार का बजट (राजस्वगत)

(ताब रुपयों में)

	संगोपित प्रावकलन १९५८-५९	बजट प्रावकलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	२४४.०८	२४१.४२
नियम कर-भिन्न घाय कर	४३०.९१	४४८.८५
सम्पदा शुल्क	८.३८	७.४४
लि किराया कर	१९.७१	१९.७१
समान (गुड)	१६३.५७	१६७.४६
राज्यीय उत्पाद शुल्क	२१९.७४	२१६.८७
टिक्ट	१२१.८५	१२७.८६
वन	३२१.२०	३२३.००
संजीवन	३३.५७	३३.५७
मोटरगाड़ी कर	१६५.८५	१७४.८८
विक्रय कर	५३५.८०	६००.००
अन्य कर तथा शुल्क	१५.३५	१८.६१
निर्वाह, नौसैन्यन, तटवन्ध तथा जलतोत्ता- रस कार्य (गुड)	५.५६	९.०४
शरा मेवार्थ	१३२.३७	१२५.४३
सर्वजनिक प्रशासन	५९०.५६	६९७.३८
सर्वजनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (गुड)	१००.४८	१२२.१८
विविध (गुड)	२०५.८२	२२७.७४
संभारान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	१७५.५४	१७५.३५
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य प्रशासन	६१.२० ०.८०	५९.१८ ५०.८०
कुल—राजस्वगत प्राप्तियाँ	३,५५२.३४	३,८५६.७७

केरल सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राश्कलन १९५८-५९	बजट प्राश्कलन १९५६-६०
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष मांग	२७३.५५	२९९.५१
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	५८.३३	७५.७२
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	१५३.१६	१५७.६६
सामान्य प्रशासन	१३७.६१	१४८.४०
न्याय प्रशासन	८२.३५	८७.८६
जेल	२७.५७	३१.७७
पुलिस	१९३.५०	२०३.४३
वैज्ञानिक विभाग	४.८२	४.८८
शिक्षा	१,२४७.९५	१,३०१.६६
चिकित्सा	२५६.१९	२९८.६४
सार्वजनिक स्वास्थ्य	११८.४४	१५८.२७
कृषि तथा ग्राम विकास	१५५.७७	१६१.२८
पशुपालन	२०.५६	२६.७५
सहकारिता	१८.१२	२५.३६
उद्योग तथा उपलब्धि	५८.६२	७५.२४
विविध विभाग	१६८.५७	१७०.५९
प्रसंगिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार निधि	२३२.४१	३०३.०३
	२७१.१७	२७५.३५
धनसाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	१०२.६८	११९.२४
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	३,५८१.३७	३,९२४.५४
राजस्वगत वचत (+) घाटा (-)	(-) २९.०३	(-) ७७.७७

शमसुदीन

कृषि तथा बागवानी, देहान सुधार (सा तथा रा० वि० से०), पशुपालन, तथा पशु नस्ल-सुधार (दुग्ध सहित), सहकारिता और खेत

राज्य-मन्त्री

हरचंसे सिंह झाडाव

शिक्षा, पुस्तकालय, शोध तथा प्रकाशन
राष्ट्रीय संन्यनिसायी दल

गुलाम नबी थानी सोगमी

वन, धन्य-पशु संरक्षण मण्डीपालन और
स्वागत तथा तवादा

अब्दुल गनी खाली

साध, उपनस्थि तथा मूल्य नियन्त्रण, के
भण्डार और परिवहन

फुदाक बकुला

सहायी मामले

अमरनाथ शर्मा

स्वायत्त शासन

भगत छज्जूराम

समाज-कल्याण

जम्मू तथा कश्मीर सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	१०९.५३	१०८.४२
निगम कर-भिन्न धाय कर	८५.६५	८८.८४
लगान (शुद्ध)	६१.४०	६९.२४
राज्यीय उत्पाद शुल्क	२६.५०	३०.००
टिकट	१२.००	१२.५०
वन	२२८.२३	३०८.९७
पंजीयन	४.०६	४.१७
मोटरगाड़ी कर	७.६०	७.८०
विक्रय कर	१६.००	१९.५०
अन्य कर तथा शुल्क	५.००	९.५०
सिचार्ड, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	२०.२१	१६.५१

	१९६१-६२	१९६०-६१
सकाई खर्च	११.५३	११.३३
प्रसिद्धि प्रकाशन	५३.९३	६३.३३
प्रसिद्धि कार्य तथा लिखित कार्य-संबंधी प्रकाशन		
(ग्रंथ)	११३.००	१३१.६०
दिपिका (ग्रंथ)	३३.३३	३४.३३
देशीय सरकार से सहायता अनुदान	३००.००	३००.००
सांस्कृतिक विभाग की स्थापना के लिए, काशी		
विभाग की स्थापना तथा स्थानीय विभाग के लिए	१०.००	३१.३३
योग—सांस्कृतिक विभाग	१०९६.३३	१,०६९.३३
योग-अध्यय		
राज्य सरकार प्रत्यक्ष भोग	१०९.३३	१२५.६६
विद्यार्थी, शोधार्थी, छात्राध्यक्ष तथा अमीरता		
का कार्य	११.३३	६६.५६
कला शिक्षा (ग्रंथ)	११.५३	५६.६५
सामान्य प्रशासन	२.६६	—
सिखा-शरीरालय	१०.३३	१३.३३
अध्यय प्रशासन	५.६६	६.५६
अन्य	७०.६६	७७.६६
पुस्तक	०.५३	०.६६
सांस्कृतिक विभाग	१२६.००	१७५.००
शिक्षा	५५.६६	७२.६६
विक्रय	६.६६	६.६६
सांस्कृतिक स्थापना	१६.६६	२३.६६
कृषि	१५.६६	२३.६६
पशुपालन	५.६६	—
पुनर्वास	१३.३३	१५.६६
सहायता		

संस्थागत खर्च	१०००	१०००
संस्थागत खर्च का अंश (संस्थागत खर्च का अंश)	१०००	१०००
विविध	१०००	१०००
संस्थागत खर्च का अंश (संस्थागत खर्च का अंश)	१०००	१०००
विविध	१०००	१०००
संस्थागत खर्च का अंश (संस्थागत खर्च का अंश)	१०००	१०००
विविध	१०००	१०००
संस्थागत खर्च का अंश (संस्थागत खर्च का अंश)	१०००	१०००
विविध	१०००	१०००

संस्थागत

संस्थागत खर्च का अंश (संस्थागत खर्च का अंश) संस्थागत खर्च का अंश (संस्थागत खर्च का अंश)

संस्थागत खर्च का अंश (संस्थागत खर्च का अंश)

संस्थागत खर्च

संस्थागत खर्च	विवरण
संस्थागत खर्च का अंश	संस्थागत खर्च का अंश (संस्थागत खर्च का अंश) तथा अन्य खर्च, भ्रष्टाचार-उन्मुख संगठन तथा राजनीतिक चोटिका, सभाएं, बहस, अनुसंधान आदि का अंश
गोपीबन्धु भाग्य मोहनराज	वित्त, योजना, और सांख्यिकी उद्योग, प्रसंगिक उपकरण, स्थानीय विकास (संस्थागत खर्च का अंश), जल और अन्य तथा वैधानिक विभाग

करतार सिंह

कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, वन और
वन्य-पशु संरक्षण

मानसिंह राठोवाल

सिंचाई तथा विद्युत् और सामुदायिक
विकास

धरमनाथ विद्यालंकार

श्रम, शिक्षा, मुद्रण तथा आलेखन सामग्री
और भाषा

गुरबन्ता सिंह

विक्रिता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, पंचायत
और सहकारिता

बीरेन्द्र सिंह

राजस्व, सहायता तथा पुनर्वास, परिवहन
और खेत्कृद

सूराजमल

सार्वजनिक निर्माणकार्य, राजधानी योजना-
कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनि-
यरिंग और आवास

मन्त्री

महाबन्त राय

राजस्व मन्त्री और कृषि तथा वन मन्त्री से
सम्बद्ध : स्थानीय शासन, अनुसू-
चित जातियाँ तथा पिछड़े वर्ग और
हरिजन कल्याण

प्रधान और, धीमती

मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध : स्वास्थ्य, चिकित्सा
और समाज-कल्याण

हरबंस साल

बित्त, शिक्षा और श्रम मन्त्री से सम्बद्ध :
शिक्षा

बलबीर सिंह

मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध : सामुदायिक योजना-
कार्य और सिंचाई तथा विद्युत्

बनारसी दास

बित्त मन्त्री से सम्बद्ध : जेल, लाठ और
उपलब्धि

प्रनाथसिंह

मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध : पहाड़ी पिछड़े क्षेत्रों
तथा वन-विकास

संघीय सचिव

हंमराज शर्मा

प्रचार

पंजाब सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमनः)

	संशोधित प्रावधान १९५८-५९	बजट प्रावधान १९५९-६०
उत्पन्न व्यय		
राज्य पर अल्पसंख्यक भाग	३६५.६४	४६४.३६
मिर्बाई, नौबानयन, तटबन्ध तथा उद्योगोन्मूलन कार्य	१३८.०५	१५१.२६
शुल्क सेवारत (शुद्ध)	७६.१६	४४८.७७
समाप्त प्रणालय	३०३.२६	२९८.२५
अन्य प्रणालय	६६.८२	६७.०२
भूखण्ड	५१.३२	६३.२५
पूँज	४४७.५४	४६३.६९
संशुद्ध विभाग	१.९३	४.५५
विशेष	१,०१७.५२	१,१०९.६१
संशुद्ध विभाग	२०६.७२	२४९.१५
एडि	१००.७४	१२९.२५
संगठन	१०३.८९	१५८.६१
संशुद्ध विभाग	५७.४२	७१.८८
एडि	५९.९३	६३.९५
विशेष विभाग	६१.८०	८५.१४
संशुद्ध कार्य तथा विविध सांशुद्ध विभाग	१५.९८	४०.८१
विद्युत् योजनाएँ	८४५.११	६८६.३४
विशेष	४१.००	—
उपकरण (सांशुद्ध विभाग, राष्ट्रीय विभाग सेवा और स्थानीय विभाग कार्य के लिए)	५१५.६०	५७७.८२
	१७५.९६	१८६.७५
राज्य सरकार का कुल व्यय	४,६५१.३७	५,३२०.४६
राज्य सरकार का कुल व्यय (+) घाटा (-)	(+) ३८२.३९	(-) ३२.७९

मन्त्रिमण्डल

प्रधान भाषा : बंगला

राजधानी : बसुवता

राज्यपाल : श्रीमती पद्मजा नायडू

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री

विधानचन्द्र राय

पी० सी० रोन

ए० के० मुण्जर्जी

के० एन० दास मुन्त

बी० मजूमदार

एच० सी० नस्फर

आर० अहमद

के० मुखर्जी

आई० डी० जालान

एस० पी० बर्मन

अबुस्सत्तार

एच० एन० चौधरी

बी० सी० सिन्हा

राज्य-मन्त्री

ए० बी० राय

टी० के० घोष

पूरबी मुखर्जी, श्रीमती

उपमन्त्री

एम० बन्धोपाध्याय

एस० सी० आर० सिधा

विभाग

मुख्यमन्त्री, गृह (पुलिस तथा प्रतिरक्षा की
प्रोड कर), वित्त, विकास, कुटीर तथा
सभ्य उद्योग और सहकारितासाक्ष, सहायता, उपलब्धि और शरणार्थी
सहायता तथा पुनर्वास

सिचाई तथा जलमार्ग

निर्माणकार्य, भवन और आवास

आणव्य तथा उद्योग और आदिमजातीय
कल्याण

वन और मछलीपालन

कृषि और पशुपालन

गृह (पुलिस और प्रतिरक्षा)

स्थायित्त शासन, पंचायत और विधि

उत्पाद शुल्क

धम

शिक्षा

भूमि तथा लगान

स्वास्थ्य

विकास और शरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास
शरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास और

गृह (जेल)

कृषि, पशुपालन और वन
परिवहन

एम० के० ए० मिर्ता
 एम० एम० मिथ
 सी० राय
 मु० त्रिपाठन हक
 धार० प्रामाणिक
 एम० बनर्जी, धीमती
 सी० सी० महन्ती
 जे० कोले
 एन० गुरुंग
 टी० बांगडी
 ए० एम० नरहर
 ए० घोष

याजिज्य तथा उद्योग
 शिक्षा और स्वायत्त शासन तथा पंचायत
 सहकारिता और कुटीर तथा तपु उद्योग
 स्वास्थ्य
 सहायता और उपलब्धि
 शरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास
 खाद्य
 प्रचार तथा सार्वजनिक सम्बन्ध
 भ्रम
 आदिमजातीय कल्याण
 गृह (पुलिस)
 खाद्य सहायता और उपलब्धि

मन्त्रीय सचिव
 के० के० हेमचन्द्र
 एम० एन० मिह्देव
 एन० भाभी
 ए० चौधरी
 एम० मिर्षा

विक्रम और भ्रम
 स्वास्थ्य
 वन और मद्यनियन्त्रण
 विभाग
 सहायता

पश्चिम बंगाल सरकार का बजट (राज्य-व्यय)

(लाख रुपये में)

	राज्य-व्यय १९५८-५९	संघ-व्यय १९५७-५८
राज्यगत प्राणियों	५६३.०४	४००.०८
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	८३०.६०	८५७.०६
निगम कर-भिन्न छाया कर	३३.५७	३३.५७
सावकाश शुल्क	६८०.००	५८०.००
रेल विभाग का	६०७.५५	६६०.००
समान (सूट)	२१०.००	२१०.००
राज्यीय उत्पाद शुल्क	१००.००	१००.००
रिजर्व	१००.००	१००.००

विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त की गई (संग्रहित) (पत्रिका)

	संग्रहित प्राप्तकाल १९५६-५६	वर्ष प्राप्तकाल १९५६-५७
धन	१३७.२८	१६६.६१
संग्रहित	५६.५६	५६.५६
मोटोरगाड़ी कर	१५८.६३	१६३.६०
विशेष कर	१,३७०.०२	१,३७०.०२
अन्य कर तथा शुल्क	७७.७५	७७.७५
निष्ठाई, मोरानयन, तटवन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	६.२८	३३.५३
श्रद्धा सेवाएँ	७४.००	५६.८१
अर्थात् प्रशासन	६४०.०६	१,०१६.६६
वित्तिक कार्य तथा विविध सांख्यिक गुणपर (शुद्ध)	१०१.५३	१५१.२८
विविध (शुद्ध)	८३६.१५	४६६.५६
संग्रहित और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	५१६.२३	५२१.७६
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	११६.२६	८६.१६
प्रशासन	५.७४	४.७७
	८,१५८.००	७,६०४.५६
सर्वेयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ		
राजस्वगत व्यय	६५३.७५	६६६.६०
राजस्व पर प्रत्यक्ष भाग		
निष्ठाई, मोरानयन, तटवन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	१५२.४०	१७४.७५
श्रद्धा सेवाएँ	४४१.५३	५६१.०६
सामान्य प्रशासन	३३७.५५	३३४.६८
न्याय प्रशासन	१२०.७६	१२०.६६
जेल	१०७.७१	१०३.०९
पुलिस	७८७.००	७६३.७२
मोटोरगाड़ी आदि	१३.६८	११.७७

पश्चिम बंगाल सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमगतः)

	संगोपित प्रावकलन १९५८-५९	बजट प्रावकलन १९५९-६०
बैज्ञानिक विभाग	०.७४	०.७४
शिक्षा	१,२७४.०१	१,३४७.९५
विद्युत्	५१४.२२	५८४.५४
सांस्कृतिक स्वास्थ्य	२०४.५८	२६७.४६
कृषि तथा मछलीपालन	४७०.७६	५००.७६
पशुपालन	३६.१७	४६.५०
महत्कारिता	९५.०५	१३९.२७
उद्योग तथा उपलब्धि	२२५.८४	२५८.८२
विविध विभाग	१८०.७६	१८४.४१
धार्मिक कार्य तथा विविध सांस्कृतिक सुधार	४९१.०९	५५४.१८
विविध	१,४४८.२९	१,१०६.९४
सहाय्य (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विभागकार्य सहित)	५३१.०८	४७९.६१
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	८,०७७.०६	८,९७७.००
राजस्वगत बचत (+) घाटा (-)	(+) ८१.००	(-) १००.६१

विवरण

प्रधान भाषाएँ : मराठी तथा गुजराती

राज्यपाल के कार्यालय

राज्यपाल : श्री. प्रकाश

मन्त्रिपरिषद्

२०५१

१९५९

वाई. सी. सरकार
श्री. प्रकाश सरकार
का. सु. कारोस

सुपरीकृत राजस्वगत व्यय के लिए
विल
राजस्व

शान्तिলাल शाह
 एम० एस० बन्तमवार
 पसन्तराय धी० नाइक
 रतुभाई प्रहानी
 भगवन्तराय मडे
 एम० सी० शाह
 एस० के० वामलेडे
 डी० एस० वेसाई
 एच० के० वेसाई
 एस० जी० काजी
 टी० एस० भड्डे
 एन० के० तिरपुडे

उपमन्त्री

भास्कर रामभाई पटेल
 पी० बी० ठाकर
 शंकर राव चव्हाण
 निर्मला राजे भोंसले, श्रीमती
 वेवीसिंह चौहान
 जसवन्तलाल शाह
 शामराव पाटील

जी० डी० पाटील
 द्योडू भाई पटेल
 एन० एन० कंलास
 एम० डी० चौधरी
 बहादुर भाई के० पटेल

संसदीय सचिव
 रोमी जे० एच० तल्पारखी

भग धीर विधि
 सार्वजनिक स्वास्थ्य
 कृषि
 मद्यनियेध, पंचायत और कुटीर उद्योग
 वन
 स्थापित शासन (पंचायत को छोड़कर)
 योजना, विकास, विद्युत् और उद्योग
 सार्वजनिक निर्माणकार्य
 शिक्षा
 प्रसंगिक उपलब्धि, प्रावास, मुद्रणालय और
 मधुलीपालन
 सहकारिता
 समाज-कल्याण और पुनर्वास

मद्यनियेध
 सड़क, भवन और बन्दरगाह
 राजस्व
 शिक्षा
 कृषि
 सहकारिता
 सर्वोदय, वन, मजदूर सभाएँ और क्षार-भूमि-
 मण्डल विकास
 योजना और विकास
 परिवहन और जेल
 सार्वजनिक स्वास्थ्य
 सिंचाई
 समाज-कल्याण

मुख्य मन्त्री से सम्बन्ध

बम्बई सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्रावकलन १९५८-५९	बजट प्रावकलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	१,५०१.२६	१,४९८.२६
निगम कर-भिन्न धाय कर	१,२१०.८६	१,२५५.९६
सम्पदा शुल्क	४१.३४	४१.३४
रेल किराया कर	१७७.२९	१७७.२९
सगान (शुद्ध)	१,२३७.८३	१,२८९.८६
राज्यीय उत्पाद शुल्क	११८.००	८९.८०
टिकट	५५२.७४	५६८.४१
घन	५३०.२१	५५७.०५
पंजीयन	६०.०६	५३.४९
मोटरगाड़ी कर	५०५.६८	५८०.२४
वित्त्य कर	३,०७३.१४	३,०७८.८९
अन्य कर तथा शुल्क	९९१.७५	१,०१५.६२
सिवाई मीकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	१०८.२६	१०३.८१
ऋण सेवाएँ	६७८.७१	६४१.९९
धार्मिक प्रशासन	१,४१८.२७	१,४२२.१५
धार्मिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	९२.७०	१८५.७७
विविध (शुद्ध)	३७७.८६	३७६.०१
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बोध विविध समाधोजन	१७७.६८	१९४.१९
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय शिक्षण सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य प्रसाधारण	२२०.१९	१९९.२०
	८.०५	३.०८
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	१३,२०१.९६	१३,६७३.०६

बिहार

पान भाषा : हिन्दी

राजधानी : पटना

राज्यपाल : जाकिर हुसैन

मन्त्रपरिषद्

मन्त्री

विभाग

श्रीकृष्ण सिन्हा

मुख्य मन्त्री, नियुक्तियों राजनीतिक, मामले, वित्त और उद्योग (खान तथा खनिज संसाधन सहित)

श्रीप नारायण सिन्हा

सूचना, सिचाई और विद्युत्

श्रीह मुहम्मद खोखेर मुनेमी

जेल, सहायता तथा पुनर्वास और परिवहन

भोला पासवान

उत्पाद शुल्क, वन और कल्याण

बिनोदानन्द झा

राजस्व (खान तथा खनिज संसाधन को छोड़कर), ग्राम-पंचायत और धम

श्रीरचन्द पटेल

खाद्य, उपलब्धि, स्वास्थ्य और कृषि

गंगानन्द सिंह

शिक्षा

जगतनारायण सात

सहकारिता, पशु-चिकित्सा, पशुपालन और विधि

मकदून अहमद

सार्वजनिक निर्माणकार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, धायास और स्वायत्त शासन

उपमन्त्री

ए० ए० एम० नूर

खाद्य

बेदार पाण्डे

सामान्य प्रशासन, राजनीतिक मामले और सिचाई तथा विद्युत् उद्योग, सामुदायिक योजनाकार्य, खान और सूचना

सलितेश्वर प्रसाद साही

ग्राम-पंचायत, सहकारिता और पशुपालन तथा पशु-

हृदयनारायण चौधरी

चिकित्सा

धन्विकाशरण सिंह

वित्त

सहदेव महतो

सार्वजनिक निर्माणकार्य और स्वायत्त शासन

राधागोविन्द प्रसाद

राजस्व, वन और धार्मिक ग्यास

एम० एम० धन्नील

विधि और धम

ज्योतिर्मयी देवी, श्रीमती

कल्याण और स्वास्थ्य

धन्विका राम

कृषि

कृष्णबान्त सिंह

शिक्षा और उत्पाद शुल्क

विहार सरकार का बजट (राजस्वगत)

(साल १९५६ में)

	संगोपित प्राप्ति १९५६-५६	बजट प्राप्ति १९५६-५६
राजस्वगत प्राप्ति		
केन्द्रीय उत्पन्न शुल्क	५५०.६५	५५६.८३
निगम कर-भित्त कर	७६३.५३	७६०.६६
साख्यदा शुल्क	३०.००	३०.००
रेल किराया कर	१०३.२६	१०३.२६
रागान (शुद्ध)	१,१५६.२८	१,१६५.७८
राज्यीय उत्पन्न शुल्क	५६७.२८	५८४.५५
टिण्ट	२२०.६६	२३२.५०
धन	११७.६७	११७.५०
पंजीयन	६६.३६	६६.३६
मोटरगाड़ी कर	७.००	७.००
अन्य कर तथा शुल्क	७०१.६५	८०८.६५
सिंचाई, नौकागमन, तटवन्ध तथा जलोत्सा- रण कार्य (शुद्ध)	८.१६	२०६.०५
ऋण सेवाएं	५२.६७	७२.६७
असैनिक प्रशासन	६५२.५२	१,२५७.०७
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	५८.५३	६३.३०
विविध (शुद्ध)	१५६.०३	३६०.५५
भंडारदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	५६०.८६	५६५.६३
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	२२१.०८	२१७.६६
प्रसाधारण	२.१३	१.५३
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्ति	६,२०५.५४	७,१८६.६७

बिहार सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संगोपित प्रावकलन १९५८-५९	बजट प्रावकलन १९५९-६०
जस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष भाग	५४०.५७	६०९.९५
सिचाई, नौकानयन, सडकव्यय तथा जलोत्सा- रण कार्य	१८५.८७	१७१.४०
श्रम सेवाएं (ग्रुड)	६०९.७२	६२२.८०
सामान्य प्रशासन	४३५.९०	४७१.२७
न्याय प्रशासन	१०६.६६	१०७.७७
जेल	१०६.७६	१०४.७७
पुलिस	४८३.८२	४६५.३९
वैज्ञानिक विभाग	१.३८	१.८५
शिक्षा	९४५.३१	१,१५१.१६
चिकित्सा	२३९.९१	२९४.१५
सार्वजनिक स्वास्थ्य	२५७.३०	२९९.०४
दृष्टि	३११.३५	३४१.८०
पशु-चिकित्सा	८३.६३	११५.७६
सङ्कारिता	१९२.०५	३२६.१६
उद्योग तथा उपलब्धि	१७३.८४	२०७.७२
विविध विभाग	४२.५८	४६.१५
धार्मिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	२३२.४४	३२४.८३
बिद्युत् योजनाएं	४.६५	५.६८
विविध	८०१.९८	४०२.०२
धनाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय बिस्तार सेवा और स्थानीय विकासकार्य सहित)	५४०.८४	५६३.८०
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	६,२९६.५६	६,६३१.०७
राजस्वगत बचत (+) घाटा (-)	(-) ९१.०२	(+) ५४३.२०

मद्रास

प्रधान भाषा : तमिल

राजधानी : मद्रास

राज्यपाल : विष्णुराम मेधी

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री

के० कामराम नाडर
 एम० भक्तवत्सलम्
 सी० सुब्रह्मण्यम्
 एम० ए० मारिकवेलु
 आर० वेंकटरमण
 पी० कवरुन
 वी० रामय्य
 लांडम्मल साइमन, श्रीमती

विभाग

मुख्य मन्त्री, योजना और सामुदायिक विद्यालय
 गृह (म्यायालय तथा जेल सहित),
 मद्यनिषेध और खाद्य तथा कृषि
 वित्त, शिक्षा, सूचना और विधि
 राजस्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य
 उद्योग, श्रम, सहकारिता, वाणिज्यीय कर,
 आवास और राष्ट्रीयकृत परिवहन
 सार्वजनिक निर्माणकार्य (विद्युत छोड़ कर)
 और हरिजन-कल्याण
 विद्युत्, परिवहन और पंजीयन
 स्थानीय प्रशासन और मछलीपालन

मद्रास सरकार का वजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	वजट प्राक्कलन १९५६-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	५८१.००	५८१.००
निगम कर-भिन्न आय कर	६२५.००	६२५.००
कृषि आय कर	१४७.५०	१४७.००
सम्पदा शुल्क	२८.४१	२८.४१
रेल किराया कर	५५.००	७०.००
समान (गुट)	४८१.१०	५०२.२८

मद्रास सरकार का बजट (राजस्वगत) (धर्मशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राज्यीय उत्पाद शुल्क	२६.१९	२५.७०
टिक्ट	३५९.९५	३६०.४५
वन	१२५.०२	१००.०९
पंजीयन	७६.९५	७६.९५
मोटरगाड़ी कर	४७७.६८	४७८.०२
विक्रय कर	१,५२६.५६	१,५२६.५६
अन्य कर तथा शुल्क	१८६.९०	१८६.९५
मिर्बाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (गुट)	११२.४७	१११.०२
श्रम सेवाएँ	५१८.०५	५६५.०९
धार्मिक प्रशासन	१,०३७.१६	१,२३३.३९
धार्मिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (गुट)	७५.७२	९८.८८
विविध (गुट)	२६५.८३	२६५.६०
संगठन और बेरोजगार तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	८.०१	४.११
साधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय वित्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य)	२२६.६०	११९.६३
पूर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	६,९४८.९८	७,१०८.३३
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष भाग	५५६.०६	५५६.३६
मिर्बाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	२०८.९६	०.६७१
श्रम सेवाएँ (गुट)	५१९.०३	६३३.१८
साधारण प्रशासन	५००.४५	५०३.६६
अन्य प्रशासन	१२३.६४	१०८.१८
कुल	१,९०८.१४	१,९०८.१४
अन्य	३००.००	३००.००

मद्रास गणकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमगत)

	संगोपित प्राकृतन १९५८-५९	बजट प्राकृतन १९५६-६०
वैज्ञानिक विभाग	३.५८	२.८७
शिक्षा	१,२३२.९४	१,३२८.९४
चिकित्सा	४२२.२३	४४०.६६
सार्वजनिक स्वास्थ्य	९८९.९४	१२३.९२
कृषि	२५९.९३	२९२.२५
पशुपालन	८१.०१	९३.७४
सहकारिता	१३३.३४	१८६.४९
उद्योग तथा उपनगरीय	३०९.३४	४१७.२०
विविध विभाग	३२२.५७	३३२.३१
अर्थनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	४९७.४७	५५७.११
विविध	४१४.९६	४०६.४४
ग्रामाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विद्युत् योजना तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	२९८.४१	२४९.११
योग	६,६८४.२३	७,१६९.११
राजस्वगत व्यय	(+) २६४.७५	(+) १३९.२६
राजस्वगत व्यय (-) धाटा (-)		

मध्य प्रदेश

राजधानी : भोपाल

प्रभाव भाषा : हिन्दी

राज्यपाल : एच० बी० पाटसकर

मन्त्रपरिषद्

विभाग

मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, गृह, प्रचार
शिक्षण, योजना तथा विकास, इ.
घोर समन्वय

मन्त्री

के० एन० पाटजू

बी० ए० मण्डलोड

राजस्व, सर्वोदाय तथा वस्तु, भूमि-नेते, भूमि-
सुधार, स्वायत्त शासन (गहरी) और
वाणिज्य तथा उद्योग

सम्भुताय श्रुत

वन और प्राकृतिक संसाधन

एस० डी० शर्मा

शिक्षा, विधि और पर्यटन उद्योग

मिथीलाल गंगवाल

वित्त, अन्य राजस्व, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी
और पंजीयन

शंकरलाल तिवारी

सार्वजनिक निर्माणकार्य, मिर्चाई (सम्बन्ध
योजनाकार्य को छोड़कर) और विद्युत्

बी० डी० द्राविड़

श्रम, पुनर्वास, आवास और सम्बन्ध योजनाकार्य

नरेन्द्रचन्द्र सिंह

आदिमजातीय कल्याण

गणेशराम अग्रवाल

समाज-कल्याण, महत्कारिता और स्वामन

शासन (प्रामोद)

पद्मावती देवी

सार्वजनिक स्वास्थ्य

ए० बी० सिंहवी

जेल, श्रावण और अर्थात्क उद्योग

उपमन्त्री

सरसिंहराव हीक्षित

गृह

बेन्तलाल गुमास्ता

वाणिज्य तथा उद्योग

अमोलचन्द्राव

राजस्व, सर्वोदाय तथा वस्तु भूमि सुधार,
भूमि लेन और उद्योग उद्योग

सुपुत्राप्रसाद कुंभे

वित्त, अन्य राजस्व, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी
और पंजीयन

सिद्धभायु सोलंकी

सार्वजनिक निर्माणकार्य, मिर्चाई (सम्बन्ध
योजनाकार्य को छोड़कर)

सुब्रह्मण्य सिंह बिश्नोय

वन प्राकृतिक संसाधन और पर्यटन उद्योग
और पंजीयन

सुधाकर शंकर

सार्वजनिक स्वास्थ्य

एस० एस० एस० सुधाकर

जेल और श्रावण

माध्य प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत)

(सात रुपये में)

राजस्वगत प्राप्तियाँ	मंजोर्षित प्राप्ततन १९५८-५९	बजट प्राप्ततन १९५६-६०
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	५३६.६६	५३६.१६
निगम कर-भिन्न आय कर	५१२.३८	५३१.६१
सम्पदा शुल्क	१२.७५	१२.७५
रेल किराया कर	६०.५०	६०.५०
लगान (शुद्ध)	८३८.५०	१,०१०.४७
राज्यीय उत्पाद शुल्क	४०६.६०	३८५.६८
टिकट	१३१.७०	१३३.८३
घन	६६३.८३	७४६.६४
पंजीयन	२३.५०	२४.००
मोटरगाड़ी कर	११५.००	११५.००
विक्रय कर	३६८.६०	४६४.६०
घन्य कर तथा शुल्क	८१.०६	८५.१०
सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- रण कार्य (शुद्ध)	६५.००	६५.००
श्रृण सेवाएँ	२३४.५४	१४७.८३
असैनिक प्रशासन	४७१.७४	५०१.६२
असैनिक कार्य तथा विविध सावजनिक सुधार (शुद्ध)	३४.६७	३४.५५
विविध (शुद्ध)	२४०.२३	१६०.८४
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	४३६.२०	४२८.६३
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	१६३.६६	२११.७१
प्रसाधारण	३५०.००	२५०.००
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	५,८७७.०५	५,६३७.१५

मध्य प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संगोपित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	५६१ ५३	६५३.६८
मिचार्ड, मीबानयन, लटबन्ध तथा जन्तोन्मा- हरण कार्य	७१ ६२	७४ ६८
ऋण सेवार्थ (मुद्र)	३२३.७२	३६१ ७६
सामान्य प्रशासन	३६७ ६६	३५६ ८२
स्वाय प्रशासन	६२ ७१	६२ ६५
जेल	३८ ५६	४० १६
पुलिस	५६६ १७	५६३ ६१
वैज्ञानिक विभाग	६ ८६	६ ६६
मिहारा	१,०६१ १६	१,१६२ ६६
विद्युत्	१३६ १६	१३६ ११
सार्वजनिक स्वास्थ्य	१०६ ३८	१०६ ३३
कृषि	१०१ ००	१०१ ३६
पशुपालन	१५ ३३	१०१ ०१
सहकारिता	४१ ६३	४१ ५०
उद्योग तथा उद्योगिक	११६ ६०	१३० ०१
विद्युत् विभाग	११० ६०	११० ०१
सार्वजनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार विद्युत्	४३० ८०	४३६ ६६
समाधारण (सांख्यिक योजना-कार्य परियोजना वितरण सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	६०० ६६	६०० ६६
संघीय - राजस्वगत व्यय	५५० ००	५५० ००
राजस्वगत व्यय (-) माँग (-)	५५० ००	५५० ००

मंत्र

प्रधान भाषा : कन्नड़

राजधानी : बंगलौर

राज्यपाल : जय नामराज वाडियाद

मन्त्रपरिषद्

मन्त्री

विभाग

बी० डी० जत्ती	मुख्यमन्त्री, योजना तथा विकास, गृह और वाणिज्य तथा उद्योग (कुटीर तथा ग्राम उद्योगों की छोड़कर)
के० मंजप्प	राजस्व, सगान तथा भूमि-लेले और टिक्ट तथा पंजीयन
टी० सुब्रह्मण्य	विधि, धर्म, स्वायत्त शासन (ग्राम-संवायत सहित) आवास और ग्रामीण जल- व्यवस्था
टी० मरियप्प एच० एम० चन्नबासप्प	विस्त और रेशमकोड़ा-पालन तथा रेशम सार्वजनिक निर्माणकार्य और विद्युत्
के० एफ० पाटील एम० मरियप्प	खाद्य, वन, परिवहन और भूगर्भ तथा खान सहकारिता, हाद-व्यवस्था, गोदाम और कुटीर तथा ग्रामोद्योग
के० के० हेग्डे ए० राव गणमुखी एन० राचय्य	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा कृषि, मछलीपालन, पशुपालन, सरकारी उद्यान, समाज-कल्याण, उत्पाद शुल्क तथा मद्य- निबंध और अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिमजाति तथा पिछड़े वर्ग सुधार

उपमन्त्री

प्रेस साकर, श्रीमती
एच० सी० लिंग रेड्डी
एन० एन० नायनूर
तीस्तावती वेंकटेश मायडो, श्रीमती
ज० एच० शमसुद्दीन
जी० ब्रासवलिगप्प

शिक्षा
योजना, विकास और रेशमकोड़ा-पालन
सार्वजनिक निर्माणकार्य और विद्युत्
ग्रामोद्योग
विस्त
गृह

मंसूर नरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संगीधन प्राप्तिलन १९५८-५९	बजट प्राप्तिलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्ति		
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	३५४.७०	३५०.१५
निगम कर-भिन्न घाय कर	४६९.३३	५०५.५८
, सम्पदा शुल्क	१३.३४	१४.०४
रेल विराया कर	४८.४६	४८.४६
खगान (शुद्ध)	४४०.००	४४१.००
राज्यीय उत्पाद शुल्क	३००.७३	२९२.६७
टिक्ट	१५७.४८	१६०.३५
वन	४८९.७७	५०४.५०
संघीय	२७.१४	२७.५२
मोटरगाड़ी कर	२३०.०४	२३२.८६
विक्रय कर	६६.०४६	६८.००
घाय कर तथा शुल्क	१४०.३१	१४१.७७
तिषार्ड, मोकानयन, लकडण्ड तथा जगोगा- रण कार्य (शुद्ध)	१८.६०	१९.६३
पट्टा सेवाएँ	६३१.१६	६३१.८३
घासिनिक प्रशासन	१०९.१६०	१०९.३६
घासिनिक कार्य तथा विविध शासजनिक सुधार (शुद्ध)	२१.५५	२१.७३६
विविध (शुद्ध)	१९८.०१	२१६.३६
प्रशासन और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	६.०१	६.०१
सामुदायिक विकास योजनाकार्ड, राज्यीय विकासार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्ड	१०७.००	१११.६६
संदेसीय - राजस्वगत प्राप्ति	६६००.००	६६६६.००

भंगुर मन्वार वा बजट (राजस्वगत) (पगः)

	संगोपित प्राप्तिगत १९५८-५९	बजट प्राप्तिगत १९५९-६०
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष भाग	४८२.६५	५३१.१६
मिचार्ड, मोरानजन, तटवर्ष तथा जलोगा- रण कार्य	२०६.२५	२००.३३
श्रम सेवाएं (शुद्ध)	२६१.२७	३७६.३५
सामान्य प्रशासन	२६२.००	२५६.००
न्याय प्रशासन	७१.३३	८७.७८
जेल	३३.७०	३४.८०
पुलिस	३१२.४३	३२८.५६
बन्दरगाह भावि	३.५६	८.००
वैज्ञानिक विभाग	७.३६	७.६८
शिक्षा	१,०३२.१६	१,१३२.४३
विक्रिस्ता	२५६.०२	२१२.५३
सावर्जनिक स्वास्थ्य	१६३.७८	२१३.८७
कृषि तथा ग्राम विकास	३१३.६७	३६६.४२
पशुपालन	८७.६६	१०३.४०
सहकारिता	६६.०६	७३.५१
उद्योग तथा उपलब्धि	१,६३८.७०	१,७६०.४१
विविध विभाग	४८.६५	६३.२१
घसंनिक कार्य तथा विविध सावर्जनिक सुधार विविध	५२२.८६	५७८.५३
	४७७.१२	४७४.६६
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	१७४.७०	१६६.०३
योग—राजस्वगत व्यय	६,३८८.५६	७,११८.६६
नस्वगत बजट (+), घाटा (-)	(+) २४०.१८	(+) ४८.४०

राजस्थान

प्रधान भाषाएँ : राजस्थानी तथा हिन्दी

राजधानी : जयपुर

राज्यपाल : गुरुमुख निहाल सिंह

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री

विभाग

मोहनलाल मुग्धादिवा

मुख्यमन्त्री, सामान्य प्रशासन, राजनीतिक मामले, नियुक्ति, योजना तथा विकास, मन्त्रपरिषद्, शिक्षा (बुनियादी शिक्षा को छोड़कर), उद्योग, (खारी तथा कामोद्योगों को छोड़कर), शान और सामुदायिक योजनाकार्य

हरिभाऊ उपाध्याय

शिक्षा, उद्योग, शान, कर, बुनियादी शिक्षा, खारी तथा कामोद्योग और समाज-कल्याण

रामचिणोर व्यास

शान, शिक्षा, स्वास्थ्यविज्ञान, सिविल तथा विद्युत् और वास्तुशिल्प कल्याण

दाशोदरलाल व्यास

राज्य, स्वास्थ्य कल्याण तथा कृषि और कल्याण कल्याण

श्रीप्रसाद गुप्त

उद्योग, शान, कल्याण तथा समाजोद्योग, कल्याण, शिक्षा, कृषि, सिविल, विद्युत्, शान, कल्याण, कल्याण और शान

माधु राम मिश्रा

कृषि, स्वास्थ्यविज्ञान, कर, वास्तुशिल्प, सिविल, शान और शान

उपमन्त्री

शानु राम

राज्य, उद्योग, शान, कर और कल्याण, और कल्याण

भीमा भाई

सिविल तथा विद्युत्, शिक्षा और स्वास्थ्य, कल्याण

गुणम शंकर बिजौरा

शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य कल्याण

कल्याणकारी भारतीय

शिक्षा, उद्योग, शान, कर, कल्याण, कल्याण और शान तथा कल्याण और कल्याण

शानु राम

कृषि, स्वास्थ्यविज्ञान और कल्याण

विशेष कर वि-क को-ड का	११०.००	
समाप्त का-ड	१००.००	१००.००
रेम वि-क को-ड	१००.००	१००.००
समाप्त (गु-ड)	१००.००	१००.००
राजकीय को-ड का-ड	१००.००	१००.००
वि-क	१००.००	१००.००
इ-क	१००.००	१००.००
समाप्त	१००.००	१००.००
को-ड का-ड का-ड	१००.००	१००.००
वि-क का-ड	१००.००	१००.००
समाप्त का-ड का-ड	१००.००	१००.००
वि-क, को-ड का-ड, इ-क का-ड तथा को-ड का-ड		
का-ड का-ड (गु-ड)	१००.००	१००.००
का-ड का-ड	१००.००	१००.००
समाप्त का-ड का-ड	१००.००	१००.००
समाप्त का-ड का-ड तथा वि-क का-ड का-ड का-ड का-ड		
(गु-ड)	१००.००	१००.००
वि-क का-ड का-ड	१००.००	—
वि-क (गु-ड)	१००.००	१००.००
समाप्त का-ड का-ड का-ड का-ड का-ड का-ड का-ड का-ड		
को-ड का-ड का-ड का-ड का-ड का-ड का-ड का-ड का-ड	१००.००	१००.००
सामुदायिक विकास योजना का-ड, राष्ट्रीय		
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विस्तार का-ड का-ड का-ड का-ड	१००.००	१००.००
समाप्त का-ड का-ड का-ड का-ड का-ड का-ड का-ड का-ड	१००.००	१००.००
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्ति का-ड	१,०००.००	१,०००.००

राजस्थान सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संगीधित प्रावक्तन १९५८-५९	बजट प्रावक्तन १९५९-६०
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष भांग	३३९.२९	३३७.८०
मिचार्ड, मोबानपन, सटबन्ध तथा जनोन्मा- रण कार्य	६८.११	७२.०७
श्रम सेवाएँ (गुड)	२७१.८९	३६८.८९
साधान्य प्रभागन	२३८.९६	२२९.३४
न्याय प्रभागन	४९.३४	५१.४६
जेल	३१.१३	३०.९८
पुलिस	४०९.१०	४३०.९८
संज्ञानिक विभाग	२४.४९	२४.२०
शिक्षा	७००.००	८८९.३१
बिबिधता	२३०.००	२६३.१४
सार्वजनिक स्वच्छता	१०९.८०	१४९.१८
कृषि तथा ग्राम विकास	१०१.११	११३.२१
पशुपालन	४९.११	५६.०९
सहकारिता	१८.८०	३६.५१
उद्योग तथा उपसाध्य	४२.९०	६२.५६
बिबिध विभाग	११०.६४	११६.११
घरानिक कार्य तथा बिबिध सार्वजनिक सुधार	२१६.३७	२१०.१३
बिबिध	१०१.६३	११०.६३
असाधारण (सामुदायिक मोडनाबाद कापीड (बनार सेवा तथा अध्यापीड विकासकाल सहित)	१३६.३३	११८.८६
सर्वमूल राज्यगत व्यय	३३७५.३५	३३१६.००
राजस्वगत व्यय (-) घ. ११ (-)	१ - १३७५.०८	१ - १३७५.००

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
चिकित्सा	७.५६	९.२६
सार्वजनिक स्वास्थ्य	२.६५	२.६७
श्रृष्टि	७.२६	८.९१
पशुपालन	२.४३	३.२२
सहकारिता	०.२५	०.७२
उद्योग तथा उपलब्धि	०.५६	२.२५
विविध विभाग	१२.९५	१७.१०
विविध	७.९९	९.३२
घसाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	२.०१	३.४७
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	२६८.६२	३११.३९

दिल्ली

प्रधान भाषाएँ : हिन्दी, उर्दू, पंजाबी

राजधानी : हिन्दी

मुख्य धार्मिक ग० टी० धर्मन

दिल्ली प्रशासन का बजट (राजस्वगत)

(लागू दरों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
लगान (गुड)	५९९	६२९
राज्यीय उत्पाद शुल्क	१५७५८	१६३८८
टिक्स	७०५९	७८७७
बन	०.५९	०.०९

दिग्गी प्रशासन ना यजट (राजस्वगत)

	संगीविण प्रशासन १९५८-५९	यजट प्रशासन १९५९-६०
संगीविण	८.७०	८.७०
मोटारगाड़ी कर	३२.९८	३४.९८
विजय कर	३१०.००	३२९.३५
घण्य कर तथा मुन्क	१५९.५०	१६५.९८
मिषाईकायं (मुड)	०.०२	—
प्रण सेवायें	१००.५७	१०५.०८
घांनिक प्रशासन	४४.९९	४८.४५
विविध (मुड)	२.०३	२.६१
	८८९.५८	९२३.५३
सवंयोग—राजस्वगत प्राजिपी		
राजस्वगत व्यय	२२६.४४	२३५.७७
राजस्व पर प्रत्यक्ष मांग		४.००
सिचाई, नौकानपन, तटवन्ध तथा जसोसा-	४.१५	३७.६२
रण कायं	३५.८२	३५.६७
सामान्य प्रशासन	१६.५६	७.८९
न्याय प्रशासन	७.५४	१८५.६९
जेन	१७८.६८	२४३.२४
पुलिस	२२७.०२	६५.५८
शिक्षा	६०.३०	२२.७८
चिकित्सा	१७.०४	१४.११
सार्वजनिक स्वास्थ्य	१५.२२	३.१५
कृषि	२.८४	४.९७
पशुपालन	४.२९	६.३२
सहकारिता	३.७५	९.९३
उद्योग तथा उपलब्धि	७.५०	२२६.५०
विविध विभाग	१५५.५७	
विविध		
असाधारण (सामुदायिक योजनाकायं, राष्ट्रीय		६.९६
विस्तार सेवा और स्थानीय विकासकायं		
सहित)	६.०६	
	९६८.७८	१,०९०.१४
राजस्वगत व्यय		

मणिपुर

प्रधान भाषा : मणिपुरी

राजधानी : इम्फाल

मुख्य धातुकनः जे० एम० एन० रैना

• मणिपुर प्रशासन का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपये में)

	संशोधित प्रावधान १९५८-५९	बजट प्रावधान १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्ति		
लगान (गुट)	१४३५	१४३०
राज्यीय उत्पाद शुल्क	०१५	०१६
टिकट	१४८	१३०
धन	३५०	३८६
संजीवन	०१३	०१६
मोटोकारो कर	१५०	१५०
धर्म कर तथा शुल्क	१००	१००
मिर्चार्ड, लीकेशन, लटकथ तथा अन्य		
कार्य	०११	०१६
धार्मिक प्रशासन	०११	०११
धार्मिक कार्य तथा विविध सांस्कृतिक सुधार		
(गुट)	०००	०००
विद्युत् योजनाएं	०००	०००
विविध (गुट)	०००	०००
संदेहीत राजस्वगत प्राप्ति	०१५६	०१५६
राजस्वगत व्यय		
राजस्व कर प्रत्यक्ष व्यय	१४३५	१४३५
मिर्चार्ड, लीकेशन, लटकथ तथा अन्य		
कार्य	०११	०११

गणपुत्र प्रशासन का बजट (राजस्वगत) (प्रमनः)

	मंजोपित प्राकल्पन १९५८-५९	बजट प्राकल्पन १९५६-६०
सामान्य प्रशासन	१०.२८	११.४०
न्याय प्रशासन	१.६५	१.६७
जेल	१.१८	१.२३
पुलिस	५३.६६	५४.७४
शिक्षा	१६.५०	३१.३७
विद्विता	८.६३	१२.३६
सार्वजनिक स्वास्थ्य	८.१३	१०.६०
कृषि	२.५३	४.१०
पशुपालन	१.५६	१.६१
सहकारिता	१.०६	२.२०
उद्योग तथा उपलब्धि	१.६२	४.१४
विविध विभाग	०.७१	०.८४
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	१५.४५	१८.२५
विविध	४८.६६	५३.६७
प्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकासकार्य सहित)	६.१६	१०.१६
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	१९५.६१	२३३.८६

लक्कादीव, मिनिर्काय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह

कोडीकोड

मुख्यालय :

प्रशासक : सी० के० बालकृष्ण नायर

१९५६-६० के बजट प्राकल्पनों के अनुसार राजस्वगत व्यय ७.०४ लाख रुपये का रखा गया है।

हिमाचल प्रदेश

प्रधान भाषाएँ : हिन्दी तथा पहाड़ी

राजधानी : शिमला

उपराज्यपाल : बजरंग बहादुर मिह

हिमाचल प्रदेश प्रशासन का बजट (राजस्वगत)

(मात्र रुपये में)

	संगठित प्रायश्चित्त १९५८-५९	बजट प्रायश्चित्त १९५९-६०
राजस्वगत प्रायश्चित्त		
भूमि (रु०)	२१ २३	१८ ६०
राज्यीय उत्पाद शुल्क	१३ ८६	१० ५०
टिकट	२ ००	४ ८०
धन	१०४ ८०	११० ०६
पञ्जीवन	० ११	० १०
सोपानकारी कर	१ ००	१ १०
विक्रय कर	० १५	० १५
छात्र कर तथा शुल्क	४ ००	४ ००
मिर्बाई, भोजनघन तरबूज तथा अन्योपयोगी कार्य (रु०)		
कुल मिर्बाई	० ३०	० ३०
धार्मिक प्रशासन	३० ००	३० ००
धार्मिक कार्य तथा विविध सामंजसिक सुधार (रु०)	० ०५	० ०५
विद्युत् योजनाएँ	४ ००	४ ००
विविध (रु०)	० ००	० ००
सांस्कृतिक विकास योजनाएँ व रु० व विद्युत् सेवा तथा स्थानीय विकास	० ००	० ००
कुल	१५३ ०४	१६३ ०६

दिपुरा

राजधानी :

धरतरामा

मुख्य आयुक्त : एन० एम० पटनायक

दिपुरा प्रशासन का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपये में)

	मंश्रीषिक्त प्राक्कनन १९५८-५९	बजट प्राक्कनन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तिर्षी		
निगम कर-भिन्न आय कर		
सगत (रु०)	१० ००	१० ००
राजकीय उद्यारुद शुल्क	१ ५०	१ ५०
टिकट	० ००	० ००
धन	० १०	० ०६
पक्षीयत	० ००	० ००
सोत्तरकारी कर	१ १०	१ १०
आय कर तथा शाल	१ ५०	१ १०
आर्षीनिक प्रतागत	१ ००	० १०
आर्षीनिक आय तथा निरिध आरुकी (क शुधाण (रु०)	० ० ००	
विबध (रु०)	० ००	० ००
संश्लेषीत राजस्वगत प्राप्ति र्षी	० ० ००	० १ ११
राजस्वगत आय		
राजस्वगत आय प्ररुषी सरी	० ० ००	० ० ००
सिधार्षी, नो.०१००००, सारुधय ररुषी रु री सारुधय ररुषी	० ० ००	० ० ००
संश्लेषीत राजस्वगत आय	० ० ००	० ० ००
आय उद्यारुद	० ० ००	० ० ००

	मौद्रिक व्यय (₹)	वस्तु व्यय (₹)
भूमि	२.५३	२.०२
बुनियाद	५०.०६	५३.६८
निर्माण	१३.२१	५६.५६
विद्युत	६.८२	३.०३
सांख्यिकीय व्यय	११.६२	११.६५
दृष्टि	११.५५	१५.६८
समुपायन	०.५२	२.१२
सहायता	०.८८	१.१०
उद्योग तथा उपकरण	११.८५	१०.८१
विविध विभाग	५.६१	५.२२
सांख्यिकीय कार्य तथा विविध सांख्यिकीय सुधार	५.५२	५.६५
विविध	११६.६०	१२८.५८
प्रशासन (सांख्यिकीय योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	८.१२	१०.६१
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	३२६.२३	३०३.१२

उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी

क्षेत्रफल : ३२,६६६ वर्गमील

मुख्यालय : शिलाङ

इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में असम का राज्यपाल करता है। राज्यपाल की सहायता के लिए शिलाङ में एक परामर्शदाता रहता है। इस क्षेत्र के प्रशासन का उत्तरदायित्व अन्ततोगत्वा भारत सरकार पर ही आता है। इस प्रदेश में निम्न पाँच प्रशासनिक डिवीजन हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रधान एक राजनीतिक अधिकारी है—

१. अर्थ-सूचना डिवीजन, २. सूचना-सिरी सीमान्त डिवीजन, ३. सियांग सीमान्त डिवीजन,

नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र

प्रफल : ६,२३६ वर्गमील

मुख्यालय : कोहिमा

दिसम्बर, १९५७ से इस क्षेत्र को परराष्ट्र मन्त्रालय के अधीन केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्र बना दिया गया। इस क्षेत्र के नागाओं की जनसंख्या ३,६६,००० है जो ७१८ गाँवों में रहते हैं। इसे तीन जिलों में बाँट दिया गया है जिनके मुख्यालय कोहिमा, त्वेनसांग तथा गोकोरुचुंग हैं। इस क्षेत्र के अन्तर्गत असम का नागा पहाड़ियाँ जिला तथा त्वेनसांग गीमान्त डिब्रोदुन आते हैं जो पहले उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश के अन्तर्गत थे। इस नये क्षेत्र के शासन का दायित्व असम के राज्यपाल पर है जो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है। वैसे इस क्षेत्र का प्रशासनिक प्रधान, एक आयुक्त है।

पाण्डिचेरी

क्षेत्रफल : १८६ वर्गमील

जनसंख्या : ३,१७,१६३

प्रधान भाषाएँ : तमिल तथा तमिल

राजधानी : पाण्डिचेरी

फ्रांस की सरकार के साथ हुए एक करार के अनुसार १ नवम्बर १९५४ को भारत सरकार ने भारत-रिपब्लिक भूतपूर्व फ्रांसीसी कस्बियों का प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया। इन कस्बियों में कराकलम तट पर स्थित कारीकल तथा पाण्डिचेरी, आन्ध्र तट पर वनम घोर बेरम तट पर माही आते हैं। इन क्षेत्रों को भारत में मिला दिए जाने के सम्बन्ध में भारत तथा फ्रांस की सरकारों के प्रतिनिधियों ने २८ मई, १९५३ को नया दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। फ्रांसियों समूह द्वारा हम मन्त्रि की औपचारिक रूप से पुष्टि अभी की जानी है। हमें सोच हम क्षेत्र के प्रशासन का कार्य भारत सरकार की ओर से एक मुक्त आयुक्त कर रहा है। सम्मानन यहाँ ६ निर्वाचन पार्षदों का एक परामर्शमण्डल होगा है। भूतपूर्व परिषद तथा राष्ट्रीय प्रतिनिधि मन्त्रा भव की जा चुकी है और नया निर्वाचन शीघ्र ही होने की आशा है।

निजुरा प्रशासन का बजट (राजस्वगत) (अ.मनः)

	संगोपित प्रारम्भन १९५८-५९	बजट प्रारम्भन १९५९-६०
जेल	२.५३	२.७२
पुलिस	५०.०६	५३.६८
शिक्षा	४३.२१	४६.५६
चिकित्सा	६.८२	७.०७
सार्वजनिक स्वास्थ्य	११.४२	११.६५
कृषि	११.५५	१५.६८
पशुपालन	०.५३	२.१३
सहकारिता	०.८८	१.१७
उद्योग तथा उपलब्धि	११.८५	१०.८१
विविध विभाग	५.६१	५.३३
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार विविध	५.५२	४.६५
	११६.६७	१३८.४८
प्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	८.१२	१०.६१
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	३२६.२३	३७३.१२

उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी

क्षेत्रफल : ३२,६६६ वर्गमील

मुख्यालय : शिलङ्ग

इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में असम का राज्यपाल करता है। राज्यपाल की सहायता के लिए शिलङ्ग में एक परामर्शदाता रहता है। इस क्षेत्र के प्रशासन का उत्तरदायित्व अन्ततोगत्या भारत सरकार पर ही आता है। इस प्रदेश में निम्न पांच प्रशासनिक डिवीजन हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रधान एक राजनीतिक अधिकारी होता है : कामेंग सीमान्त डिवीजन, सूवानसिरी सीमान्त डिवीजन, सियांग सीमान्त डिवीजन, लोहित सीमान्त डिवीजन तथा तिरप सीमान्त डिवीजन।

नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र

फल : ६,२३६ वर्गमील

मुख्यालय : कोहिमा

दिसम्बर, १९५७ से इस क्षेत्र को परराष्ट्र मन्त्रालय के अधीन केन्द्र द्वारा शासित बना दिया गया। इस क्षेत्र के नागामों की जनसंख्या ३,६६,००० है जो ७१८ गाँवों रहते हैं। इसे तीन जिलों में बाँट दिया गया है जिनके मुख्यालय कोहिमा, त्वेनसांग तथा मोरचुंग हैं। इस क्षेत्र के अन्तर्गत असम का नागा पहाड़ियाँ जिला तथा त्वेनसांग मान्त डिब्रोडन आते हैं जो पहले उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश के अन्तर्गत थे। इस नये क्षेत्र के गमन का दायित्व असम के राज्यपाल पर है जो राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में काम करता। वैसे इस क्षेत्र का प्रशासनिक प्रधान, एक आयुक्त है।

पाण्डिचेरी

फल : १८६ वर्गमील

जनसंख्या : ३,१७,१६३

धान आयात : प्रांसीसी तथा तमिल

राजधानी : पाण्डिचेरी

प्रास की सरकार के साथ हुए एक करार के अनुसार १ नवम्बर १९५४ को तमिल सरकार ने भारत-स्थित भूतपूर्व प्रांसीसी बस्तियों का प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया। इन बस्तियों में करामण्डल तट पर स्थित चारीबल तथा पाण्डिचेरी, आन्ध्र तट पर तमिळोर बेरन तट पर माही आते हैं। इन क्षेत्रों को भारत में मिला दिए जाने के उद्देश्य में भारत तथा प्रास की सरकारों के प्रतिनिधियों ने २८ मई, १९५६ को नयी दिल्ली में एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए। अन्तिमो संसद् द्वारा इन सन्धि की औपचारिक रूप में स्वीकृति भी जानी है। इसी बीच इन क्षेत्रों के प्रशासन का कार्य भारत सरकार की ओर से एक शुरुआत आयुक्त कर रहा है। सामान्य वर्गों के निर्वाचन पत्रों का एक प्रारम्भिक प्रारम्भ होता है। भूतपूर्व परिषद् तथा राजकीय प्रतिनिधि मन्त्र भव की उपाधी के नीचे नया निर्वाचन शीघ्र ही होने को आता है।

प्राथमिकी का कार्य (राजस्वगत)

(संघ की ओर)

	मौखिक प्रारम्भ १९५०-५१	वस्तु प्रारम्भ १९५१-५२
राजस्वगत प्राथमिकी	३.१६	३.२०
घास कर	०.६५	०.३०
सपास (गुड)	११.०६	११.०६
राज्यीय उत्पाद शुल्क	१.२५	१.२५
रिजर्व	५.२०	५.२०
संशोधन	१५.०८	१५.५३
घास कर	१.००	१.००
विनिय विभाग	३१.२६	५६.३८
सुंघी तथा क्षेत्रीय उत्पाद शुल्क	०.५०	२.५०
प्रौद्योगिक कार्य	१८.५०	२१.६०
विद्युत्	८.०२	६.७२
विनिय		१६०.००
मकुंयोग—राजस्वगत प्राथमिकी	१३०.००	१६०.००
राजस्वगत षय	२.१५	२.१८
सुंघी तथा क्षेत्रीय उत्पाद शुल्क	८.२०	८.२०
राजस्व विभाग	०.५०	०.०१
श्रुत पर स्वाज तथा घास बेनदारियां	१०.१६	११.०७
सामान्य प्रशासन	२.१७	२.२५
भुगतान तथा हिताय-किताय कार्यालय	५.५१	५.२५
न्याय प्रशासन	१.२७	१.२८
जेल	१५.६५	१६.७३
पुलिस	०.३६	०.३६
बन्दरगाह	१६.६६	१६.३६
निक्षा	२५.६५	२६.६५
विक्रिता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	१.५६	१.५६
कृषि तथा मछलीपालन		

पाण्डिचेरी सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्रावरुलन १९५८-५९	बजट प्रावरुलन १९५९-६०
सहकारिता	१.६५	१.६७
उद्योग तथा उपलब्धि	१.६८	२.५२
विविध विभाग	२.२७	२.४३
प्रसैनिक कार्य	१९.३०	१८.५०
विद्युत्	३२.६१	३४.५८
वृद्धावस्था भत्ता तथा निवृत्तिवेतन	३०.११	२०.३७
- प्रालेखन सामग्री तथा मुद्रण	१.५४	१.५५
विविध	२.७९	३.०१
सामुदायिक विकास योजनाकार्य तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा	५.१०	८.८१
विकास योजनाएँ	५०.७०	५२.८०
नये जहाजघाट का निर्माण	१३.८७	१३.७३
घनिरिक्त मंहगाई भत्ता के लिए व्यवस्था	—	—
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	२६४.५५	२७५.१९

तीसरी अध्याय

भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

स्थापना-प्राप्ति के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत सरकार की गतिविधियों का संचालन संविधान के एक निवेदनक तत्व में निहित प्राचरण के घादनी के अनुसार होता है। इस तत्व के अनुसार भारत सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा में सक्रिय सहयोग दे, विभिन्न राष्ट्रों के साथ न्यायोचित तथा सम्माननीय सम्बन्ध बनाए रखे, अन्तर्राष्ट्रीय फानूनों तथा सन्धियों की शर्तों के प्रति घादर की भावना का विकास करे तथा अन्तर्राष्ट्रीय भेदों को पंचनिर्णय द्वारा सुलभाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे।

संयुक्त राष्ट्र संघ

संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक-सदस्य होने के नाते भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में निहित सिद्धान्तों का प्रबल समर्थक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत के सम्बन्ध-काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण घटना १९४८ में इस विश्वव्यापी संगठन द्वारा महात्मा गान्धी के प्रति श्रद्धांजलियाँ प्रेषित किए जाने की है। अन्य उल्लेखनीय घटनाओं में १९५० से १९५२ तक भारत के सुरक्षा परिषद् के सदस्य-पद पर बने रहने, कोरिया में विराम-सन्धि तथा युद्ध-बन्धियों की समस्या के हल के लिए भारतीय योजना प्रस्तुत किए जाने, १९५३-५४ में भारत द्वारा कोरिया सम्बन्धी 'तटस्थ राष्ट्र युद्ध-बन्धी वापसी आयोग' का अध्यक्ष-पद सम्हाले जाने, १९५३ में धीमती विजयलक्ष्मी पण्डित का संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के घाठवें अधिवेशन का अध्यक्ष चुने जाने, १९५५ में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय (आणविक शक्ति का शान्ति के लिए उपयोग) सम्मेलन की अध्यक्षता किए जाने तथा १९५८ में लेबनॉन में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थापना में भारत द्वारा सहयोग दिए जाने की घटनाएँ महत्वपूर्ण हैं।

१९५८ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के तेरहवें अधिवेशन में भाग लेने के लिए जो भारतीय शिष्टमण्डल न्यूयार्क गया, उसका नेतृत्व श्री बी० के० कृष्ण मेनन ने किया।

राजनीतिक

१९५८ में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी विशिष्ट संस्थाओं की कार्य-वाहियों में जो भाग लिया, उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

अल्जीरिया

स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। अल्जीरियाई नेताओं ने काहिरा में एक अस्थायी सरकार स्थापित की है। भारत का अपने निज के अनुभव के आधार पर विचार यह है कि एक बार स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात् भूतपूर्व शासकों के साथ समानता तथा पारस्परिक आदर भाव के आधार पर सहयोग करना सम्भव हो सकता है। किन्तु, ऐसा सम्भव तभी होगा जब दोनों पक्ष परस्पर सहयोग करने के इच्छुक हों।

साइप्रस

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल अपने इसी दृष्टिकोण पर दृढ़ रहा कि साइप्रस का प्रश्न एक औपनिवेशिक प्रश्न है और साइप्रस, साइप्रसवासियों का है। इसने साइप्रस द्वीप के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया।

लेबनॉन

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के अनुरोध पर तथा लेबनॉन सरकार की सहमति से भारत ने लेबनॉन के 'संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यवेक्षक दल' की कार्यवाही में भाग लिया। इस उद्देश्य से एक टुकड़ी लेबनॉन भेजी गई। श्री राजेश्वर दयाल को भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। यह दल सौंपा गया कार्य पूरा कर चुका है।

आणविक शक्ति संस्थान

सितम्बर, १९५८ में वियना में हुए एक महासम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों ने आणविक शक्ति संस्थान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। एक भारतीय वैज्ञानिक, संस्थान द्वारा रेडियो-सक्रिय घाइसोटोपों के सही प्रयोग के सम्बन्ध में एक प्रक्रिया-संहिता तैयार करने के लिए स्थापित एक विशेष समिति की कार्यवाही में भी भाग ले रहा है।

ग्यामी तथा अस्वायत्तशासी क्षेत्र

भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ की 'अस्वायत्तशासी क्षेत्र सूचना समिति' का १९६१ तक के तीन वर्षों के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ है। एक भारतीय प्रतिनिधि, पश्चिमी समोसा जाने वाले सिटमण्डल का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और दूसरा भारतीय प्रतिनिधि, १९५८ में पश्चिम अफ्रीका जाने वाले सिटमण्डल का सदस्य नियुक्त किया गया।

'ग्यामिता (ट्रस्टीशिप) परिषद्' के ८वें विशेष अधिवेशन में फ्रांसीसी शासन में जाने वाले टोगोलैण्ड के भविष्य पर विचार किया गया और भारत तथा अन्य राष्ट्रों द्वारा रले गए प्रस्ताव स्वीकार किए गए। कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर भारत ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, विशेष निधि, प्राविधिक सहायता मण्डल तथा अन्य विशिष्ट संस्थानों से यह अनुरोध किया गया कि टोगोलैण्ड सरकार द्वारा सहायता के लिए किए जाने वाले किसी भी अनुरोध पर मुरत और सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जाए।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति

१९५८ में महासभा ने अपनी विशेष राजनीतिक समिति के एक प्रस्ताव को भारी बहुमत से समर्थन किया। इस प्रस्ताव में दक्षिण अफ्रीका सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र तथा मानव अधिकार सम्बन्धी सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धान्तों तथा उद्देश्य के अनुरूप दक्षिण अफ्रीका संघ में वसे भारतीय तथा पाकिस्तानी उद्भव के व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के साथ समझौता-वार्ता करे। समझौतावार्ताओं की प्रगति के विषय में इन पक्षों को व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को प्रतिवेदन देना है।

कश्मीर

सुरक्षा परिषद् के एक प्रस्ताव के अनुसार डा० फ्रैंक ग्राहम १९५८ के प्रारम्भ में भारत आए। उन्होंने सुरक्षा परिषद् को अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

सहअस्तित्व

विशेष राजनीतिक समिति ने अर्जेंटीना, आयरलैण्ड, आस्ट्रिया, घाना, चेकोस्लोवाकिया, बोलिविया, यूगोस्लाविया तथा श्रीलंका के साथ मिलकर भारत द्वारा रखा गया एक प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में सभी राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के सिद्धान्तों के अनुरूप मिलजुल कर रहने और शान्तिपूर्ण तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध के सिद्धान्तों को कारगर रूप से कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

निःशस्त्रीकरण

महासभा के तेरहवें अधिवेशन में भारत ने (१) जब-तक कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक परमाणु शस्त्रों का परीक्षण तुरन्त बन्द करने की माँग करते हुए एक प्रस्ताव तथा (२) धाकस्मिक आक्रमणों के निवारण की सम्भावनाओं के विचारार्थ होने वाले सम्मेलन पर हर्ष प्रकट करने का दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष से उत्पन्न गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया एक अन्य प्रस्ताव भी भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में निःशस्त्रीकरण आयोग के विस्तार का सुझाव दिया गया था जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इन आयोग के सदस्य बन सकें।

संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं में निर्वाचन

भारतीय प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघीय 'सत्यसंस्थक भेदभाव निवारण तथा संरक्षण' उपआयोग' का सम्भाव्यता निर्वाचित किया गया।

सामुद्रिक कानून विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन

भारत के केन्द्रीय विधि मन्त्री श्री ए० के० सेन के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि-दल ने १९५८ में जेनेवा में हुए 'संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानून सम्मेलन' में भाग

लिया। सम्मेलन में चार अभिसमय (कन्वेंशन) और 'प्रनिवार्य विवाद निपटान' विषयक एक धैकल्पिक हस्ताक्षर-द्वयवस्था स्वीकार की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून आयोग

इस आयोग पर अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास करने का दायित्व है। महासभा द्वारा तीन वर्षों के लिए निर्वाचित इसके २१ सदस्य अपनी-अपनी सरकारों के प्रतिनिधियों के रूप में नहीं, बल्कि विशेषज्ञों के रूप में अपनी दायित्वगत स्थिति में काम करते हैं। भारत के श्री राधा विनोद पात अग्रंत, १९५८ में जेनेवा में हुए इस आयोग के दसवें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

'एशियाई-अफ्रीकी कानूनी सलाहकार समिति' के काहिरा में हुए दूसरे अधिवेशन में, इसमें भाग लेने वाले देशों की सरकारों द्वारा सम्मति देने के लिए उपस्थित किए गए कई विषयों पर विचार किया गया। इन विषयों में कूटनीतिक सुविधाएँ, अपराधियों की वापसी के सिद्धान्त आदि जैसे विषय सम्मिलित थे। समिति ने 'अन्तर्राष्ट्रीय कानून आयोग' के ६वें तथा १०वें अधिवेशनों के प्रतिवेदनों पर भी विचार किया।

आर्थिक तथा सामाजिक

१९४८ तथा १९५२ को छोड़कर भारत 'संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्' का उसके प्रारम्भ से ही सदस्य रहा है। भारत इस परिषद् के कई आयोगों का भी सदस्य बना रहा। १ मई, १९५७ को भारत 'प्राविधिक सहायता समिति' का सदस्य निर्वाचित हुआ। भारत को इस परिषद् के कई आयोगों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत ने जुलाई, १९५८ में जेनेवा में हुई इस परिषद् की बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। इस बैठक में अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए 'विशेष सं० रा० निधि' की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई।

एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग

'एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग' की 'अन्तर्देशीय परिवहन समिति' ने संयुक्त राष्ट्र संघ को दिए अपने प्रतिवेदन में इस बात की सिफारिश की कि भारत में रेल परिवहन में सुरक्षा की दायित्व करने के लिए एक पृथक 'रेल-निरीक्षण संगठन' स्थापित किया जाना चाहिए।

मार्च, १९५८ में कुआलालम्पूर में हुए इस आयोग के १४वें अधिवेशन में भारत, एक प्रारूप समिति का सदस्य निर्वाचित हुआ। यह समिति, जापान द्वारा आयोग के क्षेत्रीय सदस्यों में परस्पर व्यापार-वार्ता चलाने के लिए दिए गए सुझाव की जांच के लिए नियुक्त की गई थी। भारत के उद्योग विभाग के केन्द्रीय राज्य-मन्त्री ने भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व किया।

एशिया तथा सुदूरपूर्व में कृषि मूल्य तथा कृषि आय स्थिर करने की नीति के विचारार्थ 'लाघ तथा कृषि संगठन' और 'एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग' की मार्च,

१९५८ में नयी दिल्ली में मिली-जुली बैठक हुई। २६ देशों के १०० से अधिक तैयार-योजनाओं ने विस्तार, १९५८ में नयी दिल्ली में 'एशिया तथा सुदूरपूर्व प्रायिक-आयोग' द्वारा संगठित 'एशिया तथा सुदूरपूर्व पेट्रोल-संगठन विकास' नियुक्त विचारमोचों में भाग लिया।

साथ तथा कृषि संगठन

'साथ तथा कृषि संगठन' की एक अध्यक्षता मण्डली ने मार्च, १९५८ में भारत सरकार को दिए अपने प्रतिवेदन में भारत की साम्यवादी जनसंग-प्रणाली के विकास की आवश्यकता पर ध्यान दिया था। 'साथ तथा कृषि संगठन' का भारत में तत्कालीन-उत्पादन से सम्बन्धित प्रतिवेदन अप्रैल, १९५८ में प्रकाशित हुआ। भारत प्रदेश तथा मद्रास में 'महामा प्रशिक्षण केन्द्र' स्थापित करने के लिए 'साथ तथा कृषि संगठन' के मध्योपासन प्रशिक्षण केन्द्र का एक विनिवेशन भारत आया। 'अन्तर्राष्ट्रीय सहकार कार्यक्रम' के अधीन 'साथ तथा कृषि संगठन' ने भारत में कलकत्ता दुग्ध योजना के लिए प्राविधिक विशेषज्ञों तथा उपकरणों की व्यवस्था करना हरीशार क्रिया शीर दो विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध हुईं। मद्रास में स्कूल के बालक-वाहिकाओं की पोषक-तत्वयुक्त भोजन देने के सर्वेक्षण की एक योजना के लिए 'साथ तथा कृषि संगठन' से १४,००० डॉलर का नकद अनुदान प्राप्त हो चुका है।

भारत ने जून १९५८ में 'साथ तथा कृषि संगठन' की 'महामा टिड्डी नियन्त्रण समिति' के पाँचवें अधिवेशन में भाग लिया। अक्टूबर, १९५८ में टोकियो में हुए 'एशिया तथा सुदूरपूर्व साथ तथा कृषि संगठन सम्मेलन' में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत के केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने किया।

अन्तर्राष्ट्रीय धम संगठन

भारत 'अन्तर्राष्ट्रीय धम संगठन' के २५ अभिसमयों को पुष्टि कर चुका है। औपचारिक पुष्टीकरण के अतिरिक्त कई अन्य अभिसमयों की व्यवस्थाओं को व्यवहार में भी लाया जा चुका है।

अप्रैल-जून, १९५८ में जेनेवा में हुए 'अन्तर्राष्ट्रीय धम संगठन' के ४१वें तथा ४२वें अधिवेशनों और प्रबन्ध समिति की बैठकों में भाग लेने के अलावा भारतीय प्रतिनिधियों ने १९५८ में कई 'अन्तर्राष्ट्रीय धम संगठन समितियों' की बैठकों में भी भाग लिया।

'अन्तर्राष्ट्रीय धम संगठन' के विस्तृत 'प्राविधिक सहायता कार्यक्रम' के अधीन १९५८ में भारत को ६ विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध हुईं। मजदूर संगठनों, धम प्रशासन, धम प्रबन्ध तथा खान-निरीक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए २२ भारतीय प्रशिक्षार्थी कई अन्य देशों को भेजे गए। इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, पेरू तथा श्रीलंका के चार अन्तर्राष्ट्रीय धम संयन्त्र-निष्पद्यति-प्रापकों को १९५८ में भारत में प्रशिक्षण दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन

इस संस्था के संस्थापक-सदस्य, भारत में इसके सहयोग से कार्य करने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग है। यह आयोग विभिन्न विषयों पर विचारगोष्ठियों तथा सम्मेलनों की व्यवस्था करके भारत में इस संगठन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता आ रहा है।

अगस्त, १९५८ में नयी दिल्ली में 'दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एशिया में शिक्षा सुधार' विषयक एक क्षेत्रीय विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेता इस विचारगोष्ठी का सभापति निर्वाचित हुआ। १० दक्षिण तथा पूर्व एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने सितम्बर, १९५८ में नयी दिल्ली में हुए 'मूलभूत शिक्षा तथा सामुदायिक विकास में दृश्य सहायता का महत्व' विषयक क्षेत्रीय विचारगोष्ठी में भाग लिया। भारत के उपराष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन ने नवम्बर, १९५८ में पेरिस में 'संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन' के नवनिर्मित स्थायी मुख्यालय का उद्घाटन किया। नवम्बर, १९५८ में पेरिस में हुई इस संगठन के प्रशासनिक आयोग की बैठक में छोटे संसोधनों से युक्त पांच अन्य प्रतिनिधिमण्डलों के साथ मिल कर भारत द्वारा उपस्थित किया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में इस संगठन के सचिवालय के पदों के क्षेत्रानुसार विभाजन का सुझाव रखा गया था।

इस संगठन के भारतीय राष्ट्रीय आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से दिसम्बर, १९५८ में दिल्ली में 'भारतीय जीवन में परम्परागत मूल्य' विषयक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

भारत, १९४८ में इन संगठन की स्थापना के समय से ही इसका सदस्य रहा है। जून, १९५८ में मिनियापोलिस (अमेरिका) में हुए 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के ११वें अधिवेशन में डा० ए० एल० मुदलियार के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल में भाग लिया।

'विश्व स्वास्थ्य संगठन' की 'दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय मन्त्रि' का ११वाँ अधिवेशन सितम्बर, १९५८ में नयी दिल्ली में हुआ। इस अवसर पर रोगों के अध्ययन तथा वर्गीकरण के लिए एक दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। कृष्णर बालकला के दौलोगिक क्षेत्र में हैजा के उन्मूलन की योजना को मजबूत करके प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेता इस अधिवेशन का सभापति चुना गया।

अक्टूबर, १९५८ में नयी दिल्ली में हुई स्वास्थ्य-सांख्यिकी विषयक विचारगोष्ठी में ८ देशों के १८ सांख्यिकी में भाग लिया। इसी मास टिन्बा की मन्त्रिणा मन्था में काहने-रियानिस अध्ययन मण्डली नियुक्त की गई। नवम्बर, १९५८ में नयी दिल्ली में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में १२ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के उपसंयुक्त-नेताओं में भाग लिया।

बैंक के संचालक मण्डल (गोडें फ्रांक गवर्नर्स) को १३वीं वार्षिक बैठक अक्टूबर, १९५८ में नयी दिल्ली में प्रारम्भ हुई। केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

'अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम अधिनियम, १९५८' द्वारा निगम को भारत में कई छूट तथा विशेषाधिकार दिए गए हैं। निगम के संचालक मण्डल की वार्षिक बैठक अक्टूबर, १९५८ में नयी दिल्ली में हुई।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

इस संगठन की तेरहवीं वार्षिक बैठक अक्टूबर, १९५८ में नयी दिल्ली में प्रारम्भ हुई। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत के केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने किया। इस कोष के एशियाई विभाग के सह-निदेशक (एसिस्टेंट डायरेक्टर) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल भारत को सामान्य धार्मिक स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से दिसम्बर १९५८ में भारत आया।

इस कोष की स्थापना होने के समय से दिसम्बर, १९५८ तक भारत इस कोष से ३० करोड़ डालर का भ्रय कर चुका है जिसमें से ९.९९ करोड़ डालर का फिर से भ्रय किया गया। 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' के करार की शर्तों के अनुसार भारत को ४० करोड़ डालर के मूल्य की विदेशी मुद्रा, रुपयों में वापस खरीदने का अधिकार है।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष कोष

संयुक्त राष्ट्र संघ में इस कोष के सम्बन्ध में हुई बहस के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा ने १५ अक्टूबर, १९५८ को एक प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव के द्वारा १ जनवरी, १९५९ से इस कोष को व्यवस्था की जाने लगी। इस कोष से अल्पविकसित देशों में प्राविधिक, धार्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक तथा अर्थव्यवस्था सहायता दी जाएगी। भारत इसको प्रबन्ध परिषद में निर्वाचित हो चुका है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य विशेष संस्थाएँ

अन्तर्राष्ट्रीय प्रसैनिक उद्बोधन संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ, विश्व डाक संघ तथा विश्व अन्तरिक्ष विज्ञान संगठन के साथ भी भारत का सक्रिय रूप से सम्बन्ध है।

अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

राष्ट्रमण्डल

'राष्ट्रमण्डलीय व्यापार तथा अर्थ सम्मेलन' सितम्बर, १९५८ में गाँठियल (बनादा) में हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत के केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने किया। इस सम्मेलन में राष्ट्रमण्डलीय देशों की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार विषयक महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया।

कोलम्बो योजना

भारत ने १९५७-५८ में नेपाल को ७५ लाख रुपये की प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता दी। भारत ने ३७.५० करोड़ रुपये की लागत के त्रिशूली जलविद्युत् योजनाकार्य के निर्माण में सहायता देना स्वीकार कर लिया है। इस सहायता में त्रिशूली नदी पर पुत का निर्माण किया जाना भी सम्मिलित रहेगा।

कोलम्बो योजना आरम्भ होने के समय से भारत, प्राविधिक सहयोग योजना के अन्तर्गत ८८६ व्यक्तियों को विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ दे चुका है। २२० प्रशिक्षणार्थी इस वर्ष भारत आए। इनमें से १२६ प्रशिक्षणार्थियों ने कलकत्ता के 'अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केन्द्र' में प्रशिक्षण प्राप्त किया। कई प्रकार के विशेषज्ञों की सेवाएँ भी उपलब्ध कराई गईं।

भारत को १६ जापानी विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त हुईं। आर्थिक विकास कार्यक्रम के अधीन भारत को आस्ट्रेलिया से १ करोड़ पौण्ड, कनाडा से १०.१० करोड़ डाटार तथा न्यूजीलैण्ड से २० लाख पौण्ड प्राप्त हुए। नवम्बर, १९५८ में अमेरिका में हुई 'कोलम्बो योजना सलाहकार समिति' की १०वीं बैठक में भारत की ओर से भारत के केन्द्रीय वित्त उपमन्त्री ने भाग लिया।

राष्ट्रमण्डलीय संसदीय संघ

इस संस्था की कार्यपालिका परिषद् की बैठक लोक सभा के अध्यक्ष श्री अन्नन्तशयनम अग्रगंर के सभापतित्व में जनवरी, १९५६ में वरमुडा में हुई।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र सम्मेलन

इस संगठन का १०वाँ अधिवेशन २४ अगस्त, १९५८ को मंमूर में आरम्भ हुआ। इस ग्यारह-दिवसीय अधिवेशन में ५६ देशों के लगभग ३०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय जूरी आयोग

१९५२ में स्थापित तथा १६ जून, १९५५ को नीडरलैण्ड के कानूनों के अधीन 'संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्' के एक परामर्शदाता संगठन के रूप में सम्बद्ध किए गए 'अन्तर्राष्ट्रीय जूरी आयोग' का सम्मेलन ५ जनवरी, १९५६ को नयी दिल्ली में आरम्भ हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय वायु-परिवहन संघ

'अन्तर्राष्ट्रीय वायु-परिवहन संघ' एक स्वैच्छिक तथा गैर-राजनीतिक विमानसंघ है जिसके द्वारा विमान सेवासों ने अपने व्यक्तिगत परिवहन-मार्गों को एक साथ मिलाकर एक संगठित सार्वजनिक सेवा का रूप दे दिया है। इन संघ की चौरहों वायुयान युक्त बैठक २७ अक्टूबर, १९५८ को नयी दिल्ली में आरम्भ हुई जिसमें ५० देशों की ८६ विमान सेवासों के लगभग २५० प्रतिनिधियों तथा पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। एयर इण्डिया इन्टरनेशनल का अध्यक्ष इस संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ।

इकतीगवा अध्याय

१९५८ के संसद् के कानून

अधिनियम	प्रस्तुत किए जाने को तिथि	जिस सदन में प्रस्तुत किया गया, उगमें पारित होने की तिथि	दूसरे सदन में पारित होने की तिथि	राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिए जाने की तिथि	निकरण
१	२	३	४	५	६
१. प्रथम राष्ट्रपति अधिनियम नया कानून (मनोपत्र) अधिनियम, १९५८	२ दिगम्बर, १९५७ १० (लोक सभा)	२ दिगम्बर, १९५८ १८ (लोक सभा)	२ दिगम्बर, १९५८ १८ (लोक सभा)	२७ फरवरी, १९५८	
२. द्वितीय राष्ट्रपति अधिनियम, (मनोपत्र) अधिनियम, १९५८	२५ दिगम्बर, १९५७ १० (लोक सभा)	२५ दिगम्बर, १९५८ १९ (लोक सभा)	२५ दिगम्बर, १९५८ २७ (लोक सभा)	२७ फरवरी, १९५८	
३. भारतीय मुद्रा-निष्ठा अधिनियम, (मनोपत्र) अधिनियम, १९५८	२५ नवम्बर, १९५७ १४ (राज्य सभा)	२५ दिगम्बर, १९५७ १८ (राज्य सभा)	२५ दिगम्बर, १९५८ १८ (राज्य सभा)	८ मार्च, १९५८	लोक सभा द्वारा १८, फरवरी, १९५८ को प्रस्तुत किए गए संतोषनों पर राज्य सभा ने २७ फरवरी, १९५८ को विचार किया तथा उन्हें स्वीकार किया।
४. विनियोग अधिनियम, १९५८	२५ फरवरी, १९५८ २६ (लोक सभा)	२५ फरवरी, १९५८ २७ (लोक सभा)	२५ फरवरी, १९५८ २७ (लोक सभा)	१३ मार्च, १९५८	घन विधेयक
५. के.पी.ए. विद्युत बर (मनोपत्र) अधिनियम, १९५८	१८ फरवरी, १९५८ २५ (लोक सभा)	१८ फरवरी, १९५८ २७ (लोक सभा)	१८ फरवरी, १९५८ २७ (लोक सभा)	१३ मार्च, १९५८	घन विधेयक

१९५८ के संसद् के कानून (क्रमशः)

१	२	३	४	५	६
२२. कर्मचारी निर्वाह निधि (संगोपन) अधिनियम, १९५८	१४ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	५ मई, १९५८	८ मई, १९५८	१८ मई, १९५८	
२३. विनियोजन (रेल) सं० ३ अधिनियम, १९५८	१४ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	१६ अगस्त, १९५८	२१ अगस्त, १९५८	२८ अगस्त, १९५८	घन विधेयक
२४. प्राचीन स्मारक और पुरातत्व-स्थान तथा प्रवेश्य अधिनियम, १९५८	१६ दिसम्बर, १९५७ (लोक सभा)	१७ फरवरी, १९५८	१२ अगस्त, १९५८	२८ अगस्त, १९५८	
२५. अखिल भारतीय सेवाएँ (संगोपन) अधिनियम, १९५८	६ मई, १९५८ (लोक सभा)	१२ अगस्त, १९५८	२५ अगस्त, १९५८	३ सितम्बर, १९५८	
२६. रण्ड-विधान प्रक्रिया संहिता (संगोपन) अधिनियम, १९५८	११ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	१८ अगस्त, १९५८	२५ अगस्त, १९५८	३ सितम्बर, १९५८	
२७. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पाद मुक्त तथा चुंगी) अधिनियम, १९५८	११ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	२३ अगस्त, १९५८	२१ अगस्त, १९५८	४ सितम्बर, १९५८	घा विधेयक
२८. सनात्र सेवाएँ (असम तथा मणिपुर) विनियोग-विशार अधिनियम, १९५८	११ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	१८ अगस्त, १९५८	१ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	

१	२	३	४	५	६
२९. श्रमजीवी पत्रकार (विगत बर-निर्वाण) अधिनियम, १९५८	२१ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	२५ अगस्त, १९५८	४ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	
३०. चीनी निर्माण प्रोत्साहन अधिनियम, १९५८	१३ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	२६ अगस्त, १९५८	८ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	
३१. रेल्वीय विषय कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५८	२६ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	२८ अगस्त, १९५८	६ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	घन विधेयक
३२. मार्शमनिक भवन (घन-सिद्धि) निकाशियों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८	१० मार्च, १९५८ (लोक सभा)	२१ अगस्त, १९५८	६ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	
३३. गणेशा दूरक (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२८ फरवरी, १९५८ (लोक सभा)	१ सितम्बर, १९५८	६ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	घन विधेयक
३४. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५८	११ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	२ सितम्बर, १९५८	११ सितम्बर, १९५८	२० सितम्बर, १९५८	
३५. मणिपुर तथा त्रिपुरा (बाहुक-निरसन) अधिनियम, १९५८	२२ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	३ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	६ अक्टूबर, १९५८	
३६. भारतीय शिक्षा विधेयक (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२५ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	१० सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	६ अक्टूबर, १९५८	

१९५८ के संसद् के कानून (क्रमशः)

	१	२	३	४	५	६
३७. राजपट समधि (संशोधन) अधिनियम, १९५८	११ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	४ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	६ अक्टूबर, १९५८		
३८. औद्योगिक विवाद (बोर्डिंग कम्पनी) निषेध संशोधन अधिनियम, १९५८	११ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	२८ अगस्त, १९५८	१८ सितम्बर, १९५८	६ अक्टूबर, १९५८		
३९. समुद्री जुंगी (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२५ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	२ सितम्बर, १९५८	१८ सितम्बर, १९५८	६ अक्टूबर, १९५८		
४०. विनियोजन (सं. ४) अधिनियम, १९५८	२५ सितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	२५ सितम्बर, १९५८	२७ सितम्बर, १९५८	६ अक्टूबर, १९५८		घन विधेयक
४१. सर्वोच्च न्यायालयिक न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५८	८ सितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	२५ अगस्त, १९५८	२७ सितम्बर, १९५८	१७ अक्टूबर, १९५८		
४२. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (स्थिति, छूट तथा विशेषाधिकार) अधिनियम १९५८	८ सितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	२४ सितम्बर, १९५८	२७ सितम्बर, १९५८	१७ अक्टूबर, १९५८		
४३. व्यापार तथा पण्य-बिन्दु (मरुअइत मासत) अधिनियम, १९५८	२८ मार्च, १९५८ (लोक सभा)	२७ अगस्त, १९५८	१७ सितम्बर, १९५८	१७ अक्टूबर, १९५८		
४४. बाण्डिय जहाजरानी अधिनियम, १९५८	१४ फरवरी, १९५८ (लोक सभा)	१७ सितम्बर, १९५८	२५ सितम्बर, १९५८	३० अक्टूबर, १९५८		

१	२	३	४	५	६
५४. बा० (उत्तर गुरुक तथा कुली परिवर्तन) अधिनियम, १९५८	२७ मितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१८ नवम्बर, १९५८ २५ नवम्बर, १९५८	२५ नवम्बर, १९५८ २५ नवम्बर, १९५८	२५ नवम्बर, १९५८	यत विधेयक
५५. उच्च न्यायाधिक न्यायाधीश (विशेषीकरण) अधिनियम, १९५८	१२ मितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१७ नवम्बर, १९५८ २२ दिसम्बर, १९५८	२२ दिसम्बर, १९५८	२७ दिसम्बर, १९५८	यत विधेयक
५६. निच तथा निर्मोली बाबु (मंजोर) अधिनियम, १९५८	१७ मितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१९ नवम्बर, १९५८ २२ दिसम्बर, १९५८	२२ दिसम्बर, १९५८	२७ दिसम्बर, १९५८	यत विधेयक
५७. उच्च न्यायाधीश (मंजोर) अधिनियम, १९५८	१९ नवम्बर, १९५८ (लोक सभा)	२५ दिसम्बर, १९५८	२५ दिसम्बर, १९५८ २६ दिसम्बर, १९५८	२६ दिसम्बर, १९५८	यत विधेयक
५८. बिनियोजन (रेल) मं० अधिनियम, १९५८	१५ दिसम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१६ दिसम्बर, १९५८ २२ दिसम्बर, १९५८	२२ दिसम्बर, १९५८ २६ दिसम्बर, १९५८	२६ दिसम्बर, १९५८	यत विधेयक
५९. बिनियोजन (रेल) मं० अधिनियम, १९५८	१५ दिसम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१६ दिसम्बर, १९५८ २२ दिसम्बर, १९५८	२२ दिसम्बर, १९५८ २६ दिसम्बर, १९५८	२६ दिसम्बर, १९५८	यत विधेयक
६०. भारतीय मट्ट (मंजोर) अधिनियम, १९५८	८ दिसम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१८ दिसम्बर, १९५८ २२ दिसम्बर, १९५८	२२ दिसम्बर, १९५८ २६ दिसम्बर, १९५८	२६ दिसम्बर, १९५८	यत विधेयक
६१. बिरेली विभाग नियमन (मंजोर) अधिनियम, १९५८	१२ दिसम्बर, १९५८ (लोक सभा)	२० दिसम्बर, १९५८ २३ दिसम्बर, १९५८	२३ दिसम्बर, १९५८ २७ दिसम्बर, १९५८	२७ दिसम्बर, १९५८	यत विधेयक

१९५८ के संसद् के कानून (क्रमशः)

१	२	३	४	५
५४. अग्रहता निवारण (संशोधन, १९५८)	१५ दिसम्बर, १९५८ २० (लोक सभा)	२० दिसम्बर, १९५८ २४	२४ दिसम्बर, १९५८ २७	२७ दिसम्बर, १९५८
५५. संसद्-सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२७ दिसम्बर, १९५८ ११ (लोक सभा)	११ दिसम्बर, १९५८ २२	२२ दिसम्बर, १९५८ ३०	३० दिसम्बर, १९५८
५६. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (संशोधन तथा कार्यवाही) वंशकरण अधिनियम, १९५८	२४ नवम्बर, १९५८ १० (लोक सभा)	१० दिसम्बर, १९५८ २२	२२ दिसम्बर, १९५८ ३०	३० दिसम्बर, १९५८
५७. उड़ीसा माय-तोल (दिल्ली निरस्त) अधिनियम, १९५८	१५ दिसम्बर, १९५८ २० (लोक सभा)	२० दिसम्बर, १९५८ २३	२३ दिसम्बर, १९५८ ३०	३० दिसम्बर, १९५८
५८. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२७ नवम्बर, १९५८ २० (लोक सभा)	२० दिसम्बर, १९५८ २४	२४ दिसम्बर, १९५८ ३०	३० दिसम्बर, १९५८
५९. दिल्ली मकान-किराया नियन्त्रण अधिनियम, १९५८	१ दिसम्बर, १९५८ १७ (लोक सभा)	१७ दिसम्बर, १९५८ २३	२३ दिसम्बर, १९५८ ३१	३१ दिसम्बर, १९५८

वत्तीसवाँ अध्याय

१९५८ की महत्वपूर्ण घटनाएँ

जनवरी

१. आन्ध्र प्रदेश, मद्रास तथा मंसूर के मुख्यमन्त्रियों द्वारा भारत की राजभाषा के प्रश्न पर एक सम्मिलित बक्तव्य ।
- 'भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस' का नौवाँ वार्षिक अधिवेशन मद्रुरई में प्रारम्भ ।
- नयी दिल्ली में हुए 'इंग्लैण्ड कप फुटबाल टूर्नामेंट' में हैदराबाद नगर की पुलिस टीम विजयी ।
२. चेकोस्लोवाकिया के प्रधानमन्त्री थो विलियम सिरोकी का नयी दिल्ली में आगमन ।
- मद्रास के तिरुनेल्वेलि जिले में मणिमुठर सिचाई योजनाकार्य का उद्घाटन ।
५. लोक सभा के सदस्य थो आर० एम० हाजरतबीत द्वारा केन्द्रीय सरकार के त्रिधि उपमन्त्री के पद की दावे-पट्टण ।
- 'मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद्' की स्वातिपर में बैठक ।
५. 'भारतीय सङ्घ कांग्रेस' का २२वाँ अधिवेशन नयी दिल्ली में प्रारम्भ ।
- भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के प्रधानमन्त्रियों द्वारा नयी दिल्ली में सम्मिलित बक्तव्य ।
- 'केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्' की बंगलोर में बैठक ।
- 'भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान सभा' के २२वें अधिवेशन का मद्रास में उद्घाटन ।
६. 'भारतीय विज्ञान कांग्रेस' के ४५वें अधिवेशन का मद्रास में उद्घाटन ।
- नेपाल में ६०० मील लम्बी सड़की के निर्माण के लिए नेपाल-भारत-अमेरिका बतार नयी दिल्ली में सम्पन्न ।
- प्रथम 'एशियन भारतीय क्षम सम्मेलन' का लखनऊ में उद्घाटन ।
- बिहलोन तथा बोट्टयम की मिलाने वाली नयी रेल लाइन का उद्घाटन ।
७. इण्डोनीशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो का नयी दिल्ली में आगमन ।
- 'जीवन बीमा निगम' द्वारा सुंदा संस्थाओं के पद किए गए लोगों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल के लिए थो एम० सी० एगता नियुक्त ।

- ७ अम्बाला के निकट मोहरी रेल स्टेशन पर १ जनवरी को हुई रेल-बुध्दटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त ।
- भारत के नमक उद्योग के कार्य-संचालन की जांच के लिए एक समिति नियुक्त ।
- ८ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री हैरल्ड मंकमिलन का नयी दिल्ली में आगमन ।
- श्री शेख अब्दुल्ला नजरबन्दी से मुक्त ।
- ९ भारत तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्रीर इण्डोनीशिया के राष्ट्रपति द्वारा नयी दिल्ली में परस्पर विचार-विमर्श ।
- भारत सरकार द्वारा 'अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्' की स्थापना ।
- १० ईराकी योजना प्रतिनिधिमण्डल का बम्बई में आगमन ।
- 'एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग' द्वारा आयोजित सस्ती सड़कों तथा भू-स्वायत्त्व विषयक विचारगोष्ठी का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- १२ भारत तथा पाकिस्तान के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि डा० फ्रंक ब्राहम का नयी दिल्ली में आगमन ।
- 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' की स्थायी समिति की नयी दिल्ली में बैठक ।
- १३ सोवियत रूस से चार व्यक्तियों के एक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल का मद्रास में आगमन ।
- भारत-श्रीलंका व्यापार करार पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।
- १४ ऊपरी असम में तेल-संसाधनों का पता लगाने तथा उनका उपयोग करने के उद्देश्य से एक 'रूपया कम्पनी' की स्थापना के लिए भारत सरकार, वर्मा प्रायद्वीप तथा असम प्रायद्वीप कम्पनियों द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर ।
- १६ भारत की अमेरिकी सरकार द्वारा २२.५० करोड़ डॉलर का ऋण दिए जाने की घोषणा ।
- अमेरिकी चीफ ऑफ स्टॉक (स्पल-सेना) जनरल मंत्रवेल डी० टेंसर का आगमन में आगमन ।
- १७ केरल के कटमपल्लि बहुद्देशीय योजनाकार्य का उद्घाटन ।
- १८ 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' का ६३वाँ अधिवेशन प्राणगोलिपपुर में आरम्भ ।
- २० 'एशियाई रंगमंच (विष्टर) संस्था' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- 'संगीत नाटक अकादेमी' द्वारा १९५७-५८ के पुरस्कारों की घोषणा ।
- पाकिस्तान द्वारा मंगला बांध बनाए जाने पर सुरक्षा परिषद् में भारत की ओर से विरोध प्रकट ।
- २१ 'सप्त उद्योग मण्डल' की बलरुता में बैठक ।
- २२ टुइनाप होने की सम्भावना के कारण बलरुता मन्त्र में आपनरातीय स्थिति की घोषणा ।
- 'सप्त उद्योग मण्डल' की बैठक में बैठक ।

- २३ भारत तथा फ्रांस सरकार द्वारा प्राथिक तथा प्राविधिक सहयोग के लिए नयी दिल्ली में एक करार पर हस्ताक्षर ।
- चीनी सशस्त्र सेना के प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली में आगमन ।
- २४ श्री विष्णुराम मेधी द्वारा मद्रास के राज्यपाल के पद की शपथ-ग्रहण ।
- स्विट्जरलैण्ड के डाक, तार तथा प्रसारण मन्त्री श्री जी० लेपोरी का नयी दिल्ली में आगमन ।
- २५ प्राकानावाली द्वारा आयोजित तृतीय वार्षिक 'राष्ट्रीय काव्य संगम समारोह' का उद्घाटन ।
- २८ भारत सरकार द्वारा देशव्यापी 'मृत्तिका तथा भूमि-उपयोग सर्वेक्षण' के लिए एक सुसंगठित तीन-वर्षीय योजना स्वीकृत ।
- २९ 'प्रशिक्षित भारतीय क्षय कार्यकर्ता सम्मेलन' का १४वाँ अधिवेशन मद्रास में आरम्भ ।
- ३० 'सोवियत रेडियो विशेषज्ञ प्रतिनिधिमण्डल' का बंगलोर में आगमन ।
- ३१ 'धन प्रबन्ध सहयोग' विषयक विचारगोष्ठी का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- हैदराबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री भीषतराव एम० पालनिटकर का बम्बई में स्वर्गवास ।

फरवरी

- १ आन्ध्र प्रदेश विधान सभा की तेलंगाना क्षेत्रीय समिति स्थापित ।
- 'केन्द्रीय शारिरिक शिक्षा तथा मनोरंजन परामर्श मण्डल' की नयी दिल्ली में बैठक ।
- २ मद्रास विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बी० साम्बमूर्ति का मद्रास में स्वर्गवास ।
- मैसूर के भूतपूर्व दीवान श्री एम० एन० कृष्णराव का बंगलोर में स्वर्गवास ।
- ३ 'भारतीय व्यापारी मण्डल' (इण्डियन मर्चण्ट्स चैम्बर) के स्वर्ण जयन्ती समारोह का बम्बई में उद्घाटन ।
- ४ भारत-जापान व्यापार करार पर टोकियो में हस्ताक्षर ।
- ५ लोकतन्त्रात्मक वियतनाम गणराज्य के राष्ट्रपति डा० हो ची मिन्ह का नयी दिल्ली में आगमन ।
- मैसूर राज्य में जोग प्रपात के निकट नारावती जलविद्युत् योजनाकार्य का उद्घाटन ।
- ६ 'केन्द्रीय शिक्षा परामर्श मण्डल' की नयी दिल्ली में बैठक ।
- घाटारहूँ राष्ट्रीय खेलकूद का कटक में उद्घाटन ।
- इटली के साथ रेडियो-टेलीग्राफ सेवा का उद्घाटन ।
- 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बोध' के प्रबन्ध-निदेशक श्री पर जंशयतान का नयी दिल्ली में आगमन ।
- ८ 'प्रायात परामर्श परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।
- भारत तथा इण्डोनेशिया के बीच सांस्कृतिक समझौते के सम्बन्ध में पुष्टि-वितेशों का विनिमय ।

- ८ 'अखिल भारतीय प्राथमिक अध्यापक सम्मेलन' जाधवपुर में प्रारम्भ ।
- ९ 'निर्यात परामर्श परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।
- पंजाब सरकार द्वारा ८ फरवरी को जालन्धर में हुए उपद्रवों की न्यायिक जांच प्रारम्भ ।
- १० संसद् का बजट अधिवेशन प्रारम्भ ।
- 'केन्द्रीय उद्योग परामर्श परिषद्' की स्थायी समिति की नयी दिल्ली में बैठक ।
- ११ अफगानिस्तान के शाह जहोर शाह का नयी दिल्ली में आगमन ।
- १२ संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल के नेता श्री हेनरी कंबट लॉज का नयी दिल्ली में आगमन ।
- १३ भारत के प्रधानमन्त्री तथा लोकतन्त्रात्मक वियतनाम गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा सम्मिलित वक्तव्य ।
- छागला आयोग का प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत ।
- केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी का त्यागपत्र स्वीकृत ।
- १४ प्रधानमन्त्री द्वारा वित्त विभाग का कार्यभार-ग्रहण ।
- भारत के प्रधानमन्त्री तथा अफगानिस्तान के शाह जहोर शाह द्वारा सम्मिलित वक्तव्य ।
- 'भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद्' की बृहद् सभा का नयी दिल्ली में अधिवेशन ।
- यूनान के साथ एक व्यापार करार पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।
- १५ 'अखिल भारतीय उद्गम सम्मेलन' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- राज्यों के अनुसूचित जाति तथा प्रादिमजाति-कल्याण मन्त्रियों का सम्मेलन नयी दिल्ली में प्रारम्भ ।
- सोवियत संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली में आगमन ।
- 'अखिल भारतीय पोषण सम्मेलन' अम्बाला में प्रारम्भ ।
- १६ योजना आयोग के कोलम्बो योजना सम्बन्धी परामर्शदाता श्री माल्कम डालिग द्वारा भारत में सहकारी आन्दोलन के कुछ पहलुओं पर प्रतिवेदन समर्पित ।
- ब्रिटेन की सुदूरपूर्व स्थल-सेना के प्रधान सेनाध्यक्ष जनरल सर फ्रांसिस फोस्टिंग का नयी दिल्ली में आगमन ।
- १७ १९५८-५९ का रेल बजट संसद् में प्रस्तुत ।
- उत्तर प्रदेश विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
- १८ वित्त मन्त्री के पद से विए त्यागपत्र का स्वीकारण करते हुए श्री टी० टी० कृष्णामाचारी द्वारा लोक सभा में वक्तव्य ।
- पश्चिम बंगाल विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
- हैदराबाद की सन्तोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबाल प्रतियोगिता में संश्लेष्यनक्षिप पुनः प्राप्त ।
- १९ सरकार द्वारा 'छागला आयोग प्रतिवेदन' की स्वीकृति की घोषणा ।
- १९५६-५७ के बजट चिन्ताकुरी कोयला खान में विस्फोट ।

- २० संसृष्ट प्रायोग का प्रतिवेदन राज्य सभा में प्रस्तुत ।
 — भारत तथा पश्चिम जर्मनी के बीच रेडियो-टेलीफोन सेवा का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
 — कनाडा द्वारा भारत को २.५० करोड़ डालर का ऋण दिए जाने के एक करार पर घोटाया में हस्ताक्षर ।
- २१ भारत सरकार द्वारा दो अलग-अलग अखिल भारतीय सेवाएँ - 'अर्थशास्त्री सेवा' तथा 'सांख्यिक सेवा' स्थापित करने के निर्णय की घोषणा ।
 — 'भारतीय केन्द्रीय कपास समिति' की बम्बई में बैठक ।
 — राज्य सभा के सदस्य श्री बी० एम० प्रोबेदुल्ला का वेल्सोर में स्वर्गवास ।
- २२ केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री भीलाना अबुलकलाम आज़ाद का नयी दिल्ली में स्वर्गवास ।
 — राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति को नये राज्य को भारत द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने की सूचना ।
- २३ भरिया के निकट भागा में 'भारतीय खान मजदूर संघ' का वार्षिक सम्मेलन धारम्भ ।
 — राज्य सभा के सदस्य श्री भुवानन्द दास का नयी दिल्ली में स्वर्गवास ।
 — लोक सभा के सदस्य श्री एस० के० बनर्जी का कलकत्ता में स्वर्गवास ।
- २५ पठानकोट के निकट हुए विस्फोट की जाँच के लिए आदेश ।
 — बम्बई विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्याय बजट प्रस्तुत ।
- २६ आन्ध्र प्रदेश विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्याय बजट प्रस्तुत ।
 — हरकेला इस्पात संयंत्र के लिए आस्थगित भुगतान के आधार पर भारत तथा पश्चिम जर्मनी द्वारा वॉन में एक करार पर हस्ताक्षर ।
 — जम्मू तथा कश्मीर विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्याय बजट प्रस्तुत ।
- २७ पंजाब विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्याय बजट प्रस्तुत ।
 २८ लोक सभा में भारत सरकार का १९५८-५९ का बजट प्रस्तुत ।

मार्च

- १ भारत के इस्पात उद्योग की ५०वीं जयन्ती जमशेदपुर में सम्पन्न ।
 — मद्रास विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्याय बजट प्रस्तुत ।
- २ मंगोलियाई सांख्यिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली में आगमन ।
 — 'उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्' की अण्डोगढ़ में बैठक ।
 — बेल्जियम के एक ध्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली में आगमन ।
- ३ 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' का प्रथम प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत ।
 — मध्य प्रदेश विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्याय बजट प्रस्तुत ।
- ४ आस्ट्रिया के विदेश मन्त्री डा० लियोपोल्ड किग्ल का नयी दिल्ली में आगमन ।

- ४ केन्द्रीय भोयड़ा कोयला तान की जांच प्रारम्भ ।
- ५ संजुंदी धरच के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली में प्रागमन ।
- 'प्रतिल भारतीय शिया सम्मेलन' हैदराबाद में प्रारम्भ ।
- ६ २० करोड़ रुपये के भारत-यूरोप ऋण करार के पुष्टीकरण-वितेल का रंगून में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच प्रादान-प्रदान ।
- ७ रुमानिया के प्रधानमन्त्री श्री शिवु स्तोइका का नयी दिल्ली में प्रागमन ।
- भारत सरकार द्वारा 'पयंटन विकास परिवर्द्ध' स्थापित करने का निर्णय ।
- केरल विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
- ८ 'अमेरिकी निर्यात-आयात बँक' के एक निवृत्तमण्डल का नयी दिल्ली में प्रागमन ।
- 'अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग' स्थापित ।
- पूर्व पाकिस्तान तथा पश्चिम बंगाल की सरकार भारत-पाकिस्तान सीमा पर बह वाली नदियों के ऋतु-अनुसार बँटवारे की एक सम्मिलित योजना पर सहमत ।
- ९ 'भारतीय दलित जाति संघ' का ग्वालियर में वार्षिक अधिवेशन प्रारम्भ ।
- १० 'वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ' के वार्षिक अधिवेशन प्रारम्भ ।
- भारत तथा रुमानिया के प्रधानमन्त्रियों द्वारा सम्मिलित वक्तव्य ।
- राजस्थान विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
- ११ श्री सिद्धार्थ शंकर रे द्वारा पश्चिम बंगाल मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र ।
- १२ मैसूर विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
- १३ 'जीवन बीमा निगम' के कुछ विनियोगों के सम्बन्ध में अधिकारियों के आचरण की जांच-पड़ताल के लिए जांच मण्डल की स्थापना की घोषणा ।
- विज्ञान तथा वैज्ञानिकों के सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए लोक सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत ।
- केरल के विख्यात कवि श्री बल्लतोल नारायण मेनन का एरणकुलम में स्वर्गवास ।
- १४ उपराष्ट्रपति का चार सप्ताह की अमेरिका यात्रा के लिए नयी दिल्ली से प्रस्थान ।
- द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के निष्कर्ष संसद् में प्रस्तुत ।
- नये 'आणविक शक्ति आयोग' की स्थापना की घोषणा ।
- असम विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
- १५ 'भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ' का छठा अधिवेशन जयपुर में प्रारम्भ ।
- १६ अन्तिम मैच में सैनिक टीम को हराकर बड़ीदा ने रंजी ट्रॉफी जीती ।
- 'अखिल भारतीय शिया सम्मेलन' नयी दिल्ली में प्रारम्भ ।
- १७ न्यूजीलैण्ड के प्रधानमन्त्री श्री वाल्टर नैश का नयी दिल्ली में प्रागमन ।
- १९ 'श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम' के खण्ड पांच को छोड़कर शेष अधिनियम की संघत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माग्य ।
- भारत के सर्वदलीय मुस्लिम विधायकों का सम्मेलन सखनऊ में प्रारम्भ ।
- बिहार विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।

- २१ बिहार विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
- 'संयुक्त राष्ट्र संघीय साक्ष तथा कृषि संगठन' की एशिया तथा सुदूरपूर्व में कृषि मूल्य तथा प्राय स्थिर करने की नीति विषयक विचारगोष्ठी का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- असम में कछार की सुरमा घाटी सीमा पर युद्ध-विराम के लिए भारत तथा पाकिस्तान में समझौता ।
- २२ श्री मोरारजी देसाई द्वारा केन्द्रीय वित्त मन्त्री का पद-ग्रहण ।
- २३ 'भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग' की भुवनेश्वर में बैठक ।
- 'केन्द्रीय पुरातत्व परामर्श मण्डल' की कलकत्ता में बैठक ।
- 'परिवार नियोजन मण्डल' की बम्बई में बैठक ।
- २४ 'प्रखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।
- राज्य सभा के रिक्त स्थानों के लिए हुए नियुक्तियों के परिणामों की घोषणा ।
- २५ श्री मोरारजी देसाई योजना आयोग के सदस्य नियुक्त ।
- 'भारतीय विमान सेवा निगम' (इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन) तथा इसके कर्मचारियों के बीच उठे विवाद पर राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पंचाट की घोषणा ।
- २६ 'विद्युच्चिन्तालय अनुदान आयोग' द्वारा अंप्रेती की अध्यापन सम्बन्धी समस्याओं के विचारार्थ नयी दिल्ली में सम्मेलन आरम्भ ।
- बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एस० आर० तेन्दुलकर का बम्बई में स्वर्गवास ।
- २७ 'कहवा तथा रबड़ बागान जीव आयोग' की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों की घोषणा ।
- २८ जम्मू तथा कश्मीर राज्य को भारत के लेवा नियन्त्रक तथा महान्यायाधीशक के न्यायाधिकारक्षेत्र में लाया गया ।
- श्री लालबहादुर शास्त्री द्वारा केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री का पद-ग्रहण ।
- २९ श्री एस० के० पाटील द्वारा केन्द्रीय परिवहन तथा संचार-आपन मन्त्री का पद-ग्रहण ।
- ३० राजस्थान महर के लुट्टाई-कार्य का उद्घाटन ।
- ३१ जापान सरकार द्वारा भारत को हरबेला क्षेत्र में स्थित सोहा भण्डार के विभाग में सहायता पहुँचाने के लिए ८० लाख अमेरिकी डालर के मूल्य का षेन ऋण देने का निर्णय ।

अप्रैल

- १ भारतीय वायु सेना की २५वीं जयन्ती सम्पन्न ।
- केरल विधान सभा द्वारा हरीद्वार एव प्रस्ताव से भारत के राष्ट्रपति से पर निवेदन किया गया कि केरल उच्च न्यायालय की एक स्थानों तथा त्रिनेत्रम में भी स्थापित की जाए ।

- २५०]
- २ सर्वश्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम तथा बी० गोपाल रेड्डी द्वारा क्रमशः मन्त्रि-मण्डलीय मन्त्री तथा राज्य-मन्त्री के रूप में श्रीर सर्वश्री एस० बी० रामस्वामी, अहमद मुहिउद्दीन, पी० एस० नरकर तथा श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा उपमन्त्रियों के रूप में शपथ-ग्रहण ।
- श्रीलंका-स्थित भारतीयों के भविष्य के विषय में नीति के स्पष्टीकरण का अनुसूची करते हुए श्रीलंका सरकार को भारत सरकार द्वारा एक स्मरणपत्र प्रेषित ।
- ३ तृतीय 'प्रतिरक्षा विज्ञान सम्मेलन' दिल्ली में प्रारम्भ ।
- डा० फ्रैंक ग्राहम द्वारा सुरक्षा परिषद् को दिया गया प्रतिवेदन प्रकाशित ।
- श्री एस० एस० मिराजकर बम्बई के महापौर निर्वाचित ।
- ४ सर्वश्री बी० एस० मूर्ति, आनन्द चन्द्र जोशी तथा गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा संसदीय सचिव नियुक्त ।
- अखिल भारतीय जन संघ का वार्षिक सम्मेलन अम्बाला में प्रारम्भ ।
- ६ 'यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस' का पंच-दिवसीय तृतीय अखिल भारतीय सम्मेलन विवलीन में समाप्त ।
- भारत के साम्यवादी दल का प्रसाधारण अधिवेशन अमृतसर में प्रारम्भ ।
- ७ 'राज्यीय कल्याण मण्डलों' के अध्यक्षों का चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन नयी दिल्ली में प्रारम्भ ।
- भारत तथा सऊदी अरब द्वारा व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विषयक सम्मिलित वक्तव्य पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।
- ८ विभिन्न उद्योगों में उपलब्ध प्राविधिक उत्पादन-क्षमता कर्मचारियों के व्यापक सर्वेक्षण के लिए 'राष्ट्रीय उत्पादन-क्षमता परिषद्' द्वारा 'उत्पादन-क्षमता कर्मचारी सर्वेक्षण समिति' नियुक्त ।
- चलचित्रों के लिए राजकीय पुरस्कारों की घोषणा ।
- भारत के साम्यवादी दल द्वारा दल का नया संविधान अमृतसर में स्वीकृत ।
- १० 'सार्वजनिक सेवा में भर्ती के लिए अर्हता' विषयक समिति की सिफारिशें प्रकाशित ।
- १२ 'अखिल भारतीय सरकारी संस्था कांग्रेस' का तृतीय अधिवेशन नयी दिल्ली में प्रारम्भ ।
- विक्रय के लिए हस्तशिल्प-वस्तुओं के उत्पादन की व्यवस्था करने के निमित्त एक निगम स्थापित ।
- 'अखिल भारतीय पंचायत सम्मेलन' जसडीह (बिहार) में प्रारम्भ ।
- १४ श्रीमती अदल्ला आसफ अली दिल्ली नगर-निगम की सर्वप्रथम महापौर निर्वाचित ।
- १५ कनाडा के 'राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज' के एक दल का नयी दिल्ली में प्रागमन ।
- १६ कन्नडा तथा मद्रास बन्दरगाहों के विकास के लिए विद्युत धंका द्वारा ४.३० करोड़ आर के दो श्रृंखला स्वीकार करने की घोषणा ।
- 'विश्वविद्यालयिक शिक्षा में एक-रूपता' विषयक राष्ट्रीय विचारगोष्ठी नयी दिल्ली में प्रारम्भ ।

- १६ प्राक्कलन समितियों के अध्यक्षों का सम्मेलन नयी दिल्ली में आरम्भ ।
- १७ 'हिन्दुस्तान नमक कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड' स्थापित ।
- बम्बई विधान सभा में मराठवाडा क्षेत्र के लिए एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित ।
- लोक सभा के सदस्य श्री अश्वपेश कुमार सिंह का पटना में स्वर्गवास ।
- १८ विख्यात समाज-सुधारक तथा शिक्षाशास्त्री डा० डी० के० कर्वे अपनी १०१वीं वर्ष-गाँठ के अवसर पर बम्बई में सम्मानित ।
- उड़ीसा सरकार द्वारा नियुक्त 'भूमि-सुधार समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित ।
- डा० त्रिभुल्ल सेन कलकत्ता नगर-निगम के महापौर निर्वाचित ।
- भारत तथा इथियोपिया द्वारा एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर ।
- २० उड़ीसा के जोडा नामक स्थान में लीह-भोगनीज संयंत्र का उद्घाटन ।
- तृतीय 'आकाशवाणी साहित्य समारोह' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- २२ वाइस एडमिरल कटारी सर्वप्रथम भारतीय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त ।
- २३ प्रथम में एक तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने में रुमानिया सरकार का सहायता देने का प्रस्ताव भारत सरकार को मान्य ।
- २६ उड़ीसा मन्त्रिमण्डल के उपमन्त्री श्री भ्रनूपसिंह देव द्वारा त्यागपत्र ।
- 'शक्ति भारतीय समाजवादी दल' की शेरघाटी (गया) में बैठक ।
- केरल सरकार द्वारा नियुक्त 'वैतन पुनर्विचार समिति' द्वारा प्रतिवेदन समर्पित ।
- मैसूर सरकार द्वारा डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में एक 'विश्व-विद्यालय शिक्षा एकीकरण समिति' नियुक्त ।
- २७ अंग्रेजों के अध्यापन की समस्याओं के विचारार्थ हुए सम्मेलन का प्रतिवेदन 'विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा स्वीकृत ।
- २८ केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत का दूसरा जहाजनिर्माण-घाट पश्चिमोत्तर पर स्थापित करने की घोषणा ।
- श्री राधा विनोद पाल जनेवा में होने वाले 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग' के दसवें अधिवेशन के सभापति निर्वाचित ।
- २९ श्री सोल अम्बुल्ला पुनः हिरासत में ।
- ३० पण्डू विद्यान भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल का नयी दिल्ली से मास्को के लिए प्रस्थान ।
- २९ अप्रैल को घटमशेट्ट (बिबलोन) में लोक सहायक सेवा विधिवि में विद्यालय छात्र पढ़ाओं के कारण हुई कुपंटना की जीव आरम्भ ।

गई

- १ मुंबई के प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नयी दिल्ली में आरम्भ ।
- सरकार का वैज्ञानिक मानि सचिवों प्रस्ताव लोक सभा में प्रस्तुत ।

- ५ प्राय कर विभाग के प्रशासन तथा कार्य-संचालन की जाय-सुझाव के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त।
- ७ 'केन्द्रीय जीवविज्ञान परामर्श मण्डल' स्थापित करने के निर्णय की घोषणा।
- ८ भारत द्वारा विदेशों को अपने इन निर्णयों की पुनः सूचना कि उम्मीद राशियात तथा ऊपरी सरहद्वय गहर प्रशासित १६६२ तक यन्त्र तैयार हो जायेंगे और तब तक पाकिस्तान को भी अपनी शयय्या कर लेनी चाहिए।
- 'प्रतिभारतीय महापौर सम्मेलन' हैदराबाद में सम्पन्न।
- ९ पश्चिम जर्मनी के कारखानों तथा 'हिन्दुस्तान मशीनों प्रोड्यार कारखाना' के बीच हुए प्राविधिक सहयोग करार पर बंगलोर में हस्ताक्षर।
- १० नार्वे की संसद् द्वारा केरल मण्डली-उद्योग योजनाकार्य के लिए १६५८-५९ में ५० लाख क्रोनर (२.५० लाख पौण्ड) का अनुदान देना स्वीकृत।
- 'बाल चलचित्र समिति' की कार्यकारिणी परिषद् फिर से संगठित।
- ११ पटसन उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए पलकता में एक नया संगठन स्थापित।
- १३ भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार क्रमशः साहोर तथा बम्बई में अपने-अपने उपद्रुतावास बन्द करने के लिए सहमत।
- १४ प्राय पर दोहरा कर न लगने देने के लिए भारत तथा पश्चिम जर्मनी एक अभिसमय (कन्वेंशन) के प्रारूप पर सहमत।
- 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १६५८' लागू।
- 'श्रमजीवी पत्रकार (वेतन-दर निर्धारण) अध्यादेश, १६५८' लागू।
- प्रतिष्ठित मजदूर नेता श्री वी० सी० चेट्टियार का मद्रास में स्वर्गवास।
- १५ बन्दर तथा गोदी कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आरम्भ।
- १६ बम्बई बन्दर क्षेत्र में संकटकालीन स्थिति की घोषणा।
- १८ कोचीन में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त।
- पंचाटों, करारों तथा समझौतों को कार्यान्वित करने के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र में एक त्रिदलीय समिति नियुक्त।
- १९ भारत तथा अमेरिका द्वारा १० योजनाकार्य-करारों पर हस्ताक्षर जिनके अन्तर्गत भारत के विकासकार्य के लिए प्राविधिक सहायता प्राप्त होगी।
- लेबनॉन में 'संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यवेक्षक दल' में सम्मिलित होने के लिए भारतीय सैनिक पर्यवेक्षकों का नयी दिल्ली से ब्रेहत की प्रस्थान।
- 'भारतीय विमान सेवा निगम' 'अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संस्था' का सदस्य नियुक्त।
- २० भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों द्वारा जिन्होंने फाजिल्का के गोलीकाण्ड की संयुक्त रूप से जांच-पड़ताल की, अपनी-अपनी सरकारों को प्रतिवेदन समर्पित।

- ११ असम में एक तेल-शोधक कारखाना (सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वप्रथम) स्थापित करने के सम्बन्ध में सम्झौतावार्ता चलाने के लिए भारत के सरकारी प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली से ह्मनिया को प्रस्थान ।
- पश्चिम जर्मनी से सात व्यक्तियों के एक समाचारपत्र-प्रकाशक प्रतिनिधिमण्डल का कलकत्ता में प्रागमन ।
- १२ 'मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद्' की नैनीताल में बैठक ।
- १३ अमेरिका द्वारा भारत को ७.५० करोड़ डालर का ऋण दिए जाने से सम्बन्धित दो करारों पर हस्ताक्षर ।
- एक देश के वैमानिक संगठनों द्वारा दूसरे देश में कार्य-संचालन के सम्बन्ध में दोहरा कर न लगने देने के लिए भारत तथा स्विट्जरलैण्ड द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर ।
- केरल सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के परिवर्द्धित वेतन-स्तरों की घोषणा ।
- १४ पश्चिम बंगाल के दिविरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए चार राज्यों में ग्यारह 'भूमि सर्वेक्षण मण्डलियाँ' नियुक्त ।
- आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् के लिए हुए निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा ।
- १५ अखिल भारतीय बन्दर तथा गोदी-कर्मचारी हड़ताल समाप्त ।
- भारत तथा अमेरिका द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर जिसके अनुसार भारत को उड़ोसा की सोहा खानों के विकास के लिए अमेरिका से २ करोड़ डालर का ऋण मिलेगा ।
- भारत-पाकिस्तान सीमा पर सिलहट के निकट हुए उपद्रवों पर विचार-विमर्श के लिए असम तथा पूर्व पाकिस्तान के मुख्य सचिवों की टाका में बैठक ।
- भाखड़ा बांध के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण ।
- १६ पटसन उद्योग के लिए १ जुलाई से तोल की मीट्रिक प्रणाली लागू करने की घोषणा ।
- १७ कर्मचारी निर्वाह निधि योजना, सरकार व्यवसाय स्थानीय प्राधिकारी संस्थाओं के अधीनस्थ प्रतिष्ठानों के लिए भी लागू ।
- 'उड़ोसा ग्राम पंचायत जीव समिति' द्वारा प्रतिवेदन प्रकाशित ।
- १८ बंगलोर औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास ।
- १९ पाकिस्तान की नहरी बानी की उपलब्धि सम्बन्धी व्यवस्था की जीव-पड़ताल के लिए सोन सदरमें वाला 'विश्व बैंक मण्डली' का नयी दिल्ली से प्रागमन ।
- बंगलोर-स्थित 'हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना' की संपुष्ट प्रबन्ध परिषद् का उद्घाटन ।

जुलाई

१ सरहिन सहायक नहर का उद्घाटन ।

४ 'देशीय क्षेत्रीय छोटे सिंचाई कार्य सम्मेलन' हैदराबाद में आयोजित ।

- २६ उड़ीसा उच्च न्यायालय के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री बी० के० रे का कटक में स्वर्गवास ।
- २८ 'कैरल प्रशासन सुधार समिति' द्वारा प्रतिवेदन समर्पित ।
- २९ भारत में मध्यम पैमाने के उद्योगों के विस्तार के लिए नयी दिल्ली में भारत तथा अमेरिका द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर ।
- ३० 'मखिल भारतीय समाचारपत्र-प्रकाशक सम्मेलन' नयी दिल्ली में प्रारम्भ ।

अगस्त

- १ 'राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति' की मद्रास में बैठक ।
- २ भारत-पाकिस्तान सीमा पर हुए हूसेनीवाला-काण्ड के सम्बन्ध में भारत द्वारा पाकिस्तान से विरोध प्रकट ।
- 'पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्' की शिलङ्ग में बैठक ।
- भारत तथा इटली द्वारा एक घरेलूक वायु-परिवहन करार पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।
- ३ 'विश्व युवक संगठन' के तृतीय महासम्मेलन का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- ४ चतुर्थ 'अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-संश्लेषण सम्मेलन' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- ६ सुप्रसिद्ध बीरगवादेक श्रीर मद्रास-स्थित कलाक्षेत्र के प्रधानाध्यापक तथा संगीत कला-निधि श्री साम्बशिव अय्यर का स्वर्गवास ।
- ७ 'केन्द्रीय उद्योग परामर्श परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।
- जापान तथा भारत द्वारा लोहा सम्बन्धी एक करार पर टोकियो में हस्ताक्षर ।
- आचार्य विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व के लिए 'रेमन गैंगसेते' पुरस्कार से पुरस्कृत ।
- ८ 'पूर्वी क्षेत्रीय छोटे सिंचाईकार्य सम्मेलन' का कलकत्ता में उद्घाटन ।
- ९ भारतीय पब्लिक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा लागू करने के प्रश्न की जाँच-पड़ताल के लिए एक समिति नियुक्त ।
- १० 'दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि-शोध स्नातकोत्तर संस्था' काकोयमुत्तूर में उद्घाटन ।
- ११ कम्बोडिया के प्रधानमन्त्री राजकुमार नरोत्तम सिंहपूक का नयी दिल्ली में आगमन ।
- आयुर्वेद चिकित्सा-प्रणाली के क्षेत्र में किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त ।
- १२ लोक सभा की सदस्या श्रीमती अनुसुयाबाई बाले का बंगलूर में स्वर्गवास ।
- 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' तथा 'भारतीय पुलिस सेवा' जम्मू तथा जम्मोर के राज्य के लिए भी लागू किए जाने के सम्बन्ध में लोक सभा में एक विधेयक पारित ।
- अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्मारकों के हटाए जाने के प्रश्न पर उपद्रव ।
- 'केन्द्रीय हरिजन तथा आदिमजातीय कल्याण परामर्श मण्डल' पुनर्संगठित ।

- ४ जम्मू तथा कश्मीर नेशनल फार्मस की श्रीनगर में बैठक ।
- ५ राजस्थान सरकार द्वारा 'राजस्थान राजधानी जाँच समिति' की सिफारिशें स्वीकृत ।
- ७ झारखण्ड प्रदेश विधान परिषद् का हैदराबाद में उद्घाटन ।
- दोहरा कर न लगाने देने के लिए भारत तथा स्वीडन के बीच एक समझौता ।
- ८ बम्बई तथा मंसूर के मुख्यमन्त्री दोनों राज्यों के सीमा सम्बन्धी प्रश्न को निपटारे के लिए 'पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्' के सुपुर्व करने पर सहमत ।
- 'दो आँखें बारह हाथ' शीर्षक भारतीय चलचित्र 'अन्तर्राष्ट्रीय कंबोलीक चलचित्र संगठन' द्वारा पुरस्कृत ।
- ९ केरल में विपत्त खाद्य पदार्थों वाले मामलों की जाँच के लिए नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित ।
- १० लाहौर-स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त का कार्यालय औपचारिक रूप से बन्द ।
- 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा आयोजित परीक्षा विषयक विचारगोष्ठी का हैदराबाद में उद्घाटन ।
- ११ 'हिन्दी शिक्षा समिति' की नयी दिल्ली में बैठक ।
- १२ 'गान्धी स्मारक निधि' द्वारा गान्धीवादी विचारधारा तथा आदर्शों के सम्बन्ध में शोधकार्य तथा अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना का निर्णय ।
- १३ समस्तीपुर के निकट श्रवण-तिरहुत डाकगाड़ी दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु ।
- श्री श्रीमन्नारायण, योजना आयोग के सदस्य नियुक्त ।
- १४ भारत सरकार की उर्दू सम्बन्धी नीति के स्पष्टीकरण के लिए एक वक्तव्य प्रकाशित ।
- १५ राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच की व्यवस्था समाप्त ।
- 'खाद्य संरक्षण उद्योग विकास परिषद्' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- १६ भारत सरकार के वैज्ञानिक नीति विषयक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए वैज्ञानिकों, उपकुलपतियों तथा शिक्षाशास्त्रियों का सम्मेलन नयी दिल्ली में प्रारम्भ ।
- २० चौधरी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में बन्दर तथा गोदी-कर्मचारियों के लिए सुझाए गए वेतन-स्तर सरकार द्वारा स्वीकृत ।
- श्री धार० वी० घुलेकर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति निर्वाचित ।
- २२ बम्बई की 'घारे दुग्ध बस्ती' में भारत के सर्वप्रथम दुग्ध-निष्कीटण संयंत्र का उद्घाटन ।
- २३ भारत द्वारा ईराक के नये शासन को मान्यता ।
- २४ भारत सरकार द्वारा 'दण्डकारण्य विक्रम प्राधिकारी संस्था' स्थापित करने का निर्णय ।
- २५ 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था' का बम्बई में उद्घाटन ।
- २६ 'सूती वस्त्र जाँच समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित ।

- २६ उड़ीसा उच्च न्यायालय के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री बी० के० रे का कटक में स्वर्गवास ।
- २८ 'केरल प्रशासन सुधार समिति' द्वारा प्रतिवेदन समर्पित ।
- २९ भारत में मध्यम रमाने के उद्योगों के विस्तार के लिए नयी दिल्ली में भारत तथा अमेरिका द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर ।
- ३० 'प्रसिद्ध भारतीय समाचारपत्र-प्रकाशक सम्मेलन' नयी दिल्ली में प्रारम्भ ।

अगस्त

- १ 'राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति' की मद्रास में बैठक ।
- २ भारत-पाकिस्तान सीमा पर हुए हुसेनोवाला-काण्ड के सम्बन्ध में भारत द्वारा पाकिस्तान से विरोध प्रकट ।
- 'पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्' की गिलड में बैठक ।
- भारत तथा इटली द्वारा एक प्रतैनिक वायु-परिवहन करार पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।
- ३ 'विश्व युवक संगठन' के तृतीय महासम्मेलन का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- ४ चतुर्थ 'अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-संशोधक सम्मेलन' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- ६ सुप्रसिद्ध धोलावादक श्रीर मद्रास-स्थित कलाक्षेत्र के प्रधानाध्यापक तथा संगीत कला-निधि श्री साम्बन्धिय अय्यर का स्वर्गवास ।
- ७ 'केन्द्रीय उद्योग परामर्श परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।
- जापान तथा भारत द्वारा लोहा सम्बन्धी एक करार पर टोकियो में हस्ताक्षर ।
- प्राचार्य विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व के लिए 'रेमन गैंगसेसे' पुरस्कार से पुरस्कृत ।
- ८ 'पूर्वी क्षेत्रीय छोटे सिचाईकार्य सम्मेलन' का कलकत्ता में उद्घाटन ।
- ९ भारतीय पब्लिक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा लागू करने के प्रश्न की जाँच-पड़ताल के लिए एक समिति नियुक्त ।
- १० 'दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि-शोध स्नातकोत्तर संस्था' काशियमुत्तूर में उद्घाटन ।
- ११ बम्बोडिया के प्रधानमंत्री राजकुमार नरोत्तम सिंहलूक का नयी दिल्ली में प्रागमन ।
- धामुर्वेद चिकित्सा-प्रणाली के क्षेत्र में किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त ।
- १२ लोक सभा की सदस्या श्रीमती अनुमुयाबाई बाले का बंगलोर में स्वर्गवास ।
- 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' तथा 'भारतीय पुलिस सेवा' जम्मू तथा कश्मीर के राज्य के लिए भी लागू किए जाने के सम्बन्ध में लोक सभा में एक विधेयक पारित ।
- प्रहमदाकार में राष्ट्रीय स्मारकों के हटाए जाने के प्रश्न पर उपद्रव ।
- 'केन्द्रीय हरिजन तथा प्रादिमजातीय बस्याण परामर्श मण्डल' पुनर्र्गठित ।

- १४ दिल्ली तथा मास्को के बीच सीधी विमान सेवा का उद्घाटन ।
- १५ संस्कृत के चार सुप्रसिद्ध विद्वान तथा घरघी के एक सुप्रसिद्ध विद्वान प्रमाणपत्रों से सम्मानित ।
- प्रोफेसर सत्येन्द्रनाथ बोस तथा डा० के० एस० कृष्णन राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त ।
- भारतीय राष्ट्रीय सन्दर्भग्रन्थ-सूची का प्रथम खण्ड प्रकाशित ।
- १६ केरल राजभाषा समिति द्वारा १९६५ से सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए राजभाषा के रूप में मलयालम का उपयोग करने की सिफारिश ।
- १८ 'रेल-भाड़ा निर्धारण जांच समिति' की सिफारिशों पर भारत सरकार के निर्णयों की घोषणा ।
- दामोदर घाटी निगम के माइथन जलविद्युत् केन्द्र का उद्घाटन ।
- १९ 'भारतविद्या समिति' की सर्वप्रथम बैठक का नया दिल्ली में उद्घाटन ।
- २० लोक सभा में भारत सरकार की खाद्य नीति पर प्रकाश ।
- अग्रणी मजदूर नेता श्री बी० पी० थाडिया का बंगलोर में स्वर्गवास ।
- २१ पूर्व जर्मनी की एक फर्म के सहयोग से भारत में चलचित्र-दर्शित्रों (सिनेमेटोग्राफ) तथा एक्सरे-फिल्मों के निर्माण के लिए एक कारखाने की स्थापना के लिए स्वीकृति प्राप्त ।
- २२ 'भारतीय शोध कारखाना (ग्राइवेट) लिमिटेड' नयी दिल्ली में पंजीकृत ।
- २३ औरंगाबाद में मराठवाडा विश्वविद्यालय स्थापित ।
- २४ 'अन्तर्राष्ट्रीय कृषि-अर्थशास्त्री सम्मेलन' के दसवें अधिवेशन का मँसूर में उद्घाटन ।
- २५ 'जीवन बीमा निगम' की नयी विनियोग नीति की लोक सभा में घोषणा ।
- 'संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, समाज तथा संस्कृति संगठन' की दो सप्ताह चलने वाली 'वक्षिण तथा वक्षिण-पूर्व एशिया शिक्षा-सुधार विचारगोष्ठी' का कार्य नयी दिल्ली में आरम्भ ।
- २६ भारत के केन्द्रीय वित्त मन्त्री का ब्रिटेन, अमेरिका तथा कनाडा की यात्रा पर विमान द्वारा नयी दिल्ली से प्रस्थान ।
- २७ उत्तर प्रदेश के राजस्व उपमन्त्री श्री परमात्मानन्द सिंह का लखनऊ में स्वर्गवास ।
- २८ लोक सभा के सदस्य श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, योजना आयोग के सदस्य नियुक्त ।
- बौद्धा कर न लगने देने के लिए भारत-स्विस करार पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।
- अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, जापान तथा विश्व बैंक द्वारा भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए भारत की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कमी की पूर्ति करने का वाणिज्य में सम्मिलित रूप से निर्णय ।
- ३० भारत-पाकिस्तान सीमा सम्बन्धी विवादों के निपटारे के लिए कराची में 'भारत-पाकिस्तान सम्मेलन' आरम्भ ।
- 'शायत परामर्श परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।
- ३१ 'निर्वाण प्रोत्साहन परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।

सितम्बर

१. आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में कद्दम योजनाकार्य-क्षेत्र में बना बाँध कद्दम नदी में प्रसाधारण बाढ़ आने के कारण टूटा।
- लोक सभा में भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद सम्बन्धी वक्तव्य।
४. उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा ३० प्र० मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध रखा गया प्रविशवात का प्रस्ताव धरवीकृत।
- ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत को ४ करोड़ पौण्ड का ऋण देने की घोषणा।
५. अमेरिकी स्थल-सेना मन्त्री श्री विल्बर एम० ब्रूकर का नयी दिल्ली में आगमन।
६. प्रतिरक्षा-उत्पादन प्रदर्शनी का नयी दिल्ली में उद्घाटन।
७. 'भारतीय रेल कौयला-उपभोग विशेषज्ञ समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित।
८. 'आधारभूत शिक्षा और सामुदायिक विकास में दृश्य सहायता का महत्व' सम्बन्धी 'संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, समाज तथा संस्कृति संगठन' की क्षेत्रीय गोष्ठी का नयी दिल्ली में उद्घाटन।
९. पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री श्री फिरोज र्शा नून का नयी दिल्ली में आगमन।
११. भारत तथा पाकिस्तान के प्रधानमन्त्रियों का सम्मिलित वक्तव्य नयी दिल्ली में प्रकाशित।
- साध स्विति के विचारार्थ संसद् के दोनों सदनों के सभी इतों के सदस्यों का नयी दिल्ली में सम्मेलन।
- संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा के तेरहवें अधिवेशन के लिए श्री बी० के० कृष्ण मेनन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली से प्रस्थान।
- डॉ० पी० बी० चेरियन, मद्रास विधान परिषद् के सभापति पुनः निर्वाचित।
१२. लम्बात क्षेत्र से तेल मिलने की घोषणा।
- लोकसभा के सदस्य श्री एन०जी० रंगा 'सायंजतिव तेल समिति' के अध्यक्ष नियुक्त।
१३. 'प्रतिनिध्याधिकार (बायोराइट) अधिनियम, १९५७' के अन्तर्गत प्रतिनिध्याधिकार मण्डल स्थापित किए जाने की घोषणा।
१४. श्री एन० बी० माडगिल द्वारा पंजाब के राज्यपाल-पद की सदस्य-पदना।
- भारत के केन्द्रीय वित्त मन्त्री का मन्त्रिमण्डल में 'राष्ट्रमन्त्रिमंडल कार्य तथा व्यवहार सम्मेलन' में भाग लेना।
१५. प्रधानमन्त्री का भूटान के लिए प्रस्थान।
- एन० सी० कार्य के लिए पुरुषों तथा महिलाओं (महदुरों) को स्थान महदुरों लिए जाने से सम्बन्धित 'अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन' के अन्तिममंड (बन्नेटन) की अन्तर्गत सरकार द्वारा पुष्टि।
१७. भारतीय रेलों के विकास के लिए भारत तथा विश्व बैंक द्वारा ८५० करोड़ रुपये के ऋण सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर।

- १८ गुप्रसिद्ध बार्नानिक तथा विद्वान् डा० भगवान दास का वाराणसी में स्वर्गवात ।
- १९ 'राष्ट्रीय रेल-यात्री परामर्श परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।
- 'राष्ट्रीय उत्पादन-क्षमता परिषद्' द्वारा नियुक्त एक मण्डली का उत्पादन-क्षमता विषयक विधियों तथा प्रक्रिया के अध्ययनाथं छः सप्ताह की अध्ययन-यात्रा पर अमेरिका, पश्चिम जर्मनी तथा ब्रिटेन के लिए नयी दिल्ली से प्रस्थान ।
- २० अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास का दिल्ली में उद्घाटन ।
- २२ रुपये में भुगतान के आधार पर सोवियत रूस से इस्पात के आयात के लिए हुए एक ठेके पर हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा ।
- २३ राष्ट्रपति का जापान की राजकीय यात्रा पर नयी दिल्ली से प्रस्थान ।
- २४ 'दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय विषय स्वास्थ्य संगठन समिति' के ग्यारहवें अधिवेशन का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- २५ भारत द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर काहिरा में हस्ताक्षर ।
- २६ विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री ई० ब्लैंक का नयी दिल्ली में आगमन ।
- भारत द्वारा 'अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक तथा कलात्मक कृति-संरक्षण संघ' के बर्न अभिसमय पर स्वीकृति ।
- २८ 'केन्द्रीय हरिजन-कल्याण तथा आदिमजातीय कल्याण मण्डलों' की नयी दिल्ली में बैठक ।
- ३० 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' के प्रबन्ध-निदेशक श्री पर जँकबसन का नयी दिल्ली में आगमन ।

अक्तूबर

- १ 'तिब्बतविद्या संस्था' का गंगटोक में उद्घाटन ।
- राज्यों के आवास मन्त्रियों का दार्जिलिंग में वार्षिक सम्मेलन ।
- तोल की मीट्रिक प्रणाली लागू ।
- २ ब्रिटेन के फर्स्ट लार्ड ग्रॉफ व एडमिरलटी—ग्रॉफ सेलकिंक—का नयी दिल्ली में आगमन ।
- एक 'सूतीवस्त्र परामर्श मण्डल' स्थापित ।
- ३ शिमला में हुई 'पंजाब विभाजन परिषद्' की बैठक में अखण्ड पंजाब की सम्पत्तियों के बँटवारे पर सहमति ।
- सड़क परिवहन तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन में अधिक से अधिक समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से एक समिति नियुक्त ।
- ५ मध्य प्रान्त तथा बरार के भूतपूर्व कार्यवाहक गवर्नर श्री श्रीपाद बलवन्त ताम्बे (१९२६) का नागपुर में स्वर्गवात ।

- ६ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के तेरहवें मिलेजुले वार्षिक अधिवेशन का नया दिल्ली में उद्घाटन ।
- ८ 'भारत १९५८ प्रदर्शनी' का नया दिल्ली में उद्घाटन ।
- भारत के विधायी निकायों (विधान सभा तथा विधान परिषद्) के अध्वशों का शर्जिलिंग में वार्षिक सम्मेलन ।
- ९ गेहूँ के ऋय के लिए कनाडा सरकार द्वारा ८८ लाख डालर का ऋण देने की घोषणा ।
- 'केन्द्रीय पुरातत्व परामर्श मण्डल' की हैदराबाद में बैठक ।
- १२ पेरियर जलबिद्युत् योजनाकार्य का उद्घाटन ।
- १३ पश्चिम जर्मनी की सरकार द्वारा भारत को ६ करोड़ डालर का ऋण देने की घोषणा ।
- १४ भारत तथा पश्चिम जर्मनी के बीच सीधी रेडियो-टेलीग्राफ तथा रेडियो फोटो सेवाएँ स्थापित ।
- १७ पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 'पुनर्वास उद्योग निगम' स्थापित करने की घोषणा ।
- संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी आर्यर साल श्यूडोलेण्ड द्वारा प्रस्तावित पश्चिमी समोप्रा को भेजी जाने वाली संयुक्त राष्ट्र संघीय मण्डली के नेता नियुक्त ।
- २० असम में एक तेल-शोध कारखाना स्थापित करने के लिए भारत तथा रुमानिया द्वारा बुलारेस्ट में एक करार पर हस्ताक्षर ।
- २१ हिमाचल प्रदेश विधान सभा के संविधान तथा उसकी कार्यवाही को संघ टहराने के लिए एक अध्यादेश लागू ।
- अखिल भारतीय महिला हॉकी चैम्पियनशिप में बम्बई विजयी ।
- २२ दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के विभिन्न उपायों को कार्यरूप देने के लिए एक मन्त्रिमण्डलीय समिति स्थापित किए जाने की घोषणा ।
- श्री धार० बेंकटरमण 'संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रजासत्तक न्यायाधिकरण' में धरने पर पर पुनः निर्वाचित ।
- २३ सोवियत रूस की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ व्यापार सम्बन्धी वार्ता के लिए एक सरकारी व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का नया दिल्ली से भारतो को प्रस्थान ।
- अर्ब हेपरवुड का सपत्नीक नया दिल्ली में आगमन ।
- २४ 'अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी' की हैदराबाद में बैठक ।
- २५ मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री बी० रमेशम का मद्रास में स्वर्गगत ।
- बंगाल में पुनित द्वारा गोली चलाए जाने की घटना की जांच के लिए केरल सरकार द्वारा एक आयोग नियुक्त ।

- २६ एक प्रयोगिक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का भारत में प्रागमन ।
 २७ 'सामर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सच' की नयी दिल्ली में चौदहवीं वार्षिक बैठक ।
 — 'देशीय क्षेत्रीय परिषद्' की त्रिवेन्द्रम में बैठक ।
 — 'केन्द्रीय स्थायक सामन परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।
 — पाषण 'सन्निवन्वविद्यालय मुक्क समारोह' नयी दिल्ली में प्रारम्भ ।
 २६ मुगाण्डा मे पाषण सङ्घों के एक सङ्घायन मण्डल का बम्बई में प्रागमन ।
 ३० राज्यों के राज्पाणों का नयी दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन ।
 — भारत सरकार द्वारा विद्ग बँक की सङ्ग गिकारिण गिद्गामनः स्वीकृत किए जाने की घोषणा कि दूगरा सङ्ग बन्डरगाह कणरता क्षेत्र में ही स्थापित किया जाए ।

नवम्बर

- १ पाषण 'रेडियो संगीत सम्मेलन' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
 — केन्द्रीय सरकार द्वारा 'वस्त्र जीव समिति' की सिफारिशों पर घपने निलुणों की घोषणा ।
 २ 'कृषि प्रसाधन समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित ।
 ३ 'विश्व स्थास्य संगठन' का क्षेत्रीय सहायक उपचारण सेवा सम्मेलन दिल्ली में प्रारम्भ ।
 — माही नदी के दाएँ किनारे की नहर का बम्बई में उद्घाटन ।
 ४ उत्तर प्रदेश के श्रम मन्त्री आचार्य जुगल किशोर का स्थाणपत्र स्वीकृत ।
 — भारतीय हस्तशिल्प-वस्तुओं के प्रायान की सम्भात्रनाओं के अध्ययनाथं 'अमेरिकी व्यापार विकास मण्डल' का मद्रास में प्रागमन ।
 — 'अखिल भारतीय लघु उद्योग मण्डल' की दिल्डू में बैठक ।
 ५ भारत में विस्फोटक पदार्थ बनाने के कारखाने का गोमिया (बिहार) में उद्घाटन ।
 — उत्तर प्रदेश मन्त्रिमण्डल के ३ राज्य-मन्त्रियों तथा ४ उपमन्त्रियों द्वारा मुख्यमन्त्री की संयुक्त रूप से त्याणपत्र समर्पित ।
 — भारत के बकीलों के एक प्रतिनिधिमण्डल का मारको के लिए प्रस्थान ।
 — योजना आयोग की पुनर्गठित 'राष्ट्रीय जन सहयोग परामर्श समिति' की नयी दिल्ली में बैठक ।
 — पूर्व जर्मनी के साथ हुए एक व्यापारिक करार पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।
 — श्री बी० वेंकटप्प, मंसूर विधान परिषद् के सभापति निर्वाचित ।
 — 'गोहाटी श्रोद्योगिक क्षेत्र' का उद्घाटन ।
 ६ प्रथम 'अखिल भारतीय होटल मालिक सम्मेलन' नयी दिल्ली में प्रारम्भ ।
 — तेरहवें 'अखिल भारतीय पशु-चिकित्सा सम्मेलन' का बंगलोर में उद्घाटन ।
 ८ 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।

- ८ भारत सरकार द्वारा 'होटल मानक तथा दर निर्धारण समिति' की मुख्य सिफारिशें स्वीकृत ।
- १० बड़ौदा के निकट वाडसर में परीक्षाणात्मक खुदाई वाले स्थान में तेल प्राप्त ।
- अफगानिस्तान के व्यापार तथा वाणिज्य मन्त्री का नयी दिल्ली में प्रागमन ।
- चलकुंडि नदीक्षेत्र के पानी के विभाजन के सम्बन्ध में केरल तथा मद्रास सरकार के बीच समझौता ।
- ११ 'मखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन' बम्बई में प्रारम्भ ।
- १२ सानफ्रांसिस्को में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में 'अपराजिता' के निवेदन के लिए श्री सत्यजीत राय पुरस्कृत ।
- १३ मैसूर राज्य के कोलार क्षेत्र में अतिरिक्त स्वर्ण भण्डार पाए जाने की घोषणा ।
- १४ भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कृत्रिम रबड़ संयंत्र बरेली में स्थापित करने का निर्णय ।
- १५ 'राष्ट्रीय धनिज विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड' की स्थापना ।
- पोलैण्ड के साथ हुई एक व्यापार सन्धि पर वारसा में हस्ताक्षर ।
- भारत सरकार द्वारा सोवियत रूस के सहयोग से दक्षिण में एक पर्यटन लिनाइंट योजनाकार्य का काम प्रारम्भ करने के अपने निर्णय की घोषणा ।
- १६ सोवियत रूस तथा भारत में एक नया पंचवर्षीय व्यापार समझौता ।
- 'केन्द्रीय मन्त्रालय शिक्षा मण्डल' स्थापित ।
- १७ 'केन्द्रीय सिचाई तथा विद्युत् मण्डल' की नयी दिल्ली में बैठक ।
- १८ कनाडा के प्रधानमन्त्री श्री जॉन. जी. डीफेनबेकर का नयी दिल्ली में प्रागमन ।
- बम्बई में हुए 'रोवर्स फुटबाल कप टूर्नामेण्ट' में बम्बई का कालटेक्स स्पोर्ट्स क्लब विजयी ।
- २० त्रिभूली बाजार के निकट एक जलविद्युत् योजनाकार्य की कार्यान्वित करने के लिए नेपाल तथा भारत द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर ।
- २१ 'एशियाई क्षेत्रीय रोटरी इंटरनेशनल सम्मेलन' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- २२ 'सूतीकरण परामर्श मण्डल' की बम्बई में बैठक ।
- २५ भारत अन्तरिक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अध्ययनार्थ स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के १८ सदस्यों वाले दल का सदस्य निर्वाचित ।
- २७ नाथे के प्रधानमन्त्री श्री ई० गृहार्डसन का नयी दिल्ली में प्रागमन ।
- २८ जनरल दि गाल के व्यक्तिगत दूत तथा फ्रांस के निर्वाहाय मन्त्री श्री एन्ड्रे माल्रो का नयी दिल्ली में प्रागमन ।
- २९ श्री संका के वाणिज्य तथा व्यापार मन्त्री श्री० धर० जी० सेनानायक का नयी दिल्ली में प्रागमन ।
- नयी दिल्ली में खेले गए 'इंग्लैण्ड फुटबाल ट्रांफी टूर्नामेण्ट' में मद्रास रेजीमेण्टल क्लब विजयी ।

- २६ 'भारतीय जन संघ' का वार्षिक अधिवेशन बंगलौर में धारम्भ ।
- २७ 'भारतीय दर्शन (विज्ञाननिष्ठता) कांग्रेस' के ३६वें अधिवेशन का धर्मशास्त्र उद्घाटन ।
- 'भारतीय विज्ञान प्रकाशनी' की बहीरा में बैठक ।
- 'प्रथम भारतीय शिक्षा सम्मेलन' का ३३वाँ अधिवेशन मड्रीगढ़ में धारम्भ ।
- 'भारतीय अर्थ सम्मेलन' का ४१वाँ अधिवेशन लखनऊ में धारम्भ ।
- 'भारतीय शान्ति-विक्रमक संघ' का ७०वाँ वार्षिक सम्मेलन तथा 'भारतीय निर्देशन संघ' का १०वाँ वार्षिक सम्मेलन विनागापटनम में धारम्भ ।
- २८ 'परिषदीय शैक्षीय परिषद्' की बम्बई में बैठक ।
- 'प्रथम भारतीय महिला सम्मेलन' बानपुर में धारम्भ ।
- 'कनकता गणितविद्या संघ' का स्वर्ण जयन्ती समारोह धारम्भ ।
- २९ भारत तथा ईराक द्वारा एक व्यापार करार पर बगदाद में हस्ताक्षर ।
- 'श्रमजीवी पत्रकार यूनियन समिति' के चुनाव प्रकाशित ।
- २० मीम लम्बी रोहनक-गोहाना रेल लाइन का उद्घाटन ।
- 'राष्ट्रीय युवक द्वात्राबाग सम्मेलन' जयपुर में धारम्भ ।
- ३० 'गाम्भी शान्ति प्रतिष्ठान' स्थापित किए जाने की घोषणा ।
- १२वाँ 'प्रथम भारतीय पालिग्य सम्मेलन' हुबली में धारम्भ ।
- ३१ २१वाँ 'भारतीय राजनीति विज्ञान सम्मेलन' उज्जैन में धारम्भ ।
- दूसरा 'प्रथम भारतीय श्रम-अर्थ सम्मेलन' आगरा में धारम्भ ।
- 'भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग' की प्रियेन्द्रम में बैठक ।
- 'भारतीय गणितविद्या सम्मेलन' का स्वर्ण जयन्ती अधिवेशन पूना में धारम्भ ।
- भारत सरकार द्वारा 'भारी इंजीनियरिंग नियम लिमिटेड' की स्थापना ।

दिसम्बर

- १ श्री सी० यी० नरसिंहन संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष राजनीतिक मामलों के प्रबन्ध सचिव नियुक्त ।
- २ अराम के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्री हरेकृष्ण दास का गोहाटी में स्वर्गवास ।
- ३ 'संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, समाज तथा संस्कृति संगठन मध्य प्रदेश पारित्यकी (एकोलोजी) विचार-गोष्ठी' का जयपुर में उद्घाटन ।
- मलय तथा इण्डोनीशिया की दो सप्ताह की यात्रा पर राष्ट्रपति का नयी दिल्ली से प्रस्थान ।
- एशिया तथा सुदूरपूर्व के पेट्रोलियम-संसाधनों के विकास के सम्बन्ध में नयी दिल्ली में एक विचारगोष्ठी का उद्घाटन ।
- ४ चतुर्थ 'भारतीय उड्डयन प्लब सम्मेलन' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
- ५ सिलहट की सीमा पर भारत तथा पाकिस्तान में शुद्ध-विराम समझौता ।
- १० भारत 'संयुक्त राष्ट्र संघीय न्यासिता परिषद्' की 'स्वायत्तशासी क्षेत्र समिति' का सदस्य पुनः निर्वाचित ।
- ११ श्री विलसन जोन्स कलकत्ता में भारत की ओर से संसार का सर्वश्रेष्ठ शोकिया विलियर्ड्स खिलाड़ी घोषित ।
- १४ 'अखिल भारतीय किसान सम्मेलन' नयी दिल्ली में आरम्भ ।
- १७ अहमदाबाद के निकट गांगड में प्रधानमंत्री की आचार्य विनोबा भावे से भेंट तथा भूमि-समस्या पर परस्पर विचार-विमर्श ।
- मद्रास विधान परिषद् के विरोधी दल के सदस्य तथा भूतपूर्व उपनेता श्री वी० के० जॉन का मद्रास में स्वर्गवास ।
- १६ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ७०वाँ जयन्ती-समारोह सम्पन्न ।
- २० 'अखिल भारतीय आयोजन विचारगोष्ठी' की नयी दिल्ली में बैठक ।
- बंगलोर में सेण्ट्रल कालेज का शताब्दी समारोह ।
- द्वितीय देशध्यायी निर्वाचनों के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रतिवेदन प्रकाशित ।
- २२ घाना के प्रधानमंत्री श्री एकाभे एंकूमा का उम्बई में आगमन ।
- न्यूयार्क के 'राष्ट्रीय चलचित्र समीक्षा मण्डल' द्वारा 'पथेर पांचाली' शीर्षक भारतीय चलचित्र १९५८ का सर्वोत्तम विदेशी चलचित्र घोषित ।
- २४ भारत को १० करोड़ डॉलर का ऋण देने के लिए वाशिंगटन में एक करार पर हस्ताक्षर ।
- २५ 'भारतीय इतिहास कांग्रेस' का २१वाँ अधिवेशन त्रिवेन्द्रम में आरम्भ ।
- २६ 'दूर-संचार इंजीनियर संस्था' का नयी दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन ।
- कटक में ३५वाँ 'अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन' आरम्भ ।

- २६ 'भारतीय जन संघ' का वार्षिक अधिवेशन बंगलोर में प्रारम्भ ।
- २७ 'भारतीय दर्शन (विज्ञानात्मक) कांग्रेस' के ३६वें अधिवेशन का अहमदाबाद में उद्घाटन ।
- 'भारतीय विज्ञान अकादेमी' की बड़ीदा में बैठक ।
- 'प्रखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन' का ३३वाँ अधिवेशन चण्डीगढ़ में प्रारम्भ ।
- 'भारतीय अर्थ सम्मेलन' का ४१वाँ अधिवेशन लखनऊ में प्रारम्भ ।
- 'भारतीय शल्य-चिकित्सक संघ' का २०वाँ वार्षिक सम्मेलन तथा 'भारतीय निरक्षर संस्था' का १०वाँ वार्षिक सम्मेलन विज्ञानापीठनम में प्रारम्भ ।
- २८ 'परिचयी क्षेत्रीय परिषद्' की सम्बन्ध में बैठक ।
- 'प्रखिल भारतीय महिला सम्मेलन' कानपुर में प्रारम्भ ।
- 'कनकलता गणितविद्या संस्था' का स्वर्ण जयन्ती समारोह प्रारम्भ ।
- २९ भारत तथा ईराक द्वारा एक व्यापार करार पर बगदाद में हस्ताक्षर ।
- 'श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति' के सुभाष प्रकाशित ।
- २० मील लम्बी रोहतक-गोहाणा रेल लाइन का उद्घाटन ।
- 'राष्ट्रीय युवक छात्रावास सम्मेलन' जयपुर में प्रारम्भ ।
- ३० 'गान्धी शान्ति प्रतिष्ठान' स्थापित किए जाने की घोषणा ।
- १२वाँ 'प्रखिल भारतीय वाणिज्य सम्मेलन' हुबली में प्रारम्भ ।
- ३१ २१वाँ 'भारतीय राजनीति विज्ञान सम्मेलन' उज्जैन में प्रारम्भ ।
- दूसरा 'प्रखिल भारतीय अम-अर्थ सम्मेलन' आगरा में प्रारम्भ ।
- 'भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग' की त्रिवेन्द्रम में बैठक ।
- 'भारतीय गणितविद्या सम्मेलन' का स्वर्ण जयन्ती अधिवेशन पूना में प्रारम्भ ।
- भारत सरकार द्वारा 'भारो इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड' की स्थापना ।

योग विद्या का प्रतितीय ग्रंथ

“उमेश योग दर्शन”

(प्रथम खंड) — चार भाषाओं में

गुजराती—हिन्दी—मराठी—अंग्रेजी

लेखक: योगीराज श्री उमेशचन्द्रजी

संस्थापक व संचालक

श्री रामतीर्थ योगाश्रम, बम्बई-१४

इस ग्रंथ में रोगी तथा निरोगी स्त्री-पुरुषों की तन्दुरस्ती अच्छी रखने के लिए ६ प्रकार के मल-शोधन कर्म, धामन, मानसिक इलाज, जलोपचार, मूर्ध्न्य किरण चिकित्सा, आहार चिकित्सा आदि अनेक

शक्ति वर्धक तथा रोग निवारक, घर में हो सकें ऐसे सुलभ, साध्य इलाज बताए गए हैं। ४०० से अधिक पृष्ठ तथा १०८ में अधिक चित्र हैं। ग्लेज आर्ट पेपर पर योग के आसनों के चित्र, मलशोधन कर्म के चित्र तथा स्वामीजी के रंगीन चित्र हैं। ३५ वर्षों का निजी अनुभव तथा २५ वर्षों के दौरान में श्रीरामतीर्थ योगाश्रम से लाभ-प्राप्त भाई-बहनों के अनुभवों के प्रमाणपत्र भी योगीराज ने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किए हैं। संक्षेप में, स्त्रियों, पुरुषों, बालकों, रोगियों तथा निरोगियों सबको अपूर्व मार्गदर्शन करानेवाली बेजोड़ पुस्तक है।

प्रत्येक भाषा की पुस्तक की प्रति का मूल्य रु० १५) डाक खर्च रु० २) अलग। मनीऑर्डर या पोस्टल ऑर्डर से भेजिये।

रामतीर्थ ब्राह्मी तैल

स्पेशल न० १ (आयुर्वेदिक औषधि)

बाल और मगज टानिक, आँखों, स्मृति, गहरी नींद और शरीर मालिश के लिए लाभदायक। यह मूल्यवान वस्तुओं द्वारा वैज्ञानिक रीति से श्री रामतीर्थ योगाश्रम में बनाया जाता है। अब नई बोतलों में सर्वत्र प्राप्य है। यह सब के लिए सब ऋतुओं में लाभदायक है। मूल्य रु० ४) बड़ी बोतल तथा रु० २) छोटी बोतल। डाक खर्च अलग।

योगासन चित्रपट

अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमारा विभिन्न योगिक आसनों वाला आकर्षक योगासन चित्रपट मंगाइये। यह आसन घर पर आसानी से किए जा सकते हैं। रु० २.५० न. सं. (डाक व्यय सहित) मनीऑर्डर भेजकर मंगाइये।

योगिक वर्ग

प्रातः ७।। में ९।। और सायं ६ से ७।। तक नियमित लगने हैं। प्रति रविवार को प्रातः १० बजे विभिन्न विषयों पर व्याख्यान होते हैं। जैमि-शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति आदि।

श्री रामतीर्थ योगाश्रम, दादर, बम्बई-१४

तीसवाँ अध्याय
सामान्य जानकारी

पूर्वता-अधिपत्र (वारण्ट ऑफ प्रिसीउरेस)

(१५ फरवरी, १९५८)*

- १ राष्ट्रपति
- २ उपराष्ट्रपति
- ३ प्रधानमंत्री
- ४ राज्यपाल और जम्मू तथा कश्मीर का सदर-ए-रिजालत (छपने-छपने शंभों में)
- ५ भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा भूतपूर्व गवर्नर-जनरल
- ६ उपराज्यपाल (छपने-छपने शंभों में)
- ७ भारत का मुख्य न्यायाधिपति
लोक सभा का अध्यक्ष
- ८ केन्द्रीय सरकार के मन्त्रिमण्डलीय मंत्री
- ९ 'भारत रत्न' सम्मान प्राप्त
- १० भारत-स्थित विदेशी सामान्य तथा पूर्णाधिकारी राजदूत
भारत-स्थित राष्ट्रमण्डलीय देशों के उच्चायुक्त
- ११ भारतीय राजवाड़ों के राजे-महाराजे (१७ तथा उनके अधिभक्तियों की संख्या में)
- १२ राज्यपाल और जम्मू तथा कश्मीर का सदर-ए-रिजालत (छपने-छपने शंभों के द्वारा)
- १३ उपराज्यपाल (छपने-छपने शंभों के द्वारा)
- १४ भारतीय राजवाड़ों के राजे-महाराजे (१७ तथा उनके अधिभक्तियों की संख्या में)
- १५ राज्यों के मुख्यमंत्री
- १६ केन्द्रीय राज्य-मंत्री
संस्कृत आयोग के सदस्य

* १० अक्टूबर, १९५८ तथा २ दिसम्बर १९५८ का दिनांक २.१.५८ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

सामंनिक उद्घरण विभाग का महा-निदेशक
 उपमण्डल तथा निवर्तन (द्विरोचन) विभाग का महा-निदेशक
 मात्र निर्माणशास्त्री (सांकेतिक कारखानों) का महा-निदेशक
 भारतीय जन-सेवा के कमिश्नर-इन-चार्ज
 एयर-कमिश्नर के पद के भारतीय वायु-सेवा के मेजानावर
 जन-सेवा तथा वायु-सेवा के मुख्यालयों के पी० एम० घो० (कमिश्नर तथा एयर
 कमिश्नर)

संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त (प्रचलन-प्रचलन क्षेत्रों के बाहर)

आकाशवाणी का महा-निदेशक

राष्ट्रपति का सैनिक सचिव

भारत-द्विपक्ष विदेशी तथा राष्ट्रमण्डलीय देशों के वाणिज्य दूत

उप-नेता-परीक्षक तथा महा-नेता-परीक्षक (डिप्टी कम्प्यूटर तथा प्रॉडिटर जनरल)

गणराज्य दिवस पर सम्मान

भारत रत्न

यह सम्मान कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के लिए किए गए प्रतापपूर्ण
 कार्य और सर्वोत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इस सम्मान का सूचक पदक, पीपल के पत्तों के आधार का एक पदक होता है।
 जो २ १/२ इंच लम्बा, १ १/२ इंच चौड़ा और १ इंच मोटा होता है। यह ठोस कति का बना
 है जिसके नीचे उभरे हुए हिन्दी अक्षरों में 'भारत रत्न' लिखा होता है। इसके निचले भाग
 पर राज-चिन्ह और हिन्दी में उद्देश्य-वाक्य होते हैं। सूर्य की आकृति, राज-चिन्ह
 और चारों ओर का किनारा प्लैटिनम का होता है और 'भारत रत्न' के अक्षर चमकीले
 कति के होते हैं।

१९५६ में यह सम्मान किसी को प्राप्त नहीं हुआ।

पद्म विभूषण

यह सम्मान प्रसामान्य और विशिष्ट सेवा के लिए जिसमें सरकारी कर्मचारियों की
 सेवा भी सम्मिलित है, दिया जाता है।

इस सम्मान का सूचक पदक गोल आकार का होता है जिस पर एक ज्यामितिक
 आकार उभरा हुआ होता है। इसके गोलाकार भाग का व्यास १ ३/४ इंच होता है और मोटाई
 १ इंच। ऊपर के भाग के गोल हिस्से में कमल का पुष्प उभरा हुआ होता है। पुष्प के
 'पद' और नीचे 'विभूषण' शब्द हिन्दी में उभरे हुए होते हैं। निचली ओर राज-

चिन्ह और हिन्दी में उद्देश्य-वाक्य होता है। ये भी ठोस कसि के होते हैं। इसका घेरा, दोनों ओर के ज्यामितिक आकार और 'पद्म विभूषण' के अक्षर चमकीले कसि के होते हैं। दोनों ओर के उभरे हुए भाग 'इवेत स्वरां' के होते हैं।

१९५६ के इस सम्मान के प्रापक :

- १ जॉन मयाई
- २ राधा विनोद पाल
- ३ गगनबिहारी सल्लूभाई मेहता

पद्म भूषण

यह सम्मान जित्ती भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए, जिसमें सरकारी कर्म-चारियों की सेवा भी सम्मिलित है, दिया जाता है।

इसकी बनावट भी 'पद्म विभूषण' के पदक जैसी ही है। उपरले भाग में 'पद्म' शब्द कमल के पुष्प के ऊपर और 'भूषण' शब्द पुष्प के नीचे उभरे होते हैं। इसका घेरा, 'पद्म-भूषण' के अक्षर और दोनों ओर के ज्यामितिक आकार चमकीले कसि के होते हैं। दोनों ओर का उभरा हुआ भाग 'स्टैंडर्ड सोने' का होता है।

१९५६ के इस सम्मान के प्रापक :

- १ अली यावर जंग—भारत के राजदूत, बेलग्रेड
- २ भागंबराम विठ्ठल धरेरकर—मराठी लेखक तथा नाटककार, बम्बई
- ३ भाऊराव पायगोण्डा पाटील—शिक्षा-शास्त्री तथा सामाजिक कार्य-कर्ता, बम्बई
- ४ श्रीमती घन्वन्ती राम राउ—सामाजिक कार्यकर्त्री, बम्बई
- ५ गुलाम याजदानी—पुरातत्ववेत्ता, हैदराबाद
- ६ श्रीमती हंसा मनुभाई मेहता—सामाजिक कार्यकर्त्री तथा भूतपूर्व उपकुलपति, बड़ौदा विश्वविद्यालय
- ७ जाल कावस पेमास्टर—मुख्य शल्यचिकित्सक तथा अधीक्षक, टाटा कैंसर संस्था, बम्बई
- ८ कंकणहल्ली माधुदेवाचार्य—संगीतज्ञ तथा कर्नाटक संगीत के रचयिता, मद्रास
- ९ निर्मल कुमार सिद्धान्त—उपकुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय
- १० परमल साम्बन्द मुदलियार—तमिल नाटककार, मद्रास
- ११ रामधारी सिंह 'दिनकर'—हिन्दी कवि तथा लेखक, मुंबई, बिहार
- १२ शिशिर कुमार भादुरी—रंगमंच निर्देशक तथा अभिनेता, कलकत्ता
- १३ सेनजिग नोरके—हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग
- १४ तिरुपत्तूर रामशिवप्पर वेंकटचल मूनि—प्राध्यापक (भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

१६ शिवाजी राव पटवर्धन—कुछ कार्यकर्ता, बम्बई

२० सुरेन्द्रनाथ कार—भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, कला भवन, शान्तिनिकेतन

वीरता के लिए पुरस्कार

परम वीर चक्र

वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान का सूचक 'परम वीर चक्र' पदक है जो स्यल, जल प्रयथा आशास में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य, अदम्य साहस अथवा आत्म-बलिदान के लिए भेंट किया जाता है।

यह कांस्य पदक गोलाकार होता है। इसके प्रमुख भाग के मध्य में राजचिन्ह के चारों ओर इन्द्र के चक्र की उभरी हुई ४ आकृतियाँ रहती हैं। दूसरी ओर मध्य में दो कमल पुष्प और हिन्दी तथा अंग्रेजी में 'परम वीर चक्र' शब्द अंकित रहते हैं।

यह पदक सवा इंच चौड़ी गुस्ताबी पट्टी के साथ वाम वक्ष पर लगाया जाता है।

१९५६ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुआ।

महा वीर चक्र

'महा वीर चक्र' का स्थान सम्मान की दृष्टि से दूसरा है और यह स्यल, जल प्रयथा आशास में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य के लिए भेंट किया जाता है।

यह रजत पदक गोलाकार होता है। इसके प्रमुख भाग में एक पंचकोना मध्य होता है जिसके मध्यभाग में स्वर्णमण्डित राजचिन्ह की उभरी हुई आकृति रहती है। पदक के दूसरी ओर मध्य में दो कमल पुष्प और हिन्दी तथा अंग्रेजी में 'महा वीर चक्र' शब्द अंकित रहते हैं।

यह पदक सवा इंच चौड़ी मरुती रंग की मिमीडुगी पट्टी के साथ वाम वक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि मरुती रंग की पट्टी बाएँ कंधे की ओर रहे।

१९५६ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुआ।

वीर चक्र

'वीर चक्र' का स्थान स्यल, जल प्रयथा आशास में शत्रु के सम्मुख शौर्य के लिए दिए जाने वाले पदकों में तीसरा है।

यह पदक भी चारों ओर गोलाकार होता है। इसके प्रमुख भाग में एक पंचकोना मध्य होता है जिसके मध्य में सोने का चक्र अंकित रहता है। चक्र के मध्यभाग में स्वर्णमण्डित राजचिन्ह होता है। पदक के दूसरी ओर मध्य में दो कमल पुष्प और हिन्दी तथा अंग्रेजी में 'वीर चक्र' शब्द अंकित रहते हैं।

यह पदक सवा इंच चौड़ी नीली रंग की मिमीडुगी पट्टी के साथ वाम वक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि मरुती रंग की पट्टी बाएँ कंधे की ओर रहे।

१९५६ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुआ।

अशोक चक्र—श्रेणी १

यह पदक स्वयं, जल धधवा धाकाग में धातीम शीयं, धधम्य साहस धधवा धातम-धधिवान के लिए भेंट किया जाता है ।

यह पदक सोने से मढ़ा हुआ गोलाकार होता है और इसके प्रमुख भाग में कमल-भात से घिरा हुआ अशोक चक्र उभरा रहता है । किनारे-किनारे कमल की पंक्तियों, पुष्पों और फलियों की आकृतियां बनी रहती हैं । दूसरी ओर हिन्दी तथा अंग्रेजी में 'अशोक चक्र' शब्द उभरे रहते हैं जिनके मध्य का स्थान कमल पुष्पों से सुशोभित रहता है ।

यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेडमी पट्टी के साथ, जिसके मध्य में उसको दो समान भागों में विभक्त करने वाली एक लड़ी नारंगी रेखा होती है, वाम वक्ष पर लगाया जाता है ।

१९५६ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुआ ।

अशोक चक्र—श्रेणी २

यह गोलाकार रजत पदक धातीम शीयं के लिए भेंट किया जाता है । इसके दोनों ओर ठीक उसी प्रकार की आकृतियां होती हैं जैसी 'अशोक चक्र—श्रेणी १' की ।

यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेडमी पट्टी के साथ, जिस पर तीन बराबर भागों में विभक्त करने वाली दो लड़ी नारंगी रेखाएं होती हैं, वाम वक्ष पर लगाया जाता है ।

१९५६ में यह पदक निम्न व्यक्तियों को प्राप्त हुआ :

मेजर डालचन्द सिंह प्रताप
 राइफलमैन जामन सिंह गुसाईं
 राइफलमैन भीमबहादुर खत्री
 क्राफ्ट्समैन जयकररा
 कप्तान हरचंस सिंह
 जमादार इन्द्रबहादुर गुरंग

अशोक चक्र—श्रेणी ३

यह पदक वीरतापूर्ण कार्यों के लिए भेंट किया जाता है । कति के बने होने के अतिरिक्त यह पदक 'अशोक चक्र—श्रेणी १ तथा २' जैसा ही होता है ।

यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेडमी पट्टी के साथ, जिस पर चार बराबर भागों में विभक्त करने वाली तीन लड़ी नारंगी रेखाएं होती हैं, वाम वक्ष पर लगाया जाता है ।

१९५६ में यह पदक निम्न व्यक्तियों को प्राप्त हुआ :

मेजर नन्द लाल जामवाल
 ले० प्रेम नारायण कक्कड़

हवलदार त्रिलोक सिंह
 नायक गुलाबसिंह नेगी
 नायक प्रेमसिंह नेगी
 राइफलमैन रुद्रबहादुर थापा
 जमादार बलबोर सिंह
 हवलदार दीवान सिंह
 नायक पूरन चन्द
 सिपाही बेंग राज
 सूबेदार दाम्बर बहादुर राणा
 जमादार मान बहादुर
 नायक बिलबहादुर थापा
 लेस नायक नरबहादुर छेत्री
 राइफलमैन लोक बहादुर तमांग
 राइफलमैन सालिग राम राणा

विद्वानों को पुरस्कार

संस्कृत, फारसी तथा अरबी के प्रसिद्ध विद्वानों को १९५८ से प्रति वर्ष सम्मान-प्रमाण-पत्र तथा १,५०० रुपये के वित्तीय अनुदान दिए जाते हैं। १९५८ में ये प्रमाणपत्र तथा अनुदान निम्न विद्वानों को दिए गए :

संस्कृत :

विष्णुशेखर भट्टाचार्य
 गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी
 पाण्डुरंग वामन काणे
 धीपाद कृष्णमूर्ति शास्त्री

अरबी :

मुहम्मद जुबैर सिद्दीकी

परिशिष्ट

: १ :

राजभाषा आयोग की सिफारिशों

संविधान के अनुच्छेद ३४४ की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति ने जून, १९५५ में स्वर्गीय श्री बाल गंगाधर तिलक की अग्रजता में २१ व्यक्तियों का एक 'राजभाषा आयोग' नियुक्त किया। आयोग ने ६ अगस्त, १९५६ को राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन दे दिया। यह प्रतिवेदन बाद में १२ अगस्त, १९५७ को संसद् के दोनों सदन में रखा गया। संसद् के दोनों सदन की एक संसदीय समिति ने इस पर विचार किया। इस समिति का प्रतिवेदन २२ अप्रैल, १९५६ को संसद् में उपस्थित कर दिया गया।

आयोग की मुख्य सम्मतियाँ और सिफारिशें संक्षेप में इस प्रकार हैं : (१) भारतीय शासनपद्धति पूर्णतः लोकतन्त्र पर आधारित होने के कारण यह सम्भव नहीं है कि अंग्रेजी भाषा को भारत की जनता के विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम बनाया जाए। समूचे भारत के लिए माध्यम के रूप में स्पष्टतः हिन्दी भाषा को ही अपनाया होगा। (२) इस समय यह निर्णय देना न तो आवश्यक है और न सम्भव कि १९६५ तक अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग किया जाना व्यवहार्य है या नहीं। यह उस समय तक किए जाने वाले प्रयासों पर निर्भर होगा। (३) संविधान की नम्य व्यवस्थाओं को देखते हुए संविधान में संशोधन किए बिना ही अंग्रेजी का प्रयोग १५ वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रखना सम्भव होगा। (४) अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग कुछ सीमित ही रहेगा। हिन्दी अंग्रेजी का स्थान पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकेगी क्योंकि प्रादेशिक भाषाओं को भी उनका उचित स्थान देने की व्यवस्था रखी गई है। (५) इस समय केन्द्र के किसी भी कार्य के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। वैकल्पिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना उस समय तक जारी रहने देना चाहिए जब तक ऐसा आवश्यक समझा जाए और काफी समय की पूर्व-सूचना दिए जाने के बाद ही इसका प्रयोग बन्द किया जाए। (६) संघ की भाषा के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के लेखन के लिए देवनागरी लिपि के प्रयोग का विकल्प रखा जाना चाहिए। (७) केन्द्रीय सरकार को संशोधनों में भर्ती किए जाने वाले नये व्यक्तियों की एक योग्यता के रूप में हिन्दी के ज्ञान का उचित मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार होगा, वगैरें कि उन व्यक्तियों को पर्याप्त पूर्व-सूचना

दे दी जाए और भाषा सम्बन्धी योग्यता का मानदण्ड कठोर न हो। (८) संघ की राजभाषा हिन्दी हो जाने के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय की सारी कार्यवाही हिन्दी भाषा में ही होगी। छोटे न्यायालयों की कार्यवाही प्रादेशिक भाषाओं में होगी। उच्च न्यायालयों में केवल एक ही भाषा का प्रयोग होगा। (९) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में हिन्दी का अध्येयन अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद माध्यमिक स्तरों में अंग्रेजी के अध्यापन की व्यवस्था मुख्यतः एक 'साहित्यिक भाषा' के रूप में रखी जाए वशतः कि किसी ने इसे स्वेच्छा से एक विषय के रूप में ही न अपनाया हो। (१०) आयोग इस मुद्दा से सहमत नहीं है कि इसके बदले में हिन्दी-भाषी विद्यार्थियों के लिए हिन्दी-भिन्न कोई प्रादेशिक भाषा सीखना अनिवार्य रखा जाए। (११) आयोग चाहता है कि संघीय तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए एक 'राष्ट्रीय भाषा अकादेमी' स्थापित की जाए।

—:०:—

: २ :

५,०००-५,००० रुपये के नरुय पुरस्कारों के लिए चुनी गई पुस्तकें
१९५८

भाषा	पुरतक	लेखक
उड़िया	का (उपन्यास)	बाबूचरण मट्ती
उर्दू	आतिसो गुल (कविताएँ)	निजाम पुराशाबादी
बंगल	धरतु-मरतु (कविताएँ)	इसायय रामचन्द्र बंगे
बड़मीरी	गत मागर (सद्य कथाएँ)	अन्तर मुट्टिदीन
गुजराती	दार्शन अने जिनन (दार्शनिक निबन्ध)	प० मुन्नागजी
तमिल	अज्ञानतो निरमयन (गद्य रामायण)	अज्ञानतो अज्ञानोपापापा
बंगला	आन्दोई काई इत्यादि सद्य (सद्य कथाएँ)	राज सोनर बंग
मराठी	अज्ञानतो (आन्दोई कथा)	विजयनगर बंगल
मलयालम	अज्ञानतो (आन्दोई कथा)	बे० दी० बंगल
हिन्दी	अज्ञानतो का इतिहास	अज्ञानतो

—:०:—

संगीत, नृत्य तथा नाटक के लिए पुरस्कार

१९५८-५९

हिन्दुस्तानी संगीत

गायन	...	इन्द्रराव संकर रविगन
बादन	...	जगन्नाथ शर्मागौर वी

पार्श्व संगीत

गायन	...	श्री० एन० बागुडूरायम्
बादन	...	राजमार्तिराम सिन्हे

नृत्य

भरतनाट्यम्	...	गौरी दाम्ता
कथक	...	गुडर प्रसाद

नाटक

अभिनय	...	पी० शास्त्रर मुसनिवार
निर्देशन	...	शम्भु मित्र

चलचित्र

अभिनय	...	अशोक कुमार
निर्देशन	...	सरयजित राय

—:०:—

सहित कला अकादेमी के पुरस्कार

१९५६

आधुनिक कला

राघव शार० कानेरिया
ए० ए० जगन्नाथन
मुहम्मद दासीन

यथार्थवादी कला

रतन बाडके
मुनील कुमार दास
वीपक प्रसाद बनर्जी

पौरात्य कला

पी० हेमराज
भगवान कपूर
बिहारी बरभग्या

वर्ष का सर्वोत्तम चित्र
मुहम्मद यासीन

—:०:—

: ३ :

चलचित्र पुरस्कार
(१९५८ में निमित्त चलचित्रों के लिए)

पुरस्कार	चलचित्र	भाषा	निर्माता
सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक तथा २५,००० रुपये का नकद पुरस्कार	'सागर संगम'	बंगला	
द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र तथा १२,५०० रुपये का नकद पुरस्कार	'जलसा घर'	बंगला	शरीफा फिल्म कार्पो- रेशन, कलकत्ता
तृतीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'रकूल मार्टर'	बंगल	पश्चिमी विश्वमं, मद्रास
हिन्दी के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्र-पति का रजत पदक	'मधुमती'	हिन्दी	विमल राय, बम्बई
हिन्दी के द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'साजबन्ती'	हिन्दी	डो-अफन फिल्म,

पुरस्कार	चलचित्र	भाषा	निर्माता
हिन्दी के सर्वोत्तम चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'बारीबर'	हिन्दी	यशवन्त जोशीकर, यशवंत
मराठी के सर्वोत्तम चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'पाण्टो राज'	मराठी	वामनराव कुतहराणें तथा विष्णुवन्त घाटार, पुना
बंगला के सर्वोत्तम चलचित्र के लिए राजकुमारी का उत्कृष्ट पदक	'गान्धर संगी'	बंगला	
बंगला के द्वितीय सर्वोत्तम चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'नयना घर'	बंगला	धरोहरा विन्धु बाली-रेसा, बलरहा
बंगला के सर्वोत्तम चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'हाट हरकारा'	बंगला	सदगामो प्रोडक्शन, बलरहा
संस्कृत के सर्वोत्तम चलचित्र के लिए राजकुमारी का उत्कृष्ट पदक	'श्रीमा सुविम'	संस्कृत	शिवशिला शिखरी मिने प्रोडक्शन, जोरहाट
संस्कृत के द्वितीय सर्वोत्तम चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'सुन्दरसुन्द'	संस्कृत	सुन्दर विन्धुमं, मद्रास
संस्कृत के तृतीय सर्वोत्तम चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'सामुद्रिक सागर'	संस्कृत	सुन्दर विन्धुमं, मद्रास
तमिल के सर्वोत्तम चलचित्र के लिए राजकुमारी का उत्कृष्ट पदक	'विजय वरुण'	तमिल	सुन्दर विन्धुमं, मद्रास
तमिल के द्वितीय सर्वोत्तम चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'विलसु वरुण'	तमिल	सुन्दर विन्धुमं, मद्रास

पुरस्कार	चलचित्र	भाषा	निर्माता
कन्नड़ के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	'स्कूल मास्टर'	कन्नड़	पद्मिनी विक्चर्स, मद्रास
मलयालम के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'नायर पीडिचा पुलिथात'	मलयालम	एसोसिएटेड प्रोड्यूसर्स, मद्रास
मलयालम के द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'रण्डिडंगलि'	मलयालम	नील प्रोडक्शन्स, त्रिवेन्द्रम
सर्वोत्तम वृत्त चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक तथा ५,००० रुपये का नकद पुरस्कार	'राधा कृष्ण'	अंग्रेजी	चलचित्र विभाग, बम्बई
द्वितीय सर्वोत्तम वृत्त चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र तथा २,५०० रुपये का नकद पुरस्कार	'द स्टोरी ऑफ डा० कर्वे'	अंग्रेजी	चलचित्र विभाग, बम्बई
तृतीय सर्वोत्तम वृत्त चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'काल ऑफ द माउण्टेन्स'	अंग्रेजी	चलचित्र विभाग, बम्बई
सर्वोत्तम झाल चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'विरसा एण्ड द मैजिक डॉल'	अंग्रेजी	निडिग तिनेमा, बलरुता

देय आय कर

(१९५८-५९ की दरों से कुल आय पर कर)

(रुपये)

भारत १९५९

आय	विवाहित व्यक्ति		एक सत्यान वाले विवाहित व्यक्ति		एक से अधिक सत्यान वाले विवाहित व्यक्ति		घविवाहित व्यक्ति
	अजित	अनजित	अजित	अनजित	अजित	अनजित	
	र	इ	य	य	इ	उ	
३,०००
३,२००	६	६
३,६००	१८	१८	६	६
४,२००	३६	३६	२७	२७
४,८००	५४	५४	४५	४५
५,०००	६०	६०	५१	५१
६,०००	१२०	१२०	१११	१११	१०२	४२	११४
७,२००	१६२	१६२	१८३	१८३	१७४	४२	१२०
८,४००	२०४	२०४	२६६	२६६	२५७	४२	१८०
९,६००	४१६	४१६	४०८	४०८	४००	४२	२४२
१०,०००	४५७	४५७	४४७	४४७	४३८	४२	२४२
१२,०००	६८८	६८८	६७८	६७८	६६९	४२	३५४
१३,२००	८४८	८४८	८३९	८३९	८३०	४२	४५४
१४,४००	९४८	९४८	९३९	९३९	९३०	४२	५५४
१५,०००	१,०२५	१,०२५	१,०१५	१,०१५	१,००६	४२	५५४
१५,०००	१,११३	१,११३	१,१०३	१,१०३	१,०९४	४२	५५४
१६,८००	१,४५३	१,४५३	१,४४५	१,४४५	१,४३६	४२	५५४
१८,०००	१,६८०	१,६८०	१,६७०	१,६७०	१,६६१	४२	५५४
२०,०००	२,०५८	२,०५८	२,०४८	२,०४८	२,०३९	४२	५५४
२४,०००	३,३८१	३,३८१	३,३६१	३,३६१	३,३५२	४२	५५४

सम्पदा शुल्क की दरें

भाग १

उस प्रत्येक सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर मिलती अथवा मिली समझी जाती है :

- (१) सम्पदा के मुख्य मूल्य के प्रथम ५०,००० रुपये पर
- (२) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले ५०,००० रुपये पर
- (३) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले ५०,००० रुपये पर
- (४) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले ५०,००० रुपये पर
- (५) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले ५०,००० रुपये पर
- (६) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले १,००,००० रुपये पर
- (७) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले २,००,००० रुपये पर
- (८) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले ५,००,००० रुपये पर
- (९) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले १०,००,००० रुपये पर
- (१०) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले १०,००,००० रुपये पर
- (११) शेष सम्पदा पर

भाग २

खण्ड २०क में उल्लिखित कम्पनी के मृतक व्यक्ति के हिस्सों अथवा ऋः सम्बन्ध में :

- (१) यदि हिस्सों अथवा ऋणपत्रों का मुख्य मूल्य ५,००० से अधिक न हो
- (२) यदि हिस्सों अथवा ऋणपत्रों का मुख्य मूल्य ५,००० रुपये से अधिक हो

—:०:—

धन कर की दरें

भाग १

क. प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में :

- (१) शुद्ध धन के प्रथम २ लाख रुपये पर
- (२) शुद्ध धन के अगले १० लाख रुपये पर
- (३) शुद्ध धन के अगले १० लाख रुपये पर
- (४) शेष शुद्ध धन पर

कर की दर

कुछ नहीं

३ प्रतिशत

ग. प्रत्येक हिन्दू संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में :

(१) शुद्ध धन के प्रथम ४ लाख रुपयों पर	कुछ नहीं
(२) शुद्ध धन के अगले ६ लाख रुपयों पर	३ प्रतिशत
(३) शुद्ध धन के अगले १० लाख रुपयों पर	१ प्रतिशत
(४) शेष शुद्ध धन पर	१३ प्रतिशत

भाग २

प्रत्येक कंपनी के सम्बन्ध में :

(१) शुद्ध धन के प्रथम ५ लाख रुपयों पर	कुछ नहीं
(२) शेष शुद्ध धन पर	३ प्रतिशत

—:—

व्यय कर की दरें

प्रत्येक व्यक्ति तथा हिन्दू संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में कराधान-योग्य व्यय के निम्न भाग पर जो :

(१) १०,००० रुपये से अधिक न हो	१० प्रतिशत
(२) १०,००० रुपये से अधिक हो किन्तु २०,००० रुपये से अधिक न हो	२० प्रतिशत
(३) २०,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ३०,००० रुपये से अधिक न हो	४० प्रतिशत
(४) ३०,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ४०,००० रुपये से अधिक न हो	६० प्रतिशत
(५) ४०,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ५०,००० रुपये से अधिक न हो	८० प्रतिशत
(६) ५०,००० रुपये से अधिक हो	१०० प्रतिशत

—:—

. ५ :

राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट

१२-वर्षीय सर्टिफिकेट

मूल मूल्य :	५; १०; ५०; १००; ५००; १,००० तथा ५,००० रुपये
परिपाक मूल्य :	७.५०; १५; ७५; १५०; ७५०; १,५०० तथा ७,५०० रुपये

७-वर्षीय सर्टिफिकेट

मूल मूल्य :	५; १०; ५०; १००; १,००० तथा ५,००० रुपये
परिपाक मूल्य :	६.२५; १२.५०; ६२.५०; १२५; १,२५० तथा ६,२५० रुपये

५-वर्षीय सर्टिफिकेट

मूल मूल्य :	५;१०;५०;१००;१,००० तथा ५,००० रुपये
परिपाक मूल्य :	५.७५;११.५०;५७.५०;११५;१,१५० तथा ५,७५० रुपये

एक व्यक्ति अकेले २५,००० रुपये तक के सर्टिफिकेट खरीद सकता है, किन्तु व्यक्ति मिलकर ५०,००० रुपये तक के सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। ५-वर्षीय तथा १२-वर्षीय सर्टिफिकेट किसी भी समय भुनाए जा सकते हैं किन्तु १२-वर्षीय सर्टिफिकेट निर्धारित अवधि की समाप्ति पर ही भुनाए जा सकते हैं।

—:०:—

चालू डाक दर

अन्तर्देशीय पत्र

डेढ़ तोले तक	१५ नये पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त डेढ़ तोले अथवा उसके भाग के लिए	१० नये पैसे

पोस्टकार्ड

१. स्थानीय	(क) अकेला	३ नये पैसे
	(ख) जवाबी	६ नये पैसे
२. साधारण	(क) अकेला	५ नये पैसे
	(ख) जवाबी	१० नये पैसे
३. लेटर कार्ड		१० नये पैसे

बुक पॅकेट (छपी हुई पुस्तक नहीं), पेटर्न तथा सैम्पल पॅकेट

५ तोले तक	८ नये पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त ढाई तोले अथवा उसके भाग के लिए	३ नये पैसे

छपी हुई पुस्तकों वाले बुक पॅकेट

५ तोले तक	५ नये पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त ढाई तोले अथवा उसके भाग के लिए	३ नये पैसे

पञ्जीकृत समाचारपत्र

१० तोले तक	२ नये पैसे
१० तोले से २० तोले तक	३ नये पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त २० तोले अथवा उसके भाग के लिए	३ नये पैसे

सुदूर पूर्व

अधिसूचना सं. १०१ के लिए	१५ नवंबर १९६१
अधिसूचना सं. १०१ के अन्तर्गत अधिसूचना सं. १०१ के लिए	१५ नवंबर १९६१

दक्षिण पूर्व

अधिसूचना सं. १०१ के अन्तर्गत अधिसूचना सं. १०१ के लिए	१५ नवंबर १९६१
--	---------------

दक्षिण

अधिसूचना सं. १०१ के लिए	१५ नवंबर १९६१
अधिसूचना सं. १०१ के अन्तर्गत अधिसूचना सं. १०१ के लिए	१५ नवंबर १९६१
अधिसूचना सं. १०१ के लिए	१५ नवंबर १९६१

दक्षिण पूर्व

अधिसूचना सं. १०१ के लिए	१५ नवंबर १९६१
अधिसूचना सं. १०१ के अन्तर्गत अधिसूचना सं. १०१ के लिए	१५ नवंबर १९६१
अधिसूचना सं. १०१ के लिए	१५ नवंबर १९६१

— ११५ —

विधि

मनीषा

अधिसूचना सं. १०१ के अन्तर्गत अधिसूचना सं. १०१ के लिए	१५ नवंबर १९६१
--	---------------

तार द्वारा मनीषा

तार द्वारा किए जाने वाले अधिसूचना मनीषा के सूचक में त्रिजने रुपये भेजने हों उनमें के लिए सामान्य मनीषा अधिसूचना सूचक के अन्तर्गत तार का सूचक तथा १५ नवंबर १९६१ का अधिसूचना

पोस्टल आर्डर

५ रुपये तक के प्रत्येक पोस्टल आर्डर के लिए	५ नवंबर १९६१
५ रुपये से १० रुपये तक के प्रत्येक पोस्टल आर्डर के लिए	१० नवंबर १९६१
एकत्रित डिलीवरी कारोबारी जमाबी पोस्टल आर्डर तथा सिफार्ड (बायिक)	१२ नवंबर १९६१
	१० रुपये

पोस्ट बॉक्स तथा पैकेट

बायिक	१५ रुपये
तिमाही	५ रुपये

पोस्ट बॉक्स तथा बॅग्स (वार्षिक)
पोस्ट बॉक्स तथा बॅग्स (तिमाही)

२० रुपये
६ रुपये

अन्तर्देशीय तार

भारत, पाकिस्तान, बर्मा अथवा श्रीलंका के स्थानों को भेजे जाने वाले तथा वहाँ से प्राप्त किए जाने वाले तार अन्तर्देशीय तार माने जाते हैं। इनके शुल्क निम्न प्रकार हैं :

	एक्सप्रेस	आर्डिनरी
भारत में	(४०)	(४०)
न्यूनतम शुल्क (८ शब्द)	१.६०	०.८०
प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए	०.१६	०.०८
पाकिस्तान तथा बर्मा में		
न्यूनतम शुल्क (८ शब्द)	२.७५	१.३७
प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए	०.२५	०.१३
समाचारपत्र तार : भारत में		
न्यूनतम शुल्क (५० शब्द)	१.५०	०.७५
प्रत्येक अतिरिक्त ५ शब्दों के लिए	१.१३	०.०७

बधाई के तार

बधाई के तार भारत में किन्हीं दो तारपत्रों के बीच जलवायों के व्यवहारों पर विदोष रूप से कम दरों पर भेजे जा सकते हैं :

- क. प्रेषिणी का नाम तथा पता (४ शब्द)
ख. संख्या में अंकित बधाई (१ शब्द)
ग. प्रेषक का नाम (१ शब्द)

	एक्सप्रेस	आर्डिनरी
	(४०)	(४०)
इन ६ शब्दों के लिए	१.००	०.५०
प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए	०.१६	०.०७

सिंकारा

एक अत्योत्तम
जनरल टॉनिक



प्रत्येक आयु और
प्रत्येक ऋतु में लाभप्रद

हमदर्द दवाखाना (बम्बई) देहली

बैंकिंग हमारा काम है



दस मर में ३६० कार्यालय और विदेशी विनिमय विभाग,
छाप ही विशेषतः कर्मचारियों के अधीन आंचलिक कार्यालय
आपकी सेवा में संलग्न हैं।

घाटू खाता • हुपडो का बट्टा
बचत खाता • विदेशी विनिमय
मुदती खाता • सेफ-डिपॉजिट वॉल्ट
कैश सर्टिफिकेट • अधिम-श्रृण

कार्यगत कोष १६४ करोड़ रुपये से अधिक

एस० पी० जैन
चैयरमैन

ए० एम० वॉकर
जनरल मैनेजर

दि पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड

स्थापित सन् १८६५ ई०
प्रधान कार्यालय : नई दिल्ली

हस्तशिल्प वस्तुओं के बारे में



भारत के गौरव चिन्ह-भारतीय हस्तशिल्प को

सामानियों पूर्व बौद्ध-ए-हिन्दू या भारतीय
इण्डियन कुँय शक्ति का प्रतीक माना जाता था ।

पर वही वही भारत में धातु का उपयोग,
धातु विपणन के प्रतिरिक्त अन्य विविध रूपों में
भी बनोये गये थे होता रहा है ।

धातुओं पर प्रापारित कुतु मुख्य हस्तशिल्प
के हैं :- तांबे, पीतल और चांदी की लैटेड और
कटोरे, बिररी के कुनवान, लैटेड और एगड़े,
जिन में कामी जमीन पर चांदी का मुन्दर काम
उनकी विशिष्टता होती है, मुरावाबाव के
पीतल के कटोरे, कुनवान और मजाबटी बस्तुएं,
कपूर के एनेमल या तांबे पीतल की बनी
पत्थरों की प्राकृतियां और बीनाकारों की
मुन्दर बस्तुएं, पश्चिम बंगाल की कांस्य की
राजकारियां, उड़ीसा और कर्नाटक का चांदी के
तांबे का काम, बम्बई की प्राविमबादव
तांबे की बस्तुएं और तौराद से धातु के
सामानों ।

धातु की हस्तशिल्प बस्तुओं में सामान्य
उपयोगी मात्र जो कई प्राकार और रूपों में
मिथ सकते हैं, से से कर बारीक सुवाई
के काम, और बड़ा या एनेमल वाले
सामानों
का
सकते हैं । बाह्य बनाने
की भी हो, भारतीय
धातु में उरुष्ट कला-
ता है ।

हस्तशिल्प बोर्ड,
उद्योग मंत्रालय,
सरकार

